इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम – मिनी रत्न श्रेणी-I)

24वीं वार्षिक रिपोर्ट 2022-23

सुविधा x दक्षता

नवाचार और पहुंच आसान बनाते हुए यात्रा का रूपांतरण

आइए,
यात्रा शुरु करें...

भारत में रेलवे टिकटिंग, खानपान और पर्यटन संबंधी सेवाओं के अग्रणी प्रदाता होने के नाते, हमें सीमाओं से परे बेजोड़ यात्रा अनुभव प्रदान करने का गौरव प्राप्त है।

हमारे उपयोगकर्ता-मैत्रीपूर्ण ऑनलाइन बुकिंग प्लेटफ़ॉर्म से, हमारे ग्राहक लंबी कतारों और कागजी कार्रवाई से छुटकारा पाते हुए कुछ ही क्लिक के साथ अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। लेकिन उत्कृष्टता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता टिकटिंग से कहीं अधिक है।

सोचिए, कितना अच्छा महसूस होगा जब आप ट्रेन में शान और आराम से बैठकर मनोरम दृश्यों को निहार रहे हैं। हमारी ट्रेनों में अत्याधुनिक सुविधाएं हैं जो यात्रा को सहज और आनंददायक बनाती हैं। सच्ची गर्मजोशी और देखभाल के साथ परोसे गए बेहतरीन सामग्रियों से तैयार किए गए स्वादिष्ट भोजन का आनंद लें।

लेकिन हमारी सेवाएं रेल यात्रा तक ही सीमित नहीं हैं। आईआरसीटीसी के साथ, हमारे ग्राहकों के रोमांच की कोई सीमा नहीं है। हमारे सुविचारित और सुनियोजित टूर पैकेजों के माध्यम से मनोरम स्थलों की खोज करें और शानदार यादों में खो जाएं। मनमोहक हिल स्टेशनों से लेकर ऐतिहासिक स्थलों तक, हमारे सावधानीपूर्वक डिज़ाइन किए गए यात्रा कार्यक्रमों से आप आजीवन यादें लेकर जाएंगे, यह निश्चित हैं।

आईआरसीटीसी में, हम समझते हैं कि यात्रा सिर्फ अपने गंतव्य तक पहुंचने से कहीं अधिक है। इसीलिए हम यात्रा से कहीं अधिक सोचते हैं और करते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आपका हर पल आनंददायक हो। हमारी समर्पित टीम बेजोड़ सेवा प्रदान करने, हर जरूरत को पूरा करने और अपने ग्राहकों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।

कॉरपोरेट अवलोकन

अध्यक्ष का संदेश	02
उत्कृष्ट सुविधाएं प्रदान करते हुए	06
हमारे कार्य-निष्पादन का अंक पत्रक	08
मूल्य सृजन के हमारे इंजन	10
हमारे व्यवसाय क्षेत्र	13
खानपान और आतिथ्य	14
इंटरनेट टिकटिंग, सुविधा बढ़ाते हुए	18
रेल नीर संयंत्र	20
पर्यटन संवर्धन	22
विशेष ट्रेन	24
डिज़िटल पहल	26
नई पेशकश	28
उत्तरदायी भविष्य के लिए प्रतिबद्ध	30
अधिक मज़बूत समुदाय बनाते हुए	32
पुरस्कार व प्रशंसा	34
आईआरसीटीसी का सोशल मीडिया में मौजूदगी	37
निदेशक मंडल की प्रोफाइल	38
निदेशक मंडल का परिचय	41
वरिष्ठ प्रबंधन	41
अंचल प्रमुख	43
कॉरपोरेट सूचना	44
दस साल वित्तीय विशिष्टताएं	46

वैधानिक रिपोर्ट

निदेशकों की रिपोर्ट	47
प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण	95
कॉरपोरेट अभिशासन पर रिपोर्ट	113
सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट	152
व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोट	155

वित्तीय विवरण

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट	200
तुलन पत्र	214
लाभ और हानि का विवरण	215
नकदी प्रवाह का विवरण	216
इक्विटी में परिवर्तन का विवरण	218
भारतीय लेखांकन के अनुसार लेखांकन नीतियां	220
भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां	289

हमारे बारे में अधिक पढ़ने के लिए क्यूआर कोड स्कैन करें

अध्यक्ष का संदेश

सीमा कुमार
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

आईआरसीटीसी ने लाखों लोगों की यात्रा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में स्वयं को एक महत्वपूर्ण सहभागी के रूप में स्थापित किया है। ऑनलाइन टिकट उद्योग में अपने बढ़ते प्राधान्य के साथ, हम एशिया पैसिफिक क्षेत्र के एक सर्वाधिक इस्तेमाल की जाने वाली वेबसाइट संचालित करते हैं।

प्रिय शेयरधारक,

देश का अनुकूल नीतिगत माहौल और सरकार द्वारा लगातार बुनियादी सुधारों पर ध्यान देने से वैश्विक प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भारत की आर्थिक गतिविधियां मजबूत बनी हुई हैं। अपने संचालन को अनुकूल बनाते हुए और अपने व्यावसायिक क्षेत्रों के माध्यम से अपने सम्मानित ग्राहकों को असाधारण अनुभव प्रदान करते हुए हमने वित्त वर्ष में अच्छी वृद्धि दर्ज की।

समीक्षाधीन वित्त वर्ष के दौरान, यात्रियों की बढ़ती आकांक्षाओं के साथ, यात्रा और पर्यटन उद्योग में तेजी आई है। आईआरसीटीसी ने लाखों लोगों की यात्रा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में स्वयं को एक महत्वपूर्ण सहभागी के रूप में स्थापित किया है। ऑनलाइन टिकट उद्योग में अपने बढ़ते प्राधान्य के साथ, हम एशिया पैसिफिक क्षेत्र के एक सर्वाधिक इस्तेमाल की जाने वाली वेबसाइट संचालित करते हैं।

हमने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी है, जिसके कारण प्राथमिकताएँ बदली हैं और ग्राहकों की ज़रूरतें भी विविध हुई हैं। आईआरसीटीसी पूरे भारत में विभिन्न स्थलों और समुदायों को जोड़ते हुए पर्यटन पहलों को सक्रिय रूप से समर्थन और बढ़ावा देता है। आईआरसीटीसी में, हम बाजार की गतिशीलता पर नजर रखते हैं और अपने ग्राहकों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रौद्योगिकी-संचालित समाधान प्रस्तुत करते हैं।

अच्छी राजस्व वृद्धि और वर्धित लाभप्रदता के साथ हमारा वित्तीय कार्य-निष्पादन सराहनीय रहा है। हमने जोखिमों को कम करने और सतत विकास को बनाए रखने के लिए लागतों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया है, संचालन क्षमता को अनुकूल बनाया है और अपने राजस्व अर्जित करने के उपायों में विविधता लाई है।

कंपनी का एक प्रमुख व्यावसायिक उद्देश्य आतिथ्य सत्कार है और वित्त वर्ष 2022-23 में आईआरसीटीसी ने ट्रेनों में हो या स्टेशनों पर, अपने खानपान संचालन को यात्रियों के भोजन अनुभव को बढ़ाने पर केंद्रित किया। वैश्विक महामारी के कारण लगभग 2 वर्षों तक खानपान गतिविधियों में ठहराव देखने के बाद, आईआरसीटीसी ने रेलवे स्टेशनों और गैर-रेलवे परिसरों में कई आतिथ्य दुकानों का संचालन शुरू करते हुए अपने खानपान क्षेत्र में मजबूती से वापसी की। इसके अलावा, कंपनी को वर्ष के दौरान रेल मंत्रालय द्वारा शुरू की गई वंदे भारत ट्रेनों के बेड़े में खानपान सेवाओं के प्रावधान की जिम्मेदारी भी सौंपी गई जो रेल मंत्रालय द्वारा आईआरसीटीसी पर भरोसे को भी दर्शाता है।

शानदार कार्य-निष्पादन करते हुए

मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि वित्त वर्ष 2013 में हमारी टिकट बुकिंग बढ़कर 28,434 टिकट प्रति मिनट हुई है। हमने प्रति दिन औसतन 11.82 लाख टिकट बुक किए हैं, जिनमें से वित्त वर्ष 23 में 5.60 लाख टिकट हमारे रेल कनेक्ट ऐप के माध्यम से बुक किए गए। भारत गौरव पहल के तहत, हम वर्तमान में पिछले वर्ष की 150 ट्रेनों की तुलना में सालाना 300 ट्रेनों का संचालन कर रहे हैं।

वर्ष के दौरान हमने ₹ 3661.90 करोड़ की कुल आय के साथ मज़बूत कार्य-निष्पादन किया है जो वित्त वर्ष 2021-22 में ₹ 1954.48 था। हमारा ईबीआईटीडीए पिछले वर्ष के ₹ 949.42 करोड़ से की तुलना में ₹ 1396.65 करोड़ रहा। वित्त वर्ष 22 में हमारा पीएटी पिछले वर्ष के ₹ 659.55 से बढ़कर ₹ 1005.88 करोड़ हुआ। ईबीआईटीडीए और पीएटी दोनों का मार्जिन क्रमशः 38.14% और 27.47% रहा।

वर्षों के दौरान बेहतर सेवा देते हुए

वर्षों के दौरान, आईआरसीटीसी ने अपने यात्रियों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं। हमारे ऑनलाइन टिकटिंग प्लेटफ़ॉर्म ने बुकिंग प्रक्रिया को सरल बनाया है, जिससे यह देश के लाखों लोगों के लिए सुविधाजनक और सुलभ हुई है। हमने अपनी ई-कैटरिंग सेवाओं को बढ़ाया है, जिसमें हर स्वाद के अनुरूप विभिन्न तरह के स्वादिष्ट भोजन पेश किया जाता है। अपने रेल नीर व्यवसाय के माध्यम से, हम स्वच्छता और शुद्धता सुनिश्चित करते हुए भारत के रेलवे स्टेशनों में किफायती पैकेज्ड पानी की बोतलें प्रदान करते हैं। हमने अपनी मोबाइल बुकिंग को बढ़ाने के लिए अपने बी2सी एजेंटों जैसे MMP, IXIGO, Paytm, Goibibo, Railofy आदि के साथ भी गठजोड़ किया है।

अच्छी राजस्व वृद्धि और वर्धित लाभप्रदता के साथ हमारा वित्तीय कार्य-निष्पादन सराहनीय रहा है। हमने जोखिमों को कम करने और सतत विकास को बनाए रखने के लिए लागतों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया है, संचालन क्षमता को अनुकूल बनाया है और अपने राजस्व अर्जित करने के उपायों में विविधता लाई है।

जैसे-जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारा व्यावसायिक दृष्टिकोण स्थायी विकास, ग्राहक-केंद्रण और नवाचार पर बना हुआ है। हम अपने लोगों में निवेश करना जारी रखेंगे, उत्कृष्टता की संस्कृति को बढ़ावा देंगे और एक विश्वसनीय और पसंदीदा यात्रा और आतिथ्य प्रदाता के रूप में अपनी स्थिति को बनाए रखेंगे।

ग्राहकों की संतुष्टि बढ़ाने के लिए, हमने असाधारण सेवाओं प्रदान करने को लगातार प्राथमिकता दी है। यात्री अनुभव, समय की पाबंदी और संरक्षा उपायों को बढ़ाने पर ध्यान देते हुए हमने लाखों यात्रियों का विश्वास और निष्ठा अर्जित की है।

रणनीतिक योजना, निरंतर नवाचार और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाते हुए हमने अपनी सेवाओं, ग्राहक आधार और राजस्व अर्जन में उल्लेखनीय बढ़ोत्तरी देखी है। रेलवे यात्रा, पर्यटन और संबंधित सेवाओं की बढ़ती मांग ने हमारे विकास पथ को गति दी है, जिससे हम अपने ग्राहकों को बेहतर सेवा देने में सक्षम बने हैं।

हमने अपने सम्मानित ग्राहकों को सुविधा, पारदर्शिता और सहज अनुभव सुनिश्चित करते हुए ई-टिकटिंग, ऑनलाइन बुकिंग प्लेटफ़ॉर्म और एकीकृत सेवा प्रस्तुत करने जैसी कई पहलों को सफलतापूर्वक प्रारंभ किया है।

इसके अलावा, पैकेज्ड पेयजल, कैटरिंग और ई-टिकटिंग सहित नए व्यावसायिक क्षेत्रों में हमारे विस्तार से हमारे राजस्व अर्जन स्रोतों में विविधता आई है और बाजार में हमारी उपस्थिति मजबूत हुई है। हमने रणनीतिक साझेदारियां की हैं, उद्योग के हितधारकों के साथ सहयोग किया है और विकास को बढ़ावा देने और नए अवसरों का लाभ लेने के लिए तालमेल को बढ़ाया है।

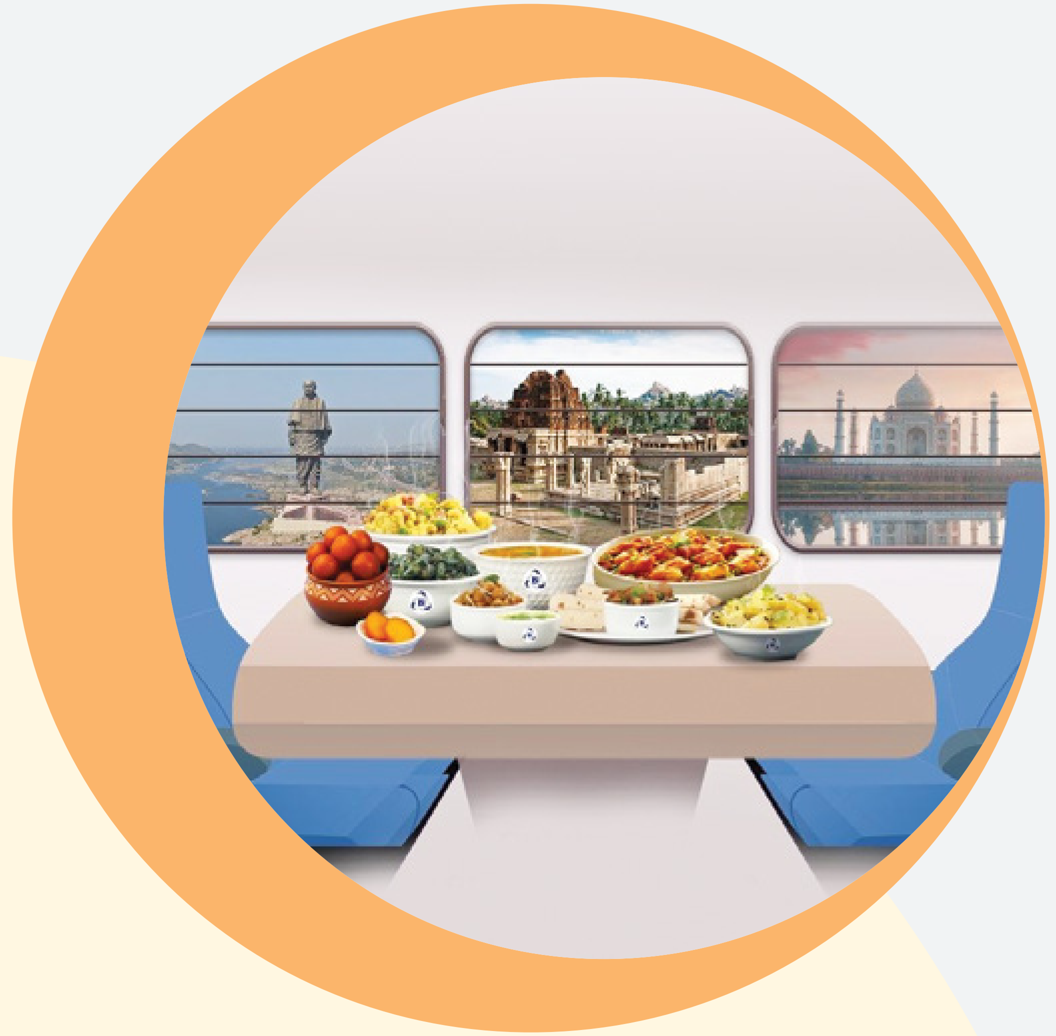

अपने पर्यावरणीय पहलों को अनुकूल बनाते हुए

हम अपने पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने, सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने और दीर्घकालिक स्थिरता विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

पर्यावरणीय स्थिरता हमारा मुख्य ध्यान-केंद्रण क्षेत्र है। हमने अपने कार्बन उत्सर्जन को कम करने, ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण-अनुकूल प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की है। इनमें अक्षय ऊर्जा स्रोतों, अपशिष्ट प्रबंधन रणनीतियाँ और जल संरक्षण उपायों को अपनाना शामिल हैं। इन सजग प्रयासों के माध्यम से, हमारा लक्ष्य हरित और अधिक टिकाऊ भविष्य के प्रति अपना योगदान देना है।

हमारे नैतिक मूल्य भी सामाजिक स्थिरता में दृढ़ता से निहित हैं। हम अपने ग्राहकों, कर्मचारियों और जिन समुदायों की हम सेवा करते हैं, उनकी संरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण को प्राथमिकता देते हैं। हम कर्मचारी विकास करते हैं, सकारात्मक और अनुकूल कार्य परिवेश बनाते हैं और विविधता और समावेशन को बढ़ावा देते हैं। इसके अलावा, हम समाज कल्याण की पहलों के माध्यम से शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल में सहयोग देते हुए स्थानीय समुदायों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ते हैं।

नए अवसरों की खोज करते हुए

हमारी विस्तार योजनाएं नए व्यावसायिक क्षेत्रों, रणनीतिक साझेदारियों और सहयोगों में हमारे विकास पथ में योगदान देंगी। हमारा लक्ष्य अपने राजस्व स्रोतों में विविधता लाना, उभरते क्षेत्रों में प्रवेश करना और नए अवसरों की खोज करने और अपने हितधारकों का प्रतिफल बढ़ाने के लिए नवीन व्यवसाय मॉडल का पता लगाना है।

इसके अलावा, रेलवे सहित बुनियादी ढांचे के विकास पर सरकार का निरंतर ध्यान हमारी विकास संभावनाओं को और भी बढ़ाएगा। हम अपनी रणनीतियों को इन विकास कार्यों के अनुरूप बताते हैं और परिचालन दक्षता बढ़ाने और अपनी सेवाओं को बढ़ाने के लिए उभरते परिदृश्य का लाभ उठाने का प्रयास करते हैं।

जैसे-जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारा व्यावसायिक दृष्टिकोण स्थायी विकास, ग्राहक-केंद्रण और नवाचार पर बना हुआ है। हम अपने लोगों में निवेश करना जारी रखेंगे, उत्कृष्टता की संस्कृति को बढ़ावा देंगे और एक विश्वसनीय और पसंदीदा यात्रा और आतिथ्य प्रदाता के रूप में अपनी स्थिति को बनाए रखेंगे।

यात्रा और पर्यटन उद्योग आईआरसीटीसी की वृद्धि और सफलता के प्रचुर अवसर प्रदान करता है। हम विश्व स्तरीय यात्रा अनुभव प्रदान करने, नए क्षेत्रों की संभावना तलाशने और अपनी सेवाओं के मानकों को लगातार बढ़ाने के लिए साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

मैं अपने सभी हितधारकों को उनके अटूट समर्थन के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करती हूं, जो अब तक की हमारी यात्रा में महत्वपूर्ण रहा है। हम साथ मिलकर यात्रा और पर्यटन परिदृश्य को बेहतर आकार देना जारी रखेंगे और भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान देंगे।

धन्यवाद।

सीमा कुमार
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

उत्कृष्ट सुविधाएं प्रदान करते हुए

आईआरसीटीसी पूरे देश में यात्रियों के लिए एकमात्र समाधान के रूप में विकसित हुआ है। आईआरसीटीसी भारत सरकार द्वारा अधिकृत एकमात्र ऐसा संस्थान है जो भारत के रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में ऑनलाइन रेलवे टिकट, रेलवे को खानपान सेवाएं और पैकेज्ड पेयजल प्रदान करता है।

वर्ष 1999 में स्थापित आईआरसीटीसी भारत सरकार के रेल मंत्रालय के तहत एक 'मिनी रत्न (श्रेणी-I)' केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। आईआरसीटीसी में, हमने वर्षों से अपनी सेवाओं का विस्तार किया है, जिनमें पर्यटन और आतिथ्य सेवाओं की व्यापक श्रृंखला शामिल है, जैसे लक्जरी ट्रेन यात्राएं, होटल बुकिंग, अवकाश पैकेज जैसे अनेक सेवाएं शामिल हैं। अपने उपयोगकर्ता-अनुकूल इंटरफेस, अभिनव सेवाओं और ग्राहक संतुष्टि के प्रति प्रतिबद्धता के साथ, हम भारतीय यात्रा उद्योग का एक विश्वसनीय नाम बन गए हैं और लोगों की यात्रा के तरीके को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आ रहे हैं।

हम बजट होटल, विशेष टूर पैकेज, वैश्विक आरक्षण प्रणाली और सूचना और वाणिज्यिक प्रचार माध्यम विकसित करते हुए भारत में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं।

हमारी सेवाएं

₹ 45,840 करोड़
बाज़ार पूंजीकरण
(31 मार्च, 2023 को)

19.21%
राजस्व में 5 वर्ष का सीएजीआर, वित्त वर्ष 18 से वित्त वर्ष 23 तक

38.14%
ईबीआईटीडीए मार्जिन

~ 61.24 लाख
के रोजाना लॉगिन आईआरसीटीसी ऐप पर

35.59%
पीएटी में 5 वर्ष का सीएजीआर, वित्त वर्ष 18 से वित्त वर्ष 23 तक

28,434
12.11.2022 को पूर्वाह्न 11.02 बजे एक मिनट में अब तक की सर्वाधिक टिकट बुकिंग

हमारे कार्य-निष्पादन का अंक पत्रक

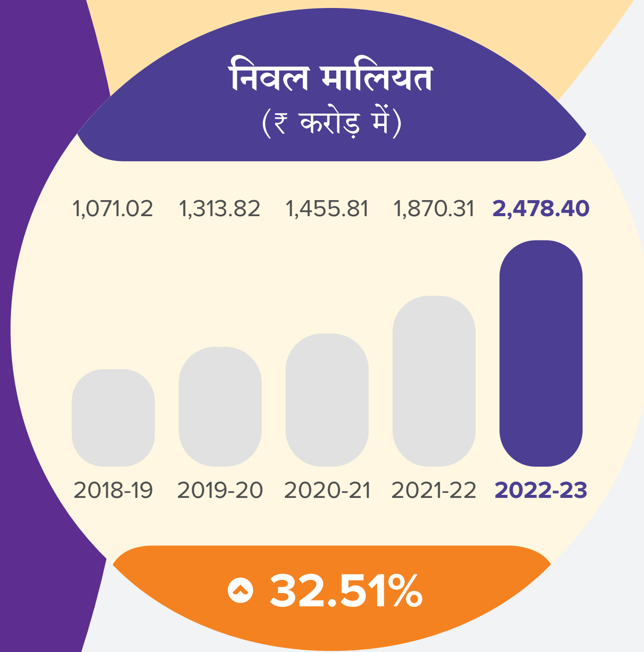

उल्लेखनीय – यह किसी कंपनी की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करने और सुनियोजित निवेश निर्णय लेने में मदद करता है।

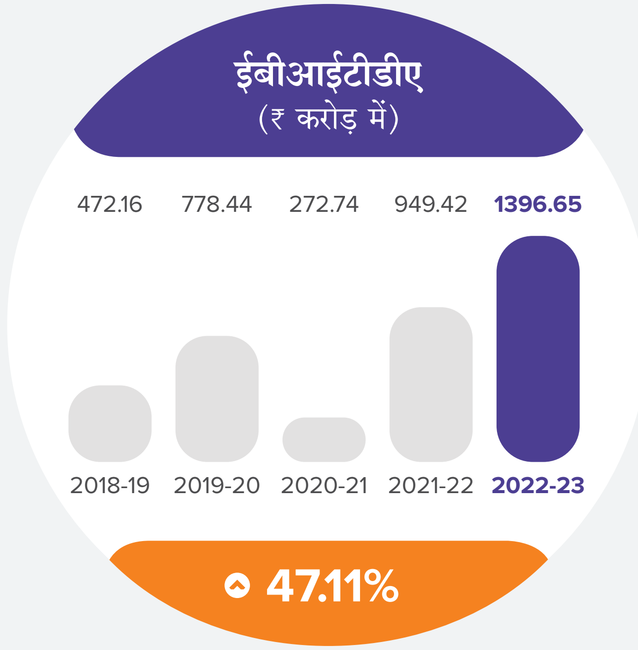

उल्लेखनीय – यह परिचालन लागत के बाद अधिशेष सृजित करने की कंपनी की क्षमता में महत्वपूर्ण सूचना देता है।

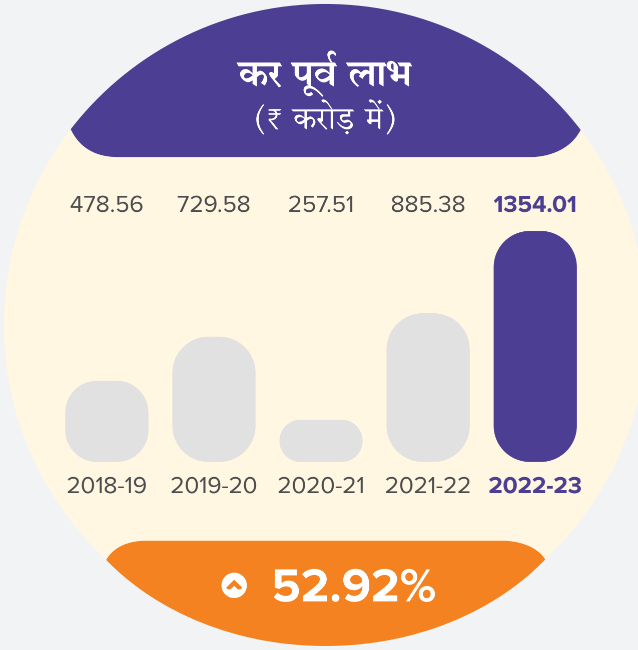

उल्लेखनीय – यह कंपनी द्वारा अर्जित कार्य-निष्पादन (ब्याज, मूल्यह्रास, असाधारण मद और कर से पहले) के बारे में जानकारी प्रदान करता है।

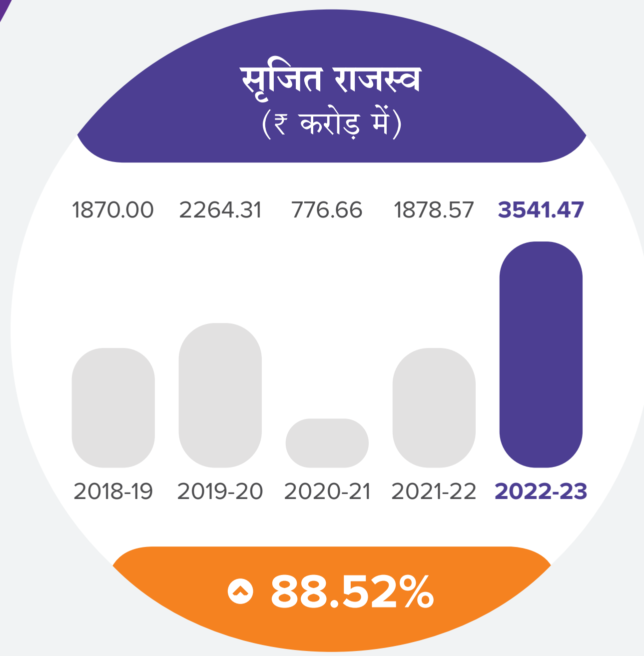

उल्लेखनीय – यह कंपनी की राजस्व को अधिकतम करने की क्षमता को प्रदर्शित करता है, जो वर्ष-दर-वर्ष तुलना का मापक है।

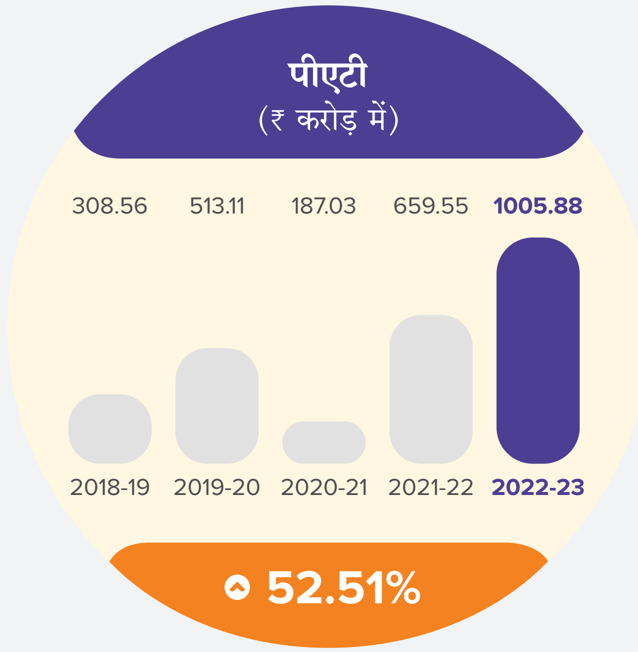

उल्लेखनीय – यह वित्तीय स्थिति और कार्य-निष्पादन के संदर्भ में कंपनी की लाभप्रदता की सटीक तस्वीर प्रदान करता है।

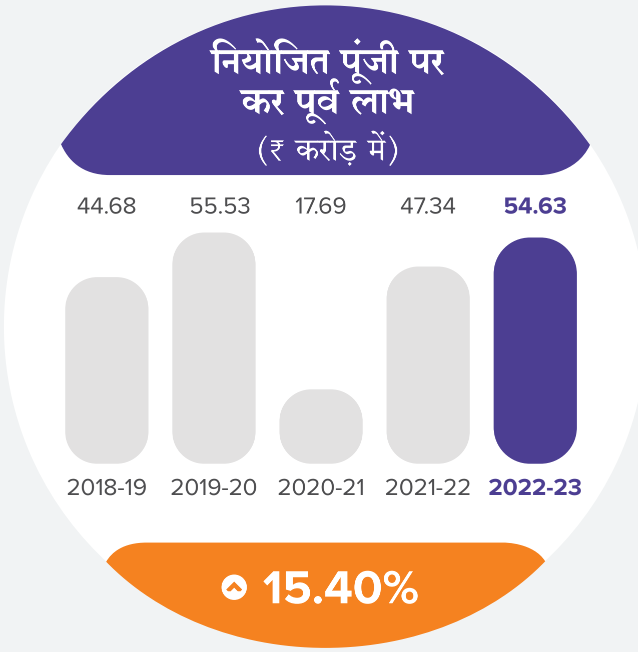

उल्लेखनीय – यह मापता है कि कंपनी लाभ अर्जित करने के लिए अपनी पूंजी का कितनी कुशलता से उपयोग करती है।

मूल्य सृजन के हमारे इंजन

नियोजित पूंजी | **सूचनाएं** | **प्रचालनीय व्यवसाय मॉडल** | **प्राप्ति** | **प्राप्ति**

नियोजित पूंजी	सूचनाएं	प्राप्ति	प्राप्ति
वित्त संबंधी वित्तीय पूंजी परिचालन करने के लिए हमारी बहियों में चलनिधि को दर्शाती है	○ शेयरधारकों की कुल सं. (31 मार्च, 2023 को) : **21,28,348** ○ निवल पूंजी : **₹ 160 करोड़** ○ निवल कर्ज : **शून्य** ○ कर्ज से इक्विटी अनुपात : **लागू नहीं**	○ अर्जित राजस्व : **₹ 3541.47 करोड़** ○ राजस्व में वृद्धि : **88.52%** ○ ईबीआईटीडीए मार्जिन : **38.14%** ○ पीएटी मार्जिन : **27.47%**	○ लगातार राजस्व वृद्धि ○ उत्कृष्ट मार्जिन ○ उद्योग की निम्नतम विपणन लागत
बौद्धिक संबंधी सेवा की सुगम सुपुर्दगी सक्षम बनाने वाली प्रौद्योगिकी में निरंतर निवेश	○ प्रौद्योगिकी अद्यतनीकरण पर कुल खर्च की गई राशि : **₹ 6.62 Crore** ○ ई-टिकट एप्लीकेशन पर समग्र ट्रैफिक : **223.51 करोड़** (69.32 करोड़ – वेबसाइट ट्रैफिक, 154.19 करोड़ ट्रैफिक मोबाइल ऐप) ○ **963.91 लाख** डाउनलोड, अब तक आईआरसीटीसी एप्लीकेशन पर (एंड्राएड और आईओएस मिलाकर)	○ वित्त वर्ष 21-22 से वित्त वर्ष 22-23 की तुलना में ट्रैफ़िक में कुल कमी **2.38%** है (वेब साइट ट्रैफ़िक में 1.48% की कमी। मोबाइल ट्रैफ़िक में 2.78% की कमी) ○ ई-टिकटिंग में **3.32%** की वृद्धि (वित्त वर्ष 21-22 में 4174.49 लाख टिकटों से बढ़कर वित्त वर्ष 22-23 में 4313 लाख टिकट) ○ एप्लिकेशन पर उपयोगकर्ताओं में **13.79%** की वृद्धि (वित्त वर्ष 22 तक 8.03 करोड़ उपयोगकर्ताओं से बढ़कर वित्त वर्ष 23 तक 9.14 करोड़ उपयोगकर्ता)	○ वर्धित नवाचार ○ वर्धित दक्षता और उत्पादकता ○ वर्धित प्रतिष्ठा और ब्रांड मूल्य
मानव संसाधन संबंधी हम अपनी दूरदृष्टि को पूरा करने के लिए अपने कर्मचारियों के लिए अच्छी कार्य संस्कृति बनाने का प्रयास करते हैं	○ कुल जनशक्ति : **2,229** ○ **शुरु की गई पहलों की सं.** ● ज्ञान द्वारा कर्मचारियों को सशक्त बनाना ● एच.आर. संबंधी सभी प्रक्रियाओं के लिए कर्मचारी चार्टर ● संस्थागत एच.आर.एम.एस. का विकास ● संस्थागत पी.एम.एस. प्रणाली का विकास और कार्यान्वयन ○ किया गया कुल व्यय : **₹ 23,743.75** लाख, कर्मचारी अनुलाभ के लिए।	○ कर्मचारी उत्पादकता में वृद्धि : **100%** ○ प्रदान किए गए प्रशिक्षण घंटों की संख्या : **48,430 घंटे**	○ अधिक कर्मचारी संतुष्टि और प्रेरणा स्तर ○ संगठनात्मक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए वर्धित कार्य गुणता ○ कार्य-निष्पादन में सुधार लाने के लिए आवश्यकता अनुसार प्रशिक्षण
समाज व संबंध ये हमारी कंपनी की अमूर्ति परिसंपत्तियां हैं	○ ई-कैटरिंग के नए विक्रेता : **175** ○ स्थैतिक कैटरिंग के नए विक्रेता : **28** ○ सीएसआर व्यय : **₹ 12.53 करोड़**	○ प्रति शेयर अर्जन में वृद्धि : **52.55% वर्ष-दर-वर्ष** ○ सीएसआर लाभार्थी : **26760**	○ वर्धित ग्राहक निष्ठा ○ रेस्टोरेंट के साथ वर्धित सहयोग
प्रकृति संबंधी ये समग्र रूप से संगठन के सतत विकास के लिए आवश्यक हैं।	○ खपत ऊर्जा : **1,03,05,207 जूल** ○ खपत जल : **3,78,046 किलोलीटर**	○ ऊर्जा की बचत : **6,15,260 मेगावॉट घंटे** ○ प्रति रुपए टर्नओवर में जल की तीव्रता (पानी की खपत/टर्नओवर) : **0.0001** ○ पुन:चक्रित अपशिष्ट : **2,177.00 मीट्रिक टन**	○ पर्यावरण पर कम प्रभाव ○ वर्धित ब्रांड मूल्य ○ अपशिष्ट में कमी और दक्षता में बढ़ोत्तरी

प्रचालनीय व्यवसाय मॉडल

सुदृढ़ कार्पोरेट गवर्नेंस और प्रौद्योगिकी चलित सेवा प्लेटफार्म

व्यवसाय खंड

- ट्रेनों में भोजन और पेय पदार्थ प्रदान करना
- हमारे एप्लिकेशन और खाद्य-पदार्थ के भागीदारों के माध्यम से यात्री की मांग पर उनकी सीट पर भोजन पहुंचाना
- स्टेशनों में फूड प्लाज़ा

- मोबाइल एप्लिकेशन पर रेलवे के लिए ई-टिकट बुकिंग – 2042.48 लाख टिकट और वेबसाइट पर 2270.52 लाख टिकट (सामान्य उपयोगकर्ताओं द्वारा बुक किए गए 860.44 लाख टिकट) और एजेंटों द्वारा 1410.08 लाख टिकट बुक किए गए)
- हवाई और बस यात्राओं के लिए टिकट बुकिंग
- एआई ग्राहक समर्थित 'Ask Disha' ग्राहक सहायता – वित्त वर्ष 23 में Ask Disha चैटबॉट द्वारा निपटाई गई कुल पूछताछ 9,38,79,041 (अंग्रेजी पूछताछ – 9,36,46,132 और हिंदी पूछताछ 2,32,909)

- रेल नीर का निर्माण और यात्रियों के लिए पैकेज्ड पेयजल उपलब्ध कराना

- टूर पैकेज
- पर्यटन अनुभव को बेहतर बनाने के लिए विशिष्ट गंतव्यों के लिए विशेष ट्रेनें
- लक्ज़री टूरिस्ट ट्रेनें – महाराजा एक्सप्रेस और गोल्डन चैरियट
- आवास
- आउटबाउंड पैकेज
- कार्पोरेट यात्रा व्यवसाय

61.24 लाख दैनिक लॉगिन के साथ 7706.40 लाख से अधिक यात्रियों को सेवा प्रदान की गई और प्रति दिन औसतन 11.82 लाख टिकट बुक किए गए, जिससे 54313.46 करोड़ रुपए का वार्षिक टिकट किराया एकत्र हुआ।

दूरदृष्टि

लगातार उच्च स्तर की ग्राहक संतुष्टि के साथ, विभिन्न ग्राहक वर्गों के लिए उच्च गुणता वाली यात्रा, पर्यटन और आतिथ्य-संबंधी सेवाओं का अग्रणी प्रदाता बनना।

मिशन

हमारा मिशन उद्योग की सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ रेलवे खानपान, आतिथ्य, यात्रा और पर्यटन के माध्यम से ग्राहक सेवाओं को बढ़ाना और भारतीय रेलवे और गैर-भारतीय रेलवे से संबंधित सेवाएं को समान रूप से लक्षित करते हुए जो मापनीय हैं और मुख्य क्षमता पर आधारित हैं, यात्रियों, पर्यटकों और अन्य ग्राहकों के लिए मूल्यवर्धित उत्पाद और सेवाएं प्रदान करते हुए स्वयं को अग्रणी के रूप में स्थापित करना है।

नैतिक मूल्य

- ग्राहक-केंद्रित दृष्टिकोण
- नवाचार
- दक्षता
- पारदर्शिता
- सत्यनिष्ठा
- सामाजिक दायित्व

प्रदत्त सेवाएं

- कैटरिंग
- पैकेज्ड पेयजल
- इंटरनेट टिकटिंग
- यात्रा और पर्यटन

प्रमुख भागीदार

- ग्राहक
- कर्मचारी
- शेयरधारक / निवेशक
- समुदाय और नागरी समाज / एनजीओ
- विनियामक और सरकार
- विक्रेता / सहयोगकर्ता

हमारे व्यवसाय क्षेत्र

खानपान और आतिथ्य

आईआरसीटीसी निर्विवाद रूप से देश के प्रमुख आतिथ्य और खानपान उद्यमों में से एक है, जो विविध प्रकार के आतिथ्य और खानपान सेवाओं का संचालन करता है। हमारा संचालन यात्री ट्रेनों, रेलवे स्टेशनों, स्टेशन परिसरों और अन्य सहायक व्यावसायिक गतिविधियों सहित कई क्षेत्रों में फैला हुआ है। कंपनी के संचालन का विशाल आकार उद्योग में इसकी विशेषज्ञता और दक्षता का प्रमाण है।

मोबाइल खानपान व्यवसाय

जब भारतीय रेलवे की ट्रेन में खानपान सेवाओं के प्रबंधन की बात आती है, तो आईआरसीटीसी उद्योग में सबसे आगे है। 31 मार्च, 2023 तक पैंट्री कारों से सुसज्जित 474 से अधिक ट्रेनों और ट्रेन साइड वेंडिंग (टी.एस.वी.) के तहत 713 ट्रेनों में आश्चर्यजनक मौजूदगी के साथ हमारी पहुंच वास्तव में उल्लेखनीय है। ट्रेनों की इतनी विविध श्रृंखला में हमारी मौजूदगी आतिथ्य और खानपान में बाजार के अग्रणी के रूप में हमारे दर्जे को बढ़ाने में मदद करती है।

आईआरसीटीसी की खानपान सेवाएं खानपान नीति 2017 के अनुसार प्रदान की जाती हैं। इस नीति का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि यात्रियों को ट्रेनों और स्टेशनों पर उच्च गुणता, स्वच्छ और किफायती भोजन और पेय पदार्थ प्राप्त हों।

ट्रेन साइड वेंडिंग (टी.एस.वी.)

इस बेजोड़ सेवा में विक्रेता ट्रेन पर ही विस्तृत मेनू चार्ट से ऑर्डर स्वीकार करते हैं। इसके बाद विक्रेता भोजन को उचित क्रम में निर्धारित 'मील पिक अप स्पॉट' पर एकत्र करते हैं और यात्रियों को परोसते हैं। इस तकनीक से हमे उन ट्रेनों में भी भोजन की आपूर्ति करते हैं जिनमें पेंट्री कार नहीं होती है।

ई-कैटरिंग सेवाएं

- ये सेवाएं केवल आरक्षित टिकट पर यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए उपलब्ध है।
- वेबसाइट/ ऑनलाइन मोबाइल ऐप के माध्यम से पेश किए जाने वाले स्वादिष्ट व्यंजनों में से चुनने का विकल्प।
- मेनू सेवा प्रदान करने वाले रेस्तरां द्वारा तय किया जाता है जो अक्सर थोक ऑर्डर के लिए यात्रियों की पसंद के अनुसार होता है।
- वर्तमान में कंपनी की ई-कैटरिंग सेवा लगभग 338 स्टेशनों पर उपलब्ध है और कंपनी एक दिन में औसतन लगभग 40,669 का भोजन बुक करती है।
- भोजन का भुगतान पे-ऑन डिलीवरी (पीओडी) के साथ-साथ ऑनलाइन (प्रीपेड) द्वारा किया जा सकता है। ऑर्डर की डिलीवरी के बाद यात्री ई-कैटरिंग की वेबसाइट पर ही अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं।

₹ 25,49,72,344
मूल्य का भोजन प्रदान करने के लिए रेस्टोरेंट के साथ साझेदारी
(आईआरसीटीसी का कमीशन 15%)
₹ 1,69,98,15,627 (ऑर्डर का कुल मूल्य)

1,48,44,230
भोजन इस वित्त वर्ष 22-23 में बुक किया गया
[प्रत्यक्ष विक्रेता -405, फूड एग्रीगेटर-15, एग्रीगेटर के विक्रेता -2808]

196.25%
सृजित राजस्व में वृद्धि

स्थैतिक खानपान सेवाएं

स्टेटिक खानपान सेवा स्टेशनों पर ऑफ-बोर्ड कैटरिंग सेवाओं का प्रावधान है। आईआरसीटीसी निम्नलिखित के माध्यम से स्थैतिक खानपान सेवाएं प्रदान करता है -

- फूड प्लाज़ा
- फास्ट फूड यूनिट
- जलपान कक्ष
- जन आहार
- स्टेशन परिसरों में बेस किचन और अन्य सुविधाएं
- कार्यकारी लाउंज
- विश्राम कक्ष और शयन कक्ष
- रेल यात्री निवास
- बी.एन.आर. होटल

31 मार्च, 2023 तक कंपनी ने 57 जन आहार, 182 जलपान कक्ष, 11 बेस किचन और 315 फूड प्लाजा/फास्ट फूड यूनिटों का प्रबंधन किया।

गुणता और उपभोक्ता आनंद सुनिश्चित करते हुए

ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण

हम देश के कोने-कोने की यात्रा करने वाले रेल यात्रियों को स्वच्छ और अच्छा भोजन उपलब्ध कराने के महत्व को समझते हैं। इसलिए, हम यात्रा करने वाले यात्रियों को परोसे जाने वाले भोजन की गुणता का आकलन करने के लिए तीसरे पक्ष के पेशेवरों और सूचीबद्ध एजेंसियों के माध्यम से ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण कराते हैं।

8,173
यात्रियों ने सर्वेक्षण में भाग लिया

90
ट्रेनों का सर्वेक्षण किया गया

30
स्थैतिक यूनिटों का सर्वेक्षण किया गया

खाद्य-पदार्थ संरक्षा लेखापरीक्षा

सार्वजनिक स्वास्थ्य पर खाद्य संरक्षा के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, हम राष्ट्रीय प्रमाणन निकाय बोर्ड (एनएबीसीबी) द्वारा प्राधिकृत तृतीय-पक्ष की एजेंसियों के माध्यम से खाद्य-पदार्थ संरक्षा लेखापरीक्षा करते हैं।

परिवाद निगरानी और निवारण

हमने अपनी खानपान सुविधा के संचालन के लिए एक समर्पित व्यापक साइट के साथ एक इंटरनेट-आधारित कैटरिंग सेवा सूचना प्रबंधन (ई-सीएसआईएम) मॉड्यूल तैयार किया है। इस मॉड्यूल का उपयोग स्टेशनों और ट्रेनों में यात्रियों की खानपान संबंधी शिकायतों के ऑनलाइन समाधान के लिए भी किया जा रहा है। इसके अलावा, यात्री **'रेल मदद'** मॉड्यूल पर खानपान सेवाओं के खिलाफ अपनी प्रतिक्रिया या शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं जिसमें यात्रियों को मोबाइल ऐप/वेब प्लेटफॉर्म के माध्यम से शिकायत दर्ज करने और उनकी शिकायतों के निवारण की स्थिति पर वास्तविक समय पर प्रतिक्रिया प्रदान करना आसान बनाता है।

ट्रेन के भीतर निगरानी

आईआरसीटीसी ने अधिकांश यात्री ट्रेनों में ट्रेन के भीतर खानपान सेवाओं की बारीकी से निगरानी करने के लिए खानपान पर्यवेक्षकों की अपनी ब्रिगेड तैनात की है। निगरानी के अलावा, इन पर्यवेक्षकों को बेहतर सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए यात्रियों की प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन फीडबैक डिवाइस भी प्रदान किए गए हैं।

संदर्भ के लिए लिंक

https://irctc.com/catering-and-hospitality.html

इस वर्ष की गई प्रमुख पहल

- केंद्रीकृत बिलिंग प्रणाली के लिए पीओएस की स्थापना आरंभिक परियोजना के तौर पर शुरू की गई है। इसे शुरुआत में फूड प्लाजा और फास्ट फूड यूनिट यानी प्रत्येक अंचल में एक यूनिट के लिए लागू किया गया।
- द्वारका रेलवे स्टेशन पर प्रमुख पर्यटन स्थल पर एक्ज़िक्यूटिव लाउंज सह पर्यटक सुविधा केंद्र (टीएफसी) प्रदान किया गया।
- जनवरी 2023 के महीने में, आईआरसीटीसी ने वित्त मंत्रालय के निर्देशानुसार 2023 को ''अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष'' के रूप में मनाने के लिए संशोधित मेनू में क्षेत्रीय व्यंजन/पसंद, मौसमी व्यंजन, जैन भोजन, मधुमेह संबंधी भोजन और बाजरा आधारित वस्तुएं जैसे बाजरा कचौरी, बाजरा लड्डू, बाजरा खिचड़ी, बाजरा दलिया, बाजरा बिस्कुट आदि पेश किए।

मेनू के संशोधन करने के बाद की कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं -

- क्षेत्रीय खाद्य प्राथमिकताओं जैसे दालमा, गुजराती खट्टी, मीठी कढ़ी, माछेर झोल, मछली करी, सांबर आदि को शामिल करना।
- 2023 को ''अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष'' के रूप में मनाने के लिए - रागी लड्डू, रागी कचौरी, रागी इडली, रागी डोसा (मसाला), रागी उत्तपम आदि जैसे बाजरा उत्पादों को शामिल करना।
- आरएसडी ट्रेनों की प्रत्येक श्रेणी के लिए मधुमेह और जैन मेनू की शुरुआत।
- सभी प्रीपेड ट्रेनों में एमआरपी पर केवल ब्रांडेड खाद्य पदार्थों की बिक्री।
- मेल/एक्सप्रेस और टीएसवी ट्रेनों में ए-ला-कार्टे खाद्य पदार्थों की शुरुआत।
- चीनी के स्वस्थ विकल्प के रूप में गुड़ पाउडर और शहद की थैली की शुरुआत ।
- कॉर्नस्टार्च / खोई से बने बायोडिग्रेडेबल कैसरोल / कंटेनरों की शुरुआत।
- पीएलएम (पैकिंग, लेबलिंग और मार्किंग) जैसे एमआरपी, पैकिंग की तारीख और समय, लाइसेंसधारी का नाम, एफएसएसएआई नंबर और कैसरोल पर कोई अतिरिक्त जानकारी की शुरूआत।
- प्रीपेड ट्रेनों के प्रत्येक भोजन के साथ 1.5 मिलीलीटर सैनिटाइज़र पाउच (आईआरसीटीसी द्वारा अनुमोदित ब्रांड) अनिवार्य कर दिया गया है।
- यात्रियों को खाद्य सामग्री की सेवा के लिए पीईटी कंटेनरों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध।

इंटरनेट टिकटिंग, सुविधा बढ़ाते हुए

हमने भारतीय रेलवे पर यात्रा करने वाले सामान्य लोगों की जीवन शैली में बदलाव लाया है। हमारी ऑनलाइन टिकट बुकिंग प्रणाली औसत व्यक्ति को लाभान्वित करती है और उसे प्रौद्योगिकी के माध्यम से सशक्त बनाती है।

- 2002 में प्रारंभ
- 31 मार्च, 2023 तक **4,313** लाख ई-टिकट बुक किए गए।
- देश और एशिया प्रशांत क्षेत्र की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स वेबसाइट।
- अगली पीढ़ी की ई-टिकटिंग (NGeT) प्रणाली स्थापित की
- उच्च क्षमता वाले सर्वर जो प्रति मिनट 28,000 से अधिक टिकट बुक कर सकते हैं
- वित्त वर्ष 2022-2023 में कुल आरक्षित टिकटों का **80.99%** आईआरसीटीसी प्लेटफॉर्म पर बुक किया गया
- आईआरसीटीसी की वेबसाइट और मोबाइल ऐप के जरिए रोजाना औसतन **11.82** लाख टिकटों की बिक्री
- 23:45 बजे से लेकर 00:20 बजे तक 35 मिनट के विराम को छोड़कर, चौबीसों घंटे टिकट बुकिंग सेवाएं।

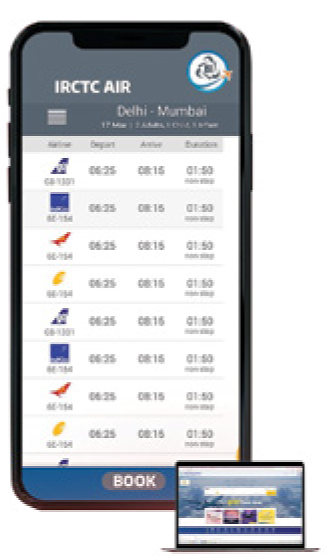

बुक की गई ई-टिकटों और यात्री टिकटों की सं.

4,313 लाख
टिकट वित्त वर्ष 2022-23 में बुक किए गए

7,706.40 लाख
यात्रियों ने वित्त वर्ष 2022-23 में ई-टिकट बुक किए

3.32%
ई-टिकट बुकिंग में पिछले वरष पर वृद्धि

1.79:1
2022-23 के लिए यात्री से टिकट अनुपात

33.83%
कुल राजस्व का हिस्सा

ई-टिकटिंग किराया राजस्व संग्रहण

वर्ष वार संग्रहित ई-टिकटिंग किराया राजस्व (₹ करोड़ में)

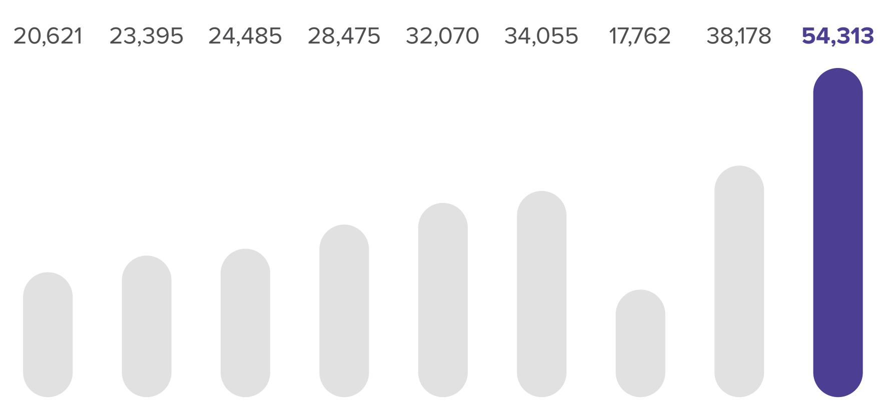

वर्ष की पहल / प्रमुख बातें

- 21 दिसंबर 2022 को, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) ने 2 योजना के तहत अपने पोस्टमैन/ग्रामीण डाक सेवकों (जीडीएस) के माध्यम से ग्राहकों को आरक्षित रेल ई-टिकटिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए आईआरसीटीसी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। आईपीपीबी डाकघरों के माध्यम से आरक्षित रेल ई-टिकट बुक करने के लिए अपने प्लेटफॉर्म (वेबसाइट/मोबाइल ऐप) पर ई-टिकटिंग एप्लिकेशन विकसित और एकीकृत करेगा। कार्यान्वित होने के बाद यह सेवा देश के कोने-कोने में आईपीपीबी द्वारा नियोजित एक लाख से अधिक पोस्टमैन, जीडीएस और डाक सहायकों के माध्यम से ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी।
- वित्त वर्ष 2022-2023 में AskDisha चैटबॉट के माध्यम से टिकट बुकिंग से प्राप्त राजस्व में पर्याप्त और लगातार वृद्धि देखी गई। इसमें की गई कुल टिकट बुकिंग 5.78 लाख और कुल अर्जित राजस्व ₹ 84.92 करोड़ है।
- आईआरसीटीसी ने अर्धसैनिक बलों के कार्मिकों के लिए आरक्षित रेल ई-टिकट बुक करने के लिए ई-टिकटिंग एप्लिकेशन विकसित किया है।

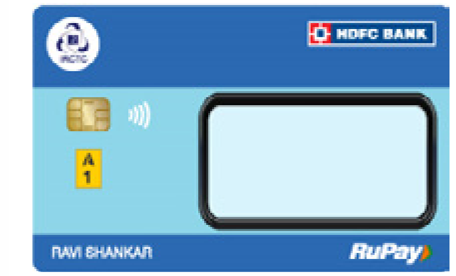

आईआरसीटीसी एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड -RuPay प्लेटफार्म पर कोब्रांडेड क्रेडिट कार्ड का शुभारंभ (01 मार्च, 2023)

पेश है आईआरसीटीसी एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड - हमारे को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड सह लॉयल्टी कार्यक्रम में नया परिवर्धन। एचडीएफसी बैंक के सहयोग से, हमने अपने सम्मानित रेल उपयोगकर्ताओं को बेहतर लाभ प्रदान करने के लिए यह स्वदेशी प्लेटफ़ॉर्म कार्ड शुरु किया है। अपनी सेवाओं को बढ़ाते हुए यह इस प्रोग्राम के लिए हमारा तीसरा सफल गठबंधन है। आईआरसीटीसी एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड विशेष रूप से बार-बार यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए तैयार किया गया है जिसमें कई फायदे दिए जाते हैं। जब आप अपनी रेल यात्रा की योजना बना रहे हों तो इस कोब्रांडेड कार्ड में दी जा रही सुविधाओं और पुरस्कारों का लाभ ज़रूर लें।

09 फरवरी 2023 से आईटीबीपी के कार्मिकों के लिए आरक्षित रेल टिकटों की बुकिंग हेतु भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) के लिए ई-टिकटिंग प्रणाली शुरू की गई।

रेल नीर संयंत्र

यात्री सुविधाओं में सुधार का प्रयास करते हुए हमने रेल यात्रियों के लिए ब्रांडेड बोतलबंद पेयजल रेल नीर पेश किया। गुणता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता पानी की हर बूंद में दिखती है जिसे पूरी सावधानी के साथ हमारे अत्याधुनिक संयंत्रों में शुद्धिकरण और बोतलबंद किया जाता है। पूरी तरह से स्वचालित उत्पादन प्रक्रियाओं और बिना किसी मैन्युअल हैंडलिंग के, हम स्वच्छता और संरक्षा के उच्चतम मानक सुनिश्चित करते हैं।

उत्कृष्टता पर बनी प्रतिष्ठा के आधार पर,आईआरसीटीसी बेजोड़ गुणता सुनिश्चित करने के लिए अपने उत्पादों के उत्पादन पर पूर्ण नियंत्रण और पर्यवेक्षण रखता है। वर्तमान में हमारे 16 रेल नीर संयंत्र हैं जिनमें चार संस्थागत विनिर्माण यूनिटें हैं और बारह पीपीपी मॉडल के तहत हैं जो हमें रेलवे परिसर में यात्रियों और आगंतुकों को प्रीमियम उत्पाद प्रदान करने में सक्षम बनाता है।

रेल यात्रियों को उच्च गुणतायुक्त बोतलबंद पेयजल उपलब्ध कराने के अपने निरंतर प्रयास में,आईआरसीटीसी पीपीपी मॉडल के तहत चार अतिरिक्त संयंत्रों की स्थापना करते हुए अपने परिचालन का विस्तारण कर रहा है। आईआरसीटीसी की पूंजीगत सहायता से ये नए संयंत्र हमारे सोलह रेल नीर संयंत्रों की कुल उत्पादन क्षमता को बढ़ाने में योगदान देंगे जो वर्तमान में प्रति दिन 15.52 लाख बोतलें हैं। यह क्षमता आगामी वित्त वर्ष 2023-24 में और बढ़ने वाली है क्योंकि हम अपने बुनियादी ढांचे और उत्पादन क्षमताओं को बढ़ाना जारी रखे हुए हैं।

सुरक्षित और ताज़ा पानी उपलब्ध कराने की हमारी प्रतिबद्धता अटल है क्योंकि हम बढ़ती मांग को पूरा करने और अपने सम्मानित ग्राहकों की संतुष्टि सुनिश्चित करने का हरसंभव प्रयास करते हैं।

8.50%
हिस्सा कुल राजस्व में

73.32%
क्षमता

निर्माणी प्रक्रिया, गुणता सुनिश्चित करते हुए

भूमिगत या अन्य एजेंसियों (राज्य सरकार आदि) से पानी लिया जाता है और अत्याधुनिक रेल नीर जल उपचार सुविधा में भेजने से पहले एक भूमिगत जलाशय में संग्रहीत किया जाता है। इस सुविधा में बीआईएस मानक आईएस 14543-2004 को पूरा करने वाले पानी का उत्पादन करने के लिए आठ चरण की शुद्धिकरण प्रक्रियाएं पूरी की जाती हैं।

आठ चरण की प्रक्रिया में सक्रिय कार्बन फिल्टर, ऑटो सॉफ्टनर यूनिट, अल्ट्रा-फिल्ट्रेशन यूनिट, रिवर्स ऑस्मोसिस, मार्बल चिप फिल्टर, दो-चरण माइक्रोन फिल्टर, अल्ट्रा-वायलेट स्टरलाइज़र यूनिट और ओजोनाइजिंग यूनिट होती है। प्रत्येक चरण को विभिन्न प्रकार की अशुद्धियां निकालने के लिए डिज़ाइन किया गया है जिसमें धूल और मृत रोगाणुओं से लेकर घुली हुई अशुद्धियाँ और सूक्ष्मजीव शामिल हैं। बीआईएस मानक के अनुरूप पानी की उच्चतम गुणता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक चरण में पानी को कीटाणुरहित किया जाता है।

स्वचालित बोतल ब्लोइंग मशीन

उच्च गुणता वाली रेल नीर बोतलों का उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए, अत्याधुनिक संयंत्र स्वचालित बोतल ब्लोइंग मशीनों से सुसज्जित हैं। इन मशीनों में लगातार गुणतायुक्त बोतलों का कुशलतापूर्वक उत्पादन करने के लिए उन्नत तकनीक का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया में उच्च गुणता वाले रेजिन का उपयोग शामिल है, जिसे आईआरसीटीसी द्वारा निर्धारित कड़े मानकों को पूरा करने के लिए सावधानीपूर्वक चुना जाता है।

स्वचालित ब्लोइंग उपकरण की मदद से, बोतलों का निर्माण परिशुद्धता के साथ किया जाता है जिससे यात्रियों के लिए टिकाउपन और संरक्षा सुनिश्चित होती है। यह उन्नत प्रौद्योगिकी से न केवल उत्पादन क्षमता बढ़ती है बल्कि बोतलों के प्रति निष्ठा भी बनी रहती है जिसके कारण यह सुनिश्चित होता है कि वे स्वच्छता और गुणता के उच्चतम मानकों को ध्यान रखते हुए बनाए जाते हैं।

स्वचालित रिंजिंग, फिलिंग और कैपिंग

बोतल ब्लोइंग प्रक्रिया में स्वचालित रिंजिंग, फिलिंग और कैपिंग प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, जहां बोतलों को उलटी स्थिति में उच्च दबाव वाले जेट से धोया जाता है और फिर नोजल का उपयोग कर पानी भरा जाता है।

पानी भरने के बाद, बोतलों पर ढक्कन लगा दिया जाता है और पैकेजिंग के लिए भेज दिया जाता है। पानी भरने वाले क्षेत्र को 20 डिग्री सेल्सियस के निरंतर तापमान पर रखा जाता है और यह एक प्रतिबंधित क्षेत्र होता है जहां केवल पानी भरने वाले ऑपरेटर ही जा सकते हैं। इस प्रकार रेल नीर जल की स्वच्छता और गुणता सुनिश्चित होती है।

16
निर्माणी संयंत्र

35.77 करोड़
वित्त वर्ष 23 में निर्मित कुल बोतलें

रेल नीर संयंत्र

प्रचालन संयंत्र

- नंगलोई (दिल्ली)
- दानापुर (पटना)
- पालूर (तमिलनाडु)
- अंबरनाथ (महाराष्ट्र)
- अमेठी (उत्तर प्रदेश)
- परस्सल्ला (केरल)
- बिलासपुर (छत्तीसगढ़)
- हापुड़ (उत्तर प्रदेश)
- साणंद (गुजरात)
- मंडीदीप (मध्य प्रदेश)
- नागपूर (महाराष्ट्र)
- जोगीरोड, गुवाहाटी (असम)
- संकरेल (पश्चिम बंगाल)
- मनेरी (मध्य प्रदेश)
- ऊना (हिमाचल प्रदेश)
- भुसावल (महाराष्ट्र)

निर्माणाधीन संयंत्र

- एनटीपीसी सिम्हाद्री
- भुनबेश्वर
- कोटा
- विजयवाड़ा

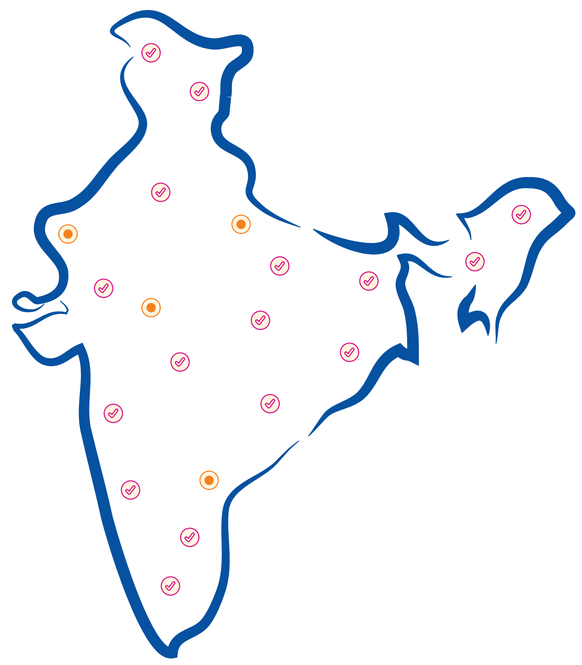

पर्यटन संवर्धन

पिछले दो दशकों से अधिक समय से आईआरसीटीसी ने भारत में रेल पर्यटन को बढ़ावा देने और सुविधा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों पर्यटकों के परिवहन के पसंदीदा साधन के रूप में रेलवे की लोकप्रियता को पहचानते हुए, आईआरसीटीसी ने पर्यटन पैकेजों की विस्तृत श्रृंखला तैयार की है। जो बात आईआरसीटीसी को अलग करती है, वह है सभी तरह के बजट की ज़रूरत को पूरा करने की क्षमता जिसमें ₹ 900 प्रति दिन से लेकर 900 यूएस डॉलर प्रति दिन तक के पैकेज शामिल किए गए हैं। पैकेजों की इतनी विस्तृत श्रृंखला आईआरसीटीसी को ऐसा एकमात्र संगठन बताती है जो इतने विविध प्रकार के विकल्प प्रदान करता है जिसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि प्रत्येक यात्री की उसकी जरूरतों और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए असाधारण विकल्पों और लचीलेपन के साथ पूरा किया जाए।

रेल टूर पैकेज

रेल टूर पैकेज आईआरसीटीसी का अनोखा उत्पाद है जो यात्रियों को कन्फर्म बर्थ के साथ पेश किया जाता है। कन्फर्म बर्थ के अलावा, सड़क परिवहन, आवास, दर्शनीय स्थलों की यात्रा, भोजन, दुर्घटना बीमा आदि जैसी सर्व-समावेशी सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

शैक्षणिक / सांस्कृतिक आदान-प्रदान भ्रमण

आईआरसीटीसी ने विभिन्न शैक्षणिक स्कूलों/संस्थानों आदि के लिए ''ट्रेवल टू लर्न'' योजना के तहत विभिन्न शैक्षणिक पर्यटन भ्रमणों का संचालन किया है। वित्त वर्ष के दौरान, आईआरसीटीसी ने केंद्र सरकार की एक भारत श्रेष्ठ भारत (ईबीएसबी) पहल के तहत ''काशी तमिल संगमम'' और ''उत्तर पूर्व युवा संगम'', शैक्षणिक/सांस्कृतिक आदान-प्रदान भ्रमण संचालित किए हैं।

हवाई पैकेज

हम हवाई और ज़मीन द्वारा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय टूर पैकेज प्रदान करते हैं। इस हवाई पैकेज में वापसी उड़ान टिकट, आवास, अंतरण, भोजन और विभिन्न गंतव्यों के दर्शनीय स्थलों की यात्रा शामिल है। हम लोकप्रिय अवकाश स्थलों के लिए किफायती मूल्य और अच्छी सेवाओं वाले पैकेज प्रदान करते हैं। अधिकांश सामूहिक भ्रमणों में टूर समन्वयक साथ होते हैं जो मेहमानों को सुगम यात्रा की गारंटी देने के लिए मार्गदर्शन करते हैं।

15.98%
कुल राजस्व में योगदान

91,555
पर्यटकों ने हमारे टूर पैकेज लिए (आरटीपी, एलटीपी और आवश्यकता के अनुरूप पैकेज)

26.50%
पिछले वर्ष की तुलना में पर्यटकों की सं. में बढ़ोत्तरी

140
चार्टर्ड ट्रेनें चलाई गईं

5,322
प्रति दिन औसत हवाई टिकट बुक किए गए

होलीडे पैकेज

लैंड टूर (हॉलिडे) पैकेज में परिवहन, यात्रा बीमा, दर्शनीय स्थलों की यात्रा और धार्मिक/छुट्टी मनाने वाले स्थलों की यात्राओं के लिए आवास शामिल है।

आवास

हम कई स्थानों पर छोटे प्रवास से लेकर लंबे प्रवास तक के आवास विकल्पों की विस्तृत श्रृंखला प्रदान करते हैं। आईआरसीटीसी द्वारा शुरु किया गया ऑनलाइन होटल बुकिंग पोर्टल में ग्राहक 265 से अधिक शहरों में 875 से अधिक होटल बुक कर सकते हैं जिसका किराया प्रति रात 600 रुपये से शुरू होता है।

रेलवे रिटायरिंग रूम

आईआरसीटीसी ने 435 रेलवे स्टेशनों पर रेलवे रिटायरिंग रूम का प्रबंधन और प्रशासन अपने हाथ में ले लिया है। ये रिटायरिंग रूम ऑनलाइन आरक्षित किए जा सकते हैं।

ऑनलाइन टिकटिंग (हवाई / बस यात्रा बुकिंग)

ट्रेन टिकट की सुविधा प्रदान करने के अलावा, आईआरसीटीसी हवाई टिकट (घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय) और बस बुकिंग की ऑनलाइन बुकिंग सुविधा भी प्रदान करता है। हवाई टिकट की बुकिंग एयर टिकटिंग पोर्टल air.irctc.co.in पर की जा सकती है और बस की बुकिंग बस पोर्टल bus.irctc.co.in पर की जा सकती है।

आईआरसीटीसी एग्रीगेटर्स और कई राज्य परिवहन निगमों के साथ गठजोड़ कर ऑनलाइन बस बुकिंग की सुविधा प्रदान कर रहा है। ऑनलाइन बस बुकिंग सुविधा वर्तमान में 23 राज्यों और 4 केंद्रशासित प्रदेशों में उपलब्ध है।

bus.irctc.co.in.

विशेष ट्रेन

भारत गौरव नीति के तहत, आईआरसीटीसी ने अपने पास पहले से मौजूद 2 ट्रेनों सहित कुल 10 ट्रेनों को संचालित करने का निर्णय लिया है जिसमें पूरे भारत में पर्यटन और तीर्थ स्थलों पर समर्पित ट्रेन पर्यटन संचालित किया जाएगा। आईआरसीटीसी बौद्ध विशेष सर्किट पर्यटक ट्रेन चला रहा है, जिसका एक संशोधित रेक हमारे पास पहले से ही उपलब्ध है। इस रेक का उपयोग बौद्ध लीन सीज़न के दौरान एसी डीलक्स पर्यटक ट्रेन पैकेजों के संचालन और बौद्ध यात्राओं के बीच मुफ्त स्लॉट के लिए भी किया जाता है।

संदर्भ के लिए लिंक
https://www.irctctourism.com/bharatgaurav

शाही आन, बान और शान की आभा से सराबोर, महाराजा एक्सप्रेस अपने मेहमानों के लिए ऐसे विशेष अनुभव को फिर से ताजा करता है जो भारत के पूर्व राजघराने की जीवनशैली से रोमांचित होते हैं। यह ट्रेन मित्रवत बटलरों की बेहतरीन सेवा का आनंद उठाए हुए विलासितापूर्ण यात्रा करने का अवसर प्रदान करती है। महाराजा एक्सप्रेस भारत भर में फैले बारह से अधिक आकर्षक स्थलों को शामिल करते हुए चार अलग-अलग सर्किटों पर चलती है।

संदर्भ के लिए लिंक
https://www.the-maharajas.com/

गोल्डन चैरियट एक असाधारण लक्जरी ट्रेन है जो दक्षिण भारतीय संस्कृति की झलक पेश करती है। रोमांच और आनंद के आदर्श संतुलन के साथ, गोल्डन चैरियट की सवारी सपनों की छुट्टियों की तरह है। अपनी आकर्षक अंदरूनी सजावट, त्रुटिहीन सेवा और विशेष यात्रा के साथ गोल्डन चैरियट दक्षिण भारत की सबसे शानदार ट्रेन है। भारत के राजघराने की असाधारण जीवनशैली से प्रेरित यह ट्रेन आधुनिक राजपरिवार के उपयुक्त सेवाएं प्रदान करती है।

संदर्भ के लिए लिंक
https://www.goldenchariot.org/

डिज़िटल
पहल

उद्योग के सर्वोत्तम समाधान के साथ बेहतर भुगतान सेवाएं

आईआरसीटीसी की ई–टिकटिंग प्रणाली को भुगतान और धन–वापसी के मुद्दों का समाधान करना होगा जो शिकायतों का बड़ा कारण है। निर्बाध लेनदेन/धन–वापसी को सक्षम बनाने के लिए ई–कॉमर्स उद्योग में एकल भुगतान ऑर्केस्ट्रेशन समाधान का एकीकरण चलन में है। आईआरसीटीसी अब प्रूफ–ऑफ–कॉन्सेप्ट के आधार पर आईआरसीटीसी टिकटिंग प्रणाली पर भुगतान समाधानों का एक व्यापक सूट प्रदान करने जा रहा है। पीओसी की सफलता का आकलन करने के बाद, प्रणाली में ऐसे सम ाधान का दीर्घकालिक एकीकरण किया जाएगा। इस समाधान से पसंदीदा भुगतान सेवा प्रदाताओं के सरल एकीकरण और लेनदेन के समाधान और लेखांकन में भी आसानी होने की अपेक्षा की जा रही है।

नई पेशकश

इंटरनेट टिकटिंग द्वारा शुरू की जाने वाली कुछ भावी परियोजनाएँ इस प्रकार हैं –

ए) उद्योग के सर्वोत्तम समाधानों के साथ बेहतर भुगतान सेवाएँ

आईआरसीटीसी की ई-टिकटिंग प्रणाली को भुगतान और धन-वापसी के मुद्दों का समाधान करना होगा जो शिकायतों का बड़ा कारण है। निर्बाध लेनदेन/धन-वापसी को सक्षम बनाने के लिए ई-कॉमर्स उद्योग में एकल भुगतान ऑर्केस्ट्रेशन समाधान का एकीकरण चलन में है। आईआरसीटीसी अब प्रूफ-ऑफ-कॉन्सेप्ट के आधार पर आईआरसीटीसी टिकटिंग प्रणाली पर भुगतान समाधानों का एक व्यापक सूट प्रदान करने जा रहा है। पीओसी की सफलता का आकलन करने के बाद, प्रणाली में ऐसे समाधान का दीर्घकालिक एकीकरण किया जाएगा। इस समाधान से पसंदीदा भुगतान सेवा प्रदाताओं के सरल एकीकरण और लेनदेन के समाधान और लेखांकन में भी आसानी होने की अपेक्षा की जा रही है।

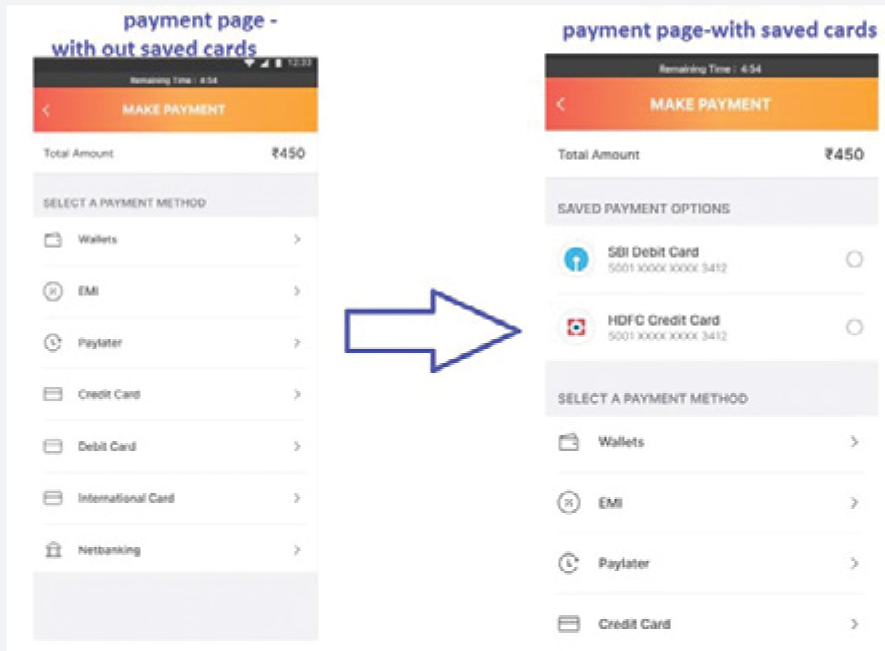

बी) आईआरसीटीसी हेलीयात्रा ऑनलाइन टिकटिंग प्रणाली – श्री केदारनाथ धाम तक

आईआरसीटीसी ने 22/03/2023 को 03 स्थानों (सिरसी, फाटा और गुप्तकाशी) से श्री केदारनाथ धाम तक लाने – ले जाने हेतु हेलीकॉप्टर सेवाएं बुक करने के लिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग प्रणाली www.heliyatra.irctc.co.in के विकास के लिए यूसीएडीए के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। आईआरसीटीसी हेलीयात्रा ऑनलाइन टिकट बुकिंग प्रणाली से तीर्थयात्रियों को श्री केदारनाथ धाम के पवित्र तीर्थस्थल की यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर यात्रा हेतु आसान टिकट बुकिंग की सुविधा उपलब्ध होगी। आईआरसीटीसी-हेलीयात्रा ऑनलाइन टिकट बुकिंग सेवा का शुभारंभ अप्रैल-2023 के पहले सप्ताह में किया गया।

सी) तीसरे पक्ष के संगठनों को प्रदान करते हुए चैटबॉट सेवाओं का मुद्रीकरण

अपने ई-टिकटिंग प्लेटफॉर्म पर चैटबॉट पूछताछ सेवा चलाने में अनुभव प्राप्त करने के बाद, आईआरसीटीसी अब विभिन्न क्षेत्रों और कार्यों में सरकारी और निजी संगठनों के लिए एआई आधारित चैटबॉट सेवाएं (जैसे एआई चैटबॉट्स, वॉयसबॉट्स, वीडियोबॉट्स, वर्चुअल असिस्टेंट, इंटेलिजेंट आरपीए और बॉट्स आदि) प्रदान करेगा।

एआई संचालित मल्टी-फॉर्मेट, मल्टी-लिंगुअल और मल्टी-चैनल वर्चुअल असिस्टेंट ग्राहकों को अपनाने, जुड़ाव और संतुष्टि को बढ़ाने के अलावा संगठनों को परिचालन/समर्थन लागत बचाने और अतिरिक्त राजस्व प्राप्त करने में मदद करेगा।

डी) तृतीय पक्ष के ऑपरेटरों को ट्रेन सूचना पूछताछ सेवाएँ

आईआरसीटीसी द्वारा ट्रेन सूचना सेवा प्रदान करने के लिए सेवा प्रदाताओं के एकीकरण की नीति तैयार की गई है। ग्राहकों को उनके संबंधित प्लेटफार्मों पर ट्रेन संबंधी प्रामाणिक सूचना (उपलब्धता और किराया, स्टेशनों के बीच ट्रेनें, क्लस्टर स्टेशन सूची, ट्रेन अनुसूची, बोर्डिंग स्टेशनों की सूची, पीएनआर पूछताछ, आदि) के प्रसार के लिए तीसरे पक्ष के ऑपरेटरों को ट्रेन सूचना पूछताछ सेवा प्रदान की जाएगी। यह सेवा उन फर्मों के साथ एकीकृत की जाएगी जो ऑनलाइन रेल टिकट बुकिंग सेवा प्रदान नहीं करना चाहते हैं लेकिन अपने ग्राहकों को ट्रेन से संबंधित जानकारी प्रदान करने में रुचि रखते हैं। इससे न केवल ग्राहकों की सुविधा और संतुष्टि बढ़ेगी बल्कि ग्राहकों पर कोई लागत लगाए बिना आईआरसीटीसी के लिए एक नया राजस्व स्रोत बनाने में भी मदद मिलेगी।

ई) बिल भुगतान और ई-मार्केट प्लेस

आईआरसीटीसी तीसरे पक्ष के सेवा प्रदाताओं के साथ साझेदारी करते हुए अपनी वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर ई-मार्केट प्लेस और बिल भुगतान/रिचार्ज सेवाएं और ऑनलाइन बीमा जैसी अन्य तृतीय-पक्ष सेवाएं प्रदान करेगा। इससे न केवल कंपनी अपने ग्राहकों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करते हुए और अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न करते हुए अपने व्यवसाय में विविधता लाने में सक्षम होगी, बल्कि ई-कॉमर्स परितंत्र और ग्राहक प्रतिधारण में बने रहने का मार्ग भी प्रशस्त करेगी।

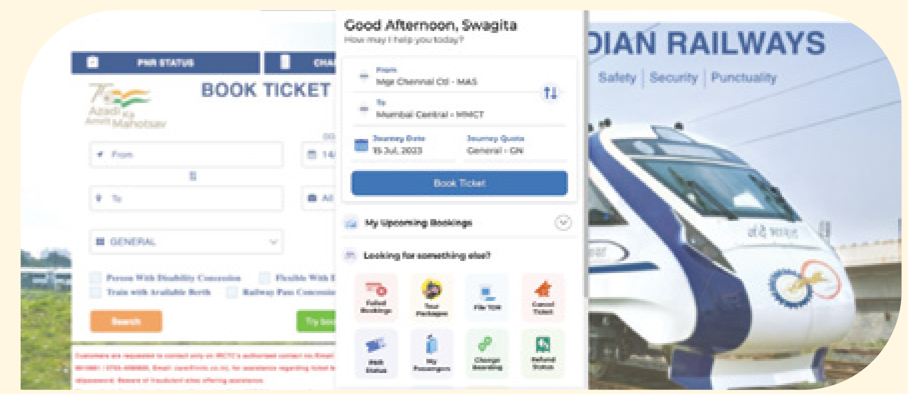

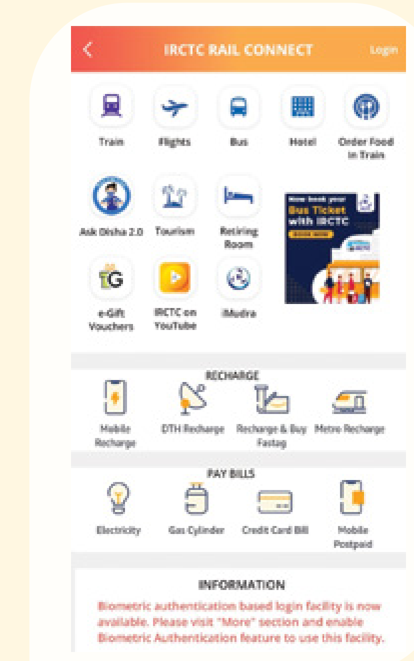

एफ) फिनटेक कंपनी के रूप में आईआरसीटीसी का विविधीकरण

iPay, जो आईआरसीटीसी की अपनी व्यावसायिक पहल है, आईआरसीटीसी की वेबसाइटों में इसके उपयोग और सरकारी व्यवसायों में बड़े बाजार के अवसर को ध्यान में रखते हुए 2018-19 में एक प्रायोगिक परियोजना के रूप में शुरू किया गया था जहां आईआरसीटीसी ग्राहकों की आवश्यकता-अनुकूल भुगतान सेवा प्रदान करने का उपयुक्त और पसंदीदा माध्यम बन गया है।

डिजिटल भुगतान और भारत को कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था बनाने के भारत सरकार के प्रयास के समय, इस तरह के उत्पाद की मांग और आपूर्ति में बड़ा अंतर है। इसके अलावा सरकारी क्षेत्र की कंपनी आईआरसीटीसी का उत्पाद होने के कारण, इसे विश्वास और विश्वसनीयता के स्थान पर इसे निजी कंपनियों पर अतिरिक्त लाभ होगा।

इस संबंध में, आईआरसीटीसी की भुगतान एग्रीगेटर (''पीए'') के रूप में काम करने की योजना है। इसके लिए, आईआरसीटीसी आरबीआई से भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (''पीएसएस अधिनियम'') के तहत भारतीय रिजर्व बैंक (''आरबीआई'') से प्राधिकरण की मांग करेगा।

जी) सिस्टम सुधार

ऑटोमेट स्पीच रिकग्निशन (एएसआर)

ऑटोमैट स्पीच रिकग्निशन (एएसआर) यह उभरती हुई नवीन प्रौद्योगिकी 139 हेल्पलाइन सेवाओं के लिए शुरू की जाएगी।

उत्तरदायी भविष्य के लिए प्रतिबद्ध

आईआरसीटीसी में, हम ईएसजी प्रतिबद्धताओं को प्राथमिकता देते हैं। हम सभी हितधारकों के लिए समृद्ध भविष्य सुनिश्चित करते हुए गवर्नेंस की उत्कृष्टता, सामाजिक दायित्व और पर्यावरणीय स्थिरता का प्रयास करते हैं।

8,861.18 मीट्रिक टन
अपशिष्ट जनित

24.56%
अपशिष्ट में कमी

2,177.00 मीट्रिक टन
अपशिष्ट जनित

अपनी प्राकृतिक पूंजी का पोषण करते हुए

पर्यावरण संरक्षण हमारे शीर्ष उद्देश्यों में से एक है और हमने इस महत्वपूर्ण मुद्दे का समाधान करने के लिए कई रणनीतियाँ शुरु की हैं। हम स्थिरता के महत्व को पहचानते हैं और अपने पारिस्थितिक फुटप्रिंट को कम करने के लिए ठोस पहल की है। हमारे प्रयासों में ऊर्जा प्रबंधन, अपशिष्ट कटौती और जल का जिम्मेदारी से उपयोग करना शामिल हैं। अपने पर्यावरणीय फुटप्रिंट को और अधिक अनुकूल बनाने के लिए, हमने परिचालन दक्षता को प्राथमिकता दी है और अपने पूरे संयंत्र में 3 (रिड्यूस, रीयूज़ और रीसाइकल) के सिद्धांत को लागू किया है।

पर्यावरण संधारणीयता

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, हमने पर्यावरण के लिए कई पहल कीं जैसे जून में पूरे भारत में आईआरसीटीसी रेलनीर संयंत्रों में मेगा वृक्षारोपण अभियान आयोजित किया गया।

हमारे सामाजिक प्रयास

हम अपने सभी कर्मचारियों, भागीदारों और मूल्य श्रृंखला के भागीदारों के लिए सुरक्षित और स्वस्थ कार्य परिवेश तैयार करने के लिए समर्पित हैं। हम समझते हैं कि हमारे कर्मचारियों का समग्र शारीरिक, मानसिक और व्यावसायिक स्वास्थ्य सफल होने की हमारी क्षमता को बहुत प्रभावित करता है।

सीएसआर / समाज कल्याण

सामाजिक जवाबदेही और समाज पर सकारात्मक प्रभाव डालने के उद्देश्य से आईआरसीटीसी में कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व। आईआरसीटीसी जिन उपायों से सीएसआर को अपनाती है उनमें शामिल हैं – पर्यावरण हितैषी और पर्यावरण के प्रति जागरूक बनना, समानता, विविधता को बढ़ावा देना और समुदाय को प्रतिफल देना और यह सुनिश्चित करना कि व्यावसायिक निर्णय नैतिक हों।

सीएसआर दूरदृष्टि

सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचितों के जीवन को उन्नत बनाने के लिए अग्रणी बने रहना और आईआरसीटीसी में कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी गतिविधियों के माध्यम से समय के साथ स्थायी, समावेशी विकासात्मक परिवर्तन लाने की दिशा में काम करना।

मिशन

आईआरसीटीसी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 की अनुसूची VII के तहत शुरू की गई सीएसआर परियोजनाओं में स्वयं को अग्रणी के रूप में स्थापित करेगा। आईआरसीटीसी अपनी सीएसआर और स्थिरता पहल के माध्यम से सीएसआर और स्थिरता नीति के पीछे मूल्य हासिल करने का प्रयास करेगा।

सीएसआर का विषय

वित्त वर्ष 2022-2023 के लिए सीएसआर विषय 'स्वास्थ्य और पोषण' था।

हम यह सुनिश्चित करने का भी प्रयास करते हैं कि हमारे सामाजिक प्रयासों से समाज के वंचित लोगों की सेवा हो। अपनी सीएसआर गतिविधियों के माध्यम से, हम उन समुदायों के उत्थान पर विशेष जोर देते हैं जिनमें हम काम करते हैं और उनका समग्र कल्याण सुनिश्चित करते हैं।

74
कर्मचारी प्रशिक्षण दिए गए

100%
सभी प्रशिक्षण सत्रों और श्रेणियों में कर्मचारियों की समाविष्टि

26760
हितलाभी

पारदर्शिता बनाए रखते हुए

हमारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस का ढांचा कंपनी की संस्कृति से जुड़ा हुआ है जिसमें बेहतर प्रबंधन और जिम्मेदार निर्णय लेना सुनिश्चित किया जाता है। हमने अपने संचालन के सभी पहलुओं के लिए गवर्नेंस की प्रभावी नीतियां, प्रक्रियाएं और दिशा-निर्देश स्थापित किए हैं। हमारे लिए अपने संचालन में जवाबदेही, पारदर्शिता और नैतिक व्यवहार बनाए रखना महत्वपूर्ण है। गवर्नेंस के उच्च मानकों को बनाए रखते हुए, हम अपने सभी हितधारकों के लिए समग्र मूल्य बनाने के लिए अनुपालन से कहीं अधिक प्रयास करते हैं।

251,651
ग्राहकों की शिकायतें सुलझाई गईं*

0.000002
प्रति रुपए टर्नओवर पर ऊर्जा तीव्रता (कुल ऊर्जा खपत/टर्नओवर रुपए में)

नोट – रिपोर्ट किए गए आंकड़ों में लेन-देन संबंधी गड़बड़ियों के संबंध में दैनिक आधार पर रिपोर्ट किए गए रेलवे ग्राहकों के सामान्य प्रश्न शामिल नहीं हैं जिनमें से अधिकांश शिकायतें आईआरसीटीसी की सेवा वितरण के तहत नहीं आती हैं।

अधिक मज़बूत समुदाय बनाते हुए

आईआरसीटीसी में, हमारा मानना है कि जिन समुदायों में हम काम करते हैं उनकी व्यापक उन्नति हमारे व्यवसाय के फलने-फूलने के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए, कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के हमारे प्रयास ऐसे समुदायों के सामाजिक और आर्थिक कल्याण को सुरक्षित करने पर केंद्रित हैं।

26760
लोग सीएसआर कार्यों से लाभान्वित

₹ 12.53 करोड़
खर्च सीएसआर कार्यों पर

स्वास्थ्य देखभाल

आईआरसीटीसी ने पूरे भारत में विभिन्न संगठनों और पहलों को समर्पित सहयोग देते हुए स्वास्थ्य देखभाल और कल्याण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

- हमने प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग अनुसंधान केंद्र के सुधार और विस्तार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक संगठन के साथ सहयोग किया।
- हमने महाराष्ट्र के जालना जिले के अंबड तालुक में डायग्नोस्टिक सेंटर को आवश्यक चिकित्सा उपकरणों से लैस करने में एक एनजीओ को सहयोग प्रदान किया।
- हमने पूर्वी सिक्किम, जो एक आकांक्षी जिला है, में दिव्यांग जनों को सहायक यंत्रों और उपकरणों के वितरण के लिए भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम को वित्तीय सहायता प्रदान की।
- हमने हरियाणा के एक अन्य आकांक्षी जिले मेवात में मोबाइल मेडिकल वैन की खरीद के लिए मैट्रिक्स सोसाइटी फॉर सोशल सर्विसेज (एमएसएस) को वित्तीय सहायता प्रदान की।

- हमने स्थानीय अस्पताल के लिए चिकित्सा उपकरणों की खरीद के लिए लखनऊ छावनी बोर्ड को वित्तीय सहायता प्रदान की।
- हमने बिहार के सारण जिले के मस्तीचक में एक नेत्र अस्पताल सह उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) के निर्माण में आंशिक रूप से सहायता करने के लिए युगऋषि श्रीराम शर्मा आचार्य चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ साझेदारी की।

पशुओं की देखभाल

आईआरसीटीसी द्वारा गुरुग्राम में पीपल फॉर एनिमल (पीएफए) द्वारा संचालित पशु अस्पताल, आश्रय और गौशाला को हेमेटोलॉजी एनालाइज़र और सीबीसी के साथ किडनी और लीवर की कार्यप्रणाली का पता लगाने में सक्षम पूरी तरह से स्वचालित मशीनें प्रदान की गईं।

शिक्षा

- हमने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में शैक्षणिक विकास के लिए विभिन्न संगठनों और परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की।
- मध्य प्रदेश के जबलपुर में हमने ग्रामीण और आदिवासी बच्चों के छात्रावास में 10 शौचालयों वाले एक नए ब्लॉक के निर्माण में सहयोग दिया।
- पश्चिम सिक्किम में हमने 10 स्कूलों में मिनी साइंस सेंटर की स्थापना के लिए सेवा सहयोग फाउंडेशन को वित्तीय सहायता प्रदान की। इस पहल का उद्देश्य क्षेत्र में, विशेषकर सिक्किम के आकांक्षी जिले में विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देना है।

- भितरली, उत्तराखंड में हमने विशेष बच्चों के लिए विशेष स्कूल के निर्माण और खोलने के लिए डिस्लेक्सिया सोसाइटी ऑफ उत्तराखंड को आर्थिक सहायता प्रदान की। इस परियोजना का उद्देश्य डिस्लेक्सिया से पीड़ित बच्चों को विशेष शिक्षा और सहायता प्रदान करना है।
- हमने उत्तराखंड, जैसलमेर (राजस्थान) और चित्रकूट (आकांक्षी जिला) में स्थित आठ सरकारी स्कूलों के पुनरोद्धार के लिए सेंटम फाउंडेशन को वित्तीय सहायता भी दी। इस धनराशि का उपयोग इन स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं में सुधार के लिए किया गया।
- जयपुर के आर.आई.आई.सी.ओ. औद्योगिक क्षेत्र में, आईआरसीटीसी ने लघु उद्योग भारती कौशल विकास केंद्र को वित्तीय सहायता प्रदान की। यह सहायता कौशल विकास केंद्र के ड्रेसमेकिंग अनुभाग के लिए छात्रावास बनाने, व्यावसायिक प्रशिक्षण के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए दी गई।
- नर्मदा, गुजरात (आकांक्षी जिला) में, हमने एक सरकारी स्कूल में मिनी साइंस लैब की स्थापना के लिए जिला मजिस्ट्रेट को वित्तीय सहायता प्रदान की। इस पहल का उद्देश्य क्षेत्र में छात्रों के लिए विज्ञान शिक्षा और व्यावहारिक ज्ञानार्जन के अवसरों को बढ़ाना है।

पर्यावरणीय स्थिरता

हमने पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का समाधान करने की दिशा में अपनी पहल को बढ़ाया है। इन उपायों से पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित होगी और हम स्वस्थ विश्व की दिशा में योगदान देंगे।

- उत्तर प्रदेश के रायबरेली में, हमने उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण, आरओ, रायबरेली, उत्तर प्रदेश सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान की। इस धनराशि का उपयोग अमेठी में रेलनीर संयंत्र के परिसर और आसपास के गांवों में पौधे लगाने के लिए किया गया।
- हमने फूलपुर, प्रयागराज में स्थित छोटे गांवों में 10 हैंडपंप लगाने के लिए प्रदीप सोशल वेलफेयर एनजीओ को वित्तीय सहायता दी। इस पहल का उद्देश्य इन समुदायों में स्वच्छ पेयजल प्रदान करना है।

सामाजिक सशक्तीकरण

हम अपने समाज के विकास और उत्थान को बढ़ाने के लिए अपने समुदाय और महिलाओं को सशक्त बनाने के महत्व को समझते हैं। इस दिशा में हमने समुदाय को उनकी विकास प्रक्रिया में भी सहयोग दिया है।

- हमने नव चेतना स्वाभिमान चैरिटेबल फाउंडेशन एनजीओ को वित्तीय सहायता प्रदान की, जिससे उन्हें कचरा ढोने के लिए 2 ई-गाड़ियाँ और 4 ई-रिक्शा खरीदने में मदद मिली।
- हमने उनके कौशल केंद्र के लिए 25 लैपटॉप प्रदान किए, जिसका उद्देश्य दिव्यांग महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।
- हमने 250 जरूरतमंद परिवारों को 250 सोलर एलईडी ट्यूब प्रदान करने में वित्तीय सहायता दी।

अनुसंधान व विकास

हमने कृषि विज्ञान केंद्र-मेडक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए अनुसंधान और विकास को बढ़ाने की पहल की। हमारे सहयोग से केवीके तुनिकी में जैव-उर्वरक और जैव-कीटनाशक प्रयोगशाला और उत्पादन यूनिट की स्थापना के लिए संयंत्र और मशीनरी की खरीद की गई।

पुरस्कार व प्रशंसा

विश्व पर्यटन दिवस और आईआरसीटीसी स्थापना दिवस यानी 27 सितम्बर, 2022 को आईआरसीटीसी को निम्नलिखित के लिए दो राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2022 प्राप्त हुए -

- बौद्ध सर्किट टूरिस्ट ट्रेन के लिए पर्यटन प्रचार फिल्म (उत्तरी क्षेत्र)- लघु फिल्म (05.38 मिनट)।
- सूचना प्रौद्योगिकी का सर्वाधिक अभिनव प्रयोग - सोशल मीडिया/मोबाइल ऐप/वेबसाइट (उत्तरी क्षेत्र)।

एशिया का ग्रीन फ्यूचर लीडर अवार्ड (ग्रीन ईको-टूरिज़्म डेस्टिनेशन अवार्ड ऑफ दि ईयर)

एशिया का ग्रीन फ्यूचर लीडर अवार्ड (वूमन लीडर ऑफ दि ईयर)

एशिया का ग्रीन फ्यूचर लीडर अवार्ड (ग्रीन सीएसआर इनीशिएटिव अवार्ड ऑफ दि ईयर)

सर्वोत्तम लक्ज़री ट्रेन - महाराजा एक्सप्रेस, बेस्ट हेरिटेज एक्सपीरियंस - गोल्डन चैरियट, बेस्ट लक्ज़री रेल ऑपरेटर आईआरसीटीसी / लक्ज़री सेगमेंट ट्रैवल अवार्ड्स 2022, सेवन स्टार्स मीडिया कॉर्पोरेशन द्वारा।

आईबीसी कार्पोरेट अवार्ड 2022 (एशिया के सबसे भरोसेमंद कंपनी का अवार्ड 2022)

आईआरसीटीसी को गवर्नेंस नाऊ 9वें पीएसयू अवार्ड (उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग – कृत्रिम बुद्धिमत्ता) से सम्मानित किया गया।

आईआरसीटीसी का सोशल मीडिया में मौजूदगी

वर्ष 2022-2023 के दौरान, आईआरसीटीसी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मंचों से 326813 उल्लेख प्राप्त हुए और आईआरसीटीसी पोस्ट को 5541590 लोगों की बातचीत प्राप्त हुई (स्रोत - ब्रांड -24)। पिछले वर्ष के कार्य-निष्पादन की तुलना में, सोशल मीडिया चैनलों पर आईआरसीटीसी के फॉलोअर्स और ग्राहकों की संख्या में वृद्धि देखी गई क्योंकि यूट्यूब के ग्राहकों में 58% की वृद्धि हुई और इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स की संख्या में 10% की वृद्धि हुई। आईआरसीटीसी के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर फॉलोअर्स की संख्या में 23% की बढ़ोतरी हुई। इसी तरह फेसबुक पर 12%, लिंक्डइन पर 71% और टेलीग्राम पर 44% फॉलोअर्स की बढ़ोतरी देखी गई।

वेबसाइटों की रैंकिंग और ट्रैफ़िक में सुधार के लिए सर्च इंजन अनुकूलन रणनीतियां बनाने का कार्य प्रगति में है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि एसईआरपी (सर्च इंजन रिजल्ट पेज) पर वेबसाइट की दृश्यता दिन-ब-दिन बेहतर होती रहे, ऑन पेज और ऑफ पेज कार्य लगातार किए जा रहे हैं।

निदेशक मंडल का परिचय

श्रीमती सीमा कुमार

ए.एम. (टी एंड सी) / रेलवे बोर्ड और अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)
(01 जून, 2023 से)

श्रीमती सीमा कुमार वर्तमान में रेलवे बोर्ड में अतिरिक्त सदस्य (पर्यटन एवं खानपान) (एएम/टी एंड सी) के पद पर तैनात हैं। उन्होंने रेलवे बोर्ड में अतिरिक्त सदस्य (यातायात), और अतिरिक्त सदस्य (विपणन और व्यवसाय विकास) के पदों का अतिरिक्त प्रभार भी संभाला है। श्रीमती सीमा कुमार को रेल मंत्रालय के पत्र संख्या 2016/ई(ओ)/40/11 दिनांक 29 मई 2023 के अनुसार 01 जून, 2023 से सीएमडी/आईआरसीटीसी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वे 1986 बैच की भारतीय रेलवे यातायात सेवा (आईआरटीएस) की अधिकारी हैं। वे चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ से एमएससी (भौतिकी) में गोल्ड मेडलिस्ट हैं और आईआईटी/ दिल्ली से एम.टेक. हैं। उन्होंने एसडीए बोकोनी इंस्टीट्यूट, मिलान, इटली से लीडरशिप प्रोग्राम और भारतीय प्रबंध संस्थान, बेंगलूरु से लीडरशिप मैनेजमेंट एक्जीक्यूटिव प्रोग्राम में भाग लिया है। भारतीय रेलवे में 35 वर्षों से अधिक के अपने शानदार करियर में, उन्होंने उत्तरी और पश्चिम मध्य रेलवे में विभिन्न वरिष्ठ पदों पर काम किया है और प्रधान मुख्य संरक्षा अधिकारी, मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक/यात्री सेवा, मंडल रेल प्रबंधक, महाप्रबंधक/यात्री आरक्षण प्रणाली जैसे पदों पर कार्य किया है। अपने अच्छे तकनीकी ज्ञान और नेतृत्व कौशल के साथ, उन्होंने रेलवे सूचना प्रणाली (सीआरआईएस) के महाप्रबंधक/यात्री आरक्षण प्रणाली केंद्र के रूप में विभिन्न आईटी परियोजनाओं को सफलतापूर्वक संभाला और पूरा किया है और अनारक्षित टिकट प्रणाली के डिजाइन और विकास में, अगली पीढ़ी की ई-टिकटिंग प्रणाली की संकल्पना करने और राष्ट्रीय ट्रेन पूछताछ प्रणाली अनुप्रयोग के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एएम (टी एंड सी) के रूप में उनके सक्षम नेतृत्व और मार्गदर्शन में, दो नई नवोन्वेषी योजनाएं - भारत गौरव ट्रेन (बीजीटी) और एक स्टेशन एक उत्पाद (ओएसओपी) शुरू की गई और नीति निर्देश जारी किए गए। उन्हें वर्ष 2009 में वेब आधारित नागरिक सेवाओं के लिए प्लेटिनम पुरस्कार, 'ग्राहकों के लाभ के लिए पीएसयू द्वारा आईसीटी का अभिनव उपयोग' श्रेणी के तहत ई-गवर्नेंस 2010-2011 के लिए रजत पुरस्कार और सांस्कृतिक विरासत और स्थानीय प्रतिभा को प्रदर्शित करने के लिए राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2014-2015 जैसे विभिन्न पुरस्कार प्रदान किए गए हैं।

श्रीमती रजनी हसीजा

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अतिरिक्त प्रभार) और निदेशक (पर्यटन और विपणन)
(03 मई, 2021 तक)

श्रीमती रजनी हसीजा पूर्णकालिक निदेशक (पर्यटन और विपणन) थीं और उन्होंने 31.05.2023 तक हमारी कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाला। वे 1989 बैच की भारतीय रेलवे यातायात सेवा (आईआरटीएस) अधिकारी हैं। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से एम.फिल किया है और विज्ञान की विदूषी हैं। उनके पास मानव संसाधन प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा और कानून की डिग्री भी है। भारतीय रेलवे में अपने 29 वर्षों के शानदार करियर में, उन्होंने विभिन्न मंडलों, अंचलों के साथ-साथ विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विभिन्न प्रबंधकीय क्षमताओं में काम किया और उन्हें भारतीय रेलवे में आईटी, विपणन, संचालन और योजना के क्षेत्र में व्यापक अनुभव है। वे आईटी व्यवसाय क्षेत्र को संभालने वाले समूह महाप्रबंधक और संपूर्ण अंचल की समग्र प्रभारी के रूप में आईआरसीटीसी से जुड़ी थीं। रेलवे की इंटरनेट टिकटिंग साइट 'www.irctc.co.in' की शुरुआत और विकास में श्रीमती हसीजा की अग्रणी भूमिका रही। अपने अच्छे तकनीकी ज्ञान, आयोजन और योजना कौशल और अपने साथियों और टीम के साथ संवाद करने की अच्छी क्षमता से उन्होंने आईआरसीटीसी के लिए अत्यंत चुनौतीपूर्ण और समयबद्ध परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा किया है जिसमें राष्ट्रमंडल खेल 2010 के लिए डायनेमिक ऑनलाइन सह काउंटर टिकटिंग प्लेटफॉर्म की योजना और निष्पादन से लेकर महाराजा एक्सप्रेस लक्जरी टूरिस्ट ट्रेन का अंतर्राष्ट्रीय विपणन तक शामिल है।

श्री अजीत कुमार

निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ

1989 बैच के भारतीय रेलवे लेखा सेवा (आईआरएएस) अधिकारी श्री अजीत कुमार 18 मई, 2020 से आईआरसीटीसी से जुड़े। उन्हें रेलवे के विभिन्न संगठनों के साथ-साथ बाहरी संस्थाओं का भी व्यापक अनुभव है। मंडल और मुख्यालय के अलावा उन्होंने डीजल लोकोमोटिव वर्कशॉप (डीएलडब्ल्यू), रेलवे विद्युतीकरण, आईआरपीएमयू में भी काम किया है। श्री अजीत कुमार ने एनडीएमसी में निदेशक (वित्त लेखा) के रूप में कार्य किया है। वे वित्त/रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) के सदस्य और भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम (आईआरएसडीसी) के बोर्ड सदस्य भी थे। कानूनी पृष्ठभूमि से होने के कारण, उन्होंने निविदा और ठेकों के प्रलेखन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उत्तर रेलवे में वे कैटरिंग ठेके और वाणिज्यिक विभाग के लिए निविदाएं प्राप्त करने का कार्य संभाल रहे थे। आईआरसीटीसी के निदेशक/वित्त का कार्यभार संभालने से पहले, वे रेल मंत्रालय के तहत वैकल्पिक ईंधन के लिए भारतीय रेलवे संगठन (आईआरओएएफ) में वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी (एफए एंड सीएओ) के रूप में कार्यरत थे।

डॉ. लोकैया रवि कुमार

निदेशक (खानपान सेवाएं)
(11 फरवरी, 2023 से)

डॉ. लोकैया रवि कुमार के पास आतिथ्य उद्योग में 37 वर्षों से अधिक का व्यापक कार्य अनुभव है, जिसमें व्यवसाय संचालन और प्रबंधन में व्यापक ज्ञान के साथ खानपान और पर्यटन व्यवसाय शामिल हैं। वह एक प्रतिष्ठित विद्वान हैं और इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, चेन्नई से होटल मैनेजमेंट और कैटरिंग टेक्नोलॉजी में शैक्षिक योग्यता प्राप्त हैं और पर्यटन में स्नातकोत्तर भी हैं और उन्होंने उत्कल विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर, ओडिशा से पर्यटन में डॉक्टरेट की उपाधि भी पूरी की है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत ताज ग्रुप ऑफ होटल्स से की थी और उसके बाद वे कुछ समय तक राज्य पर्यटन विकास निगम, तमिलनाडु सरकार में काम किया और उसके बाद 1990-2005 (16 वर्ष) तक भारतीय रेलवे में कार्य करने के बाद उन्हें 2006 के दौरान आईआरसीटीसी भेजा गया जहां उन्होंने पिछले 17 वर्षों तक विभिन्न पदों पर कार्य किया। आईआरसीटीसी में उनका कार्यकाल क्षेत्रीय कार्यालयों, अंचल कार्यालयों और कॉर्पोरेट कार्यालय तक फैला हुआ है। इस अवधि के दौरान उन्होंने संचालन, प्रशासन, विपणन, उत्पाद विकास और ठेका प्रबंधन के क्षेत्रों में विशेषज्ञता के साथ खानपान, पर्यटन में उप महाप्रबंधक, संयुक्त महाप्रबंधक, अतिरिक्त महाप्रबंधक और महाप्रबंधक के रूप में अपनी सेवाएं दीं।

श्री कमलेश कुमार मिश्रा

ई.डी. (बी.डी.) / रेलवे बोर्ड तथा निदेशक (पर्यटन एवं विपणन) अतिरिक्त प्रभार (01 जून, 2023 से)

श्री के.के. मिश्रा आईआरटीएस में 2002 बैच के कैरियर सिविल सेवा अधिकारी हैं। श्री के.के. मिश्रा को रेल मंत्रालय के पत्र संख्या 2016/ई(ओ)/40/18 दिनांक 29 मई 2023 के अनुसार 1 जून 2023 से निदेशक (टी एंड एम)/आईआरसीटीसी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। रेल मंत्रालय के कार्यकारी निदेशक (बीडी) के पद पर अपने वर्तमान कार्यभार में, वे रेल मंत्रालय का व्यवसाय विकास पोर्टफोलियो संभाल रहे हैं। अपने पहले के कार्यों में, उन्होंने परियोजना विकास योजना और भारतीय रेलवे द्वारा दी जाने वाली सेवाओं जैसे माल ढुलाई और यात्री मूल्य निर्धारण का प्रबंधन किया। उन्होंने रेल मंत्रालय में विभिन्न पदों पर परिचालन, विपणन, टर्मिनल प्रबंधन, सेवा सुपुर्दगी, सूचना प्रौद्योगिकी का कार्य संभाला है। विद्युत मंत्रालय में अपने कार्यभार के दौरान, वे मंत्रालय की प्रमुख योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना-सौभाग्य (ऊर्जा पहुंच, घरेलू कनेक्शन और अंतिम मील कनेक्टिविटी), दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना-डीडीयूजीजेवाई (ग्रामीण क्षेत्र में उप-पारेषण और वितरण नेटवर्क को मजबूत करना और बढ़ाना) में डिजाइन चरण से लेकर उनके कार्यान्वयन, निगरानी और समापन तक शामिल थे। वे मंत्रालय की अन्य प्रमुख योजनाओं जैसे एकीकृत विद्युत विकास योजना आईपीडीएस (शहरी क्षेत्र में उप-पारेषण और वितरण नेटवर्क को मजबूत करना और बढ़ाना) और राष्ट्रीय स्मार्ट ग्रिड मिशन-एनएसजीएम (भारत में स्मार्ट ग्रिड पहल) को लगभग 20 बिलियन डॉलर के कुल निवेश के साथ डिजाइन और कार्यान्वित करने में भी शामिल थे। वे प्रशासन के लिए रेल मंत्री के राष्ट्रीय पुरस्कार जो रेल मंत्रालय का सर्वोच्च पुरस्कार है और आईआईएम बैंगलोर में सार्वजनिक नीति हैकथॉन पर वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के विजेता हैं। विद्युत मंत्रालय ने उन्हें लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित प्रधान मंत्री पुरस्कार के लिए नामांकित किया। उनकी रुचियों में सार्वजनिक सेवा वितरण, बुनियादी ढांचे-आर्थिक विकास का अंतर्विभागीय क्षेत्र-मानव विकास और सरकार 3.0 शामिल हैं। 2015 में, श्री मिश्रा ने विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित कठिन कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए 51 लोगों के समूह का नेतृत्व किया। श्री मिश्रा के पास लखनऊ विश्वविद्यालय, पुणे विश्वविद्यालय और आईआईएम बेंगलूरु की मास्टर डिग्री है। उन्होंने एस्टोनिया, जापान, सिरैक्यूज़ विश्वविद्यालय और बर्कले में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में लघु कार्यक्रमों में भी भाग लिया है।

श्री नीरज शर्मा

सरकार द्वारा नामित निदेशक

श्री नीरज शर्मा, ईडी (यात्री विपणन), रेलवे बोर्ड हमारी कंपनी के अंशकालिक सरकारी निदेशक हैं। वे 12 जुलाई, 2018 से हमारी कंपनी के बोर्ड में हैं। वे 1991 बैच के भारतीय रेलवे यातायात सेवा (आईआरटीएस) अधिकारी हैं। श्री शर्मा गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, नैनीताल से स्नातकोत्तर और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली से पीएचडी हैं। भारतीय रेलवे के साथ अपने 25 से अधिक वर्षों के जुड़ाव के दौरान, उन्होंने पूर्वोत्तर रेलवे और उत्तर रेलवे में सहायक परिचालन प्रबंधक, मंडल परिचालन प्रबंधक, वरिष्ठ मंडल परिचालन, वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक, आईआरआईटीएम (भारतीय रेलवे परिवहन प्रबंधन संस्थान), लखनऊ में प्रोफेसर, प्रशासन, आपदा प्रबंधन, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, उत्तर रेलवे और मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक (यात्री विपणन), उत्तर रेलवे सहित विभिन्न पदों पर काम किया है। उनकी उपलब्धियों के कारण, उन्हें दो बार रेल मंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है जो भारतीय रेलवे प्रशासन, विपणन, उत्पाद विकास और ठेका प्रबंधन के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान है।

श्री मनोज कुमार गांगेय
सरकार द्वारा नामित निदेशक
(21 सितंबर, 2022 से)

श्री मनोज कुमार गांगेय वर्तमान में रेल मंत्रालय में कार्यकारी निदेशक (योजना) के पद पर कार्यरत हैं। वे 1999 बैच के भारतीय रेलवे यातायात सेवा (आईआरटीएस) अधिकारी हैं। वे आईआईटी दिल्ली (बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) से स्नातक हैं। उनके पास आईआईएम लखनऊ से ''कार्यपालक प्रबंधन'', सीईपीटी विश्वविद्यालय से ''शहरी परिवहन'', एमआईटी से ''डेटा, अर्थशास्त्र और विकास नीति'' (माइक्रो-मास्टर प्रोग्राम ऑनलाइन), ''रेलवे फाइनेंसिंग'', ''ग्लोबल एनर्जी और जलवायु नीति'' आदि में पेशेवर प्रमाणपत्र भी हैं।

उन्हें नीति आयोग सहित कई मंत्रालयों में सार्वजनिक सेवा का लगभग 22 वर्षों का अनुभव है। रेलवे बोर्ड में ईडी (योजना) के रूप में कार्यभार संभालने से पहले, उन्होंने नीति आयोग में निदेशक (अवसंरचना) और मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में काम किया और अल्ट्रा-हाई स्पीड परिवहन प्रणालियों के लिए नीति विकास, विमानन अवसंरचना तथा संबंधित नीतिगत मामलों के प्रोग्रामों/परियोजनाओं के मूल्यांकन में सक्रिय रूप से शामिल थे। उन्होंने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) में निदेशक के रूप में भी काम किया और भारतीय प्रतिनिधि के रूप में कई वैश्विक पर्यावरण वार्ताओं/सम्मेलनों में भाग लिया। वे भारत और बेसल कन्वेंशन में प्रदूषण की रोकथाम और अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित कई नीतिगत बदलावों से भी जुड़े हुए हैं।

भारतीय रेलवे में अपने शुरुआती करियर (लगभग 15 वर्ष) में, उन्होंने वाणिज्यिक, परिचालन और संरक्षा कार्यों संभालते हुए वरिष्ठ मंडल प्रबंधक जैसे कई प्रमुख पदों पर काम किया। उन्होंने ''कुंभ मेला, नासिक-2015'' के दौरान वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक के रूप में भी कार्य किया।

श्री विनय कुमार शर्मा
स्वतंत्र निदेशक

श्री विनय कुमार शर्मा (43 वर्ष) को रेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 9 नवंबर, 2021 से आईआरसीटीसी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया। वे एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और देवी अहिल्या विश्वविद्यालय (डीएवीवी), इंदौर से व्यवसाय प्रशासन में स्नातक डिग्री, अर्थशास्त्र और समाज कार्य में मास्टर डिग्री धारक है। उन्हें प्रबंधन, वित्त, बिक्री, विपणन, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और योजना के क्षेत्रों में विविध और व्यापक अनुभव है। वे इंडसइंड बैंक में क्षेत्रीय प्रमुख क्रेडिट (2002-2008) और आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड (2008-2012) में क्षेत्रीय संबंध प्रबंधक, प्रमुख परियोजना लेखा के पद पर रहे हैं। वर्तमान में वे जैविक खेती के क्षेत्र में सक्रिय हैं।

श्री नामग्याल वांगचुक
स्वतंत्र निदेशक

श्री नामग्याल वांगचुक (51 वर्ष) को रेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 12 नवंबर, 2021 से आईआरसीटीसी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वह पेशे से एक वकील हैं और उन्हें सिविल / अपराध / वैवाहिक / न्यायाधिकरण / कॉर्पोरेट आदि के विभिन्न क्षेत्रों में वकील के पेशे में 23 वर्षों का अनुभव है। वे 1991 में कश्मीर विश्वविद्यालय से कला स्नातक हैं। उन्होंने 1997 में दिल्ली विश्वविद्यालय से एलएलबी की डिग्री प्राप्त की और मार्च 1998 से मार्च 2000 तक दिल्ली उच्च न्यायालय में पेशेवर वकील के रूप में दिल्ली बार काउंसिल के रोल पर रहे। 1998 से 2000 तक उन्होंने केसर दास बी एंड एसोसिएट्स के साथ एसोसिएट के रूप में काम किया। उन्होंने अगस्त 2001 से अगस्त 2003 तक मुंसिफ/न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के रूप में भी कार्य किया। वे भारतीय स्टेट बैंक, आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, एक्सिस बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जैसे राष्ट्रीयकृत बैंकों के पैनल में शामिल वकील हैं। उन्होंने वाणिज्यिक, परिचालन और सुरक्षा कार्यों की देखभाल करते हुए मंडल प्रबंधक के पद पर कार्य कियाहै। उन्होंने ''कुंभ मेला, नासिक-2015'' के दौरान वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक के रूप में भी काम किया।

श्री देवेन्द्र पाल भारती
स्वतंत्र निदेशक
(09 जून, 2023 से)

श्री देवेन्द्र पाल भारती (45 वर्ष) एम.जे.पी. से डिग्री रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली, उत्तर प्रदेश से एल.एल.बी. है और 2004 से पेशेवर वकील के रूप में बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के रोल पर हैं। उन्होंने एम.जे.पी. रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली, उत्तर प्रदेश से अर्थशास्त्र और अंग्रेजी साहित्य में स्नातक की डिग्री भी प्राप्त की है। श्री देवेन्द्र पाल भारती ने संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग की टेलीफोन सलाहकार समिति में सलाहकार के रूप में कार्य किया है। उन्हें 2008 से 2012 तक उत्तर प्रदेश के माननीय राज्यपाल द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य योजना आयोग की जिला योजना समिति के सदस्य के रूप में भी नियुक्त किया गया था। उन्होंने लगभग 27 वर्षों तक समाज कार्य में उल्लेखनीय योगदान दिया है।

मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ)

श्री अजीत कुमार
निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ

कंपनी सचिव

श्रीमती सुमन कालरा
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

वरिष्ठ प्रबंधन

डॉ. पराग अग्रवाल
मुख्य सतर्कता अधिकारी

श्री. सुनील कुमार
समूह महाप्रबंधक (इंटरनेट टिकटिंग सेवाएँ)

श्री संदीप त्रिवेदी
समूह महाप्रबंधक (एचआरडी)

श्री अवधेश कुमार
समूह महाप्रबंधक (सेवाएँ)

श्री गैसिंगम काबुई
समूह महाप्रबंधक (वित्त)

श्री सुदेश वी.सी.
समूह महाप्रबंधक (इंटरनेट टिकटिंग सेवाएँ - 2)

श्रीमती रश्मि गौतम
समूह महाप्रबंधक
(मोबाइल कैटरिंग सेवाएँ)

श्री तनवीर हसन
समूह महाप्रबंधक (पर्यटन)

श्री संजय प्रियदर्शनम
समूह महाप्रबंधक (रेलनीर परियोजनाएँ)

श्री विनय कुमार पाठक
समूह महाप्रबंधक (खरीद एवं निविदा)

श्री राजेश राणा
महाप्रबंधक (गुणता परियोजनाएं एवं कॉर्पोरेट सम न्वय) और मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ)

श्री सुधीर वारियर
महाप्रबंधक
(स्थैतिक कैटरिंग सेवाएँ)

श्री प्रदीप कुमार धीमान
महाप्रबंधक (पर्यटन)

अंचल प्रमुख

श्री आशीष कुमार
समूह महाप्रबंधक (उत्तरी अंचल)

श्री जफर आजम
समूह महाप्रबंधक (पूर्वी अंचल)

श्री पी. राजलिंगम बसु
समूह महाप्रबंधक (दक्षिण अंचल)

श्री पी. राज कुमार
समूह महाप्रबंधक
(दक्षिण मध्य अंचल)

श्री राहुल हिमालयन
समूह महाप्रबंधक (पश्चिम अंचल)

कॉर्पोरेट सूचना

निदेशक मंडल

श्रीमती सीमा कुमार
एएम (टी एंड सी), रेलवे बोर्ड एवं
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)
(01 जून 2023 से)

श्रीमती रजनी हसीजा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
अतिरिक्त प्रभार एवं निदेशक
(पर्यटन एवं विपणन)
(31 मई 2023 तक)

श्री अजित कुमार
निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ

श्री कमलेश कुमार मिश्रा
ई.डी. (बी.डी.), रेलवे बोर्ड एवं निदेशक
(पर्यटन एवं विपणन)
(अतिरिक्त प्रभार)
(01 जून, 2023 से)

डॉ. लोकेश रविकुमार
निदेशक (खानपान सेवाएं)
(11 फरवरी, 2023 से)

श्री देबाशीस चंद्र
निदेशक (खानपान सेवाएं)
(31 अगस्त, 2022 तक)

श्री नीरज शर्मा
ई.डी. (पी.एम.) रेलवे बोर्ड, सररकार द्वारा
नामित निदेशक

श्री मनोज कुमार गांगेय
ईडी (योजना), रेलवे बोर्ड एवं सरकार द्वारा
नामित निदेशक
(21 सितंबर 2022 से)

श्री विश्वनाथ शंकर
कार्यकारी निदेशक (योजना), रेलवे बोर्ड,
सरकार द्वारा नामित निदेशक
(28 जुलाई 2022 तक)

श्री विनय कुमार शर्मा
स्वतंत्र निदेशक

श्री नामग्याल वांगचुक
स्वतंत्र निदेशक

श्री देवेन्द्र पाल भारती
स्वतंत्र निदेशक
(09 जून 2023 से)

आंतरिक लेखा परीक्षक
एस रामानंद अय्यर एंड कंपनी चार्टर्ड
अकाउंटेंट्स 708, सूर्य किरण 19 कस्तूरबा
गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001

लागत लेखा परीक्षक
मैसर्स एच.एम.वी.एन एंड एसोसिएट्स
011, पर्ल्स बेस्ट हाइट्स -, सी-09, नेताजी
सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, दिल्ली - 110034

सचिवीय लेखा परीक्षक
मैसर्स कुमार नरेश सिन्हा एंड एसोसिएट्स कंपनी
सचिव
121, विनायक अपार्टमेंट, प्लॉट नं. सी-
58/19, सेक्टर-62,
नोएडा-201309 (यूपी)

पंजीकृत एवं कॉर्पोरेट कार्यालय
11वीं मंजिल, स्टेट्समैन हाउस, बी-148,
बाराखंभा रोड, कनॉट प्लेस,
नई दिल्ली

इंटरनेट टिकटिंग
न्यू ऑपरेशन्स सेंटर, उत्तरी रेलवे आरक्षण
कार्यालय, आईआरसीए कॉम्प्लेक्स, स्टेट एंट्री
रोड, नई दिल्ली- 110 055

इंटरनेट टिकटिंग
न्यू ऑपरेशन्स सेंटर, उत्तरी रेलवे आरक्षण
कार्यालय, आईआरसीए कॉम्प्लेक्स, स्टेट एंट्री
रोड, नई दिल्ली- 110 055

पर्यटन कार्यालय
एम-13, पुंज हाउस, ब्लॉक एम, कनॉट प्लेस,
नई दिल्ली-110001

रेलनीर संयंत्र, नांगलोई
उत्तर रेलवे वायरलेस स्टेशन क्षेत्र, विपक्ष.

नांगलोई बस डिपो, रोहतक
रोड, नांगलोई, दिल्ली- 110 041

रेलनीर संयंत्र, दानापुर
लोको कॉलोनी, साउथ आर.पी.एफ. बैरक,
खगौल, दानापुर, पटना- 801105

रेलनीर संयंत्र, पालूर
पालूर रेलवे स्टेशन गांव और पोस्ट पालूर,
तालुक- चेंगलपट्टू, जिला- कांचीपुरम (तमि
लनाडु) - 603101

रेलनीर संयंत्र, अंबरनाथ
जीआईपी बांध के पास, अतिरिक्त एमआईडीसी,
पोस्ट- आनंद नगर, अंबरनाथ (पूर्व),
जिला ठाणे, महाराष्ट्र - 421506

रेलनीर संयंत्र, अमेठी
प्लॉट नंबर सी11 और 12 यूपीएसआईडीसी
औद्योगिक क्षेत्र, तकरिया गौरीगंज, जिला-
अमेठी

रेल नीर संयंत्र, परसाला
रेलवे यार्ड, न्यू परसाला रेलवे स्टेशन,
केरल-695502

रेलनीर संयंत्र, बिलासपुर
प्लॉट नंबर 22/23, सेक्टर-बी, सिरगिट्टी
औद्योगिक क्षेत्र, जिला - बिलासपुर,
छत्तीसगढ़- 495004

रेलनीर संयंत्र, हापुड
आई-2, औद्योगिक क्षेत्र, मसोरी गुलावठी रोड,
हापुड

रेलनीर संयंत्र, नागपुर
डी-53, एमआईडीसी बूटी बोरी औद्योगिक
क्षेत्र, जिला- नागपुर

रेलनीर संयंत्र, सांकराइल
एफपी3/8, फूड पार्क, फेज़-, सांकराइल

रेलनीर संयंत्र, भोपाल
प्लॉट नंबर - 01, वेयरहाउसिंग कॉम्प्लेक्स,
औद्योगिक क्षेत्र, मंडीदीप, चरण- , जिला-
रायसेन (म.प्र.)

रेलनीर संयंत्र, जगी रोड
उत्तर खोला मौजा अंतर्गत ग्राम बोरखाल, अम
लीघाट, जिला- मोरीगांव, गुवाहाटी (असम)
रेलनीर संयंत्र, साणंद-, अहमदाबाद
प्लॉट नंबर 668, साणंद-, औद्योगिक इस्टेट,
अहमदाबाद

रेलनीर संयंत्र, जबलपुर
प्लॉट नंबर 11, सेक्टर-ई, आईजीसी मनेरी
जिला - मंडला (जबलपुर)
6ए, द रेन ट्री प्लेस,
9, मैक निकोलस रोड, चेटपेट,
चेन्नै - 600 031

रेलनीर संयंत्र, ऊना
प्लॉट नंबर - 5ए(1), औद्योगिक क्षेत्र मैहतपुर,
जिला- ऊना (हि.प्र.)

रेलनीर संयंत्र, भुसावल
प्लॉट नंबर - एफ-20, भुसावल औद्योगिक
क्षेत्र, भुसावल, जिला- जलगांव (महाराष्ट्र)

आंचलिक कार्यालय

उत्तरी अंचल
रेल यात्री निवास, ग्राउंड फ्लोर, नई दिल्ली
रेलवे स्टेशन, अजमेरी गेट की तरफ,
नई दिल्ली - 110 002

पश्चिम अंचल
दूसरी मंजिल, नया प्रशासनिक भवन, मध्य
रेलवे, सीएसटी, मुंबई - 400001

दक्षिण अंचल
6ए, द रेन ट्री प्लेस, 9, मैक निकोलस रोड,
चेटपेट, चेन्नै - 600 031

दक्षिण मध्य अंचल
तीसरी मंजिल, ऑक्सफोर्ड प्लाजा, सरोजिनी
देवी रोड, सिकंदराबाद,
आंध्र प्रदेश - 500003

पूरक जानकारी

सीएफओ
श्री अजीत कुमार

कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी
सुश्री सुमन कालरा

वैधानिक लेखा परीक्षक
पी.आर. मेहरा एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(पंजीकरण संख्या 000051)
901 नई दिल्ली हाउस
27 बाराखंभा रोड
कनॉट प्लेस नई दिल्ली-110001

बैंकर्स

एचडीएफसी बैंक
आईसीआईसीआई बैंक
बैंक ऑफ बड़ौदा
पंजाब नेशनल बैंक
भारतीय स्टेट बैंक
केनरा बैंक
बैंक ऑफ इंडिया
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
इंडियन बैंक
आईडीबीआई बैंक
सिटी बैंक
ऐक्सिस बैंक
स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक
यस बैंक
यूको बैंक
फेडरल बैंक
कर्नाटक बैंक
इंडसइंड बैंक
कोटक महिंद्रा
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
बैंक ऑफ महाराष्ट्र
इलाहबाद बैंक
करूर वैश्य बैंक
इंडियन ओवरसीज बैंक
आरबीएल बैंक लिमिटेड
साउथ इंडियन बैंक
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक
एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक

रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट –

अलंकित असाइनमेंट लिमिटेड
पता : 4 ई/2, अलंकित हाउस, झंडेवालान
एक्सटेंशन, झंडेवालान मेट्रो स्टेशन के पास नई
दिल्ली-110055
ईमेल आईडी – rta@alankit.com
फोन नंबर – 011-42541234

शेयर सूचीबद्ध हैं –

स्टॉक एक्सचेंज	स्क्रिप कोड/प्रतीक
बीएसई लिमिटेड	542830
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड	आईआरसीटीसी

निक्षेपागार–
नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड
(एनएसडीएल)
सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड
(सीडीएसएल)

आईएसआईएन नंबर–
33501020

वेबसाइट – www.irctc.com
ई-मेल आईडी – investors@irctc.com

दस वर्षों की वित्तीय झलकियां

(रु. करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2013-14*	2014-15*	2015-16**	2016-17**	2017-18**	2018-19**	2019-20**	2020-21**	2021-22**	2022-23*
1	कुल आय	954.70	1,141.21	1,523.41	1,598.71	1,544.75	1,958.94	2,342.41	861.64	1,954.48	3,661.90
2	व्यय (स्टॉक में वृद्धि/ कमी सहित)	810.52	906.76	1,193.58	1,242.31	1,184.45	1,486.78	1,563.98	588.90	1,005.06	2,265.25
3	प्रचालन मार्जिन	144.18	234.45	329.82	356.40	360.30	472.16	778.44	272.74	949.42	1,396.65
4	ब्याज व्यय	-	-	1.81	2.54	2.91	2.35	9.76	8.27	11.05	16.11
5	मूल्यह्रास	16.77	20.42	21.22	22.41	23.66	28.64	40.21	46.35	48.99	53.73
6	कर पूर्व लाभ	127.41	214.03	306.79	331.45	338.98	478.56	729.58	257.51	885.38	1,354.01
7	कर पश्चात लाभ	72.01	130.63	197.30	214.69	219.52	308.56	513.11	187.03	659.55	1,005.88
8	घोषित लाभांश	14.40	26.13	75.45	84.68	88.81	122.37	200.00	80.00	280.00	440.00
9	विदेशी परियोजनाओं की आरक्षण निधि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	सामान्य आरक्षण निधि को अंतरण	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00
11	अन्य आरक्षण निधि	-	-	-	-	-	-	-			
12	आरक्षण व अधिशेष	326.92	424.25	680.57	738.34	905.37	911.02	1,153.82	1,295.81	1,710.31	2,318.40
13	अचल परिसंपत्तियां (सकल ब्लॉक)	213.52	276.84	310.69	337.62	336.63	356.35	380.96	450.32	438.91	484.21
14	वस्तुसूची	9.53	9.54	8.26	6.58	7.41	7.89	9.76	6.54	7.93	9.61
15	विदेशी मुद्रा अर्जन	11.80	21.89	35.23	47.51	37.59	33.54	43.32	9.85	19.37	27.37
16	शेयर पूंजी	20.00	20.00	20.00	40.00	40.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00
17	नियोजित पूंजी	346.92	444.25	700.57	778.34	945.37	1,071.02	1,313.82	1,455.81	1,870.31	2,478.40
18	सरकारी निवेश	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	निवल मालियत	346.92	444.25	700.57	778.34	945.37	1,071.02	1,313.82	1,455.81	1,870.31	2,478.40
20	कर पूर्व लाभ से नियोजित पंजी (% में)	36.73	48.18	43.79	42.58	35.86	44.68	55.53	17.69	47.34	54.63
21	प्रचालन मार्जिन से नियोजित पूंजी (% में)	41.56	52.77	47.08	45.79	38.11	44.09	59.25	18.73	50.76	56.35
22	कर पश्चात लाभ से शेयर पूंजी (% में)	360.05	653.15	986.48	536.73	548.80	192.85	320.69	116.89	412.22	628.68
23	व्यय से आय (% में)	84.90	79.46	78.35	77.71	76.68	75.90	66.77	68.35	51.42	61.86
24	कर्मचारियों की संख्या	1,672	1,511	1,483	1,494	1,464	1,509	1,446	1,417	1,408	1,562
25	प्रति कर्मचारी आय	0.57	0.76	1.03	1.07	1.06	1.30	1.62	0.61	1.39	2.34
26	प्रति कर्मचारी विदेशी मुद्रा अर्जन	0.01	0.01	0.02	0.03	0.03	0.02	0.03	0.01	0.01	0.02
27	चालू अनुपात	1.45	1.55	1.96	1.80	1.60	1.55	1.61	1.76	1.88	1.82
28	निवेश	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*आंकड़े तुलन-पत्र की संशोधित अनुसूची VI प्रारूप के अनुसार हैं।

**आंकड़े भारतीय-एएस वित्तीय विवरण के अनुसार हैं।

निदेशकों की रिपोर्ट

प्रिय शेयरधारक,

हमें इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड के व्यवसाय और संचालन पर 24वीं वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा खातों पर टिप्पणियाँ सहित, 31 मार्च, 2023 (वित्त वर्षफ्23) को समाप्त वित्त वर्ष के लिए खातों के लेखापरीक्षित विवरण प्रस्तुत करते हुए बहुत खुशी हो रही है। इस रिपोर्ट में कंपनी का विस्तृत वित्तीय और परिचालन कार्य-निष्पादन प्रस्तुत किया गया है।

वित्तीय कार्य-निष्पादन

हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि कंपनी ने वित्त वर्ष 2022-23 में परिचालन से सबसे अधिक राजस्व दर्ज किया और अपना अब तक का सबसे अधिक शुद्ध लाभ भी दर्ज किया। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान कंपनी के वित्तीय कार्य-निष्पादन का सार वित्त वर्ष 2021-22 के संबंधित कार्य-निष्पादन के साथ नीचे दिया गया है -

राशि (रु. लाख में)

विवरण	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2021-22	वृद्धि/(कमी) का प्रतिशत
प्रचालनों से राजस्व	3,541.57	1,879.48	88.52
कुल आय	**3,661.90**	**1,952.30**	**87.36**
ईबीआईटीडीए (असाधारण मदों, वित्त लागत, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन से पहले लाभ)	1,396.65	953.56	47.11
मूल्यह्रास	53.73	48.99	9.68
कर तथा असाधारण मदों से पूर्व लाभ	1,326.81	893.52	49.18
कर पूर्व लाभ	**1,354.01**	**889.51**	**52.93**
कर का प्रावधान	348.13	225.82	54.16
कर पश्चात् लाभ	**1,005.88**	**663.69**	**52.51**
अंतरिम लाभांश	280	160	75.00
अंतिम लाभांश	160	80	33.33
सामान्य आरक्षण	35	35	-
आरक्षण व अधिशेष	2,318.40	1,723.88	35.55
निवल मालियत	2,478.40	1,883.88	32.51
प्रति शेयर अर्जन (रु.)	12.57	8.30	52.55

पूंजी संरचना

31 मार्च, 2023 को कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी रु. 250 करोड़ थी, जिसमें रु. 2/- प्रत्येक के 125 करोड़ इक्विटी शेयर और कंपनी की चुकता शेयर पूंजी रु. 160 करोड़ थी जिसमें रु.2/- प्रत्येक के 80 करोड़ इक्विटी शेयर शामिल थे। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने कोई शेयर जारी नहीं किया है।

शेयरों के अमूर्तीकरण, डीमैट उचंत खाते / अदावी उचंत खाते का विवरण कार्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में दिया गया है, जो इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

बिक्री के प्रस्ताव (ओएफएस) द्वारा विनिवेश

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, वित्त मंत्रालय के निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) ने "स्टॉक एक्सचेंजों के माध्यम से प्रमोटरों द्वारा शेयरों की बिक्री के प्रस्ताव (ओएफएस)" विधि द्वारा कंपनी में भुगतान की गई इक्विटी पूंजी के 5% तक के विनिवेश के निर्देश जारी किए।

इसके अलावा, कंपनी के पात्र कर्मचारियों को रु. 680 प्रति इक्विटी शेयर की कीमत पर रु. 2 अंकित मूल्य के 40,00,000 इक्विटी शेयरों (0.5%) के विनिवेश की भी घोषणा की गई। हालांकि, आईआरसीटीसी कर्मचारी-ओएफएस के तहत कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ।

उपर्युक्त लेन-देन के माध्यम से, प्रमोटर होने के कारण रेल मंत्रालय ने कंपनी में अपनी हिस्सेदारी 5% कम करते हुए 4,00,00,000 इक्विटी शेयरों का विनिवेश किया। ओएफएस की 2,726.87/- करोड़ रुपये की आय भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, दीपम में जमा की गई।

भारत के राष्ट्रपति (पीओआई) का शेयरधारण

बिक्री के लिए उक्त प्रस्ताव के परिणामस्वरूप, आईआरसीटीसी में भारत के राष्ट्रपति की हिस्सेदारी कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी के 67.40% की तुलना में घटकर 62.40% हो गई है। ओएफएस के बाद, भारत के राष्ट्रपति (पीओआई) कंपनी में रु. 2 के अंकित मूल्य के साथ 49,91,72,170 इक्विटी शेयर धारित करते हैं।

लाभांश

आपकी कंपनी अपने गठन के बाद से लगातार लाभांश देने वाली कंपनी होने का गर्व करती है।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता के दायित्व और प्रकटीकरण की आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ("एलओडीआर") के विनियम 43ए की आवश्यकताओं के अनुसरण में, आपकी कंपनी ने लाभांश वितरण नीति तैयार की है जो कंपनी की वेबसाइट पर वेब लिंक https://www.irctc.

com/assets/images/IRCTC_DIVIDEND%20DISTRIBUTION%20POLICY-_31.07.2019_CB%20Comments%20[05.08.2019].pdf में उपलब्ध है।

निदेशक मंडल ने रु. 3.50/- प्रति इक्विटी शेयर (यानी रु. 160 करोड़ की चुकता शेयर पूंजी पर 175%) के अंतरिम लाभांश की घोषणा की जो फरवरी 2023 में रु. 160 करोड़ की चुकता शेयर पूंजी पर रु. 280 करोड़ है। उक्त अंतरिम लाभांश का भुगतान मार्च 2023 में सभी शेयरधारकों को किया गया। इसके अलावा, निदेशक मंडल ने मई, 2023 में हुई अपनी बैठक में रु. 2/- प्रति इक्विटी शेयर (यानी र. 160 करोड़ की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी पर 100%) के अंतिम लाभांश (अंतरिम लाभांश के अलावा) की सिफारिश की जो एजीएम में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन वर्ष 2022-23 के लाभ में से रु. 160 करोड़ है।

इस प्रकार, वित्त वर्ष 2022-23 का कुल लाभांश रु. 440 करोड़ (यानी रु. 160 करोड़ की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी पर 275%) होगा जो वर्ष 2022-23 के लिए कर-पश्चात लाभ का 43.74% और 31 मार्च, 2023 तक निवल मालियत का 17.75% बनता है।

वित्त वर्ष 2022-2023 के लिए कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) द्वारा जारी दिशानिर्देशों जिसमें बताया गया है कि वर्ष के लिए अदा किया जाने वाला न्यूनतम लाभांश निवल मालियत का कम से कम 5% या कर पश्चात लाभ का 30%, इनमें से जो भी अधिक हो, होना चाहिए के अनुपालन में है।

अदावी लाभांश

आईईपीएफ में अंतरण के लिए कोई राशि देय नहीं है और 31 मार्च, 2023 तक अदावी लाभांश का विवरण कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है जिसे कार्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में भी प्रकट किया गया है।

आरक्षण निधियों को अंतरण

2022-23 के दौरान, कंपनी ने सामान्य आरक्षण निधियों में रु. 35 करोड़ अंतरित किए।

स्टॉक एक्सचेंजों (बीएसई और एनएसई) में आईआरसीटीसी का रैंक

वित्त वर्ष 2022-23 के अंत में कंपनी के बाजार पूंजीकरण के आधार पर, आपकी कंपनी बीएसई और एनएसई पर क्रमशः 102वें और 100वें स्थान पर रही।

रेल मंत्रालय को राजस्व हिस्सेदारी के रूप में कंपनी का योगदान

कंपनी रेल मंत्रालय (एमओआर) को राजस्व हिस्सेदारी के माध्यम से भी योगदान देती है और इस तरह के योगदान का कुल हिस्सा वित्त वर्ष 2021-22 में रु 432.18 करोड़ की तुलना में वर्ष के दौरान रु. 704.90 करोड़ था। (एमओआर) के राजस्व में किए गए योगदान में ढुलाई शुल्क, रेलवे शेयर और लाभांश शामिल हैं।

कर्मचारी स्टॉक विकल्प

आपकी कंपनी ने कोई कर्मचारी स्टॉक विकल्प प्रदान नहीं किया है, इसलिए, कंपनी (शेयर पूंजी और ऋणपत्र) नियम, 2014 के नियम 12(9) और नियम 16(4) के तहत ईएसओपी के संबंध में प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है।

परिचालन कार्य-निष्पादन

आपकी कंपनी का व्यवसाय व्यापक रूप से नीचे दिए गए अनुसार चार व्यावसायिक खंडों में विभाजित है -

(i) खानपान व आतिथ्य;

(ii) यात्रा व पर्यटन;

(iii) इंटरनेट टिकटिंग;

(iv) पैकेज्ड पेयजल (रेल नीर) ।

2022-23 के दौरान कंपनी के खंडवार परिचालन का कार्य-निष्पादन नीचे दिया गया है-

(i) खानपान और आतिथ्य-सत्कार

आईआरसीटीसी के खानपान और आतिथ्यसत्कार क्षेत्र निम्नानुसार विभाजित किया गया है:

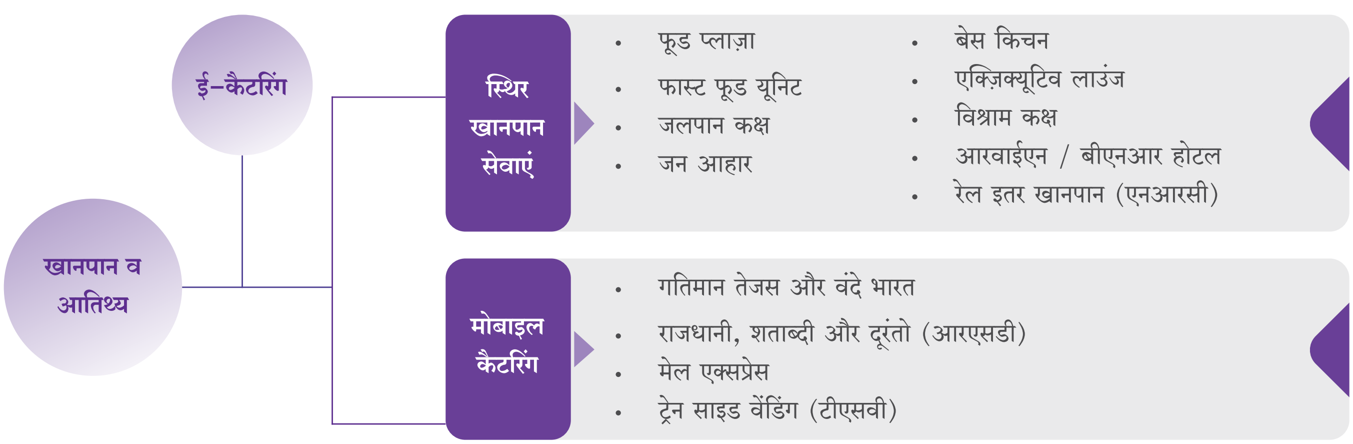

- **मोबाइल कैटरिंग**

मोबाइल कैटरिंग खंड ऑनबोर्ड कैटरिंग सेवाओं की व्यवस्था के माध्यम से ट्रेन में यात्रियों की जरूरतों को पूरा करता है। मोबाइल कैटरिंग सेवाएं ट्रेनों में पेंट्री कार/मिनी पेंट्री (ऑन-बोर्ड स्टोरेज, रीहीटिंग और कूलिंग सुविधा के साथ) या जिन ट्रेनों में पेंट्री कार/मिनी पेंट्री नहीं है, उनमें ट्रेन साइड वेंडिंग (टीएसवी) के माध्यम से प्रदान की जा रही हैं। ट्रेनों में परोसे जाने वाला भोजन प्रारंभिक/मार्गस्थ स्टेशनों से उठाया जाता है और यात्रियों को परोसा जाता है।

31 मार्च, 2023 तक, आईआरसीटीसी ने 474 ट्रेनों में ऑनबोर्ड कैटरिंग सेवाएं प्रदान कीं।

- **वंदे भारत ट्रेन –**

वंदे भारत ट्रेनें भारतीय रेलवे का गौरव हैं। वर्तमान में, आईआरसीटीसी भारतीय रेलवे पर 25 विशेष वंदे भारत ट्रेनों में ऑनबोर्ड खानपान सेवाओं का प्रबंधन कर रहा है।

वंदे भारत ट्रेन के लिए खानपान सेवाओं का मेनू क्षेत्रीय व्यंजनों और यात्रियों की लोकप्रिय मांग के आधार पर तैयार किया जाता है जिसमें बाजरा के खाद्य-पदार्थ भी शामिल हैं।

आईआरसीटीसी ने वंदे भारत खानपान सेवाओं को आकर्षक और पसंदीदा बनाने के लिए निम्नलिखित कार्य करने की योजना बनाई है-

➢ वंदे भारत ट्रेनों में लाइसेंसधारी विशिष्ट वर्दी की शुरूआत।

➢ वंदे भारत ट्रेनों में दोपहर /रात की भोजन सेवा के लिए 4 डिब्बों वाले कैसरोल की शुरूआत।

➢ वंदे भारत ट्रेनों में भोजन की आपूर्ति, रसोई यूनिटों में सीसीटीवी कैमरे लगाना।

➢ भोजन कैसरोल पर क्यूआर कोड, जिससे यात्रियों को भोजन के बारे में जानकारी मिल सके जैसे कि भोज्य सामग्रियों का नाम, तैयार करने की तारीख, रसोई का नाम, बेस किचन का एफएसएसएआई नंबर, ग्रामेज आदि और उस किचन के लाइव सीसीटीवी फुटेज देखने का लिंक।

➢ कॉर्नस्टार्च/खोई/गेहूं स्टार्च आदि से बने बायोडिग्रेडेबल कैसरोल/कंटेनरों का परीक्षण।

- ट्रेन-साइड वेंडिंग

ऐसी अनेक ट्रेनें हैं जिनमें पैंट्री कार या मिनी पैंट्री नहीं हैं। ऐसी मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों में आईआरसीटीसी द्वारा ट्रेन साइड वेंडिंग के माध्यम से ऑनबोर्ड कैटरिंग सेवाओं की व्यवस्था की जाती है। इस व्यवस्था में प्रारंभिक और मार्गस्थ स्टेशनों से सेवा प्रदान करने वालों के लिए भोजन और पेय पदार्थों की व्यवस्था की जाती है।

31 मार्च, 2023 तक आईआरसीटीसी ने 713 ट्रेनों में ट्रेन साइड वेंडिंग की व्यवस्था (अनुभागीय/प्रारंभ से अंत तक) के माध्यम से ऑनबोर्ड कैटरिंग सेवाएं प्रदान की।

- गुणता नियंत्रण

यात्रियों के लिए मानक गुणता वाले भोजन और सेवा में सुधार के लिए, आईआरसीटीसी ने निम्नलिखित व्यवस्था की है-

➢ **नियमित व औचक निरीक्षण –**

आईआरसीटीसी के अंचल के अधिकारियों और रेलवे के नामित अधिकारियों द्वारा ट्रेनों और आईआरसीटीसी की स्थिर यूनिटों में औचक निरीक्षण किया जाता है। इन निरीक्षणों के दौरान पाई गई कमियों पर आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान लगभग 9600 औचक निरीक्षण और 11840 ऑनबोर्ड निगरानी जांच की गईं।

➢ **खाद्य-पदार्थों के नमूने –**

यह सुनिश्चित करने के लिए कि भोजन उपभोग के लिए सुरक्षित है और इसमें कोई हानिकारक मिलावट नहीं है, कच्चे माल, पके हुए भोजन, रेडी टू ईट (आरटीई) और पीएडी वस्तुओं के खाद्य नमूनों का परीक्षण नियमित रूप से एनएबीएल की मान्यताप्राप्त प्रयोगशालाओं में परीक्षण के लिए नमूने भेजकर एफएसएसएआई मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान कच्चे माल, पका हुआ भोजन, आरटीई और पीएडी वस्तुओं के कुल 3337 नमूने एकत्र किए गए और एनएबीएल प्रयोगशालाओं में जांचे गए।

➢ **तृतीय पक्ष द्वारा संरक्षा और स्वच्छता की लेखापरीक्षा –**

आईआरसीटीसी द्वारा स्वच्छता, भोजन की गुणता, बुनियादी ढांचे की सुविधा, एफएसएसएआई नियमों के कार्यान्वयन आदि पर प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए तृतीय पक्ष द्वारा खाद्य संरक्षा और स्वच्छता लेखापरीक्षा कराए जाते हैं। वित्त वर्ष

2022-23 के दौरान, 351 मोबाइल यूनिटों और 185 स्थिर यूनिटों में तृतीय पक्ष द्वारा खाद्य संरक्षा और स्वच्छता लेखापरीक्षा किए गए।

➢ **ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण –**

प्रतिष्ठित पेशेवर एजेंसियों के माध्यम से यात्रियों की प्रतिक्रिया और राय प्राप्त करने के लिए आईआरसीटीसी द्वारा तृतीय पक्ष ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण भी कराया जाता है। वित्त वर्ष 2022-23 में, मेसर्स फोरसाइट रिसर्च एंड कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 30 स्टेटिक यूनिटों और 90 मोबाइल यूनिटों में ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण कराया गया।

➢ **खानपान पर्यवेक्षकों की ऑन–बोर्ड तैनाती –**

आईआरसीटीसी ने सभी प्रीमियम ट्रेनों में खानपान सेवाओं की शुरू से अंत तक निगरानी और सभी मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों की अनुभागीय निगरानी के लिए पर्यवेक्षकों/खानपान सहायकों को तैनात किया है। ऑन–बोर्ड निगरानी कर्मचारी वास्तविक समय के आधार पर यात्रियों की शिकायतों का समाधान भी करते हैं।

➢ **ऑन–लाइन पैनल –**

व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, आईआरसीटीसी ने प्रोप्राइटी आर्टिकल डिपो (पीएडी) और रेडी टू ईट (आरटीई) उत्पादों के लिए ऑनलाइन पैनल बनाने की शुरुआत की है। कोई भी आवेदक अपने कार्यालय या घर में आराम से बैठकर www.irctc.com.html और www.tenderwizard.com/irctc पर ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से आईआरसीटीसी के उत्पादों के पैनल में शामिल होने के लिए आवेदन कर सकता है। आवेदक को आवेदन के परिणाम के बारे में समय पर सूचित किया जाता है।

➢ **एमएसएमई / स्टार्ट–अप की शुरुआत –**

एमएसएमई और स्टार्ट–अप को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की पहल के अनुसार, आईआरसीटीसी ने एमएसएमई और स्टार्ट–अप फर्मों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न छूट प्रदान की है। वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान, आईआरसीटीसी ने भारतीय रेलवे नेटवर्क पर खाद्य पदार्थों की आपूर्ति के लिए एमएसएमई फर्मों द्वारा प्रचारित 08 ब्रांडों को पैनल में शामिल किया है।

➢ **शिकायत निगरानी –**

यात्री मरेल मददफ मॉड्यूल जिसमें यात्रियों को मोबाइल ऐप/वेब प्लेटफॉर्म के माध्यम से शिकायत दर्ज करने की सुविधा प्रदान की गई है, पर खानपान सेवाओं के खिलाफ प्रतिक्रिया दे सकता है या अपनी शिकायत दर्ज करा सकता

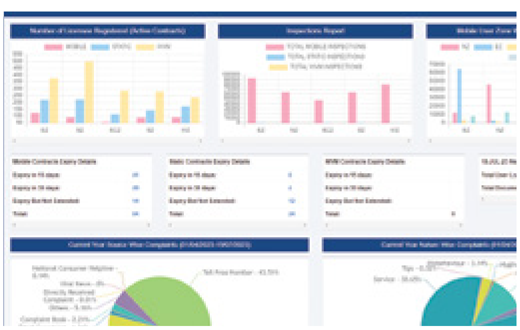

है। शिकायतें दर्ज करने के अन्य कई तरीके भी हैं जैसे, सीपीग्राम, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन, शिकायत पुस्तिकाएं आदि।

आईआरसीटीसी ने एक निगरानी टीम भी गठित की है जो शिकायतों के फीडबैक डेटा को संबंधित विभाग को भेजती है और सोशल मीडिया पर यात्रियों को अंतरिम जवाब देती है। समेकन उद्देश्य के लिए आईआरसीटीसी से संबंधित शिकायतें/प्रतिक्रिया ई सीएसआईएम (कैटरिंग सेवा सूचना प्रबंधन) पर दर्ज की जाती हैं।

➢ **शिकायत निवारण –**

आईआरसीटीसी ने अपने ई–सीएसआईएम प्लेटफॉर्म पर खानपान संबंधी 19891 शिकायतें प्राप्त की और इस अवधि के दौरान सभी शिकायतों का निपटारा किया गया।

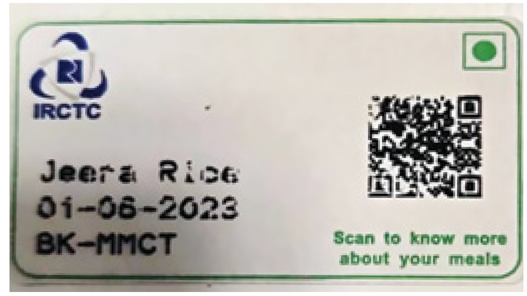

➢ **क्यूआर कोड –**

यात्रियों के लिए तकनीकी सुविधाओं को उन्नत करने के लिए, भोजन तैयार करने की तारीख, रसोई का नाम, एफएसएसएआई, वजन, लाइव सीसीटीवी स्ट्रीमिंग लिंक आदि के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए क्यूआर कोड शुरू किया गया था। ट्रेनों में पका हुआ भोजन फिर से शुरू करने पर रसोई यूनिटों/बेस किचन द्वारा संचालन दोबारा शुरु

करने पर भोजन पैकेट पर क्यूआर कोड का प्रावधान जारी रहा। वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान, आईआरसीटीसी ने 18 उन्नत रसोईघरों में क्यूआर कोड सुविधा प्रदान की। शेष रसोईयों में भी यह सुविधा प्रगामी रूप से शुरु की जा रही है।

➢ **सीसीटीवी निगरानी –**

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान, आईआरसीटीसी ने आईआरसीटीसी पोर्टल पर सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से 36 रसोई घरों की लाइव निगरानी की। पके हुए भोजन और संरक्षा के स्वच्छता स्तर को सुनिश्चित करने के लिए, आईआरसीटीसी ने कार्पोरेट कार्यालय और केंद्रीय नियंत्रण में निगरानी कक्ष के माध्यम से रसोई यूनिटों / बेस रसोई की चौबीसों घंटे निगरानी के लिए आईआरसीटीसी रसोई यूनिटों में सीसीटीवी कैमरे लगाए।

➢ **प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) हैंडहेल्ड बिलिंग मशीनें –**

अधिक कीमत लेने की प्रथा को खत्म करने के लिए, आईआरसीटीसी ने सभी विक्रेताओं के लिए पीओएस मशीनों के माध्यम से चालान जारी करना अनिवार्य कर दिया है। इन मशीनों द्वारा चलती ट्रेन सहित हर लेनदेन के लिए बिल जारी किया जाता है। यह उचित लेखा प्रणाली और नियंत्रण भी

सुनिश्चित करता है। वर्तमान में, सभी यूनिटों, मोबाइल और स्थिर, में पीओएस के माध्यम से बिलिंग का प्रावधान है। भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के तहत सभी ट्रेनों, ट्रेन-साइड वेंडिंग आदि में नकद-रहित लेनदेन के प्रयास किए गए हैं। 31.03.2023 तक, पेंट्री कारों और टीएसवी ट्रेनों के 867 रेक में 2270 पीओएस मशीनें उपलब्ध कराई गईं। इसके अलावा, आईआरसीटीसी के तहत 526 स्थिर खानपान यूनिटों जैसे जलपान कक्ष, जन आहार, सेल किचन, फूड प्लाजा, फास्ट फूड यूनिटों, विश्राम कक्ष, एक्जिक्यूटिव लाउंज और आरवाईएन/बीएनआर होटल में 650 पीओएस मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं।

भावी कार्यनीति –

शिकायतों के लिए वॉर-रूम की स्थापना –

यात्रियों के परिवादों और शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए आईआरसीटीसी द्वारा शिकायतों के लिए वॉर रूम स्थापित किए जाएंगे। वॉर रूम नवीनतम संचार सुविधाओं और पर्याप्त जनशक्ति से लैस होंगे जो आईआरसीटीसी की सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए चौबीसों घंटे कार्य करेंगे।

स्थिर कैटरिंग –

स्थिर खानपान यूनिटें ऐसी यूनिटें हैं जो स्टेशन परिसर में होती हैं और देश भर में यात्रियों को खानपान सेवाएँ प्रदान करती हैं। आईआरसीटीसी निम्नलिखित स्थिर खानपान यूनिटों का संचालन करता है-

- जन आहार (क्षेत्रीय और स्थानीय भोज्य-पदार्थों से युक्त इकोनॉमी कॉम्बो भोजन परोसने वाली यूनिटें);
- ए1 और ए श्रेणी के स्टेशनों पर जलपान कक्ष (ऐसी यूनिटें जहां अ-ला-कार्टे सामान, रेडी-टू-ईट भोजन और थाली भोजन परोसा जाता है);
- बेस किचन;
- फूड प्लाज़ा;
- फास्ट फूड यूनिटें ।

31 मार्च, 2023 तक आईआरसीटीसी ने 182 जलपान कक्ष, 57 जन आहार, 11 बेस किचन और 315 फूड प्लाजा और फास्ट फूड यूनिटों का संचालन किया। जलपान कक्ष और जन आहार रेलवे प्लेटफॉर्म पर होते हैं जिनमें यात्रियों को कम बजट की भोजन सामग्री बेची जाती हैं। जलपान कक्ष और जन आहार के माध्यम से बेची जाने वाले भोज्य पदार्थों का टैरिफ रेल मंत्रालय/आईआरसीटीसी द्वारा विनियमित और अनुमोदित किया जाता है। इन यूनिटों पर बेची जाने वाले भोज्य पदार्थों की सूची उनकी कीमतों के साथ रेल मंत्रालय/आईआरसीटीसी द्वारा प्रदान की जाती है। ये यूनिटें आमतौर पर प्लेटफ़ॉर्म पर यात्रियों को सामान बेचती हैं और कभी-कभी चलती ट्रेनों में भोजन की आपूर्ति करती हैं।

- **जन आहार –**

  जन आहार रेलवे द्वारा प्राधिकृत स्नैक्स और ए-ला-कार्टे खाद्य पदार्थ, मानक नाश्ता, मानक भोजन, जनता खाना परोसता है। इसके अलावा, जन आहार एमआरपी के आधार पर वातित पेय पदार्थ, बिस्कुट, चिप्स, नमकीन, चॉकलेट और रेडी टू ईट भोजन (आरटीई) और रेलनीर पीडीडब्ल्यू आदि जैसे पैक किए गए आइटम के अनुमोदित ब्रांड भी प्रदान करता है।

- **जलपान कक्ष –**

  आईआरसीटीसी सभी स्टेशनों पर ए1 और ए श्रेणी के स्टेशनों पर जलपान कक्ष का प्रबंधन करता है। ये यूनिटें आम तौर पर स्टेशन भवन में ही होती हैं। इन यूनिटों में परोसे जाने वाले खाद्य पदार्थों में स्नैक्स, ए-ला-कार्टे खाद्य पदार्थ, मानक नाश्ता/भोजन, जनता खाना आदि भी होते हैं। पके हुए खाद्य पदार्थों का शुल्क विनियमित है। इसके अलावा, वातित पेय, बिस्कुट, चिप्स, नमकीन, चॉकलेट और रेडी टू ईट भोजन (आरटीई) और रेलनीर पीडीडब्ल्यू आदि जैसे पैक किए गए आइटम के अनुमोदित ब्रांड भी परोसे जाते हैं।

- **बेस किचन का प्रबंधन –**

  बेस किचन रेलवे परिसर के आसपास स्थापित खाना पकाने और पैकिंग एक बड़ी सुविधा होती है जहां से भोजन तैयार किया जाता है और ट्रेनों में वितरित किया जाता है। बेस किचन से यात्रियों को सीधे खाद्य पदार्थों की बिक्री नहीं होती है। बेस किचन से भोजन की आपूर्ति सभी तरह की ट्रेनों में की जाती है। 31.03.2023 तक आईआरसीटीसी ने कुल 11 बेस किचन का प्रबंधन किया है।

- **किचन का उन्नयन –**

  खानपान नीति-2017 में निहित प्रावधानों के अनुसार और खानपान सेवाओं की अनबंडलिंग करने के लिए, आईआरसीटीसी ने 2017 से 2020 तक 48 रसोई को अपग्रेड किया है। रसोई यूनिटों/बेस किचनों से भोजन की आपूर्ति की सुविधा अधिकाधिक ट्रेनों में देने के लिए, आईआरसीटीसी ने ट्रेनों में भोजन आपूर्ति के लिए 50 अतिरिक्त रसोई की पहचान की है। वर्ष 2022-23 के

दौरान, इन 50 चिन्हित रसोई में से, आईआरसीटीसी ने भोजन उत्पादन के लिए आधुनिक और मशीनीकृत रसोई उपकरणों को विधिवत्□ स्थापित करते हुए 15 रसोई को उन्नत किया है। उन्नत रसोई में भोजन के पैकेटों पर क्यूआर कोड, सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से लाइव निगरानी और प्रयोगशाला परीक्षण के लिए खाद्य नमूनों के संग्रह के लिए खाद्य सुरक्षा पर्यवेक्षकों (एफएसएस) की तैनाती की सुविधा होगी।

- **फूड प्लाज़ा (एफपी) / फास्ट फूड यूनिट (एफएफयू) –**

  फूड प्लाजा एक बहु-व्यंजन प्लाजा है, जिसमें यात्रियों को खाने के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन विकल्प प्रदान किए जाते हैं। फूड प्लाज़ा आम तौर पर बहु-व्यंजन भोजन प्रदान करते हैं और इनमें रसोई और बैठकर खाने की सुविधा होती है।

  फ़ास्ट फूड यूनिटें खाद्य और पेय पदार्थ की खुदरा दुकानें हैं जिनमें फ़ास्ट फूड सामग्रियां स्व-सेवा काउंटरों के माध्यम से बेची जाती हैं। फास्ट फूड यूनिटों में, ग्राहकों को टेक-अवे पैकेट में पैक किया हुआ भोजन परोसा जाता है। फूड प्लाजा और फास्ट फूड यूनिटों में खाद्य पदार्थों की दरें बाजार द्वारा संचालित होती हैं। 31.03.2023 तक, आईआरसीटीसी ने भारतीय रेलवे नेटवर्क पर 315 फूड प्लाजा और फास्ट फूड यूनिटों का प्रबंधन किया।

ई–कैटरिंग

यात्रा के दौरान गुणतायुक्त और तरह-तरह के व्यंजन उपलब्ध कराने के लिए, आईआरसीटीसी ने चुने हुए स्टेशनों पर ट्रेनों में भोजन वितरण के लिए अपनी नई ई-कैटरिंग वेबसाइट और मोबाइल ऐप (फूड ऑन ट्रैक) प्रस्तुत की है। त्रेक्षश्रश झश्रू और ळर्द्मीपशी से डाउनलोड करते हुए यात्री अब आसानी से अपने एंड्रॉइड या ळजड स्मार्ट फोन पर ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं और विभिन्न खाद्य भागीदारों से ट्रेनों में स्वादिष्ट और किफायती भोजन का आनंद उठा सकते हैं। ई-कैटरिंग के तहत बुक किए गए भोजन की कीमतें बाजार आधारित होती हैं, जहां मेनू रेस्तरां तय करते हैं।

ई–कैटरिंग में वृद्धि

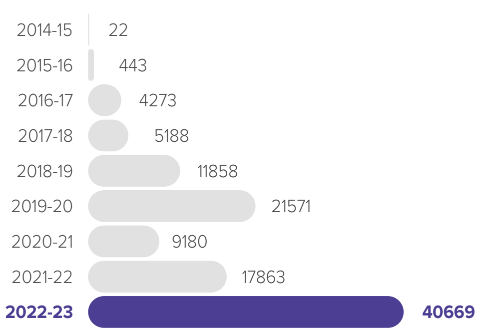

*प्रति दिन औसत भोजन बुक किया गया

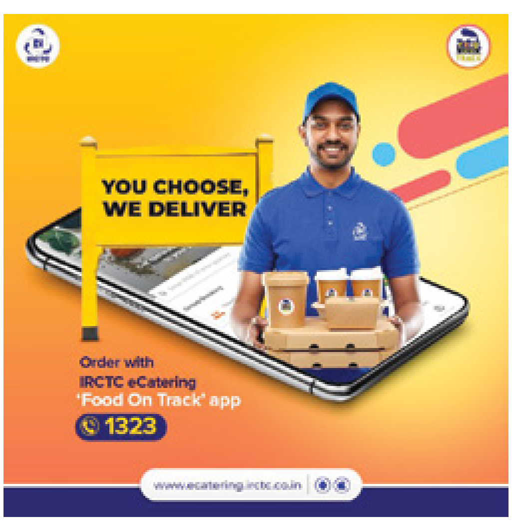

इस नए ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप के साथ, यात्री केवल अपने यात्रा विवरण जैसे पीएनआर नंबर, ट्रेन का नाम, सीट/बर्थ नंबर दर्ज करते हुए ट्रेन में खाना मंगवा सकते हैं और ट्रेन में स्वादिष्ट और त्वरित भोजन प्राप्त कर सकते हैं। ट्रेन में ऑनलाइन भोजन वितरण की यह प्रभावी प्रणाली न केवल आपकी सीट पर स्वादिष्ट भोजन की गारंटी देती है बल्कि रेलवे भोजन का विशेष मेनू भी आपकी यात्रा को थोड़ा और मजेदार बनाता है। स्टेशनों पर कई भोजन प्रदाताओं के होने से, यात्री अब उत्तर भारतीय से लेकर दक्षिण भारतीय, पिज्जा से लेकर मुंह में पानी ला देने वाली बिरयानी, बटर चिकन और चीनी व्यंजनों आदि जैसे मनपसंद भोजन का आनंद ले सकते हैं।

आईआरसीटीसी ई-कैटरिंग में बी2सी भागीदारों को शामिल किया गया है। ग्राहकों तक पहुंचने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए खुळसे, उेपषळीीिंझीं, चरज्ञश चू ढीळ, धरींीर, ठरळश्रेषू आदि जैसे कुछ भागीदारों को पहले ही लाइव कर दिया गया है।

ई-कैटरिंग सेवाओं से जुड़े कुछ प्रमुख ब्रांड डोमिनोज पिज्जा, सबवे, हल्दीराम, फासोस, ए2बी, सर्वना भवन, निरूला आदि हैं।

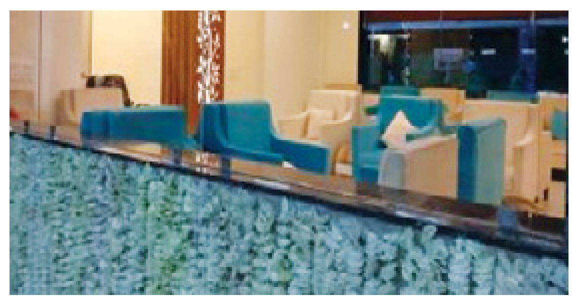

- **व्हाट्सऐप द्वारा ई–कैटरिंग ऑर्डर की बुकिंग –**

  आईआरसीटीसी ने हाल ही में ई-कैटरिंग की मार्केटिंग के लिए व्हाट्सएप लॉन्च किया है। अगले चरण में, आईआरसीटीसी ई-कैटरिंग ऑर्डर की बुकिंग के लिए व्हाट्सएप पर एक चैटबॉट/एआई लॉन्च करने की योजना बना रहा है। इस सेवा से यात्रियों को व्हाट्सएप के माध्यम से भोजन और पेय पदार्थ बुक करने में आसानी होगी। इस सेवा से आईआरसीटीसी को राजस्व बढ़ने और ग्राहक सुविधा में सुधार होने की उम्मीद है। कंपनी को पूरा विश्वास है कि व्हाट्सएप बुकिंग सुविधा यात्रियों के बीच लोकप्रिय होगी।

- **एक्जिक्यूटिव लाउंज –**

  आईआरसीटीसी ने स्टेशनों पर एक्जिक्यूटिव लाउंज का प्रबंधन अनिवार्य किया है। स्टेशनों पर एक्जिक्यूटिव लाउंज में भुगतान के आधार पर यात्रियों को कपड़े धोने और कपड़े बदलने, वाई-फाई इंटरनेट, लाइव टीवी, चैनल संगीत, समाचार पत्र/पुस्तक स्टैंड, बुफे सेवाएं, प्रस्थान-पूर्व और आगमन के बाद सहायता के लिए द्वारपाल सेवाएं आदि जैसी सेवाएं प्रदान की जाती हैं। 31 मार्च, 2023 तक, आईआरसीटीसी ने 8 स्टेशनों नामत: नई दिल्ली (पहाड़गंज साइड और अजमेरी गेट साइड), आगरा कैंट, जयपुर, अहमदाबाद, मदुरै, सियालदा और वाराणसी में एक्जिक्यूटिव लाउंज का संचालन किया।

- **विश्राम कक्ष –**

  आईआरसीटीसी यात्रियों के लिए आवास सुविधाओं में सुधार करने और किफायती और आरामदायक रहने की सुविधा प्रदान करने के लिए प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर विश्राम कक्ष का प्रबंधन करता है। विश्राम कक्षों में वातानुकूलित कमरे और शयनगृह, गुणतायुक्त लिनेन, सामान के लिए लॉकर सुविधा, एलईडी टेलीविजन, सभी बुनियादी सुविधाओं जैसे शौचालय, गीजर, शॉवर आदि के साथ बाथरूम, पेंट्री और हाउसकीपिंग सेवाएं जैसी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। 31 मार्च, 2023 तक आईआरसीटीसी ने 26 विश्राम कक्षों का संचालन किया। आईआरसीटीसी ने रेल मंत्रालय से 100 से अधिक साइटें ली हैं, जो टेंडर की प्रक्रिया में हैं।

- **रेल यात्री निवास / बीएनआर होटल –**

  आईआरसीटीसी रेल यात्री निवास/बीएनआर होटलों का विकास, संचालन और रखरखाव भी करता है। ये साइटें सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से तीसरे पक्ष को उप-लाइसेंस अधिकार देने की अनुमति के साथ आईआरसीटीसी को लाइसेंस पर दी गई हैं। 31 मार्च, 2023 तक, आईआरसीटीसी ने हावड़ा में एक रेल यात्री निवास और पुरी और रांची में दो बीएनआर होटलों का संचालन किया।

- **बजट होटल –**

  आईआरसीटीसी की योजना होटलों की एक सुनियोजित शृंखला का नेटवर्क बनाने की है जो किफायती/बजट यात्रियों के लिए होगा। निम्नलिखित स्थानों पर होटल निर्माणाधीन हैं –

  - **लखनऊ में बजट होटल –** लखनऊ में 125 विशेष बजट होटल की स्थापना का कार्य उन्नत चरण में है। इन होटलों को पीपीपी मॉडल के माध्यम से 20 करोड़ रुपये के निवेश के साथ स्थापित किया जा रहा है। इन होटलों में पर्यटकों और एमआईसीई की मांग को पूरा करने की सुविधाएं होंगी। लखनऊ में बजट होटल का कार्य दिसंबर, 2023 तक पूरा होने की अपेक्षा है।
  - **खजुराहो में बजट होटल –** खजुराहो में 60 विशेष बजट होटलों की स्थापना का कार्य प्रगति में है। इन होटलों का विकास पीपीपी मॉडल के माध्यम से 7 करोड़ रुपये के निवेश के साथ किया गया है। खजुराहो में बजट होटल का कार्य दिसंबर, 2024 तक पूरा होने की अपेक्षा है।
  - **केवडिया में बजट होटल –** स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में पर्यटकों की संख्या में वृद्धि और केवडिया के आगामी पर्यटन स्थल की पर्यटन संभावना का दोहन करने के लिए, आईआरसीटीसी इस शहर में 500 प्रमुख बजट होटल सुविधा बनाने जा रहा है। पहले चरण में, केवडिया में पीपीपी मॉडल के माध्यम से 20 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 125 प्रमुख बजट होटलों की स्थापना का काम प्रगति पर है। केवडिया में बजट होटल का कार्य दिसंबर, 2024 तक पूरा होने की अपेक्षा है।
  - **प्रक्रियाधीन अन्य होटल –** अखिल भारतीय उपस्थिति के लिए, आईआरसीटीसी ने भूमि आवंटन के लिए अन्य राज्य सरकारों यानी हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, मेघालय, आंध्र प्रदेश, नागालैंड और जम्मू-कश्मीर से संपर्क किया है जो इस प्रकार है –

    ए. **गोवा में बजट होटल का विकास –** गोवा सरकार ने गोवा में बजट होटल के विकास के लिए पहले ही भूमि आवंटित कर दी है। बजट होटल बनाने का कार्य प्रगति में है।

    बी. **अयोध्या, उत्तर प्रदेश में बजट होटल का विकास –** उत्तर प्रदेश सरकार ने पवित्र नगरी अयोध्या में बजट होटल के विकास के लिए पहले ही जमीन चिह्नित कर ली है।

    सी. **कोहिमा, नागालैंड में बजट होटल का विकास –** नागालैंड सरकार ने कोहिमा, नागालैंड में बजट होटल की स्थापना के लिए आईआरसीटीसी से संपर्क किया है। उपरोक्त परियोजना के लिए आईआरसीटीसी को भूमि आवंटित करने की चर्चा अंतिम चरण में है।

भावी कार्यनीति –

1. **ए1 और ए श्रेणी के स्टेशनों में फूड प्लाजा और फास्ट फूड यूनिट के लिए नई साइटों की पहचान –**

   बाजार संचालित दरों और मानक खानपान सेवाएं प्रदान करने के लिए, रेलवे बोर्ड से फूड प्लाजा और फास्ट फूड यूनिटों की स्थापना के लिए 146 स्टेशनों पर नई साइटें सौंपने का अनुरोध किया गया है।

2. **स्टेशनों में ब्राउन फील्ड रसोई यूनिटों का उन्नयन –**

   आईआरसीटीसी ने रेलवे स्टेशन परिसर में ऐसे 45 रसोई यूनिटों की पहचान की है जो मोबाइल यूनिटों को गुणतायुक्त भोजन की आपूर्ति करने के लिए उन्नयन की प्रक्रिया में हैं।

3. **स्टेशनों में ग्रीन फील्ड बेस किचन की स्थापना –**

   आईआरसीटीसी ने ग्रीन फील्ड बेस किचन स्थापित करने के लिए मोबाइल यूनिटों को गुणतायुक्त भोजन की आपूर्ति के लिए 05 चिन्हित स्थानों पर जगह के लिए अंचल रेलवे से अनुरोध किया है।

4. **रेल यात्री निवास और बीएनआर होटल –**

15 वर्ष की अवधि पूरी होने के बाद, 12 वर्ष और 11 वर्ष की शेष अवधि के लिए क्रमशः बीएनआर/पुरी और आरवाईएन/हावड़ा के लिए नई निविदा आमंत्रित की गई है। इन यूनिटों को वित्त वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही में चालू किया जाना है।

5. **विश्राम कक्ष और शयनगृह –**

स्टेशनों पर आवास सेवाओं और आईआरसीटीसी के राजस्व को बढ़ाने के उद्देश्य से, विशेष रूप से ए1 और ए श्रेणी के स्टेशनों पर विश्राम कक्षों की 100 से अधिक साइटों को आईआरसीटीसी को सौंपने के लिए जोनल रेलवे को निर्देश जारी करने का अनुरोध रेलवे बोर्ड से किया गया है।

रेलवे इतर कैटरिंग (एनआरसी) –

आईआरसीटीसी संस्थागत खानपान सहित विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी कार्यालयों के आउटडोर कार्यक्रमों के लिए रेलवे इतर खानपान परियोजनाओं (एनआरसी) जैसे कैंटीन, कैफेटेरिया, कियोस्क आदि का प्रबंधन करता है। वर्तमान में आईआरसीटीसी भारत भर में 08 एनआरसी यूनिटों का संचालन कर रहा है।

यात्रा और पर्यटन

आईआरसीटीसी ने ग्राहक को प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण के साथ बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए होटल, परिवहन कंपनियों आदि जैसे विभिन्न सेवा प्रदाताओं के साथ गठजोड़ करते हुए कोविड-19 की प्रतिकूल परिस्थिति का उपयोग किया है। कोविड-19 से संबंधित प्रतिबंध हटने और टीकाकरण अभियान के साथ, यात्रियों को अपने घरों से बाहर यात्रा करने का डर कम हो रहा था। कोविड-19 वैश्विक महामारी फैलने से बचने के उपाय करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) में संशोधन और आईआरसीटीसी द्वारा अपनाए गए नए सामान्य दिशानिर्देश जारी करने के साथ, पर्यटन विभाग का व्यवसाय काफी बढ़ा है।

रेलवे पीएसयू होने के नाते, आईआरसीटीसी रेल आधारित उत्पादों में विशेषज्ञ है और इस क्षेत्र में बाजार का अग्रणी है। आईआरसीटीसी बाजार में यात्रा और पर्यटन की अग्रणी कंपनियों में से है, जो पर्यटकों की विभिन्न क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करती है, चाहे वह भूमि हो, अनुकूलित या एलटीसी पैकेज हो। रेल आधारित पर्यटन उत्पादों के अलावा, आईआरसीटीसी अत्यधिक प्रतिस्पर्धी पर्यटन बाजार में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए कई अन्य पर्यटन व्यवसायों में भी विविधता लाई है। विरासत, संस्कृति, रोमांच, चिकित्सा कल्याण और विशेष रुचि के पर्यटन पर आधारित नए पैकेजों की योजना बनाकर अतिरिक्त नई संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। लॉकडाउन के दौरान पर्यटन टीम द्वारा की गई कड़ी मेहनत के परिणामस्वरूप आकर्षक, प्रतिस्पर्धी और किफायती टूर पैकेज शुरु किए गए हैं। एक ही स्थान पर विभिन्न पर्यटन उत्पादों के प्रदर्शन और बुकिंग के लिए आईआरसीटीसी के पास अपना विशेष पर्यटन पोर्टल www.irctctourism.com है, जो नीचे उल्लिखित है –

आईआरसीटीसी के पर्यटन उत्पाद और सेवाएं

देशीय यात्रा पैकेज
- रेल यात्रा पैकेज
- हॉलीडे पैकेज
- चार्टर ट्रेन / कोट के पैकेज
- आवश्यकता अनुरूप यात्राएं
- एलटीसी टूर
- देशीय हवाई पैकेज
- शैक्षणिक यात्राएं

इनबाउंड टूरिस्ट टूर
- महाराजा एक्सप्रेस
- गोल्डन चैरिएट
- बुद्धिस्ट विशेष टूरिस्ट ट्रेन (डीलक्स टूरिस्ट ट्रेन)

आईआरसीटीसी कार्पोरेट ट्रेनें

मास टूरिज्म
- भारत गौरव ट्रेन
- राज्य विशेष टूरिस्ट ट्रेन
- चुनाव विशेष ट्रेनें

आउटबाउंड टूर पैकेज

हवाई टिकट और कार्पोरेट यात्राएं
- एयर टिकटिंग
- कार्पोरेट ट्रैवल

पर्यटन संबंधी अन्य कार्यकलाप
- इवेंट मैनेजमेंट
- चार्टर ट्रेन और कोट की बुकिंग
- पर्वत व विरासत के चार्टर
- सैलून टूर और चार्टर
- आवास सुविधाओं का ऑनलाइन आरक्षण
- क्रूज़ पैकेज
- वीसा और फॉरेक्स

सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में फॉलोअर्स के कारण, आईआरसीटीसी ने विभिन्न मार्केटिंग गतिविधियों, विशेष रूप से डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे भारत में उत्पादों की मार्केटिंग की है।

आईआरसीटीसी ने कई लैंड टूर पैकेज, घरेलू हवाई पैकेज, राज्य विशेष ट्रेनें, आवश्यकता अनुरूप यात्राएं पैकेज, भारत गौरव ट्रेनें, डीलक्स पर्यटक ट्रेन और आईआरसीटीसी कार्पोरेट ट्रेनें आदि शुरु की और संचालित कीं।

पर्यटन उत्पादों का कार्य-निष्पादन नीचे दिया गया है –

घरेलू पर्यटन

i. **रेल टूर पैकेज –** आईआरसीटीसी उचित दरों पर आने-जाने की संपुष्टि रेल यात्रा, सड़क स्थानांतरण, आवास, भोजन और दर्शनीय स्थलों की यात्रा जैसी सभी समावेशी सेवाओं के साथ व्यापक

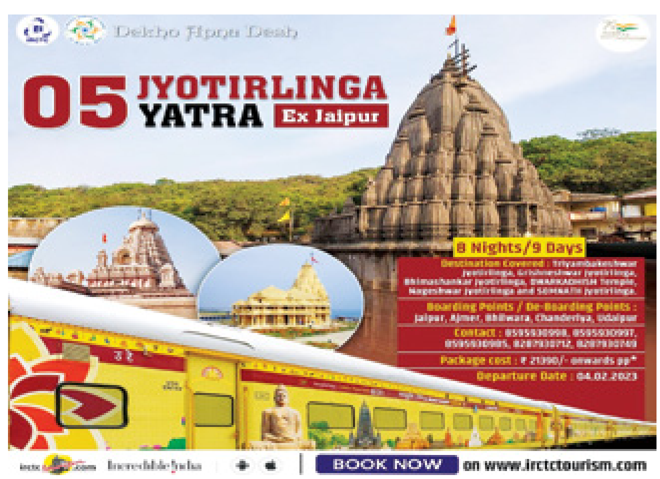

पैकेज प्रदान करता है। रेल टूर पैकेज का कारोबार वित्त वर्ष 2021- 22 में 5,341 पर्यटकों से बढ़कर वित्त वर्ष 2022- 23 में 21,741 पर्यटकों तक पहुंच गया है।

ii. **हॉलीडे पैकेज –** आईआरसीटीसी हॉलिडे पैकेज (लैंड पैकेज) भी संचालित करता है जिसमें सड़क स्थानांतरण, आवास, भोजन और दर्शनीय स्थल शामिल हैं। इस पैकेज के लिए, यात्रियों को गंतव्य पर पहुंचने पर (रेलवे स्टेशन से हो/हवाई अड्डे से हो /बस स्टैंड से हो) सेवाएं प्रदान की जाती हैं। वित्त वर्ष 2021- 22 में कुल 56,854 यात्रियों ने आईआरसीटीसी के लैंड पैकेज का लाभ उठाया जो वित्त वर्ष 2022- 23 में बढ़कर 62,396 यात्रियों तक पहुंच गया।

iii. **चार्टर कोच और ट्रेन के पैकेज –** ये सभी पैकेज रेल टूर पैकेज जैसे समावेशी पैकेज हैं जिनमें ट्रेन यात्रा की व्यवस्था आईआरसीटीसी द्वारा चार्टर्ड कोच या ट्रेनों के माध्यम से की जाती है। वित्त वर्ष 2021- 22 में आईआरसीटीसी ने 2,558 यात्रियों के लिए चार्टर ट्रेनों/कोचों के साथ 14 आरटीपी संचालित किए, जबकि वित्त वर्ष 2022-23 में 1,120 यात्रियों के साथ 14 आरटीपी चार्टर कोच टूर संचालित किए।

iv. **आवश्यकता अनुरूप टूर पैकेज –** ये पैकेज पर्यटकों की आवश्यकता जैसे बजट, विलासिता का स्तर, पसंदीदा स्थान, ठहरने की अवधि आदि के आधार पर तैयार किए जाते हैं। पिछले वर्ष के 1,155 पर्यटकों की तुलना में वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान कुल 7,418 पर्यटकों ने इन पैकेजों का लाभ उठाया यानी 542% की वृद्धि हुई।

v. **छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी) –** भारत सरकार ने एलटीसी पर्यटन के संचालन के लिए आईआरसीटीसी को तीन सरकारी उपक्रमों में से एक उपक्रम के रूप में प्राधिकृत किया है। आईआरसीटीसी सरकारी कर्मचारियों को सामान्य और आवश्यकता अनुरूप एलटीसी पैकेज प्रदान करता है। आईआरसीटीसी के सभी दौरे एलटीसी यात्रा के लिए योग्य हैं। वर्ष के दौरान, आईआरसीटीसी ने 27 यात्रियों के लिए विशेष एलटीसी पैकेज सेवा की व्यवस्था की।

vi. **घरेलू हवाई पैकेज –** आईआरसीटीसी ने सभी अंचलों से शिरडी, गोवा, दिल्ली, तिरूपति, गंगटोक, दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, अंडमान और निकोबार, लद्दाख, श्रीनगर, मुंबई, पुरी, कोणार्क, अयोध्या और अन्य स्थानों के लिए विभिन्न घरेलू हवाई पैकेज संचालित किए। आईआरसीटीसी घरेलू हवाई पैकेज की बुकिंग करने वाले प्रत्येक यात्री को 10 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा बीमारक्षा प्रदान

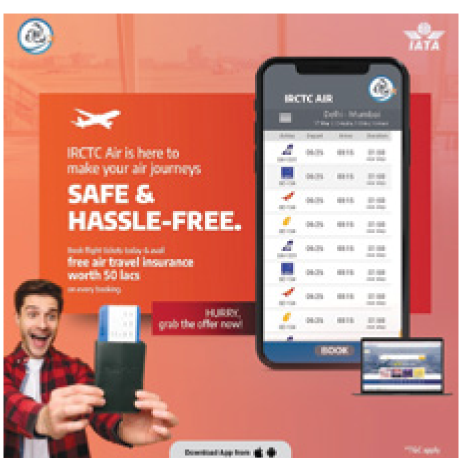

करता है। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, आईआरसीटीसी ने 649 घरेलू हवाई पैकेज संचालित किए और 13,944 यात्रियों को सेवाएं प्रदान कीं, जो पिछले वर्ष (यानी वित्त वर्ष 2021-22) से अधिक है, जब आईआरसीटीसी ने 5,085 यात्रियों के साथ केवल 249 घरेलू हवाई पैकेज संचालित किए थे। यात्रियों की संख्या के मामले में व्यवसाय में 174% की वृद्धि हुई।

vii. **शैक्षणिक यात्राएं –** आईआरसीटीसी अपनी "ट्रैवल टू लर्न" योजना के तहत छात्रों के लिए शैक्षणिक यात्राएं संचालित करता है और इसके लिए विभिन्न राज्य सरकारों के साथ-साथ निजी स्कूलों के साथ गठजोड़ किया है। वर्ष 2022-23 के दौरान, आईआरसीटीसी ने निम्नलिखित विभिन्न शैक्षणिक यात्राएं संचालित की –

ए. तमिल काशी संगमम – इसमें आईआईटी मद्रास से बीएचयू, वाराणसी तक की यात्रा कर रहे 2,592 प्रतिभागियों को सेवाएँ प्रदान की।

बी. एक भारत श्रेष्ठ भारत (ईबीएसबी) के तहत उत्तर पूर्व युवा संगम यात्राएं, शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित 28 उच्च शैक्षणिक संस्थानों ने 14 सुमेलित संस्थानों के साथ यात्रा की। कुल लगभग 1,250 प्रतिभागियों ने 29 यात्राएं की जिसमें आईआरसीटीसी ने आद्योपांत सेवाएं प्रदान की।

सी. अन्य शैक्षणिक कार्यक्रम।

इनबाउंड टूरिस्ट टार्गेटेड टूर

i. **महाराजा एक्सप्रेस –** महाराजा एक्सप्रेस ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लक्जरी पर्यटन के क्षेत्र में आईआरसीटीसी की विशेष छवि बनाई है। महाराजा एक्सप्रेस चार अलग-अलग यात्रा कार्यक्रमों पर चलती है जिनमें से तीन यात्रा कार्यक्रम 6 रात / 7 दिन और एक 3 रात / 4 दिन का है जिनमें उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, रणथंभौर, आगरा, खजुराहो और वाराणसी जैसे दर्शनीय स्थल शामिल हैं। यात्रा कार्यक्रम ट्रेन की वेबसाइट https://www.the-maharajas.com/ पर प्रस्थान तिथियों के साथ अपलोड किए गए हैं। यह ट्रेन सितंबर से अप्रैल तक पर्यटन के मौसम में संचालित की जाती है।

वित्त वर्ष 2022-23 में, आईआरसीटीसी ने 975 पर्यटकों (प्रदत्त यात्री) के लिए 23 यात्राओं का संचालन किया।

ii. **गोल्डन चैरिएट –** कर्नाटक राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा दक्षिण भारत में संचालित की जाने वाली एकमात्र लक्जरी ट्रेन गोल्डन चैरियट को 19 नवंबर, 2019 को निगम और आईआरसीटीसी के बीच हस्ताक्षरित एक समझौते के माध्यम से 10 वर्षों की अवधि के लिए विपणन, संचालन और रखरखाव के लिए आईआरसीटीसी द्वारा अधिग्रहित किया गया था और इस ट्रेन का वास्तविक अधिकार आईआरसीटीसी द्वारा जनवरी, 2020 में लिया गया।

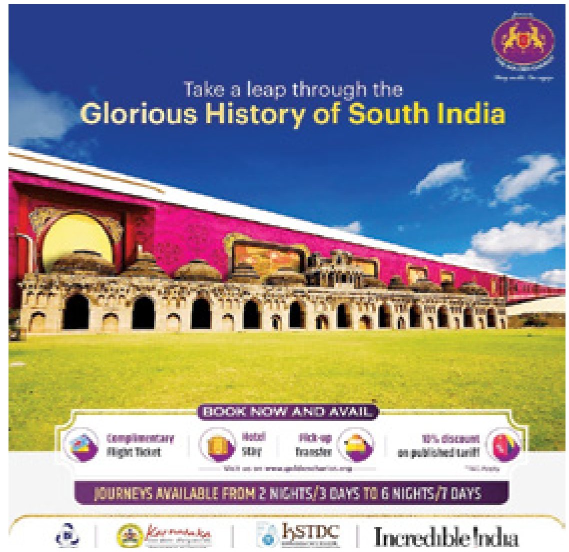

सीज़न 2023-24 और 2024-25 के लिए ट्रेन के यात्रा कार्यक्रम और प्रस्थान की तारीखें पहले ही आधिकारिक वेबसाइट www.goldenhariot.org पर घोषित और प्रकाशित की जा चुकी हैं। तीन यात्रा कार्यक्रम यानी कर्नाटक का गौरव (5 रातें/6 दिन), ज्वेल्स ऑफ साउथ (5 रातें/6 दिन) और कर्नाटक की झलक (3 रातें/4 दिन) के लिए कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और गोवा में विभिन्न दर्शनीय स्थलों की योजना बनाई गई है।

वित्त वर्ष 2022-32 में, आईआरसीटीसी ने 22 अतिथियों के साथ गोल्डन चैरिएट की एक यात्रा संचालित की।

iii. **बुद्धिस्ट सर्किट विशेष ट्रेन –** आईआरसीटीसी 2007 से बौद्ध सर्किट स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन का संचालन कर रहा है। यह पूरी तरह से वातानुकूलित ट्रेन है जिसमें 7 रात और 8 दिनों का विशेष

पैकेज दिया जाता है और जिसमें भारत के सभी प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थानों और नेपाल के लुंबिनी का भ्रमण कराया जाता है। बौद्ध सर्किट ट्रेन के नए रेक में दो डाइनिंग कार, वैक्यूम बायो-टॉयलेट, एयर सस्पेंशन स्प्रिंग्स, सुरक्षा लॉकर, साइड सीटिंग सुविधा के साथ संशोधित 2एसी कोच, ऑन-बोर्ड हाउसकीपिंग और सुरक्षा, सीसीटीवी कैमरा सुरक्षा, दुर्घटना बीमा सुविधा, फुट मसाजर और मिनी लाइब्रेरी आदि जैसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इस यात्रा का कार्यक्रम ट्रेन की वेबसाइट www.irctcbuddhisttrain.com पर प्रस्थान तिथियों के साथ अपलोड किया गया है। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, आईआरसीटीसी ने 44 पर्यटकों के साथ बौद्ध सर्किट की 01 यात्रा संचालित की।

iv. **डीलक्स टूरिस्ट ट्रेन –** आईआरसीटीसी घरेलू पर्यटकों को लक्षित करने वाले विभिन्न पर्यटक सर्किटों को संचालित करने के लिए बौद्ध स्पेशल ट्रेन रेक के उपयोग को बढ़ाने के लिए काम कर रहा है और डीलक्स पर्यटक ट्रेनें शुरु की हैं। वित्त वर्ष 2022-23 में, आईआरसीटीसी ने 789 यात्रियों के साथ 04 यात्राएं संचालित की। आईआरसीटीसी ने भारत गौरव ट्रेन नीति के तहत ट्रेन की न्यूनतम संरचना के अनुरूप इस ट्रेन में अतिरिक्त 02 3एसी कोच प्रारंभ करने के लिए रेलवे से अनुरोध किया है।

v. **आउटबाउंड टूर पैकेज –** वित्त वर्ष 2022-23 में, आईआरसीटीसी ने 3,195 पर्यटकों को सेवाएं प्रदान करते हुए 95 आउटबाउंड पैकेज संचालित किए हैं।

एयर टिकटिंग और कार्पोरेट यात्राएं

i. **ऑनलाइन एयर टिकटिंग –** आईआरसीटीसी की एयर-टिकटिंग माइक्रो-साइट www.air.irctc.co.in ऑनलाइन ट्रैवल एजेंटों (ओटीए) के अन्य पोर्टलों की तुलना में बाजार में सबसे कम सुविधा शुल्क के साथ बहुत प्रतिस्पर्धी कीमतों पर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग सुविधा प्रदान करती है।

आईआरसीटीसी का मोबाइल ऐप एंड्रॉइड और आईओएस उपयोगकर्ताओं के लिए चलते-फिरते हवाई टिकट बुक करने की सुविधा प्रदान करता है। वित्त वर्ष 2022-23 में आईआरसीटीसी के माध्यम से प्रतिदिन बुक किए गए हवाई टिकटों की औसत संख्या 5322 थी, जबकि वित्त वर्ष 2021-22 में यह 2440 थी। आईआरसीटीसी वेब पेज और ऐप के माध्यम से की गई सभी बुकिंग के लिए यात्रियों को रु.50 लाख का मानार्थ यात्रा बीमा कवरेज प्रदान करता है।

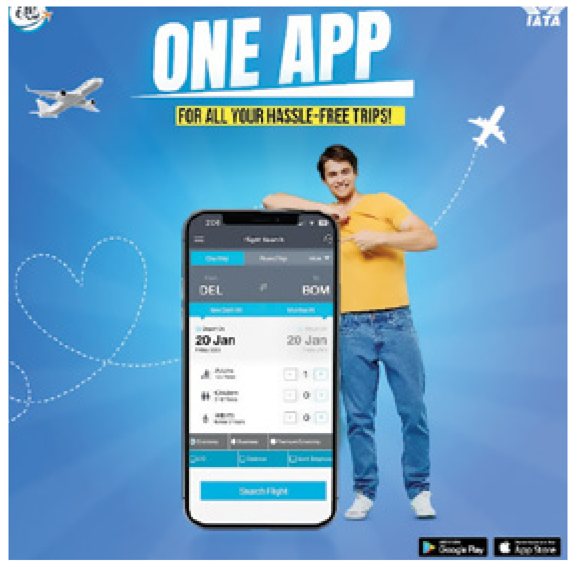

ii. **कार्पोरेट ट्रैवल बिज़नस –** आईआरसीटीसी कार्पोरेट के लिए संपूर्ण यात्रा समाधान प्रदान करता है जिसमें हवाई टिकट, एलटीसी टिकटों सहित घरेलू बुकिंग के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय टिकट, होटल बुकिंग, वीजा सुविधा, बीमा आदि शामिल हैं। आईआरसीटीसी ने पीएसयू/ मंत्रालयों / सरकारी विभागों आदि और संगठनों के साथ बेहतर समन्वय के साथ अधिक गठजोड़ करने के लिए अंचल स्तर पर व्यवसाय को विकेंद्रीकृत किया है। आईआरसीटीसी ने कार्पोरेट यात्रा सेवाएं प्रदान करने के लिए 175 से अधिक पीएसयू/मंत्रालयों/सरकारी विभागों और संस्थानों के साथ गठजोड़ किया है।

मास टूरिज़्म

i. **भारत गौरव ट्रेनें –** आईआरसीटीसी ने उचित मूल्य पर घरेलू बाजार में रेल आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा उपलब्ध कराए गए और खरीदे गए एलएचबी रेक के साथ पूरे भारत में भारत गौरव ट्रेनों का परिचालन शुरू किया है। रेलवे बोर्ड द्वारा जारी नीति में बदलाव के साथ, सभी पर्यटक ट्रेनें "भारत गौरव नीति" के अंतर्गत आती हैं। भारत गौरव ट्रेनों के संचालन के लिए आईआरसीटीसी ने पहले ही 2 रेक के साथ भारत भर के लिए अतिरिक्त 8 रेक के लिए अनुरोध किया था।

पूरे भारत में कुल 08 रेक परिचालन में हैं और भारत गौरव ट्रेन यात्राएं संचालित कर रही हैं। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, आईआरसीटीसी ने ऐसी 10 यात्राएं (कर्नाटक सरकार के लिए संचालित 03 यात्राओं सहित) संचालित की और 5,330 यात्रियों को सेवा प्रदान की।

ii. **राज्य तीर्थ विशेष यात्राएं –**

ए. **राज्य विशेष ट्रेन यात्राएं –** आईआरसीटीसी विभिन्न राज्य सरकारों के सहयोग से राज्य विशेष पर्यटक ट्रेन यात्राएं संचालित करता है। टूर पैकेज के लाभार्थियों का चयन सरकार करती है जो ज्यादातर वरिष्ठ नागरिक होते हैं। इन ट्रेन यात्राओं में पूरे भारत में पर्यटन और तीर्थ महत्व के विभिन्न स्थलों का भ्रमण कराया जाता है। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, आईआरसीटीसी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, गोवा, ओडिशा और झारखंड के लिए 96 राज्य विशेष ट्रेनें संचालित कीं और 94,508 यात्रियों को सेवाएं प्रदान की। कई राज्य सरकारों से ऐसी सेवाएं उपलब्ध कराने पर चर्चा चल रही है।

बी. **राज्य विशेष हवाई यात्राएं –** आईआरसीटीसी ने पहली बार राज्य के वरिष्ठ नागरिकों के लिए हवाई मार्ग से राज्य विशेष यात्राएं संचालित की। ये हवाई यात्राएं राजस्थान राज्य सरकार द्वारा नियमित आधार पर जयपुर से काठमांडू तक आयोजित की गईं जिसमें कुल 538 यात्री शामिल हुए।

iii. **आईआरसीटीसी कार्पोरेट ट्रेनें –** रेल मंत्रालय के निर्देशों के तहत आईआरसीटीसी ने 2019 में कार्पोरेट प्रीमियम यात्री ट्रेनों का संचालन 5 अक्तूबर को लखनऊ-दिल्ली-लखनऊ तेजस एक्सप्रेस के साथ शुरू किया, जिसके बाद जनवरी, 2020 में अहमदाबाद-मुंबई-अहमदाबाद तेजस का परिचालन शुरू हुआ।

आईआरसीटीसी तेजस से अधिक गैर-किराया राजस्व (एनएफआर) उत्पन्न करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और तेजस रेक में आंतरिक और बाहरी स्थान/जगहों के विज्ञापन स्थानों की बिक्री के लिए विज्ञापन एजेंसियों का पैनल तैयार करने की नीति जारी की। विभिन्न एनएफआर गतिविधियों जैसे एलईडी डिस्प्ले, भोजन ट्रे में विज्ञापन, हेड रेस्ट आदि, कोचों की विनाइल रैपिंग आदि के लिए विभिन्न कंपनियों का पैनल तैयार किया गया है।

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, आईआरसीटीसी ने इन कार्पोरेट ट्रेनों को नियमित आधार पर (यानी सप्ताह में 6 दिन) संचालित किया और इसे आम जनता के बीच एक विशेष ट्रेन का दर्जा देने में सफल रहा।

iv. **चुनाव स्पेशल ट्रेनें –** आईआरसीटीसी को चुनाव विशेष ट्रेनों की बुकिंग और आवाजाही के साथ-साथ आवाजाही पर सुरक्षा बलों के लिए ऑन-बोर्ड खानपान सेवाओं के प्रावधान के लिए एकल समाधान के रूप में नामित किया गया है। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, आईआरसीटीसी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, ओडिशा, गोवा और दिल्ली के विधानसभा चुनावों के लिए 244 चुनाव विशेष ट्रेनों का सफलतापूर्वक संचालन किया।

पर्यटन संबंधी अन्य कार्यकलाप

i. **इवेंट मैनेजमेंट –** आईआरसीटीसी भारतीय रेलवे, पीएसयू, शिक्षा विभाग और अन्य प्रमुख संस्थानों के लिए विभिन्न सम्मेलन, कार्यक्रम और प्रोत्साहन पैकेज आयोजित करते आ रहा है। वित्त

वर्ष 2022-23 के दौरान, आईआरसीटीसी ने 180 सदस्यों के लिए एमआईसीई (बैठकें, प्रोत्साहन, सम्मेलन और प्रदर्शनियां) सेवाएं प्रदान करते हुए 5 कार्यक्रम आयोजित किए।

ii. **लॉजिस्टिक व्यवसाय –** आईआरसीटीसी ने सरकारी संगठनों को परिवहन और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन का समाधान प्रदान करने के लिए देशीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों माल ढुलाई कारोबार को लक्षित करते हुए कार्गो/लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में कदम रखा। आईआरसीटीसी को बीएसएफ, रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय और आयुध निर्माणी खमरिया द्वारा काम सौंपा गया है।

iii. **चार्टर ट्रेनों और कोचों की बुकिंग –** रेल मंत्रालय ने चार्टर आधार पर सभी ट्रेनों और कोचों की ऑनलाइन बुकिंग के लिए आईआरसीटीसी को एकल समाधान एजेंसी के रूप में नामित किया है।

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, आईआरसीटीसी के माध्यम से 539 (140 ट्रेनें और 399 कोच) चार्टर बुक किए गए। एफटीआर ट्रेनों/डिब्बों की ऑनलाइन बुकिंग आईआरसीटीसी के विशेष वेब पेज, www.ftr.irctc.co.in के माध्यम से की जाती है।

iv. **पर्वत व विरासत चार्टर –** आईआरसीटीसी भारत की पांच पर्वतीय रेलवे यानी नीलगिरि माउंटेन रेलवे (एनएमआर), दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे (डीएचआर), कालका-शिमला रेलवे, कांगड़ा वैली रेलवे और माथेरन रेलवे को सक्रिय रूप से बढ़ावा देता है। आईआरसीटीसी यूनेस्को के "विश्व धरोहर स्थल" कालका-शिमला, नीलगिरि माउंटेन रेलवे और दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे पर हिल चार्टर संचालित करता है। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, आईआरसीटीसी ने सेवाओं का विविधीकरण किया और 2 रेल मोटर कारों और 2 चार्टर ट्रेनों का संचालन करते हुए 73 यात्रियों को सेवाएं प्रदान की।

v. **लग्ज़री रेलवे सैलून कार –** रेल मंत्रालय ने अपने शानदार सैलून कोचों के बेड़े की बुकिंग को खुले बाजार में पेश करने का फैसला लिया है और आईआरसीटीसी को इन विशेष रेल उत्पादों की मार्केटिंग और बुकिंग का काम सौंपा है। एक सैलून कार में आम तौर पर एक बैठक कक्ष, दो वातानुकूलित शयनकक्ष होते हैं – एक ट्विन शयनकक्ष और दूसरा संलग्न स्नानघर, भोजन क्षेत्र और रसोईघर के साथ एसी प्रथम श्रेणी के समान होता है। पर्यटकों की मांग के अनुसार अटेंडेंट, कैटरिंग, पिक एंड ड्रॉप जैसी वैकल्पिक सेवाओं की व्यवस्था की जाती है। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, आईआरसीटीसी ने पिछले वर्ष संचालित 48 सैलून चार्टर्स की तुलना में भारत भर में 93 सैलून चार्टर्स का सफलतापूर्वक संचालन किया।

vi. **स्टेशनों में विश्राम कक्षों की ऑनलाइन बुकिंग और होटल बुकिंग –** Online booking of Retiring Rooms at Stations and Hotel Booking: आईआरसीटीसी, आईआरसीटीसी पर्यटन पोर्टल के माध्यम से 435 रेलवे स्टेशनों में संपुष्ट पीएनआर वाले रेलवे यात्रियों को ऑनलाइन विश्राम कक्ष की बुकिंग की सुविधा प्रदान कर रहा है। यात्री आईआरसीटीसी ऐप के माध्यम से एंड्रॉइड और आईओएस मोबाइल पर भी विश्राम कक्ष बुक कर सकते हैं। 48 स्टेशनों में हर घंटे बुकिंग भी उपलब्ध है। वर्तमान में भारतीय रेलवे की कुल विश्राम कक्ष बुकिंग का लगभग 70% ऑनलाइन किया जा रहा है।

आईआरसीटीसी ने पीपीपी मॉडल के तहत 26 स्टेशनों – पलक्कड़, मदुरै, तिरुचिरापल्ली जं., तिरूपति, बिलासपुर, लखनऊ जं., गोरखपुर, टाटानगर, सियालदा, राजेंद्र नगर टी (पटना), जयपुर, वडोदरा, मडगाव, तिविम, अहमदाबाद, काचीगुडा, उडुपी, लोनावाला, मुंबई सेंट्रल, आगरा कैंट, ग्वालियर, पुणे, नासिक, भुसावल जंक्शन, सोलापुर जंक्शन, जलगांव जंक्शन में विश्राम कक्षों को उन्नत किया है जिसकी बुकिंग ऑनलाइन की जाती है। उन्नत विश्राम कक्ष में होटल जैसी सुविधाएं हैं जैसे वाईफाई, टीवी, गीजर, कपड़े, सोफा आदि के साथ पूरी तरह से वातानुकूलित कमरे आदि।

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, विश्राम कक्ष के लिए कुल 6.23 लाख बुकिंग की गईं जिससे कुल 36.88 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ।

vii. **ऑनलाइन बस बुकिंग –** आईआरसीटीसी www.bus.irctc.co.in पर बस टिकट बुकिंग प्रदान करता है। आईआरसीटीसी ने मेसर्स अभी बस और मेसर्स रेड बस आदि जैसे विभिन्न बस परिवहन संगठनों के साथ समझौता किया है और अब तक 23 राज्यों 4 केंद्रशासित प्रदेश में बस की बुकिंग के लिए बुकिंग उपलब्ध है।

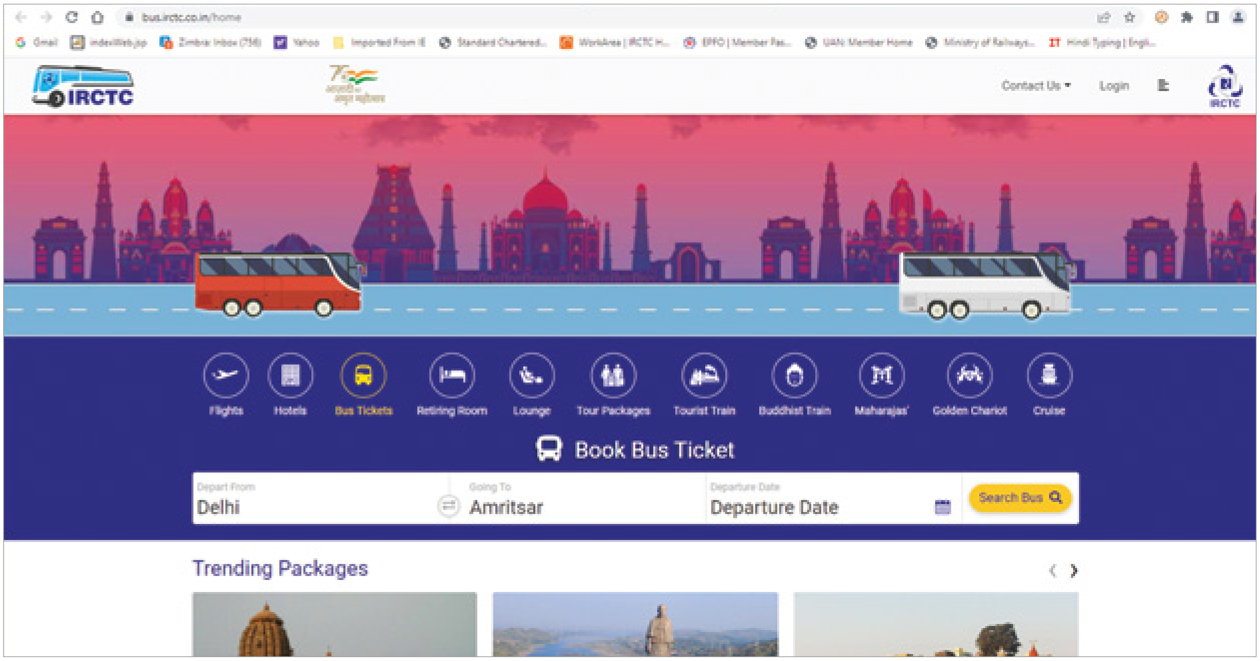

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान कुल 1,63,674 यात्रियों ने आईआरसीटीसी ऑनलाइन बस बुकिंग सेवा का लाभ उठाया। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान कुल 1,05,817 टीआईडी बुक की गईं। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान आईआरसीटीसी बस पोर्टल के माध्यम से प्रतिदिन औसतन लगभग 300 बस टिकट बुक किए गए, जबकि वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान प्रतिदिन औसतन 94 टिकट बुक किए गए थे। वित्त वर्ष 2021-22 की तुलना में वित्त वर्ष 2022-23 में यात्रियों की संख्या में 670% की वृद्धि हुई और 200% राजस्व प्राप्त हुआ, जिससे व्यवसाय लाभदायक बना।

viii. **आईआरसीटीसी मोबाइल ऐप –** आईआरसीटीसी ऐप का एप्लिकेशन एंड्रॉइड और आईओएस उपयोगकर्ताओं के लिए पहले से ही उपलब्ध है। "आईआरसीटीसी टूरिज़्म" के नाम से रेल और हवाई टिकटिंग और आईआरसीटीसी पर्यटन की सुविधा देने वाला एक एकीकृत आईआरसीटीसी ऐप भी ग्राहकों के लिए ऐप पर अपनी पसंदीदा यात्रा और पर्यटन उत्पाद बुक करने के लिए उपलब्ध है। अतिथि प्रतिक्रिया प्रणाली की रिकॉर्डिंग और ऑफ-बोर्ड भ्रमण को बढ़ावा देने के लिए महाराजा एक्सप्रेस के लिए एंड्रॉइड के साथ-साथ आईओएस पर मोबाइल ऐप विकसित किया गया है।

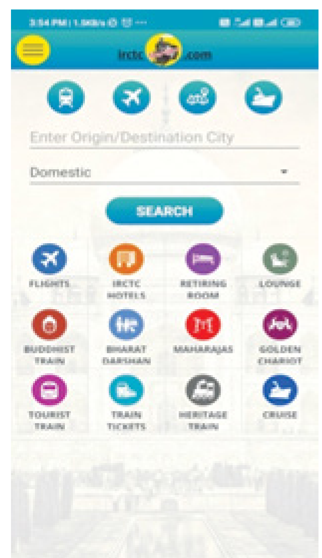

ix. **टूरिज़्म पोर्टल –**

आधुनिक तकनीक के युग में जहां इंटरनेट, वेबसाइट और ऐप्स से दुनिया चलती है, आईआरसीटीसी ने ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी के रूप में विकसित होने की क्षमता को महसूस किया है। यह पोर्टल पर्यटक ट्रेनों, हवाई टिकटों, टूर पैकेजों की ऑनलाइन बुकिंग आसान बनाता है, चाहे वह रेल, हवाई या जमीन के माध्यम से हो, होटल, सैलून कारें, एसी पर्यटक ट्रेनें, इवेंट मैनेजमेंट हो। उपयोगकर्ता के लिए मैत्रीपूर्ण बनना और अन्य ओटीए द्वारा पेश की जा रही सुविधाओं के समतुल्य बनने के लिए, आईआरसीटीसी ने अपनी पर्यटन वेबसाइट को नया रूप दिया है। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, 18,08,548 यात्रियों के लिए कुल लेनदेन आईडी (टीआईडी) 8,15,630 रही जो वित्त वर्ष 2021-22 में 2,54,256 लेनदेन आईडी (टीआईडी) और 5,79,249 यात्री थी।

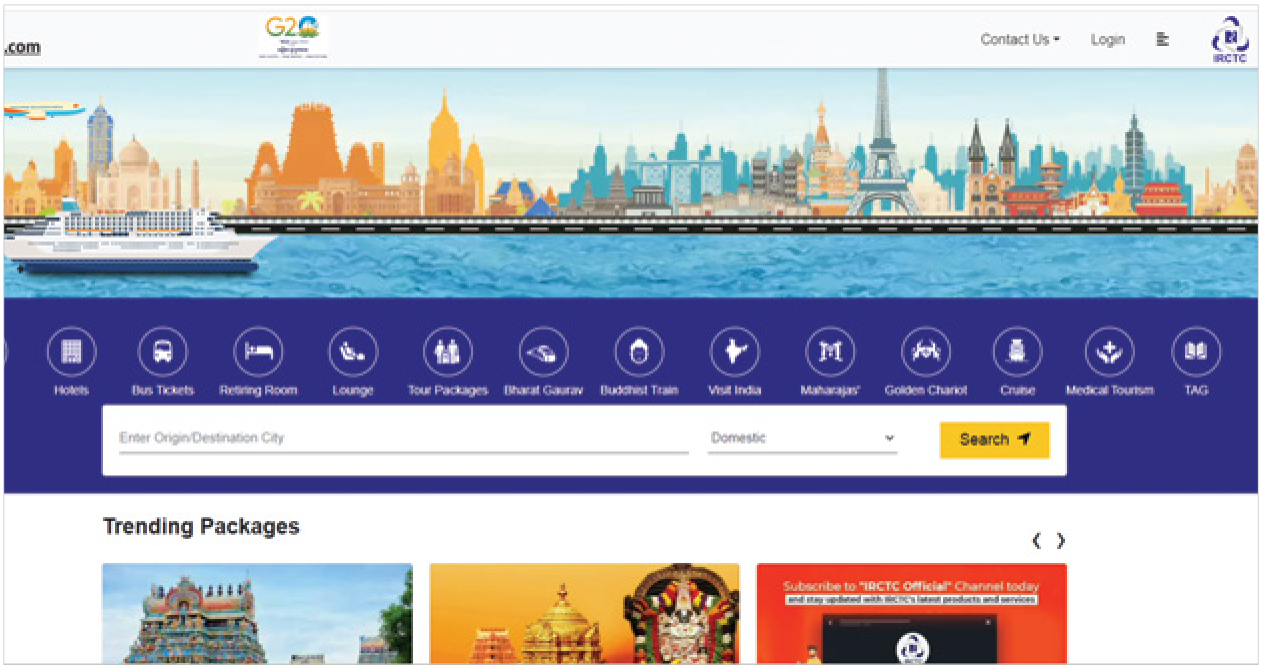

x. **ऑनलाइन फीडबैक मॉड्यूल –** आईआरसीटीसी टूर लीडर को उपलब्ध कराए गए टैब के माध्यम से यात्रा करने वाले या आईआरसीटीसी की पर्यटक ट्रेनों, पैकेजों आदि जैसी सेवाओं का लाभ उठाने वाले पर्यटकों/यात्रियों से ऑनलाइन फीडबैक लेता है। इसके अलावा, ग्राहक यात्रा पूरी समाप्त होने के बाद उन्हें दिए गए लिंक के माध्यम से भी फीडबैक दे सकते हैं। इन फीडबैक का उपयोग अतिथियों की संतुष्टि के स्तर का विश्लेषण करने और उत्पाद को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक कार्रवाई या कदम उठाने के लिए किया जाता है।

xi. **आंशिक भुगतान की सुविधा –** ऑनलाइन और ऑफलाइन ग्राहक अब अपने पर्यटन पैकेज बुक करने के लिए आंशिक भुगतान सुविधा का उपयोग कर सकते हैं और पूरी राशि दिए बिना अपनी यात्रा की योजना पहले से बना सकते हैं।

आंशिक भुगतान की सुविधा सभी पैकेजों के लिए प्रति लेनदेन रु. 50,000/- से अधिक पैकेज लागत के लिए ऑनलाइन बुकिंग के लिए है।

आईआरसीटीसी पंजीकृत उपयोगकर्ता और गेस्ट उपयोगकर्ता www.irctctourism.com पर ऑनलाइन बुकिंग के लिए आंशिक भुगतान सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

- आंशिक भुगतान सुविधा के लिए न्यूनतम एआरपी (उन्नत आरक्षण अवधि) प्रस्थान की तारीख से 35 दिन पहले की गई बुकिंग के लिए होगी।
- आंशिक भुगतान कुल बुकिंग राशि पर लागू है, जो रु. 50000/ से अधिक होनी चाहिए। भुगतान 2 किस्तों में किया जा सकता है।
- घरेलू/अंतर्राष्ट्रीय हवाई पैकेज के लिए - 30% राशि का पहला भुगतान, 70% राशि का अंतिम/शेष भुगतान।
- अन्य सभी पैकेजों के लिए- 25% राशि का पहला भुगतान, 75% का अंतिम/शेष भुगतान।
- यदि प्रस्थान की तारीख से 30 दिनों के भीतर देय/अंतिम भुगतान नहीं किया जाता है, तो अंतिम भुगतान का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा और बुकिंग रद्द मानी जाएगी और संबंधित रद्दीकरण शुल्क लागू होंगे।

xii. **ऑनलाइन होटल बुकिंग –** आईआरसीटीसी ने https://www.hotel.irctctourism.com या 'irctctourism' मोबाइल ऐप्स – एंड्रॉइड और आईओएस के माध्यम से ऑनलाइन बुकिंग के लिए आवास भागीदारों (होटल, होम स्टे, बिस्तर और नाश्ता, पीजी, शयनगृह, पेइंग गेस्ट हाउस, यात्रीनिवास, हॉलिडे होम, स्टार्ट अप आदि) को एकीकृत किया है। कुछ प्रमुख साझेदार हैं –

पार्क होटल्स	स्टर्लिंग हालीडेज़
ओयो रूम्स	स्वेल्टे होटल्स
प्राइड होटल्स	ओबेरॉय आनंद
ओगा होटल्स	डोरोटा हाउस
कॉस्मोपोलिटन होटल्स	एमपी टूरिज़्म
केटीडीसी होटल्स	ले रॉय होटल्स
जिंजर होटल्स	सदर्न ग्रांड होटल्स
आईआरसीटीसी गेस्ट हाउस, कटरा	होटल रामादा

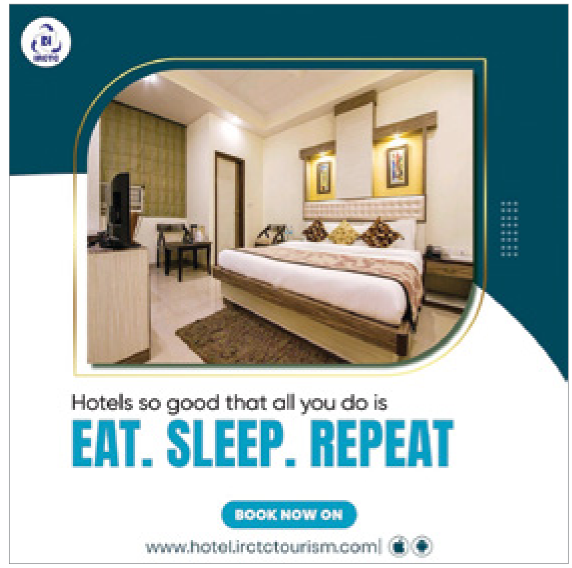

सुनील इंटरप्राइज़	होटल वेलकिन रेसीडेन्सी
होटल एक्सीलेंस	उमराव होटल्स
चंद्रा इन	होटल क्लार्क्स ग्रांड
तमिल नाडु गेस्ट हाउस	अमांत्रा कंफर्ट होटल
होटल रियल्टो	होटल मयूर
दि प्राइड – मसूरी	होटल द्वारा
O2 ऑक्सीजन	फैब होटल्स
होटल सोनियोटेल	

होटल इन्वेंट्री प्रदान करने के लिए निम्नलिखित चैनल प्रबंधकों को आईआरसीटीसी वेबपेज के साथ भी एकीकृत किया गया है –

#	चैनल प्रबंधक का नाम
1	स्टाहा
2	जुबो
3	बुकिंगजिनी
4	मैक्सिमोजो
5	एशियाटेक
6	एक्सिस रूम
7	बचाव
8	इग्लोब
9	ईज़ीएब्सोल्यूट
10	रेट टायगर

ग्राहक अब 265 से अधिक शहरों में रु. 600/- के न्यूनतम शुरुआती टैरिफ पर 875 से अधिक होटल बुक कर सकते हैं। अधिकांश होटल रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डों और शहरी इलाकों के पास स्थित हैं। अधिकांश होटल चेक-इन के 24 घंटे से पहले रद्द करने पर कोई रद्दीकरण शुल्क नहीं लेते हैं। 2022-23 में रु. 2.67 करोड़ के सकल राजस्व के साथ ऐसे 10662 लेनदेन हुए।

xiii. **नेशनल रेल म्यूज़ियम (एनआरएम) के लिए ऑनलाइन टिकटिंग –** राष्ट्रीय रेल संग्रहालय (एनआरएम), चाणक्यपुरी, नई दिल्ली की ऑनलाइन टिकटिंग प्रणाली का संचालन आईआरसीटीसी द्वारा 14 अप्रैल, 2022 से किया जा रहा है, ताकि ऐसे आगंतुकों को सुविधा मिल सके जो संग्रहालय देखने के लिए या अन्य भ्रमण के लिए वेबसाइट (www.nrmindia.org) के माध्यम से अपने ऑनलाइन टिकट पहले से बुक करना चाहते हैं। इस सिस्टम में स्कूलों और अन्य संस्थानों द्वारा संस्थागत बुकिंग की भी सुविधा है।

टिकट बुकिंग कई भुगतान मोड यानी क्रेडिट/डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, यूपीआई आदि के माध्यम से की जा सकती है। इसके अलावा, डिजिटल भुगतान के लिए पीओएस मशीनों के साथ काउंटर बुकिंग की भी सुविधा है।

आगंतुकों के आसान प्रवेश की सुविधा के लिए विभिन्न काउंटरों पर टिकट चेकिंग स्टाफ को उपलब्ध कराए गए मोबाइल ऐप के माध्यम से क्यूआर कोड सक्षम टिकटों को स्कैन किया जा सकता है।

वित्त वर्ष 2022-23 में रु. 2,18,99,590 के लेनदेन मूल्य के साथ कुल 63,574 टिकट बुक किए गए।

xiv. **ट्रेन्स ऐट ए ग्लांस (टीएजी) –** उच्च पाठक संख्या वाली भारतीय रेलवे की समय सारणी में विभिन्न मार्गों, महत्वपूर्ण यात्री ट्रेनों के समय, प्रीमियम ट्रेनों; अन्य विवरण जो रेल यात्रा के लिए उपयोगी हैं जैसे आरक्षण की प्रक्रिया, यात्रा के नियम और विनियमन, ट्रेनों और स्टेशनों पर खानपान सहित यात्री सुविधाएं, मेनू प्रकार और दरें और रेल-आधारित पर्यटन के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी जाती है।

रेलवे स्टेशनों के परिसरों और आरक्षण कार्यालयों में प्रतिष्ठित समय सारणी उपलब्ध कराने के अलावा, आईआरसीटीसी ने पहली बार अपनी टिकटिंग और पर्यटन वेबसाइटों के माध्यम से ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा प्रदान करते हुए ग्राहकों की तुरंत जानकारी के लिए ट्रेनों को एक नज़र में उपलब्ध कराया है। 2 वर्षों के विराम के बाद, रेल मंत्रालय ने ग्राहकों के लिए ट्रेनों का 43वां संस्करण अक्तूबर, 2022 में राष्ट्र की सेवा में समर्पित किया है। डिलीवरी शुल्क सहित एक पुस्तक की कीमत रु. 160/- है। बुक करने के बाद इसे रद्द नहीं किया जा सकता है। 2022-23 में ग्राहकों के घर पर कुल 7702 टीएजी जारी किए गए। इसके अलावा टीएजी की आपूर्ति विभिन्न रेलवे को उनके काउंटरों, बुक स्टॉलों आदि के माध्यम से बेचने के लिए भी की जाती है।

आईआरसीटीसी ने अक्तूबर, 2022 से बेहतर पढ़ने के अनुभव के लिए कई सुविधाओं के साथ 2022 में ट्रेनें - एक नज़र में की ई-बुक भी बनाई है। टीएजी ई-बुक मोबाइल फोन, टैब आदि जैसे उपकरणों में भी पढ़ी जा सकती है, जिसकी प्रति कॉपी की कीमत रु. 30/- है। बुक करने के बाद इसे रद्द नहीं किया जा सकता है। यह विभिन्न प्लेटफार्मों पर लॉगिन के आधार पर पढ़ने के लिए उपलब्ध है। 2022-23 में कुल 703 टीएजी ई-पुस्तकें जारी की गईं।

xv. **श्री केदारनाथ हेलीयात्रा टिकटिंग प्रणाली –** आईआरसीटीसी ने यात्रियों को श्री केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर टिकट बुकिंग प्रणाली प्रदान करने के लिए यूसीएडीए (उत्तराखंड नागरी विमानन विकास प्राधिकरण) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आईआरसीटीसी ने हेलीकॉप्टर टिकटिंग वेबसाइट https://www.heliyatra.irctc.co.in/ विकसित की है जिसे दिनांक 08.04.2023 से सफलतापूर्वक ऑनलाइन हेलीकॉप्टर टिकट बुकिंग के लिए शुरू किया गया है। इस परियोजना की अवधि 5 वर्ष है।

तीर्थयात्रियों द्वारा श्री केदारनाथ धाम के पवित्र तीर्थस्थल की यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा के लिए ऑनलाइन टिकटिंग प्रणाली आईआरसीटीसी की एक महात्वाकांक्षी परियोजना है, जो अपनी जटिलताओं और कई विविधताओं के साथ विशेष है। आईआरसीटीसी प्रशासनिक और तकनीकी संचालन, भुगतान गेटवे लेखांकन/समाधान आदि का काम निष्पादित करेगा।

आगे बढ़ते हुए......

भारतीय रेलवे की पर्यटन शाखा होने के नाते, प्रारंभिक चरणों में, आईआरसीटीसी ने रेल आधारित पर्यटन उत्पादों को अधिक विकसित और प्रचारित किया। लेकिन बाजार में प्रतिस्पर्धा से निपटने के लिए, आईआरसीटीसी ने विभिन्न गैर-रेल आधारित पर्यटन उत्पाद भी शुरु किए और उनका संचालन किया। इस अत्यंत विविधीकृत पर्यटन उत्पाद शृंखला के साथ, पर्यटन के क्षेत्र में विकास की प्रचुर संभावना है और यह देखा गया है कि डब्ल्यूटीटीसी (विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद) द्वारा दिए गए अनुमान के अनुसार, पर्यटन व्यवसाय अगले 10 वर्षों (2022-2032) में लगभग 5.8% तक (चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर) बढ़ेगा।

इसके अनुरूप, कंपनी आने वाले वर्षों में मौजूदा व्यावसायिक क्षेत्रों का विस्तार और सुव्यवस्थित करने के साथ-साथ नए उत्पाद पेश करते हुए पर्यटन व्यवसाय को और बढ़ाने और समेकित करने की योजना बना रही है।

"भारत गौरव ट्रेन" की नई नीति जारी होने और इसी नीति के तहत संशोधित चार्जिंग सिद्धांत जारी होने के साथ, सभी पर्यटक ट्रेनें जिनमें भारत दर्शन/तीर्थयात्री विशेष ट्रेनें, महाराजा एक्सप्रेस, गोल्डन चैरियट और बौद्ध सर्किट पर्यटक ट्रेनें शामिल हैं, भारत गौरव ट्रेनों के अंतर्गत आ गई हैं।

आईआरसीटीसी ने कुल 10 विशेष रेक के साथ भारत गौरव ट्रेनों की पर्यटक ट्रेनें संचालित करने की योजना बनाई है जिनमें से 08 रेक पहले से ही पूरे भारत में चालू हैं। रेक की संरचना को न्यूनतम 14 कोचों तक रखा गया है।

हालांकि, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए पहचाने गए कंपनी द्वारा ज़ोर दिए जाने वाले क्षेत्र है-

1. **भारत गौरव ट्रेन –** आईआरसीटीसी ने उचित मूल्य पर घरेलू बाजार में रेल आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा उपलब्ध कराए गए एलएचबी रेक के साथ पूरे भारत में भारत गौरव ट्रेनों का संचालन शुरू किया है। ढुलाई शुल्क में

संशोधन के साथ, अपेक्षा की जाती है कि आईआरसीटीसी वित्त वर्ष 2023-24 में 100 से अधिक टूर संचालित करेगा।

2. **यात्री ट्रेन –** आईआरसीटीसी वित्त वर्ष 2022-23 में संचालित दोनों तेजस ट्रेनों को सप्ताह में 6 दिन संचालित करेगा और साथ ही राजस्व सृजन बढ़ाने के लिए इन ट्रेनों के बर्थ उपयोग के अधिभोग को बढ़ाने का प्रयास करेगा।

3. **ऑनलाइन बस बुकिंग –** आईआरसीटीसी ने यात्रियों के लिए ऑनलाइन बस टिकट बुकिंग की सुविधा के लिए मेसर्स अभी बस और मेसर्स रेड बस के साथ समझौता किया है और यात्रियों के लिए टिकट बुक करने को और अधिक सहज बनाने के लिए पोर्टल को लगातार विकसित कर रहा है। ऐसे और बस आपरेटरों को शामिल करते हुए इस व्यवसाय को व्यापक बनाने के विकल्प तलाशे जाएंगे।

4. **रेल टूर पैकेज –** रेल आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, आईआरसीटीसी रेल टूर पैकेजों की संख्या में वृद्धि करेगा और इन पैकेजों के संचालन के लिए आईआरसीटीसी द्वारा पहचानी गई ट्रेनों में वैट नीति के अनुसार अधिक संख्या में बर्थ ब्लॉक करने के लिए अंचल रेलवे से अनुरोध करेगा। यहां तक कि लोकप्रिय पैकेजों की अधिभोग संख्या को अधिकतम करने का भी प्रयास किया जाएगा।

5. **आवश्यकता अनुकूल हॉलीडे पैकेज –** ग्राहकों की मांग के आधार पर, आईआरसीटीसी परिवार और दोस्तों के छोटे समूहों के लिए अधिक अनुकूलित पैकेज की योजना बनाएगा और उसे विकसित करेगा, जिससे ग्राहकों को अधिक विकल्प मिलेंगे।

6. **डेस्टिनेशन मैनेजमेंट कंपनी (डीएमसी) –** आईआरसीटीसी अंतरराष्ट्रीय यात्राओं के लिए प्रतिस्पर्धी मूल्य वाले पैकेज उपलब्ध कराने के लिए गंतव्य प्रबंधन कंपनियों के रूप में प्रतिष्ठित एजेंसियों का पैनल तैयार करेगा।

7. **शैक्षणिक भ्रमण –** "एक भारत श्रेष्ठ भारत" योजना के तहत, शिक्षा मंत्रालय (एमओई) ने युवा संगम टूर संचालित करने की योजना बनाई है, जिसमें आईआरसीटीसी ने वित्त वर्ष 2022-23 की यात्राओं के लिए आद्योपांत सेवाएं प्रदान की हैं। एमओई ने वित्त वर्ष 2023-24 में "सौराष्ट्र संगमम" संचालित करने की योजना बनाई है, जिसकी संपूर्ण व्यवस्था आईआरसीटीसी द्वारा की जाएगी।

8. **राज्य विशेष यात्राएं –** राजस्थान और मध्य प्रदेश की राज्य सरकारों ने आईआरसीटीसी के माध्यम से राज्य विशेष ट्रेनों के साथ-साथ हवाई यात्रा के साथ राज्य विशेष पर्यटन संचालित करने की योजना बनाई है और आईआरसीटीसी आगामी वित्त वर्ष में इन दोनों पर्यटनों का संचालन करेगा। अन्य राज्य सरकारों से भी ऐसी यात्राओं को अपने राज्य से संचालित करने के लिए चर्चा की जा रही है।

9. **क्रूज़ पैकेज –** बाहर जाने वाले पर्यटकों पर अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रतिबंध कम या हटा दिए जाने के बाद, आईआरसीटीसी प्रमुख क्रूज़ लाइनर ऑपरेटरों के साथ समन्वय करते हुए पैकेज शुरु करने पर ध्यान देगा।

10. **रिवर क्रूज़ पैकेज –** आईआरसीटीसी ने अंतरा क्रूज़ प्लांट के साथ मिलकर देश में लक्ज़री रिवर क्रूज़ यात्रा प्रस्तुत करने वाले पैकेज शुरु किए हैं। यह सुविधा महाराजा एक्सप्रेस के मेहमानों को भी प्रदान की जाएंगी।

11. **होटल और परिवहन कंपनियों के साथ प्रत्यक्ष गठजोड़ –** आईआरसीटीसी ने अपने यात्रियों को प्रतिस्पर्धी पैकेज मूल्य प्रदान करने के लिए होटल और होटल श्रृंखलाओं के साथ-साथ ट्रांसपोर्टरों के साथ प्रत्यक्ष गठजोड़ शुरू किया है। आईआरसीटीसी आने वाले समय में भी ग्राहकों को अधिकतम लाभ पहुंचाने के लिए ऐसा करना जारी रखेगा।

12. **चेन्नै से श्रीलंका तक का जहाज टूर पैकेज –** आईआरसीटीसी जहाज द्वारा श्रीलंका की यात्रा संचालित करने की संभावना तलाशने के लिए श्रीलंकाई उच्चायोग के साथ चर्चा कर रहा है।

इंटरनेट टिकटिंग

आईआरसीटीसी की यात्रा आरक्षित रेल ई-टिकटिंग के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि साबित हुई है। अपनी स्थापना के बाद से, इसने ई-टिकटिंग सेवा को रूपांतरित किया है, जिससे दूरदराज के इलाकों के लाखों लोगों को भी विशेष स्तर की सुविधाएं और पहुंच मिल रही है। जनता के जीवन पर इसका प्रभाव अतुल्य है और तकनीकी प्रगति में इसका योगदान सराहनीय है। वित्त वर्ष 2022-2023 के दौरान लगभग 80.99% ऑनलाइन टिकट बुक किए गए जो एआई आधारित बुकिंग, एकल प्लेटफॉर्म पर निर्बाध भुगतान तरीकों को देखते हुए और बढ़ने वाला है।

21 मार्च, 2022 को, आईआरसीटीसी ने 2002 में अपने पहले दिन बुक किए गए 27 टिकटों की तुलना में 15.88 लाख ई-टिकट बुकिंग की बड़ी उपलब्धि हासिल की है, जो इसकी तेज वृद्धि का प्रमाण है। लगभग दो दशकों की महत्वपूर्ण प्रगति के बाद, आईआरसीटीसी सबसे बड़ी ई-कॉमर्स वेबसाइट बनकर उभरी है। इस प्लेटफ़ॉर्म के विकास ने आम आदमी को नई तकनीक का लाभ उठाने में सक्षम बनाया है, जिससे कारण ऑनलाइन टिकटिंग अधिक सुलभ, सुविधाजनक और किफायती हुई है। आईआरसीटीसी इंटरनेट टिकटिंग वेबसाइट और मोबाइल ऐप के माध्यम से लोग अपने घरों, कार्यालयों आदि में आराम से बैठकर टिकट बुक कर सकते हैं, जिससे पीआरएस काउंटर पर जाने की आवश्यकता लगभग समाप्त हो गई है, समय की बचत हो रही है और परेशानी भी कम हो रही है।

आईआरसीटीसी ने अपनी वेबसाइट और मोबाइल ऐप के माध्यम से इंटरनेट-आधारित रेल टिकट बुकिंग की शुरुआत की, जो 2022-23 में भारतीय रेलवे पर ऑनलाइन बुक किए गए कुल आरक्षित टिकटों का 80.99% था। इस साइट में 23:45 बजे से लेकर 00:20 बजे तक 35 मिनट के ब्रेक को छोड़कर, चौबीसों घंटे टिकट बुकिंग की सेवाएं प्रदान की जाती हैं। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, आईआरसीटीसी वेबसाइट और मोबाइल ऐप में 11.82 लाख टिकटों की औसत दैनिक टिकट बिक्री दर्ज की गई जो पिछले वित्त वर्ष के औसत 11.44 लाख टिकटों से अधिक है। ये आंकड़े भारतीय ई-कॉमर्स क्षेत्र में इसके सिस्टम की प्रभावशाली वृद्धि और प्रभुत्व को दर्शाते हैं।

सेवा शुल्क / सुविधा शुल्क

आईआरसीटीसी द्वारा इसके प्लेटफॉर्म के माध्यम से बुक किए गए आरक्षित रेल टिकटों पर लिया जाने वाला नॉन-एसी श्रेणी के लिए प्रति

टिकट रु.20+ कर और एसी श्रेणी के लिए प्रति टिकट रु. 40+ कर का सेवा शुल्क रेल मंत्रालय द्वारा डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने की पहल के रूप में दिनांक 23.11.2016 से 31.08.2019 तक वापस ले लिया गया।

आईआरसीटीसी ने 01 सितंबर, 2019 से ई-टिकट बुकिंग पर गैर-एसी श्रेणी के लिए रु. 15/- + प्रति टिकट जीएसटी और एसी श्रेणी (प्रथम श्रेणी/ एफसी सहित) के लिए प्रति टिकट रु.30/- + जीएसटी की दर से सुविधा शुल्क का संग्रह शुरू किया। इक्खच/णझख भुगतान के लिए, UPI को बढ़ावा देने की नीति के अनुसार, सुविधा शुल्क गैर-एसी क्लास के लिए रु.10/- + प्रति टिकट और एसी श्रेणी के लिए रु.20/- + जीएसटी प्रति टिकट की घटी दर पर लिया जा रहा है।

आस्क दिशा चैटबॉट द्वारा इंटरनेट टिकटिंग

आस्क दिशा चैटबॉट द्वारा ई-टिकट बुकिंग शुरु किए जाने से आईआरसीटीसी की ई-टिकटिंग में आमूलचूल परिवर्तन आया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के निर्बाध एकीकरण ने आस्क दिशा को ग्राहकों के साथ सुविधाजनक बातचीत करने की क्षमता प्रदान की है, जिससे बुकिंग प्रक्रिया बड़ी आसान हो गई है। उपयोगकर्ता के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा गया वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी), प्रमाणीकरण तंत्र टिकट बुकिंग प्रक्रिया में अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करता है।

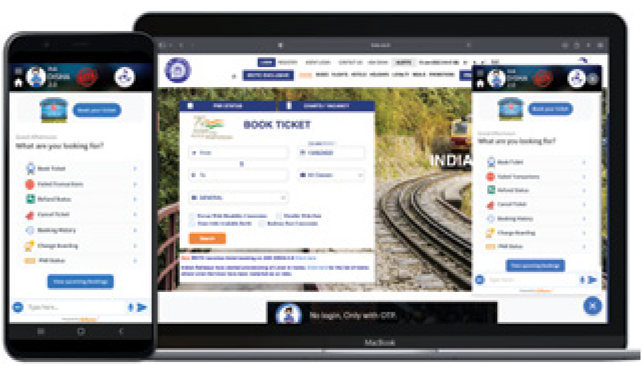

उपयोगकर्ताओं को उनके प्रश्नों और चिंताओं में सहायता करने के लिए, आईआरसीटीसी ने शुरुआत में "आस्क दिशा" (किसी भी समय मदद मांगने के लिए डिजिटल इंटरेक्शन) नामक एक एआई-संचालित चैटबॉट शुरु किया। इस चैटबॉट में वास्तविक समय में उपयोगकर्ता के प्रश्नों को समझने और उनका जवाब देने के लिए प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का प्रयोग किया जाता है।

आस्क दिशा चौबीसों घंटे उपलब्ध है और इसका उपयोग आईआरसीटीसी की वेबसाइट, मोबाइल ऐप के माध्यम से किया जा सकता है। उपयोगकर्ता दिशा से टिकट बुकिंग, रद्दीकरण, धन वापसी, ट्रेन संबंधी जानकारी, स्टेशन कोड आदि से संबंधित विस्तृत प्रश्न पूछ सकते हैं।

इस उन्नत और भविष्यगामी एआई चैटबॉट को अगले स्तर पर ले जाते हुए आईआरसीटीसी ने 31 मार्च 2022 को पूर्ण रूप से आस्क दिशा चैटबॉट पर ई-टिकट बुकिंग की सुविधा शुरू की है। इस चैटबॉट ने आवाज और चैट जिसमें उपयोगकर्ता ट्रेन टिकट बुक करने, उनकी बुकिंग स्थिति की जांच करने और यहां तक कि उनकी बुकिंग रद्द कर सकते हैं, का उपयोग करते हुए सुविधाजनक, संवादी तरीके से ई-टिकट बुकिंग को सुलभ बनाया है।

31 मार्च 2022 को पूरी तरह शुरु किए जाने के बाद से इस अत्याधुनिक तकनीक का कार्य-निष्पादन उत्कृष्ट रहा है। वित्त वर्ष 2022-2023 में आस्क दिशा चैटबॉट के माध्यम से बुक किए गए टिकटों की कुल संख्या 5.78 लाख आरक्षित ई-टिकट बुकिंग है जिससे रु. 84.92 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है। यह उपलब्धि उल्लेखनीय राजस्व वृद्धि दर्शाती है और भविष्य में निरंतर विस्तार का संकेत देती है।

आस्क दिशा चैटबॉट 2022-23 के माध्यम से बुकिंग

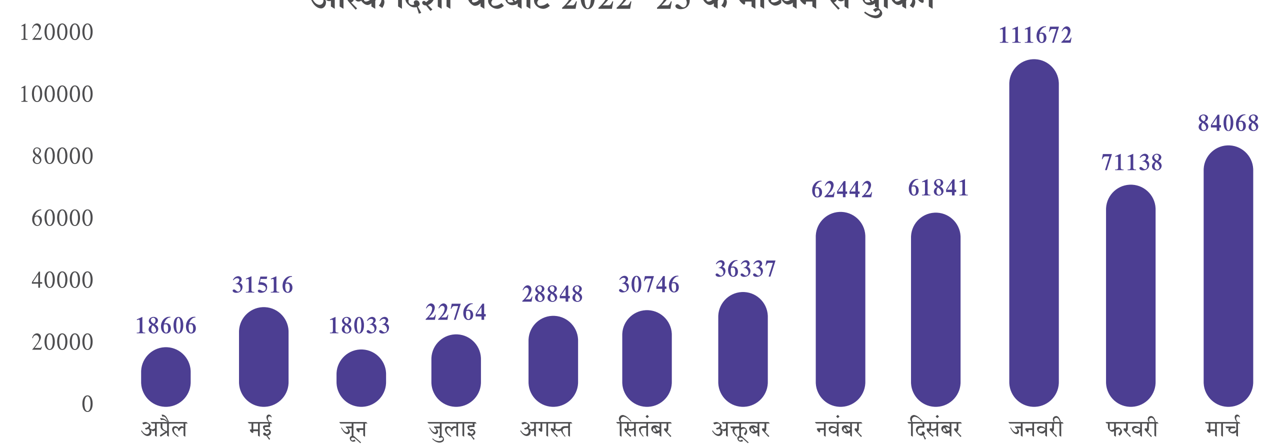

पूरी आशा है कि उपरोक्त प्रवृत्ति बढ़ती रहेगी और आईआरसीटीसी की ई-टिकटिंग के भविष्य को उज्जवल बनाएगी।

खंडवार अवलोकन

प्रति माह 35.94 मिलियन से अधिक के लेनदेन और प्रति दिन 6.12 मिलियन लॉगिन के साथ, कंपनी एशिया-प्रशांत क्षेत्र में सबसे अधिक आबादी को शामिल करने वाली और सबसे अधिक लेनदेन वाली वेबसाइट का संचालन करती है।

ए. **NGeT सिस्टम** – अगली पीढ़ी की ई-टिकटिंग (छत्रक्षढ) सिस्टम को पिछली ई-टिकटिंग प्रणाली को प्रतिस्थापित करते हुए लागू किया गया था। इसने प्रति मिनट टिकट बुकिंग क्षमता को 2000 से बढ़ाकर 7200 टिकट कर दिया है, जिससे सिस्टम की दक्षता में उल्लेखनीय रूप से सुधार हुआ है। इसके अलावा, उन्नत प्रणाली का समर्थन करने, दैनिक बुकिंग की क्षमता और प्रवाह को बढ़ाने के लिए, नई दिल्ली के चाणक्यपुरी में सीआरआईएस परिसर में एक अत्याधुनिक डेटा सेंटर स्थापित किया गया है, जिसे प्रौद्योगिकी के उन्नत कार्यों के साथ गति बनाए रखने के लिए नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है। कंपनी के पास ग्राहकों का मजबूत डेटाबेस है और कंपनी अपने ग्राहकों के साथ अपनी संबद्धता बढ़ाने और टॉप-लाइन विकास प्राप्त करने के लिए क्रॉससेल और अपने उत्पादों में मूल्य जोड़ने के लिए इसका लाभ उठाती है।

NGeT सिस्टम में प्रति मिनट 26,000 से अधिक टिकट बुक करने की क्षमता है जो इसे दुनिया की सबसे कुशल ऑनलाइन टिकटिंग प्रणाली बनाती है। 12 नवंबर, 2022 को एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल हुई जब NGeT सिस्टम की शक्ति का प्रदर्शन करते हुए एक मिनट में 28,434 टिकट बुक करने का कीर्तिमान बनाया गया।

21 मार्च, 2022 को, NGeT सिस्टम ने एक ही दिन में 15.88 लाख टिकट बुक करने का रिकॉर्ड बनाया, जिसके कारण इसका दर्जा बढ़कर एक अत्याधुनिक तकनीकी मंच के रूप में स्थापित हुआ।

बुक किए गए वर्ष-वार ई-टिकट (लाख में)

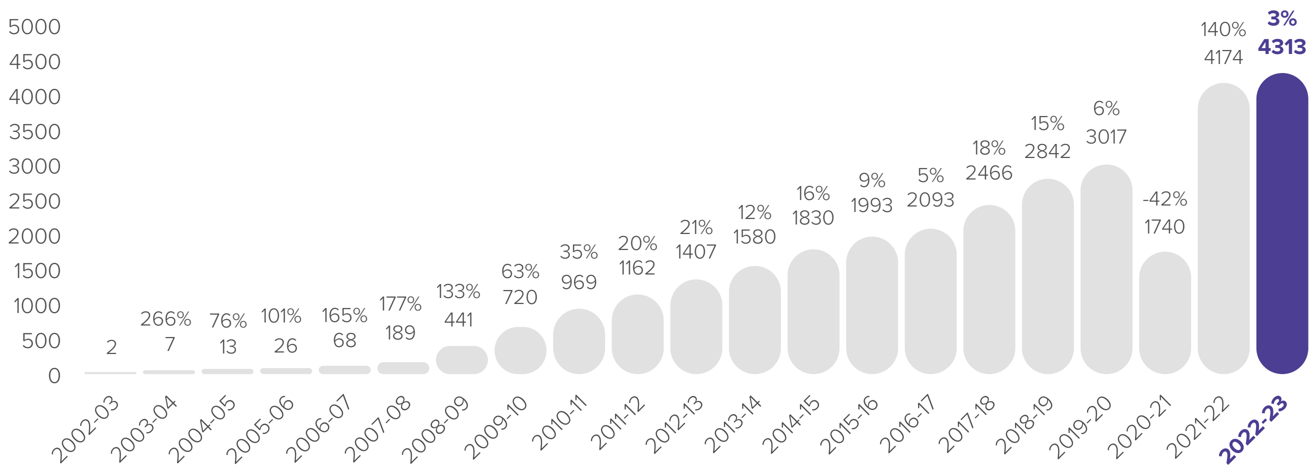

NGeT सिस्टम का उत्कृष्ट कार्य-निष्पादन और सफलता आईआरसीटीसी की नवाचार और तकनीकी उन्नति के प्रति उसकी प्रतिबद्धता की एक और सफलता है। शानदार विकास, दक्षता और सहज अनुभव ने लाखों लोगों को सस्ती और सुविधाजनक ऑनलाइन टिकटिंग सेवा प्राप्त करने में सक्षम बनाया है, जिससे एक अग्रणी ई-कॉमर्स वेबसाइट के रूप में इसकी स्थिति और मजबूत हुई है।

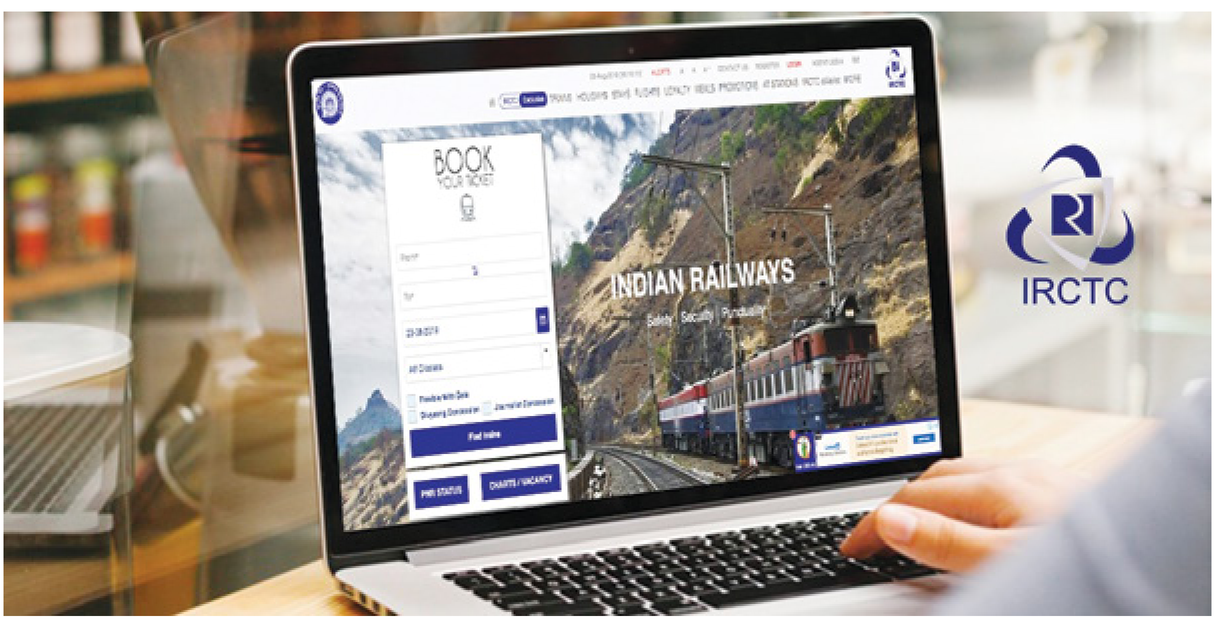

बी. आईआरसीटीसी रेल कनेक्टर मोबाइल ऐप ई-टिकटिंग – वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, कुल औसत मोबाइल टिकट बुकिंग प्रति दिन 5.60 लाख थी। इस मोबाइल ऐप को कुल 9.95 करोड़ बार डाउनलोड किया गया है। दैनिक मोबाइल लॉगइन 42.24 लाख हैं। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 2042 लाख से अधिक टिकट बुक किए गए जबकि वित्त वर्ष 2021-22 में 1915 लाख टिकट बुक किए गए थे। आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट मोबाइल गूगल प्ले स्टोर पर भारत के टॉप मोस्ट रेटेड मोबाइल ऐप में से एक है। अब रेल कनेक्ट मोबाइल ऐप एंड्रॉइड और आईओएस दोनों पर उपलब्ध है।

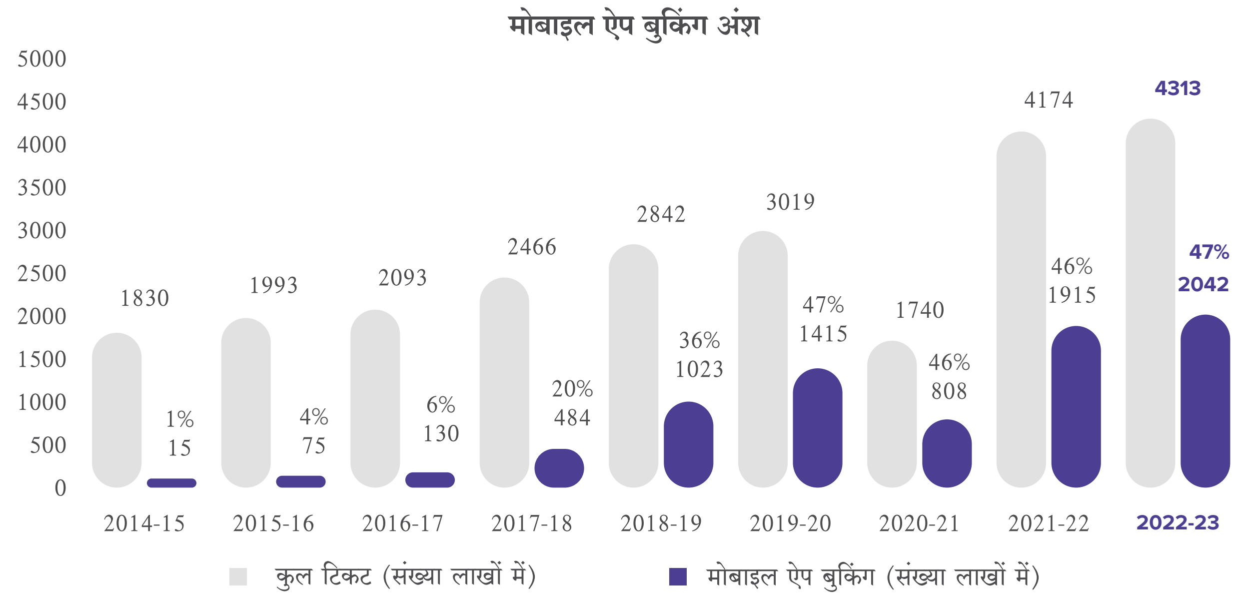

सी. आईआरसीटीसी आई-पे – पेमेंट एग्रीकेटर – आईआरसीटीसी का अपना डिजिटल भुगतान गेटवे- आईआरसीटीसी आई-पे (एक पीसीआई-डीएसएस अनुरूप भुगतान समाधान) एक संपूर्ण भुगतान समाधान है जिसमें सभी प्रकार के भुगतान (जैसे इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वॉलेट, यूपीआई खाता और ऑटोपे) के माध्यम से भुगतान और मर्चेंट वेबसाइट, कई जारीकर्ता संस्थानों, अधिग्रहण करने वाले बैंकों और भुगतान गेटवे प्रदाताओं के बीच सुरक्षित लेनदेन की सुविधा प्रदान की जाती है। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, आई-पे ने अच्छे लाभ मार्जिन के साथ रु. 95.99 करोड़ का राजस्व अर्जित किया है।

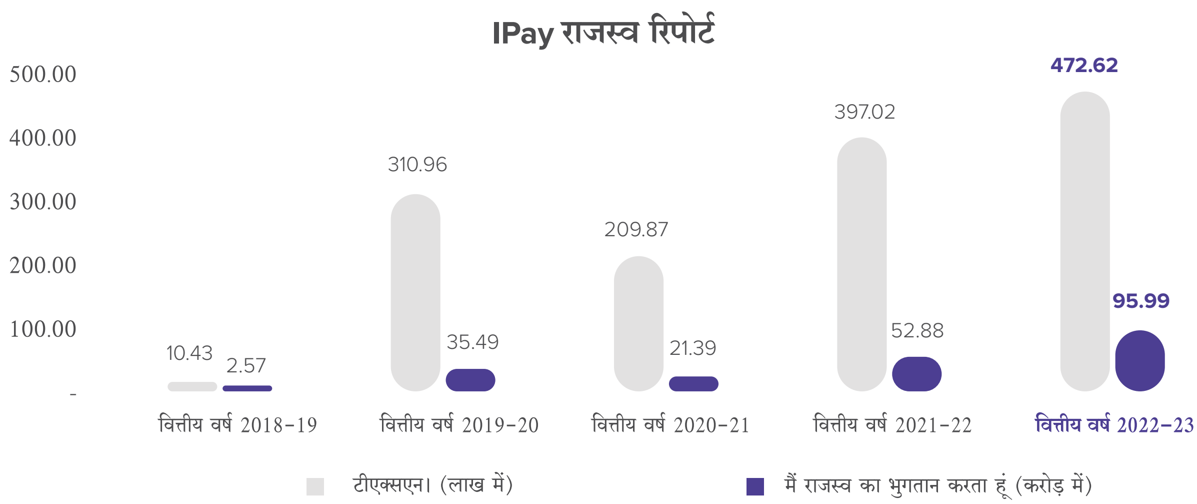

डी. **न्यू यूज़र इंटरफेस (यू.आई.) –** आईआरसीटीसी अपने ग्राहक आधार को बनाए रखने के उद्देश्य से अपनी वेबसाइट और रेल कनेक्ट मोबाइल ऐप के माध्यम से आरक्षित रेल ई-टिकट बुक करते समय ग्राहक अनुभव और सुविधा को बढ़ाने का निरंतर प्रयास करते आ रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए, आईआरसीटीसी ने संशोधित कार्यक्षमताओं और कुछ अतिरिक्त सुविधाओं के साथ ई-टिकटिंग वेबसाइट और मोबाइल ऐप का नया यूजर इंटरफेस लॉन्च किया था। आईआरसीटीसी ई-टिकटिंग यूजर इंटरफेस को नया बनाना डिजिटल इंडिया के तहत एक पहल थी, जिसमें यात्रियों को दी जाने वाली सेवा वितरण अनुभव को बेहतर बनाना सुनिश्चित किया जाता है। इसके अलावा, ई-टिकटिंग के लिए नया इंटरफ़ेस उपयोगकर्ता के अनुकूल सुविधाओं और अधिक आरामदायक नेविगेशन के साथ आईआरसीटीसी वेबसाइट www.irctc.co.in और आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट मोबाइल ऐप (एंड्रॉइड और आईओएस प्लेटफॉर्म) के उपयोगकर्ता वैयक्तिकरण और सुविधा को बढ़ाता है, जो उन्नत डेटा सिस्टम और प्रक्रियाओं से सुरक्षित है। इस इंटरफ़ेस के स्वरूप और अनुभव को अधिक आसान और आकर्षक डिज़ाइन के साथ बदला गया है।

ई. **आईआरसीटीसी भुगतान प्रणाली –** ई-कॉमर्स उद्योग की सफलता के लिए भुगतान के विकल्प और सफल लेनदेन दरें महत्वपूर्ण हैं। वर्षों के दौरान आईआरसीटीसी ने आईआरसीटीसी के वेबसाइट एप्लिकेशन और अन्य समर्पित वेब एप्लिकेशन और ऐप के लिए नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, वॉलेट, कैश कार्ड, भीम/यूपीआई, स्कैन और पे, पे-ऑन-डिलीवरी/पे-लेटर, ईएमआई जैसे विभिन्न भुगतान विकल्पों के साथ भुगतान गेटवे की एक मजबूत प्रणाली का विकास और पोषण किया है। यहां तक कि, विदेशी उपयोगकर्ता अन्य कई भुगतान विकल्पों के साथ-साथ, एटम टेक्नोलॉजीज और आईटीजेड कैश कार्ड द्वारा उपलब्ध भुगतान गेटवे पर अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड (भारत के बाहर जारी) का उपयोग करते हुए टिकट बुक कर सकते हैं।

आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर लेनदेन पूरी तरह सुरक्षित होता है और इसे वीज़ा, वेरीसाइन, रुपे, अमेरिकन एक्सप्रेस, सेफ की, एमवीसा, यूपीआई और मास्टर सिक्योर आदि द्वारा प्रमाणित किया गया है। टिकट बुक करते समय उपयोगकर्ताओं के बैंक खाते या कार्ड खाते का विवरण आईआरसीटीसी के सर्वर में सहेजा नहीं जाता है और इस प्रकार किसी भी दुरुपयोग की रोकथाम सुनिश्चित की जाती है।

एफ. **आरक्षित टिकटों के लिए तत्काल योजना –** तत्काल शुल्क को न्यूनतम और अधिकतम सीमा के अधीन द्वितीय श्रेणी के लिए मूल किराए के 10% और अन्य सभी वर्गों के लिए मूल किराए के 30% की दर से किराए के प्रतिशत के रूप में तय किया गया है। तत्काल टिकट ट्रेन पर लागू दूरी प्रतिबंधों के अधीन, शुरू से अंत के बजाय यात्रा की वास्तविक दूरी के लिए जारी किए जाते हैं। चार्ट तैयार किए जाने तक एक ही तत्काल बर्थ/सीट को कई चरणों में बुक किया जा सकता है। चार्ट तैयार करते समय, अप्रयुक्त बर्थ को सामान्य आरएसी/प्रतीक्षा सूची वाले यात्रियों को जारी किया जाता है। तत्काल सुविधा शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनों के एक्जिक्यूटिव क्लास में उपलब्ध सीटों का 10% यानी प्रति कोच 5 सीटें निर्धारित करते हुए भी उपलब्ध कराई जाती है। तत्काल बुकिंग एसी क्लास के लिए सुबह 10 बजे और नॉन-एसी क्लास के लिए सुबह 11 बजे खुलती है। तत्काल टिकट मार्गस्थ स्टेशनों की यात्रा की तारीख को छोड़कर ट्रेन के आरंभिक स्टेशन से एक दिन पहले बुक किया जा सकता है। यह योजना www.irctc.co.in और आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट मोबाइल ऐप पर उपलब्ध है जहां ग्राहक तत्काल योजना पर बिना किसी परेशानी के टिकट बुक कर सकते हैं।

जी. **विकल्प योजना –** जिन यात्रियों को बुकिंग कोटा या रियायतों से संबंध न रखते हुए प्रतीक्षा सूची में रखा जाता है, वे इस योजना के तहत अधिकतम पांच ट्रेनों का चयन कर सकते हैं। इसमें बर्थ की पुष्टि नहीं की जाती है, क्योंकि यह संबंधित ट्रेन में सीटों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। इन परिवर्तित ट्रेनों के लिए तत्काल कीमतों सहित कोई रिफंड या अतिरिक्त किराया नहीं लिया जाता है। इस योजना का चयन करने वाले एक पीएनआर के सभी यात्रियों को एक ही श्रेणी में वैकल्पिक ट्रेनों में स्थानांतरित किया जाता है या किसी को भी नहीं। वैकल्पिक ट्रेन में पुष्टि हो जाने के बाद, रद्दीकरण शुल्क सामान्य नियमों के अनुसार लागू होता है। उपयोगकर्ता द्वारा चुने गए विकल्प के अनुसार व्यक्ति को विंडो के भीतर उपलब्ध किसी भी ट्रेन में स्थानांतरित किया जा सकता है। विकल्प योजना के तहत एक बार चुनी गई ट्रेन सूची को केवल एक बार बदला या अद्यतन किया जा सकता है।

एच. **लॉयल्टी प्रोग्राम –** एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा के सह-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के अलावा, आईआरसीटीसी ने 01 मार्च 2023 को आईआरसीटीसी के सह-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड सह लॉयल्टी कार्यक्रम का विस्तार करने की दिशा में एक और कदम उठाया है। आईआरसीटीसी ने रेल उपयोगकर्ताओं के लिए मौजूदा लॉयल्टी प्रोग्राम (यानी एसबीआई और बीओबी) के अंतर्गत स्वदेशी रुपे प्लेटफॉर्म पर एचडीएफसी बैंक के सहयोग से एक नया सह-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया जिसे आईआरसीटीसी एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड के रूप में जाना जाता है। इसमें यात्री अपने टिकट बुक कर सकते हैं और बाजार से अन्य सामान खरीद सकते हैं। इसमें यात्री लॉयल्टी पॉइंट अर्जित कर सकते हैं और इन लॉयल्टी पॉइंट्स का उपयोग करते हुए रेल टिकट बुक कर सकते हैं। इस कार्ड का उपयोग करने पर रेल टिकट बुकिंग पर भुगतान गेटवे शुल्क शून्य है। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान इस सुविधा से रु. 37.52 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ, जबकि वित्त वर्ष 2021-22 में रु. 37.03 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ था। इस योजना के 12.06 लाख कार्डधारक हैं जिनमें रुपे प्लेटफॉर्म पर 4.01 लाख क्रेडिट कार्डधारक भी शामिल हैं।

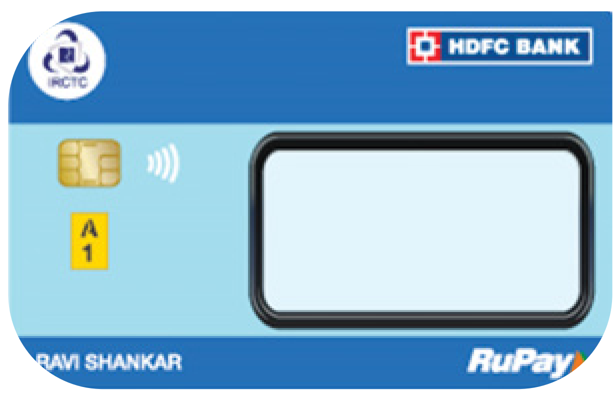

आई. **भीम / यूपीआई भुगताम** – जो उपयोगकर्ता भीम / यूपीआई भुगतान के माध्यम से ई-टिकट के लिए ऑनलाइन भुगतान करते हैं, उनसे गैर-एसी श्रेणी के लिए रु. 10/- + जीएसटी प्रति टिकट और एसी श्रेणी (प्रथम श्रेणी सहित) के लिए रु. 20/- + जीएसटी प्रति टिकट की कम दर पर सुविधा शुल्क लिया जाता है और इस तरह भारत सरकार के डिजिटल इंडिया मिशन के उद्देश्य को पूरा करते हुए डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दिया जाता है। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, भीम / यूपीआई के कुल लेनदेन 1454.71 थे जो कि वित्त वर्ष 2021-22 में 1323.78 लेनदेन की तुलना में कुल ऑनलाइन टिकटिंग का 33.73% है।

जे. **यात्रा बीमा** – आईआरसीटीसी ने आईआरसीटीसी वेबसाइट एप्लिकेशन का उपयोग कर टिकट बुक करने वाले भारतीय नागरिकों (पांच वर्ष से अधिक) के लिए यात्रा बीमा प्रस्तुत किया है। यात्रा बीमा भारतीय रेलवे के साथ यात्रा के दौरान यात्रियों को दुर्घटनाजन्य बीमारक्षा प्रदान करता है। इसके अंतर्गत यात्री या नामांकित व्यक्ति ट्रेनों के बीच टक्कर, यात्रियों को ले जा रही ट्रेन के पटरी से उतरने या किसी अन्य प्रकार की ट्रेन दुर्घटना के लिए मुआवजे का दावा कर सकते हैं। इस पॉलिसी के तहत बीमारक्षा का आधार पीएनआर होता है जिसमें मृत्यु, स्थायी पूर्ण विकलांगता, स्थायी आंशिक विकलांगता के साथ-साथ अस्पताल में भर्ती का शुल्क भी शामिल है। रु. 10 लाख तक का यह यात्रा बीमा उन यात्रियों को प्रदान किया जाता है, जो प्रति यात्री रु. 0.49 की दर से बहुत कम प्रीमियम का भुगतान करते हुए इसका विकल्प लेते हैं, जिसे बाद में घटाकर रु.0.35 प्रति यात्री कर दिया गया। वित्त वर्ष के दौरान कुल 33.75 करोड़ यात्रियों ने यात्रा बीमा का विकल्प लिया। इस सेवा से कुल 11.77 करोड़ का प्रीमियम एकत्र किया गया।

के. **रियायती बुकिंग** – भारतीय रेलवे द्वारा उपलब्ध कराए गए आईडी कार्ड का उपयोग करते हुए आईआरसीटीसी की वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर ऑनलाइन टिकट बुक करने के लिए पत्रकारों और दिव्यांग (शारीरिक रूप से विकलांग) यात्रियों के लिए रियायती बुकिंग की सुविधा भी उपलब्ध है।

एल. **रेलवे पास धारकों के लिए ऑनलाइन बुकिंग** – रेलवे पास का उपयोग करते हुए आरक्षित रेल टिकट की ऑनलाइन बुकिंग रेलवे के सेवारत कर्मचारियों के लिए लागू की गई है। ऐसी बुकिंग पर सुविधा शुल्क और यात्रा बीमा लागू नहीं है। वित्त वर्ष 2021-22 में 16.27 लाख टिकटों की तुलना में वित्त वर्ष 2022-23 में रेलवे पास/पीटीओ का उपयोग करते हुए 27.40 लाख टिकट ऑनलाइन बुक किए गए।

एम. **अर्धसैनिक बलों के लिए ई-टिकटिंग पोर्टल** – आईआरसीटीसी की ई-टिकटिंग सुविधा अर्धसैनिक बलों के लिए उनकी आरक्षित ट्रेन ई-टिकट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक बेहद सुविधाजनक उपकरण साबित हुई और इसने रेलवे वारंट प्रबंधन, भारतीय रेलवे और गृह मंत्रालय के बीच सामंजस्य और लेखांकन की बोझिल मैन्युअल प्रक्रियाओं की आवश्यकता को भी समाप्त किया।

ट्रेनों में बिना किसी परेशानी के यात्रा करने के लिए आईआरसीटीसी ने इस पोर्टल के माध्यम से ई-टिकटों की बुकिंग के लिए वारंट प्रबंधन प्रणाली के साथ-साथ ई-टिकटिंग प्रणाली को बनाए रखने के लिए एक समर्पित वेबसाइट विकसित की है।

इस प्रगति को आगे ले जाते हुए भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) के लिए ई-टिकटिंग सेवा 09-02-2023 को शुरू की गई। वर्तमान में, आईआरसीटीसी सात केंद्रीय अर्धसैनिक बलों यानी एनएसजी, सीआरपीएफ, एनडीआरएफ, एआर, सीआईएसएफ, बीएसएफ और आईटीबीपी को ये सेवाएं प्रदान कर रहा है।

वित्त वर्ष 2022-2023 में अर्धसैनिक बलों की बुकिंग

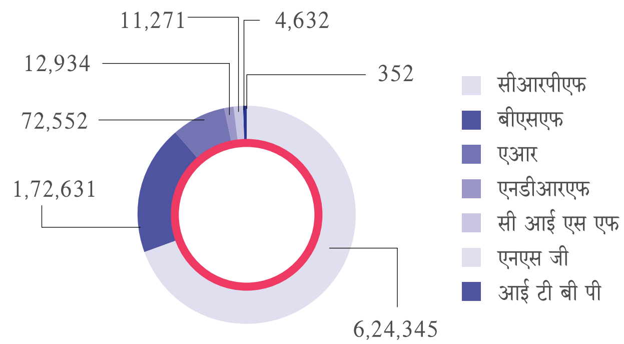

इंटरनेट टिकटिंग के आंकड़े

ए. बुक की गई ई-टिकटों और यात्रियों की सं. - 2021-22 में 4174.49 लाख की तुलना में 2022-23 में कुल 4313.00 लाख टिकट बुक किए गए। 2021-22 में 7343.26 लाख यात्रियों की तुलना में 2022-23 में कुल मिलाकर 7706.40 लाख यात्रियों ने ई-टिकट बुक किए। वर्ष के दौरान यात्री बनाम टिकट का अनुपात 1.79:1 रहा।

टिकट बनाम यात्री

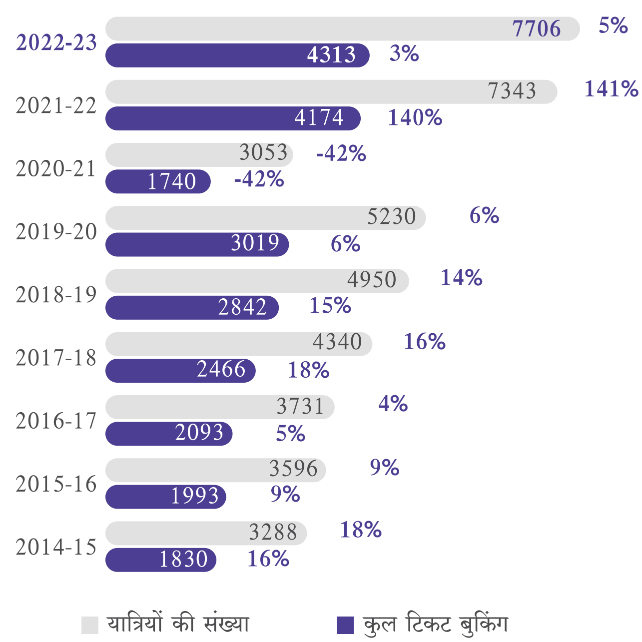

बी. ई–टिकटिंग से प्राप्त राजस्व – वर्ष 2022–23 के दौरान, ई–टिकटिंग राजस्व के रूप में उपयोगकर्ताओं से टिकट किराया के रूप में रु. 54313.46 करोड़ की कुल राशि एकत्र की गई, जो पिछले वर्ष के रु. 38178.32 करोड़ के संग्रह से 42.26% अधिक है।

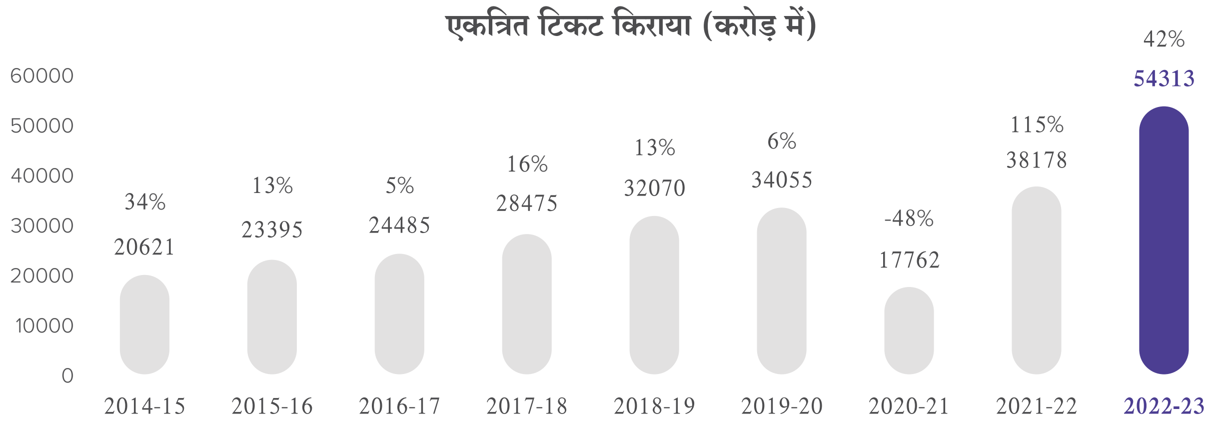

सी. ऑनलाइन आरक्षित रेल टिकटिंग का विकास

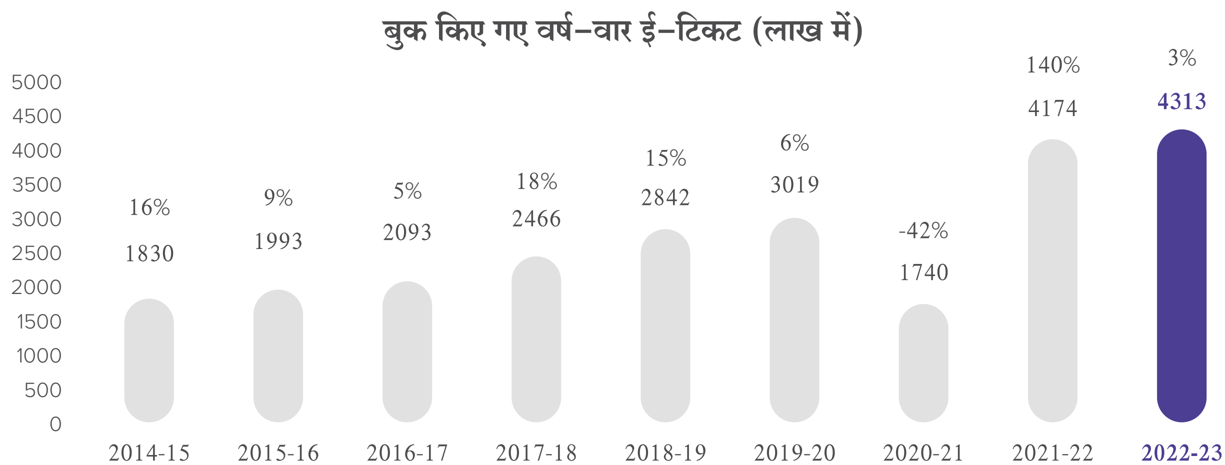

डी. खंड–वार ऑनलाइन टिकट बुकिंग अंश 2022–23

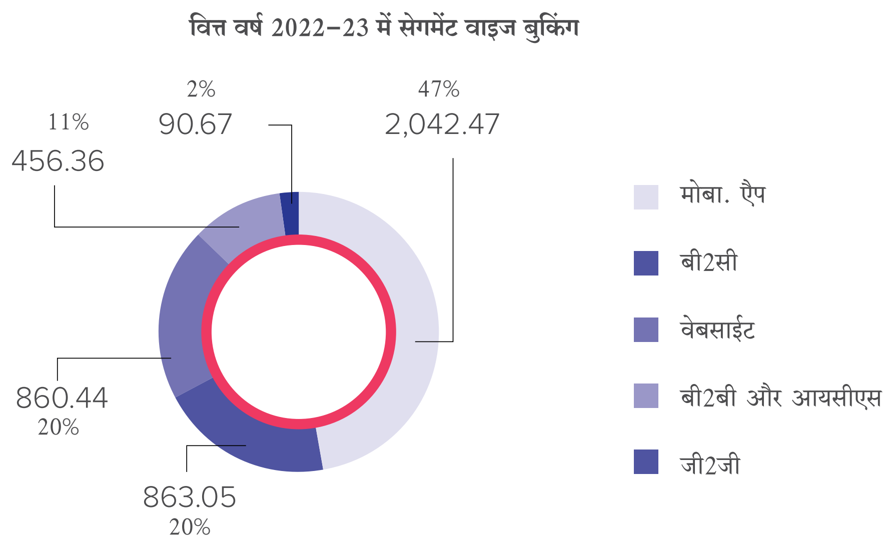

2022–23 के दौरान की गई नई पहल

- आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट मोबाइल ऐप में शिशुओं की बर्थ बुकिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई।#
- आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट मोबाइल ऐप में ई–वॉलेट पंजीकरण सुविधा शुरू की गई। #*
- आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट मोबाइल ऐप में यात्री आरक्षण पृष्ठ पर अतिरिक्त पॉप–अप से बचने के लिए डिफ़ॉल्ट यात्रा बीमा का विकल्प पेश किया गया।#*
- आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट मोबाइल ऐप में उन्नत और सरलीकृत यूज़र एकाउंट पुनर्प्राप्ति प्रक्रिया।#*
- अपने स्मार्टफोन पर ऊंगलियां घुमानेमात्र से अब आप अपना मनपसंद कोटा चुन सकते हैं और ट्रेन सूची पृष्ठ पर अपनी यात्रा की तारीखों को आसानी से संशोधित कर सकते हैं।#*
- आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट मोबाइल ऐप में ग्राहकों के लिए डैशबोर्ड पेज के लिए नया यूआई डिज़ाइन शुरु किया गया। #*
- आईआरसीटीसी ने रेल कनेक्ट मोबाइल ऐप पर एक विशेष पेज विकसित किया जहां से उपयोगकर्ता अपनी यात्रा का विवरण, ट्रेन का शेड्यूल, ट्रेन चलने की लाइव ट्रैकिंग आदि देख सकते हैं।#*
- आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट मोबाइल ऐप में नई "विस्टाडोम" श्रेणी का कार्यान्वयन।#*
- *आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट मोबाइल ऐप में आईपे बुकिंग का प्रसार।*
- आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट मोबाइल ऐप में टिकट रद्द करने पर यात्रा बीमा प्रीमियम राशि का रिफंड शुरू।*
- ट्रेन सूची पृष्ठ पर कैश से अंतिम अद्यतन समय में बर्थ उपलब्धता स्थिति प्रदर्शित करने के लिए आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट मोबाइल ऐप में परिवर्तन किया गया।*
- आईआरसीटीसी सर्वर की तारीख और समय अब रेल कनेक्ट एंड्रॉइड ऐप के ट्रेन सर्च पेज पर प्रदर्शित होता है ताकि उपयोगकर्ता के मोबाइल डिवाइस और आईआरसीटीसी सर्वर पर समय के अंतर के कारण भ्रम से बचा जा सके।#*
- आईआरसीटीसी वेबसाइट से ई–टिकटों की बुकिंग पर इलेक्ट्रॉनिक रिजर्वेशन सप (ईआरएस) का नया आकर्षक डिजाइन पेश किया गया।ऽ
- बैंक ऑफ बड़ौदा कार्ड को शामिल करने के लिए आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट मोबाइल ऐप के लॉयल्टी अकाउंट में बदलाव किया गया।#
- अक्तूबर–2022 से आईआरसीटीसी ई–वॉलेट उपयोगकर्ता को सुविधा प्रदान करने के लिए, आईआरसीटीसी ई–वॉलेट कभी समाप्त नहीं होगा और आजीवन निःशुल्क उपलब्ध रहेगा।#
- आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट मोबाइल ऐप में भारतीय रेलवे के आईटी एप्लीकेशनों में उपयोगकर्ता के अनुभव का पता लगाने के लिए मरेटिंगफ का कार्यान्वयन किया गया।#
- वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर कंटेंट क्यूब विज्ञापन विजेट का कार्यान्वयन।#@
- आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट मोबाइल ऐप में आस्क दिशा चैटबॉट सेवा को एडब्ल्यूएस आधारित यूआरएल अपडेट पर ले जाया गया।#*
- राजस्व सृजन के लिए त्रेेसश्रश अऊप्रबंधक पर इनमोबी एड नेटवर्क का एकीकरण।
- उपयोगकर्ता अब मोबाइल ऐप पर ईआरएस डाउनलोड कर सकते हैं और बुकिंग के बाद मेल में पीडीएफ फॉर्म में ईआरएस का अनुरोध कर सकते हैं।#@
- उपयोगकर्ता अब अपने आधार विवरण को फिर से सत्यापित कर सकते हैं।#
- गैर–वाणिज्यिक आईएसएल (स्टेशनों) को आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट मोबाइल ऐप में रूट विवरण में आवश्यक जानकारी के साथ प्रदर्शित किया जाएगा।#
- करंट बुकिंग पी.एन.आर. के लिए ऑनलाइन रद्दीकरण सुविधा उपलब्ध।@
- पीआरएस काउंटरों पर बुक किए गए पास/पीटीओ टिकट अब आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर ऑनलाइन रद्द किए जा सकते हैं।@
- मोबाइल ऐप (आईओएस प्लेटफॉर्म) आरडीएस मॉडल मोबाइल ऐप पर ईएमआई भुगतान प्रदाता के रूप में कैचे का एकीकरण।*
- आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट मोबाइल ऐप में वेबसाइट के अनुरूप हिंदी भाषा मोबाइल ऐप।#
- आरडीएस मॉडल पर आईआरसीटीसी रेल ई–टिकटिंग मोबाइल ऐप पर एमपीपी के रूप में ईज़बज़ का एकीकरण।#
- मोबाइल ऐप में आस्क दिशा चैटबॉट के माध्यम से बुकिंग का प्रसार।#
- रेल कनेक्ट मोबाइल ऐप के यूपीआई (अनन्य) भुगतान विकल्प में रेजरपे यूपीआई का एकीकरण।*
- आईआरसीटीसी वेबसाइट पर वीडियो विज्ञापन विजेट का एकीकरण।@
- ई–कैटरिंग से ट्रेन में खाना ऑर्डर करने के लिए रेल कनेक्ट ऐप में बदलाव किया गया।#
- बुकिंग के प्रसार के लिए मोबाइल ऐप में ळझरू की स्थिति में परिवर्तन।#
- बार–बार कैप्चा की शिकायतों और ऐप का उपयोग करने में कठिनाई दूर करने के लिए 26 दिसंबर, 22 को मोबाइल ऐप के लिए बायोमेट्रिक आधारित लॉगिन शुरू।
- आईआरसीटीसी ने अर्धसैनिक बलों के कर्मियों के लिए आरक्षित रेल ई–टिकट बुक करने के लिए ई–टिकटिंग एप्लिकेशन विकसित किया है। आईटीबीपी कर्मियों के लिए आरक्षित रेल ई–टिकट बुक करने के लिए 09 फरवरी, 2023 से भारत–तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) के लिए ई–टिकटिंग प्रणाली शुरू की गई। ।

एंड्रॉइड *आईओएस वेबसाइट

विज्ञापन / विपणन / प्रचार संबंधी कार्यकलाप –

- आईआरसीटीसी वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर पुश अधिसूचना सेवाएं – इस सुविधा के माध्यम से भारत गौरव पर्यटक ट्रेनों, ई-कैटरिंग, चैटबॉट बुकिंग से लेकर रामायण यात्रा, बस बुकिंग और ऐसी कई अन्य सुविधाओं के लिए आईआरसीटीसी के अपने उत्पादों के लिए पूरे भारत में उपयोगकर्ताओं को 875 करोड़ मोबाइल ऐप पुश नोटिफिकेशन और 348 करोड़ वेबसाइट पुश नोटिफिकेशन भेजे गए।

- अतिरिक्त विज्ञापन राजस्व के लिए एड नेटवर्क का एकीकरण – आईआरसीटीसी के लिए अतिरिक्त राजस्व सुगम बनाने के लिए 23 नवंबर, 2022 को गूगल एड मैनेजर में इनमोबी विज्ञापन नेटवर्क जोड़ा गया।
- डिजिटल इन्वेंट्री के माध्यम से राजस्व प्राप्ति को अधिकतम करने के लिए, वर्ष 2022 में क्यूबॉइड विजेट विज्ञापनों के लिए नया प्लेसहोल्डर, वीडियो विज्ञापन विजेट को आईआरसीटीसी वेबसाइट पर जोड़ा गया।

डेटा और सायबर सुरक्षा

कंपनी यह सुनिश्चित करने के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों पर भरोसा करती है कि उसकी सभी ऑनलाइन सेवाओं और उसके डेटा की गोपनीयता, अखंडता और उपलब्धता मौजूदा साइबर सुरक्षा खतरों से समुचित रूप से सुरक्षित रहे। कंपनी उन्नत सुरक्षा प्रणालियों के साथ अपने डेटा की सुरक्षा करती है और दुर्भावनाजन्य वायरस या अन्य साइबर खतरों से सिस्टम को सफलतापूर्वक बचाती है।

आईआरसीटीसी ई-टिकटिंग सिस्टम एक सुरक्षित प्रणाली है, जो साइबर खतरों और डेटा चोरी से सुरक्षा के लिए उद्योग-मानक के अनुरूप अत्याधुनिक सुरक्षा प्रौद्योगिकियों से सुसज्जित है। इसमें नेटवर्क फ़ायरवॉल, नेटवर्क घुसपैठ रोकथाम प्रणाली और वेब एप्लिकेशन फ़ायरवॉल आदि शामिल हैं। यह वेबसाइट विस्तारित सत्यापन (ईवी) एसएसएल/टीएलएस प्रमाणपत्र पर चलती है जिसमें वेबसाइट और उसके उपयोगकर्ताओं के बीच संपूर्ण डेटा एन्क्रिप्शन प्रदान किया जाता है। उपयोगकर्ता पासवर्ड जैसे संवेदनशील डेटा को डेटाबेस में कूट रूप में संग्रहीत किया जाता है।

नेट बैंकिंग और क्रेडिट/डेबिट कार्ड सहित सभी ऑनलाइन भुगतान एकीकरण को यूआरएल-रीडायरेक्शन मॉडल में कार्यान्वित किया गया है, जिसमें सभी उपयोगकर्ताओं को ऑन-लाइन भुगतान प्रक्रिया के लिए संबंधित बैंकों/भुगतान गेटवे वेबसाइटों पर पुनर्निर्देशित किया जाता है, जिससे आईआरसीटीसी की ओर से क्रेडिट/डेबिट कार्ड की डेटा लीक की आशंका पूरी तरह समाप्त हो जाती है।

कंपनी ने अपनी यात्रा और पर्यटन तथा खानपान सेवाओं के लिए आईसीटी इन्फ्रास्ट्रक्चर को भी नवीकृत किया है और अपनी साइबर सुरक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य से साइबर सुरक्षा के अनेक समाधान किए हैं जैसे वेब एप्लिकेशन फ़ायरवॉल, विशेषाधिकार प्राप्त पहचान प्रबंधन, सुरक्षित ईमेल गेटवे और मैलवेयर सैंडबॉक्सिंग समाधान आदि।

साइबर सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए कंपनी ने अपने यात्रा और पर्यटन व्यवसाय के लिए पीसीआई डीएसएस सुरक्षा प्रमाणन प्राप्त करने के लिए फरवरी 2022 में पीसीआई क्यूएसए की सेवाएं ली। पीसीआई डीएसएस प्रमाणन का अनुपालन वित्त वर्ष 2023-24 में अपेक्षित है।

अपने कार्यबल के लिए अपने उद्यम अनुप्रयोगों को सुरक्षित और विश्वसनीय रिमोट एक्सेस प्रदान करने के लिए, बहु-कारक प्रमाणीकरण क्षमता के साथ एक जीरो-ट्रस्ट आधारित सुरक्षित एक्सेस समाधान प्रस्तुत किया जा रहा है। यह समाधान आईआरसीटीसी कार्यबल को किसी भी समय, कहीं भी कार्पोरेट एप्लिकेशन और डेस्कटॉप में सुरक्षित रूप से लॉग इन करने और निजी एप्लिकेशन/सिस्टम में ऐसा कार्य करना सुकर बनाएगा जिनके लिए उन्हें कुशल और उत्पादक होने की आवश्यकता है। इस समाधान का कार्यान्वयन मई, 2023 तक पूरा किया जाएगा।

आईआरसीटीसी की गोपनीयता नीति सहित सूचना सुरक्षा नीतियां आईआरसीटीसी के कार्पोरेट पोर्टल (कर्मचारी लॉगिन के तहत) पर अपलोड की जाती हैं। इसका वेब लिंक सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है।

आगे बढ़ते हुए.....

आईआरसीटीसी ने अपने आशावादी दृष्टिकोण के साथ अपने सिस्टम में कुछ नई परियोजनाएं लाने की योजना बनाई है जो न केवल आईआरसीटीसी

के ब्रांड को बढ़ाएंगी बल्कि बाजार में प्रचलित नवीनतम नवीन प्रौद्योगिकियों के लिए कंपनी की विशेषज्ञता और अनुकूलनशीलता को भी दर्शाती है। साथ ही, नए व्यवसाय तैयार करने की भी उम्मीद है ताकि कंपनी के लिए अतिरिक्त राजस्व पैदा किया जा सके। अपने व्यावसायिक क्षेत्र का विस्तार करने के साथ-साथ आईआरसीटीसी, आईटीसी सिस्टम में सुधार के लिए प्रचलित नवीन तकनीकों का उपयोग करेगा।

इंटरनेट टिकटिंग द्वारा शुरू की जाने वाली कुछ भावी परियोजनाएँ इस प्रकार हैं –

ए. **उद्योग में उपलब्ध सर्वोत्तम समाधानों द्वारा बेहतर भुगतान सेवाएं –** आईआरसीटीसी की ई-टिकटिंग प्रणाली को भुगतान और रिफंड के मुद्दों का समाधान करना होगा क्योंकि सबसे बड़ी संख्या में शिकायतें इन्हीं मामलों की हैं। निर्बाध लेनदेन/रिफंड को सक्षम करने के लिए ई-कॉमर्स उद्योग में एकल भुगतान ऑर्केस्ट्रेशन समाधान का एकीकरण चलन में है। आईआरसीटीसी अब प्रूफ-ऑफ-कॉन्सेप्ट के आधार पर आईआरसीटीसी टिकटिंग प्रणाली पर भुगतान समाधानों का व्यापक सूट प्रदान करने जा रहा है। पीओसी की सफलता का आकलन करने के बाद, ऐसे समाधान का दीर्घकालिक एकीकरण छत्रशढ प्रणाली में किया जाएगा। इस समाधान में वरीय भुगतान सेवा प्रदाताओं के सरलीकृत एकीकरण और लेनदेन के समाधान और लेखांकन में आसानी को भी ध्यान में रखा गया है।

बी. **आईआरसीटीसी हेलीयात्रा ऑनलाइन टिकटिंग प्रणाली – श्री केदारनाथ धाम के लिए**

आईआरसीटीसी ने 22/03/2023 को 03 स्थानों (सिरसी, फाटा और गुप्तकाशी) से श्री केदारनाथ धाम तक आने-जाने के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं बुक करने हेतु ऑनलाइन टिकट बुकिंग प्रणाली (www.heliyatra.irctc.co.in) विकसित करने के लिए यूसीएडीए के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। आईआरसीटीसी हेलीयात्रा ऑनलाइन टिकट बुकिंग प्रणाली तीर्थयात्रियों को श्री केदारनाथ धाम के पवित्र तीर्थस्थल की यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर यात्रा के लिए आसान टिकट बुकिंग की सुविधा प्रदान करेगी।

आईआरसीटीसी और यूसीएडीए के बीच इस एमओयू की अवधि 5 वर्ष की है। इस परियोजना से न केवल आईआरसीटीसी के लिए अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न होने की अपेक्षा है बल्कि यह टीम के आईटी कौशल को भी दर्शाता है जिसके कारण भविष्य में ऐसे और अवसर मिल सकेंगे।

सी. **चैटबॉट सेवाओं को तृतीय पक्ष के संगठनों तक बढ़ाते हुए चैटबॉट का मौद्रीकरण –** अपने ई-टिकटिंग प्लेटफॉर्म पर चैटबॉट पूछताछ सेवा संचालित करने में अनुभव प्राप्त करने के बाद, आईआरसीटीसी अब विभिन्न व्यवसाय और कार्यों में सरकारी और निजी संगठनों के लिए एआई आधारित चैटबॉट सेवाओं (जैसे एआई चैटबॉट्स, वॉयसबॉट्स, वीडियोबॉट्स, वर्चुअल असिस्टेंट, इंटेलिजेंट आरपीए और बॉट्स आदि) का विस्तार करेगा।

एआई संचालित मल्टी-फॉर्मेट, मल्टी-लिंगुअल और मल्टी-चैनल वर्चुअल असिस्टेंट ग्राहकों को अपनाने, उनसे अपनी संबद्धता और संतुष्टि को बढ़ाने के अलावा संगठनों को परिचालन/समर्थन लागत बचाने और अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न करने में मदद करेगा।

डी. **तृतीय पक्ष के आपरेटरों को ट्रेन सूचना पूछताछ सेवाएं –** आईआरसीटीसी ने ट्रेन सूचना सेवाएं प्रदान करने के लिए सेवा प्रदाताओं के एकीकरण की नीति तैयार की है। ग्राहकों को उनके संबंधित प्लेटफार्मों पर प्रामाणिक ट्रेन जानकारी (उपलब्धता और किराया, स्टेशनों के बीच चलने वाली ट्रेनें, क्लस्टर स्टेशन सूची, ट्रेन अनुसूची, बोर्डिंग स्टेशनों की सूची, पीएनआर पूछताछ आदि) के प्रसार के लिए तीसरे पक्ष के ऑपरेटरों को ट्रेन सूचना पूछताछ सेवा प्रदान की जाएगी। यह सेवा उन फर्मों को प्रदान की जाएगी जो ऑनलाइन रेल टिकट बुकिंग सेवा प्रदान करने का इरादा नहीं रखते हैं, लेकिन जो अपने ग्राहकों को ट्रेन से संबंधित जानकारी प्रदान करना चाहते हैं। इससे न केवल ग्राहकों की सुविधा और संतुष्टि बढ़ेगी बल्कि ग्राहकों पर कोई अतिरिक्त खर्च लगाए बिना आईआरसीटीसी को एक नया राजस्व स्रोत बनाने में भी मदद मिलेगी।

ई. **बिल भुगतान और ई-मार्केट प्लेस –** आईआरसीटीसी तृतीय पक्ष के सेवा प्रदाताओं के साथ साझेदारी करते हुए अपनी वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर ई-मार्केट प्लेस और बिल भुगतान/रिचार्ज सेवाएं और ऑनलाइन बीमा जैसी अन्य तृतीय पक्ष की सेवाएं प्रदान करेगा। इससे न केवल कंपनी अपने ग्राहकों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करते हुए अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न कर अपने व्यवसाय में विविधता लाने में सक्षम होगी, बल्कि ई-कॉमर्स के परितंत्र और ग्राहकों को बनाए रखने का मार्ग भी प्रशस्त होगा।

एफ. **आईआरसीटीसी का फिनटेक कंपनी में विविधीकरण –**आईआरसीटीसी की अपनी व्यावसायिक पहल होने के नाते आईपे, आईआरसीटीसी की वेबसाइटों में इसके उपयोग और सरकारी व्यवसायों में बड़े बाजार के अवसर को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2018-19 में एक प्रायोगिक परियोजना के रूप में शुरू किया गया था, जहां आईआरसीटीसी का आईपे आवश्यकता आधारित भुगतान सेवा प्रदान करने का एक बढ़िया और बेहतर साधन बन गया है।

डिजिटल भुगतान और भारत सरकार के भारत को कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था बनाने के प्रयास के समय में, इस तरह के उत्पाद की

मांग और आपूर्ति में भारी अंतर है। इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी आईआरसीटीसी का उत्पाद होने के कारण, इसे विश्वास और विश्वसनीयता के मामले में निजी संस्थानों की तुलना में अतिरिक्त लाभ होगा।

इस संबंध में, आईआरसीटीसी की योजना पेमेंट एग्रीगेटर ("पीए") के रूप में काम करने की है। इसके लिए, आईआरसीटीसी आरबीआई से भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 ("पीएसएस अधिनियम") के तहत प्राधिकरण ("आरबीआई") प्राप्त करने की अपेक्षा रखता है।

ई. सिस्टम सुधार –

- **ऑटोमेटेड स्पीच रिकग्नीशन –** यह उभरती और अभिनव प्रौद्योगिकी 139 हेल्पलाइन सेवाओं के लिए शुरू की जाएगी। आईवीआरएस ग्राहक को 13 भाषाओं में स्वाभाविक बातचीत का अनुभव देने के लिए प्राकृतिक भाषा आधारित स्वचालन भाषण सुविधा को सक्षम करेगा। स्वचालित उत्तर को सक्षम बनाने और देश के विभिन्न हिस्सों के उपयोगकर्ताओं के लिए सुविधा को आसान बनाने के लिए निरंतर सुधार करते हुए सिस्टम को अपग्रेड किया जाएगा।

पैकेज्ड पेयजल (रेल नीर)

रेलनीर भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) की पहचान बताने वाला उत्पाद है। हमारा पैकेज्ड पेयजल अत्याधुनिक संयंत्रों में संसाधित, शुद्ध, बोतलबंद और पैक किया जाता है और यह भारतीय रेलवे नेटवर्क के सभी प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर व्यापक रूप से उपलब्ध है।

रेल नीर पेयजल प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर अनिवार्य कर दिया गया है और बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन बढ़ाने के लिए, आईआरसीटीसी देश भर में रेल नीर के अनेक संयंत्र स्थापित कर रहा है।

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान भुसावल (महाराष्ट्र) में 72000 बोतल प्रतिदिन की उत्पादन क्षमता वाला एक नया रेल नीर संयंत्र स्थापित किया गया है। 31 मार्च, 2023 तक, आईआरसीटीसी के 16 परिचालन संयंत्र नांगलोई, दानापुर, पालूर, अंबरनाथ, अमेठी, परसाला, बिलासपुर, साणंद, हापुड, मंडीदीप, नागपुर, जगीरोड, मनेरी, सांकराइल, ऊना और भुसावल में स्थित हैं, जिनमें से अमेठी, परसाला, साणंद, हापुड, मंडीदीप, नागपुर, जगीरोड, मनेरी, सांकराइल, ऊना, बिलासपुर और भुसावल के संयंत्र पीपीपी मॉडल के तहत संचालित हैं।

वित्त वर्ष 2021-22 की तुलना में वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान रेल नीर संयंत्रों का कार्य-निष्पादन इस प्रकार रहा –

वित्त वर्ष	उत्पादन (बोतल, करोड़ में)	विक्रयावर्त (रु. करोड़ में)	संयंत्र की उपयोगिता (%)
2022-23	35.77	315	73.32
2021-22	19.86	172.26	42.60

गुणता – नांगलोई, दानापुर, पालूर और बिलासपुर स्थित रेल नीर संयंत्र आईएसओ 9001- 2015 गुणता प्रबंधन प्रणाली प्रमाणित हैं जबकि रेल नीर प्लांट, अंबरनाथ स्थित रेल नीर संयंत्र आईएसओ 22000-2015 से प्रमाणित है।

रेल नीर पैकेज्ड पेयजल पर मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं द्वारा किए गए परीक्षणों के नतीजे बताते हैं कि रेल नीर की गुणता कीटनाशक अवशेषों के लिए यूरोपीय आर्थिक समुदाय (ईईसी) के मानदंडों के अनुरूप है।

रेलनीर प्लांट पलूर

रेलनीर प्लांट नांगलोई

प्रौद्योगिकी / क्षमता उन्नयन

डिज़ाइन की नकल और उसके परिणामस्वरूप नकली पानी की बिक्री की समस्या से निपटने के लिए, प्रायोगिक परियोजना के आधार पर एक सुरक्षा उपाय के रूप में रेल नीर की बोतल पर एक होलोग्राम लगाया गया है।

आईआरसीटीसी ने संयंत्रों में रेल नीर वितरण कार्यों की बिलिंग और निगरानी के लिए रेल नीर ऐप विकसित किया है। इससे रेल नीर परिचालन के कार्य-निष्पादन में सुधार हुआ है और हम इसका उपयोग महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले उपकरण के रूप में करने में सक्षम हैं।

रेल नीर की कैरिंग और फॉर्वर्डिंग एजेंसियों (सीएफए) को लाइसेंसधारियों को रेल नीर ऐप के माध्यम से चालान जारी करने, ट्रेनों और खानपान यूनिटों को स्टॉक की बिक्री और आपूर्ति के लाइव रिकॉर्ड और समाधान को सक्षम करने का अधिकार दिया गया है। इससे वास्तविक समय में बिल निपटान की प्रक्रिया सरल हुई है जिससे हर बार सटीक परिणाम मिलते हैं। इसके परिणामस्वरूप लेखन-सामग्री की बचत भी हुई है और समाधान के लिए समय भी मिलता है। इसके अलावा, बिलिंग का डेटा स्वचालित रूप से जीएसटी पोर्टल पर अपलोड किया जाता है।

आगे बढ़ते हुए...

आईआरसीटीसी की वर्तमान उत्पादन क्षमता लगभग 15.52 लाख लीटर/दिन है जो सोलह कार्यशील संयंत्रों में फैली हुई है। 2023-24 के दौरान भुवनेश्वर (उड़ीसा), कोटा (राजस्थान), विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश) के पास सिम्हाद्रि और विजयवाड़ा के पास मल्लवल्ली में चार और संयंत्रों के चालू होने से यह क्षमता बढ़कर लगभग 18.40 लाख लीटर/दिन तक हो जाएगी।

मानव संसाधन विकास

कंपनी नीति और संरचनात्मक परिवर्तनों पर अभिनव जोर देते हुए अपने कर्मचारियों के विकास में निवेश करना जारी रखे हुए है। व्यक्तियों और संगठन के बीच तालमेल सुधारने के लिए कई प्रगतिशील योजनाएं लागू की गई हैं। कार्य-निष्पादन प्रबंधन प्रणाली को नया स्वरूप देना, कर्मचारियों की भागीदारी बढ़ाना, आंतरिक संचार को मजबूत करना, ज्ञानार्जन और विकास के लिए ई-प्लेटफॉर्म आधारित पहलों का उपयोग और नेतृत्व विकास जैसी विशिष्ट पहल की जा रही है।

31 मार्च, 2023 तक, कंपनी में 2229 कर्मियों की कुल जनशक्ति थी जिसके विवरण नीचे दिए गए हैं -

वर्ग	कर्मचारियों की सं.
नियमित कर्मचारी	1356
प्रतिनियुक्ति पर	44
संविदा पर	162
बाह्य-स्रोतण	656#
सलाहकार	11

#सहायता सेवाएँ प्रदान करने के लिए जनशक्ति सेवा प्रदाता एजेंसी के माध्यम से नियुक्त।

कंपनी के नियमित कर्मचारियों में से महिला कर्मचारियों, एससी/एसटी/ओबीसी कर्मचारियों, दिव्यांग और भूतपूर्व सैनिकों का प्रतिशत नीचे दिया गया है-

वर्ग	कर्मचारियों की सं.	नियमित कर्मचारियों की कुल संख्या का % (1356)
महिला कर्मचारी	114	8.40
एससी कार्मिक	263	19.40
एसटी कार्मिक	71	5.23
अन्य पिछड़ा वर्ग	340	25.07
दिव्यांग	13	0.95

कर्मचारी कल्याण –

प्रत्येक कार्यस्थल कर्मचारियों की संतुष्टि पर निर्भर करता है। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि सभी कर्मचारी खुश, स्वस्थ, सुरक्षित और सृजनात्मक हों। कर्मचारी कल्याण से आशय कार्यस्थल के माहौल के ऐसे सभी पहलुओं से है जो अपने कर्मचारियों की खुशहाली का समर्थन करते हैं। इसमें शारीरिक सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य और तनाव-प्रबंधन कार्यक्रम शामिल हैं। इसमें स्वास्थ्य बीमा, छुट्टी का समय, सेवानिवृत्ति योजना और अन्य सहायक सेवाएँ जैसे कर्मचारी अनुलाभ भी शामिल होते हैं।

इस दिशा में आगे बढ़ते हुए, कंपनी ने निम्नलिखित पहल की -

- **कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना –** प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारियों सहित आईआरसीटीसी के सभी कर्मचारियों के लिए आकस्मिक मृत्यु के साथ-साथ प्राकृतिक मृत्यु की बीमारक्षा को 70 महीने के मूल वेतन और महंगाई भत्ते तक बढ़ाया गया है।
- **आईआरसीटीसी के नियमित कर्मचारियों के लिए अनुकंपा नियुक्ति नीति –** आईआरसीटीसी के उन नियमित कर्मचारियों के आश्रितों के लिए अनुकंपा आधार पर नियुक्ति की शुरुआत की गई, जिन्होंने सेवा के दौरान अपनी जान गंवा दी (आत्महत्या के मामले को छोड़कर), सेवा की शेष अवधि की परवाह किए बिना और सेवानिवृत्ति की आयु तक यह योजना लागू की जाती है।
- **कर्मचारी अंशदायी कल्याण योजना –** आईआरसीटीसी कर्मचारी अंशदायी कल्याण योजना आईआरसीटीसी के कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में परिवार को तत्काल वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। कर्मचारी प्रति माह रु.100/- की मामूली राशि का अंशदान दैकर स्वैच्छिक आधार पर इस योजना का सदस्य बन सकता है।.
- **आईआरसीटीसी चिकित्सा सहायता नियम –** अस्पताल में भर्ती होने और घर के अंदर ध्यान देने की आवश्यकता वाले चिकित्सा उपचार के लिए, पैनल के अस्पतालों, सरकारी अस्पतालों, सरकारी सहायता प्राप्त अस्पतालों आदि में किए गए खर्चों की पूरी प्रतिपूर्ति की जा रही है। इस योजना में कैंसर, गुर्दे की विफलता, हृदय रोग, आदि जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित कर्मचारियों/परिवार को शामिल किया जाता है।
- **सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा योजना (पीआरएमएस) –** यह सेवानिवृत्ति उपरांत कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को उनकी चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के लिए एक सामाजिक

सुरक्षा उपाय है। इस योजना को आईडीए वेतनमान में पात्र ऐसे कर्मचारियों और उनके जीवनसाथियों को सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा अनुलाभ प्रदान करने के लिए विस्तारित किया गया है जो सीपीएसई में 15 साल की सेवा पूरी करने के बाद 01.01.2007 को या उसके बाद अधिवार्षिता पर सेवानिवृत्त/सेवानिवृत्त हुए हैं/मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। इस योजना में ऐसे कर्मचारियों को भी शामिल किया जाता है जो 01.01.2007 को या उसके बाद पहले ही अधिवार्षिता पर सेवानिवृत्त, सेवानिवृत्त या चिकित्सकीय रूप से सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

- **चिकित्सा उपचार की वैकल्पिक पद्धति –** चिकित्सा सहायता की वैकल्पिक पद्धति को बढ़ावा देने के लिए, आईआरसीटीसी कार्पोरेट कार्यालय और उत्तरी क्षेत्र के कर्मचारियों को होम्योपैथिक चिकित्सकों की निशुल्क परामर्शदात्री सेवाएँ प्रदान कर रहा है। होम्योपैथिक उपचार ने बड़ी संख्या में कर्मचारियों और उनके परिवारों को सामान्य खांसी, सर्दी और मौसमी बीमारियों जैसी बीमारियों से उबरने में मदद की है।

- **मृत कर्मचारी को अंतिम संस्कार का व्यय –** मृत कर्मचारी के आश्रित परिवार के सदस्यों को अंतिम संस्कार के खर्च के रूप में रु. 25,000/- की अनुग्रह राशि प्रदान की जाती है।

- **शिक्षुओं की नियुक्ति –** कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार, आईआरसीटीसी स्वीकृत संख्या के 2.5% से 10% के बैंड में प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षुओं को नियुक्त करने के अपने दायित्व को विधिवत पूरा कर रहा है। प्रशिक्षण की इस अवधि के लिए, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार प्रत्येक प्रशिक्षु को वजीफा का भुगतान किया जाता है। वर्ष 2022-23 के दौरान, 68 प्रशिक्षुओं (यानी कुल कर्मचारी संख्या का 5.5%) को नियुक्त किया गया। वर्ष 2023-24 में 224 प्रशिक्षुओं की नियुक्त करने का लक्ष्य है।

- **टॉक टू मैनेजमेंट –** हाल ही में, मटॉक टू मैनेजमेंटफ नामक योजना शुरू की गई है जहां कर्मचारी/संविदा कर्मचारी आईआरसीटीसी के एचआर प्रमुख (यानी समूह महाप्रबंधक/एचआरडी) के साथ अपनी लंबे समय से लंबित शिकायतों या संगठन या किसी अन्य मुद्दे पर, अपने नियंत्रण अधिकारी/पर्यवेक्षक के हस्तक्षेप के बिना कार्य-निष्पादन में सुधार के लिए अपने अभिनव विचार के बारे में अनौपचारिक रूप से बातचीत कर सकता है। इस योजना का मूल उद्देश्य कर्मचारी की शिकायत को सुलझाने करने के अलावा संगठन की प्रणाली में सुधार के लिए मविचार-मंथनफ के माध्यम से कर्मचारियों से सुझाव प्राप्त करना है।

- **कर्मचारियों को प्रशिक्षण –** प्रशिक्षण प्रकोष्ठ ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान खाद्य संरक्षा और स्वच्छता, पीओएसएच, एमडीपी, अभिमुखी कार्यक्रम, वर्चुअल कैंपस से संबंधित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जिनमें सभी स्तरों के कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। पिछले वित्त वर्ष 2021-22 और वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान आयोजित प्रशिक्षणों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है –

वित्त वर्ष	प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सं.	प्रशिक्षित स्टाफ की सं.	श्रमदिवस
2021-22	26	1250	6538
2022-23	68	1285	8529

दिए गए प्रशिक्षण का संक्षिप्त विवरण –

- पिछले वित्त वर्ष में आयोजित प्रशिक्षण की तुलना में कर्मचारियों के प्रशिक्षण में अत्यधिक वृद्धि हुई।
- कार्य नैतिकता, योग और ध्यान, सामाजिक और भावनात्मक स्वास्थ्य, पीओएसएच, जेम, खाद्य संचालकों के लिए भोजन संरक्षा, जनसंपर्क के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम, संकट के बाद व्यक्तिगत और व्यावसायिक लचीलापन, साइबर सुरक्षा आदि जैसे कर्मचारी केंद्रित दृष्टिकोण वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों की विस्तृत शृंखला का आयोजन।
- कंपनी के क्षमता निर्माण के लिए आईआरसीटीसी प्रशिक्षण पोर्टल के माध्यम से वर्चुअल क्लासरूम सीजन 2 (एएम से लेकर जीएम स्तर के अधिकारियों द्वारा आयोजित सत्र) का आयोजन।
- ऑनलाइन माध्यम से आईआरसीटीसी पर्यवेक्षी कर्मचारियों के लिए परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण।
- आईआरसीटीसी पर्यटन विभाग के लिए भारत गौरव ट्रेन कार्यशाला।
- अधिकारियों को प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से विभिन्न प्रबंधन विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया जिनका विवरण इस प्रकार है –
- मेसर्स इंस्टीट्यूट ऑफ एचआरडी द्वारा बेंगलूरु में योग्यता-आधारित साक्षात्कार कौशल।
- स्कोप द्वारा "संगठनात्मक उत्कृष्टता के लिए सजगकता" पर 02 दिवसीय ऑनलाइन कार्यशाला।
- होटल द ललित में मेसर्स प्रिंसटन अकादमी द्वारा "श्रम कानून, पीएफ, ईएसआई, बोनस, ग्रेच्युटी संबंधी वैधानिक अनुपालन" पर 02 दिवसीय कार्यशाला।
- एनएफएसयू, गांधीनगर (गुजरात) में "निवारणात्मक सतर्कता" पर 03 दिवसीय कार्यशाला।
- एनएएचआरडी द्वारा "सूचना का अधिकार अधिनियम" पर 02 दिवसीय ऑनलाइन कार्यशाला।
- आईएसटीएम के माध्यम से संपर्क अधिकारियों (एससी/एसटी) (डब्ल्यूएलओ एससी/एसटी-21) के लिए कार्यशाला।
- एआईएमए द्वारा ऑनलाइन प्रशिक्षण ब्रीच प्रिवेंशन एंड रिस्पांस कोलोक्वियम।
- आईआईसीए, मानेसर में बोर्ड स्तर से नीचे के अधिकारियों में व्यावसायिकता के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम।
- आईआईएम विशाखापत्तनम डीपीई द्वारा डिजिटल युग में कार्पोरेट ब्रांडिंग।
- कार्पोरेट प्रशिक्षण और विकास संकाय (एफसीटीडी) द्वारा "प्रबंधकीय उत्कृष्टता के लिए स्वयं विकास"।
- क्रिस द्वारा "भारतीय रेलवे की पुनर्कल्पना - एकीकृत परिवहन के लिए डेटा एनालिटिक्स की शक्ति का उपयोग" विषय पर 01 दिवसीय संगोष्ठी।

- इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग (आईआईपी) द्वारा 02 दिवसीय "एशियाई पैकेजिंग कांग्रेस – 3एस पैकेजिंग"।
- सीएसडीटी द्वारा "कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न निवारण अधिनियम 2013" पर ओपन हाउस कॉन्क्लेव।

वित्त वर्ष–2022–23 के दौरान आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण

क्र. सं.	कार्यक्रम का नाम	सहभागी	अवधि (दिन)	उपस्थितों की सं.	श्रमदिवस	कुल प्रशिक्षण के घंटे
1	मैसर्स पीसीटीआईएल द्वारा जनमित्र प्रशिक्षण	पर्यवेक्षक एवं ऊपर की श्रेणी	2	850	1700	3400
2	शेष बैचों के लिए फोस्टैक प्रशिक्षण	कामगार एवं ऊपर की श्रेणी	1	150	150	450
3	मेसर्स इंस्टीट्यूट ऑफ एचआरडी द्वारा बेंगलूरु में क्षमता–आधारित साक्षात्कार कौशल।	जेजीएम एवं ऊपर की श्रेणी	2	2	4	28
4	प्रशासनिक सतर्कता– मेसर्स आईएसटीएम द्वारा आईओ/पीओ की भूमिका	पर्यवेक्षक एवं ऊपर की श्रेणी	5	6	30	150
5	मेसर्स इंस्टीट्यूट ऑफ एचआरडी द्वारा मुंबई में क्षमता–आधारित साक्षात्कार कौशल।	एजीएम एवं ऊपर की श्रेणी	2	2	4	28
6	स्कोप द्वारा "संगठनात्मक उत्कृष्टता के लिए सजगका" पर 02 दिवसीय ऑनलाइन कार्यशाला	प्रबंधक और डीजीएम	2	2	4	32
7	एआईएमए द्वारा "मटर्स के लिए मेंटरिंग विशेष प्रशिक्षण" पर 02 दिवसीय ऑनलाइन सत्र।	पर्यवेक्षक एवं ऊपर की श्रेणी	2	8	16	128
8	होटल द ललित में मेसर्स प्रिंसटन अकादमी द्वारा "श्रम कानून, पीएफ, ईएसआई, बोनस, ग्रेच्युटी वैधानिक अनुपालन" पर 02 दिवसीय कार्यशाला।	पर्यवेक्षक एवं ऊपर की श्रेणी	12	1	12	96
9	स्कोप द्वारा सीपीएसई में "सीएसआर का कार्यान्वयन" पर 01 दिवसीय कार्यशाला।	जीजीएम एवं ऊपर की श्रेणी	1	1	1	8
10	स्कोप द्वारा सीपीएसई में "एमएसएमई और जेम" पर एक दिवसीय कार्यशाला।	जीजीएम एवं ऊपर की श्रेणी	1	1	1	8
11	डॉ. रेड्डी फाउंडेशन द्वारा सामान्य कैंसर जागरूकता पर वेबिनार	सभी कर्मचारी	1	70	70	560
12	मेसर्स स्कोप द्वारा योग के साथ स्व–सशक्तिकरण।	प्रबंधक और पर्यवेक्षक	1	4	4	16
13	पीओएसएच पर वेबिनार	सभी कर्मचारी	1	550	550	1100
14	सुश्री अर्चना सिंह (योग प्रशिक्षक) द्वारा कार्यस्थल पर योग	सभी कर्मचारी	3	100	300	600
15	इशा फाउंडेशन द्वारा कल्याण के लिए योग प्रौद्योगिकी	सभी कर्मचारी	1	110	110	220
16	ब्रह्माकुमारियों द्वारा स्वस्थ एवं सुखी जीवन के लिए ध्यान	कामगार एवं ऊपर की श्रेणी	1	30	30	90
17	बजाज फाइनेंस द्वारा संपूर्ण सेवानिवृत्ति समाधान पर वेबिनार	सभी कर्मचारी	1	60	60	120
18	एचएलएल प्रबंध अकादमी द्वारा "गवर्नमेंट ई–मार्केट" (जेम) पर 02 दिवसीय कार्यशाला	मुख्य पर्यवेक्षक	2	1	2	36
19	बजाज फाइनेंस द्वारा उज्ज्वल भविष्य के लिए निवेश समाधान पर वेबिनार	सभी कर्मचारी	1	50	50	150
20	पिंसटन अकादमी द्वारा "ट्रेन द ट्रेनर" पर 02 दिवसीय ऑनलाइन कार्यशाला	पर्यवेक्षक	2	4	8	48
21	एचआर कॉन्क्लेव 2022– पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा एचआर शिफ्टिंग गियर्स	प्रबंधक	1	2	2	16

क्र. सं.	कार्यक्रम का नाम	सहभागी	अवधि (दिन)	उपस्थितों की सं.	श्रमदिवस	कुल प्रशिक्षण के घंटे
22	सीईआरटी-इन द्वारा "औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली - सुरक्षा अनिवार्यताएँ" पर ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम	डीजीएम	1	1	1	4
23	एनएफएसयू, गांधीनगर (गुजरात) में "निवारणात्मक सतर्कता" पर 03 दिवसीय कार्यशाला	निदेशक	3	1	3	72
24	स्कोप द्वारा "सर्वोत्तम वित्तीय रिपोर्टिंग पद्धतियों के अनुसार वित्तीय विवरण की तैयारी" पर कार्यशाला	एएम एवं ऊपर की श्रेणी	1	2	2	16
25	एनएएचआरडी द्वारा "सूचना का अधिकार अधिनियम" पर 02 दिवसीय ऑनलाइन	पर्यवेक्षक एवं ऊपर की श्रेणी	1	8	8	128
26	एआईएमए द्वारा "लीन मेथडोलॉजी" पर ऑनलाइन प्रशिक्षण	पर्यवेक्षक एवं ऊपर की श्रेणी	1	4	4	12
27	एफएसएस और आईआरसीटीसी रसोई प्रभारियों के लिए 03 दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण	पर्यवेक्षक एवं ऊपर की श्रेणी	3	30	90	810
28	आईएसटीएम के माध्यम से संपर्क अधिकारियों (एससी/एसटी) (डब्ल्यूएलओ एससी/एसटी-21) के लिए कार्यशाला।	जेजीएम एवं ऊपर की श्रेणी	2	4	8	64
29	आईआईएम, जम्मू द्वारा डिजिटल युग में संप्रेषण और शंका-समाधान	प्रबंधक और डीजीएम	5	2	10	80
30	आईआईटी, गुवाहाटी द्वारा डिजिटल युग में रणनीतिक विपणन प्रबंधन अनुभव डिजाइन और प्रौद्योगिकी प्रबंधन दृष्टिकोण	जेजीएम और एजीएम	5	2	10	80
31	डीपीई द्वारा कंपनी सचिवों (केएमपी) के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	एजीएम एवं ऊपर की श्रेणी	2	1	2	32
32	वीएमसी कंसल्टिंग द्वारा ऋषिकेश में 3 दिवसीय जोखिम प्रबंधन कार्यशाला	डीजीएम एवं ऊपर की श्रेणी	3	3	9	216
33	एआईएमए द्वारा ऑनलाइन प्रशिक्षण ब्रीच प्रिवेंशन एंड रिस्पांस कोलोक्वियम	पर्यवेक्षक एवं ऊपर की श्रेणी	1	3	3	12
34	डीपीई प्रशिक्षण सितम्बर, 22	पर्यवेक्षक एवं ऊपर की श्रेणी	5	10	50	6000
35	प्रिंसटन अकादमी द्वारा "आईटी लेखापरीक्षा" पर ऑनलाइन कार्यशाला	पर्यवेक्षक एवं ऊपर की श्रेणी	1	7	7	21
36	मेसर्स थिंक स्टार्टअप द्वारा 2 डी फिनटेक बूट कैंप	पर्यवेक्षक एवं ऊपर की श्रेणी	2	25	50	300
37	वर्चुअल कैंपस सीज़न - II (संस्थागत प्रशिक्षण)	आईआरसीटीसी के सभी कर्मचारी	30	80	2400	19200
38	अखिल भारतीय प्रबंधन संघ (एआईएमए) द्वारा रोजगार योग्यता कौशल	आईआरसीटीसी के सभी प्रशिक्षु	1	20	20	120
39	एआईएमए द्वारा ऑनलाइन गेमिफिकेशन वर्कशॉप	एजीएम	1	5	5	15
40	आईआईसीए, मानेसर में बोर्ड स्तर से नीचे के अधिकारियों में व्यावसायिकता के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम	एजीएम	3	2	6	48
41	आईपीई द्वारा हैदराबाद में कार्पोरेट सुधार और बदलती कार्पोरेट रणनीति पर एमडीपी	पर्यवेक्षक एवं ऊपर की श्रेणी	2	3	6	48

क्र. सं.	कार्यक्रम का नाम	सहभागी	अवधि (दिन)	उपस्थितों की सं.	श्रमदिवस	कुल प्रशिक्षण के घंटे
42	सीएसआर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा "सीएसआर- विनियामक ढांचा और चुनौतियां" पर 14वां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 2022	पर्यवेक्षक एवं ऊपर की श्रेणी	1	2	2	16
43	एनएफएसयू द्वारा वित्तीय अपराध की जांच	पर्यवेक्षक एवं ऊपर की श्रेणी	3	6	18	144
44	एचआरडी संस्थान द्वारा भावी संगठनों के निर्माण में मानव संसाधन की भूमिका	प्रबंधक एवं ऊपर की श्रेणी	2	2	4	32
45	आईआईएम विशाखापत्तनम डीपीई द्वारा डिजिटल युग में कार्पोरेट ब्रांडिंग।	जेजीएम	4	1	4	32
46	लोक उद्यम संस्थान, हैदराबाद द्वारा साइबर अपराध और सुरक्षा उपाय	कार्यपालक एवं ऊपर की श्रेणी	3	2	6	48
47	ड4 के लिए परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण	मुख्य पर्यवेक्षक	15	120	1800	7200
48	एनएफएसयू द्वारा फोरेंसिक दस्तावेज़ परीक्षा के माध्यम से जोखिम न्यूनीकरण	प्रबंधक एवं ऊपर की श्रेणी	5	3	15	120
49	स्कोप द्वारा "जेम के माध्यम से एमएसई से सीपीएसई की खरीद"।	मुख्य पर्यवेक्षक और प्रबंधक	1	2	2	16
50	"भारत गौरव ट्रेन" (बीजीटी) पर 01 दिवसीय कार्यशाला	जीजीएम एवं ऊपर की श्रेणी	1	5	1	8
51	आर्काइविस्ट नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया द्वारा "अभिलेख के लिए अभिलेख प्रबंधन"।	प्रबंधक एवं ऊपर की श्रेणी	3	3	9	72
52	लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन एकेडमी द्वारा "व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में खुद का सर्वश्रेष्ठ संस्करण कैसे बनें"।	मुख्य पर्यवेक्षक एवं ऊपर की श्रेणी	1	4	4	32
53	मेसर्स नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल (एनपीसी) द्वारा "अपशिष्ट जल उपचार संयंत्रों (डब्ल्यूडब्ल्यूटीपी) में संचालन व रखरखाव तथा उन्नत कार्य" पर 03 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	प्रबंधक	3	2	6	144
54	एनआईजीएएम द्वारा "सूचना का अधिकार और कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण"	प्रबंधक और जेजीएम	2	2	4	32
55	कार्पोरेट प्रशिक्षण और विकास संकाय (एफसीटीडी) द्वारा "प्रबंधकीय उत्कृष्टता के लिए स्वयं का विकास"	जेजीएम और एजीएम	2	2	4	32
56	डॉ. रेड्डीज़ फाउंडेशन द्वारा "मिर्गी- देखभाल और सावधानी" पर कल्याण सत्र	जेजीएम के डीईओ (ओएस)	1	35	35	140
57	आर्काइविस्ट नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया द्वारा "अभिलेख के लिए अभिलेख प्रबंधन"।	प्रबंधक एवं ऊपर की श्रेणी	3	1	3	24
58	बजाज कैपिटल द्वारा वित्तीय योजना और कर बचत	आईआरसीटीसी के कर्मचारी	1	50	50	200
59	क्रिस द्वारा "भारतीय रेलवे की पुनर्कल्पना - एकीकृत परिवहन के लिए डेटा एनालिटिक्स की शक्ति का उपयोग" विषय पर 01 दिवसीय संगोष्ठी	जेजीएम और एजीएम	1	3	3	24
60	मेसर्स प्रिंसटन एकेडमी द्वारा "वेलनेस, फिटनेस और पावर ड्रेसिंग" पर 01 दिवसीय कार्यशाला	मुख्य पर्यवेक्षक और कार्यपालक	1	8	8	64

क्र. सं.	कार्यक्रम का नाम	सहभागी	अवधि (दिन)	उपस्थितों की सं.	श्रमदिवस	कुल प्रशिक्षण के घंटे
61	मेसर्स इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ लॉजिस्टिक्स एंड मैटेरियल्स मैनेजमेंट (आईआरआईएलएमएम) द्वारा "जेम के माध्यम से जीएफआर और सार्वजनिक खरीद" पर 02 दिवसीय सेमिनार	कार्यपालक और जेजीएम	2	2	4	64
62	भारतीय पैकेजिंग संस्थान (आईआईपी) द्वारा 02 दिवसीय "एशियाई पैकेजिंग कांग्रेस – पैकेजिंग 3एस"	जीएम और जेजीएम	2	2	4	64
63	"भारत गौरव ट्रेन (बीजीटी)" पर ऑनलाइन प्रशिक्षण सह कार्यशाला	आईआरसीटीसी के कर्मचारी	1	150	150	900
64	अरुण जेटली डीपीई द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग	जीजीएम और जेजीएम	5	2	10	80
65	सीएसडीटी द्वारा "कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न निवारण अधिनियम 2013" पर ओपन हाउस कॉन्क्लेव	जेजीएम और प्रबंधक	1	2	2	16
66	प्रिंसटन अकादमी द्वारा "प्रशिक्षण आवश्यकता विश्लेषण – टीएनए" पर 01 दिवसीय लाइव ऑनलाइन, परिचर्चात्मक कार्यशाला	मुख्य पर्यवेक्षक	1	2	2	8
67	नव पदोन्नत सहायक पर्यवेक्षकों (डब्ल्यूजेड, ईजेड, एसजेड, एससीजेड, एनजेड) का प्रवेश प्रशिक्षण।	सहायक पर्यवेक्षक	5	105	525	4200
68	आईआईटी दिल्ली से डिजिटल मार्केटिंग प्रशिक्षण में 6 महीने का ऑनलाइन पाठ्यक्रम	सीएमडी	52	1	52	156
सकल योग				**2631**	**8529**	**48430**

औद्योगिक संबंध

कंपनी में औद्योगिक संबंधों का माहौल परंपरागत रूप से सामंजस्यपूर्ण और सौहार्दपूर्ण रहा है। कंपनी में एक सहयोगात्मक और निर्बाध आईआर माहौल बनाए रखा गया है ताकि आईआरसीटीसी के लोग बदलते कारोबारी माहौल के कारण कंपनी के सामने आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार रहें। कंपनी के सामने आने वाली चुनौतियों से निपटने में प्रबंधन का समर्थन करने के लिए सशक्तिकरण, पारदर्शिता, विकेंद्रीकरण और सहभागी प्रबंधन के अभ्यास से कंपनी में एक प्रभावी कार्य संस्कृति स्थापित है।

कर्मचारियों के विवरण

अधिनियम की धारा 134(3)(ई) के प्रावधान सरकारी कंपनी पर लागू नहीं होते हैं। इसलिए, अधिनियम की धारा 178 (3) के तहत आवश्यक निदेशकों की नियुक्ति और अन्य मामलों पर कंपनी की नीति का विवरण प्रदान नहीं किया गया है।

इसी तरह, सरकारी कंपनी को अधिनियम की धारा 197 से भी छूट प्राप्त है। इसलिए, कंपनी के ऐसे प्रत्येक कर्मचारी के नाम और अन्य विवरण दर्शाने वाले विवरण के संबंध में प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है, जो यदि पूरे वित्त वर्ष के दौरान/वर्ष की आंशिक अवधि में नियुक्त थे और उक्त नियमों में निर्धारित सीमा से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त कर रहे थे, कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5 (1) / (2) के साथ पठित अधिनियम की धारा 197 (12) के संदर्भ में प्रदान नहीं किए गए हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) / ईआरपी का प्रयोग

वर्ष के दौरान, कंपनी ने ईआरपी का नवीनतम उन्नत संस्करण "ओरेकल रिलीज 12" अपनाया है। वित्त, क्रय, वस्तुसूची प्रबंधन और उन्नत कार्यक्षमता वाले सभी अनुबंध जैसी कार्यात्मक प्रक्रियाएं कंपनी में अखिल भारतीय आधार पर लागू की जाती हैं।

संगठन के सभी आधिकारिक डेटा को उपयोगकर्ता के पहुंच अधिकार नियंत्रण के साथ सुरक्षित परिवेश में इलेक्ट्रॉनिक रूप से रखा गया है।

उपरोक्त के अलावा और दैनिक कामकाज में इलेक्ट्रॉनिक साधनों के व्यापक उपयोग के लक्ष्य के साथ, संगठन में विभिन्न संस्थागत एप्लिकेशन डिजाइन, विकसित और कार्यान्वित किए गए हैं। विभिन्न उपयोगकर्ता विभागों के बीच आईटी एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम करता है। वर्ष के दौरान कर्मचारियों के साथ-साथ आम जनता के हित के लिए कई पहल की गई हैं।

आईआरसीटीसी के कर्मचारियों के आंतरिक प्रयोग हेतु पहल –

वर्ष के दौरान, कंपनी ने ईआरपी के फिक्स्ड एसेट मॉड्यूल को सफलतापूर्वक लागू किया है।

इसके अलावा, विभिन्न संस्थागत विकसित सॉफ़्टवेयर एप्लिकेशन को भी अंचल और क्षेत्रों में सफलतापूर्वक लागू किया गया है।

ए. आईआरसीटीसी में वर्ष के दौरान कर्मचारियों (कर्मचारियों, पर्यवेक्षक और कार्यपालक स्तर के कर्मचारियों/अधिकारी) के ऑनलाइन मूल्यांकन के लिए कार्य-निष्पादन प्रबंधन प्रणाली को सफलतापूर्वक लागू किया गया है। इस एप्लिकेशन की कुछ प्रमुख विशेषताएं नीचे बताई गई हैं–

- ✓ डिजिटल और उपयोग में आसान
- ✓ भूमिका आधारित नेविगेशन, सुरक्षित एवं प्रमाणित समय की बचत करने वाला
- ✓ कागज रहित (पर्यावरण अनुकूल) एवं सुपाठ्य (लंबी अवधि तक पढ़ने योग्य)।
- ✓ ट्रैक करना आसान है
- ✓ कुशलता बढ़ाओ
- ✓ ऑटो अलर्ट (ईमेल)

बी. सभी कर्मचारियों के लिए एंड्रॉइड आधारित एचआरएमएस मोबाइल ऐप सफलतापूर्वक लागू किया गया है। इसकी मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई हैं–

- ✓ लेपपशलीं (आईआरसीटीसी की संस्थागत तिमाही पत्रिका)
- ✓ देखने के लिए कर्मचारी सेल्फ सर्विस सुविधा
- ✓ वेतन पर्ची
- ✓ मासिक आईटीआर
- ✓ फॉर्म 16
- ✓ एपीएआर/पीएमएस रिपोर्ट
- ✓ वार्षिक संपत्ति विवरणी रिपोर्ट
- ✓ ग्रेच्युटी नामांकन रिपोर्ट
- ✓ नीतियां
- ✓ निम्न की ऑनलाइन सुविधा;
- ✓ लीव मैनेजमेंट
- ✓ हकदारिता

सी. आईआरसीटीसी के सभी कर्मचारियों के लिए संस्थागत रूप से विकसित ओपन सोर्स एचआरएमएस डैशबोर्ड लागू किया गया। मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एचआरएमएस) ऐसा सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन है जिसका उपयोग कर्मचारियों की नियुक्ति से लेकर सेवानिवृत्ति तक की जानकारी संग्रहीत करने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित से संबंधित जानकारी आसान बनाने के लिए सिस्टम में कॉन्फ़िगर किए गए मॉड्यूल –

- ✓ कर्मचारियों का सेवा रिकार्ड
- ✓ सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत जानकारी
- ✓ पिछली नियुक्तियां
- ✓ अन्य सूचना
- ✓ संदर्भ
- ✓ पारिवारिक विवरण
- ✓ चिकित्सा मूल्यांकन एवं सत्यापन
- ✓ कार्यग्रहण करने के प्रारंभिक विवरण

- ✓ योग्यता, पदोन्नति,
- ✓ सज़ा, स्थानान्तरण
- ✓ दस्तावेज़ अपलोड
- ✓ पेरोल (वेतन पर्ची, आयकर शीट, बचत विवरण) व्यय / प्रतिपूर्ति (सामान्य / यात्रा)

कर्मचारियों के आधिकारिक कामकाज में सहायता करने और बाहरी जनता के लिए अधिक इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए ऑनलाइन सिस्टम विकसित और कार्यान्वित किया गया;

"निविदा ट्रैकिंग और प्रबंधन प्रणाली" का उपयोग करते हुए, इस एप्लिकेशन के माध्यम से किसी भी निविदा की स्थिति का ऑनलाइन पता लगाया जा सकता है।

संगठन के कार्य-निष्पादन में सुधार लाने के लिए प्रबंधन के साथ संवाद करने और विचारों को साझा करने के लिए "टॉक टू मैनेजमेंट सिस्टम" नामक एक डिजिटल रूप से संचालित पद्धति शुरू की गई। इस विशेष पहल का उद्देश्य संगठन की प्रणाली में सुधार के लिए कर्मचारियों से सुझाव प्राप्त करना है।

आईआरसीटीसी से बाहर की आम जनता के लिए किए गए प्रयास

कानूनी मामले की स्थिति तुरंत प्राप्त करने के लिए "लिटिगेशन मैनेजमेंट सिस्टम" नामक एक प्रबंधन टूल शुरु किया गया है। इस एप्लिकेशन का विकास सीमित पहुंच वाले अधिवक्ताओं के लिए किया गया है।

चालान और स्थिति ट्रैकिंग को तुरंत अपलोड करने हेतु विक्रेताओं के लिए "सप्लायर बिल स्टेटस" नामक एप्लिकेशन विकसित किया गया है।

कार्यालय का डिजिटलीकरण

आईआरसीटीसी में ई-ऑफिस प्रणाली के 100% उपयोग की उपलब्धि हासिल की गई है। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट की मदद से डेटा सुरक्षा बनाए रखी जाती है।

खरीद के लिए जेम का अनिवार्य उपयोग

वर्ष के दौरान, पूंजीगत वस्तुओं, उपभोग्य सामग्रियों के साथ-साथ अंचल व क्षेत्रों में सेवाओं की खरीद के लिए जेम पोर्टल का बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया।

सतर्कता

आईआरसीटीसी में सतर्कता स्कंध एक प्रमुख विभाग है जो सीवीसी, रेलवे बोर्ड सतर्कता और संगठन के बीच प्रत्यक्ष लिंक के रूप में कार्य करता है। इसे संगठन में धोखाधड़ी, कदाचार, भ्रष्टाचार और अनुचित/गैरकानूनी व्यावसायिक आचरण का समय पर पता लगाने के लिए समय-समय पर विभिन्न औचक निरीक्षण करने और विभिन्न अन्य विभागों के अभिलेख/दस्तावेजों की जांच करने की जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। यह दोषी अधिकारियों के खिलाफ सतर्कता प्रशासन, नीति और अनुशासनात्मक कार्यवाही के मामलों से निपटने में आईआरसीटीसी प्रबंधन और रेलवे बोर्ड सतर्कता के बीच समन्वय का कार्य करता है। आईआरसीटीसी के सतर्कता स्कंध का नेतृत्व पूर्णकालिक सीवीओ द्वारा किया जाता है, जिसकी सहायता कार्पोरेट कार्यालय में डिप्टी सीवीओ, 3 सतर्कता अधिकारी और 3 मुख्य सतर्कता निरीक्षक करते हैं। विभिन्न अंचलों में अतिरिक्त 5 सतर्कता अधिकारी तैनात किए गए हैं जो अपने अंचल में सतर्कता संबंधी मामले संभालते हैं। सीवीसी की विस्तारित शाखा होने के नाते सीवीओ संगठन में पारदर्शिता, निष्पक्ष प्रक्रियाओं, अच्छे व्यवसाय आचरण और सतर्कता जागरूकता की संस्कृति को आगे बढ़ाने में प्रयासरत रहते हैं। सतर्कता विभाग खुफिया जानकारी एकत्र करने, निगरानी और चौकसी की कार्य संस्कृति को बढ़ावा देने पर ध्यान देता है। सक्रिय निवारणात्मक सतर्कता उपाय करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य निष्पक्ष प्रणालियों और प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करना है ताकि पारदर्शिता बढ़े और विवेकाधिकार की संभावना कम हो।

वर्ष 2022-23 की अवधि के दौरान सतर्कता विभाग ने 6 शिकायतों की विस्तारपूर्वक जांच की और 41 शिकायतों को आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित विभाग को भेजा। खानपान और ई-टिकटिंग के क्षेत्र में कुल 114 निवारक/औचक जाँच की गईं। पाए गए कदाचार और भ्रष्टाचार की घटनाओं को लाइसेंसधारियों और दोषी कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए संबंधित विभाग को सूचित किया गया। इसके परिणामस्वरूप रु.19,90,745/- का जुर्माना वसूला गया। इसके अलावा, सतर्कता विभाग की अनुशंसा पर विशेषकर खरीद, खानपान और ई-टिकटिंग क्षेत्र में कदाचार की घटनाओं को कम करने के लिए विभिन्न विभागों द्वारा 3 प्रणालियों में सुधार किए गए।

सीवीसी के दिशानिर्देशों में अनिवार्य बनाए गए अनुसार, सीएमडी ने सीवीओ के साथ सतर्कता विभाग की गतिविधियों और कार्य-निष्पादन की समय-समय पर समीक्षा की। केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के निर्देशों के अनुसार आईआरसीटीसी में 31 अक्तूबर, 2022 से 6 नवंबर 2022 तक ""सतर्कता जागरूकता सप्ताह"" मनाया गया, जिसका विषय ""विकसित राष्ट्र के लिए भ्रष्टाचार मुक्त भारतफ्र था जिसके अंतर्गत सभी कर्मचारियों ने ""अखंडता शपथ"" ली। प्रणाली में सुधार के माध्यम से निवारक उपायों के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से आईआरसीटीसी के सभी कार्यालयों में विभिन्न कार्यक्रम/प्रतियोगिताएं/संगोष्ठियां आयोजित किए गए। इसके अलावा, ""तेजसथॉन"" जैसी नई पहल लागू की गई जिसमें आम जनता के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए यात्रियों के साथ परिचर्चात्मक सत्र आयोजित किए गए। ये कार्यक्रम सभी हितधारकों, कर्मचारियों, संबद्ध विक्रेताओं और नागरिकों की सामूहिक प्रतिभागिता सुनिश्चित करने और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए प्रोत्साहित करने और भ्रष्टाचार की मौजूदगी, कारणों और उसकी गंभीरता और खतरे के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया गया।

Corruption free India for a developed Nation

REJECT
SAY NO TO CORRUPTION

अखंडता संधि

आईआरसीटीसी ने केंद्रीय सतर्कता आयोग की सिफारिशों के अनुरूप अखंडता संधि कार्यक्रम लागू किया जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कंपनी या सरकारी विभागों और उनके आपूर्तिकर्ताओं के बीच सभी गतिविधियों और लेनदेन को निष्पक्ष, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त तरीके से संचालित किया जाए। आईआरसीटीसी द्वारा अखंडता संधि को अपनाने से स्वस्थ व्यवसाय पद्धतियां स्थापित करने में मदद मिली है। सार्वजनिक खरीद/अनुबंधों में पारदर्शिता और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए, आईआरसीटीसी ने अखंडता संधि को अपनाया है। सीवीसी की मंजूरी से आईआरसीटीसी में एक स्वतंत्र बाहरी मॉनिटर नियुक्त किया गया है। वर्तमान में डॉ. परवेज़ हयात, आईपीएस (सेवानिवृत्त) आईआरसीटीसी में अखंडता संधि के लिए आईईएम हैं। अखंडता संधि की निगरानी और कार्यान्वयन के लिए अखंडता संधि के लिए एक समन्वयक की भी नियुक्ति की गई है। अखंडता संधि का उपयोग अब उन सभी निविदाओं में किया जा रहा है जिनका मूल्य निर्धारित सीमा से अधिक है।

सचेतक नीति / सतर्कता तंत्र की स्थापना

सतर्कता तंत्र की स्थापना संबंधी प्रकटण कार्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट के तहत अनुबंध- "बी" में किया गया है। सतर्कता तंत्र के अलावा, कंपनी में मुख्य सतर्कता अधिकारी की अध्यक्षता में एक पूर्ण सतर्कता विभाग है। यह विभाग सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सतर्कता प्रबंधन पर केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार काम करता है और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी निर्देशों द्वारा आगे निर्देशित होता है। सतर्कता गतिविधियों का मुख्य ध्यान जनता के बीच जागरूकता फैलाने के लिए कर्मचारियों और अन्य हितधारकों के साथ नियमित बातचीत करते हुए निवारणात्मक और सहभागी सतर्कता रहा है।

कार्पोरेट सामाजिक दायित्व

कंपनी पिछले कई वर्षों से सीएसआर संबंधी विभिन्न गतिविधियों में सक्रिय रूप से लगी हुई है, जिसमें पूरे देश में सामाजिक कल्याण/उत्थान गतिविधियों की संपूर्ण शृंखला शामिल है। कंपनी ने सीएसआर के तहत प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ स्वास्थ्य की देखभाल और साफ-सफाई, महिलाओं और सामाजिक/आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों की शिक्षा और सशक्तिकरण आदि शामिल हैं। वर्ष के दौरान, कंपनी ने विभिन्न सीएसआर गतिविधियों पर रु.12.53 करोड़ की संपूर्ण राशि खर्च की। वर्ष के लिए सीएसआर की झलकियों के साथ कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कंपनी की सीएसआर गतिविधियों पर एक रिपोर्ट इस रिपोर्ट के अनुबंध- "सी" में दी गई है। सीएसआर समिति की संरचना कार्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में प्रदान की गई है। कंपनी की सीएसआर नीति कंपनी की वेबसाइट वेब लिंक https://www.irctc.com/assets/images/CSR-Vision-Document.pdf पर देखी जा सकती है।

अनुपालन

- **सूचना का अधिकार अधिनियम**

  सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित मामलों से निपटने के लिए कंपनी भर में एक विस्तृत तंत्र स्थापित किया गया है। आरटीआई अधिनियम के तहत आवश्यक बनाए गए अनुसार, विस्तृत जानकारी कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट यानी https://www.irctc.com/rti.html पर उपलब्ध कराई गई है जिसे नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है जिसमें अन्य बातों के अलावा सीपीआईओ / एपीआईओ / अपीलीय प्राधिकारियों का विवरण, अनिवार्य प्रकटीकरण पर तीसरे पक्ष की लेखापरीक्षित रिपोर्ट आदि शामिल हैं। फास्ट ट्रैक मोड में आरटीआई आवेदनों पर कार्यवाई करने के लिए, आईआरसीटीसी प्रत्येक आवेदन के लिए एक विशेष पंजीकरण नंबर (यूआरएन) प्रदान करता है जिसका उत्तर संबंधित सीपीआईओ/पीआईओ द्वारा निर्धारित समय के भीतर दिया जाता है।

  कंपनी डीओपीटी, भारत सरकार द्वारा शुरु किए गए ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल का उपयोग करती है और पोर्टल के माध्यम से प्राप्त सभी आवेदन/अपील का निपटारा पोर्टल के माध्यम से ही किया जाता है। तिमाही रिपोर्ट/वार्षिक रिपोर्ट, निर्धारित समय-सीमा के भीतर, केंद्रीय सूचना आयोग की वेबसाइट www.cic.gov.in पर अपलोड की जाती हैं।

  2022-23 के दौरान, आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत कुल 1836 आरटीआई आवेदन और 141 आरटीआई अपीलें प्राप्त हुईं और सभी आवेदनों का निपटान/निपटारा समय पर किया गया।

विवरण	31.03.2022 को प्रारंभिक शेष	धारा 6(3) के तहत अन्य पीए से प्राप्त आवेदनों की सं.	वर्ष के दौरान प्राप्त [अन्य पीए को अंतरित मामलों सहित]	धारा 6(3) के तहत अन्य पीए को भेजे गए आवेदनों की सं.	निर्णय जिनमें अनुरोध/अपील खारिज किए गए	निर्णय जिनमें अनुरोध / अपील का उत्तर दिया गया	31.03.2023# को अंतिम शेष
अनुरोध	101	0	1836	348	1	1555	33
प्रथम अपील	5	0	141	0	6	138	2

#-लंबित मामले आरटीआई अधिनियम, 2005 के अनुसार 30 माह की निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर हैं।

राष्ट्रपति के निर्देश

कंपनी रेल मंत्रालय से समय-समय पर प्राप्त होने वाले राष्ट्रपति के निर्देशों का पालन करती है। हालाँकि, वर्ष के दौरान कोई राष्ट्रपति निर्देश प्राप्त नहीं हुआ।

राजभाषा

वर्तमान में, आईआरसीटीसी के कार्पोरेट कार्यालय में, समूह महाप्रबंधक/रेल नीर को अपने सामान्य कार्य के अलावा हिंदी के प्रशासनिक कार्य की देखभाल के लिए मुख्य राजभाषा अधिकारी और प्रबंधक/सेवा/प्रशासन को राजभाषा अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। इसके अलावा राजभाषा सहायक अपने अधीन सभी प्रकार के कार्य नियमित रूप से कर रहे हैं जैसे आईआरसीटीसी के सभी अंचलों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में राजभाषा विभाग से संबंधित कार्यों का निष्पादन, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम का पालन, मार्गदर्शन करना एवं राजभाषा विभाग से संबंधित सभी कार्यों की जानकारी देना।

इसी प्रकार, आईआरसीटीसी के सभी अंचलों और क्षेत्रीय कार्यालयों में, केंद्र सरकार के कार्यालयों/उपक्रमों/सार्वजनिक निकायों/विभागों के राजभाषा विभाग के सेवानिवृत्त अधिकारियों, वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी/राजभाषा अधिकारी, वरिष्ठ अनुवादक और अनुवादक को राजभाषा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। आईआरसीटीसी के 05 अंचल कार्यालयों में से 03 अंचल कार्यालयों में राजभाषा सलाहकार की नियुक्ति की जा चुकी है, शेष 02 कार्यालय उत्तर एवं पूर्वी जोन में राजभाषा सलाहकार की नियुक्ति का कार्य प्रक्रियाधीन है।

भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुसार, प्रत्येक सरकारी कार्यालय में हिंदी पुस्तकालय स्थापित करना आवश्यक है जिसमें फर्नीचर, अलमारी, वाचनालय आदि की उचित व्यवस्था आवश्यक है। इसके अनुपालन में कार्पोरेट कार्यालय के राजभाषा विभाग में एक पुस्तकालय की व्यवस्था की गई है। इस पुस्तकालय में विभिन्न प्रकार की रोचक एवं ज्ञानवर्धक हिंदी पुस्तकें उपलब्ध हैं। इनमें हिंदी साहित्य के प्रख्यात एवं सुप्रसिद्ध लेखकों एवं रचनाकारों के उपन्यास, कहानी संग्रह, कविता संग्रह तथा विभिन्न समसामयिक विषयों पर अनेक विश्लेषणात्मक एवं ज्ञानवर्धक पुस्तकें शामिल हैं। ये सभी पुस्तकें निगम की 10वीं मंजिल, आईआरसीटीसी, बाराखंभा रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001 में उपलब्ध हैं।

हिंदी पखवाड़ा 2022

आईआरसीटीसी के कार्पोरेट कार्यालय, इंटरनेट टिकटिंग सेंटर और पुंज हाउस में 19 से 26 सितंबर, 2022 तक हिंदी पखवाड़ा 2022 का आयोजन किया गया। राजभाषा सप्ताह के दौरान रेल मंत्री एवं अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/आईआरसीटीसी के हिंदी दिवस पर जारी संदेशों को कार्पोरेट कार्यालय के साथ-साथ सभी अंचल एवं अधीनस्थ कार्यालयों में प्रचारित करने के निर्देश दिए गए तथा कार्पोरेट कार्यालय के प्रत्येक अधीनस्थ कार्यालय में राजभाषा सप्ताह के बैनर प्रदर्शित किए गए।

हिंदी निबंध, हिंदी टिप्पण-आलेखन एवं शब्द ज्ञान, हिंदी श्रुतलेख, "हिंदी की स्थिति एवं भविष्य"-भाषण प्रतियोगिता आदि सहित विभिन्न प्रतियोगिताएँ आयोजित की गईं। वर्ष 2022 में आयोजित प्रतियोगिताओं में कुल 162 प्रतियोगियों ने भाग लिया।

संसदीय समिति द्वारा निरीक्षण

वर्ष 2022 के दौरान संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उप-समिति द्वारा आईआरसीटीसी के अंचल कार्यालयों, दक्षिण क्षेत्र/चेन्नै, दक्षिण मध्य क्षेत्र/सिकंदराबाद, पूर्वी क्षेत्र/कोलकाता और इसके क्षेत्रीय कार्यालयों, जयपुर और पटना का सफलतापूर्वक राजभाषाई निरीक्षण किया गया तथा समिति ने आईआरसीटीसी के कार्यालयों में राजभाषा की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया तथा राजभाषा में किए जा रहे कार्यों की सराहना की। आईआरसीटीसी के अंचल कार्यालयों के सफल निरीक्षण और उत्कृष्ट समन्वय के लिए संसदीय राजभाषा समिति द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान किए गए।

क्षेत्रीय कार्यालय/जयपुर का निरीक्षण –

संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उपसमिति द्वारा 24 से 28 फरवरी 2023 तक जैसलमेर, जोधपुर एवं आसपास स्थित केन्द्र सरकार के कार्यालयों/उपक्रमों का राजभाषाई निरीक्षण किया गया जिसमें 28 फरवरी 2023 को जयपुर कार्यालय का सफल निरीक्षण किया गया।

अंचल कार्यालय / चेन्नै का निरीक्षण –

18.05.22 को संसदीय राजभाषा समिति ने आईआरसीटीसी, दक्षिणी क्षेत्र के कार्यालय का निरीक्षण किया। इस बैठक में संसदीय राजभाषा समिति की अध्यक्षता श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी ने की, जिसमें श्रीमती रंजनबेन भट्ट, श्री मनोज तिवारी सांसद उपस्थित थे। संसदीय समिति ने चेन्नै कार्यालय द्वारा किए गए व्यवस्थित एवं समन्वित कार्य की सराहना की।

आंचलिक कार्यालय/सिकंदराबाद का निरीक्षण।

24.08.22 को संसदीय राजभाषा समिति ने आईआरसीटीसी, दक्षिण मध्य क्षेत्र के कार्यालय का निरीक्षण किया। बैठक की अध्यक्षता संसदीय समिति श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी ने की।

क्षेत्रीय कार्यालय/पटना का निरीक्षण –

दिनांक 10.05.22 को संसदीय राजभाषा समिति द्वारा आईआरसीटीसी के क्षेत्रीय कार्यालय, पटना का निरीक्षण किया गया। इस बैठक में संसदीय समिति की अध्यक्षता श्री भर्तृहरि महताब ने की, जिसमें श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी, श्री मनोज तिवारी, श्रीमती संगीता यादव आदि सांसद उपस्थित थे।

इसके अलावा राजभाषा विभाग द्वारा प्रत्येक तिमाही के अंत में निगम राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं। कार्पोरेट कार्यालय रेलवे बोर्ड में आयोजित रेलवे हिंदी सलाहकार समिति की बैठकों, रेलवे बोर्ड राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों, रेलवे राजभाषा अधिकारियों की बैठक और नराकास (उपक्रम) द्वारा आयोजित सभी बैठकों में नियमित रूप से भाग लेता है। आईआरसीटीसी और इसके अंचल और क्षेत्रीय कार्यालय संबंधित राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास) के भी सक्रिय सदस्य हैं, जिसमें भारत सरकार के सभी शीर्ष उपक्रम सदस्य होते हैं।

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम (रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम) 2013 के तहत प्रकटीकरण की आवश्यकता

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और उसके नियमों का सख्ती से अनुपालन किया जा रहा है। कंपनी कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए प्रतिबद्ध है और ऐसी घटनाओं की सूचना मिलने पर त्वरित कार्रवाई करती है। अधिनियम के अनुसार, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने और उनकी सुरक्षा बनाए रखने के लिए, आईआरसीटीसी ने कंपनी के कार्पोरेट कार्यालय के साथ-साथ अंचल कार्यालयों में अधिनियम के तहत आवश्यक संरचना के साथ आंतरिक शिकायत समिति को नामित किया है।

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान यौन उत्पीड़न की तीन (3) शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें से दो (2) का निपटारा वर्ष के दौरान किया गया। हालाँकि, 31 मार्च, 2023 तक, एक (1) शिकायत लंबित थी, जिसका समाधान वित्त वर्ष की समाप्ति के बाद कर दिया गया है।

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) से खरीद

भारत सरकार की सार्वजनिक खरीद नीति, यथा संशोधित, के अनुरूप, कंपनी को माल और सेवाओं की कुल खरीद का न्यूनतम 25% एमएसई से खरीदना आवश्यक है, जिसमें से 4% एससी/एसटी उद्यमियों और 3% महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसई की खरीद निर्धारित है। । वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान एमएसई से खरीद इस प्रकार रही -

परिमापी	लक्ष्य	वास्तविक उपलब्धि
एमएसई (सामान्य, आरक्षित एससी / एसटी और महिलाएं) से कुल खरीद	25%	36.51 %
एससी / एसटी वाले एमएसई से खरीद	4% (25% में से उप-लक्ष्य)	0.057 %
महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसई से खरीद	3% (25% में से उप-लक्ष्य	0.64 %

उप-लक्ष्यों में कमी विक्रेताओं की अनुपलब्धता के कारण थी;

एससी/एसटी उद्यमों के स्वामित्व वाले एमएसई से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए उद्यमियों की पहचान करने के लिए कई पहल की गईं।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने निर्देश जारी किए कि सभी सीपीएसई को भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना के अनुसार स्थापित प्लेटफ़ॉर्म ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (ढठशऊड) का प्रयोग करना होगा।

उपर्युक्त निर्देशों का पालन करते हुए आपकी कंपनी एमएसई की व्यापार प्राप्तियों के वित्तपोषण की सुविधा के लिए उनकी प्राप्तियों की छूट और नियत तारीख से पहले उनके भुगतान की वसूली की सुविधा के लिए ढठशऊड प्लेटफॉर्म का प्रयोग कर रही है।

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, एमएसई द्वारा एमएसएमई समाधान - विलंबित भुगतान निगरानी प्रणाली पर 01 शिकायत (रेल नीर) दाखिल की गई थी, जिस पर एमएसईएफसी में सुनवाई चल रही है।

कंपनी अधिनियम 2013 / सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 के तहत अनुपालन

वार्षिक विवरणी

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत बताई गई आवश्यकता अनुसार, वार्षिक विवरणियां कंपनी की वेबसाइट पर डाली जाती हैं जिन्हें https://irctc.com/Annual%20Return.html लिंक में देखा जा सकता है।

जमा राशियां

कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय त के तहत जनता से कोई जमा स्वीकार या आमंत्रित नहीं किया है। इसलिए, कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8 (5) (v) के तहत रिपोर्ट की जाने वाली आवश्यक जानकारी शून्य है।

इसके अलावा, सचिवीय मानकों में दिए गए अनुसार, जमाकर्ताओं के संबंध में पुनर्भुगतान के लिए समय बढ़ाने, लगाए गए जुर्माने, यदि कोई हो, के संबंध में राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी)/ राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) के आदेशों के विवरण संबंधी जानकारी भी शून्य है।

दिए गए ऋण और गारंटी, किए गए निवेश और प्रदान की गई प्रतिभूतियों का विवरण

वर्ष के दौरान, कंपनी ने कोई ऋण नहीं दिया, कोई निवेश नहीं किया; या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के तहत कंपनी (बोर्ड की बैठकें और इसकी शक्तियां) नियम, 2014 के तहत कोई गारंटी प्रदान नहीं की है। इसलिए, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 186 के तहत रिपोर्ट की जाने वाली जानकारी शून्य है।

संबंधित पक्षों के साथ अनुबंध और व्यवस्थाएँ

कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी के दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुरूप, महत्वपूर्ण आरपीटी पर एक नीति तैयार की गई है जिसे https://www.irctc.com/assets/images/irctc%20RPT_07112022.pdf लिंक पर देखा जा सकता है।

कंपनी ने व्यवसाय के सामान्य क्रम और स्वतंत्र संव्यवहार आधार पर वर्ष के दौरान संबंधित पक्षों (रेल मंत्रालय, भारत सरकार, रेल मंत्रालय के तहत आने वाली सरकारी कंपनियों/विभागों, जैसे सीआरआईएस, रेलटेल और आरवीएनएल) के साथ लेनदेन किया है। लागू लेखा

मानकों के अनुसार आरपीटी से संबंधित प्रकटण कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के नोट-44 में किए गए हैं।

इसे ध्यान में रखते हुए, अधिनियम की धारा 188 के साथ पठित धारा 134(3)(एच) और कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(2) के संदर्भ में फॉर्म संख्या एओसी-2 इस रिपोर्ट के "अनुबंध-एच" में दिया गया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली

आपकी कंपनी ने अपने व्यवसाय के कुशल संचालन, अपनी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम करने और उनका पता लगाने, लेखा अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता और कंपनी के संचालन के अनुरूप विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी सुनिश्चित करने के लिए नीतियों और प्रक्रियाओं को निर्धारित करते हुए पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किया है। आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की प्रभावशीलता प्रबंधन समीक्षा, स्व-मूल्यांकन और आंतरिक लेखा परीक्षक द्वारा स्वतंत्र परीक्षण के माध्यम से सुनिश्चित की जाती है, जो दर्शाता है कि आपकी कंपनी के पास कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुपालन में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है और ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हैं प्रभावी ढंग से संचालित हैं। लेखापरीक्षा समिति वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु इसकी प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समीक्षा करती है। वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (ळ) के संदर्भ में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट वित्तीय विवरणों के साथ रखी गई है।

मेसर्स एस.के. गुजराती, चार्टर्ड अकाउंटेंट को कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रण (आईएफसी) के प्रमाणीकरण के लिए नियुक्त किया गया।

आंतरिक लेखापरीक्षक एवं आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की रिपोर्ट विचार एवं विचार-विमर्श हेतु लेखापरीक्षा समिति के समक्ष रखी गई। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का विवरण **अनुबंध-"ए"** में दी गई प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट में दिया गया है।

जोखिम प्रबंधन

कंपनी ने एक बोर्ड स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया है जिसकी संरचना, आयोजित बैठक और विचारार्थ विषय का विवरण **अनुबंध -"बी"** में दी गई कार्पोरेट गवर्नेंस की रिपोर्ट के तहत दिया गया है।

कंपनी में बोर्ड स्तर से नीचे की एक समिति भी है, जिसमें जीजीएम स्तर के अधिकारी होते हैं, जिसमें मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) के रूप में जीएम (गुणता परियोजनाएं और कार्पोरेट समन्वय) शामिल होते हैं। समिति का कार्य कंपनी में उचित जोखिम प्रबंधन ढांचा स्थापित करने के लिए आईआरसीटीसी के विशिष्ट व्यावसायिक क्षेत्रों से संबंधित जोखिमों की पहचान करना है।

बोर्ड से नीचे की जोखिम प्रबंधन समिति की तिमाही बैठकों के दौरान, बोर्ड स्तरीय समिति में विभिन्न जोखिमों की पहचान की गई और उन पर चर्चा की गई। पहचाने गए कुछ प्रमुख जोखिम नीचे बताए गए हैं-

(i) रणनीतिक व व्यावसायिक जोखिम

(ii) प्रतिष्ठा का जोखिम

(iii) व्यवसाय निरंतरता जोखिम

(iv) खानपान कार्य जोखिम

(v) रेल नीर संचालन जोखिम

शमन रणनीतियों के साथ पहचाने गए जोखिमों का विवरण **अनुबंध-"ए"** में संलग्न प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट में दिया गया है।

उल्लेखीय और महत्वपूर्ण आदेश

नियामकों या अदालतों या न्यायाधिकरणों द्वारा लाभप्रद सक्रिय व्यवसाय की स्थिति और भविष्य में कंपनी के संचालन को प्रभावित करने वाले कोई उल्लेखनीय या महत्वपूर्ण आदेश पारित नहीं किए गए हैं।

सचिवीय मानक

कंपनी ने लागू सीमा तक भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानकों का अनुपालन किया है।

निवेशक शिक्षा व सुरक्षा निधि (आईईपीएफ)

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुपालन में आईईपीएफ को अंतरित अदत्त / अदावी लाभांश और शेयरों का विवरण कार्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में दिया गया है।

लेखापरीक्षकों द्वारा धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग

लेखा परीक्षकों ने वर्ष की अपनी रिपोर्ट में कंपनी के अधिकारियों/ कर्मचारियों द्वारा की गई धोखाधड़ी के किसी भी मामले की सूचना नहीं दी है।

प्रतिभूतियों की क्रेडिट रेटिंग

वित्त वर्ष 22-23 के दौरान कंपनी को रेटिंग एजेंसियों द्वारा कोई क्रेडिट रेटिंग नहीं मिली है। इससे संबंधित अधिक जानकारी कार्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में दी गई है।

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत शुरु की गई कार्पो रेट दिवालिया समाधान प्रक्रिया

कंपनी के पास उपरोक्त के तहत प्रकट करने के लिए कोई जानकारी नहीं है।

किसी कार्पोरेट कार्य को करने में विफलता

कंपनी ने सभी कार्पोरेट कार्रवाइयों को निर्धारित समयसीमा के भीतर सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया है। इसलिए, कंपनी के पास रिपोर्ट करने ऐसी कोई विफलता नहीं है।

कार्पोरेट गवर्नेंस में हरित पहल

कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण एमसीए और सेबी द्वारा दी गई छूट के अनुरूप और महरित पहलफ को आगे बढ़ाते हुए, कंपनी ने केवल ऐसे सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट भेजी है जिनके ईमेल आईडी संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों यानी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड के पास दर्ज थे। इसके अलावा, हरित पहल के अंतर्गत बैठकों की कार्यसूची एन्क्रिप्शन और पासवर्ड सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से भेजी गई।

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा आय और व्यय आदि से संबंधित विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एम) जिसे कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8 के साथ पढ़ा जाना है, के तहत प्रकट किए जाने हेतु आवश्यक ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा आय और व्यय आदि से संबंधित विवरण इस प्रकार है –

आईआरसीटीसी द्वारा प्रदूषण से बचने, कम करने और नियंत्रित करने वाली प्रक्रियाओं, पद्धतियों, सामग्रियों और उत्पादों का उपयोग करते हुए अपने संचालन, उत्पादों और सेवाओं से प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने के लिए सभी प्रयास और पहल की जाती है। सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित करने और पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता को कम करने के लिए सभी संयंत्रों/यूनिटों में संबंधित पर्यावरण कानूनों का अनुपालन और विभिन्न प्रदूषण नियंत्रण सुविधाओं का प्रभावी संचालन सुनिश्चित किया जाता है।

इसके अलावा, अपने खानपान संचालन में, कंपनी ने पारंपरिक एलपीजी सिलेंडर के बजाय पाइप्ड प्राकृतिक गैस आधारित खाना पकाने और सफाई, धुलाई और बीके-एनडीएलएस में बाथरूम में आरओ अपशिष्ट जल का पुन: उपयोग करते हुए एनडीएलएस में अपने बेस किचन में ऊर्जा और पानी बचाने के लिए कई नवीन तकनीकों को अपनाया है। ।

उपर्युक्त विवरण व्यावसायिक दायित्व रिपोर्ट में **अनुबंध-"डी"** में उल्लिखित हैं।

प्रौद्योगिकी अवशोषण –

संबंधित विवरण नीचे टेबल में दिए गए हैं –

क्र. सं.	विवरण	स्थिति
(ए)	आयातित प्रौद्योगिकी के विवरण	शून्य
(बी)	आयात का वर्ष	लागू नहीं
(सी)	क्या प्रौद्योगिकी को पूरी तरह अवशोषित किया गया	लागू नहीं
(डी)	यदि नहीं, तो उन क्षेत्रों के नाम बताएं जहां अवशोषण नहीं किया गया और उसके कारण भी बताएं	लागू नहीं

- **अनुसंधान व विकास पर किया गया खर्च**

  आपकी कंपनी विशिष्ट अनुसंधान परियोजनाओं पर कार्य नहीं करती है क्योंकि वह ऐसे क्षेत्र में नहीं है। हालाँकि, तकनीकी क्षमता में सुधार और क्षमता बढ़ाने के लिए, कुछ तरीकों और तकनीकों का विकास किया गया है और इसके व्यावसायिक क्षेत्रों के लिए नवीन प्रणालियाँ पेश की गई हैं।

- **विदेशी मुद्रा आय और व्यय**

  पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान वास्तविक प्राप्ति के संदर्भ में अर्जित विदेशी मुद्रा और वर्ष के दौरान वास्तविक व्यय के संदर्भ में विदेशी मुद्रा का व्यय नीचे उल्लिखित है–

(रु. करोड़ में)

विवरण	2022–23	2021–22
विदेशी मुद्रा आय	27.37	19.37
विदेशी मुद्रा व्यय		
विदेश यात्रा व्यय	0.23	0.01
अन्य व्यय	0.24	-

निदेशकों का चक्रानुक्रम पर सेवानिवृत्ति

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और कंपनी के संस्था के अंतर्नियमों के अनुसार, श्री नीरज शर्मा, ईडी (पीएम), रेलवे बोर्ड और सरकार द्वारा नामित निदेशक और श्री अजीत कुमार, निदेशक (वित्त) कंपनी की आगामी 24वीं एजीएम में चक्रानुक्रम के आधार पर सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी हैं और पात्र होने के कारण स्वयं को पुनः नियुक्ति के लिए पेश करते हैं। आगामी एजीएम में पुनर्नियुक्ति चाहने वाले ऐसे निदेशकों का विवरण एजीएम के नोटिस में दिया गया है।

निदेशकों की कार्य–निष्पादन मूल्यांकन नीति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(पी) के प्रावधानों के तहत एक सूचीबद्ध संस्था के लिए यह आवश्यक बनाया गया है कि वह बोर्ड, उसकी समितियों और निदेशकों के कार्य-निष्पादन के औपचारिक मूल्यांकन के तरीके को इंगित करने वाला विवरण शामिल करे। हालाँकि, कार्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) की दिनांक 05.06.2015 और 05.07.2017 की अधिसूचना के अनुसार सरकारी कंपनियों को उक्त प्रावधानों से छूट दी गई है। रेल मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाली एक सरकारी कंपनी होने के नाते आईआरसीटीसी को कंपनी अधिनियम के उपर्युक्त प्रावधानों से भी छूट दी गई है।

आईआरसीटीसी में, कार्यशील निदेशकों के कार्य-निष्पादन के मूल्यांकन में संबंधित कार्यशील निदेशकों द्वारा स्व-मूल्यांकन और उसके बाद रेल मंत्रालय द्वारा अंतिम मूल्यांकन के साथ सीएमडी द्वारा मूल्यांकन शामिल है।

सीएमडी के कार्य-निष्पादन मूल्यांकन में स्व-मूल्यांकन और रेल

मंत्रालय द्वारा अंतिम मूल्यांकन शामिल होता है।

जहां तक सरकार द्वारा नामित निदेशकों का संबंध है, उनका मूल्यांकन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार रेल मंत्रालय द्वारा किया जाता है। चूंकि, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा की जाती है, इसलिए उनका मूल्यांकन भी रेल मंत्रालय और लोक उद्यम विभाग द्वारा किया जाता है।

ज्ञान प्रबंधन तंत्र

एक सामान्य ज्ञान प्रबंधन पोर्टल के माध्यम से महत्वपूर्ण स्तर हासिल करने का लक्ष्य तय करते हुए, जो सभी संगठनों के कर्मचारियों के बीच महत्वपूर्ण ज्ञान को पहचानने, सृजित करने, व्यवस्थित करने, वितरित करने और स्थानांतरित करने में मदद करता है, लोक उद्यम विभाग द्वारा समन्वय प्लेटफार्म विकसित किया गया है। आईआरसीटीसी इस प्लेटफॉर्म का एक सक्रिय सदस्य है और कंपनी से संबंधित विवरण इसमें नियमित रूप से अद्यतन करता है।

इसी तरह, सीपीएसई कॉन्क्लेव में बताई गई चुनौतियों से प्राप्त उनकी कार्य योजनाओं की वास्तविक समय की निगरानी के माध्यम से सीपीएसई की भूमिका और जिम्मेदारियों में सुधार करने के लिए विज़न न्यू इंडिया 2022 के अंतर्गत दृष्टि डैशबोर्ड बनाया गया है। कंपनी ने इस पोर्टल पर जानकारी उपलब्ध करा दी है और इसे नियमित रूप से अद्यतन भी किया जा रहा है।

समझौता ज्ञापन

वित्त वर्ष 2021-22 के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) में निहित प्रमुख कार्य-निष्पादन सूचकों (केपीआई) के संदर्भ में प्राप्त परिणामों के आधार पर कंपनी के कार्य-निष्पादन को “उत्कृष्ट” दर्जा दिया गया है।

पुरस्कार और उपलब्धियां

1. विश्व पर्यटन दिवस और आईआरसीटीसी स्थापना दिवस यानी 27 सितंबर, 2022 को, आईआरसीटीसी को दो राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2022 प्राप्त हुए -
   - बौद्ध सर्किट पर्यटक ट्रेन के लिए पर्यटन प्रचार फिल्म (उत्तरी क्षेत्र)- लघु फिल्म (05.38 मिनट)।
   - सूचना प्रौद्योगिकी का सर्वाधिक नवाचारी उपयोग- सोशल मीडिया/मोबाइल ऐप/वेबसाइट (उत्तरी क्षेत्र)।
2. वर्ष का ग्रीन ईसीओ-पर्यटन गंतव्य पुरस्कार / एशिया का ग्रीन फ्यूचर लीडर पुरस्कार।
3. वर्ष की महिला नेता/एशिया का हरित भविष्य लीडर पुरस्कार।
4. वर्ष का ग्रीन सीएसआर पहल पुरस्कार / एशिया का ग्रीन फ्यूचर लीडर पुरस्कार।
5. सर्वश्रेष्ठ लक्जरी ट्रेन - महाराजा एक्सप्रेस, सर्वश्रेष्ठ विरासत अनुभव-गोल्डन चैरिएट, सर्वश्रेष्ठ लक्जरी रेल ऑपरेटर आईआरसीटीसी / सेवन स्टार मीडिया कॉर्पोरेशन द्वारा लक्जरी सेगमेंट ट्रैवल अवार्ड्स 2022
6. एशिया की सबसे भरोसेमंद कंपनी का पुरस्कार 2022/आईबीसी कार्पोरेट पुरस्कार 2022।
7. उभरती प्रौद्योगिकी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग /गवर्नेंस नाऊ का पीएसयू आईटी पुरस्कार।

संयुक्त उद्यम / सहायक कंपनियां

रॉयल इंडियन रेल टूर्स लिमिटेड (आरआईआरटीएल) के नाम पर 50:50 इक्विटी के साथ कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड के साथ कंपनी का एकमात्र संयुक्त उद्यम, 27 नवंबर, 2008 को लक्जरी ट्रेन का अधिग्रहण, साज-सज्जा, रखरखाव, प्रबंधन और संचालन करने और ऐसी लक्जरी ट्रेनों को एक अभिन्न अंग के रूप में अवकाश पैकेजों का विपणन करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया।

तदनुसार, 23 कोचों वाली एक लक्जरी ट्रेन का निर्माण किया गया जिसका फेब्रिकेशन और वित्त पोषण कंपनी द्वारा किया गया और इसे महाराजा एक्सप्रेस के नाम से बाजार में प्रस्तुत किया गया और 15 वर्षों की अवधि के लिए इस लक्जरी पर्यटक ट्रेन को चलाने, संचालन और प्रबंधन के उद्देश्य से रॉयल इंडियन रेल टूर्स लिमिटेड (आरआईआरटीएल) को पट्टे पर दिया गया। हालाँकि, इक्विटी भागीदारों के बीच कुछ मुद्दों के कारण, लक्जरी ट्रेन का पट्टा वापस ले लिया गया और 10 दिसंबर, 2008 का संयुक्त उद्यम समझौता 12 अगस्त 2011 को समाप्त कर दिया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आईआरसीटीसी को उक्त लक्जरी ट्रेन संचालित करने की अनुमति दी। कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड ने संयुक्त उद्यम समझौते की बहाली की मांग करते हुए मध्यस्थता कार्यवाही शुरू की। अंतिम तर्क माध्यस्थम न्यायाधिकरण के समक्ष रखे गए हैं और दिनांक 09.05.2023 की सुनवाई के माध्यम से फैसला सुरक्षित रखा गया है।

आईआरसीटीसी ने रॉयल इंडियन रेल टूर्स लिमिटेड (आरआईआरटीएल) और कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड और अन्य के खिलाफ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) (पूर्ववर्ती कंपनी लॉ बोर्ड) के समक्ष कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 388बी, 397, 398, 399 और 403 के तहत एक याचिका भी दायर की है और उक्त याचिका न्यायालय में विचाराधीन है और बहस के लिए सूचीबद्ध है। एनसीएलटी ने उक्त कंपनी (आरआईआरटीएल) को प्रबंधकीय विवाद में घोषित कर दिया है। संयुक्त उद्यम का विवरण 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाली अवधि के वित्तीय विवरणों के लेखों की टिप्पणियों की टिप्पणी संख्या 37.2 और 45 द्वारा शामिल किया गया है। पक्षकारों ने जुलाई, 2013 में इसकी मंजूरी के बिना आरआईटीआरएल की बोर्ड और आम बैठकें आयोजित न करने के लिए एनसीएलटी से अनुमति भी प्राप्त कर ली है।

वित्तीय विवरणों का समेकन

उक्त पैरा में बताए गए अनुसार, कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड के साथ लंबित विवाद के कारण वित्त वर्ष 2010-2011 से आरआईआरटीएल में बोर्ड की बैठकें और आम बैठकें आयोजित नहीं की गई हैं। इसलिए, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 129(3) के तहत आवश्यक वित्तीय विवरणों का समेकन नहीं किया जा सका, जैसा कि 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए वित्तीय विवरणों के लेखों की टिप्पणियों की टिप्पणी सं. 45 में भी बताया गया है।

लेखा परीक्षक

सांविधिक लेखा परीक्षक

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139(5) के तहत, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने वित्त वर्ष 2022-23 के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए मेसर्स पी. आर. मेहरा एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को कंपनी का वैधानिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया है। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान समेकित आधार पर वैधानिक लेखा परीक्षक को किए गए भुगतान का विवरण नीचे दिया गया है –

विवरण	राशि (रु. करोड़ में)
सांविधिक लेखापरीक्षा शुल्क, कर लेखापरीक्षा शुल्क और सीमित समीक्षा शुल्क	0.31

सचिवीय लेखा परीक्षक

कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 के अनुसार, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आईआरसीटीसी ने सचिवीय लेखापरीक्षा करने के लिए पेशेवर कंपनी सचिवों की एक स्वतंत्र फर्म मेसर्स कुमार नरेश सिन्हा एंड एसोसिएट्स को नियुक्त किया है।

31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्त वर्ष की सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट इस रिपोर्ट के अनुबंध-"ई" में दी गई है।

आंतरिक लेखा परीक्षक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 138 जिसे कंपनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 13 के साथ पढ़ा जाना है, के अनुसार कंपनी ने मेसर्स एस. रामानंद अय्यर एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को वित्त वर्ष 2022-23 की आंतरिक लेखापरीक्षा का कार्य करने के लिए एक स्वतंत्र लेखा फर्म नियुक्त किया है। इस फर्म के कार्यक्षेत्र और कार्यों से संबंधित विवरण प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट में दिए गए हैं।

लागत लेखा परीक्षक

आईआरसीटीसी के व्यावसायिक क्षेत्र कार्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अधिसूचित लागत लेखापरीक्षा नियमों के अंतर्गत शामिल नहीं हैं। हालाँकि, कंपनी ने वर्ष 2022-23 के लिए लागत लेखा परीक्षक के रूप में केवल मेसर्स एच.एम.वी.एन एंड एसोसिएट्स के माध्यम से स्वैच्छिक आधार पर रेल नीर संयंत्रों द्वारा रखे गए लागत अभिलेखों की लागत लेखापरीक्षा कराई थी।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के तहत 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों पर पूरक लेखापरीक्षा की है। 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वार्षिक लेखों पर सी एंड एजी की टिप्पणियाँ भी इस रिपोर्ट का हिस्सा हैं।

निदेशकों का दायित्व विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (5) के अनुसरण में कंपनी का निदेशक मंडल पुष्टि करता है कि –

(i) वार्षिक खातों की तैयारी में, महत्वपूर्ण परिवर्तनों से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ, लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया है;

(ii) निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया है और उन्हें लगातार लागू किया है और निर्णय और अनुमान लगाए हैं जो उचित और विवेकपूर्ण हैं ताकि वित्त वर्ष के अंत में कंपनी के कामकाज की स्थिति और उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ या हानि के बारे में सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्राप्त किया जा सके;

(iii) निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों को सुरक्षित रखने और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन अभिलेख रखने के संबंध में सही और पर्याप्त ध्यान दिया है;

(iv) निदेशकों ने सक्रिय व लाभप्रद संस्था के आधार पर वार्षिक लेखे तैयार किए हैं; और

(v) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियाँ तैयार की हैं और ऐसी प्रणालियाँ समुचित थीं और प्रभावी ढंग से काम कर रही थीं।

निदेशक और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीईओ), निदेशक (वित्त), निदेशक (खानपान सेवाएँ), निदेशक (पर्यटन एवं विपणन), मुख्य वित्तीय अधिकारी और कंपनी सचिव कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) हैं।

पिछली वार्षिक आम बैठक के बाद से आपकी कंपनी के निदेशक मंडल और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक में निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैं–

i. श्री विश्वनाथ शंकर (डीआईएन: 07903588), पूर्व ईडी (योजना), रेलवे बोर्ड और सरकार द्वारा नामित निदेशक रेल मंत्रालय के आदेश संख्या ईआरबी-ख/2022/2/59 दिनांक 29 जुलाई 2022 के अनुसार, 29 जुलाई 2022 से कंपनी के निदेशक पद का कार्यकाल समाप्त हुआ।

ii. श्री देबाशीष चंद्रा (डीआईएन: 08641893), पूर्व निदेशक (खानपान सेवाएँ), सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर चुके हैं और दिनांक 01 सितम्बर 2022 से कंपनी के निदेशक पद का कार्यकाल समाप्त हुआ ।

iii. श्री मनोज कुमार गांगेय (डीआईएन: 09744752), ईडी (योजना), रेलवे बोर्ड को रेल मंत्रालय के 19 सितंबर 2022 के आदेश के अनुसार 21 सितंबर 2022 से आईआरसीटीसी के बोर्ड में सरकार द्वारा नामित निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया।

iv. डॉ. लोकैया रविकुमार (डीआईएन: 10045466) को रेल मंत्रालय के दिनांक 09 फरवरी, 2023 के पत्र के अनुसार 11 फरवरी, 2023 से आईआरसीटीसी के बोर्ड में अतिरिक्त निदेशक निदेशक (खानपान सेवाएं) के पद पर नियुक्त किया गया।

v. श्रीमती सीमा कुमार (डीआईएन: 10064353), एएम (टी एंड सी), रेलवे बोर्ड को रेल मंत्रालय के पत्र दिनांक 29 मई 2023 के अनुसार 01 जून 2023 से आईआरसीटीसी के बोर्ड में अतिरिक्त निदेशक अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) के पद पर नियुक्त किया गया।

vi. श्री कमलेश कुमार मिश्रा (डीआईएन: 10186377), ईडी (बीडी), रेलवे बोर्ड को रेल मंत्रालय के पत्र दिनांक 29 मई 2023 के अनुसार 01 जून 2023 से आईआरसीटीसी के बोर्ड में अतिरिक्त निदेशक निदेशक (पर्यटन और विपणन) (अतिरिक्त प्रभार) के पद पर नियुक्त किया गया।

vii. श्री देवेन्द्र पाल भारती (डीआईएन:10198557) को रेलवे बोर्ड के आदेश दिनांक 05 जून 2023 के अनुसार 05 जून 2023 से आईआरसीटीसी के बोर्ड में अतिरिक्त निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) के पद पर नियुक्त किया गया।

इस रिपोर्ट की तारीख पर निम्नलिखित निदेशक पदस्थ हैं–

क्र. सं.	विवरण	नियुक्ति की तारीख
1.	**श्रीमती सीमा कुमार (डीआईएन: 10064353),** एएम (टी एंड सी), रेलवे बोर्ड एवं अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)	1 जून, 2023 से
2.	**श्री अजीत कुमार (डीआईएन: 07247362)** निदेशक (वित्त)	29 मई, 2020 से
3.	**डॉ. लोकैया रविकुमार (डीआईएन: 10045466)** निदेशक (खानपान सेवाएँ)	11 फरवरी, 2023 से
4.	**श्री कमलेश कुमार मिश्रा (डीआईएन: 10186377)** ईडी (बीडी), रेलवे बोर्ड एवं निदेशक (पर्यटन एवं विपणन)	1 जून, 2023 से
5.	**श्री नीरज शर्मा (डीआईएन: 08177824)** ईडी (पीएम), रेलवे बोर्ड और अंशकालिक सरकारी निदेशक	12 जुलाई, 2018 से
6.	**श्री मनोज कुमार गांगेय (डीआईएन: 09744752)** ईडी (योजना), रेलवे बोर्ड और अंशकालिक सरकारी निदेशक	21 सितंबर, 2022 से
7.	**श्री विनय कुमार शर्मा (डीआईएन: 03604125)** स्वतंत्र निदेशक	9 नवंबर, 2021 से
8.	**श्री नामग्याल वांगचुक (डीआईएन: 09397676)** स्वतंत्र निदेशक	12 नवंबर, 2021 से
9.	**श्री देवेन्द्र पाल भारती (डीआईएन: 10198557)** स्वतंत्र निदेशक	9 जून, 2023 से

अभिन्न रिपोर्ट

संबंधित उप-परिशिष्टों के साथ नीचे दी गई तालिका में पुनरुत्पादित निम्नलिखित रिपोर्टें इस निदेशकों की रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग हैं और इन्हें क्रमशः उनके अनुबंधों के साथ रखा गया है -

रिपोर्ट का नाम	अनुबंध
प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट	"ए"
कार्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट	"बी"
सीएसआर और स्थिरता गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट	"सी"
व्यावसायिक उत्तरदायित्व एवं स्थिरता रिपोर्ट	"डी"
सचिवीय लेखा परीक्षक रिपोर्ट	"इ"
सचिवीय लेखा परीक्षक रिपोर्ट में निहित प्रेक्षणों पर प्रबंधन का उत्तर	"एफ"
स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में निहित प्रेक्षणों पर प्रबंधन का उत्तर	"जी"
फॉर्म एओसी-2	"एच"

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट में कंपनी के कामकाज की सामान्य जानकारी, इसकी कानूनी स्थिति और स्वायत्तता, कारोबारी परिवेश, मिशन और उद्देश्य, क्षेत्रीय और खंड-वार परिचालन कार्य-निष्पादन, शक्तियां, अवसर, बाधाएं, रणनीति और जोखिम और चिंताओं के साथ-साथ मानव संसाधन और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का अवलोकन दिया गया है। [**अनुबंध-"ए"**]।

कार्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में कार्पोरेट गवर्नेंस के सिद्धांत और कंपनी के प्रमुख मूल्यों, इसके निदेशक मंडल और इसकी समितियों की संरचना, 2022-23 के दौरान और उसके बाद बोर्ड में शामिल होने वाले निदेशकों की प्रोफ़ाइल सहित उनके विवरण, निदेशकों की उपस्थिति और पारिश्रमिक आदि, अन्य संबंधित प्रकटण और शेयरधारकों के लिए सामान्य जानकारी के बारे में बताया गया है। [**अनुबंध-"बी"**]। इसके समर्थन में निम्नलिखित अनुपालन प्रमाणपत्र दिए जाते हैं -

i. वर्ष 2022-23 के दौरान बोर्ड के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों से आचार संहिता और प्रमुख मूल्यों के अनुपालन की प्राप्ति की पुष्टि करने वाला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र। (**परिशिष्ट-"बी1"** में दिया गया है);

ii. वित्तीय विवरणों की सत्यता और निष्पक्षता, उचित अनुपालन और वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और निदेशक वित्त (सीएफओ) से प्रमाण पत्र (**परिशिष्ट - "बी2"** में दिया गया है);

iii. पेशेवर कंपनी सचिव द्वारा हस्ताक्षरित कार्पोरेट गवर्नेंस के प्रावधानों के अनुपालन का प्रमाण पत्र (**परिशिष्ट-"बी3"** में दिया गया है);

iv. कंपनी के निदेशकों की अयोग्यता के संबंध में पेशेवर कंपनी सचिव द्वारा प्रमाण पत्र (**परिशिष्ट-"बी 4"** में दिया गया है)।

सीएसआर और स्थिरता गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट में कंपनी की सीएसआर और स्थिरता नीति का संक्षिप्त परिचय, सीएसआर समिति की संरचना, पिछले तीन वित्तीय वर्षों में कंपनी का औसत निवल लाभ, वित्त वर्ष के दौरान शुरू की गई गतिविधियों/परियोजनाओं पर सीएसआर का निर्धारित व्यय और सीएसआर खर्च के विवरण दिए गए हैं। [**अनुबंध-"सी"**]।

व्यावसायिक दायित्व और संधारणीयता रिपोर्ट

सेबी (एलओडीआर), 2015 के विनियम 34 के अनुसार, बाजार पूंजीकरण (प्रत्येक वित्त वर्ष के 31 मार्च को परिगणित) के आधार पर सर्वोच्च एक हजार सूचीबद्ध संस्थाओं को अपनी वार्षिक रिपोर्ट में व्यावसायिक जिम्मेदारी और स्थिरता रिपोर्ट (बीआरएसआर) शामिल करनी होगी, जिसमें सेबी द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट प्रारूप में, पर्यावरणीय, सामाजिक और गवर्नेंस के दृष्टिकोण से उनके द्वारा की गई पहल का वर्णन किया जाएगा।

तदनुसार, इस बात पर विचार करते हुए कि कंपनी, 31 मार्च 2023 तक, मानदंडों के अनुसार सर्वोच्च 1000 सूचीबद्ध संस्थाओं में से एक है, व्यावसायिक जिम्मेदारी और स्थिरता रिपोर्ट तैयार की जाती है जो इस रिपोर्ट के साथ अनुबंध-"डी" में संलग्न है।

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 के अनुसार, आईआरसीटीसी ने वित्त वर्ष 2022-23 की सचिवीय लेखापरीक्षा के लिए कंपनी सचिवों की एक स्वतंत्र पेशेवर फर्म मेसर्स कुमार नरेश सिन्हा एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव को नियुक्त किया है। 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्त वर्ष की सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है [**अनुबंध-"ई"**]।

वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट में निहित टिप्पणियों पर प्रबंधन के उत्तर **अनुबंध-"एफ"** में दिए गए हैं।

वर्ष 2022-23 के वित्तीय विवरणों पर अपनी रिपोर्ट में स्वतंत्र लेखा परीक्षक द्वारा की गई टिप्पणी/महत्वपूर्ण मामलों पर प्रबंधन के उत्तर **अनुबंध-"जी"** में दिए गए हैं।

कंपनी अधिनियम की धारा 134 की उप-धारा (3) के खंड (एच) और कंपनी (लेखा) नियमों के नियम (8) के तहत निर्धारित फॉर्म एओसी-2 **अनुबंध-"एच"** में संलग्न है।

आभार

आपके निदेशक कंपनी के संचालन और विकासात्मक योजनाएँ में रेल मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, दीपम, वित्त मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग, विभिन्न राज्य सरकारों और भारत सरकार के अन्य सभी विभागों और एजेंसियों द्वारा दिए गए पूर्ण समर्थन और मार्गदर्शन के लिए कृतज्ञतापूर्वक आभार व्यक्त करते हैं। निदेशक रचनात्मक सुझावों और निरंतर सहयोग के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, वैधानिक लेखा परीक्षकों, सचिवीय लेखा परीक्षक और लागत लेखा परीक्षकों के प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं।

निदेशक कंपनी के मूल्यवान ग्राहकों और सम्मानित शेयरधारकों द्वारा कंपनी के प्रबंधन में दिए गए समर्थन और विश्वास के लिए उनकी सराहना करते हैं और भविष्य में भी इसे जारी रखने की आशा करते हैं।

निदेशक सभी प्रौद्योगिकी सहयोगियों, आपूर्तिकर्ताओं, ठेकेदारों से प्राप्त निरंतर सहयोग और वित्तीय संस्थानों, बैंकरों और स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा प्रदान किए गए समर्थन के लिए भी अपना आभार व्यक्त करते हैं।

आपके निदेशक आईआरसीटीसी के सभी कर्मचारियों द्वारा किए गए कठिन प्रयासों, कड़ी मेहनत और प्रतिबद्धता के लिए भी आभार व्यक्त करते हैं।

कृते निदेशक मंडल

(सीमा कुमार)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
डीआईएन - 10064353

स्थान - नई दिल्ली
दिनांक - 04.07.2023

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण

भारतीय अर्थव्यवस्था

वैश्विक अर्थव्यवस्था की गंभीर तस्वीर के बावजूद, मजबूत व्यापक आर्थिक बुनियादी सिद्धांतों, अनुकूल घरेलू नीति स्थितियों और संरचनात्मक सुधारों पर सरकार के लगातार ध्यान के कारण भारत की आर्थिक वृद्धि वित्त वर्ष 23 में मजबूत रही। एनएसओ के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7% होने का अनुमान है। यह खपत, निवेश और निर्यात में मजबूत वृद्धि से प्रेरित थी।

निजी खपत में वृद्धि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आय और ग्रामीण मजदूरी में वृद्धि से प्रेरित थी, जबकि शहरी क्षेत्रों में, निजी खपत वेतन और मजदूरी में वृद्धि के साथ-साथ सेवा क्षेत्र में वृद्धि से प्रेरित थी। विनिर्माण, सेवाओं, सड़कों, रेलवे और बिजली में बुनियादी ढाँचे पर सरकारी खर्च के कारण निवेश में अच्छी गति से वृद्धि हुई। वैश्विक मांग में सुधार और संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप में भारतीय वस्तुओं की मांग के साथ कमजोर रुपये के कारण निर्यात में तेज गति से वृद्धि हुई। आईटी-बीपीएम निर्यात और यात्रा और पर्यटन निर्यात में वृद्धि से सेवाओं के निर्यात में वृद्धि हुई।

आउटलुक (दृष्टिकोण)

सहायक घरेलू नीति परिवेश और संरचनात्मक सुधारों पर सरकार के लगातार ध्यान के कारण वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत की आर्थिक गतिविधि मजबूत बनी हुई है।

मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति स्थिर होने के बाद खर्च योग्य आय बढ़ने से भावी आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था नीतिगत हस्तक्षेपों, घरेलू मांग में लगातार वृद्धि और वित्त वर्ष 23 में प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच अपेक्षाकृत उच्च मजबूत विकास दर की बदौलत भू-राजनीतिक तनाव से उत्पन्न अशांति का सामना करने में सक्षम होगी।

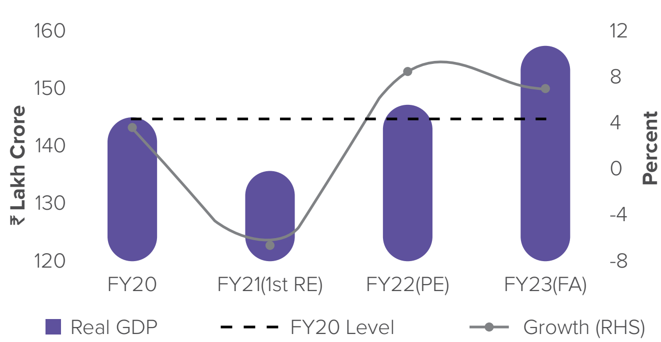

(स्रोत: आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23, एनएसओ, एमओएसपीआई)

पूंजीगत व्यय पर सरकार का जोर

लगातार तीसरे वर्ष, केंद्रीय बजट 2023 में पूंजी निवेश पर खर्च की जाने वाली राशि को 33% की तीव्र वृद्धि करते हुए 10 लाख करोड़ रु. कर दिया गया। आर्थिक क्षमता और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने, निजी निवेश आकर्षित करने और वैश्विक चुनौतियों के सामने बफर प्रदान करने की सरकार की पहल हाल के वर्षों में इस महत्वपूर्ण वृद्धि पर निर्भर है। विकास पर दीर्घकालिक प्रभाव सरकार के पूंजीगत व्यय पर जोर देने के कारण होता है, विशेष रूप से सड़क, रेलवे, आवास और शहरी मामलों जैसे बुनियादी ढांचे-भारी क्षेत्रों में। पूंजीगत व्यय के माध्यम से दीर्घकालिक आपूर्ति-पक्ष उत्पादक क्षमता में वृद्धि होती है, जो एक ओर समग्र मांग को बढ़ाती है और जोखिम से बचने के समय निजी खर्च में वृद्धि होती है। पूंजीगत व्यय ने निजी क्षेत्र के निवेश में सुधार के हालिया शुरुआती संकेतों में योगदान दिया है। केंद्र ने राज्यों के पूंजीगत व्यय को प्रोत्साहित करने के लिए लंबी अवधि के ब्याज मुक्त ऋण और पूंजीगत व्यय से जुड़े पूरक उधार प्रावधानों के रूप में कई प्रोत्साहन की पेशकश की है ताकि सभी तरफ से पूंजीगत व्यय को बढ़ाया जा सके।

केंद्र सरकार का बढ़ता पूंजीगत व्यय

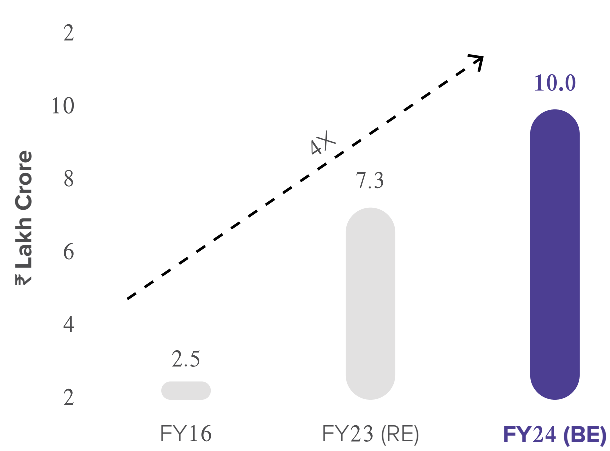

(स्रोत: केंद्रीय बजट 2023-24)

उद्योग अवलोकन

भारतीय रेल

संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के बाद, 68,031 से अधिक रूट किलोमीटर के साथ, भारतीय रेलवे (आईआर) एकल प्रबंधन द्वारा संचालित दुनिया का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। 2021-2022 में 2902 किमी की तुलना में 2022-2023 में 5243 किमी ट्रैक पूरा हुआ। दैनिक औसत रेल बिछाने का कार्य बढ़कर 14.4 किमी हो गया जो अब तक का सबसे अधिक कमीशनिंग था। रेलवे प्रतिदिन 9,146 मालगाड़ियाँ और 13,523 यात्री रेलगाड़ियाँ चलाता है। वित्तीय वर्ष 22-23 में, भारतीय रेलवे ने एक

रिकॉर्ड स्थापित करते हुए 1512 मीट्रिक टन माल ढुलाई की। विज़न 2024 के तहत 2024 तक 2024 मीट्रिक टन माल लदान के लक्ष्य की परिकल्पना की गई है। भारतीय रेलवे 1.3 मिलियन कर्मचारियों के साथ, विश्व स्तर पर आठवें स्थान पर है और देश में पहले स्थान पर है और यह शीर्ष नियोक्ता बन गया है।

देश में बिजली का एक महत्वपूर्ण उपभोक्ता भारतीय रेलवे 2030 तक शुद्ध कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने की योजना बना रहा है। भारतीय रेलवे ने नवीकरणीय स्रोतों का अधिक उपयोग करने के लिए इस संबंध में अपनी ऊर्जा आवश्यकता को फिर से निर्धारित किया है। नवंबर 2022 तक, लगभग 103 मेगावाट पवन ऊर्जा और 143 मेगावाट सौर ऊर्जा (भूमि और छत दोनों स्रोतों से) का उत्पादन करने वाली सुविधाएं चालू कर दी गई हैं। इसके अलावा, भारतीय रेलवे 100% विद्युतीकरण के मिशन को पूरा करने और दुनिया में सबसे बड़ा ग्रीन रेलवे नेटवर्क बनने के लिए तेजी से प्रगति कर रहा है। इसे प्राप्त करने के लिए, भारतीय रेलवे ने 1000 से अधिक स्टेशनों को सौर ऊर्जा से सुसज्जित किया है । 1,973 रूट किमी (2,647 टीकेएम) का विद्युतीकरण 2022-23 के दौरान हासिल किया गया, जो 2021-22 की इसी अवधि की तुलना में 41% अधिक है।

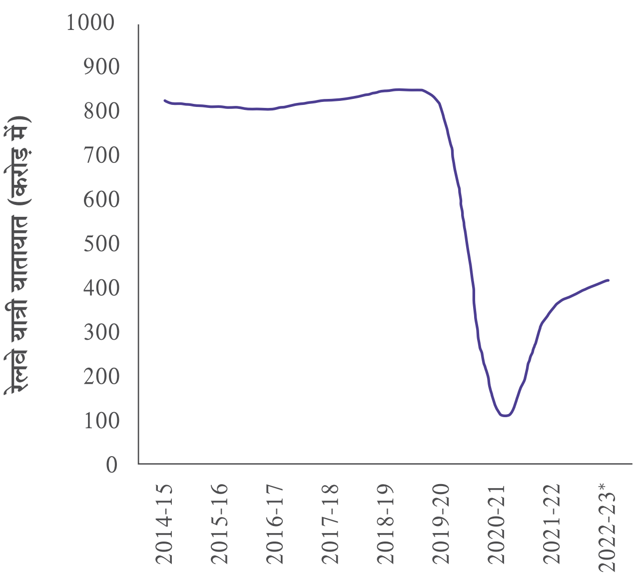

वित्त वर्ष 2022-23 के लिए मूल यात्रियों की संख्या 418.4 करोड़ (नवंबर 2022 तक) को पार कर गई, जिससे यात्री यातायात का तेजी से विस्तार जारी रहा। आने वाले वर्षों में, देश भर में बढ़ी हुई मोबिलिटी और त्वरित और अधिक कुशल ट्रेनों की मांग के कारण यात्री यातायात में वृद्धि होगी।

भारतीय रेलवे की प्रमुख पहल

भारतीय रेलवे द्वारा भारत के लिए एक राष्ट्रीय रेल योजना (एनआरपी)-2030 बनाई गई है, जिसका लक्ष्य 2030 तक "भविष्य के लिए तैयार" रेलवे प्रणाली स्थापित करना है। एनआरपी का लक्ष्य माल में रेलवे की हिस्सेदारी को परिचालन क्षमताओं और वाणिज्यिक नीति पहल दोनों पर आधारित 45% तक बढ़ाने के उपाय विकसित करना है। योजना का लक्ष्य मांग से पहले क्षमता का निर्माण करना है, जो 2050 तक मांग वृद्धि को पूरा करने में सक्षम होगी। इसका लक्ष्य माल ढुलाई में रेलमार्गों की औसत हिस्सेदारी को 45% तक बढ़ाना और इसे बनाए रखना भी है । इनके अलावा अन्य पहल इस प्रकार हैं

- तकनीकी और वित्तीय दोनों स्तरों पर जापान सरकार की सहायता से 2015 में सरकार द्वारा अनुमोदित मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल (एमएएचएसआर) परियोजना पर अब काम चल रहा है, और इसके सर्वेक्षण और डिजाइन कार्य पूरे हो चुके हैं।

- स्वर्णिम चतुर्भुज के साथ पूर्वी और पश्चिमी डीएफसी के रूप में जाने जाने वाले दो समर्पित माल गलियारों का निर्माण, रेलवे के इतिहास में सबसे महत्वाकांक्षी और विस्तृत बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में से एक है। यह परियोजना पारगमन समय और लागत को कम करते हुए देश के परिवहन उत्पादन को बढ़ाएगी।

- उद्योग की मांग और कार्गो यातायात की क्षमता के आधार पर, निजी ऑपरेटर रेलवे भूमि और गैर-रेलवे भूमि दोनों पर गतिशक्ति मल्टी-मॉडल कार्गो टर्मिनल (जीसीटी) विकसित कर रहे हैं। 31 अक्टूबर, 2022 तक, 21 जीसीटी सक्रिय हो चुके थे, और जीसीटी के निर्माण के लिए 90 से अधिक अतिरिक्त साइटों को अस्थायी रूप से चुना गया था। इससे रेल माल के प्रबंधन के लिए अधिक टर्मिनलों के निर्माण में व्यावसायिक निवेश को बढ़ावा मिलेगा।

- हाइपरलूप एक नए प्रकार का परिवहन है जिसमें ट्रेन और हवाई जहाज दोनों की तुलना में तेज़ और अधिक पर्यावरण के अनुकूल होने की क्षमता है। प्रौद्योगिकी अभी भी विकास के प्रारंभिक चरण में है और भारतीय रेलवे एक हाइपरलूप प्रौद्योगिकी प्रदर्शन परियोजना बनाना चाहता है। भारतीय रेलवे और आईआईटी मद्रास ने आईआईटी मद्रास में हाइपरलूप प्रौद्योगिकी के लिए 8.34 मिलियन डॉलर के उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के माध्यम से हाइपरलूप प्रौद्योगिकी पर शोध करने के लिए साझेदारी की है।

रेलवे में सुधार के लिए सरकार की पहल

भारतीय रेलवे (आईआर) द्वारा बुनियादी ढांचे में सुधार की तीव्र गति सरकार की कई पहलों और धन आवंटन में काफी अधिक वृद्धि के कारण संभव हुई है। इसमें स्थानीय स्तर पर अधिकार सौंपना शामिल है, जिसने दोहरीकरण परियोजनाओं को चालू करने में मदद की है, विभिन्न स्तरों पर परियोजनाओं की प्रगति का बारीकी से निरीक्षण किया है, और तेजी से भूमि अधिग्रहण, वानिकी और वन्यजीवन मंजूरी, और परियोजना से संबंधित अन्य मुद्दों का समाधान प्राप्त करने के लिए राज्य सरकारों और अन्य संबंधित पक्षों के साथ नियमित संपर्क बनाए रखा है। सरकार ने सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी), राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी) और राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी) जैसी विभिन्न पहल कीं। इसके अलावा, दक्षता और लागत प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के उद्देश्य से संरचनात्मक सुधारों के तहत, गति शक्ति और राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (एनएलपी) भी शुरू की गई थी।

- केंद्रीय बजट 2023-24 में, रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रु. का पूंजीगत परिव्यय प्रदान किया गया है जो अब तक का सबसे अधिक है ।

- वित्त वर्ष 2020-25 के दौरान लगभग 111 लाख करोड़ रुपये के अनुमानित बुनियादी ढांचे के खर्च के साथ, सरकार ने पूरे देश में उच्च गुणता वाले बुनियादी ढांचे की पेशकश करने के लिए दूरदर्शी नजरिए के साथ राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा पाइपलाइन (एनआईपी) लॉन्च की। इसके अतिरिक्त, यह परियोजना नियोजन को बढ़ाने और बुनियादी ढांचे के लिए घरेलू और विदेशी पूंजी दोनों को आकर्षित करने की योजना बना रहा है। एनआईपी में 100 करोड़ रुपये से अधिक की नई

और ब्राउनफील्ड बुनियादी ढांचा परियोजनाएं शामिल हैं। एनआईपी में वर्तमान में कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में 8,964 परियोजनाएं हैं, जिनका कुल निवेश 108 लाख करोड़ रु. से अधिक है।

- पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान एकीकृत मंच के विकास का आह्वान करता है जिसके तहत विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से संबंधित सभी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को प्रभावी योजना और वास्तविक समय कार्यान्वयन के लिए एक विशाल डेटाबेस में एकीकृत किया जाएगा। एनआईपी की सात इंजन-संबंधित परियोजनाएं (सड़क, रेल, बंदरगाह, जन परिवहन, जलमार्ग और लॉजिस्टिक बुनियादी ढांचा) पीएम गतिशक्ति ढांचे के अनुरूप होंगी।

खानपान सेवाएं

भारत में खानपान सेवाओं का बाज़ार खंडित, विकासशील और असंगठित फर्मों के प्रभुत्व वाला है। भारत के खानपान सेवा व्यवसाय में, अधिक संगठित विदेशी प्रतिस्पर्धी उभरने लगे हैं। भारत, चीन, कनाडा, मैक्सिको, जापान और ऑस्ट्रेलिया खानपान उद्योग के लिए संभावित विकास क्षेत्र बनने वाले हैं। बढ़ते शहरीकरण और बाजार में संगठित और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के विस्तार के कारण, अनुमान अवधि के दौरान संगठित क्षेत्र की बाजार हिस्सेदारी बढ़ने का अनुमान है।

आने वाले वर्षों में, भारत में खानपान सेवाओं के बाजार में उल्लेखनीय रूप से विस्तार होने की उम्मीद है। तेजी से बढ़ते बिजनेस-टू-बिजनेस (बी2बी) इवेंट सेक्टर और कॉर्पोरेट इवेंट्स के दौरान खाद्य और पेय सेवाओं की बढ़ती उपलब्धता से इस बाजार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा, व्यस्त जीवनशैली और घर में खाना पकाने की चुनौतियों जैसे कारकों के परिणामस्वरूप खानपान सेवाओं के बाजार का विस्तार होगा। होटल और रेस्तरां द्वारा नवीन खानपान सेवाएं विकसित की जा रही हैं, जिससे खानपान सेवा क्षेत्र को बढ़ावा मिलने का अनुमान है। ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने और भोजन के लिए प्रतीक्षा समय को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग पर बढ़ते जोर के परिणामस्वरूप उद्योग भी बढ़ेगा। विकासशील देशों में अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के तेजी से विस्तार के कारण, विशेष खानपान सेवाओं की मांग बढ़ रही है। बाज़ार मोबाइल कैटरिंग, एयरलाइन कैटरिंग, रेलवे कैटरिंग और शो कैटरिंग जैसी सुविधाओं के लिए भी संभावनाएँ प्रदान करता है।

ई बुकिंग उद्योग

विश्वसनीय यात्रा, व्यक्तिगत सेवा, विशिष्टता और कर्मियों के साथ सुखद और पेशेवर बातचीत की मांग बढ़ रही है, जिससे बाजार का विस्तार हो रहा है। इसके अतिरिक्त, यह अनुमान लगाया गया है कि समूह यात्रा के प्रति युवाओं की बढ़ती प्रवृत्ति से औद्योगिक विकास में तेजी आएगी। इसके अतिरिक्त, युवा पीढ़ी और कामकाजी पेशेवर ऑफ़लाइन की तुलना में इंटरनेट यात्रा बुकिंग सेवाओं को पसंद करते हैं। उम्मीद है कि बाजार डिजिटल प्रौद्योगिकियों के विस्तार, लगातार बदलते उपभोक्ता खर्च पैटर्न और बढ़ते शहरीकरण से प्रेरित होगा।

यात्रा तकनीक ग्राहकों के लिए यात्रा-संबंधित सेवाओं को इस तरह से प्राप्त करना संभव बनाती है जो पारंपरिक ऑफ़लाइन सेवाओं की तुलना में अधिक सुविधाजनक और किफायती दोनों है, जिससे समय के साथ उद्योग के विकास को बढ़ावा मिलने का पूर्वानुमान किया गया है। इसके अतिरिक्त, तेज़, उपयोगकर्ता-अनुकूल वेबसाइटें जो स्मार्ट फोन के लिए अनुकूलित हैं, सहकर्मी समीक्षाएं, स्पष्ट मूल्य तुलना और 360-डिग्री वीडियो टूर ये सभी सुविधाएं हैं जो यात्रियों को अपनी छुट्टियों की योजना बनाने और उन्हें ऑनलाइन बुक करने में मदद करती हैं। दुनिया भर में ऑनलाइन बाज़ारों के विस्तार और अवकाश पैकेज, आवास और अन्य सेवाओं के विश्वसनीय प्रदाता इस क्षेत्र के लिए नए अवसर पैदा कर रहे हैं, जिससे उद्योग में विकास में तेजी आने की उम्मीद है।

पैकेज्ड पेयजल

भारत का बोतलबंद पानी बाजार 2022 में 22.72 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था और 2030 तक 36.21 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। बोतलबंद पानी की मांग देश की बढ़ती स्वास्थ्य जागरूकता का संकेत है, खासकर कोविड -19 के बाद। जबकि भारतीय आबादी का एक बड़ा हिस्सा स्वच्छ पेयजल प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना कर रहा है, वहीं प्रमुख शहरों में पैकेज्ड पानी की कीमतें बढ़ रही हैं। बढ़ती खर्च योग्य आय, स्वच्छता की बढ़ती आवश्यकता, कम कीमतें, पैकेज्ड पेयजल तक आसान पहुंच और सुरक्षित पेयजल की कमी जैसे कारकों के परिणामस्वरूप बोतलबंद पानी की मांग पिछले पांच वर्षों में काफी बढ़ गई है।

यात्रा और पर्यटन

भारत अपने विविध भूगोल और संस्कृतियों की शृंखला के कारण पर्यटक व्यय के मामले में सबसे लोकप्रिय देशों में से एक है, जिनमें से प्रत्येक अपने स्वयं के अनूठे अनुभव प्रदान करता है। भारत एक महत्वपूर्ण यात्रा और पर्यटन बाजार है और यहां 40 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल (2023 तक) हैं। क्रूज़, एडवेन्चर, चिकित्सा, कल्याण, खेल, एमआईसीई, पर्यावरण-पर्यटन, फिल्म, ग्रामीण और धार्मिक पर्यटन इसके द्वारा प्रदान किए जाने वाले कुछ अनूठे यात्रा विकल्प हैं। घरेलू और विदेशी दोनों पर्यटक भारत को आध्यात्मिक पर्यटन के गंतव्य के रूप में जानते हैं। वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल (डब्ल्यूटीटीसी) के नवीनतम शोध में यह भी अनुमान लगाया गया है कि देश की अर्थव्यवस्था में इस क्षेत्र का योगदान 2022 में 2019 के स्तर से 1 प्रतिशत ऊपर लगभग 15.9 ट्रिलियन रु. (यूएसडी 215 बिलियन) तक पहुंच सकता है। इस वर्ष 8.3 प्रतिशत की वृद्धि के साथ रोजगार स्तर भी लगभग 35 मिलियन यात्रा और पर्यटन नौकरियों तक बढ़ने वाला है। अगले दशक में, भारत की यात्रा और पर्यटन की जीडीपी सालाना औसतन 7.8 प्रतिशत की दर से बढ़ने की उम्मीद है, जो भारत की कुल अर्थव्यवस्था का 6.7 प्रतिशत है, जो लगभग 33.8 ट्रिलियन रु. (यूएसडी 457 अरब डॉलर) तक पहुंच जाएगी - जो कुल अर्थव्यवस्था का 7.2 प्रतिशत है।

पर्यटन में डिजिटलीकरण

डिजिटलीकरण ने व्यवसायों को विशिष्ट और अविस्मरणीय अनुभव प्रदान करने के लिए ग्राहक डेटा प्रदान करते हुए यात्रा और पर्यटन उद्योग में क्रांति ला दी है। एआई चैट-बॉट का उपयोग पिछली बुकिंग से डेटा एकत्र करने और ग्राहकों के लिए एक यात्रा प्रोफ़ाइल बनाने के लिए किया जा सकता है। यह होटल, कमरे के आकार या उनके बजट में फिट होने वाले कमरों के लिए वैयक्तिकृत सिफारिशें प्रदान करने में मदद करता है। ओमनी चैनल दृष्टिकोण का उपयोग करना और वास्तविक समय की जानकारी के साथ जुड़ाव एक सुसंगत अनुभव प्रदान कर सकता है। लॉयल्टी कार्यक्रम जो प्राथमिक बाजारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और हाइपर-पर्सनलाइज्ड रीटार्गेटिंग अभियान इस क्षेत्र में अन्य प्रमुख रणनीतिक विकास हैं।

पिछले दो दशकों में यात्रा और पर्यटन उद्योग में डिजिटलीकरण में वृद्धि देखी गई है। ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसियां (ओटीए) और यात्रा समीक्षा वेबसाइटें उभरी हैं, जो ग्राहकों को अपने आप ऑनलाइन यात्रा सेवाएं बुक करने की अनुमति देती हैं। यात्रा करते समय ग्राहक अधिक डिजिटल अनुभवों की भी मांग करते हैं, जैसे वर्चुअल टूर और मोबाइल एकीकरण समाधान। कोविड-19 महामारी ने इस प्रवृत्ति को तेज कर दिया है क्योंकि सामाजिक दूरी और स्वच्छता संबंधी चिंताओं ने ग्राहकों को डिजिटल सेवाओं का उपयोग करने के लिए अधिक इच्छुक बना दिया है।

डिजिटलीकरण सभी आकार के पर्यटन उद्यमों को नए बाजारों तक पहुंचने और विश्व स्तर पर उपभोक्ताओं के लिए नई पर्यटन सेवाएं लाने के अवसर प्रदान करता है। एसएमई बाजार की जानकारी तक पहुंच में सुधार कर सकते हैं और कम लागत पर वैश्विक बाजारों और ज्ञान नेटवर्क तक पहुंच की सुविधा प्रदान कर सकते हैं, जिससे व्यवसायों को बड़े पैमाने पर बड़े पैमाने पर हासिल करने में सक्षम बनाया जा सकता है।

पर्यटन उद्योग को आकार देने वाली प्रौद्योगिकियाँ

- मोबाइल प्रौद्योगिकी/क्लाउड कंप्यूटिंग
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई)
- इंटरनेट ऑफ थिंग्स (खेढ)
- डेटा विश्लेषण
- संवर्धित वास्तविकता/आभासी वास्तविकता (एआर/वीआर)
- ब्लॉकचेन

पर्यटन उद्योग की सहायता के लिए सरकारी पहल और योजनाएं

उम्मीद है कि भारतीय यात्रा और पर्यटन उद्योग 2025 तक भारत के 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के सकल घरेलू उत्पाद के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। भारत सरकार ने आर्थिक विकास के लिए इस क्षेत्र के महत्व को मान्यता देने और बढ़ावा देने के लिए कई नीतियां और कार्यक्रम विकसित किए हैं। पिछले कुछ वर्षों में सरकार का मुख्य ध्यान बुनियादी ढाँचे का विकास रहा है। अपने बंदरगाह विकास और सड़क और रेल बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए देश का बढ़ता निवेश यात्रा और पर्यटन उद्योग के विस्तार में प्रमुख कारक हैं।

- **आदर्श स्टेशन योजना** रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाने में मदद कर रही है, जिससे प्रमुख भारतीय शहरों को परिवहन केंद्रों के रूप में विकसित करने में मदद मिल रही है, जबकि पूरे देश में कम-ज्ञात स्थानों तक कनेक्टिविटी बढ़ रही है और उन्हें घरेलू पर्यटन मानचित्र पर लाया जा रहा है।

- **पर्यटन नीति** के संशोधित मसौदे ने अतिरिक्त बढ़ावा दिया है, जिसका उद्देश्य देश के अनछुए छोटे शहरों, छुट्टियां बिताने की जगहों और धार्मिक सर्किटों में घरेलू यात्रा को बढ़ावा देना है।

- मवोकल फॉर लोकलफ के मंत्र के साथ, **स्वदेश दर्शन** 2.0 नामक संशोधित योजना एक पर्यटन स्थल के रूप में भारत की पूर्ण क्षमता के हासिल करते हुए "आत्मनिर्भर भारत" प्राप्त करना चाहती है। स्वदेश दर्शन 2.0 नीति और संस्थागत सुधारों द्वारा समर्थित पर्यटन और संबद्ध बुनियादी ढांचे, पर्यटन सेवाओं, मानव पूंजी विकास, गंतव्य प्रबंधन और प्रचार को कवर करते हुए टिकाऊ और जिम्मेदार पर्यटन स्थलों का विकास करना है।

- **प्रसाद** योजना मतीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्धन अभियानफ है। यह योजना धार्मिक पर्यटन अनुभव को समृद्ध करने के लिए पूरे भारत में तीर्थ स्थलों के विकास और पहचान पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य संपूर्ण धार्मिक पर्यटन अनुभव प्रदान करने के लिए तीर्थ स्थलों को प्राथमिकता, योजनाबद्ध और टिकाऊ तरीके से एकीकृत करना है।

- भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय **सीबीएसपी (सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण)** योजना के माध्यम से हर स्तर पर पर्यटन सेवा प्रदाताओं को शिक्षण, प्रशिक्षण और प्रमाणन प्रदान करने की योजना बना रहा है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में पर्यटन क्षेत्रों में सेवा के हर स्तर पर जनशक्ति को प्रशिक्षित और उन्नत करना है।

- पूरे उद्योग में निवेश बढ़ाने के लिए, सरकार ने यात्रा और पर्यटन उद्योग में स्वचालित पद्धति के माध्यम से 100% **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश** को अधिकृत किया है।

- इसके अलावा, सभी होटल कमरों की दरों पर **जीएसटी दर में कमी** से व्यवसाय को लाभ हुआ है, जिससे वैश्विक स्तर पर क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ने का अनुमान है।

- इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने पर्यटन हितधारकों के बीच सूचना अंतर को पाटने के लिए अपना **राष्ट्रीय डिजिटल पर्यटन मिशन** शुरू किया है। ई-पर्यटक वीजा के लिए एक मोबाइल ऐप, पर्यटन स्थलों का वर्गीकरण, विशेष पर्यटन क्षेत्र और पांच मिशनों का निर्माण नई राष्ट्रीय नीति के मसौदे में प्रावधान हैं। इससे पर्यटन का टिकाऊ, जिम्मेदार और समावेशी विकास सुनिश्चित होगा। एनडीटीएम के माध्यम से, विभागों और बाहरी एजेंसियों में एकल स्रोत के उपयोग से गवर्नेंस में बेहतर दक्षता और प्रभावशीलता होगी। डाइरेक्टरी और रजिस्ट्री टूर ऑपरेटरों, ट्रैवल एजेंटों, लाइसेंस प्राप्त बारों का डिजिटल सत्यापन करने देंगी और पर्यटकों और पारिस्थितिकी तंत्र कार्यकर्ताओं के बीच विश्वास बढ़ाएंगी।

रेल पर्यटन को बेहतर बनाने के लिए रेल मंत्रालय की पहल

रेलवे पर्यटकों को किफायती और आरामदायक यात्रा विकल्प प्रदान करते हुए देश में पर्यटन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नियमित ट्रेन सेवाओं के अलावा, भारतीय रेलवे राज्य पर्यटन निगमों के सहयोग से पैलेस ऑन व्हील्स, डेक्कन ओडिसी, रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स और आईआरसीटीसी के सहयोग से गोल्डन चैरियट और महाराजा एक्सप्रेस जैसी विशेष पर्यटक ट्रेनें प्रदान करता है। रेल मंत्रालय ने निवेश को प्रोत्साहित करने और रेल प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए पहल की है, जिसमें आधुनिक तकनीक लाने और यात्री अनुभव को बेहतर बनाने के लिए निजी खिलाड़ियों के साथ साझेदारी भी शामिल है। रेलवे सुरक्षा बढ़ाने और स्टेशनों पर बायो-टॉयलेट और वाई-फाई जैसे प्रौद्योगिकी उन्नयन को लागू करने के लिए भी काम कर रहा है। नए भारत की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए रेलवे आत्मनिर्भर, किफायती और आधुनिक यात्री वाहक और उच्चतम मानकों की माल ढुलाई सेवा प्रदाता बनने की दिशा में काम करना जारी रखे हुए है।

- **भारत गौरव ट्रेन योजना** निजी खिलाड़ियों को थीम-आधारित पर्यटक ट्रेनों को संचालित करने की अनुमति देकर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे की एक नई पहल है। इस योजना का उद्देश्य भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और शानदार ऐतिहासिक स्थानों को भारत और दुनिया के लोगों के सामने प्रदर्शित करना है। इस योजना

से पर्यटन को बढ़ावा मिलने, नौकरियाँ पैदा होने और भारतीय रेलवे के लिए राजस्व उत्पन्न होने की उम्मीद है। इससे भारत की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में भी मदद मिलने की उम्मीद है।

- **यात्री ट्रेन संचालन के लिए भागीदारी दृष्टिकोण:** भारतीय रेलवे हितधारकों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ रहा है और यात्री ट्रेन संचालन की समग्र सेवा गुणता और परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए निजी खिलाड़ियों के साथ बातचीत शुरू कर रहा है। इस साझेदारी दृष्टिकोण का उद्देश्य रेलवे में आधुनिक तकनीक और निजी निवेश लाना है, जिससे यात्री अनुभव में सुधार हो सके।
- **स्वदेशी ट्रेन टक्कर बचाव प्रणाली (टीसीएएस):** ट्रेन संचालन और यात्रा करने वाले यात्रियों की सुरक्षा को और बढ़ाने के लिए, भारतीय रेलवे ने रेलवे पर एक स्वदेशी ट्रेन टक्कर बचाव प्रणाली (टीसीएएस) स्थापित करने की योजना बनाई है। यह प्रणाली पहले से ही कुछ रूट किमी पर कार्य कर रही है और इसे चरणबद्ध तरीके से पूरे नेटवर्क में फैलाया जाएगा।
- **"मेरी सहेली" पहल**: इस पहल का उद्देश्य ट्रेनों में यात्रा करने वाली महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करना है। यह एक विशेष सेवा है जो अकेले यात्रा करने वाली महिला यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करती है। यह सेवा देश भर में कुछ चुनिंदा ट्रेनों में उपलब्ध है और रेलवे की योजना इसे और अधिक ट्रेनों में विस्तारित करने की है।
- **प्रौद्योगिकी उन्नयन:** भारतीय रेलवे ने अपनी प्रौद्योगिकी को उन्नत करने के लिए विभिन्न पहल की हैं, जिनमें बायो-टॉयलेट से सुसज्जित कोच, ट्रैक्शन पावर को सौर ऊर्जा से चालू करने के लिए पायलट चरण, विभिन्न स्टेशनों पर एकीकृत मशीनीकृत सफाई प्रदान करना, बेहतर ट्रेन सूचना प्रदर्शन कोच मार्गदर्शन प्रणाली, ट्रेन संकेत बोर्ड, स्टेशन पर वाई-फाई स्थापना शामिल है। इसके अतिरिक्त, भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) की वेबसाइट के साथ एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता-आधारित पीएनआर कन्फर्मेशन प्रिडिक्टर को एकीकृत किया गया है, जो बुकिंग के समय प्रतीक्षा सूची वाले टिकटों की पुष्टि होने की संभावना का पूर्वानुमान करता है और रेल यात्रियों के सामने आने वाली आखरी समय की अनिश्चितताओं को दूर करता है।

कंपनी सिंहावलोकन- सुचारू संचालन

भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) की स्थापना 27 सितंबर, 1999 को स्टेशनों, ट्रेनों और अन्य स्थानों पर प्रदान की जाने वाली खानपान और आतिथ्य सेवाओं के उन्नयन, प्रबंधन और व्यावसायीकरण के उद्देश्य से भारतीय रेलवे के विस्तार के रूप में की गई थी। आईआरसीटीसी एक "मिनी रत्न (श्रेणी-ख)" केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है जो भारत सरकार के रेल मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका उद्देश्य कम लागत वाले आवास, अद्वितीय टूर पैकेज, सूचनात्मक और प्रचार अभियान और अंतरराष्ट्रीय आरक्षण प्रणाली के निर्माण के माध्यम से घरेलू और अंतरराष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा देना है।

भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) भारतीय रेलवे के लिए टिकटिंग, खानपान और पर्यटन सेवाएं प्रदान करता है। भारतीय रेलवे ने आईआरसीटीसी को ट्रेन टिकट ऑनलाइन बेचने, भोजन और खानपान सेवाएं प्रदान करने और भारतीय रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में बोतलबंद पेयजल की आपूर्ति करने के लिए एकमात्र यूनिट के रूप में अधिकृत किया है। रेल मंत्रालय की प्रशासनिक देखरेख में, शुरुआत में इसका स्वामित्व पूरी तरह से भारत सरकार के पास था। हालाँकि, 2019 तक, इसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) में सूचीबद्ध किया गया है, जिसमें अभी भी सरकार के पास अधिकांश शेयर हैं।

कंपनी चार प्रमुख प्रभागों के माध्यम से काम करती है: यात्रा और पर्यटन, पैकेज्ड पेयजल (रेल नीर), इंटरनेट टिकटिंग, और खानपान और आतिथ्य। ये प्रभाग वस्तुओं और सेवाओं की एक विस्तृत शृंखला प्रदान करते हैं जो लाखों ग्राहकों की जरूरतों और इच्छाओं को पूरा करते हैं।

ई-टिकटिंग सेवाएं- ई-टिकट बुकिंग की क्षमता बढ़ाने के लिए, आईआरसीटीसी ई-टिकटिंग प्रणाली को 2014 में अगली पीढ़ी के ई-टिकटिंग सिस्टम (एन-जीईटी) में बदल दिया गया, जिससे प्रति मिनट टिकट बुकिंग क्षमता में 3 गुना से भी ज्यादा अधिक वृद्धि हुई। सिस्टम सुरक्षा और बढ़ी हुई क्षमता के लिए ऑनलाइन टिकटिंग प्रणाली में लगातार सुधार हो रहा है। एनजीईटी प्रणाली वर्तमान में प्रति मिनट 26000 से अधिक की दर से टिकट बुक कर सकती है, इसका 12 नवंबर, 2022 को प्रति मिनट 28434 टिकट बुकिंग का रिकॉर्ड है।

31 मार्च, 2023 तक, ई-टिकटिंग प्रणाली में 9.14 करोड़ से अधिक सक्रिय उपयोगकर्ता थे, जो ऑनलाइन आरक्षित रेल टिकट बुक करने के लिए पंजीकृत थे।

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान भारतीय रेलवे पर 80.99% आरक्षित टिकट खरीदने के लिए आईआरसीटीसी की ई-टिकटिंग सेवा का उपयोग किया गया था। बाकी टिकट रेलवे कर्मचारी-कर्मचारी यात्री आरक्षण प्रणाली (पीआरएस) के माध्यम से बुक किए गए थे।

आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट ऐप (मोबाइल टिकटिंग)- आईआरसीटीसी ने देश के मोबाइल इंटरनेट में अपनी उपस्थिति स्थापित करने के लिए जनवरी 2017 में एनजीईटी सिस्टम पर एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म के लिए आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट मोबाइल ऐप पेश किया।

वित्त वर्ष 2022-23 में एंड्रॉइड और आईओएस के लिए आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट मोबाइल ऐप के माध्यम से कुल 20.42 करोड़ टिकट, या खरीदे गए सभी ऑनलाइन टिकटों का 47.36% बुक किए गए थे।

आईआरसीटीसी भुगतान प्रणाली- अपनी वेबसाइट और ऐप पर, आईआरसीटीसी ऑनलाइन भुगतान के लिए कई विकल्प प्रदान करता है, जिसमें नेट बैंकिंग, क्रेडिट और डेबिट कार्ड, वॉलेट, कैश कार्ड, भीम/यूपीआई, स्कैन-एंड-पे, पेऑन-डिलीवरी/पे-लेटर आदि शामिल हैं। अन्य कई भुगतान विकल्पों के साथ, विदेशी उपयोगकर्ता एटम टेक्नोलॉजीज और आईटीजेड कैश कार्ड द्वारा पेश किए गए समर्पित गेटवे के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हुए ऑनलाइन टिकट भी खरीद सकते हैं।

पेमेंट गेटवे के रूप में आईआरसीटीसी iPay – आईआरसीटीसी ने यात्रियों को रेलवे टिकटों के भुगतान के लिए अधिक सुविधाजनक और सुरक्षित तरीका प्रदान करने के लिए iPay लॉन्च किया। आईआरसीटीसी के अपने भुगतान गेटवे आईपे के साथ, यात्रियों को किसी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि यह क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग और आईमुद्रा वॉलेट सहित विकल्प प्रदान करता है। इससे यात्रियों

के लिए अपने टिकटों का भुगतान करना आसान हो गया, भले ही उनकी पसंदीदा भुगतान विधि कुछ भी हो। iPay ने कई सुरक्षा सुविधाएँ भी प्रदान कीं जिससे यात्रियों की व्यक्तिगत और वित्तीय जानकारी को सुरक्षित रखने में मदद मिली है। इसके अलावा, iPay भुगतान विफलता दर को कम करता है और रिफंड संसाधित करने में देरी में सुधार करता है। iPay भुगतान त्वरित और सुरक्षित रूप से प्रोसेस होते हैं, जिसका अर्थ है कि यात्री अपने टिकट जल्दी और आसानी से बुक कर सकते हैं। वित्त वर्ष 2022-23 में ळ -झरू ने 95.99 करोड़ रु. का राजस्व अर्जित किया ।

आरक्षित टिकटों के लिए तत्काल योजना– अंतिम समय में आरक्षण कराने वाले ग्राहकों के लिए, रेल मंत्रालय के पास तत्काल नामक एक अनूठा आरक्षण कार्यक्रम है। तत्काल योजना के तहत, प्रत्येक ट्रेन में प्रस्थान से एक दिन पहले एक निश्चित संख्या में सीटें आरक्षित की जाती हैं। तत्काल शुल्क द्वितीय श्रेणी के मूल किराये का 10% और अन्य सभी वर्गों के लिए मूल किराये का 30% निर्धारित किया गया था, जो न्यूनतम और अधिकतम दरों के अधीन था। उस ट्रेन पर लागू दूरी प्रतिबंधों के अधीन, तत्काल टिकट यात्रा की वास्तविक दूरी के लिए जारी किए जाते हैं, न कि शुरू से अंत तक। इन यात्राओं के लिए चार्ट बनने तक तत्काल टिकट या सीट आरक्षित किया जा सकता है। चार्ट बनने के समय अप्रयुक्त चार्ट प्रतीक्षा सूची या सामान्य आरएसी वाले यात्रियों को दिए जाते हैं। उपलब्ध स्थान का 10% (प्रत्येक कोच में 5 सीटें) आरक्षित करते हुए, शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनों के एक्जीक्यूटिव क्लास में तत्काल सेवा भी प्रदान की जाती है। तत्काल टिकटिंग स्रोत स्टेशन से यात्रा की वास्तविक प्रस्थान तिथि से एक दिन पहले, उस दिन को छोड़कर, प्रातः 10 बजे एसी श्रेणियों के लिए और प्रातः 11 बजे गैर-एसी श्रेणियों के लिए शुरू होती है।

यह योजना www.irctc.co.in और आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट ऐप पर उपलब्ध है, जहां उपयोगकर्ता तत्काल योजना के तहत आसानी से टिकट बुक कर सकते हैं।

विकल्प योजना– प्रतीक्षा सूची वाले यात्री बुकिंग कोटा या रियायतों की परवाह किए बिना, इस कार्यक्रम के तहत अधिकतम पांच ट्रेनों का चयन कर सकते हैं। यह इस बात की गारंटी नहीं देता है कि बर्थ कन्फर्म हो जाएगी क्योंकि यह इस पर निर्भर करता है कि उस ट्रेन में सीटें उपलब्ध हैं या नहीं। तत्काल मूल्य के संबंध में, इन परिवर्तित ट्रेनों के लिए कोई रिफंड नहीं है या अतिरिक्त टिकट शुल्क नहीं लिया जाता है। इस योजना को चुनने वाले एक पीएनआर के सभी यात्रियों को उसी श्रेणी की वैकल्पिक ट्रेनों में स्थानांतरित कर दिया जाएगा या किसी को भी नहीं। जब एक अलग ट्रेन की पुष्टि हो जाती है, तो मानक रद्दीकरण प्रभार लागू होता है। उपयोगकर्ता द्वारा चुने जाने पर, किसी यात्री को विंडो के अंदर किसी भी ट्रेन में स्थानांतरित किया जा सकता है। विकल्प का उपयोग करते हुए ट्रेन सूची चुन लेने के बाद, इसे केवल एक बार बदला या अपडेट किया जा सकता है।

रुपे प्लेटफॉर्म पर एसबीआई को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड और आईआरसीटीसी बीओबी को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड: आईआरसीटीसी और एसबीआई ने 28 जुलाई, 2020 को एनपीसीआई के रुपे प्लेटफॉर्म पर एक नया को-ब्रांडेड संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड पेश किया। आईआरसीटीसी एसबीआई क्रेडिट कार्ड पर एनपीसीआई का रुपे प्लेटफॉर्म आईआरसीटीसी और एसबीआई कार्ड द्वारा पूरी तरह से स्वदेशी रूप से बनाया गया था जो प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत और डिजिटल इंडिया के दृष्टिकोण के अनुरूप है और आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए काम करता है।

बैंक ऑफ बड़ौदा के सहयोग से, आईआरसीटीसी ने 21 फरवरी, 2022 को रुपे प्लेटफॉर्म पर बीओबी लॉयल्टी को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड भी पेश किया। रुपे प्लेटफॉर्म पर नए को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड बार-बार रेल यात्रा करने वालों को उनकी यात्रा पर खुदरा, भोजन और मनोरंजन पर विशेष लाभ के साथ-साथ लेनदेन शुल्क में छूट अधिकतम बचत का प्रस्ताव प्रदान करते हैं।

आईआरसीटीसी के को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड सह लॉयल्टी प्रोग्राम के विस्तार की दिशा में एक और कदम के रूप में, 01 मार्च 2023 को, आईआरसीटीसी ने एचडीएफसी बैंक के सहयोग से मौजूदा लॉयल्टी प्रोग्राम के दायरे में स्वदेशी रूपे प्लेटफॉर्म पर एक नया को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। रेल उपयोगकर्ता, जिसे आईआरसीटीसी एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड के रूप में जाना जाता है। यह शृंखला में तीसरा को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड पार्टनर है जिसके साथ आईआरसीटीसी ने इस कार्यक्रम को निष्पादित करने के लिए सहयोग किया है। इस को-ब्रांडेड ठींझरू क्रेडिट कार्ड को बार-बार यात्रा करने वालों को कई लाभ प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है ।

भीम/यूपीआई भुगतान मोड– डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने और भारत सरकार के "डिजिटल इंडिया" के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए, भीम/यूपीआई भुगतान पद्धति का उपयोग करते हुए ऑनलाइन ई-टिकट खरीदने वाले उपयोगकर्ताओं पर कम सुविधा शुल्क लिया जाता है।

यात्रा बीमा– आईआरसीटीसी ने उन भारतीय निवासियों के लिए यात्रा बीमा पेश किया है जो अपने टिकट बुक करने के लिए आईआरसीटीसी वेबसाइट एप्लिकेशन का उपयोग करते हैं। भारतीय रेलवे से यात्रा करने वाले यात्रियों को उनके यात्रा बीमा के तहत दुर्घटनाओं के लिए कवर मिलता है। उम्मीदवार या यात्री ट्रेनों के बीच टक्कर, यात्री ट्रेन के पटरी से उतरने या किसी अन्य प्रकार की ट्रेन दुर्घटना की स्थिति में मुआवजे की मांग कर सकते हैं। आईआरसीटीसी अपने ग्राहकों को जो यात्रा बीमा प्रदान करता है, उसके लिए प्रत्येक यात्री से केवल 35 पैसे लेता है। बीमा कवरेज 10 लाख रु. तक है और ऐसे ट्रेन दुर्घटनाओं के जोखिम को कवर करता है जिसके परिणामस्वरूप यात्री की मृत्यु या स्थायी विकलांगता के साथ-साथ चोरी, लूटपाट और अन्य खतरे होते हैं। मूल स्थान से गंतव्य तक बीमा पूरी यात्रा के दौरान प्रभावी रहता है। पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चे बीमा के लिए पात्र नहीं हैं।

वित्तीय वर्ष के दौरान यात्रा बीमा चुनने वाले कुल यात्रियों की संख्या 33.75 करोड़ थी। इस सेवा के लिए लिया गया प्रीमियम 11.77 करोड़ रु. था।

रियायती बुकिंग – भारतीय रेलवे द्वारा दिए गए आईडी कार्ड का उपयोग करते हुए, पत्रकार और दिव्यांग यात्री आईआरसीटीसी वेबसाइट और मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन टिकट खरीदने के लिए विशेष बुकिंग विकल्प का उपयोग कर सकते हैं।

ऑनलाइन पास धारकों के लिए ऑनलाइन बुकिंग– रेलवे कर्मचारियों के लिए, रेलवे पास का उपयोग करते हुए ऑनलाइन आरक्षित रेल टिकट खरीदने की सुविधा सक्षम की गई है। इन आरक्षणों के लिए सुविधा शुल्क और यात्रा बीमा लागू नहीं हैं।

रेल खानपान– खानपान सेवाओं की गुणता और यात्रियों के ऑन–बोर्ड भोजन अनुभवों को बेहतर बनाने के लिए, भारतीय रेलवे ने 2017 में एक नई खानपान नीति जारी की। यह नीति प्रभावी हो गई है, और ट्रेनों की संपूर्ण मोबाइल खानपान व्यवस्था आईआरसीटीसी को हस्तांतरित कर दी गई है।

विस्टाडोम ट्रेन– विस्टाडोम ट्रेन का निर्माण रेलवे के माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। भारतीय रेलवे द्वारा निर्मित पहले विस्टाडोम कोच में कांच की छत, एलईडी लाइटिंग, लाउंज में एक बड़ी अवलोकन खिड़की, बेहतर देखने के लिए 360 डिग्री घूमने वाली सीटें, इलेक्ट्रॉनिक रूप से संचालित स्वचालित स्लाइडिंग दरवाजे, सिरेमिक टाइल वाले शौचालय, एक छोटी पेंट्री और सर्विस स्टेशन की सुविधा है और शारीरिक रूप से विकलांग यात्रियों के प्रवेश के लिए एक चौड़ा दरवाजा है। यह वर्तमान में आंध्र प्रदेश की सुरम्य अराकू घाटी में परिचालित हो रही है। इसके अतिरिक्त, विस्टाडोम कोच मुंबई और गोवा के बीच चलते हैं । विस्टाडोम कोच निम्नलिखित ट्रेनों में भी शुरू किए गए थे:

18551– 52– VSKP - KRDL एक्सप्रेस

16515–16– YPR - KAWR एक्सप्रेस

16575–76– YPR - MAJN एक्सप्रेस

16539–40– YPR - MAJN एक्सप्रेस

16579–80– YPR - SMET इंटरसिटी एक्सप्रेस

15887–88– BPB - GHY टूरिस्ट एक्सप्रेस

15907–08– TSK - NHL विस्टाडोम एक्सप्रेस

15777–78– NJP - APDJ टूरिस्ट एक्सप्रेस

12087–88– NHLN - GHY शताब्दी एक्सप्रेस

12123–24– CSMT - Pune डेक्कन क्वीन

11007–08– CSMT- Pune डेक्कन एक्सप्रेस

12051–52– CSMT- MAO जनशताब्दी एक्सप्रेस

12009–10– MMCT - ADI शताब्दी एक्सप्रेस

एक्जीक्यूटिव लाउंज– शुल्क–सेवा के आधार पर, रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को प्रस्थान पूर्व और आगमन के बाद सहायता के लिए एक्जीक्यूटिव लाउंज वॉश और चेंज रूम, वायरलेस इंटरनेट, लाइव टीवी, चैनल संगीत, समाचार पत्र और बुक स्टैंड, बुफे सेवाएं और दरबान सेवाओं सहित सुविधाएं प्रदान करता है। आईआरसीटीसी वर्तमान में नई दिल्ली (पहाड़गंज साइड और अजमेरी गेट साइड), आगरा कैंट, जयपुर , अहमदाबाद , मदुरै, सियालदह और वाराणसी में कार्यकारी लाउंज का प्रबंधन करता है।

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान भारतीय रेलवे पर कार्यकारी लाउंज के विकास के हिस्से के रूप में, आईआरसीटीसी ने भोपाल और द्वारका रेलवे स्टेशनों पर दो और एक्जीक्यूटिव लाउंज प्रदान किए हैं।

मूल दक्षताएं

टिकटिंग और आरक्षण– आईआरसीटीसी ऑनलाइन रेलवे टिकट बेचने के लिए अधिकृत एकमात्र यूनिट है। इसलिए इसने मजबूत टिकटिंग और आरक्षण प्रणाली विकसित की है जो इसे पूरे भारत में ट्रेन यात्रा के लिए बड़ी मात्रा में बुकिंग को कुशलतापूर्वक संभालने में सक्षम बनाती है। इसका ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म ग्राहकों को टिकट बुक करने, उपलब्धता की जांच करने और उनके यात्रा कार्यक्रम को प्रबंधित करने के लिए सुविधाजनक और उपयोगकर्ता–अनुकूल इंटरफ़ेस प्रदान करता है।

खानपान और खाद्य सेवाएँ– आईआरसीटीसी भारतीय रेलवे ट्रेनों में खानपान और भोजन सेवाएँ प्रदान करने के लिए जिम्मेदार एकमात्र अधिकृत यूनिट है। इसलिए, इसके पास विभिन्न स्टेशनों पर खाद्य विक्रेताओं और रसोई का एक मजबूत नेटवर्क है, जो यात्रियों को उनकी यात्रा के दौरान स्वच्छ और गुणतापूर्ण भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करता है।

पर्यटन और आतिथ्य सेवाएँ– आईआरसीटीसी विशेष पर्यटन पैकेज, लक्जरी ट्रेन यात्रा और विशेष यात्रा अनुभव प्रदान करते हुए भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह राज्य पर्यटन निगमों के साथ सहयोग करता है और पैलेस ऑन व्हील्स, महाराजा एक्सप्रेस और डेक्कन ओडिसी जैसी लक्जरी पर्यटक ट्रेनों का संचालन करता है, जो यात्रियों को अनोखी और यादगार यात्रा प्रदान करती हैं। इसके अलावा, यह रेलवे स्टेशनों पर यात्रा करने वाले यात्रियों को प्रस्थान–पूर्व और आगमन के बाद की सेवाएँ प्रदान करने के लिए एक्जीक्यूटिव लाउंज स्थापित करने के लिए अधिकृत एकमात्र यूनिट है।

एकीकृत यात्री सेवाएँ– आईआरसीटीसी ई–कैटरिंग, रिटायरिंग रूम, रेल टूर पैकेज और यात्रा बीमा जैसी एकीकृत सेवाएं प्रदान करते हुए समग्र यात्री अनुभव को बढ़ाने पर केंद्रित है। इन सेवाओं का उद्देश्य यात्रियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करना और एक आरामदायक और सुविधाजनक यात्रा अनुभव सुनिश्चित करना है।

प्रौद्योगिकी और डिजिटल नवाचार– आईआरसीटीसी अपनी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी और डिजिटल नवाचारों में लगातार निवेश करता रहता है। इसने मोबाइल एप्लिकेशन, स्टेशनों पर वाई–फाई सेवाएं, निर्बाध भुगतान लेनदेन के लिए ई–वॉलेट और यात्री सेवाओं को बढ़ाने के लिए एआई–आधारित टूल जैसी सुविधाओं को लागू किया है, जिसमें पीएनआर प्रीडिक्शन और वास्तविक समय ट्रेन की जानकारी शामिल है।

ग्राहक संबंध प्रबंधन– आईआरसीटीसी ग्राहकों की संतुष्टि पर जोर देता है और उसने प्रभावी ग्राहक संबंध प्रबंधन प्रणाली स्थापित की है। यह यात्रियों के साथ सकारात्मक और प्रतिक्रियाशील जुड़ाव सुनिश्चित करते हुए ग्राहकों के प्रश्नों, फीडबैक और शिकायतों का तुरंत समाधान करने का प्रयास करता है। इसके अलावा , आईआरसीटीसी के पास सुप्रशिक्षित और अनुभवी कर्मचारियों की एक टीम है जो उत्कृष्ट ग्राहक सेवा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

मजबूत ब्रांड पहचान– आईआरसीटीसी भारत में एक प्रसिद्ध ब्रांड है और इसे उच्च स्तर का ग्राहक विश्वास हासिल है। इसका कारण अपने ग्राहकों को विश्वसनीय और उच्च गुणता वाली सेवाएं प्रदान करने का इसका लंबा इतिहास है।

भागीदारी और सहयोग – आईआरसीटीसी अपनी सेवा पेशकशों का विस्तार करने और व्यापक यात्रा समाधान प्रदान करने के लिए राज्य पर्यटन निगमों, आतिथ्य प्रदाताओं और अन्य ट्रैवल एजेंसियों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ सहयोग करता है। ये भागीदारियां आईआरसीटीसी को तालमेल का लाभ उठाने और ग्राहकों को विकल्पों की एक विस्तृत शृंखला प्रदान करने में सक्षम बनाती हैं।

सुरक्षा और संरक्षा उपाय – आईआरसीटीसी यात्री सुरक्षा और संरक्षा पर विशेष जोर देता है। यह सुरक्षा उपायों को लागू करने, ट्रेन निकासी योजनाओं और उनकी सेवाओं में सुरक्षा के उच्च मानकों को बनाए रखने के लिए भारतीय रेलवे के साथ मिलकर काम करता है।

वित्तीय प्रबंधन और राजस्व सृजन– आईआरसीटीसी प्रभावी ढंग से अपने वित्तीय संचालन का प्रबंधन करता है, टिकट बिक्री, खानपान सेवाओं और अन्य राजस्व धाराओं के माध्यम से राजस्व सृजन का अनुकूलन करता है। यह अपने संचालन को बनाए रखने और बुनियादी ढांचे और सेवाओं में चल रहे निवेश का समर्थन करने के लिए कुशल वित्तीय प्रबंधन प्रथाओं को नियोजित करता है।

चुनौतियां

विनियामक अनुपालन– लागू कानूनों का कोई भी उल्लंघन या परिवर्तन कंपनी के लिए हानिकारक हो सकता है। रेल मंत्रालय द्वारा मेनू और मूल्य निर्धारण सीमाओं पर लगाए गए जैसे प्रतिकूल नीति परिवर्तन कंपनी के राजस्व पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। नियामक आवश्यकताओं, सरकारी नीतियों और उद्योग मानकों का अनुपालन आईआरसीटीसी के लिए चुनौतियां खड़ी करता है। बदलते नियमों को अपनाना, सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करना और विभिन्न नियामक निकायों की अपेक्षाओं को पूरा करना निरंतर निगरानी और सक्रिय उपायों की मांग करता है।

बुनियादी ढांचे और क्षमता की बाधाएं– भारतीय रेलवे के मौजूदा बुनियादी ढांचे को पटरियों, स्टेशनों और सुविधाओं के मामले में सीमाओं का सामना करना पड़ता है। यात्रा सीजन, त्योहारों और विशेष आयोजनों और स्टेशनों पर यात्री यातायात जैसे व्यस्ततम समय के दौरान टिकट बुकिंग की भारी मात्रा का प्रबंध करना महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं।

बाजार प्रतिस्पर्धा– आईआरसीटीसी प्रतिस्पर्धी यात्रा और पर्यटन बाजार में काम करता है जहां ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसियां (ओटीए), होटल बुकिंग प्लेटफॉर्म और अन्य सेवा प्रदाता ग्राहकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं।

वित्तीय चिरंतनता– बाजार की उतार–चढ़ाव वाली स्थितियों, मूल्य निर्धारण दबाव और बढ़ती परिचालन लागत के बीच वित्तीय चिरंतनता बनाए रखना आईआरसीटीसी के लिए एक चुनौती है। राजस्व सृजन, लागत अनुकूलन और बुनियादी ढांचे के उन्नयन और प्रौद्योगिकी प्रगति में निवेश को संतुलित करने के लिए कुशल वित्तीय प्रबंधन की आवश्यकता होती है।

बदलते यात्रा रुझानों को अपनाना– यात्रा उद्योग गतिशील है, जिसमें यात्रा प्राथमिकताएं, उभरती प्रौद्योगिकियां और उपभोक्ता व्यवहार में बदलाव शामिल है।

अवसर

डिजिटल परिवर्तन– डिजिटल प्रौद्योगिकियों का तेजी से विकास आईआरसीटीसी के लिए अपने ऑनलाइन टिकटिंग प्लेटफॉर्म, मोबाइल एप्लिकेशन और डिजिटल सेवाओं को बढ़ाने का अवसर प्रस्तुत करता है। डिजिटल परिवर्तन को अपनाने से ग्राहक सुविधा में सुधार हो सकता है, व्यक्तिगत अनुभव प्रदान किया जा सकता है और संचालन को सुव्यवस्थित किया जा सकता है।

पर्यटन संवर्धन– यात्रा और पर्यटन उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में, आईआरसीटीसी के पास भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य पर्यटन निगमों और अन्य हितधारकों के साथ सहयोग करने का अवसर है। विशेष टूर पैकेज की पेशकश करते हुए, नए गंतव्यों की खोज करते हुए और अपने विशाल नेटवर्क का लाभ उठाकर, आईआरसीटीसी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों पर्यटकों को और भी अधिक आकर्षित कर सकता है।

सहायक सेवाएं– आईआरसीटीसी अपनी सहायक सेवाओं जैसे ऑनबोर्ड कैटरिंग, ई–कैटरिंग, यात्रा बीमा और होटल बुकिंग का विस्तार कर सकता है। स्थानीय विक्रेताओं, होटलों और सेवा प्रदाताओं के साथ भागीदारी करते हुए, आईआरसीटीसी व्यापक यात्रा समाधान पेश कर सकता है और अतिरिक्त राजस्व स्रोत उत्पन्न कर सकता है।

बुनियादी ढांचा विकास– आईआरसीटीसी रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण, यात्री सुविधाओं में सुधार और समग्र यात्रा अनुभव को बढ़ाकर बुनियादी ढांचे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। वाई–फाई, लाउंज और खुदरा स्थानों जैसी सुविधाओं के साथ स्टेशनों को अपग्रेड करने से अधिक यात्रियों को आकर्षित किया जा सकता है और अधिक राजस्व प्राप्त किया जा सकता है।

तकनीकी नवाचार– कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा एनालिटिक्स और ऑटोमेशन जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने से आईआरसीटीसी के संचालन के विभिन्न पहलुओं में क्रांति आ सकती है। मांग पूर्वानुमान के लिए पूर्वानुमानित विश्लेषण से लेकर ग्राहक सहायता के लिए एआई–संचालित चैट–बॉट तक, तकनीकी नवाचार दक्षता बढ़ा सकते हैं, सेवा की गुणता बढ़ा सकते हैं और निर्णय लेने में सुधार कर सकते हैं।

स्थानीय समुदायों के साथ सहयोग– आईआरसीटीसी ट्रेनों और स्टेशनों पर स्थानीय हस्तशिल्प, सांस्कृतिक अनुभवों और पारंपरिक व्यंजनों को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय समुदायों, कारीगरों और उद्यमियों के साथ सहयोग कर सकता है। यह एक अद्वितीय विक्रय प्रस्ताव प्रदान कर सकता है, स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं का सहयोग कर सकता है और समग्र यात्रा अनुभव को समृद्ध कर सकता है।

टिकाऊपन (चिरंतनता) की पहल– चूंकि टिकाऊपन एक वैश्विक प्राथमिकता बन गई है, आईआरसीटीसी पर्यावरण–अनुकूल पद्धतियों को लागू करने के अवसर का लाभ उठा सकता है। इसमें ऊर्जा–कुशल संचालन को बढ़ावा देना, अपशिष्ट प्रबंधन और ट्रेन यात्राओं के कार्बन पदचिह्न को कम करना शामिल हो सकता है। ग्रीन पहल पर्यावरण के प्रति जागरूक यात्रियों को आकर्षित कर सकती है और टिकाऊ पर्यटन में योगदान कर सकती है।

अनुकूलन और वैयक्तिकरण– ग्राहक डेटा और विश्लेषण का लाभ उठाकर, आईआरसीटीसी व्यक्तिगत यात्रा अनुभव, अनुकूलित यात्रा कार्यक्रम और लक्षित प्रचार प्रदान कर सकता है। ग्राहकों की प्राथमिकताओं के आधार पर सेवाएँ देकर ग्राहकों की लॉयल्टी बढ़ा सकते हैं, संतुष्टि बढ़ा सकते हैं और बार–बार बुकिंग करा सकते हैं।

क्रॉस–सेलिंग और पार्टनरशिप– आईआरसीटीसी एयरलाइंस, कार रेंटल सेवाओं और टूर ऑपरेटरों जैसे पूरक व्यवसायों के साथ साझेदारी करते हुए क्रॉस–सेलिंग के अवसरों का पता लगा सकता है। यात्रा सेवाओं को बंडल करना और एकीकृत पैकेज पेश करना यात्रियों को अतिरिक्त सुविधा प्रदान कर सकता है और आईआरसीटीसी की बाजार पहुंच का विस्तार कर सकता है।

आईआरसीटीसी की पहल

व्यापार की दुनिया लगातार बदल रही है और नवीनतम रुझान और नवप्रवर्तन बहुत ही कम समय में अप्रचलित हो रहे हैं। नई पहल करने से कंपनी को उद्योग के रुझानों को स्वयं स्थापित करते हुए और पिछलग्गू के पीछे भागने के बजाय प्रतिस्पर्धा में बढ़त बनाए रखते हुए प्रतिस्पर्धा में आगे रहने में मदद मिलती है ।

निम्नलिखित पहलों ने कंपनी को प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने, कार्यों को स्वचालित करने और नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए अपनी दक्षता और उत्पादकता में सुधार करने में मदद की।

इंटरनेट टिकटिंग:

आईआरसीटीसी ने इस सेगमेंट के तहत अपने व्यवसाय और सेवाओं को बढ़ाने के लिए कई पहल कीं। रेल कनेक्ट मोबाइल ऐप (एंड्रॉइड और ळजड दोनों पर उपलब्ध) के लिए कुछ प्रमुख पहलों में शामिल हैं:

i. शिशुओं के लिए बर्थ बुकिंग सुविधा की शुरूआत;

ii. ई-वॉलेट पंजीकरण सुविधा;

iii. उन्नत और सरलीकृत उपयोगकर्ता खाता पुनर्प्राप्ति प्रक्रिया;

iv. ग्राहकों को ट्रेन सूची पेज पर यात्रा तिथि परिवर्तन के लिए त्वरित कोटा चयन विकल्प और आसान फ़िल्टर संशोधन प्रदान किया गया है;

v. ग्राहकों के लिए डैशबोर्ड पेज के लिए नया यूआई डिज़ाइन लॉन्च किया गया;

vi. टिकट रद्द करने पर यात्रा बीमा प्रीमियम राशि का रिफंड,

vii. iPay बुकिंग आदि का प्रसार।

अन्य पहल इंटरनेट टिकटिंग सेगमेंट के तहत निदेशकों की रिपोर्ट में विस्तृत हैं।

यात्रा और पर्यटन

i. **भारत गौरव ट्रेनें:** रेलवे बोर्ड द्वारा जारी नीति में बदलाव के साथ, सभी पर्यटक ट्रेनें "भारत गौरव नीति" के अंतर्गत आती हैं। भारत गौरव ट्रेनों के संचालन के लिए पहले से ही 2 रेक वाले आईआरसीटीसी ने पूरे भारत से अतिरिक्त 8 रेक के लिए अनुरोध किया है। वर्तमान में, पूरे भारत में कुल 08 रेक परिचालन में हैं और भारत गौरव ट्रेन टूर का संचालन कर रहे हैं। इन नए रेकों के शामिल होने से आईआरसीटीसी नई दिल्ली (02 रेक), गोरखपुर, हावड़ा, गुवाहाटी, बिलासपुर, सिकंदराबाद, कोचुवेली, मुंबई और इंदौर (प्रत्येक को 1-1 रेक) में स्थित 10 भारत गौरव रेक के साथ देश का सबसे बड़ा पर्यटक ट्रेन ऑपरेटर बन जाएगा।

ii. **हवाई मार्ग से राज्य विशेष यात्राएँ:** आईआरसीटीसी ने पहली बार राज्य के बुजुर्ग निवासियों के लिए हवाई मार्ग से राज्य विशेष यात्राएँ संचालित कीं। ये हवाई यात्राएं राजस्थान राज्य सरकार द्वारा नियमित आधार पर जयपुर से काठमांडू तक आयोजित की गईं और कुल 538 यात्रियों को ले जाया गया।

iii. **सांस्कृतिक आदान-प्रदान यात्राएँ:** वित्तीय वर्ष के दौरान, आईआरसीटीसी ने केंद्र सरकार की एक भारत श्रेष्ठ भारत (ईबीएसबी) पहल के तहत "काशी तमिल संगमम" और "नॉर्थ ईस्ट युवा संगम" की सांस्कृतिक आदान-प्रदान यात्राओं का संचालन किया।

iv. **श्री केदारनाथ हेलियात्रा टिकटिंग प्रणाली:** आईआरसीटीसी ने यात्रियों को श्री केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए हेलीकॉप्टर टिकट बुकिंग प्रणाली प्रदान करने के लिए यूसीएडीए (उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

v. **राष्ट्रीय रेल संग्रहालय (एनआरएम) के लिए ऑनलाइन टिकटिंग:** राष्ट्रीय रेल संग्रहालय (एनआरएम), चाणक्यपुरी, नई दिल्ली की ऑनलाइन टिकटिंग प्रणाली 14 अप्रैल, 2022 से आईआरसीटीसी द्वारा प्रबंधित की जा रही है, ताकि उन आगंतुकों को सुविधा मिल सके जो संग्रहालय देखने और विभिन्न सवारी के लिए वेबसाइट (www.nrmindia.org) के माध्यम से पहले से अपने ऑनलाइन टिकट बुक करना चाहते हैं। स्कूलों और अन्य संस्थानों द्वारा संस्थागत बुकिंग की भी व्यवस्था सिस्टम में है।

vi. **लॉजिस्टिक व्यवसाय:** आईआरसीटीसी ने सरकारी संगठनों को परिवहन और आपूर्ति शृंखला प्रबंधन समाधान प्रदान करने के लिए कार्गो/लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में कदम रखा। घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों माल ढुलाई कारोबार को लक्षित करना। आईआरसीटीसी को बीएसएफ, रक्षा मंत्रालय मुख्यालय और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया द्वारा काम सौंपा गया है।

vii. **महाराजा एक्सप्रेस:** महाराजा एक्सप्रेस चार अलग-अलग यात्रा कार्यक्रमों पर चलती है, जिनमें से तीन यात्रा कार्यक्रम 6 रात / 7 दिन और एक 3 रात / 4 दिन के हैं जो उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, रणथंभौर, आगरा, खजुराहो और वाराणसी जैसे स्थानों को कवर करते हैं। यात्रा कार्यक्रम ट्रेन की वेबसाइट www.the-maharajas.com पर प्रस्थान तिथियों के साथ अपलोड कर दिए गए हैं। यह ट्रेन पर्यटन सीजन सितंबर से अप्रैल के दौरान संचालित की जाती है।

viii. **गोल्डन चैरियट:** कर्नाटक राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा दक्षिण भारत में संचालित की जाने वाली एकमात्र लक्जरी ट्रेन गोल्डन चैरियट को विपणन, संचालन और रखरखाव के लिए आईआरसीटीसी द्वारा ले लिया गया था। तीन यात्रा कार्यक्रम अर्थात कर्नाटक के गौरव (5 रातें/6 दिन), ज्वेल्स ऑफ साउथ (5 रातें/6 दिन) और कर्नाटक की झलक (3 रातें/4 दिन) के लिए कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और गोवा में विभिन्न गंतव्यों की योजना बनाई गई है।

ix. **बौद्ध सर्किट स्पेशल ट्रेन:** बौद्ध सर्किट ट्रेन की नई रेक में अंतरराष्ट्रीय स्तर की विशेषताएं हैं जैसे दो डाइनिंग कार, वैक्यूम बायो-टॉयलेट, एयर सस्पेंशन स्प्रिंग्स, सुरक्षा लॉकर, साइड सीटिंग सुविधा के साथ संशोधित 2अउ कोच, ऑन-बोर्ड हाउसकीपिंग और सुरक्षा, सीसीटीवी कैमरा सुरक्षा, दुर्घटना बीमा सुविधा, फुट मसाजर और मिनी लाइब्रेरी आदि। यात्रा कार्यक्रम ट्रेन की वेबसाइट www.irctcbuddhisttrain.com पर प्रस्थान तिथियों के साथ अपलोड कर दिए गए हैं।

x. **डीलक्स पर्यटक ट्रेन:** घरेलू विशिष्ट पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, बौद्ध लीन सीजन और बौद्ध यात्राओं के बीच मुफ्त स्लॉट के दौरान बौद्ध विशेष पर्यटक ट्रेन के संचालन के लिए उपयोग किए जाने वाले संशोधित भारत गौरव रेक का उपयोग करते हुए आईआरसीटीसी श्री रामायण यात्रा, गरवी गुजरात, नॉर्थ ईस्ट डिस्कवर आदि जैसे विशेष पैकेजों का संचालन कर रहा है।

xi. **ट्रेन द्वारा राज्य तीर्थ विशेष यात्राएँ:** आईआरसीटीसी विभिन्न राज्य सरकारों के सहयोग से राज्य विशेष पर्यटक ट्रेन यात्राएँ संचालित करता

है। सरकार टूर पैकेज के लाभार्थियों का चयन करती है जो ज्यादातर वरिष्ठ नागरिक होते हैं। ये ट्रेन यात्राएं पूरे भारत में पर्यटन और तीर्थ महत्व के विभिन्न स्थलों को कवर करती हैं।

xii. **रेल टूर पैकेज:** आईआरसीटीसी उचित दरों पर आगे और वापसी की पुष्टिकृत (कन्फर्म्ड) रेल यात्रा, सड़क स्थानांतरण, आवास, भोजन और दर्शनीय स्थलों की यात्रा जैसी सभी समावेशी सेवाओं के साथ व्यापक पैकेज प्रदान करता है।

खानपान

मोबाइल कैटरिंग:

i. राजधानी / शताब्दी और दुरंतो और मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों के मेनू में संशोधन : 2022 के उउ-25 के संदर्भ में, आईआरसीटीसी ने दलमा (ओडिशा) जैसी, सेट दोसाई (तमिलनाडु), मेदुर वडा (कर्नाटक), पालकट्टी चेटिनाड (तमिलनाडु), चेन्नापोडा (ओडिशा), प्याज़ कचौरी (राजस्थान), कांदा पोहा (एमपी), वड़ा पाव (महाराष्ट्र), माछेरझोल (पश्चिम बंगाल), थेपला (गुजरात) आदि जैसे विभिन्न राज्यों के क्षेत्रीय व्यंजन पेश किए हैं जो लोकप्रिय हैं और उन्हें ट्रेनों के मेनू में उदारतापूर्वक शामिल किया गया है ।

   इसके अलावा 2023 को "अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष" के रूप में मनाने के लिए, आईआरसीटीसी ने पहले से ही ट्रेनों के मेनू में बाजरा (मिलेट) आधारित आइटम जैसे बाजरा कचौरी, बाजरा लड्डू, बाजरा खिचड़ी, बाजरा दलिया, बाजरा बिस्कुट आदि पेश किए हैं।

   मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों के लिए, आईआरसीटीसी ने ट्रेनों में बिक्री के लिए 70 आला-कार्ट वस्तुओं की एक सूची पेश की है।

ii. यात्रियों को खाद्य सामग्री की सेवा के लिए प्लास्टिक/पीईटी कंटेनरों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध है।

स्थैतिक (स्टेटिक) खानपान:

- रेलवे बोर्ड को सौंपी गई किचन (रसोई) उन्नयन कार्य योजना के तहत निर्देशानुसार, आईआरसीटीसी ने मौजूदा 48 उन्नत किचन के अलावा, किचन उन्नयन के लिए 50 स्थानों की पहचान की है। इन पहचाने गए 50 स्थानों में से आईआरसीटीसी ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 15 किचन यूनिटों को अपग्रेड किया है।

- ट्रेनों में पका हुआ भोजन फिर से शुरू होने पर किचन यूनिटों/बेस किचनों का संचालन फिर से शुरू होने के साथ भोजन पैकेटों पर क्यूआर कोड का प्रावधान फिर से शुरू हो गया। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, आईआरसीटीसी ने 18 उन्नत किचनों में क्यूआर कोड सुविधा सक्षम की है। इसके अलावा, शेष किचनों को भी उत्तरोत्तर कवर किया जा रहा है।

- सीसीटीवी निगरानी: किचन यूनिट/बेस किचन की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए, आईआरसीटीसी ने विशेष रूप से परिचालन अवधि के दौरान सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से इन यूनिटों की निगरानी फिर से शुरू कर दी है। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, आईआरसीटीसी ने आईआरसीटीसी पोर्टल पर सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से 36 किचनों में लाइव निगरानी सक्षम की है। सीसीटीवी फुटेज की निगरानी कॉर्पोरेट कार्यालय के निगरानी कक्ष में की जा रही है।

- केंद्रीकृत बिलिंग प्रणाली के लिए पीओएस की स्थापना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लिया गया है। प्रारंभ में यह परियोजना फूड प्लाजा और फास्ट फूड यूनिट यानी प्रत्येक जोन में एक यूनिट के लिए लागू की गई है।

रेल नीर

i. गर्मी के चरम मौसम के दौरान बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए सर्दियों के मौसम/कम अवधि के दौरान रेल नीर का भंडारण किया गया, जिससे स्टेटिक/मोबाइल यूनिटों में रेल नीर की अनुपलब्धता की शिकायतें कम हो गईं।

ii. कच्चे माल और अन्य की खरीद के लिए निविदाएं जेम पोर्टल पर सफलतापूर्वक शुरू कर दी गई हैं।

iii. डिजिटल पहल: आईआरसीटीसी ने संयंत्रों में रेल नीर वितरण कार्यों की बिलिंग और निगरानी के लिए एक रेल नीर ऐप विकसित किया है। रेल नीर ले जाने और अग्रेषित करने वाली एजेंसियों (सीएफए) को लाइसेंसधारियों को रेल नीर ऐप के माध्यम से चालान जारी करने, ट्रेनों और खानपान यूनिटों को स्टॉक की बिक्री और आपूर्ति के लाइव रिकॉर्ड और समाधान को सक्षम करने का अधिकार दिया गया है। इससे वास्तविक समय में बिल निपटान की प्रक्रिया सरल हो गई है, जिससे हर बार सटीक परिणाम मिलते हैं।

व्यवसाय खंड सिंहावलोकन

इंटरनेट टिकटिंग

वर्तमान में, आईआरसीटीसी एकमात्र एडमिनिस्ट्रेटर है और विशेष रूप से भारतीय रेलवे की ऑनलाइन टिकटिंग सेवाओं का प्रबंधन करता है। कंपनी एशिया-प्रशांत क्षेत्र में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली और लेन-देन वाली वेबसाइटों में से एक चलाती है, जिसमें प्रति माह 359.42 मिलियन से अधिक लेनदेन और प्रति दिन 6.12 मिलियन लॉगिन होते हैं। दैनिक आधार पर भारतीय रेलवे का उपयोग करने वाले 7706.40 लाख से अधिक यात्रियों के लिए 31 मार्च, 2023 तक प्रतिदिन औसतन 11.82 लाख टिकट ऑनलाइन आरक्षित किए गए थे। यह भारतीय रेलवे के सभी आरक्षित टिकटों का लगभग 80.99% था।

एनजीईटी सिस्टम– नेक्स्ट जेनरेशन ई-टिकटिंग (एनजीईटी) सिस्टम ने 28 अप्रैल 2014 को ई-टिकटिंग सिस्टम को हटा दिया, जिससे धीरे-धीरे बुक किए गए टिकटों की क्षमता में वृद्धि हुई। उच्च क्षमता वाले सर्वर जो प्रति मिनट 26,000 से अधिक टिकट बुक करने की क्षमता रखते हैं, एनजीईटी प्रणाली का सपोर्ट करते हैं। आईआरसीटीसी की अगली पीढ़ी के ई-टिकटिंग (एनजीईटी) सिस्टम इंटरफ़ेस को कई उपयोगकर्ता-अनुकूल सुविधाओं के साथ उपलब्ध कराया गया है। यह सरल साइट नेविगेशन, आसान साइन-इन और बढ़ी हुई सुरक्षा के साथ अव्यवस्था-मुक्त अनुभव प्रदान करता है। भारतीय रेलवे के आईटी प्रभाग, रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र (सीआरआईएस) ने ऑनलाइन टिकटिंग प्रणाली के डिजाइन और संचालन पर सहयोग किया। कंपनी के पास एक मजबूत ग्राहक डेटाबेस है, जिसका उपयोग वह सामानों को क्रॉस-सेल करने और उपभोक्ता जुड़ाव बढ़ाने और टॉप-लाइन विकास उत्पन्न करने के लिए मौजूदा सामानों में मूल्य वर्धन के लिए कर सकती है।

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान विभिन्न चैनलों के माध्यम से बुक किए गए इंटरनेट टिकट इस प्रकार हैं:

#	विवरण	वित्त वर्ष 2022-23 में बुक किए टिकटों की संख्या (लाख में)	कुल बुकिंग का %
ए	मोबाइल फोन (रेल कनेक्ट एंड्रॉइड, आईओएस और रेल सारथी) पर व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं द्वारा बुक किए गए ई-टिकट	2,042.47	47.36%
बी	व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं द्वारा वेबसाइट (www.irctc.co.in) के माध्यम से बुक किए गए टिकट	860.44	19.95%
सी	व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं द्वारा बुक किए गए टिकट (बी2सी)	863.05	20.01%
डी	रिटेलर (बी2बी, आईसीएस, आरटीएसए, आईएटीए, ई -गवर्नेंस) द्वारा बुक किए गए टिकट	456.36	10.58%
इ	डिफेंस (सीजीडीए)/सीआरपीएफ/एनडीआरएफ/एनएसजी/एआर/बीएसएफ/सीआईएसएफ/आईटीबीपी) द्वारा बुक किए गए ई-टिकट	86.95	2.01%
एफ	डिफेंस (सीजीडीए)/सीआरपीएफ/एनडीआरएफ/एनएसजी/एआर/बीएसएफ/सीआईएसएफ/आईटीबीपी) द्वारा बुक किए गए आई-टिकट	3.72	0.09%
	कुल बुक किये टिकट	**4,313.00**	**100.00%**

तुलना (वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं 2022-23)

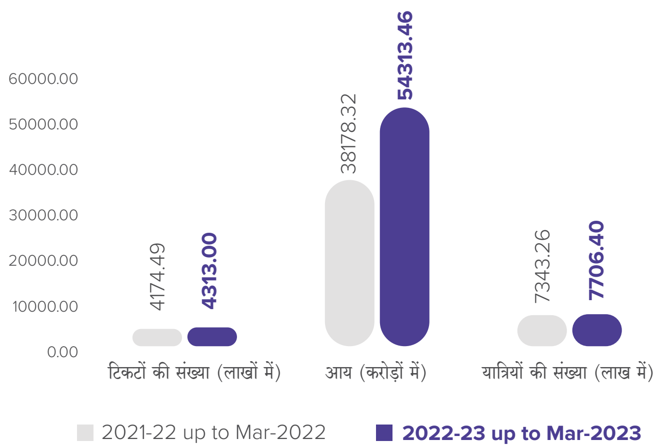

पैकेज्ड पेयजल (रेल नीर)

कंपनी का सभी भारतीय रेलवे स्टेशनों पर पैकेज्ड पेयजल के उत्पादन और वितरण पर विशेष दावा है। कंपनी अपने ब्रांडेड बोतलबंद पानी को रेल नीर नाम से बेचती है । रेल नीर को संसाधित करने, शुद्ध करने और बोतलबंद करने के लिए आधुनिक सुविधाओं का उपयोग किया जाता है। आईआरसीटीसी गुणता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए जाना जाता है, और यह यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि सभी ट्रेन ग्राहकों और मेहमानों को उच्चतम गुणता की सेवाएं और सामान प्राप्त हों।

कंपनी वर्तमान में निम्नलिखित स्थानों: नांगलोई, दानापुर, पलूर, अंबरनाथ, अमेठी, पारसाला, बिलासपुर, हापुड़, साणंद, मंडीदीप, जगीरोड, नागपुर, मनेरी, सांकराइल, ऊना और भुसावल पर सोलह (16) "रेल नीर " संयंत्र चलाती है। यह प्रतिदिन 15.52 लाख लीटर की स्थापित उत्पादन क्षमता के साथ रेलवे सुविधाओं और ट्रेनों में पैकेज्ड पेयजल की मौजूदा मांग का लगभग 70% पूरा करता है। आईआरसीटीसी के सिम्हाद्रि , भुवनेश्वर, विजयवाड़ा और कोटा में चार नए संयंत्र हैं जिनके वित्त वर्ष 2023-24 और 2024-25 के दौरान चालू होने की संभावना है।

भुसावल में 72,000 लीटर प्रतिदिन की उत्पादन क्षमता वाला एक रेल नीर प्लांट शामिल किया है।

यहां वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए रेल नीर खंड के कुछ मुख्य बातें बताई गई हैं:

(i) वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान रेल नीर का उत्पादन बढ़कर 35.77 करोड़ लीटर हो गया है जो अब तक का उच्चतम स्तर है ।

(ii) वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान रेल नीर खंड से उत्पन्न राजस्व भी बढ़कर 315 करोड़ रुपये हो गया है।

(iii) रेल नीर की मांग बढ़ती जा रही है। इसलिए, नए रेल नीर संयंत्रों की स्थापना के लिए पहल की जा रही है और वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान भुसावल में एक रेल नीर संयंत्र चालू किया गया है, जबकि सिम्हाद्री , भुवनेश्वर, विजयवाड़ा और कोटा में 04 संयंत्र निर्माणाधीन हैं ।

यात्रा और पर्यटन

आईआरसीटीसी विविध ग्राहक आधार की जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुकूलित होटल और पर्यटन पैकेज प्रदान करता है। कंपनी के पास अधिकतम आराम और सुविधा प्रदान करने के लिए लाउंज, होटल और रिटायरिंग रूम हैं, सभी को चार सितारा और उससे ऊपर रेटिंग दी गई है। आईआरसीटीसी ने ग्राहकों की मांग को पूरा करने के लिए ओयो रूम्स और अन्य होटलों के साथ भी भागीदारी की है। एक विविध पोर्टफोलियो के साथ, आईआरसीटीसी निकट भविष्य में हेलीकॉप्टर यात्रा, चिकित्सा पर्यटन और अन्य जैसे अन्य क्षेत्रों में विस्तार करने की योजना बना रहा है।

आईआरसीटीसी ने भारत गौरव शृंखला नामक एक नई पर्यटन पहल शुरू की है। यह पहल थीम-आधारित ट्रेनें चलाने पर केंद्रित होगी जो यात्रियों को भारत के विभिन्न हिस्सों में ले जाएगी। आईआरसीटीसी ने इस पहल के लिए 10 रेक हासिल किए, और इसकी एक वर्ष में 150 से अधिक ट्रेन यात्राएं शुरू करने की योजना है। इससे लगभग 100 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न होने की उम्मीद है।

कंपनी ने अपने ग्राहकों के लिए हवाई मार्ग से राज्य विशेष यात्राएं भी शुरू कीं। उपरोक्त के अलावा, आईआरसीटीसी ने केंद्र सरकार की एक भारत श्रेष्ठ भारत (ईबीएसबी) पहल के तहत सांस्कृतिक आदान-प्रदान यात्राएं "काशी तमिल संगमम " और "नॉर्थ ईस्ट युवा संगम " भी संचालित की हैं। कंपनी ने श्री केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए यात्रियों के लिए हेलीकॉप्टर बुकिंग सरकारी संगठनों को परिवहन और आपूर्ति शृंखला प्रबंधन समाधान प्रदान करने के लिए और कार्गो/लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के नए क्षेत्रों में भी कदम रखा है।

कंपनी ने अपने ग्राहकों के लिए हवाई मार्ग से राज्य विशेष यात्राएं भी शुरू कीं। उपरोक्त के अलावा, आईआरसीटीसी ने केंद्र सरकार की एक भारत श्रेष्ठ भारत (ईबीएसबी) पहल के तहत सांस्कृतिक आदान-प्रदान यात्राएं "काशी तमिल संगमम " और "नॉर्थ ईस्ट युवा संगम " भी संचालित की हैं। कंपनी ने श्री केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए यात्रियों के लिए हेलीकॉप्टर बुकिंग और सरकारी संगठनों को परिवहन और आपूर्ति शृंखला प्रबंधन समाधान प्रदान करने के लिए और कार्गो/लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के नए क्षेत्रों में भी कदम रखा है।

खानपान

मोबाइल खानपान

यह ट्रेनों में भोजन की व्यवस्था है। आईआरसीटीसी राजधानी , शताब्दी , दुरंतो, गतिमान , तेजस और वंदे भारत ट्रेनों के साथ-साथ पेंट्री कार के साथ या उसके बिना एक्सप्रेस ट्रेनों में मोबाइल कैटरिंग प्रदान करता है। बिना पैंट्री कार वाली ट्रेनों में, ट्रेन-साइड वेंडिंग सेवाओं के माध्यम से भोजन परोसा जाता है। बेस किचन का एक नेटवर्क मोबाइल ट्रेनों पर भोजन की आपूर्ति में सहयोग करता है। 31 मार्च, 2023 तक, आईआरसीटीसी ने 474 ट्रेनों में ऑनबोर्ड खानपान सेवाएं और 713 ट्रेनों में ट्रेन-साइड वेंडिंग (टीएसवी) के माध्यम से सेवाएं प्रदान कीं।

स्थैतिक (स्टेटिक) खानपान

स्टेटिक कैटरिंग स्टेशनों पर ऑफ-बोर्ड कैटरिंग सेवाओं का प्रावधान है। आईआरसीटीसी फूड प्लाजा, फास्ट फूड यूनिटों, जन आहार , जलपान कक्ष (ए 1 और ए श्रेणी रेलवे स्टेशन पर), बेस किचन और स्टेशन परिसर में अन्य सुविधाओं के माध्यम से स्टेटिक खानपान प्रदान करता है, जिसमें कार्यकारी लाउंज, रिटायरिंग रूम और शयनगृह, बीएनआर होटल और रेलयात्री निवास शामिल हैं। 31 मार्च, 2023 तक, कंपनी ने 57 जन आहार, 182 जलपान कक्ष, 11 बेस किचन और 315 फूड प्लाजा/फास्ट फूड यूनिटों का प्रबंधन किया।

आईआरसीटीसी की खानपान सेवाएं खानपान नीति 2017 के अनुसार प्रदान की जाती हैं। नीति का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि यात्रियों को ट्रेनों और स्टेशनों पर उच्च गुणता, स्वच्छ और किफायती भोजन और पेय पदार्थ प्राप्त हों।

व्हाट्सएप के माध्यम से ई-कैटरिंग ऑर्डर की बुकिंग

आईआरसीटीसी ने ई-कैटरिंग की मार्केटिंग के लिए व्हाट्सएप लॉन्च किया है। अगले चरण में, आईआरसीटीसी ई-कैटरिंग ऑर्डर की बुकिंग के लिए व्हाट्सएप पर चैटबॉट /एआई लॉन्च करने की योजना बना रहा है। यह सेवा यात्रियों को व्हाट्सएप के माध्यम से भोजन और पेय पदार्थ बुक करने देती है। इस सेवा से आईआरसीटीसी के लिए राजस्व बढ़ने और ग्राहक सुविधा में सुधार होने की उम्मीद है। कंपनी को भरोसा है कि व्हाट्सएप बुकिंग यात्रियों के बीच एक लोकप्रिय सेवा होगी।

व्हाट्सएप के माध्यम से बुकिंग के लाभ:

- यात्रियों के लिए सुविधा- यात्री अपनी सीट पर बैठे-बैठे ही भोजन और पेय पदार्थ बुक कर सकते हैं।
- उपयोग में आसान- यात्री अपना ऑर्डर देने के लिए आईआरसीटीसी नंबर पर एक व्हाट्सएप संदेश भेज सकते हैं।
- विश्वसनीय- आईआरसीटीसी के पास ट्रेनों में गुणतापूर्ण भोजन और पेय पदार्थ उपलब्ध कराने का एक मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड है।

जोखिम और चिंताएँ

जोखिम का प्रकार	जोखिम परिभाषा	शमन रणनीतियाँ
नियामक जोखिम	रेल मंत्रालय की नीतियों और भारतीय रेलवे के संचालन का कंपनी के संचालन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। किसी भी नीति में संशोधन या रेल मंत्रालय की प्रतिकूल पसंद आईआरसीटीसी की आय पर हानिकारक प्रभाव डाल सकती है।	केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) के रूप में, कंपनी को सरकार द्वारा जनता को विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं की पेशकश में भारतीय रेलवे का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति है। इसे कभी-कभी रेल मंत्रालय से परिचालन सहायता भी प्राप्त होती है। आईआरसीटीसी को अपनी गतिविधियों के दायरे और आकार के कारण रेलवे से संबंधित किसी भी कार्य के लिए प्राथमिकता दी जाती है। परिणामस्वरूप, कंपनी को भारत सरकार से आदेशों और अनुबंधों के निरंतर प्रवाह से लाभ होता है, और इसकी सेवा पेशकश की व्यापकता के परिणामस्वरूप इसके राजस्व स्रोत विविधतापूर्ण बने रहते हैं।
प्रतिस्पर्धा जोखिम	भारत सरकार या रेल मंत्रालय निजी कंपनियों के लिए बाजार खोलता है तो कंपनी अपनी बाजार विशिष्टता खो सकती है। कड़ी प्रतिस्पर्धा कंपनी के संचालन और लाभ मार्जिन पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है।	आईआरसीटीसी का अनुभवी प्रबंधन सकारात्मक रणनीतिक विकल्प चुनने और संगठन को निजी प्रतिस्पर्धियों से सफलतापूर्वक प्रतिस्पर्धा करने की दिशा में ले जाने में अत्यधिक सक्षम है।
श्रम जोखिम	कंपनी श्रम प्रधान क्षेत्र में काम करती है और कुछ दायित्वों को पूरा करने के लिए अनुबंध श्रमिकों का उपयोग करती है। कर्मचारियों की हड़ताल या अधिक वेतन और लाभ की मांग से कंपनी की लाभप्रदता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त, आईटी (इंटरनेट टिकटिंग और एयर-टिकटिंग व्यवसाय) क्षेत्र में कर्मियों की कमी है, और इनमें से अधिकांश कंपनियां आउटसोर्सिंग मॉडल का उपयोग करती हैं, जो समस्यामूलक है और मूल्यांकन की आवश्यकता है।	कंपनी अपने कर्मचारियों को महत्व देती है और उन्हें एक प्रमुख परिसंपत्ति मानती है। इसमें नियमित निष्पादन मूल्यांकन के माध्यम से प्रतिभाशाली कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने, बनाए रखने और बढ़ावा देने के लिए विभिन्न नीतियां हैं। यह पारिश्रमिक पैकेज और व्यावसायिक विकास के अवसर भी प्रदान करता है। अपर्याप्त जनशक्ति के जोखिम को कम करने के लिए, कंपनी ने आवश्यकतानुसार मानव संसाधन उपलब्ध कराने के लिए तीसरे पक्ष के ठेकेदारों के साथ भी साझेदारी की है। प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए, कंपनी को प्रमोशन कैलेंडर के अनुसार सभी स्तरों पर नियमित प्रमोशन लागू करने की आवश्यकता है। मौजूदा नीति के अनुसार उद्योग से नई प्रतिभाओं को शामिल करते हुए विभिन्न स्तरों पर नई भर्तियां करने की भी जरूरत है। इससे उसे बाजार की आवश्यकताओं के साथ प्रतिस्पर्धा करने में मदद मिलेगी।
आईटी जोखिम	सुरक्षा उल्लंघनों से कंपनी को काफी नुकसान हो सकता है। कंपनी के व्यावसायिक संचालन के लिए इंटरनेट पर सुरक्षित लेनदेन सुनिश्चित करना आवश्यक है। ग्राहक डेटा की हैकिंग या साइबर खतरों के परिणामस्वरूप राजस्व का भारी नुकसान हो सकता है और कंपनी की ब्रांड छवि को काफी नुकसान हो सकता है।	कंपनी अपनी सभी ऑनलाइन सेवाओं की गोपनीयता, अखंडता और उपलब्धता की गारंटी के लिए अत्याधुनिक तकनीकों पर निर्भर करती है और इसका डेटा वर्तमान साइबर सुरक्षा खतरों से पर्याप्त रूप से सुरक्षित है। कंपनी अपने डेटा की सुरक्षा के लिए अत्याधुनिक सुरक्षा उपायों का उपयोग करते हुए सिस्टम को खतरनाक वायरस और अन्य ऑनलाइन खतरों से सफलतापूर्वक बचाती है। सीईआरटी-इन द्वारा नियुक्त बाहरी सूचना सुरक्षा ऑडिट संगठनों के माध्यम से, नियमित सूचना सुरक्षा ऑडिट किए जाते हैं।
प्रौद्योगिकी जोखिम	चूँकि लगभग [] टिकट इसकी वेबसाइट के माध्यम से हर मिनट खरीदे जाते हैं, किसी भी तकनीकी समस्या, व्यवधान या सिस्टम विफलता के परिणामस्वरूप राजस्व की हानि हो सकती है। इससे कंपनी की ब्रांड प्रतिष्ठा पर असर पड़ने की संभावना है और राजस्व कम हो सकता है।	कंपनी अपने सिस्टम को कुशलतापूर्वक चलाने के लिए अत्याधुनिक तकनीक पर निर्भर करती है और इसकी अगली पीढ़ी की ई-टिकटिंग वेबसाइट अपनी बेहतर क्षमता के कारण भारी ट्रैफिक को संभाल सकती है। कंपनी के पास अपनी व्यावसायिक प्रक्रियाओं में निर्बाध संचालन और सेवाएँ सुनिश्चित करने के लिए बैक-अप सिस्टम और व्यवसाय निरंतरता योजनाएँ भी हैं।

जोखिम का प्रकार	जोखिम परिभाषा	शमन रणनीतियाँ
उत्पाद गुणता जोखिम	खानपान और भोजन सेवा को सरकार द्वारा अनिवार्य गुणता आवश्यकताओं का पालन करना चाहिए। भोजन और सेवाओं की गुणता पर कोई भी प्रतिकूल आरोप, मीडिया अफवाहें, या अन्य सार्वजनिक बयान कंपनी की प्रतिष्ठा और ब्रांड के साथ-साथ व्यवसाय संचालन को प्रभावी ढंग से चलाने की क्षमता पर महत्वपूर्ण और नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं।	स्वच्छ और गुणतापूर्ण भोजन की सेवा सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के पास गुणता नियंत्रण जांच है। कंपनी के पास प्रशिक्षित खाद्य सुरक्षा पेशेवरों की टीम भी है जो भोजन बनाने और परोसने की प्रक्रिया की निगरानी करती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी खाद्य सुरक्षा और गुणता मानकों को पूरा किया गया है। इसके चलते मंत्रालय ने पका हुआ भोजन परोसने की मंजूरी दे दी है।
स्वच्छता जोखिम	समय के साथ, अनधिकृत वेंडिंग के बारे में बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं। इसके अतिरिक्त, चूंकि यूनिटें प्लेटफार्मों पर स्थित हैं और ट्रेनें देश भर में यात्रा कर रही हैं, खानपान यूनिटों, विशेष रूप से पेंट्री कैरिज में स्वच्छता एक अत्यधिक चिंता का विषय है।	1. अवैध वेंडिंग को रोकने के लिए जागरूकता बढ़ाने के प्रयास और निरंतर निगरानी की जाती है। 2. स्वच्छता प्रशिक्षण के साथ-साथ खाद्य सुरक्षा के लिए नियमित ऑडिट आयोजित किए जाते हैं। किचन में भी सीसीटीवी लगाए जा रहे हैं। रेलवे से ट्रेनों और प्लेटफार्मों पर स्वच्छता और स्वच्छता की स्थिति बनाए रखने में मदद करने का भी आग्रह किया जाएगा, जो इस क्षेत्र में आईआरसीटीसी के प्रयासों का समर्थन करेगा।
कार्यनीतिक और व्यावसायिक जोखिम	कंपनी का व्यवसाय और उसका राजस्व काफी हद तक रेल मंत्रालय की नीतियों और भारतीय रेलवे के संचालन पर निर्भर है। कोई भी एकतरफा नीति परिवर्तन या कोई प्रतिकूल निर्णय कंपनी के व्यवसाय को खोकर कंपनी के राजस्व को प्रभावित कर सकता है।	केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) के रूप में, कंपनी भारतीय रेलवे की ओर से जनता को विभिन्न उत्पादों और सेवाओं की पेशकश करने के साथ-साथ समय-समय पर रेल मंत्रालय से परिचालन समर्थन प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा अधिकृत है। रेलवे से संबंधित कोई भी काम आईआरसीटीसी को उसकी पहुंच और परिचालन के पैमाने के कारण प्राथमिकता के आधार पर दिया जाता है। इसलिए, भारत सरकार से ऑर्डर और अनुबंधों की नियमित आपूर्ति का कंपनी पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और इसके व्यापक सेवा पोर्टफोलियो के कारण इसकी राजस्व धाराएं विविधतापूर्ण रहती हैं।
प्रतिष्ठा जोखिम	जनसंपर्क संकट/मीडिया संकट के दौरान या निवेश परिणामों या कंपनी विकास रणनीतियों आदि से संबंधित नकारात्मक प्रेस प्रचार के दौरान प्रतिक्रिया।	आईआरसीटीसी के पास एक मजबूत और कुशल पीआर विभाग है, जो सभी मीडिया/जनसंपर्क संकटों को संभालने में सक्षम है। सोशल मीडिया सेल में ऐसी किसी भी संकट की स्थिति से निपटने के लिए अच्छी तरह से प्रशिक्षित और कुशल कर्मचारी शामिल हैं। पीआर विभाग किसी भी गलत सूचना का मुकाबला करने या संगठन की व्यावसायिक रणनीति से संबंधित किसी भी नई प्रगति का प्रचार करने के लिए नियमित प्रेस विज्ञप्ति जारी करता है । आईआरसीटीसी बड़े पैमाने पर जनता से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है।
व्यवसाय निरंतरता जोखिम	आईआरसीटीसी की ई-टिकटिंग प्रणाली वर्तमान में नई दिल्ली में सीआरआईएस (प्राइमरी डीसी) के एकल डेटा सेंटर में होस्ट की गई है। वर्तमान में, सिस्टम के लिए कोई व्यवसाय निरंतरता योजना (बीसीपी) और आपदा रिकवरी (डीआर) साइट नहीं है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि लगभग 80% ट्रेन आरक्षण सिस्टम के माध्यम से ऑनलाइन किया जाता है, प्राथमिक डेटा सेंटर में बड़ी विफलता या आपदा और बिजनेस निरंतरता योजना (बीसीपी) की अनुपलब्धता के मामले में, न केवल आईआरसीटीसी के लिए बल्कि भारतीय रेलवे के लिए भी बहुत अधिक जोखिम होता है, क्योंकि अधिकांश यात्री अपने टिकट बुक/रद्द नहीं कर पाएंगे और ऑनलाइन टीडीआर दाखिल नहीं कर पाएंगे।	एनजीईटी प्रणाली के लिए आपदा रिकवरी (डीआर) समाधान की योजना बनाई जा रही है। फिलहाल क्रिस के साथ आपदा रिकवरी रणनीति और समाधान पर चर्चा चल रही है। भारतीय रेलवे के पीआरएस आधुनिकीकरण की चल रही परियोजना पर विचार करते हुए इसे अंतिम रूप दिया जाएगा।

जोखिम का प्रकार	जोखिम परिभाषा	शमन रणनीतियाँ
खानपान संचालन जोखिम	1. रेल मंत्रालय द्वारा खानपान नीति में बार-बार बदलाव। 2. अनधिकृत वेंडिंग के संबंध में पिछले कुछ समय से काफी संख्या में शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। 3. इसके अलावा, पेंट्री कारों सहित खानपान यूनिटों में स्वच्छता एक बड़ी चुनौती है क्योंकि यूनिटें प्लेटफार्मों पर स्थित हैं और देश भर में ट्रेनें चल रही हैं। 4. पैंट्री कार उपकरणों के साथ-साथ मिनी-पेंट्री कार उपकरणों का काम न करना (खाद्य संदूषण का खतरा)	1. मंत्रालय से नीतियों को लागू करने के लिए उचित समय देने का अनुरोध किया गया है। 2. अनाधिकृत वेंडिंग के खतरे को रोकने के लिए सामाजिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से दर और मेनू आइटम के बारे में जागरूकता अभियान और नियमित निगरानी की जा रही है। कानून लागू करने वाली एजेंसियों से सहायता दिलवाने के लिए रेलवे से भी अनुरोध किया गया है। 3. मोबाइल यूनिटों की निगरानी के लिए आतिथ्य पर्यवेक्षकों को नियुक्त किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा के लिए नियमित ऑडिट के साथ प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। रसोईघरों में सीसीटीवी भी लगाए जा रहे हैं। इन यूनिटों की पहुंच और मानक के लिए थर्ड पार्टी ऑडिट किया जा रहा है । 4. सभी मिनी पेंट्री कारों/पेंट्री कार में आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने और सभी उपकरणों का समय पर रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए रेलवे को खराब उपकरणों की स्थिति के बारे में नियमित रूप से सूचित किया जाता है।
रेल नीर परिचालन जोखिम	रेल नीर प्लांट का संचालन बंद हो सकता है । इसके अलावा, अतिरिक्त उत्पादन या कम आपूर्ति के समय अतिरिक्त भंडारण स्थान उपलब्ध नहीं होता है और इससे उत्पादन हानि हो सकती है।	1. पानी के वैकल्पिक स्रोत की पहचान की जा रही है और आवश्यकता के आधार पर समस्या का समाधान किया जा रहा है। 2. पीक और नॉन पीक बिक्री अवधि के आधार पर भंडारण स्थान का अनुकूलन किया जा रहा है। 3. प्लांट रखरखाव की योजना भंडारण स्थान की स्थिति और इन्वेंट्री की उपलब्धता को ध्यान में रखकर बनाई जाती है, जिससे उत्पादन हानि से बचा जा सके।

भावी दृष्टिकोण– तेज़ी से आगे बढ़ना

कंपनी का विज़न और मिशन इस प्रकार है

विज़न "ग्राहक संतुष्टि के लगातार उच्च स्तर के साथ, विभिन्न ग्राहक वर्गों के लिए उच्च गुणता वाली यात्रा, पर्यटन और आतिथ्य-संबंधी सेवाओं का अग्रणी प्रदाता बनना"।

मिशन "आईआरसीटीसी आईआर और गैर-आईआर से संबंधित सेवाओं को समान रूप से लक्षित करते हुए, एक लचीला व्यवसाय पोर्टफोलियो बनाते हुए जो स्केलेबल हो और मुख्य दक्षताओं पर आधारित हो यात्रियों, पर्यटकों और अन्य ग्राहकों के लिए मूल्यवर्धित उत्पाद और सेवाएं प्रदान करते हुए आतिथ्य सेवाओं, यात्रा और पर्यटन, पैकेज्ड पेयजल और इंटरनेट टिकटिंग के क्षेत्र में खुद को अग्रणी के रूप में स्थापित करेगा।

भारतीय रेलवे उद्योग आने वाले वर्षों में विकास के लिए तैयार है। रेलवे के आधुनिकीकरण में सरकार के बढ़ते निवेश और भारत में बढ़ते मध्यम वर्ग के कारण रेलवे और यात्रा और पर्यटन सेवाओं की मांग बढ़ने की उम्मीद है।

आईआरसीटीसी भारतीय रेलवे उद्योग के विकास का लाभ उठाने के लिए अच्छी स्थिति में है। कंपनी रेलवे कैटरिंग और इंटरनेट टिकटिंग सेगमेंट में अग्रणी खिलाड़ी है। इसके अलावा, आने वाले वर्षों में यात्रा और पर्यटन और पैकेज्ड पेयजल जैसे व्यावसायिक क्षेत्रों से कंपनी की वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देने की उम्मीद है। आईआरसीटीसी अपने ग्राहकों को मूल्यवर्धित उत्पाद और सेवाएं प्रदान करने पर केंद्रित है। कंपनी प्रौद्योगिकी संचालित समाधानों और सेवाओं के माध्यम से ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने के लिए लगातार नवाचार कर रही है।

चुनौतियों से निपटने के लिए भावी रणनीतियाँ

अपने व्यावसायिक क्षेत्रों के निरंतर विकसित हो रहे परिदृश्य में, आईआरसीटीसी को भविष्य में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। हालाँकि, संगठन ने इन चुनौतियों का मुकाबला करने और सफलता की राह पर आगे बढ़ने के लिए प्रभावी कार्यनीतियाँ लगन से तैयार की हैं और कार्यान्वित की हैं। नवाचार करते हुए और बाजार के रुझानों से आगे रहकर, आईआरसीटीसी संभावित बाधाओं से निपटने और अपने विविध परिचालनों में निरंतर विकास और लाभप्रदता सुनिश्चित करने के लिए अच्छी तरह से तैयार है। नवाचार, ग्राहक संतुष्टि और परिचालन उत्कृष्टता पर गहन ध्यान देने के साथ, आईआरसीटीसी चुनौतियों से उबरने और उद्योग में अग्रणी खिलाड़ी के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए तैयार है।

आईआरसीटीसी ने अपने आशावादी दृष्टिकोण के साथ अपने सिस्टम में कुछ नई परियोजनाएं लाने की योजना बनाई है जो न केवल आईआरसीटीसी ब्रांड नाम को बढ़ावा देने का वादा करती है बल्कि बाजार में प्रचलित नवीनतम नवीन प्रौद्योगिकियों के लिए कंपनी की विशेषज्ञता और अनुकूलनशीलता को भी साबित करती है। साथ ही, नए व्यवसाय बनाने और इस तरह कंपनी के लिए अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न करने का भी अनुमान है। न केवल अपने

व्यापार क्षेत्र का विस्तार करते हुए, आईआरसीटीसी, आईटीसी सिस्टम में सुधार के लिए प्रचलित नवीन तकनीकों का उपयोग करेगा।

निदेशकों की रिपोर्ट के परिचालन निष्पादन के तहत सभी व्यावसायिक क्षेत्रों के लिए भावी कार्यनीतियों का विस्तार से उल्लेख किया गया है।

आंतरिक नियंत्रण प्रणालियाँ – प्रक्रिया उत्कृष्टता

प्रक्रिया उत्कृष्टता आंतरिक नियंत्रण एक संगठन द्वारा जोखिमों को कम करने के लिए अपनाए गए व्यवस्थित और प्रक्रियात्मक कदम हैं, मुख्य रूप से वित्तीय लेखांकन और रिपोर्टिंग के क्षेत्रों में, और परिचालन प्रसंस्करण कानूनों और विनियमों के अनुपालन में होते हैं।

आंतरिक नियंत्रण (आईसी) अनिवार्य रूप से संगठन की प्रणालियों और प्रक्रियाओं को मजबूत करने के साथ-साथ त्रुटियों और अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने में मदद करने के लिए उठाए गए जोखिम शमन कदम हैं। शमन के वास्तविक चरणों (समीक्षा, अनुमोदन, भौतिक गणना, ड्यूटी का बंटवारा) को मनियंत्रण गतिविधियाँफ कहा जाता है।

कंपनी ने आंतरिक लेखा परीक्षक के रूप में एक स्वतंत्र बाहरी फर्म को नियुक्त किया है, जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट शामिल हैं। आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य अर्ध-वार्षिक आधार पर किए जाते हैं। आंतरिक ऑडिट टीम व्यवसाय के प्रत्येक पहलू को कवर करते हुए पूरे वर्ष व्यापक ऑडिट करती है। कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (ळ) के तहत कंपनी के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट की एक और फर्म को भी काम पर रखा है।

उसके बाद जारी की गई रिपोर्ट को स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के साथ संलग्न किया गया है। लेखापरीक्षा समिति वित्तीय विवरणों को मंजूरी के लिए बोर्ड की सिफारिश के समक्ष रखे जाने से पहले आंतरिक लेखापरीक्षक और वैधानिक लेखापरीक्षक के साथ आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की समीक्षा करती है।

परिचालन निष्पादन वित्तीय विशिष्टताओं के संबंध में वित्तीय निष्पादन पर चर्चा

कुल राजस्व वित्त वर्ष 2022-23 में बढ़कर 3661.90 करोड़ रु. हो गया जो वित्त वर्ष 2021-22 में 1954.48 करोड़ रु. था। कर पूर्व लाभ वित्त वर्ष 2022-23 में 52.93% बढ़कर 1354.01 करोड़ रु. हो गया जो वित्त वर्ष 2021-22 में 885.38 करोड़ था। कर पश्चात लाभ वित्त वर्ष 2022-23 में 52.51% बढ़कर 1005.88 करोड़ रु. हो गया वित्त वर्ष 2021-22 में 659.55 करोड़ रु. था।

वित्त वर्ष 2022-23 और वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान प्रमुख वित्तीय मापदंडों का निष्पादन नीचे दिया गया है:

राशि (करोड़ रु. में)

विवरण	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2021-22	परिवर्तन (%)
संचालन से राजस्व	**3541.47**	**1878.57**	**88.52**
ब्याज, मूल्यह्रास, असाधारण वस्तुएं और कर से पहले लाभ (एइखउढ़अ)	1396.65	949.42	47.11
घटाएं: ब्याज और वित्त शुल्क	16.11	11.05	45.79
घटाएं: मूल्यह्रास	53.73	48.99	9.68
असाधारण वस्तुओं से पहले कर पूर्व लाभ (पीबीटी)।	1326.81	889.38	49.18
असाधारण वस्तुएँ: हानि(-)/लाभ(+)	27.20	-4.01	67930.42
असाधारण वस्तुओं के बाद कर पूर्व लाभ (पीबीटी)	**1354.01**	**885.38**	**52.93**
घटाएं: कराधान के लिए प्रावधान	348.13	225.82	54.16
कर पश्चात लाभ (पीएटी)	**1005.88**	**659.55**	**52.51**
नकद आधार पर लाभांश (इक्विटी शेयर पूंजी के % के रूप में)।	250	150	100
अंतिम लाभांश - नकद आधार पर (इक्विटी शेयर पूंजी के % के रूप में)	100	75	25
निवल मूल्य	2478.40	1870.31	32.51
प्रति शेयर आय (रु.)	12.57	8.24	52.55

खंडवार निष्पादन

राशि (करोड़ रु. में)

	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2021-22	परिवर्तन (%)
खंडीय ऑपरेटिव राजस्व			
खानपान	1476.49	498.38	196.26
रेल नीर	300.97	172.31	74.67
इंटरनेट टिकटिंग	1198.03	1020.00	17.45
पर्यटन	412.21	157.57	161.60
राज्य तीर्थ	153.78	30.31	407.36
खंडीय लाभ			
खानपान	168.01	23.88	603.56
रेल नीर	36.44	-15.34	337.55
इंटरनेट टिकटिंग	1020.93	864.72	18.06
पर्यटन	16.45	-46.19	135.61
राज्य तीर्थ	28.79	4.08	605.64

Segmental Revenue (in INR Crores)

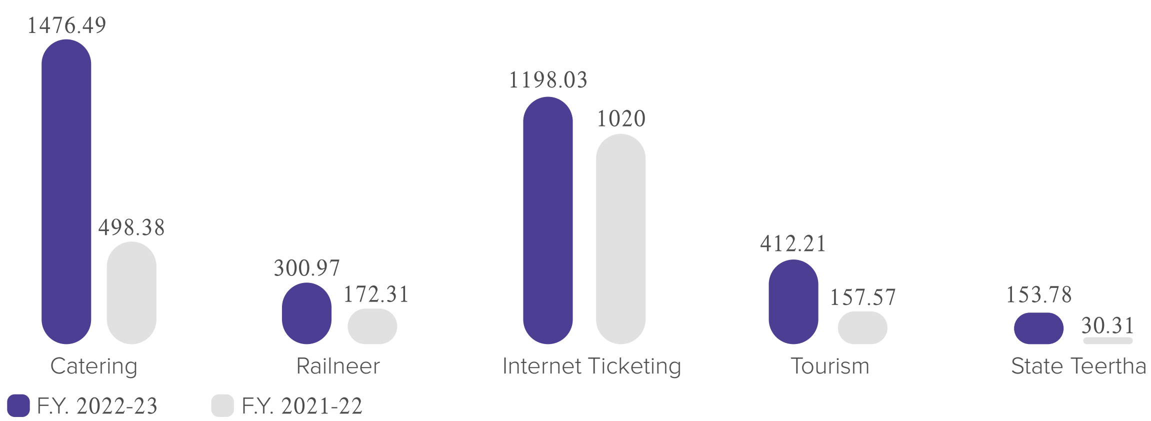

वित्तीय अनुपात का विश्लेषण

प्रमुख वित्तीय अनुपातों में महत्वपूर्ण परिवर्तनों (अर्थात वित्त वर्ष 2021-22 की तुलना में 25% या अधिक का परिवर्तन) का विवरण, उनके विस्तृत स्पष्टीकरण के साथ इस प्रकार है:

राशि (करोड़ रु. में)

विवरण	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2021-22	परिवर्तन (%)	टिप्पणियां
देनदारों का कारोबार (दिनों की संख्या)	117.79	111.04	6.08	--
इन्वेंटरी कारोबार (दिनों की संख्या)	4.46	5.65	-21.06	--
अभिरुचि कवरेज अनुपात	38.54	27.60	39.64	
वर्तमान अनुपात	1.82	1.88	-3.19	--
ऋण इक्विटी अनुपात*	0.03	0.06	-50.00	शेयरधारकों की इक्विटी में वृद्धि और ऋण में कमी के कारण अनुपात में कमी आई है।
ईबीआईडीटीए मार्जिन (%)	38.14	48.58	-21.49	--
निवल लाभ सीमा (%)	28.40	35.11	-19.11	--
नेट वर्थ पर लाभ	0.46	0.40	15.00	--

*ऋण केवल पट्टा देनदारियों को दर्शाता है

मानव संसाधन में भौतिक विकास – परिसंपत्ति निगरानी

कंपनी के असाधारण निष्पादन और स्थायी सफलता का श्रेय इसके समर्पित कार्यदल को दिया जा सकता है, जो इसकी उपलब्धियों के पीछे प्रेरक शक्ति के रूप में काम करता है। कंपनी के मूल मूल्यों के अनुरूप, प्रबंधन प्रक्रिया में कर्मचारियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने, आपसी सम्मान, विश्वास और सहयोगात्मक विकास के माहौल को बढ़ावा देने के लिए एक समावेशी दृष्टिकोण अपनाया जाता है।

पूरे वर्ष, क्षेत्रों, क्षेत्रों और कॉर्पोरेट कार्यालय सहित विभिन्न स्तरों पर संचार बैठकें और कार्यशालाएँ आयोजित की गईं, जिससे विचारों और ज्ञान का उपयोगी आदान-प्रदान होता है। कर्मचारियों और प्रबंधन के बीच तालमेल स्पष्ट है क्योंकि उन्होंने कंपनी और उसके हितधारकों के हितों को आगे बढ़ाने, सौहार्दपूर्ण और सहायक कर्मचारी संबंध को बढ़ावा देने के लिए सामंजस्यपूर्ण ढंग से काम किया।

प्रतिभा प्रतिधारण के मूल्य को पहचानते हुए, कंपनी का मानव संसाधन विभाग अपने कार्यदल के ज्ञान, कौशल, रचनात्मकता, योग्यता और समग्र प्रतिभा को पोषित करने और बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न नीतियों, प्रक्रियाओं और कार्यक्रमों को परिश्रमपूर्वक डिजाइन और कार्यान्वित करता है।

अपने कर्मचारियों में कौशल निर्माण और क्षमता विकास के लिए व्यापक प्रशिक्षण प्रदान करने पर जोर दिया जाता है। कंपनी का लक्ष्य अपने कर्मचारियों को चुनौतियों से पार पाने और नई भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को अपनाने के लिए आवश्यक कौशल से लैस करना है। इसके अलावा, कंपनी मध्य-स्तर और वरिष्ठ प्रबंधकीय पदों पर कर्मचारियों को निरंतर व्यावसायिक विकास और प्रगति को बढ़ावा देने वाले प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से आगे की शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करती है।

पिछले वित्त वर्ष 2022-23 की कुछ महत्वपूर्ण मानव संसाधन पहल:

- ज्ञान के माध्यम से कर्मचारियों को सशक्त बनाना
- मानव संसाधन संबंधी सभी प्रक्रियाओं के लिए कर्मचारी चार्टर
- इन-हाउस एचआरएमएस का विकास
- इन-हाउस पीएमएस प्रणाली का विकास और कार्यान्वयन

प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या 68
प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या 1285 वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान
मानव दिवस 8529

नियमित कर्मचारियों की संख्या 1356

31 मार्च, 2023 तक इसके सभी व्यावसायिक क्षेत्रों में ।

नया कर्मचारी 01

अनुकंपा के आधार पर 2022-23 के दौरान भर्ती किया गया ।

अस्वीकरण

संभावित भावी विकास के बारे में एमडीए खंड में कुछ भविष्योन्मुखी विवरण हो सकते हैं। इन विवरणों में ज्ञात और अज्ञात जोखिम और अनिश्चितताएं शामिल हैं जो अंतिम परिणामों को काफी हद तक प्रभावित कर सकती हैं। कंपनी और जिस वातावरण में यह संचालित होती है, उसके लिए मैक्रो-पर्यावरणीय परिवर्तन अप्रत्याशित, अनपेक्षित, अनजाना और लगातार विकसित होने वाला जोखिम पैदा कर सकते हैं। इन धारणाओं के निष्कर्ष, जो आंतरिक और बाह्य दोनों तरह से उपलब्ध जानकारी पर आधारित हैं, इस अध्ययन में कुछ तथ्यों और संख्याओं का आधार बने हैं। ये धारणाएँ जिन अनुमानों पर आधारित हैं वे समान हैं।

कृते निदेशक मंड

(सीमा कुमार)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
DIN: 10064353

दिनांक- 04.07.2023
स्थान- नई दिल्ली

कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर रिपोर्ट

"कॉर्पोरेट गवर्नेंस सभी हितधारकों के सतत विकास के लिए धन के प्रभावी प्रबंधन और वितरण और सामाजिक जिम्मेदारी के निर्वहन के लिए सर्वोत्तम प्रबंधन पद्धतियों का अनुप्रयोग, सही मायने में कानून का अनुपालन और नैतिक मानकों का पालन है।"

– भारतीय कंपनी सचिव संस्थान

कॉरपोरेट गवर्नेंस का तात्पर्य नियमों और पद्धतियों की प्रणाली के निर्माण से है, जो यह निर्धारित करती है कि कंपनी कैसे संचालित होती है और यह सभी हितधारकों के हितों के साथ कैसे संरेखित होती है। आईआरसीटीसी में, हम कॉरपोरेट गवर्नेंस के बुनियादी सिद्धांतों का पालन करके कॉरपोरेट गवर्नेंस यानी जवाबदेही, पारदर्शिता, निष्पक्षता और जिम्मेदारी के मानकों को बढ़ावा देने और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

हम ग्राहकों, कर्मचारियों, विक्रेताओं, ठेकेदारों, शेयरधारकों, निवेशकों जैसे सभी हितधारकों और कुल मिलाकर समाज के लिए अधिकतम मूल्य सुनिश्चित करने के लिए मामलों के कुशल और नैतिक आचरण को सुनिश्चित करने में दृढ़ता से विश्वास करते हैं।

1.0 कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर कंपनी का दर्शन

कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर कंपनी का दर्शन इस प्रकार है:

"निष्पक्षता, पारदर्शिता, प्रकटीकरण और रिपोर्टिंग सुनिश्चित करके लंबे समय में हितधारकों के मूल्य को बढ़ाना जो न केवल सांविधिक नियमों का अनुपालन करता है बल्कि पूरे संगठन में नैतिक आचरण को भी बढ़ावा देता है" ।

मुख्य मूल्य:

कॉर्पोरेट गवर्नेंस के निर्धारित लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, आपकी कंपनी निम्नलिखित प्रमुख मूल्यों द्वारा निर्देशित होती है:

- उत्कृष्टता हासिल करने का उत्साह और बदलाव का उत्साह;
- सभी मामलों में सत्यनिष्ठा और निष्पक्षता;
- व्यक्तियों की गरिमा और क्षमता का सम्मान;
- प्रतिबद्धताओं का कड़ाई से पालन;
- प्रतिक्रिया की गति सुनिश्चित करना;
- सीखने, रचनात्मकता और टीम वर्क को बढ़ावा देना;
- आईआरसीटीसी के प्रति वफादारी और गौरव।

आपकी कंपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के निम्नलिखित सिद्धांतों का लगातार पालन करने का प्रयास करती है

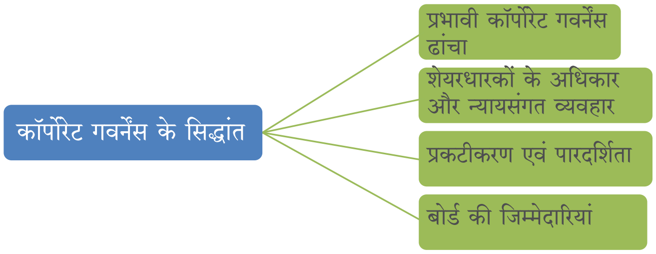

- **प्रभावी कॉर्पोरेट गवर्नेंस ढांचा:**

  आईआरसीटीसी में, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को कंपनी की आचार संहिता और नैतिकता, कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों और बोर्ड चार्टर के माध्यम से सुदृढ़ किया जाता है। हमारी बोर्ड और प्रबंधन प्रक्रियाएं, लेखापरीक्षा और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली हमारे कॉर्पोरेट गवर्नेंस ढांचे के सिद्धांतों के माध्यम से संचालित होती हैं।

  कंपनी के व्यवसाय का प्रबंधन समग्र रूप से निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है। हालाँकि, दिन-प्रतिदिन के कार्यों के लिए संगठनात्मक आवश्यकताओं के आधार पर, कंपनी के पास कंपनी के अधिकारियों के विभिन्न स्तरों के वित्तीय अधिकारों को परिभाषित करने वाले अधिकारों की अनुसूची (एसओपी) है।

  प्रभावी निर्णय लेने के लिए कंपनी के पास विविध बोर्ड और बोर्ड की सुसंरचित समितियाँ हैं। बोर्ड और संबंधित समितियां नियमित रूप से अपने निर्णयों पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट की निगरानी करती हैं। साथ ही, बोर्ड की प्रत्येक समिति के लिए विचारार्थ विषय, कोरम, बैठक की आवधिकता आदि को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है, और बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है। कंपनी यथासंभव सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 (सूचीबद्धता विनियम) के तहत बताए गए कॉर्पोरेट गवर्नेंस के सिद्धांतों का अनुपालन सुनिश्चित करती है। कंपनी लागू कानूनों का अनुपालन भी सुनिश्चित करती है और कानूनों के अनुपालन पर एक त्रैमासिक रिपोर्ट निदेशक मंडल को प्रस्तुत की जाती है।

  बोर्ड के सदस्यों के साथ-साथ प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक सभी अनुबंधों में अपनी रुचि और अपनी हिस्सेदारी का भी खुलासा करते हैं, जिसे जानकारी के लिए बोर्ड के सामने रखा जाता है। निदेशकों/वरिष्ठ प्रबंधन को डीपीई, स्कोप, आईआईएम, आईएमटी आदि सहित प्रतिष्ठित संगठनों/निकायों द्वारा संचालित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए नामित किया जाता है।

  सरकारी कंपनी होने के नाते, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधान आपकी कंपनी पर लागू होते हैं और अधिनियम के तहत आपूर्ति की जाने वाली सभी जानकारी भारत के नागरिकों को प्रदान की जाती है।

  कंपनी में सतर्कता विभाग भी है, जिसका प्रमुख मुख्य सतर्कता अधिकारी होता है। इसके अलावा, कंपनी में व्हिसिल ब्लोअर तंत्र को उचित रूप से लागू किया गया है, जो निदेशकों और कर्मचारियों को कंपनी में होने वाली किसी भी अनैतिक या गैरकानूनी गतिविधि के बारे में चिंता व्यक्त करने का अवसर देता है।

  कंपनी के वर्तमान बोर्ड की क्षमता और संरचना सेबी के निर्धारित नियमों के अनुरूप नहीं है। हालाँकि, कंपनी इसे हल करने के लिए नियमित रूप से मंत्रालय के साथ इस मुद्दे को उठाती रही है।

- **शेयरधारकों के अधिकार और न्यायसंगत व्यवहार:**

  कंपनी के पास बोर्ड स्तरीय हितधारक संबंध/शिकायत समिति है जो शेयरधारकों की शिकायतों के निवारण के लिए समय-समय पर बैठक

करती है। शेयरधारकों के पास अपने प्रश्नों/शिकायतों के समाधान के लिए समर्पित ईमेल-आईडी, investors@irctc.com और ciro@irctc.com के साथ-साथ रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) के माध्यम से सीधे कंपनी से संपर्क करने की सुविधा है, जिनका आम तौर पर एक पखवाड़े के भीतर समाधान किया जाता है।

कंपनी यह सुनिश्चित करती है कि उसके सभी इक्विटी शेयरधारकों के साथ समान व्यवहार किया जाए, चाहे उनका स्थल कहीं भी हो। शेयरधारकों की प्रभावी भागीदारी के लिए, कंपनी वार्षिक रिपोर्ट के साथ सामान्य बैठक की सूचना शेयरधारकों को पहले ही भेज देती है। कंपनी उन सभी शेयरधारकों को ईमेल के माध्यम से नोटिस भेजती है जिन्होंने अपनी वेबसाइट पर संचार के अलावा कंपनी और/या डिपॉजिटरी प्रतिभागियों को अपनी ई-मेल आईडी प्रदान की है। इसके अलावा, कंपनी निवेशकों को ईमेल के माध्यम से वार्षिक रिपोर्ट सहित संचार प्राप्त करने के लिए अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत करने के लिए प्रोत्साहित करती है।

कंपनी ने शेयरधारकों के अधिकारों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए हैं और कंपनी अधिनियम, 2013 या अन्य लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार आवश्यकता पड़ने पर शेयरधारकों की मंजूरी लेती है।

- **प्रकटीकरण और पारदर्शिता:**

आईआरसीटीसी हमेशा हितधारकों और नियामकों को दी जाने वाली सभी सूचनाओं में पारदर्शिता और सटीकता बनाए रखने का प्रयास करता है।

कंपनी की वेबसाइट को उसके सभी हितधारकों के लिए तुरंत जानकारी उपलब्ध कराने के लिए नियमित रूप से अपडेट किया जाता है। जानकारी में वित्तीय परिणाम, लाभांश जानकारी, कंपनी की नीतियां और शेयरधारकों के लिए नोटिस आदि शामिल हैं।

इसके अलावा, कंपनी समय-समय पर स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग, प्रेस विज्ञप्ति, कंपनी की वेबसाइट और अन्य मीडिया के माध्यम से संबंधित हितधारकों तक विभिन्न घोषणाएं प्रसारित करती है।

कंपनी प्रेस विज्ञप्तियों, आधिकारिक वेबसाइट और/या स्टॉक एक्सचेंजों के माध्यम से सूचना प्रसारित करती है और इन सभी तरीकों तक पहुंच सभी उपयोगकर्ताओं के लिए निःशुल्क है। कंपनी की वेबसाइट और कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में संचालन, वित्तीय स्वास्थ्य और गवर्नेंस पद्धतियों के विभिन्न पहलुओं के बारे में विस्तृत जानकारी शामिल है। कंपनी की वेबसाइट में एक अलग मनिवेशकफ खंड है जिसमें शेयरधारकों की समय पर जानकारी के लिए वित्तीय परिणाम, कॉर्पोरेट घोषणाएं, रिपोर्ट और प्रस्तुतियां, वार्षिक रिपोर्ट और अन्य खुलासे अपलोड किए जाते हैं।

कंपनी अपने निवेशकों को नवीनतम वित्तीय निष्पादन के बारे में जागरूक करने के साथ-साथ उनके संदेहों/टिप्पणियों को स्पष्ट करने के लिए त्रैमासिक/वार्षिक परिणाम जारी होने के तुरंत बाद निवेशक/विश्लेषक बैठकें भी आयोजित करती है। इसके अलावा, कंपनी भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा निर्धारित सचिवीय मानकों और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार सभी बैठकों (बोर्ड/बोर्ड स्तरीय समितियों/सामान्य बैठक) की कार्यवाही का विवरण भी रखती है।

आईआरसीटीसी ने अपने उप-ठेकेदारों के साथ व्यवहार में ई-गवर्नेंस को अपनाया है। निविदाएं ई-टेंडरिंग साइट और ऋड्डाच के माध्यम से जारी और तय की जा रही हैं। इसी प्रकार बिल भी ई-बिल ट्रैकिंग सिस्टम के जरिए जमा और पास किए जाते हैं। यह अत्यधिक पारदर्शिता के साथ सुनिश्चित करता है कि कोई संपर्क खरीद प्रक्रिया ना हो।

कंपनी मुख्य रूप से ऋढ्ढच पोर्टल से सामान खरीदती है और चडए से खरीद बढ़ाने के लिए भी पहल करती है। कंपनी के पास एक पूर्ण ई-ऑफिस प्रणाली है और कंपनी के भीतर विभागों के बीच लगभग सभी संचार ई-ऑफिस के माध्यम से ही किए जाते हैं।

- **निदेशक मंडल की जिम्मेदारियां:**

किसी कंपनी का निदेशक मंडल उसके निर्णय लेने और गवर्नेंस प्रक्रिया का केंद्र होता है। कानून का अनुपालन सुनिश्चित करने का दायित्व किसी कंपनी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस संरचना, प्रमोटरों की आकांक्षाओं और हितधारकों के अधिकारों को रेखांकित करता है, जो सभी बोर्ड के कार्यों के माध्यम से व्यक्त होते हैं।

निदेशक मंडल कंपनी के समग्र कामकाज की देखरेख के लिए सर्वोच्च निकाय है। बोर्ड कंपनी के प्रबंधन को रणनीतिक दिशा, नेतृत्व और मार्गदर्शन प्रदान करता है और कंपनी के हितधारकों के लिए दीर्घकालिक मूल्य बनाने के उद्देश्य से कंपनी के निष्पादन की निगरानी भी करता है।

सरकारी कंपनी और केंद्रीय सीपीएसई होने के नाते, कंपनी के सभी निदेशकों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रशासनिक मंत्रालय, यानी, रेल मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से नामित/नियुक्त किया जाता है।

निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 इसके बाद सेबी (एलओडीआर) के रूप में संदर्भित), मेमोरेंडम एवं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी दिशानिर्देशों और कंपनी पर लागू होने वाले भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अन्य दिशानिर्देशों के तहत सौंपे गए अधिकारों के अनुसार कार्य करता है।

2.0 निदेशक मंडल

2.1 संरचना

आईआरसीटीसी भारत सरकार के रेल मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत "सरकारी कंपनी" है, कंपनी की कुल चुकता शेयर पूंजी का 62.40% भारत के राष्ट्रपति (रेल मंत्रालय के माध्यम से) के पास है। कंपनी के एसोसिएशन ऑफ आर्टिकल्स के अनुसार, कंपनी के बोर्ड में निदेशकों को नियुक्त/नामांकित करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है जिसे वे भारत सरकार के प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से प्रयोग करते हैं।

कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के संदर्भ में, हमारे बोर्ड की संख्या तीन निदेशकों से कम या पंद्रह निदेशकों से अधिक नहीं होगी। ये निदेशक पूर्णकालिक निदेशक या अंशकालिक (सरकारी/गैर-सरकारी) निदेशक हो सकते हैं। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) और तीन पूर्णकालिक निदेशक यानी निदेशक (वित्त), निदेशक (पर्यटन एवं विपणन) और निदेशक (खानपान सेवाएँ) पूर्णकालिक निदेशक हैं जो कंपनी के दिन-प्रतिदिन के संचालन के लिए जिम्मेदार हैं। कार्यनीतिक निर्णय कंपनी के निदेशक मंडल के समग्र पर्यवेक्षण, नियंत्रण और मार्गदर्शन के तहत होते हैं, जिसमें सरकार द्वारा नामित निदेशक और स्वतंत्र निदेशक शामिल होते हैं।

31 मार्च, 2023 तक , कंपनी के बोर्ड में सात निदेशक शामिल थे, जिनमें तीन कार्यकारी (पूर्णकालिक) निदेशक (एक महिला निदेशक सहित), दो सरकारी नामित निदेशक (रेलवे मंत्रालय का प्रतिनिधित्व) और दो स्वतंत्र निदेशक शामिल थे। हालाँकि, इसके बोर्ड में महिला स्वतंत्र निदेशक सहित स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या न होने के कारण, निदेशक मंडल की संरचना कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी एलओडीआर विनियम और कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुरूप नहीं थी।

कंपनी अधिनियम, 2013, कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर सेबी (एलओडीआर) विनियम और डीपीई दिशानिर्देशों के लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन को सक्षम करने के लिए, अपने बोर्ड में महिला स्वतंत्र निदेशक सहित आवश्यक संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए कंपनी ने समय-समय पर रेल मंत्रालय, भारत सरकार के साथ मुद्दा उठाया है।

ए. 31 मार्च, 2023 तक निदेशक मंडल की संरचना और श्रेणी:

क्रमांक	निदेशक पहचान संख्या (डिन) के साथ निदेशकों का नाम	पद
पूर्णकालिक निदेशक (कार्यात्मक) (कार्यकारी)		
1.	**श्रीमती रजनी हसीजा** (DIN: 08083674)	निदेशक (पर्यटन एवं विपणन) एवं अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)
2.	**श्री अजित कुमार** (DIN: 07247362)	निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ
3	**डॉ. लोकैया रविकुमार** (DIN: 10045466)	निदेशक (खानपान सेवाएँ)
सरकार द्वारा नामित निदेशक (गैर-कार्यकारी)		
4.	**श्री नीरज शर्मा** (DIN: 08177824)	कार्यकारी निदेशक (यात्री विपणन), रेल मंत्रालय, भारत सरकार
5.	**श्री मनोज कुमार गांगेय** (DIN: 09744752)	कार्यकारी निदेशक (योजना), रेल मंत्रालय, भारत सरकार
स्वतंत्र निदेशक (गैर-कार्यकारी)		
6.	**श्री विनय कुमार शर्मा** (DIN: 03604125)	अंशकालिक (गैर-सरकारी) स्वतंत्र निदेशक
7.	**श्री नामग्याल वांगचुक** (DIN: 09397676)	अंशकालिक (गैर-सरकारी) स्वतंत्र निदेशक

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, कंपनी के बोर्ड की संरचना में निम्नलिखित परिवर्तन हुए:

1. श्री विश्वनाथ शंकर (DIN: 07903588), पूर्व ईडी (योजना), रेलवे बोर्ड और सरकार द्वारा नामित निदेशक, रेल मंत्रालय के आदेश संख्या ERB-I/2022/2/59 दिनांक 29 जुलाई 2022 के अनुसार 29 जुलाई, 2022 से कंपनी के निदेशक नहीं रहे।

2. श्री देबाशीष चंद्रा (DIN: 08641893), पूर्व निदेशक (खानपान सेवाएं), सेवानिवृत्ति की आयु होने के कारण, 01 सितंबर, 2022 से कंपनी के निदेशक नहीं रहे।

   रेल मंत्रालय के 29 अगस्त, 2022 के पत्र के अनुसार, श्री अजीत कुमार (DIN 07247362), निदेशक (वित्त) को निदेशक (खानपान सेवाएं) का अतिरिक्त प्रभार 11 फरवरी, 2023 को सौंपा गया था। डॉ. एल. रविकुमार द्वारा निदेशक (खानपान सेवाएँ) के रूप में कार्यभार ग्रहण करने पर, निदेशक (खानपान सेवाएँ) का अतिरिक्त प्रभार उसी दिन निदेशक (वित्त) द्वारा त्याग दिया गया था।

3. श्री मनोज कुमार गांगेय (DIN: 09744752), ईडी (योजना), रेलवे बोर्ड को रेल मंत्रालय के 19 सितंबर, 2022 के आदेश के अनुसार 21 सितंबर, 2022 से आईआरसीटीसी के बोर्ड में अपर निदेशक (सरकारी नामित निदेशक) के रूप में नियुक्त किया गया था।

   इसके अलावा, सेबी एलओडीआर विनियमों के विनियम 17(1ग) के अनुसार, शेयरधारकों ने डाक मतपत्र की प्रक्रिया के माध्यम से 12 दिसंबर, 2022 को एक साधारण प्रस्ताव पारित करके, सरकारी नामित निदेशक के रूप में श्री मनोज कुमार गांगेय (DIN:09744752) की नियुक्ति को मंजूरी दे दी।

4. डॉ. लोकैया रविकुमार (DIN: 10045466) को रेल मंत्रालय के 09 फरवरी, 2023 के पत्र के अनुसार 11 फरवरी, 2023 से आईआरसीटीसी के बोर्ड में अपर निदेशक निदेशक (खानपान सेवाएँ) के रूप में नियुक्त किया गया था। तद्नुसार, उन्होंने 11 फरवरी, 2023 को निदेशक (खानपान सेवाएँ) का कार्यभार ग्रहण किया।

बी. नियुक्ति/पुनःनियुक्ति के लिए प्रस्तावित निदेशकों का बायोडेटा:

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 36 के अनुसार, रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने वाले और नियुक्ति/पुनः नियुक्ति चाहने वाले सभी निदेशकों का संक्षिप्त बायोडेटा कंपनी की 24वीं वार्षिक आम बैठक बुलाने के नोटिस के साथ संलग्न है जिसमें विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों में उनके अनुभव की प्रकृति, उन कंपनियों के नाम जिनमें शामिल हैं जिनमें उनके निदेशक पद और बोर्ड/समितियों की सदस्यता/अध्यक्षता दर्शाई गई है।

इसके अलावा, कंपनी के निदेशकों के संक्षिप्त प्रोफ़ाइल कंपनी के वेबसाइट वेब लिंक https://www.irctc.com/board-of-directors.html पर उपलब्ध है और इस रिपोर्ट में अन्यत्र भी इसका उल्लेख किया गया है।

सी. व्यवसाय के संदर्भ में निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित आवश्यक कौशल/विशेषज्ञता/क्षमता:

बोर्ड में योग्य सदस्य शामिल हैं जो बोर्ड और समिति की बैठकों में विचार-विमर्श में प्रभावी ढंग से योगदान देने के लिए आवश्यक कौशल, योग्यता और विशेषज्ञता लेकर आते हैं।

कंपनी के पास बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित एक बोर्ड चार्टर है, जिसमें अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सहित बोर्ड स्तर के पदों के लिए कार्य विवरण, योग्यता और अनुभव निर्धारित है। पदधारियों की वांछनीय योग्यता और अनुभव उनके संबंधित कार्यात्मक क्षेत्रों यानी वित्त, खानपान, आतिथ्य, यात्रा और पर्यटन, विपणन आदि में आवश्यकताओं के अनुसार है।

कार्यात्मक निदेशकों की रिक्ति के लिए कार्य विवरण, वांछनीय योग्यता और आवश्यक अनुभव, रिक्ति के प्रसार और उम्मीदवारों के चयन के लिए प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड को भेजा जाता है। प्रशासनिक मंत्रालय यानी रेल मंत्रालय, भारत सरकार और/या सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड (पीईएसबी) द्वारा निर्धारित आईआरसीटीसी के निदेशकों की प्रमुख योग्यताओं, कौशल, विशेषज्ञता और विशेषताओं का सारांश देने वाली एक तालिका नीचे दी गई है:

क्रमांक	निदेशक का प्रकार	आवश्यक विशेषज्ञता/कौशल
1.	**पूर्णकालिक निदेशक**	
	i) **अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक**	**अनिवार्य:** आवेदक को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से अच्छे शैक्षणिक रिकॉर्ड के साथ स्नातक होना चाहिए। वांछित: तकनीकी/एमबीए योग्यता वाले आवेदकों को अतिरिक्त लाभ मिलेगा। अनुभव: आवेदक के पास किसी प्रतिष्ठित बड़े संगठन में प्रबंधन के वरिष्ठ स्तर पर पर्याप्त अनुभव होना चाहिए। आतिथ्य/पर्यटन/आईटी/वित्त/विपणन में अनुभव वाले आवेदकों को अतिरिक्त लाभ मिलेगा। उपरोक्त क्षेत्रों में रेलवे संबंधी अनुभव एक अतिरिक्त लाभ होगा
	ii) **निदेशक (वित्त)**	**अनिवार्य:** (i) आवेदक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से अच्छे शैक्षणिक रिकॉर्ड के साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट या पूर्णकालिक एमबीए/पीजीडीएम होना चाहिए। (ii) संगठित ग्रुप मअफ लेखा सेवाओं यिानी भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा, भारतीय रक्षा लेखा सेवा, भारतीय रेलवे लेखा सेवा, भारतीय नागरिक लेखा सेवा, भारतीय पी एंड टी लेखा और वित्त सेवा और भारतीय लागत लेखा सेवों में उपयुक्त स्तर पर कार्यरत अधिकारियों को इन शैक्षणिक योग्यताओं से छूट दी गई है।
		(iii) इसके अलावा, केंद्रीय सरकार/संघ के सशस्त्र बलों/अखिल भारतीय सेवाओं के आवेदकों को भी उपरोक्त (i) के अनुसार शैक्षणिक योग्यता से छूट दी जाएगी, बशर्ते आवेदकों के पास नीचे उल्लिखित मप्रासंगिक अनुभवफ हो। संगठित ग्रुप मअफ लेखा सेवाओं/केंद्र सरकार/संघ के सशस्त्र बलों/अखिल भारतीय सेवाओं के आवेदकों के संबंध में, चार्टर्ड एकाउंटेंट/लागत लेखाकार/एमबीए/पीजीडीएम एक वांछनीय शैक्षणिक योग्यता होगी।
		अनुभव: (i) आवेदक के पास किसी प्रतिष्ठित संगठन में कॉर्पोरेट वित्तीय प्रबंधन और खातों के विभिन्न पहलुओं में पिछले दस वर्षों के दौरान वरिष्ठ स्तर पर कम से कम पांच साल का संचयी अनुभव होना चाहिए। (ii) संगठित ग्रुप मअफ लेखा सेवाओं के आवेदकों के पास कॉर्पोरेट वित्तीय प्रबंधन/लेखा के क्षेत्र में पिछले दस वर्षों के दौरान वरिष्ठ स्तर पर कम से कम पांच वर्ष का संचयी अनुभव होना चाहिए। (iii) केंद्र सरकार/संघ के सशस्त्र बलों/अखिल भारतीय सेवाओं के आवेदकों के संबंध में मप्रासंगिक अनुभवफ में कॉर्पोरेट वित्तीय प्रबंधन/हिसाब-किताब के क्षेत्र में पिछले दस वर्षों के दौरान वरिष्ठ स्तर पर कम से कम सात साल का संचयी अनुभव शामिल होगा।

क्रमांक	निदेशक का प्रकार	आवश्यक विशेषज्ञता/कौशल
	iii) **निदेशक (पर्यटन एवं विपणन)**	**अनिवार्य:** आवेदक को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से अच्छे शैक्षणिक रिकॉर्ड के साथ स्नातक होना चाहिए। **वांछित:** पर्यटन/यात्रा/एमबीए योग्यता वाले आवेदकों को अतिरिक्त लाभ मिलेगा। **अनुभव:** आवेदक के पास किसी प्रतिष्ठित संगठन में पिछले दस वर्षों के दौरान पर्यटन/यात्रा/आतिथ्य क्षेत्र में विपणन/व्यवसाय विकास में कम से कम पांच वर्ष का संचयी अनुभव होना चाहिए। रेलवे क्षेत्र में अनुभव का अतिरिक्त लाभ मिलेगा।
	iv) **निदेशक (खानपान सेवाएँ)**	**अनिवार्य:** आवेदक को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से अच्छे शैक्षणिक रिकॉर्ड के साथ स्नातक होना चाहिए। **वांछित:** होटल प्रबंधन/आतिथ्य उद्योग में डिग्री वाले आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी। **अनुभव:** आवेदक के पास सेवाओं और आतिथ्य उद्योग में कम से कम 05 वर्ष का संचयी अनुभव/एक्सपोजर होना चाहिए, जिसमें किसी प्रतिष्ठित संगठन में पिछले 10 वर्षों के दौरान वरिष्ठ स्तर पर रेल कैटरिंग सेवाओं के प्रबंधन/परिवहन और यात्रा से संबंधित व्यवसाय के प्रबंधन/ऑन बोर्ड सेवाओं/एफ एंड बी में बहु-विभागीय टीमों/एचआरडी और अनुबंध संबंधित गतिविधियों के प्रबंधन में सिद्ध क्षमता का अनुभव होना चाहिए।
2.	**सरकार द्वारा नामित निदेशक (अंशकालिक सरकारी) निदेशक**	भारत सरकार (रेल मंत्रालय, भारत सरकार) द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार
3.	**स्वतंत्र निदेशक (अंशकालिक गैर-सरकारी) निदेशक**	भारत सरकार (रेल मंत्रालय, भारत सरकार) द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार

व. बोर्ड के पास वास्तव में उपलब्ध मुख्य कौशल/विशेषज्ञता/दक्षताओं की सूची:

कंपनी के बोर्ड के सभी सदस्यों के पास कंपनी के प्रभावी और कुशल कामकाज में सहायता के लिए आवश्यक कौशल, विशेषज्ञता और दक्षताएं हैं। निदेशक सामूहिक रूप से कंपनी के कॉर्पोरेट उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक रणनीतिक दृष्टि और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।

बोर्ड ने नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) की सिफारिश पर बोर्ड विविधता पर एक नीति अपनाई है, जो https://www.irctc.com/assets/images/IRCTC%20Board%20Diversity%20Policy_12_6_23.pdf पर उपलब्ध है।

नीचे दी गई तालिका में, व्यक्तिगत बोर्ड सदस्यों के फोकस या विशेषज्ञता के विशिष्ट क्षेत्रों (31 मार्च, 2023 और उसके बाद) को दर्शाया गया है:

निदेशक का नाम	बोर्ड की प्रमुख योग्यताएँ – विशेषज्ञता का क्षेत्र								
	वित्तीय प्रबंधन	यात्रा पर्यटन	खानपान एवं आतिथ्य	आईटी क्षेत्र की विशेषज्ञता	निगमित योजना एवं रणनीति	जोखिम प्रबंधन	नेतृत्व	बोर्ड की पद्धतियां और गवर्नेंस	व्यवसाय विकास
श्रीमती सीमा कुमार एएम (टीएंडसी), रेलवे बोर्ड और सीएमडी, अतिरिक्त प्रभार (01.06.2023 से नियुक्त)	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
श्रीमती रजनी हसीजा निदेशक (पर्यटन एवं विपणन) एवं सीएमडी (अतिरिक्त प्रभार) (01.06.2023 से नहीं रहेंगी)	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
श्री अजित कुमार निदेशक (वित्त)	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
डॉ. लोकैया रविकुमार, निदेशक (खानपान सेवाएँ)	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
श्री कमलेश कुमार मिश्र ईडी (बीडी), रेलवे बोर्ड और निदेशक (पर्यटन एवं विपणन), अतिरिक्त प्रभार (01.06.2023 से नियुक्त)	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
श्री नीरज शर्मा, सरकार द्वारा नामित निदेशक	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
श्री मनोज कुमार गांगेय सरकार द्वारा नामित निदेशक (21.09.2022 से नियुक्त)	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
श्री विनय कुमार शर्मा स्वतंत्र निदेशक	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
श्री नामग्याल वांगचुक स्वतंत्र निदेशक	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
श्री देवेन्द्र पाल भारती स्वतंत्र निदेशक (09.06.2023 से नियुक्त)	-	-	-	-	✓	✓	✓	-	✓

श. निदेशकों की आयु सीमा और कार्यकाल:

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सहित पूर्णकालिक निदेशकों की आयु सीमा 60 वर्ष है, जिन्हें आम तौर पर कार्यभार संभालने की तारीख से लेकर पदधारी की सेवानिवृत्ति की तारीख तक पांच साल की अवधि के लिए या भारत सरकार के अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, नियुक्त किया जाता है।

भारत सरकार के रेल मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने वाले सरकारी नामित निदेशक, नामांकन प्राधिकारी के विवेक पर या रेल मंत्रालय, भारत सरकार के अधिकारी नहीं रहने पर कंपनी के बोर्ड से निदेशक नहीं रहेंगे।

स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति रेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आमतौर पर तीन (3) वर्षों के कार्यकाल के लिए की जाती है। जैसा कि सूचीबद्धता विनियमों के विनियम 46(2)(बी) के तहत आवश्यक है, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के नियम और शर्तें कंपनी की वेबसाइट वेब-लिंक https://www.irctc.com/assets/images/T&C-for-Appointment-of-Independent-Directors.pdf पर उपलब्ध हैं।

ष. बोर्ड बैठकों/समिति की बैठकों के लिए अपनाई गई प्रक्रिया:

कंपनी के अध्यक्ष और संबंधित बोर्ड समितियों के अध्यक्ष के परामर्श से कंपनी के सचिव क्रमशः प्रत्येक बोर्ड बैठक और समिति की बैठकों में चर्चा के लिए एजेंडा और सहायक कागजात तैयार करते हैं।

बोर्ड या समितियों के सदस्य अध्यक्ष की अनुमति से बैठक में चर्चा के लिए मामलों को लाने के अपने अधिकार के अलावा, एजेंडे में शामिल किए जाने वाले किसी भी आइटम का सुझाव देने के लिए स्वतंत्र हैं। सामान्य रूप से कंपनी के व्यवसाय को समझने के लिए बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण जानकारी और डेटा और संबंधित मामलों को बैठक में चर्चा के लिए पेश किया जाता है। बैठक से काफी पहले बोर्ड के सदस्यों को एजेंडा लिखित रूप में वितरित किया जाता है।

आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त बैठकें भी बुलाई जाती हैं। अत्यावश्यकता के मामले में, कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत प्रावधान के अनुसार प्रस्ताव परिसंचरण द्वारा पारित किए जाते हैं, जिन्हें बोर्ड या समिति की बाद की बैठक में नोट किया जाता है।

कानूनी प्रावधानों के अनुसार, कंपनी निदेशकों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा प्रदान करती है ताकि वे व्यक्तिगत रूप से भाग न ले पाने की स्थिति में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग ले सकें। परिचालन क्षेत्रों, नए व्यापार क्षेत्रों/नए उत्पादों के लॉन्च पर समय-समय पर बोर्ड/समितियों को प्रस्तुतियाँ दी जाती हैं।

निदेशक मंडल की बैठकें आम तौर पर नई दिल्ली में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जाती हैं। बैठक में सार्थक, सूचित और केंद्रित चर्चा की सुविधा के लिए विस्तृत एजेंडा नोट्स, प्रबंधन रिपोर्ट और अन्य व्याख्यात्मक विवरण आम तौर पर बोर्ड बैठक से कम से कम सात दिन पहले निर्धारित प्रारूप में बोर्ड सदस्यों को भेजे जाते हैं। बोर्ड के लिए एजेंडा पेपर पासवर्ड सुरक्षा के साथ मेल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रसारित किए जाते हैं। इस पद्धति ने मुद्रण और कागज की लागत को समाप्त कर दिया है और साथ ही कार्बन फुट प्रिंट में भी कमी आई है। हालाँकि, अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी वाले एजेंडा आइटम और अल्प सूचना पर एजेंडा को अध्यक्ष और बैठक के दौरान उपस्थित सभी निदेशकों की अनुमति से बोर्ड/समिति की संबंधित बैठक में पेश किया जाता है।

कंपनी सचिव बोर्ड और समितियों की सभी बैठकों में भाग लेते हैं और ऐसी बैठकों का मसौदा कार्यवृत्त तैयार करते हैं, जिसे बैठक के समापन के पंद्रह दिनों के भीतर सदस्यों को उनकी टिप्पणियों के लिए विधिवत प्रसारित किया जाता है। निदेशक मसौदा कार्यवृत्त पर अपनी टिप्पणियाँ संचलन की तारीख से सात दिनों के भीतर संप्रेषित करते हैं। निदेशकों से प्राप्त टिप्पणियों का एक विवरण संबंधित समिति के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/अध्यक्ष के समक्ष विचार और अनुमोदन के लिए रखा जाता है। प्रत्येक बोर्ड/समिति की बैठक की कार्यवाही के अनुमोदित कार्यवृत्त को बैठक के समापन के तीस दिनों के भीतर कार्यवृत्त पुस्तिका में विधिवत दर्ज किया जाता है।

अनुवर्ती प्रक्रिया के लिए, बोर्ड/समिति के निर्णयों पर एक कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) संबंधित बोर्ड/समिति की बाद की बैठकों में रखी जाती है, जो लिए गए निर्णयों की प्रभावी समीक्षा में मदद करती है।

स. निदेशक मंडल के समक्ष रखी गई जानकारी:

बोर्ड के पास कंपनी से संबंधित सभी जानकारी तक पूरी पहुंच है। यदि आवश्यक हो, तो बोर्ड/समिति द्वारा चर्चा किए जा रहे मामलों पर अतिरिक्त जानकारी प्रदान करने के लिए बैठक के दौरान वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारियों को भी बुलाया जाता है। बोर्ड को विचारार्थ प्रदान की जाने वाली जानकारी में आमतौर पर निम्नलिखित शामिल होती हैं:

i. वार्षिक परिचालन योजनाएं और बजट और कोई भी अपडेट।

ii. पूंजीगत बजट और कोई भी अपडेट।

iii. तमाही परिणाम और इसके परिचालन प्रभाग या व्यावसायिक खंड।

iv. लेखा परीक्षा समिति और निदेशक मंडल की अन्य समितियों की बैठकों का विवरण।

v. मुख्य वित्त अधिकारी और कंपनी सचिव की नियुक्ति या निष्कासन सहित निदेशक मंडल के स्तर से ठीक नीचे के वरिष्ठ अधिकारियों की भर्ती और पारिश्रमिक की जानकारी।

vi. कारण बताओ, मांग, अभियोजन नोटिस और जुर्माना नोटिस, जो अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं।

vii. घातक या गंभीर दुर्घटनाएँ, खतरनाक घटनाएँ, कोई भी सामग्री प्रवाह या प्रदूषण समस्याएँ।

viii. सूचीबद्ध यूनिट को और उसके द्वारा वित्तीय दायित्वों में कोई महत्वपूर्ण चूक, या सूचीबद्ध यूनिट द्वारा बेची गई वस्तुओं के लिए बहुत अधिक गैर-भुगतान।

ix. लेन-देन जिसमें साख, ब्रांड इक्विटी, या बौद्धिक संपदा के लिए पर्याप्त भुगतान शामिल है।

x. कंपनी द्वारा विभिन्न कानूनों का अनुपालन।

xi. बोर्ड द्वारा वांछित मामलों पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट।

xii. निदेशकों द्वारा कंपनी को दिए गए हितों का खुलासा।

xiii. स्टॉक एक्सचेंजों में कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर दाखिल की गई त्रैमासिक रिपोर्ट।

xiv. स्टॉक एक्सचेंजों में निवेशकों की शिकायत निवारण पर दाखिल की गई त्रैमासिक रिपोर्ट। किसी भी नियामक, सांविधिक या सूचीद्धता (लिस्टिंग) आवश्यकताओं और शेयरधारकों की सेवा का अनुपालन न करना जैसे लाभांश का भुगतान न करना, शेयर हस्तांतरण में देरी आदि।

xv. सूचना या अनुमोदन के लिए बोर्ड को प्रस्तुत की जाने वाली अन्य सभी आवश्यक जानकारी।

ह. निदेशकों के बीच परस्पर संबंधों का खुलासा:

कंपनी का कोई भी निदेशक आपस में संबंधित नहीं है। कंपनी के बोर्ड में निदेशकों की नियुक्ति/नामित करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास निहित है जो जिसका उपयोग भारत सरकार के रेल मंत्रालय के माध्यम से किया जाता है।

i. गैर-कार्यकारी निदेशकों द्वारा धारित शेयरों और परिवर्तनीय दस्तावेजों की संख्या:

जैसा कि उन्होंने खुलासा किया, वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान किसी भी गैर-कार्यकारी निदेशक के पास आईआरसीटीसी का कोई शेयर नहीं था।

क्ष. निदेशकों के लिए परिचय कार्यक्रम/प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए वेब-लिंक:

नवनियुक्त निदेशकों को नियुक्ति पर एक स्वागत किट प्रदान किया जाता है जिसमें उनकी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का विवरण दिया जाता है और कंपनी के दृष्टिकोण, मिशन, रणनीतिक दिशा, बुनियादी मूल्यों, वित्तीय मामलों और व्यवसाय संचालन के संबंध में उनके कानूनी और नियामक दायित्वों और अभिविन्यास पर आवश्यक जानकारी दी जाती है। आवश्यक दस्तावेजों/ब्रोशरों, रिपोर्टों और वार्षिक रिपोर्टों, मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ

एसोसिएशन के लेखों, आईआरसीटीसी और रेल मंत्रालय के बीच एमओयू सहित आंतरिक नीतियों के माध्यम से जो उन्हें कंपनी की प्रक्रियाओं, पद्धतियों और जोखिम प्रोफाइल से परिचित कराने में मदद करते हैं। नवनियुक्त निदेशकों को कंपनी के व्यवसाय और उसकी गतिविधियों पर ओरिएंटेशन प्रेजेंटेशन दिया जाता है। ऐसे परिचय कार्यक्रमों का विवरण कंपनी की वेबसाइट https://irctc.com/assets/images/DETAILS%20OF%20FAMILIARIZATION%20PROGRAMMES%20TO%20IRCTC'S%20BOARD%20OF%20DIRECTORS.pdf पर दिया गया है।

इसके अलावा, कंपनी ने कंपनी के बोर्ड सदस्यों के लिए एक प्रशिक्षण नीति बनाई है, जो वेब लिंक https://www.irctc.com/assets/images/training_policy_for_directors_irctc-new.pdf पर उपलब्ध है। कंपनी के निदेशकों को समय-समय पर डीपीई, स्कोप (डउजझए) और अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा आयोजित विभिन्न प्रासंगिक विषयों पर भाग लेने के लिए नामांकित किया जाता है।

ज्ञ. वर्ष 2022-23 के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकों और अंतिम एजीएम में प्रत्येक निदेशक की उपस्थिति और 31 मार्च, 2023 को कंपनी में धारित शेयरों की संख्या:

क्रमांक	निदेशक	बोर्ड बैठकों की संख्या			कंपनी में धारित शेयरों की संख्या	अंतिम एजीएम में उपस्थिति ※ (26 अगस्त, 2022 को आयोजित)
		निदेशकों के संबंधित कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	कितनी बैठकों में भाग लिया	उपस्थिति का प्रतिशत		
1.	**श्रीमती रजनी हसीजा** **(DIN: 08083674)** निदेशक (पर्यटन एवं विपणन) और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)	8	8	100%	शून्य	उपस्थित
2.	**श्री अजित कुमार** **(DIN: 07247362)** निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ	8	8	100%	शून्य	उपस्थित
3.	**श्री देबाशीष चंद्र** **(DIN: 08641893)** निदेशक (खानपान सेवाएं) (31 अगस्त , 2022 तक)	4	4	100%	शून्य	उपस्थित
4.	**डॉ. लोकैया रविकुमार** **(DIN: 10045466)** निदेशक (खानपान सेवाएँ) (11 फरवरी 2023 से)	1	1	100%	3200	अनुपस्थित
5.	**श्री नीरज शर्मा** **(DIN: 08177824)** सरकार द्वारा नामित निदेशक	8	8	100%	शून्य	उपस्थित
6.	**श्री विश्वनाथ शंकर** **(DIN: 07903588)** सरकार द्वारा नामित निदेशक (28 जुलाई , 2022 तक)	3	1	33.33%	लागू नहीं	अनुपस्थित
7.	**श्री मनोज कुमार गांगेय** **(DIN: 09744752)** सरकार द्वारा नामित निदेशक (21 सितंबर , 2022 से प्रभावी)	4	3	66.66%	शून्य	अनुपस्थित
8.	**श्री विनय कुमार शर्मा** **(DIN: 03604125)** स्वतंत्र निदेशक	8	8	100%	शून्य	उपस्थित
9.	**श्री नामग्याल वांगचुक** **(DIN: 09397676)** स्वतंत्र निदेशक	8	8	100%	शून्य	उपस्थित

श्र. 31 मार्च 2023 तक अन्य कंपनियों में निदेशक पद और सदस्यता /समिति की अध्यक्षता का विवरण:

क्रमांक	निदेशक	31.03.2023 तक अन्य कंपनियों में निदेशक पदों की संख्या*	31.03.2023 तक अन्य कंपनियों में समिति की सदस्यता की संख्या (आईआरसीटीसी सहित)	
			अध्यक्ष के रूप में**	सदस्य के रूप में**
1.	**श्रीमती रजनी हसीजा** **(DIN: 08083674)** निदेशक (पर्यटन एवं विपणन) और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)	शून्य	शून्य	2 (लेखापरीक्षा समिति) और (हितधारक संबंध/शिकायत समिति) आईआरसीटीसी
2.	**श्री अजित कुमार** **(DIN: 07247362)** निदेशक (वित्त)	शून्य	शून्य	शून्य
3.	**डॉ. लोकैया रविकुमार** **(DIN: 10045466)** निदेशक (खानपान सेवाएँ) (11 फरवरी 2023 से)	शून्य	शून्य	1 (हितधारक संबंध/शिकायत समिति) आईआरसीटीसी
4.	**श्री नीरज शर्मा** **(DIN: 08177824)** सरकार द्वारा नामित निदेशक	शून्य	शून्य	1 (हितधारक संबंध/शिकायत समिति) आईआरसीटीसी
5.	**श्री मनोज कुमार गांगेय** **(DIN: 09744752)** सरकार द्वारा नामित निदेशक (21 सितंबर , 2022 से प्रभावी)	शून्य	शून्य	शून्य
6.	**श्री विनय कुमार शर्मा** **(DIN: 03604125)** स्वतंत्र निदेशक	शून्य	2 (लेखापरीक्षा समिति) और (हितधारक संबंध/शिकायत समिति) आईआरसीटीसी	2 (लेखापरीक्षा समिति) और (हितधारक संबंध/शिकायत समिति) आईआरसीटीसी
7.	**श्री नामग्याल वांगचुक** **(DIN: 09397676)** स्वतंत्र निदेशक	शून्य	शून्य	1 (लेखापरीक्षा समिति) आईआरसीटीसी

* धारा 8 में कंपनियों और विदेशी कंपनियों में निदेशक पद शामिल नहीं है।

** सीमा की गणना के प्रयोजन के लिए, केवल लेखापरीक्षा समिति और हितधारक संबंध/शिकायत समिति की अध्यक्षता/सदस्यता को ध्यान में रखा गया है।

*** बोर्ड से निदेशक का पद समाप्त होने पर निदेशक समिति का सदस्य/अध्यक्ष नहीं रहेगा।

सूचीबद्ध संस्थाओं का नाम जहां व्यक्ति निदेशक है और निदेशक पद की श्रेणी में है

निदेशक का नाम	सूचीबद्ध यूनिट का नाम	निदेशक पद की श्रेणी
	शून्य	

टिप्पणियाँ:

(i) कंपनी सीपीएसई है, अतः सभी निदेशकों की नियुक्ति/नामांकन भारत सरकार द्वारा किया जाता है।

(ii) निदेशकों/केएमपी का कंपनी के साथ कोई आर्थिक संबंध या लेन-देन नहीं है (पारिश्रमिक को छोड़कर, बैठक शुल्क सहित, जैसा कि वे हकदार हैं);

(iii) कंपनी के किसी भी निदेशक के पास सात (7) सूचीबद्ध कंपनियों सहित दस (10) से अधिक सार्वजनिक कंपनियों में किसी भी समय निदेशक का पद नहीं है।

(iv) कंपनी का कोई भी निदेशक उन सभी कंपनियों में दस (10) से अधिक समितियों का सदस्य या पांच (5) से अधिक समितियों का अध्यक्ष नहीं है, जैसा कि उनके द्वारा सूचित किया गया है।

(v) कंपनी का कोई भी पूर्णकालिक निदेशक किसी अन्य सूचीबद्ध कंपनी में स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्यरत नहीं है।

(vi) सचिवीय मानकों और अन्य लागू कानूनों के अनुसार अन्य स्थानों पर निदेशकों को बोर्ड/समिति की बैठकों में भाग लेने की सुविधा प्रदान करने के लिए वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं का भी उपयोग किया जाता है।

m. तारीखों सहित बोर्ड की बैठकों की संख्या:

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान निदेशक मंडल की आठ बार बैठक हुई। कंपनी अधिनियम, कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर डीपीई के दिशानिर्देशों और सेबी एलओडीआर के अनुसार, वर्ष के दौरान लगातार दो बैठकों के बीच का अंतर 3 महीने से कम था। 2022-23 के दौरान आयोजित बोर्ड बैठकों का विवरण नीचे दिया गया है:

क्रमांक	बोर्ड बैठक संख्या	तिमाही में हुई बैठकें	बैठक की तिथि	बोर्ड की संख्या	उपस्थित निदेशकों की संख्या	
					व्यक्तिगत रूप से	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से
1.	121 वीं	02 (दो) 30 जून, 2022 (टी1) समाप्त तिमाही के लिए	30 मई , 2022	7	6	1
2.	122 वीं		21 जून , 2022	7	6	-
3.	123 वीं	03 (तीन) 30 सितंबर 2022 को समाप्त तिमाही के लिए (टी2)	13 जुलाई 2022	7	5	1
4.	124 वीं		10 अगस्त 2022	6	5	1
5.	125 वीं		26 सितंबर 2022	6	4	2
6.	126 वीं	01 (एक) 31 दिसंबर, 2022 (टी3) समाप्त तिमाही के लिए	14 नवंबर 2022	6	5	1
7.	127 वीं	02 (दो) 31 मार्च, 2023 (टी4) समाप्त तिमाही के लिए	9 फरवरी 2023	6	4	2
8.	128 वीं		22 मार्च 2023	7	5	1

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, सार्वजनिक उद्यम विभाग के जच ऋ छज. 18(17)/2005-ऋ्च दिनांक 18 जुलाई, 2018 के तहत आवश्यक पर्यटन स्थलों पर कोई बैठक आयोजित नहीं की जा सकी।

प. बोर्ड की स्वतंत्रता:

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, आईआरसीटीसी बोर्ड के सभी स्वतंत्र निदेशकों ने घोषणा की है कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(7), अनुसूची IV और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमों के विनियम 16 के प्रावधानों के अनुसार स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं। उन्होंने यह भी घोषित किया कि वे वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स (आईआईसीए) द्वारा बनाए गए स्वतंत्र निदेशकों के डेटाबैंक में पंजीकृत थे। बोर्ड की राय में, स्वतंत्र निदेशकों के पास अपेक्षित सत्यनिष्ठा, विशेषज्ञता, विशिष्ट ज्ञान, अनुभव और दक्षता है।

इसके अलावा, जैसा कि उनके द्वारा बताया गया है, किसी भी निदेशक को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड या किसी अन्य प्राधिकरण के किसी भी आदेश के आधार पर निदेशक के रूप में पद धारण करने से रोका नहीं गया है।

`. स्वतंत्र निदेशक के त्यागपत्र के विस्तृत कारण:

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान किसी भी स्वतंत्र निदेशक ने अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले कंपनी से त्यागपत्र नहीं दिया है।

ि. उत्तराधिकार की योजना:

रेल मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत सरकारी कंपनी होने के नाते, निदेशकों (स्वतंत्र निदेशकों सहित) को नियुक्त करने का अधिकार भारत सरकार के पास निहित है। हालाँकि, कंपनी के पास कंपनी के दृष्टिकोण और व्यावसायिक रणनीतियों के अनुरूप, बोर्ड सदस्यों के अलावा अन्य प्रमुख पदों को भरने के लिए एक व्यवस्थित विकास योजना सुनिश्चित करने के लिए एक संरचित उत्तराधिकार योजना ढांचा है।

3.0 बोर्ड की समितियाँ

कंपनी के मामलों पर ध्यान केंद्रित करते हुए त्वरित विचार-विमर्श और निर्णय लेने की सुविधा के लिए, बोर्ड ने कुछ मामलों को उस उद्देश्य के लिए गठित बोर्ड की समितियों को सौंप दिया है। बोर्ड की समितियों का विवरण नीचे उल्लिखित है:

1. लेखापरीक्षा समिति;
2. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति;
3. हितधारक संबंध/शिकायत समिति;
4. सीएसआर और एसडी समिति;
5. जोखिम प्रबंधन समिति;
6. कार्यनीतिक (रणनीतिक) समिति;
7. निवेश समिति;
8. शेयर हस्तांतरण समिति.

वर्ष के दौरान, कंपनी के निदेशक मंडल की संरचना में परिवर्तन के कारण उपरोक्त निदेशक मंडल की समितियों का समय-समय पर पुनर्गठन किया गया है।

वर्ष के दौरान ऐसा कोई उदाहरण नहीं था, जहां बोर्ड ने बोर्ड की समिति (समितियों) की सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया हो, जिसे निदेशक मंडल के अनुमोदन के लिए समिति (समितियों) द्वारा अनुशंसित करना अनिवार्य हो।

4.0 लेखापरीक्षा समिति

र. **विचारार्थ विषय:**

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के साथ पठित विनियम 18 और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 की अनुसूची II के भाग उ के अनुसार बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट लेखापरीक्षा समिति के लिए विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं:

(i) यह सुनिश्चित करने के लिए कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त और विश्वसनीय है, कंपनी (सूचीबद्ध यूनिट) की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया और इसकी वित्तीय जानकारी के प्रकटीकरण की निगरानी;

(ii) सांविधिक लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक के लिए बोर्ड को सिफारिश;

(iii) सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रदान की गई किसी अन्य सेवा के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों को भुगतान की मंजूरी;

(iv) अनुमोदन के लिए बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले, विशेष संदर्भ में, प्रबंधन के साथ, वार्षिक वित्तीय विवरण और उस पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करना:

- a. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 की उप-धारा (3) के खंड उ के संदर्भ में बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले निदेशक के उत्तरदायित्व विवरण में शामिल किए जाने वाले मामले;
- b. लेखांकन नीतियों और पद्धतियों में परिवर्तन, यदि कोई हो, और उसके कारण;
- c. प्रबंधन द्वारा निर्णय के प्रयोग के आधार पर अनुमानों से युक्त प्रमुख लेखांकन प्रविष्टियाँ;
- d. लेखापरीक्षा निष्कर्षों से उत्पन्न वित्तीय विवरणों में किए गए महत्वपूर्ण समायोजन;
- e. वित्तीय विवरणों से संबंधित सूचीबद्धता और अन्य कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन;
- f. किसी भी संबंधित पक्ष के लेन-देन का खुलासा;
- g. मसौदा लेखापरीक्षा रिपोर्ट में संशोधित राय;

(v) अनुमोदन के लिए बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले, प्रबंधन के साथ, त्रैमासिक वित्तीय विवरणों की समीक्षा करना;

(vi) प्रबंधन के साथ किसी इश्यू (पब्लिक इश्यू, राइट्स इश्यू, प्रेफरेंशियल इश्यू आदि) के माध्यम से जुटाए गए फंड के उपयोग/आवेदन के विवरण, ऑफर दस्तावेज / प्रॉस्पेक्टस / नोटिस और पब्लिक या राइट्स इश्यू की आय के उपयोग की निगरानी करने वाली निगरानी एजेंसी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में बताए गए उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग किए गए फंड के विवरण की समीक्षा करना, और इस मामले में कदम उठाने के लिए बोर्ड को उचित सिफारिशें करना;

(vii) लेखापरीक्षकों की स्वतंत्रता और लेखापरीक्षा प्रक्रिया के निष्पादन और प्रभावशीलता की समीक्षा और निगरानी करना;

(viii) संबंधित पक्षों के साथ सूचीबद्ध यूनिट के लेनदेन का अनुमोदन या बाद में कोई संशोधन;

(ix) अंतर-कॉर्पोरेट ऋणों और निवेशों की जांच;

(x) सूचीबद्ध यूनिट के उपक्रमों या संपत्तियों का मूल्यांकन, जहां भी आवश्यक हो;

(xi) आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन;

(xii) प्रबंधन के साथ, सांविधिक और आंतरिक लेखापरीक्षकों के निष्पादन, आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता की समीक्षा करना;

(xiii) आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य की पर्याप्तता की समीक्षा करना, यदि कोई हो, जिसमें आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग की संरचना, विभाग का नेतृत्व करने वाले अधिकारी की स्टाफिंग और वरिष्ठता, रिपोर्टिंग संरचना कवरेज और आंतरिक लेखापरीक्षा की आवृत्ति शामिल है;

(xiv) किसी भी महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर आंतरिक लेखापरीक्षकों के साथ चर्चा करना और उस पर अनुवर्ती कार्रवाई करना;

(xv) ऐसे मामलों में आंतरिक लेखापरीक्षकों द्वारा किसी भी आंतरिक जांच के निष्कर्षों की समीक्षा करना जहां संदिग्ध धोखाधड़ी या अनियमितता या महत्वपूर्ण प्रकृति की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की विफलता है और मामले को बोर्ड को रिपोर्ट करना;

(xvi) लेखापरीक्षा शुरू होने से पहले सांविधिक लेखापरीक्षकों के साथ लेखापरीक्षा की प्रकृति और दायरे के साथ-साथ चिंता के किसी भी क्षेत्र का पता लगाने के लिए लेखापरीक्षा के बाद की चर्चा;

(xvii) जमाकर्ताओं, डिबेंचर धारकों, शेयरधारकों (घोषित लाभांश का भुगतान न करने की स्थिति में) और लेनदारों को भुगतान में पर्याप्त चूक के कारणों पर गौर करना;

(xviii) व्हिसिल ब्लोअर तंत्र की कार्यप्रणाली की समीक्षा करना;

(xix) उम्मीदवार की योग्यता, अनुभव और पृष्ठभूमि आदि का आकलन करने के बाद मुख्य वित्तीय अधिकारी की नियुक्ति की मंजूरी;

(xx) लेखापरीक्षा समिति के संदर्भ की शर्तों में उल्लिखित कोई अन्य कार्य करना।

(xxi) आज की तारीख में सहायक कंपनी में होल्डिंग कंपनी द्वारा 100 करोड़ रुपये से अधिक या सहायक कंपनी की संपत्ति के आकार के 10% से अधिक के ऋण और/या अग्रिम/निवेश, मौजूदा ऋण/अग्रिम/निवेश सहित जो भी कम हो उसके उपयोग की समीक्षा करना।

(xxii) सूचीबद्ध यूनिट और उसके शेयरधारकों पर विलय, डिमर्जर, समामेलन आदि से जुड़ी योजनाओं के औचित्य, लागत-लाभ और प्रभाव पर विचार करना और टिप्पणी करना।

लेखापरीक्षा समिति द्वारा सूचना की समीक्षा

लेखापरीक्षा समिति निम्नलिखित जानकारी की समीक्षा करती है:

1. वित्तीय स्थिति और संचालन के परिणामों की प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण;
2. सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा जारी प्रबंधन पत्र/आंतरिक नियंत्रण कमजोरियों के पत्र;
3. आंतरिक नियंत्रण कमजोरियों से संबंधित आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट;
4. मुख्य आंतरिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति, निष्कासन और पारिश्रमिक की शर्तें लेखा परीक्षा समिति द्वारा समीक्षा के अधीन होंगी।
5. विचलन का विवरण:
    a) सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 32(1) के संदर्भ में स्टॉक एक्सचेंज को प्रस्तुत निगरानी एजेंसी की रिपोर्ट सहित विचलन का त्रैमासिक विवरण, यदि लागू हो।
    b) सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन 32(7) के संदर्भ में प्रस्ताव दस्तावेज़/प्रॉस्पेक्टस/नोटिस में बताए गए उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग किए गए धन का वार्षिक विवरण।

ल. **समिति की संरचना:**

31 मार्च, 2023 तक , लेखापरीक्षा समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल थे:

क्रमांक	सदस्यों के नाम	पद
1.	**श्री विनय कुमार शर्मा** स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
2.	**श्री नामग्याल वांगचुक** स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
3.	**श्रीमती रजनी हसीजा** निदेशक (पर्यटन एवं विपणन) एवं सीएमडी (अतिरिक्त प्रभार)	सदस्य

ल. **वर्ष के दौरान बैठकें और उपस्थिति:**

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान लेखापरीक्षा समिति की पांच बैठक हुई । कंपनी अधिनियम, कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर डीपीई के दिशानिर्देशों और सेबी एलओडीआर के अनुसार, वर्ष के दौरान लगातार दो बैठकों के बीच 120 दिन से अधिक का अंतर नहीं था।

वर्ष 2022-23 के दौरान आयोजित लेखापरीक्षा समिति की बैठक का विवरण नीचे दिया गया है:

क्रमांक	लेखापरीक्षा समिति की बैठक संख्या	बैठक की तिथि	समिति की संख्या	उपस्थित सदस्यों की संख्या
1.	66 वीं	30 मई , 2022	3	3
2.	67 वीं	20 जून 2022	3	3
3.	68 वीं	10 अगस्त 2022	3	3
4.	69 वीं	14 नवंबर 2022	3	3
5.	70 वीं	9 फरवरी 2023	3	3

2022-23 के दौरान आयोजित लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति इस प्रकार है:

क्रमांक	सदस्यों का नाम	पद	बैठकों की संख्या			उपस्थिति का %
			निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित किया गया	उपस्थिति		
				व्यक्तिगत रूप से	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए	
1.	**श्री विनय कुमार शर्मा** स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष	5	5	0	100
2.	**श्रीमती रजनी हसीजा** निदेशक (पर्यटन एवं विपणन) एवं सीएमडी (अतिरिक्त प्रभार)	सदस्य	5	5	0	100
3.	**श्री नामग्याल वांगचुक** स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	5	5	0	100

कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी श्रीमती सुमन कालरा समिति की सचिव हैं।

निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में स्थायी आमंत्रित सदस्य हैं।

आवश्यकता पड़ने पर बैठकों में जीजीएम (वित्त), आंतरिक लेखा परीक्षक, सांविधिक लेखापरीक्षकों/लागत लेखापरीक्षकों के प्रतिनिधि भी विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में भाग लेते हैं। वरिष्ठ कार्यात्मक अधिकारियों और बिजनेस सेगमेंट प्रमुखों को भी समिति को आवश्यक इनपुट प्रदान करने के लिए उनकी आवश्यकता के अनुसार आमंत्रित किया जाता है।

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान निदेशक मंडल द्वारा लेखापरीक्षा समिति की सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया।

5.0 नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

र. **विचारार्थ विषय:**

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की भूमिका संक्षेप में इस प्रकार है:

(i) ऐसे व्यक्तियों की पहचान करना जिन्हें निर्धारित मानदंडों के अनुसार वरिष्ठ प्रबंधन# में नियुक्त किया जा सकता है, बोर्ड को उनकी नियुक्ति और हटाने की सिफारिश करना;

(ii) वरिष्ठ प्रबंधन को देय सभी पारिश्रमिक की बोर्ड को सिफारिश करना, चाहे वह किसी भी रूप में हो;

(iii) निर्धारित सीमा के भीतर और भारत सरकार द्वारा इस संबंध में जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, अधिकारियों और गैर-यूनियन पर्यवेक्षकों में वितरण के लिए वार्षिक बोनस / परिवर्तनीय वेतन पूल / निष्पादन संबंधी वेतन और नीति तय करना;

(iv) अधिकारियों के लिए सुविधाएं और भत्ते प्रदान करने के लिए योजनाएं बनाना और संशोधन;

(v) अधिकारियों और गैर-कार्यकारियों के लिए मुआवजे की कोई नई योजना, जैसा भी मामला हो;

(vi) ऐसी अन्य गतिविधियाँ करना जो बोर्ड द्वारा सौंपी जा सकती हैं और/या कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी विनियम और डीपीई दिशानिर्देश या लागू किसी अन्य कानून के तहत सांविधिक रूप से निर्धारित हैं।

केवल वरिष्ठ प्रबंधन की नियुक्ति पर लागू। "वरिष्ठ प्रबंधन" का अर्थ कंपनी के के अधिकारी/कार्मिक होंगे जो निदेशक मंडल को छोड़कर इसकी मुख्य प्रबंधन टीम के सदस्य हैं और इसमें मुख्य कार्यकारी अधिकारी/प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/प्रबंधक (सीईओ/प्रबंधक सहित, यदि वे बोर्ड का हिस्सा नहीं हैं) से एक स्तर नीचे के सभी सदस्य शामिल होंगे और विशेष रूप से कार्यात्मक प्रमुख, चाहे पदनाम कुछ भी हो और कंपनी सचिव और मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) (बोर्ड स्तर से नीचे) और कार्यात्मक प्रमुख शामिल हैं।

ल. **समिति की संरचना:**

31 मार्च, 2023 तक, नामांकन और पारिश्रमिक समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल थे:

S. No.	सदस्यों के नाम	पद
1.	**श्री नामग्याल वांगचुक** स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
2.	**श्री विनय कुमार शर्मा** स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
3.	**श्री नीरज शर्मा** सरकार द्वारा नामित निदेशक	सदस्य

श्रीमती सुमन कालरा कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी इस समिति की सचिव हैं।

निदेशक (खानपान सेवाएं) और जीजीएम (एचआरडी) नामांकन और पारिश्रमिक समिति की बैठक में स्थायी आमंत्रित सदस्य हैं।

ल. **वर्ष के दौरान बैठक एवं उपस्थिति:**

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान नामांकन और पारिश्रमिक समिति की छह बैठकें हुई। जिसका विवरण नीचे दिया जा रहा है:

क्र.	नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की बैठक संख्या	बैठक की तिथि	समिति की संख्या	उपस्थित सदस्यों की संख्या
1.	22 वीं	20 जून 2022	3	3
2.	23 वी	13 जुलाई 2022	3	3
3.	24 वीं	26 सितंबर 2022	3	3
4.	25 वीं	14 नवंबर 2022	3	3
5.	26 वीं	8 फरवरी 2023	3	3
6.	27 वीं	22 मार्च 2023	3	3

2022-23 के दौरान आयोजित नामांकन और पारिश्रमिक समिति की बैठकों में प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति इस प्रकार है:

क्रमांक	सदस्यों के नाम	पद	बैठकों की संख्या			
			निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित	उपस्थिति		उपस्थिति का %
				व्यक्तिगत रूप से	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए	
1.	**श्री नामग्याल वांगचुक** स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष	6	5	1	100
2.	**श्री विनय कुमार शर्मा** स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	6	6	0	100
3.	**श्री नीरज शर्मा** सरकार द्वारा नामित निदेशक	सदस्य	6	0	6	100

व. बोर्ड सदस्यों का निष्पादन मूल्यांकन:

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने 5 जून, 2015 की अपनी अधिसूचना के जरिए सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 (2), (3) और (4) के प्रावधानों से छूट दी थी, जिसके अनुसार नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति द्वारा प्रत्येक निदेशक के निष्पादन मूल्यांकन करना होता है। यह परिपत्र सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134 (3) (p) के प्रावधानों से और छूट प्रदान करता है, जिसमें बोर्ड की रिपोर्ट में बोर्ड और उसकी समितियों और व्यक्तिगत निदेशक द्वारा अपने स्वयं के निष्पादन के औपचारिक मूल्यांकन के तरीके के बारे में प्रावधान हैं, यदि निदेशकों का मूल्यांकन मंत्रालय द्वारा अपनी मूल्यांकन पद्धति के अनुसार किया जाता है जो कंपनी का प्रशासनिक प्रभारी है। इसके अलावा, एमसीए ने 5 जुलाई, 2017 की अधिसूचना के माध्यम से यह भी निर्धारित किया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV में निर्धारित स्वतंत्र निदेशकों के निष्पादन की समीक्षा और मूल्यांकन तंत्र से संबंधित प्रावधान सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं हैं। विनियम 19 की प्रयोज्यता के लिए सेबी से इसी तरह की छूट अभी भी प्रतीक्षित है।

6.0 निदेशकों का पारिश्रमिक:

ळ. पूर्णकालिक (कार्यकारी) निदेशकों का पारिश्रमिक:

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम और सरकारी कंपनी होने के नाते, पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा रेल मंत्रालय के माध्यम से की जाती है और सरकार द्वारा पूर्व-निर्धारित और सरकार द्वारा जारी उनकी नियुक्ति की नियम एवं शर्तों के अनुसार औद्योगिक महंगाई भत्ता (आईडीए) वेतनमान पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं।

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान कंपनी के पूर्णकालिक निदेशकों को भुगतान किए गए पारिश्रमिक का विवरण नीचे दिया गया है:

(रु. में)

क्रमांक	निदेशकों के नाम	वेतन	सुविधाएं	अन्य लाभ	निष्पादन प्रतिफल	पीएफ में योगदान	एनपीएस/ एफएससी में योगदान	कुल
1.	**श्रीमती रजनी हसीजा** निदेशक (पर्यटन एवं विपणन) एवं सीएमडी (अतिरिक्त प्रभार)	45,53,951	9,69,067	4,60,167	11,67,652	4,52,022	3,60,881	**79,63,740**
2.	**श्री अजित कुमार** (निदेशक/वित्त एवं सीएफओ)	44,79,061	5,14,777	4,62,873	9,53,456	4,44,503	3,54,866	**72,09,536**
3.	**श्री देबाशीष चंद्र** (निदेशक खानपान सेवाएँ) (31 अगस्त 2022 तक)	27,28,764	26,074	79,990	5,16,987	1,49,897	1,19,609	**36,21,321**
4.	**डॉ. लोकैया रविकुमार** (निदेशक खानपान सेवाएँ) (11 फरवरी, 2023 से)	5,30,042	-	18,486	-	45,878	36,296	**6,30,702**
	कुल	**1,22,91,818**	**15,09,918**	**10,21,516**	**26,38,095**	**10,92,300**	**8,71,652**	**1,94,25,299**

ii. **सरकार द्वारा नामित निदेशकों को पारिश्रमिक:**

रेल मंत्रालय द्वारा बोर्ड में नामांकित सरकारी नामित निदेशक, निदेशक के रूप में अपनी भूमिका के लिए कंपनी से कोई पारिश्रमिक नहीं लेते हैं, लेकिन सरकारी अधिकारियों के रूप में भारत सरकार से केंद्रीय महंगाई भत्ता (सीडीए) वेतनमान के तहत अपना पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं।

iii. **मुख्य वित्त अधिकारी, कंपनी सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी:**

सूचीबद्धता विनियमों की अनुसूची (II) के भाग ए (ई) में निर्दिष्ट निदेशक मंडल, सीएफओ और कंपनी सचिव के स्तर से ठीक नीचे के वरिष्ठ अधिकारियों का पारिश्रमिक समय-समय पर बोर्ड को अनुमोदित/रिपोर्ट किया जाता है।

iv. **स्वतंत्र निदेशकों का पारिश्रमिक:**

स्वतंत्र निदेशकों को प्रत्येक बोर्ड बैठक में भाग लेने के लिए 25,000 रुपये (पच्चीस हजार रुपये मात्र) और प्रत्येक बोर्ड स्तरीय समिति की बैठक में भाग लेने के लिए 20,000 रुपये (केवल बीस हजार रुपये) की बैठक फीस के अलावा कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है, जैसा कि बोर्ड द्वारा तय किया जाता है जो कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत नियमों के तहत निर्धारित सीमा के भीतर है। वर्ष 2022-23 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों को भुगतान की गई बैठक शुल्क का विवरण नीचे दिया गया है:

(रु. में)

क्रमांक	स्वतंत्र निदेशक का नाम	बैठक शुल्क*		कुल
		बोर्ड बैठक	समिति की बैठकें	
1.	**श्री विनय कुमार शर्मा** स्वतंत्र निदेशक (**DIN:** 03604125)	2,00,000	3,60,000	5,60,000
2.	**श्री नामग्याल वांगचुक** स्वतंत्र निदेशक (**DIN:** 09397676)	2,00,000	3,20,000	5,20,000
	कुल	**4,00,000/-**	**6,80,000/-**	**10,80,000/-**

*बैठक शुल्क के अलावा, स्वतंत्र निदेशकों को बोर्ड/समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए किए गए भोजन/आवास/वाहन व्यय की भी प्रतिपूर्ति की जाती है।

7.0 हितधारक संबंध समिति:

र. **विचारार्थ विषय:**

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 की अनुसूची II के भाग ऊ में निर्दिष्ट हितधारक संबंध समिति की भूमिका इस प्रकार है:

(i) आईआरसीटीसी के शेयर धारकों की शिकायतों का समाधान करना, जिसमें शेयरों के हस्तांतरण/संचरण, वार्षिक रिपोर्ट न मिलना, घोषित लाभांश न मिलना, नए/डुप्लिकेट प्रमाणपत्र जारी करना, सामान्य बैठकें आदि से संबंधित शिकायतें शामिल हैं।

(ii) शेयरधारकों द्वारा मतदान अधिकारों के प्रभावी प्रयोग के लिए किए गए उपायों की समीक्षा।

(iii) रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न सेवाओं के संबंध में आईआरसीटीसी द्वारा अपनाए गए सेवा मानकों के पालन की समीक्षा।

(iv) दावा नहीं किए गए लाभांश की मात्रा को कम करने और कंपनी के शेयरधारकों द्वारा लाभांश वारंट/वार्षिक रिपोर्ट/सांविधिक नोटिस की समय पर प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए आईआरसीटीसी द्वारा किए गए विभिन्न उपायों और पहलों की समीक्षा।

ल. **संरचना, बैठक एवं उपस्थिति:**

वित्त वर्ष के दौरान, जब भी निदेशकों में परिवर्तन हुआ है, समिति का पुनर्गठन किया गया है। समिति का अंतिम बार पुनर्गठन 22 मार्च, 2023 को किया गया था। 31 मार्च , 2023 तक , हितधारक संबंध समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल थे:

S. No.	Name of Members	Position
1.	**श्री विनय कुमार शर्मा** स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
2.	**श्री नीरज शर्मा** सरकार द्वारा नामित निदेशक	सदस्य
3.	**श्रीमती रजनी हसीजा** निदेशक (पर्यटन एवं विपणन) एवं सीएमडी (अतिरिक्त प्रभार)	सदस्य
4.	**डॉ. लोकैया रविकुमार** (निदेशक खानपान सेवाएँ)	सदस्य

श्रीमती सुमन कालरा कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी समिति की सचिव हैं।

वर्ष 2022-23 के दौरान समिति की एक बार बैठक हुई। जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

क्रमांक	हितधारक संबंध समिति की बैठक संख्या	बैठक की तिथि	समिति की संख्या	उपस्थित सदस्यों की संख्या
1.	4थी	7 फरवरी 2023	3	3

2022-23 के दौरान आयोजित हितधारक संबंध समिति की बैठकों में प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति इस प्रकार रही:

क्रमांक	सदस्यों के नाम	पद	बैठकों की संख्या			
			निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित	उपस्थिति		उपस्थिति का %
				व्यक्तिगत रूप से	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए	
1.	**श्री विनय कुमार शर्मा** स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष	1	1	0	100%
2.	**श्री विश्वनाथ शंकर** सरकार द्वारा नामित निदेशक	सदस्य (29 जुलाई, 2022 तक)	0	अनुपस्थित	अनुपस्थित	अनुपस्थित
2.	**श्री नीरज शर्मा** सरकार द्वारा नामित निदेशक	सदस्य	1	0	1	100%
2.	**श्रीमती रजनी हसीजा** निदेशक (पर्यटन एवं विपणन) एवं सीएमडी (अतिरिक्त प्रभार)	सदस्य	1	1	0	100%
3.	**डॉ. लोकैया रविकुमार** निदेशक (खानपान सेवाएँ)	सदस्य (22 मार्च 2023 से प्रभावी)	0	ना	ना	ना

ल. निवेशकों की शिकायत का निवारण:

कंपनी निवेशकों की सभी शिकायतों, सुझावों और शिकायतों को शीघ्रता से ध्यान देती है और उन्हें निर्दिष्ट समयसीमा के भीतर हल करती है।

शेयर हस्तांतरण का कोई भी अनुरोध 30 दिनों से अधिक लंबित नहीं है। शेयरों के डी-मटेरियलाइजेशन के सभी अनुरोध पर कार्रवाई की जाती है और पुष्टिकरण निवेशकों और डिपॉजिटरी प्रतिभागियों को आम तौर पर आरटीए द्वारा 10-12 कार्य दिवसों के भीतर सूचित किए जाते हैं।

वर्ष के दौरान, लाभांश/आईपीओ/ओएफएस आदि न मिलने सहित 44 शिकायतें प्राप्त हुईं और समय पर उनका निपटान किया गया।

व. शिकायतों का निपटान:

निवेशक नीचे बताए गए तरीके से अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं:

क्रमांक	शिकायत की प्रकृति	संपर्क	की जाने वाली कार्रवाई
1.	लाभांश (अंतरिम लाभांश) और आईपीओ/ओएफएस से संबंधित मामले; फिजिकल शेयरों के लिए- पता, स्थिति, बैंक खाता, अधिदेश, ईसीएस अधिदेश आदि में परिवर्तन।	अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड, पता: 4ई/2 झंडेवालान एक्सटेंशन नई दिल्ली-110055 फ़ोन नंबर 011- 42541234/ 011- 42541954 फैक्स नंबर: 011- 42541201 वेबसाइट: www.alankit.com B©-'ob: virenders@alankit.com rta@alankit.com और abinavka@alankit.com	सादे कागज पर शिकायत की प्रकृति बताते हुए पत्र और फोलियो/डीपीआईडी/क्लाइंट आईडी नंबर का उल्लेख होगा; जैसा भी मामला हो, मूल शेयरों और अन्य दस्तावेजों/कागजातों को जमा करना।
2.	डीमैट में रखे गए शेयरों के लिए- पता, स्थिति, बैंक खाता, अधिदेश, ईसीएस अधिदेश आदि में परिवर्तन।	शेयरधारक के साथ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) अपना खाता बनाए रखता है।	संबंधित डीपी के निर्देशानुसार.
3.	किसी अन्य श्रेणी की शिकायतें	कंपनी सचिव इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड फ़ोन: 011-23327746 investors@irctc.com	सादे कागज पर शिकायत की प्रकृति, फोलियो/डीपीआईडी/क्लाइंट आईडी नंबर, नाम और पता, ईमेल आईडी और संपर्क विवरण बताएं।

लाभांश के निर्बाध भुगतान के लिए, सभी निवेशकों से अनुरोध है कि वे अपने क्लाइंट मास्टर (डीपी के साथ रखे गए) को सही बैंक विवरण और ईमेल पते के साथ आईएफएससी के साथ अपडेट करें। फिजिकल शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे लाभांश को सीधे संबंधित बैंक खाते में अंतरित करने के लिए बैंक अधिदेश दें।

8.0 सीएसआर और एसडी समिति

र. विचारार्थ विषय:

सीएसआर और एसडी समिति के विचारार्थ विषय नीचे दिए गए हैं:

(i) बोर्ड के लिए सीएसआर नीति तैयार करना और उसकी सिफारिश करना, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के अनुसार कंपनी द्वारा की जाने वाली गतिविधियों को इंगित करेगी;

(ii) खंड (i) में निर्दिष्ट गतिविधियों पर होने वाले व्यय की राशि की समीक्षा और अनुशंसा करना;

(iii) समय-समय पर कंपनी की सीएसआर नीति की निगरानी करना;

(iv) कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के दायरे में आने वाली सीएसआर परियोजनाओं / कार्यक्रमों / प्रस्तावों की सिफारिश / समीक्षा करना;

(v) कंपनी की सीएसआर पहलों पर रणनीति तैयार करने में निदेशक मंडल की सहायता करना;

(vi) कोई अन्य मामला जिसे सीएसआर समिति निदेशक मंडल की मंजूरी के बाद उचित समझे या निदेशक मंडल द्वारा समय-समय पर निर्देशित किया जाए।

ल. संरचना, बैठक एवं उपस्थिति:

31 मार्च, 2023 को, सीएसआर और एसडी समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल थे:

क्रमांक	सदस्यों के नाम	पद
1.	**श्रीमती रजनी हसीजा** निदेशक (पर्यटन एवं विपणन) एवं सीएमडी (अतिरिक्त प्रभार)	अध्यक्ष
2.	**श्री अजित कुमार** (निदेशक/वित्त एवं सीएफओ)	सदस्य
3.	**श्री नीरज शर्मा** सरकार द्वारा नामित निदेशक	सदस्य
4.	**श्री नामग्याल वांगचुक** स्वतंत्र निदेशक	सदस्य

श्रीमती सुमन कालरा कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी समिति की सचिव हैं।

श्री संदीप त्रिवेदी (जीजीएम एचआरडी), सीएसआर और एसडी समिति के नोडल अधिकारी होने के नाते समिति की बैठकों में स्थायी आमंत्रित सदस्य हैं।

वर्ष 2022-23 के दौरान समिति की चार बार बैठकें हुई। जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

क्रमांक	सीएसआर और एसडी समिति की बैठक संख्या	बैठक की तिथि	समिति की संख्या	उपस्थित सदस्यों की संख्या
1.	38 वीं	20 जून 2022	5	5
2.	39 वीं	10 अगस्त 2022	5	5
3.	40 वीं	14 नवंबर 2022	4	4
4.	41 वीं	8 फरवरी 2023	4	4

2022-23 के दौरान आयोजित सीएसआर और एसडी समिति की बैठकों में प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति इस प्रकार है:

क्रमांक	सदस्यों के नाम	पद	बैठकों की संख्या			
			निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित	उपस्थिति		उपस्थिति का %
				व्यक्तिगत रूप से	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए	
1.	**श्रीमती रजनी हसीजा** निदेशक (पर्यटन एवं विपणन) एवं सीएमडी (अतिरिक्त प्रभार)	अध्यक्ष	4	4	0	100%
2.	**श्री अजित कुमार** (निदेशक/वित्त एवं सीएफओ)	सदस्य	4	4	0	100%
3.	**श्री देबाशीष चंद्र** निदेशक (खानपान सेवाएँ)	सदस्य 31 अगस्त 2022 तक)	2	2	0	100%
4.	**श्री नीरज शर्मा** सरकार द्वारा नामित निदेशक	सदस्य	4	0	4	100%
5.	**श्री नामग्याल वांगचुक** स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	4	4	0	100%

9.0 जोखिम प्रबंधन समिति:

र. विचारार्थ विषय:

जोखिम प्रबंधन समिति के विचारार्थ विषय संक्षेप में नीचे उल्लिखित हैं:

(i) जोखिम प्रबंधन नीति का अनुपालन सुनिश्चित करना।

(ii) व्यावसायिक जोखिम प्रबंधन की पर्याप्तता और प्रभावशीलता की समीक्षा करना।

(iii) संगठन व्यापी जोखिम पोर्टफोलियो की समीक्षा करना और इसे जोखिम उठाने की इच्छा के विरुद्ध मानना।

(iv) कंपनी के लिए जोखिम उठाने की क्षमता को परिभाषित करना। जोखिम पहल पर व्यावसायिक यूनिटों/समर्थन कार्यों को सलाह देना।

(v) कंपनी की जोखिम क्षमता में बदलाव की समीक्षा करना और अनुमोदन करना।

(vi) जोखिम प्रबंधन तकनीकों में सुधार का सुझाव देना और प्रबंधन जागरूकता बढ़ाना।

(vii) मौजूदा जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं और प्रमुख जोखिमों की स्थिति पर लेखापरीक्षा समिति के माध्यम से बोर्ड को त्रैमासिक अपडेट प्रदान करना।

(viii) उभरते मुद्दों की निगरानी करना और सर्वोत्तम पद्धतियों को साझा करना।

(ix) व्यावसायिक जोखिम रिपोर्टिंग की निगरानी करना।

(x) प्रबंधन के क्रमिक स्तरों तक नीतियों और मानकों का संचार सुनिश्चित करना।

(xi) निदेशक मंडल द्वारा इस संबंध में सौंपे गए किसी अन्य मद पर विचार करना।

(xii) कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी विनियम और डीपीई दिशानिर्देशों में परिवर्तन/संशोधन के कारण समिति के लिए सौंपी गई कोई अन्य भूमिका।

ल. संरचना, बैठक एवं उपस्थिति:

वित्त वर्ष के दौरान, जब भी निदेशकों में परिवर्तन हुआ है, समिति का पुनर्गठन किया गया है। वर्ष के दौरान, समिति का पुनर्गठन 22 मार्च, 2023 को किया गया था। 31 मार्च , 2023 तक , जोखिम प्रबंधन समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल थे:

S. No.	Members	Position
1.	**श्रीमती रजनी हसीजा** निदेशक (पर्यटन एवं विपणन) एवं सीएमडी (अतिरिक्त प्रभार)	अध्यक्ष
2.	**श्री अजित कुमार** (निदेशक/वित्त एवं सीएफओ)	सदस्य
3.	**डॉ. लोकैया रविकुमार** निदेशक (खानपान सेवाएँ)	सदस्य
4.	**श्री विनय कुमार शर्मा** स्वतंत्र निदेशक	सदस्य

मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) और विधि अधिकारी समिति की बैठकों में स्थायी आमंत्रित सदस्य हैं।

श्रीमती सुमन कालरा कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी समिति की सचिव हैं।

वर्ष 2022-23 के दौरान समिति की तीन बैठकें हुईं। जिसका विवरण नीचे दिया जा रहा है:

क्रमांक	जोखिम प्रबंधन समिति की बैठक संख्या	बैठक की तिथि	समिति की संख्या	उपस्थित सदस्यों की संख्या
1.	13 वीं	30 मई, 2022	5	5
2.	14 वीं	14 नवंबर 2022	3	3
3.	15 वीं	8 फरवरी 2023	3	3

2022-23 के दौरान आयोजित जोखिम प्रबंधन समिति की बैठकों में प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति इस प्रकार है:

क्रमांक	सदस्यगण	पद	बैठकों की संख्या			
			निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित	उपस्थिति		उपस्थिति का %
				व्यक्तिगत रूप से	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए	
1.	**श्रीमती रजनी हसीजा** निदेशक (पर्यटन एवं विपणन) एवं सीएमडी (अतिरिक्त प्रभार)	अध्यक्ष	3	3	0	100%
2.	**श्री अजित कुमार** (निदेशक/वित्त एवं सीएफओ)	सदस्य	3	3	0	100%
3.	**श्री देबाशीष चंद्र** निदेशक (खानपान सेवाएँ)	सदस्य 31 अगस्त 2022 तक)	1	1	0	100%
4.	**श्री एल. रविकुमार** निदेशक (खानपान सेवाएँ)	सदस्य (22 मार्च , 2023 से)	0	अनुपस्थित	अनुपस्थित	अनुपस्थित
5.	**श्री विश्वनाथ शंकर** सरकार द्वारा नामित निदेशक	सदस्य जुलाई, 2022 तक)	1	0	1	100%
6.	**श्री विनय कुमार शर्मा** स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	3	3	0	100%

10.0 रणनीतिक समिति

र. **विचारार्थ विषय:**

रणनीतिक समिति का गठन 26 सितंबर 2022 से नीचे दिए गए विचारार्थ विषयों के साथ किया गया है:

(i) कंपनी की दीर्घकालिक व्यापार रणनीति की समीक्षा और समर्थन करना;

(ii) नए भौगोलिक क्षेत्रों, व्यवसायों या प्रौद्योगिकियों में विकास रणनीतियों और कार्यनीतिक दिशा में किसी भी बदलाव की समीक्षा और समर्थन करना;

(iii) 5-वर्षीय व्यवसाय योजना और वार्षिक व्यवसाय योजना की समीक्षा करना और उसका समर्थन करना;

(iv) किसी कंपनी में नए निवेश या परिसंपत्तियों या नई कंपनियों के अधिग्रहण के संबंध में, निवेश के लिए रणनीतिक तर्क, उचित परिश्रम रिपोर्ट के निष्कर्षों और निवेश शर्तों की बातचीत की समीक्षा और समर्थन करना।

ल. **संरचना, बैठक एवं उपस्थिति:**

31 मार्च, 2023 को, रणनीतिक समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल थे:

क्रमांक	सदस्यगण	पद
1.	**श्रीमती रजनी हसीजा** निदेशक (पर्यटन एवं विपणन) एवं सीएमडी (अतिरिक्त प्रभार)	अध्यक्ष
2.	**श्री अजित कुमार** (निदेशक/वित्त एवं सीएफओ)	सदस्य
3.	**श्री मनोज कुमार गांगेय** सरकार द्वारा नामित निदेशक	सदस्य
4.	**श्री विनय कुमार शर्मा** स्वतंत्र निदेशक	सदस्य

श्रीमती सुमन कालरा कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी समिति की सचिव हैं।

वर्ष 2022-23 के दौरान समिति की दो बार बैठक हुई। जिसका विवरण नीचे दिया जा रहा है:

क्रमांक	रणनीतिक समिति की बैठक संख्या	बैठक की तिथि	समिति की संख्या	उपस्थित सदस्यों की संख्या
1.	1 ली	15 नवंबर , 2022	4	4
4.	2 री	8 फरवरी 2023	4	4

2022-23 के दौरान आयोजित रणनीतिक समिति की बैठकों में प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति इस प्रकार रही:

क्रमांक	सदस्यगण	पद	बैठकों की संख्या			
			निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित	उपस्थिति		उपस्थिति का %
				व्यक्तिगत रूप से	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए	
1.	**श्रीमती रजनी हसीजा** निदेशक (पर्यटन एवं विपणन) एवं सीएमडी (अतिरिक्त प्रभार)	अध्यक्ष	2	2	0	100%
2.	**श्री अजित कुमार** (निदेशक/वित्त एवं सीएफओ)	सदस्य	2	2	0	100%
3.	**श्री मनोज कुमार गांगेय** सरकार द्वारा नामित निदेशक	सदस्य	2	2	0	100%
4.	**श्री विनय कुमार शर्मा** स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	2	2	0	100%

11.0 अन्य कार्यात्मक समितियाँ:

11.1 निवेश समिति

डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार, इस उद्देश्य के लिए वित्तीय अधिकारों के प्रत्यायोजन के अनुसार अधिशेष धन के अल्पकालिक परिनियोजन के लिए निवेश निर्णय लेने के लिए आईआरसीटीसी की निवेश समिति का गठन किया गया है। समिति द्वारा लिए गए निर्णयों को सूचना हेतु निदेशक मंडल के समक्ष रखा जाता है।

इस समिति में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, निदेशक (वित्त) और निदेशक (खानपान सेवाएँ) शामिल हैं। आवश्यकता पड़ने पर समिति की बैठकें आयोजित की जाती हैं और इसमें सभी सदस्य भाग लेते हैं।

11.2 कार्यकारी बोर्ड समिति

ए-6 तक के कर्मचारियों के लिए आईआरसीटीसी में भर्ती, समावेशन और पदोन्नति के चैनलों की नीति (नीति) तैयार करने और मसौदा तैयार करने और आंतरिक विश्लेषण आदि के उद्देश्य से कंपनी के नए उद्यमों, व्यापार क्षेत्रों के विकास, परिचालन निष्पादन सहित अन्य मुद्दों के लिए कार्यकारी बोर्ड की समिति का गठन किया गया है। समिति में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, निदेशक (वित्त), निदेशक (पर्यटन एवं विपणन) और निदेशक (खानपान सेवाएँ) शामिल हैं।

कार्यकारी बोर्ड की वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 3 जून , 2022, 30 जून , 2022, 12 जुलाई, 2022, 2 मार्च, 2023, 29 मार्च, 2023 को 5 (पांच) बैठकें हुई । समिति के सभी सदस्यों ने भाग लिया।

श्रीमती सुमन कालरा कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी समिति की सचिव हैं।

आवश्यकता पड़ने पर वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारियों को भी कार्यकारी बोर्ड की बैठकों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

11.3 प्रशासनिक समिति

बैंक खाते खोलने और बंद करने की मंजूरी; कंपनी की परियोजनाओं के लिए चल पूंजी सुविधाओं की मांग के लिए वित्तीय संस्थानों से संपर्क करने; और उत्पाद शुल्क, आयकर और अन्य लागू प्राधिकारियों के साथ पंजीकरण के लिए अधिकारियों को अधिकृत करने और कंपनी की ओर से दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने और निष्पादित करने सहित मामलों से संबंधित मामलों से निपटने के लिए प्रशासनिक समिति का गठन किया गया है ।

समिति में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, निदेशक (वित्त), निदेशक (पर्यटन एवं विपणन) और निदेशक (खानपान सेवाएँ) शामिल हैं।

श्रीमती सुमन कालरा कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी समिति की सचिव हैं।

11.4 शेयर हस्तांतरण समिति

शेयर हस्तांतरण समिति शेयरों के हस्तांतरण/संचरण, डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने, रीमटीरियलाइजेशन विभाजन, समेकन, नवीनीकरण और डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने आदि के अनुरोधों पर विचार करती है।

समिति में निदेशक (वित्त), निदेशक (पर्यटन एवं विपणन) और कंपनी सचिव शामिल हैं।

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान शेयर हस्तांतरण समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं हुई।

12.0 स्वतंत्र निदेशकों की अलग से बैठकः

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015, धारा 149 और कंपनी अधिनियम, 2013 के स्वतंत्र निदेशकों की संहिता और डीपीई दिशानिर्दे शों के तहत उल्लिखित प्रावधानों के संदर्भ में, 20 दिसंबर, 2022 को स्वतंत्र निदेशकों की एक अलग बैठक आयोजित की गई थी।

दोनों स्वतंत्र निदेशकों ने उक्त बैठक में भाग लिया और बैठक का विवरण निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

13.0 आम बैठकें

13.1 वार्षिक आम बैठक (एजीएम)

कंपनी की पिछली तीन वार्षिक आम बैठकों (एजीएम) का विवरण इस प्रकार है:

एजीएम	वित्त वर्ष	तारीख	दिन	समय	समय	समय
23 वीं	2021-22	26 अगस्त 2022	शुक्रवार	1230 बजे	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/ अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों ("ओएवीएम") के माध्यम से (आईआरसीटीसी बोर्ड रूम)	हाँ ळ. एमओए के मुख्य उद्देश्य खंड को बदलने के लिए
22 वीं	2020-21	29 सितंबर , 2021	बुधवार	1230 बजे	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/ अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों ("ओएवीएम") के माध्यम से (आईआरसीटीसी बोर्ड रूम)	नहीं
21 वीं	2019-20	27 अक्टूबर , 2020	मंगलवार	1130 बजे	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/ अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों ("ओएवीएम") के माध्यम से (आईआरसीटीसी बोर्ड रूम)	नहीं

13.2 असाधारण आम बैठक

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान सदस्यों की कोई असाधारण आम बैठक आयोजित नहीं की गई।

13.3 पोस्टल बैलेट (डाक मतपत्र)

(i) **डाक मतपत्र द्वारा पारित प्रस्तावों का विवरण:**

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, 12 दिसंबर, 2022 को केवल इलेक्ट्रॉनिक साधनों (मरिमोट ई-वोटिंगफ) के माध्यम से मतदान करके डाक मतपत्र के माध्यम से एक सामान्य प्रस्ताव पारित किया गया था , जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

a) साधारण संकल्प: श्री मनोज कुमार गांगेय (DIN: 09744752), ईडी (योजना), रेलवे बोर्ड की कंपनी के बोर्ड में अंशकालिक सरकारी नामित निदेशक के रूप में नियुक्ति।

(ii) **मतदान पैटर्न का विवरण:**

संकल्प	रिमोट ई-वोट्स						प्रस्ताव पास हुआ या नहीं
	डाले गए वोटों की संख्या			वोटों का प्रतिशत (%)			
	पक्ष में	विपक्ष में	कुल	पक्ष में	विपक्ष में	कुल	
कंपनी के बोर्ड में अंशकालिक सरकारी नामित निदेशक के रूप में श्री मनोज कुमार गांगेय (DIN: 09744752), ईडी (योजना), रेलवे बोर्ड की नियुक्ति।	598965767	27240849	626206616	95.65	4.35	100	Passed

(iv) **वह व्यक्ति जिसने उपरोक्त डाक मतपत्र का संचालन किया:**

कुमार नरेश सिन्हा एंड एसोसिएट्स के मालिक श्री नरेश कुमार सिन्हा (खउङख सदस्यता संख्या ऋउड 1807), कंपनी सचिवों ने निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से उपरोक्त डाक मतपत्र का संचालन किया।

(v) **क्या कोई विशेष प्रस्ताव डाक मतपत्र के माध्यम से किया जाना प्रस्तावित है:**

कोई विशेष प्रस्ताव डाक मतपत्र के माध्यम से करने का प्रस्ताव नहीं है।

(vi) **डाक मतपत्र के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया:**

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 110 और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 ("नियम") के नियम 20 और नियम 22 के साथ पठित अधिनियम के अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के अनुसार, समय-समय पर संशोधित, सामान्य परिपत्र संख्या 3/2022 दिनांक 5 मई 2022, के साथ पठित परिपत्र संख्या 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 19/2021 और 21/2021 दिनांक क्रमशः 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 5 मई, 2020, 13 जनवरी, 2021, 8 दिसंबर, 2021, और 14 दिसंबर, 2021 के साथ कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ("एमसीए परिपत्र") और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ("सूचीबद्धता विनियम") और विनियम 44 और 17(13) द्वारा जारी किए गए। अन्य लागू कानून और विनियम (उस समय लागू होने वाले किसी भी सांविधिक संशोधन या पुन: अधिनियमन सहित), कंपनी ने अपने सदस्यों को डाक मतपत्र के माध्यम से केवल दूरस्थ ई-वोटिंग सुविधा प्रदान की, ताकि वे इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकें।

कंपनी ने सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट डालने में सक्षम बनाने के लिए रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा के लिए सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) की सेवाएं लीं। उपर्युक्त एमसीए परिपत्रों के अनुरूप, कंपनी ने केवल अपने पंजीकृत शेयरधारकों को अंतिम तिथि अर्थात 4 नवंबर , 2022 को इलेक्ट्रॉनिक रूप में डाक मतपत्र नोटिस भेजे, जिनकी ई-मेल आईडी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स (डीपी)/रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंटों (आरटीए) के पास पंजीकृत/उपलब्ध थीं। ।

मतदान के अधिकार की गणना कट-ऑफ तिथि यानी 4 नवंबर, 2022 को सदस्यों के नाम पर पंजीकृत शेयरों के चुकता मूल्य पर की गई। इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा अपने वोट का प्रयोग करने के इच्छुक सदस्यों से मतदान समाप्ति ई-वोटिंग की अंतिम तिथि यानी 11 दिसंबर, 2022 को व्यावसायिक अवधि से पहले मतदान करने का अनुरोध किया गया था।

जांच पूरी होने के बाद संवीक्षक ने अपनी रिपोर्ट श्रीमती रजनी हसीजा, निदेशक (पर्यटन और विपणन) और सीएमडी (अतिरिक्त प्रभार) को सौंप दी और उन्होंने संवीक्षक की रिपोर्ट पर प्रतिहस्ताक्षर किए और साथ ही अधिनियम के प्रावधानों, उसके तहत बनाए गए नियमों और सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानक 2 के अनुसार मतदान परिणामों की घोषणा की। परिणाम 12 दिसंबर, 2022 को एक्सचेंजों (बीएसई और एनएसई) में घोषित किए गए थे।

परिणाम कंपनी की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किए गए थे, जिन्हें वेब लिंक: https://www.irctc.com/assets/images/II-SEintimationforintimationforsubmissionofewaultsofevoting121222_sign4.pdf के माध्यम से देखा जा सकता है।

14.0 संचार के साधन

समय-समय पर कंपनी की वेबसाइट यानी www.irctc.com पर किए गए खुलासे के माध्यम से संचार करती है।

- **वार्षिक रिपोर्ट:** वार्षिक रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ, लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण, बोर्ड की रिपोर्ट, लेखापरीक्षक की रिपोर्ट और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी सदस्यों और इसके हकदार अन्य लोगों को परिचालित की जाती है। कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट यानी www.irctc.com पर डाउनलोड करने योग्य रूप में भी उपलब्ध है
- **त्रैमासिक/वार्षिक वित्तीय परिणाम:** कंपनी नियमित रूप से सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 में निर्दिष्ट समय सीमा के अनुसार बोर्ड की मंजूरी के तुरंत बाद स्टॉक एक्सचेंजों को गैर-लेखापरीक्षित और लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों की सूचना देती है। व्यापक प्रसार के लिए कंपनी की वेबसाइट यानी www.irctc.com पर भी होस्ट किया जाता है।
- **समाचार विज्ञप्ति, प्रस्तुतियाँ:** आधिकारिक समाचार विज्ञप्ति और आधिकारिक मीडिया विज्ञप्ति आम तौर पर स्टॉक एक्सचेंजों को भेजी जाती हैं और कंपनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध होती हैं।
- **समाचार पत्र में प्रकाशन:** जैसा कि उल्लेख किया गया है ये वित्तीय परिणाम आम तौर पर देश भर में प्रसारित होने वाले प्रमुख अंग्रेजी और स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित होते हैं। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान तिमाही परिणाम इस प्रकार प्रकाशित किए गए हैं:

तिमाही	प्रकाशन की तिथि	समाचार पत्र संस्करण
Q1 30 जून , 2022 को समाप्त	11 अगस्त 2022	फाइनेंशियल एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस, मिंट और हिंदुस्तान टाइम्स (अंग्रेजी संस्करण) और हिंदुस्तान और जनसत्ता (हिंदी संस्करण)
Q2 और छमाही 30 सितंबर, 2022 को समाप्त	15 नवंबर , 2022	बिजनेस स्टैंडर्ड और इकोनॉमिक टाइम्स (अंग्रेजी संस्करण) और दैनिक जागरण, नवभारत टाइम्स और बिजनेस स्टैंडर्ड (हिंदी संस्करण)
Q3 और नौवां महीना 31 दिसंबर, 2022 को समाप्त	10 फरवरी 2023	डेक्कन क्रॉनिकल, फाइनेंशियल एक्सप्रेस और इंडियन एक्सप्रेस (अंग्रेजी संस्करण) और जनसत्ता और दैनिक जागरण (हिंदी संस्करण)
Q4 और वर्ष समाप्ति 31 मार्च, 2023 को	30 मई , 2023	द स्टेट्समैन, हिंदुस्तान टाइम्स, डेक्कन क्रॉनिकल, मिंट, (अंग्रेजी संस्करण) और हिंदुस्तान हिंदी, और दैनिक सवेरा टाइम्स (हिंदी संस्करण)

- वार्षिक आम बैठक का वेबकास्ट: कंपनी ने 26 अगस्त, 2022 को आयोजित 23वीं वार्षिक आम बैठक की कार्यवाही का लाइव वेबकास्ट किया है ।
- वेबसाइट: कंपनी की वेबसाइट www.irctc.com में अलग समर्पित खंड मनिवेशक संबंधफ है जहां शेयरधारकों के लिए जानकारी उपलब्ध है। पूरी वार्षिक रिपोर्ट, शेयरहोल्डिंग पैटर्न, नीतियां, एमओयू और कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट आदि भी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। कंपनी के संबंध में जानकारी, नवीनतम अपडेट और घोषणाएं नीचे बताए अनुसार कंपनी की वेबसाइट पर देखी जा सकती हैं:
    - त्रैमासिक/अर्धवार्षिक/वार्षिक वित्तीय परिणाम
    - त्रैमासिक शेयरधारिता पैटर्न
    - त्रैमासिक कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट
    - विश्लेषकों के साथ सम्मेलनों की प्रतिलेख
    - समय-समय पर स्टॉक एक्सचेंजों को दी गई सूचनाएं।
    - निवेशकों/विश्लेषकों की बैठक की अनुसूची
    - संस्थागत निवेशकों या विश्लेषकों के समक्ष प्रस्तुतियाँ।
- निवेशकों द्वारा शिकायतें दर्ज करने के उद्देश्य से विशेष रूप से कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी, मुख्य निवेशक संबंध अधिकारी (सीआईआरओ) और अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड (आरटीए) की ई-मेल आईडी वेबसाइट पर "निवेशक संपर्क के तहत निवेशक कॉर्नर" शीर्षक के तहत प्रदर्शित की गई है।
- एनएसई इलेक्ट्रॉनिक एप्लिकेशन प्रोसेसिंग सिस्टम (एनईएपीएस): एनईएपीएस एक वेब-आधारित एप्लिकेशन है जिसे एनएसई द्वारा कॉरपोरेट्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। सभी आवधिक/घटनाक्रम आधारित अनुपालन फाइलिंग जैसे शेयरहोल्डिंग पैटर्न, कॉर्पोरेट गवर्नेस रिपोर्ट, मीडिया विज्ञप्ति, निवेशकों की शिकायतों का विवरण, आदि एनईएपीएस पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से दर्ज किए जाते हैं।
- बीएसई कॉर्पोरेट अनुपालन और लिस्टिंग सेंटर ("लिस्टिंग सेंटर"): बीएसई का लिस्टिंग सेंटर कॉर्पोरेट के लिए डिज़ाइन किया गया एक वेब-आधारित एप्लिकेशन है। सभी आवधिक/घटनाक्रम आधारित अनुपालन फाइलिंग जैसे शेयरहोल्डिंग पैटर्न, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट, मीडिया विज्ञप्ति, निवेशक शिकायतों का विवरण, अन्य के अलावा लिस्टिंग सेंटर पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से दर्ज किए जाते हैं।
- सेबी शिकायत निवारण प्रणाली (SCORES): निवेशकों की शिकायतों को एक केंद्रीकृत वेब-आधारित शिकायत निवारण प्रणाली में संसाधित किया जाता है। इस प्रणाली की मुख्य विशेषताएं हैं: सभी शिकायतों का केंद्रीकृत डेटाबेस, संबंधित कंपनियों द्वारा की गई कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) को ऑनलाइन अपलोड करना और निवेशकों द्वारा शिकायत पर की गई कार्रवाई और उसकी वर्तमान स्थिति को ऑनलाइन देखना।

- निर्दिष्ट विशेष ईमेल-आईडी: कंपनी ने निवेशक सेवाओं के लिए ईमेल आईडी investors@irctc.com और ciro@irctc.com निर्दिष्ट की है।

15.0 शेयरधारकों के लिए सामान्य जानकारी

र. इस वर्ष की वार्षिक आम बैठक:

दिन: शुक्रवार

दिनांक: 25 अगस्त , 2023

समय: दोपहर 12.30 बजे

स्थान: वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से

ल. वित्त वर्ष:

कंपनी का वित्त वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है।

ल. समाप्त तिमाही के लिए वित्तीय कैलेंडर (अस्थायी) परिणाम:

30 जून, 2023 – अगस्त, 2023 का दूसरा सप्ताह

30 सितंबर, 2023 – नवंबर, 2023 का दूसरा सप्ताह

31 दिसंबर, 2023 – फरवरी, 2024 का दूसरा सप्ताह

31 मार्च, 2024 – मई, 2024 का चौथा सप्ताह

वार्षिक आम बैठक – अगस्त, 2024

आईआरसीटीसी की प्रतिभूतियों में लेनदेन के लिए ट्रेडिंग विंडो बंद होने की अवधि स्टॉक एक्सचेंजों को अधिसूचित की जाती है और कंपनी के नामित कर्मचारियों को प्रसारित करने के अलावा कंपनी की वेबसाइट पर भी होस्ट की जाती है। ट्रेडिंग विंडो आम तौर पर कंपनी के मअंदरूनी सूत्रोंफ के लिए प्रत्येक तिमाही के अंत से लेकर तिमाही के वित्तीय परिणाम स्टॉक एक्सचेंजों में दाखिल होने और आम तौर पर उपलब्ध होने के 48 घंटे बाद तक बंद रहती है, जब तक कि कंपनी सचिव द्वारा अन्यथा सूचित न किया जाए।

व. खाताबंदी (बुक क्लोजर):

कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक शनिवार, 19 अगस्त , 2023 से शुक्रवार, 25 अगस्त , 2023 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेंगे।

श. लाभांश वितरण नीति:

कंपनी की लाभांश वितरण नीति उसके निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित है। नीति के पीछे का उद्देश्य मोटे तौर पर उन मापदंडों को निर्दिष्ट करना है जिन पर लाभांश घोषित करते समय विचार किया जाएगा और किन परिस्थितियों में कंपनी के शेयरधारक लाभांश की उम्मीद कर सकते हैं/नहीं कर सकते हैं और बरकरार रखी गई कमाई का उपयोग कैसे किया जाएगा। सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 43अ के प्रावधान के अनुसार, पॉलिसी कंपनी की वेबसाइट पर लिंक, https://irctc.com/assets/images/IRCTC_DIVIDEND%20DISTRIBUTION%20POLICY-31.07.2019_CB%20Comments%20[05.08.2019].pdf पर अपलोड की गई है।

ष. लाभांश का भुगतान:

कंपनी ने फरवरी, 2022 के महीने में 3.50 रु. प्रति इक्विटी शेयर के अंतरिम लाभांश का भुगतान किया था। उपरोक्त के अलावा, कंपनी के निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 2 रु. प्रति इक्विटी शेयर के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है। तदनुसार, यदि आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों द्वारा अंतिम लाभांश को मंजूरी दे दी जाती है, तो इस वर्ष के लिए कुल लाभांश 5.50 रु. प्रति इक्विटी शेयर हो जाएगा।

स. लाभांश का इतिहास:

वित्त वर्ष	कुल चुकता पूंजी (करोड़ रु. में)	भुगतान की गई लाभांश की कुल राशि (करोड़ रु. में)	बोर्ड मीटिंग/एजीएम की तारीख जिसमें लाभांश घोषित किया गया था	अंतरिम/अंतिम
2010-11	20.00	12.16 (6.08 रु. प्रति शेयर)	22 सितम्बर 2011	अंतिम
2011-12	20.00	4.00 (2.00 रु. प्रति शेयर)	29 मार्च 2012	अंतरिम
		5.71 (2.855 रु. प्रति शेयर)	27 सितंबर 2012	अंतरिम
2012-13	20.00	11.77 (5.885 रु. प्रति शेयर)	27 सितंबर 2013	अंतिम
2013-14	20.00	14.40 (7.20 रु. प्रति शेयर)	11 सितंबर 2014	अंतिम
2014-15	20.00	26.13 (13.065 रु. प्रति शेयर)	18 सितंबर 2015	अंतिम
2015-16	20.00	75.45 (37.725 रु. प्रति शेयर)	27 सितंबर 2016	अंतिम

वित्त वर्ष	कुल चुकता पूंजी (करोड़ रु. में)	भुगतान की गई लाभांश की कुल राशि (करोड़ रु. में)	बोर्ड मीटिंग/एजीएम की तारीख जिसमें लाभांश घोषित किया गया था	अंतरिम/अंतिम
2016-17	40.00	37.50 (9.375 रु. प्रति शेयर)	10 मार्च 2017	अंतरिम
		47.18 (11.795 रु. प्रति शेयर)	20 सितम्बर 2017	अंतिम
2017-18	40.00	88.81 (22.202 रु. प्रति शेयर)	27 सितंबर 2018	अंतिम
2018-19	160.00	60.00 (3.75 रु. प्रति शेयर)	20 दिसंबर 2018	अंतरिम
		62.37 (3.898 रु. प्रति शेयर)	28 अगस्त 2019	अंतिम
2019-20	160.00	160.00 (10 रु. प्रति शेयर)	12 फरवरी , 2020	अंतरिम
		40 (2.5 रु. प्रति शेयर)	27 अक्टूबर , 2020	अंतिम
2020-21	160.00	80 (5.00 रु. प्रति शेयर)	29 सितंबर , 2021	अंतिम
2021-22	160.00	160.00 (2.00 रु. प्रति शेयर)	8 फरवरी , 2022	अंतरिम
	160.00	120.00 (1.5 रु. प्रति शेयर)	26 अगस्त 2022	अंतिम
2022-23	160.00	280.00 (3.50 रु. प्रति शेयर)	9 फरवरी 2023	अंतरिम

IEPF के प्रावधानों के तहत कंपनी के नोडल और उप नोडल अधिकारी का विवरण नीचे दिया गया है:

नोडल अधिकारी: श्रीमती सुमन कालरा

कंपनी सचिव

फ़ोन नंबर: +91 11 23327746

ईमेल आईडी: companysecretary@irctc.com

उप नोडल अधिकारी: श्री प्रशांत सिंह

सहायक प्रबंधक/सचिवीय

फ़ोन नंबर: +91 11 23311263

ईमेल आईडी: prasant.singh@irctc.com <mailto:prasant.singh@irctc.com>

कंपनी के नोडल अधिकारी और उप नोडल अधिकारी का विवरण और अवैतनिक लाभांश राशि और आईईपीएफ को हस्तांतरित शेयरों से संबंधित अन्य विवरण वेबसाइट पर वेब लिंक <https://irctc.com/assets/images/Nodal%20&%20Deputy%20Nodal%20Officer%20for%20IEPF.pdf> पर उपलब्ध हैं।

ह. **स्टॉक एक्सचेंजों पर लिस्टिंग (सूचीबद्धता):**

कंपनी निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध है।

बीएसई लिमिटेड (बीएसई)	**नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई)**
पता: फ़िरोज़ जीजीभॉय टावर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई - 400 001 स्क्रिप कोड: 542830 **ISIN:** INE335Y01020	**पता:** एक्सचेंज प्लाजा, प्लॉट नंबर सी/1, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051 सिम्बल: **IRCTC ISIN:** INE335Y01020

वित्त वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक सूचीबद्धता शुल्क का भुगतान नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड को कर दिया गया है। एनएसडीएल और सीडीएसएल को वार्षिक कस्टोडियन शुल्क का भुगतान भी वित्त वर्ष 2022-23 के लिए किया गया है।

i. **आईआरसीटीसी का बाजार मूल्य डेटा और सूचकांकों की तुलना में निष्पादन:**

बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी के साथ आईआरसीटीसी शेयर मूल्य (01.04.2022 से 31.03.2023 तक) की तुलना नीचे दी गई है:

i. बीएसई सेंसेक्स और आईआरसीटीसी शेयर की कीमत

महीना	**बीएसई सेंसेक्स**			**बीएसई पर आईआरसीटीसी के शेयर की कीमत**		
	उच्च	**निम्न**	**बंद**	**उच्च(₹)**	**निम्न(₹)**	**बंद (₹)**
अप्रैल-22	60845.10	56009.07	57060.87	840.05	740.50	746.30
मई-22	57184.21	52632.48	55566.41	744.70	618.00	692.95
जून-22	56432.65	50921.22	53018.94	699.00	568.60	576.40
जुलाई-22	57619.27	52094.25	57570.25	642.00	557.00	637.65
अगस्त-22	60411.20	57367.47	59537.07	752.80	631.00	710.20
सितम्बर 22	60676.12	56147.23	57426.92	738.15	661.00	706.85
अक्टूबर-22	60786.70	56683.40	60746.59	756.00	672.50	741.20
नवम्बर-22	63303.01	60425.47	63099.65	775.00	710.00	735.80
दिसम्बर-22	63583.07	59754.10	60840.74	742.30	605.05	639.75
जनवरी-23	61343.96	58699.20	59549.90	654.30	601.10	637.25
फ़रवरी-23	61682.25	58795.97	58962.12	656.60	595.00	609.10
मार्च-23	60498.48	57084.91	58991.52	621.40	557.15	573.00

ii. **बीएसई सेंसेक्स की तुलना में आईआरसीटीसी शेयर की कीमत का निष्पादन:**

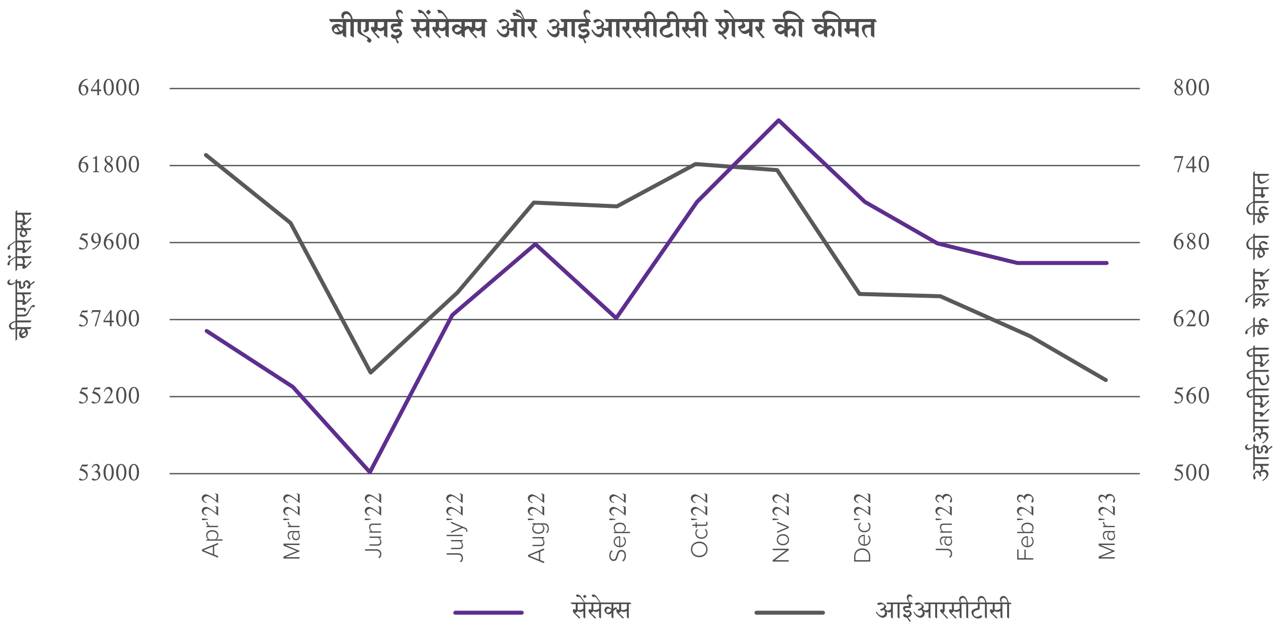

iii. **NSE निफ्टी और आईआरसीटीसी शेयर कीमत**

महीना	एनएसई निफ्टी			एनएसई पर आईआरसीटीसी के शेयर की कीमत		
	उच्च	निम्न	बंद	उच्च(₹)	निम्न(₹)	बंद (₹)
अप्रैल-22	18114.65	16824.70	17102.55	840.95	740.00	745.95
मई-22	17132.85	15735.75	16584.55	744.70	618.00	692.65
जून-22	16793.85	15183.40	15780.25	698.85	568.45	576.20
जुलाई-22	17172.80	15511.05	17158.25	640.00	557.00	637.10
अगस्त-22	17992.20	17154.80	17759.30	752.75	631.05	710.75
सितम्बर 22	18096.15	16747.70	17094.35	738.00	661.00	706.00
अक्टूबर-22	18022.80	16855.55	18012.20	756.00	700.10	741.20
नवम्बर-22	18816.05	17959.20	18758.35	774.90	710.60	736.20
दिसम्बर-22	18887.60	17774.25	18105.30	742.50	605.00	639.70
जनवरी-23	18251.95	17405.55	17662.15	654.80	601.00	636.60
फ़रवरी-23	18134.75	17255.20	17303.95	656.70	595.00	609.25
मार्च-23	17799.95	16828.35	17359.75	621.40	557.10	572.80

iv. **एनएसई निफ्टी की तुलना में आईआरसीटीसी शेयर की कीमत का निष्पादन:**

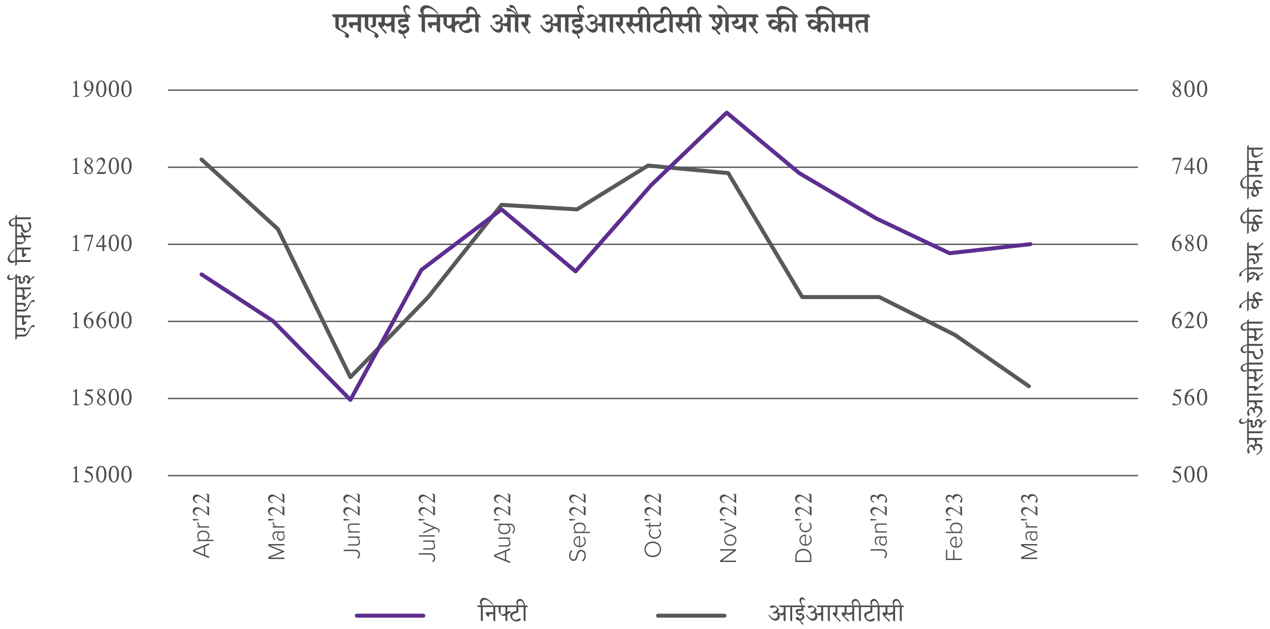

क्ष. **वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान कंपनी की प्रतिभूतियों को व्यापार से निलंबित नहीं किया गया है।**

ज्ञ. **शेयरों के लिए रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट:**

अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड,
पता: 4ए/2, अलंकित हाउस,
झंडेवालान एक्सटेंशन,
झंडेवालान मेट्रो स्टेशन के पास,
नई दिल्ली-110055
ईमेल आईडी: rta@alankit.com
फ़ोन नंबर: 011-42541234

श्र. **शेयर हस्तांतरण प्रणाली:**

सेबी ने निर्धारित किया है कि 1 अप्रैल, 2019 से, प्रतिभूतियों के प्रभावी हस्तांतरण (ट्रांसमिशन या ट्रांसपोज़िशन मामलों को छोड़कर) के अनुरोधों पर तब तक कार्रवाई नहीं की जाएगी जब तक कि प्रतिभूतियों को डिपॉजिटरी के पास डिमैटेरियलाइज्ड रूप में नहीं रखा जाता है। हालाँकि, निवेशकों को शेयरों को मूर्त रूप में रखने पर रोक नहीं है।

अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड फिजिकल और डीमैट शेयरों के लिए रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) है और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) दोनों के साथ कंपनी का डिपॉजिटरी इंटरफेस भी है।

री-मैटेरियलाइजेशन, समेकन और डुप्लिकेट शेयरों को जारी करने के लिए प्राप्त अनुरोध की देखरेख शेयर प्रमाणपत्र जारी करने के लिए

शेयर हस्तांतरण समिति द्वारा की जाती है। इस प्रकार समीक्षा की गई प्रतिभूतियों के हस्तांतरण/संचरण का सारांश शेयर प्रमाणपत्र जारी करने के लिए समिति के कार्यवृत्त के साथ बोर्ड बैठकों में रखा जाता है। विधिवत समर्थित शेयर प्रमाणपत्र आरटीए द्वारा शेयरधारकों को भेजे जाते हैं। शेयरों के डीमैटरियलाइजेशन के अनुरोधों के संबंध में पुष्टि संबंधित डिपॉजिटरी यानी एनएसडीएल और सीडीएसएल को शीघ्रता से भेजी जाती है।

इस रिपोर्ट वर्ष के दौरान, आरटीए द्वारा मूर्त रूप में रखे गए शेयरों के हस्तांतरण के लिए कोई अनुरोध पर कार्रवाई नहीं की गई थी।

सेबी ने 3 नवंबर, 2021 और 14 दिसंबर, 2021 के परिपत्र के माध्यम से, अन्य बातों के अलावा, फिजिकल प्रतिभूतियों के धारकों के लिए अपने पैन को आधार से जोड़ने के अलावा, पैन, ईमेल पता, मोबाइल नंबर, बैंक खाता और नामांकन विवरण प्रस्तुत/अद्यतन करना अनिवार्य कर दिया है। उक्त परिपत्र में यह भी निर्धारित किया गया है कि वे फोलियो जिनमें 1 अप्रैल, 2023 को या उसके बाद उपरोक्त विवरण में से कोई भी एक या अधिक उपलब्ध नहीं है, उन्हें फ्रीज कर दिया जाएगा और निवेशक आर एंड टीए से शिकायत दर्ज करने या सेवा अनुरोध प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होगा और फिजिकल मोड में लाभांश प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होगा। इसे ध्यान में रखते हुए, फिजिकल मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे पैन, केवाईसी विवरण और नामांकन फॉर्म तुरंत कंपनी / आर एंड टीए को निर्धारित फॉर्म (निम्नानुसार) में प्रस्तुत करें, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके फोलियो अप्रैल 1, 2023 या उसके बाद फ्रीज नहीं किए जाएं।

विधिवत भरे हुए फॉर्म हस्ताक्षरित दस्तावेजों/विवरणों (तारीख के साथ स्वप्रमाणित) के साथ अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड (यूनिट: आईआरसीटीसी लिमिटेड), 205-208, अनारकली कॉम्प्लेक्स, झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110055 को या kycupdate@alankit.com पर ईमेल के माध्यम से प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 40(9) और (10) के अनुसार, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव से प्रमाण पत्र यह पुष्टि करता है कि सभी प्रमाणपत्र हस्तांतरण, उप-विभाजन, समेकन के लिए आवेदन की तारीख के तीस दिनों के भीतर जारी किए गए थे। कॉल/आवंटन राशि का नवीनीकरण, विनिमय या समर्थन वार्षिक आधार पर निर्धारित समय के भीतर स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत किया गया था।

m. **31 मार्च, 2023 तक शेयरधारिता पैटर्न:**

i. **31 मार्च, 2023 तक विभिन्न श्रेणियों की शेयरधारिता:**

श्रेणी	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की कुल संख्या	धारिता % में
भारत के राष्ट्रपति (भारत सरकार)	1	499172170	62.40
केंद्र सरकार	1	5066	0.00
म्यूचुअल फंड्स	22	6852906	0.86
वैकल्पिक निवेश कोष	1	2769	0.00
विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक	425	52233845	6.53
वित्तीय संस्थान/बैंक	4	1094910	0.14
बीमा कंपनी	9	71854781	8.98
भविष्य निधि/पेंशन निधि	1	600573	0.08
निवासी व्यक्ति	2097259	157070235	19.63
आरबीआई के साथ पंजीकृत एनबीएफसी	4	23835	0.00
निकाय कॉर्पोरेट	1885	3467564	0.43
समाशोधन सदस्य	105	173079	0.02
कर्मचारी	258	200989	0.03
अनिवासी भारतीय (एनआरआई)	9891	2805049	0.35
विदेशी नागरिक	2	283	0
एचयूएफ	13501	3054314	0.38
न्यास	16	334743	0.04
अनिवासी गैर प्रत्यावर्तित	4962	1048089	0.13
विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (श्रेणी-III)	1	4800	0.00
कुल	**2128348**	**800000000**	**100.00**

ii) 31 मार्च, 2023 तक होल्डिंग के आकार के अनुसार आईआरसीटीसी के शेयरों का वितरण:

विवरण	शेयरधारकों की संख्या			धारक का %	शेयरों की संख्या			शेयर धारिता का %
	फिजिकल धारक	डीमैट धारक	कुल धारक		फिजिकल धारक	डीमैट धारक	कुल धारक	
1 से 500	3	2083943	2083946	97.91	135	108203684	108203819	13.53
501 से 1000	0	28822	28822	1.35	0	20873729	20873729	2.61
1001 से 2000	0	10073	10073	0.47	0	14243645	14243645	1.78
2001 से 3000	0	2517	2517	0.12	0	6258040	6258040	0.78
3001 से 4000	0	953	953	0.04	0	3351252	3351252	0.42
4001 से 5000	0	594	594	0.03	0	2768838	2768838	0.35
5001 से 10000	1	779	780	0.04	7500	5444153	5451653	0.68
10001 से अधिक*	0	663	663	0.03	0	638849024	638849024	79.86
कुल	4	**2128344**	**2128348**	**100.00**	7635	**799992365**	**800000000**	**100.00**

*इसमें भारत के राष्ट्रपति के 499172170 इक्विटी शेयर शामिल हैं।

iii) 31 मार्च, 2023 तक शीर्ष 10 शेयरधारक:

श्रेणी	शेयरों की कुल संख्या	धारिता % में
भारत के राष्ट्रपति	499172170	62.3965
भारतीय जीवन बीमा निगम - पी एंड जीएस फंड	67413186	8.4266
वैनगार्ड इमर्जिंग मार्केट्स स्टॉक इंडेक्स फंड, वैनगार्ड इंटरनेशनल इक्विटी इंडेक्स फंड की एक शृंखला	4196138	0.5245
वैनगार्ड टोटल इंटरनेशनल स्टॉक इंडेक्स फंड	3949253	0.4936
सिंगापुर सरकार	2880463	0.3600
ईशारेस कोर इमर्जिंग मार्केट्स मॉरीशस कंपनी	2452282	0.3065
एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	2320687	0.2900
पीपल्स बैंक ऑफ चाइना	1907831	0.2384
सरकारी पेंशन फंड ग्लोबल	1832000	0.2290
वैनगार्ड फिडुशियरी ट्रस्ट कंपनी इंस्टीट्यूशनल टोटल इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट इंडेक्स ट्रस्ट II	1828482	0.2285
कुल	**587952492**	**73.4936**

iv.) 31 मार्च, 2023 तक शेयरधारकों का भौगोलिक वितरण

शहर का नाम	फोलियो/धारकों की संख्या	% आयु	धारिता	% आयु
नयी दिल्ली*	112007	5.11	510708565	63.84
मुंबई	162309	7.41	151322305	18.92
बेंगलुरु	69264	3.16	7456771	0.93
पुणे	68170	3.11	5854288	0.73
कलकत्ता	54316	2.48	6079851	0.76
हैदराबाद	42932	1.96	4452446	0.56
अहमदाबाद	40548	1.85	4109433	0.51
चेन्नई	40965	1.87	4459295	0.56
मुंबई-कल्याण	34077	1.56	1820640	0.23
सूरत	8596	0.39	407381	0.05
अन्य शहर	1495164	71.10	103329025	12.91
कुल	**2128348**	**100**	**800000000**	**100**

*इसमें राष्ट्रपति के पास 499172170 इक्विटी शेयर शामिल हैं।

प. शेयरों और नकदी का डीमैटेरियलाइजेशन:

कंपनी के शेयर डीमैटेरियलाइज्ड प्रारूप में हैं और दोनों डिपॉजिटरी यानी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के सिस्टम के तहत ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध हैं।

शेयर पूंजी लेखापरीक्षा का मिलान यह पुष्टि करता है कि कंपनी की कुल जारी पूंजी भौतिक रूप में शेयरों की कुल संख्या और एनएसडीएल और सीडीएसएल के पास रखे गए डिमैटेरियलाइज्ड शेयरों की कुल संख्या के साथ मेल खाती है, इसे तिमाही आधार पर बोर्ड के समक्ष रखा जाता है और निर्धारित समय सीमा के भीतर स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत किया जाता है। 31 मार्च, 2023 तक कंपनी के लगभग 99.99% से अधिक इक्विटी शेयर डीमैटेरियलाइज्ड रूप में हैं।

31 मार्च, 2023 तक डीमैटेरियलाइज्ड और फिजिकल मोड में रखे गए शेयरों की संख्या

विवरण	कुल शेयर	इक्विटी का %*
मूर्त रूप में रखे गए शेयर	7,635	Negligible
एनएसडीएल के साथ डीमैटेरियलाइज्ड रूप में शेयर	69,99,84,528	87.50
सीडीएसएल के साथ डीमैटेरियलाइज्ड रूप में शेयर	10,00,07,837	12.50
कुल	**80,00,00,000**	**100**

*दो दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित किया गया है

डिपॉजिटरी के पत्राचार विवरण इस प्रकार हैं:

विवरण	नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड	सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड
पता	ट्रेड वर्ल्ड, ए-विंग, चौथी मंजिल, कमला मिल्स कंपाउंड, लोअर परेल, मुंबई - 400 013	मैराथन फ्यूचरएक्स, ए-विंग, 25वीं मंजिल, एनएम जोशी मार्ग, लोअर परेल, मुंबई - 400 013
टेलीफ़ोन	+91-22-2499 4200 1-800-222-990	+91-22-2305 8640/24/39/42/63 1-800-22-5533
ईमेल	relations@nsdl.co.in info@nsdl.co.in	helpdesk@cdslindia.com complaints@cdslindia.com
वेबसाइट	https://nsdl.co.in/	www.cdslindia.com

०. चुकता इक्विटी शेयर पूंजी का इतिहास

वित्त वर्ष	आवंटन की तिथि	इक्विटी शेयरों की संख्या	अंकित मूल्य	इक्विटी शेयरों की संचयी संख्या	संचयी चुकता इक्विटी शेयर पूंजी	लेन-देन की प्रकृति और आवंटी का नाम
1999-00	27 सितंबर 1999	7	10	7	70	एमओए को अंशदान
2000-01	30 जून 2000	4,999,993	10	5,000,000	50,000,000	आगे जारी
2001-02	3 अगस्त 2001	15,000,000	10	20,000,000	200,000,000	आगे जारी
2017-18	30 मार्च 2017	20,000,000	10	40,000,000	400,000,000	1:1 के अनुपात में बोनस जारी
2019-20	29 मार्च 2019	120,000,000	10	160,000,000	1,600,000,000	3:1 के अनुपात में बोनस जारी
2021-22	29 अक्टूबर, 2021 (रिकॉर्ड तिथि)	-	2	800,000,000	1,600,000,000	1:5 के अनुपात में विभाजित

p. **कमोडिटी मूल्य जोखिम या विदेशी मुद्रा जोखिम और हेजिंग गतिविधियाँ:**

इस खंड के तहत प्रकटीकरण कंपनी पर लागू नहीं है

q. **बकाया जीडीआर/एडीआर/वारंट या कोई परिवर्तनीय दस्तावेज:**

कंपनी ने कोई जीडीआर/एडीआर/वारंट या कोई परिवर्तनीय दस्तावेज जारी नहीं किया है जिसका इक्विटी पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए, 31 मार्च, 2023 तक कोई जीडीआर/एडीआर/वारंट/परिवर्तनीय दस्तावेज बकाया नहीं हैं।

r. **संयंत्र स्थान/प्रचालन यूनिट**

कंपनी का पंजीकृत और कॉर्पोरेट कार्यालय दिल्ली में स्थित है। इसके अलावा, कंपनी अपने रेल नीर संयंत्रों के साथ-साथ भारत भर में विभिन्न जोनल और क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से काम करती है। विभिन्न राज्यों में रेल नीर संयंत्रों और क्षेत्रीय कार्यालयों की सूची कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

s. **पंजीकृत कार्यालय के साथ पत्राचार का पता (इस रिपोर्ट के अंतर्गत आने वाले कॉरपोरेट गवर्नेंस मामलों के संबंध में)**

श्रीमती सुमन कालरा,
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी
11 वीं मंजिल, बी-148, स्टेट्समैन हाउस,
बाराखंभा रोड, नई दिल्ली110001
टेलीफोन: 91-11-23327746
ई-मेल आईडी: companysecretary@irctc.com
वेबसाइट: www.irctc.com

t. **मुख्य निवेशक संबंध अधिकारी (सीआईआरओ) का संपर्क विवरण:**

सीआईआरओ की अध्यक्षता वाला विभाग निकट संपर्क बनाए रखने और भारत और विदेशों में टेली-कॉन्फ्रेंसिंग, निवेश बैंकरों, अनुसंधान विश्लेषकों और संस्थागत निवेशकों के साथ नियमित बातचीत सहित आवधिक बैठकों के माध्यम से जानकारी साझा करने में सहायक है।

कंपनी द्वारा सीआईआरओ के रूप में नियुक्त एजीएम/वित्त/लेखा श्री अनिल कुमार शर्मा को निष्पक्ष और पक्षपात रहित तरीके से यूपीएसआई की सूचना के प्रसार और प्रकटीकरण से निपटने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सीआईआरओ का संपर्क विवरण कंपनी की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया है और इसे यहां भी दिया गया है:

श्री अनिल कुमार शर्मा,
एजीएम/वित्त
11 वीं मंजिल, बी-148, स्टेट्समैन हाउस,
बाराखंभा रोड, नई दिल्ली110001
टेलीफोन: 91-11-23701230
ई-मेल आईडी: ciro@irctc.com
वेबसाइट: www.irctc.com <http://www.irctc.com>

u. **कंपनी द्वारा प्राप्त सभी क्रेडिट रेटिंग की सूची:**

कंपनी ने 2022-23 के दौरान किसी भी एजेंसी द्वारा कोई क्रेडिट रेटिंग नहीं ली है।

v. **निदेशकों और अधिकारियों का बीमा**

आईआरसीटीसी के पास निदेशक और अधिकारी बीमा पॉलिसी (डी एंड ओ पॉलिसी) मौजूद है। सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन 25 (10) के अनुसार, वर्तमान डी एंड ओ नीति कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों को भी कवर करती है।

16.0 अन्य खुलासे (प्रकटीकरण)

(i) आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेनदेन पर प्रकटीकरण, जिसका बड़े पैमाने पर कंपनी के हितों के साथ संभावित टकराव हो सकता है: संबंधित पक्ष के साथ लेनदेन स्वतंत्र संव्यवहार के आधार पर व्यापार के सामान्य क्रम में हैं और इसका खुलासा कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 और प्रासंगिक लेखा मानक (कंपनी के वित्तीय विवरण के नोट्स में) की आवश्यकता के अनुसार किया गया है। कंपनी ने संबंधित पार्टी लेनदेन के लिए आर्थिक सीमा निर्धारित करने और अधिनियम और लिस्टिंग विनियमों के आधार पर कंपनी और उसके संबंधित पक्षों के बीच लेनदेन से निपटने के तरीके को निर्धारित करने के लिए एक संबंधित पार्टी लेनदेन (आरपीटी) नीति तैयार की है। आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण कोई भी संबंधित पक्ष लेनदेन नहीं था, जिसका बड़े पैमाने पर कंपनी के हितों के साथ संभावित टकराव हो।

(ii) सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 और कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार प्रकटीकरण आवश्यकताएँ: कंपनी ने सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015, कंपनी अधिनियम, 2013, लागू सचिवीय मानकों और कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशानिर्देश, समय-समय पर संशोधित की सभी आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, इस वर्ष के लिए स्वतंत्र महिला निदेशक सहित स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या की नियुक्ति को छोड़कर, जिसके कारण 31 मार्च, 2023 को कंपनी निदेशक मंडल की संरचना के संबंध में गैर-अनुपालक रही थी।

कंपनी ने पहले ही रेल मंत्रालय, भारत सरकार, यानी नियुक्ति प्राधिकारी से अनुरोध किया है कि कंपनी के बोर्ड में महिला स्वतंत्र निदेशक सहित आवश्यक संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति में तेजी लाई जाए, ताकि कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू सांविधिक प्रावधान, सेबी एलओडीआर विनियम और कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशानिर्देश का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

(iii) **पिछले तीन वर्षों के दौरान गैर-अनुपालन, स्टॉक एक्सचेंज या किसी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा लगाए गए दंड संरचना या पूंजी बाजार से संबंधित किसी भी मामले का विवरण:**

पिछले तीन वर्षों के दौरान, पूंजी बाजार या सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों से संबंधित किसी भी मामले पर, किसी भी स्टॉक एक्सचेंज या सेबी या किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा कंपनी पर कोई जुर्माना नहीं लगाया गया था और/या कोई सख्त कदम नहीं उठाया गया था, सिवाय इसके कि जैसा कि इसमें बताया गया है। सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार कंपनी के निदेशक मंडल का आधा हिस्सा स्वतंत्र नहीं था, जिसमें एक महिला स्वतंत्र निदेशक भी शामिल थी, जैसा कि निदेशक

मंडल की संरचना के संबंध में सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन 17(1) और कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशानिर्देशों के पैरा 3.1.4 के तहत आवश्यक है।

कंपनी के पास सांविधिक और प्रक्रियात्मक अनुपालन की निगरानी के लिए सिस्टम मौजूद हैं। बोर्ड को तिमाही आधार पर इसकी स्थिति बताई जाती है ताकि कंपनी पर लागू सभी कानूनों का उचित अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

(iv) **सतर्कता तंत्र:** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के अनुसार, कंपनी पुष्टि करती है कि उसके सभी कर्मचारियों और ग्राहकों के लिए किसी भी अवैध या अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी के बारे में सीवीओ या आईआरसीटीसी की व्हिसल ब्लोअर नीति के माध्यम से सीधे अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को रिपोर्ट करने के लिए सतर्कता तंत्र मौजूद है। सतर्कता विभाग का नेतृत्व वर्तमान में पूर्णकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी करते हैं। आईआरसीटीसी के सतर्कता विभाग में सीवीओ समेत 13 अधिकारी शामिल हैं। वर्ष के दौरान, प्रणाली और प्रक्रियाओं में सुधार के लिए मनिवारक सतर्कताफ पर जोर जारी रहा, जिससे पारदर्शिता, जवाबदेही बढ़ी और विवेक की गुंजाइश कम हुई।

आईआरसीटीसी की व्हिसल ब्लोअर नीति अपनी सभी व्यावसायिक गतिविधियों में नैतिक व्यवहार को भी बढ़ावा देती है। कंपनी आगे पुष्टि करती है कि किसी भी कार्मिक को लेखापरीक्षा समिति तक पहुंच से वंचित नहीं किया गया है। व्हिसलब्लोअर नीति का उद्देश्य ऐसा कामकाजी माहौल प्रदान करना है जहां कर्मचारी किसी भी गलत काम और अस्वीकार्य पद्धतियों के बारे में चिंता व्यक्त करने में सुरक्षित महसूस करते हैं जो उन्हें लगता है कि कंपनी द्वारा अपनाई जा रही हैं। इसका उद्देश्य अपने उन कर्मचारियों की सुरक्षा करना है जो कंपनी में अनियमितताओं के बारे में चिंता जताते हैं। व्हिसलब्लोअर नीति कंपनी की वेबसाइट पर वेब-लिंक https://www.irctc.com/assets/images/Whistle_Blowers_new.pdf पर उपलब्ध है।

(v) **वेब लिंक जहां मभौतिकफसहायक कंपनियों के निर्धारण के लिए नीति का खुलासा किया गया है:** कंपनी की वर्तमान में कोई सहायक कंपनी नहीं है। भौतिक सहायक कंपनी के निर्धारण के लिए नीति का वेब-लिंक https://irctc.com/assets/images/IRCTC-Policy%20for%20determining%20Material%20Subsidiary.pdf पर अपलोड किया गया है।

(vi) **वेब लिंक जहां संबंधित पार्टी लेनदेन से निपटने की नीति है:** संबंधित पार्टी लेनदेन से निपटने वाली नीति का वेब-लिंक https://www.irctc.com/assets/images/IRCTC%20RPT_07112022.pdf पर अपलोड किया गया है।

(vii) **सेबी एलओडीआर के विनियमन 32 (7अ) के तहत निर्दिष्ट अधिमान्य आवंटन या योग्य संस्थान प्लेसमेंट के माध्यम से जुटाए गए धन के उपयोग का विवरण:** वर्ष के दौरान, अधिमान्य आवंटन या योग्य संस्थान प्लेसमेंट के माध्यम से कोई धन नहीं जुटाया गया है।

(viii) **निदेशकों की अयोग्यता के लिए प्रमाण पत्र:** सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 34(3) और अनुसूची V पैरा C खंड (10)(i) के अनुसार: मेसर्स कुमार नरेश सिन्हा एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव से एक प्रमाण पत्र के अनुसार कंपनी के बोर्ड के किसी भी निदेशक को बोर्ड/कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय या ऐसे किसी सांविधिक प्राधिकारी द्वारा कंपनियों के निदेशक के रूप में नियुक्त होने या बने रहने से रोका या अयोग्य नहीं ठहराया गया है। **परिशिष्ट इ-4**"।

(ix) **बोर्ड की समितियों की सिफारिशें:** 2022-23 के दौरान, बोर्ड ने समय-समय पर बोर्ड की समितियों द्वारा की गई सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है।

(x) **कंपनी द्वारा समेकित आधार पर सांविधिक लेखा परीक्षक को भुगतान की गई सभी सेवाओं के लिए कुल शुल्क :** समेकित आधार पर वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान सांविधिक लेखापरीक्षक को किए गए भुगतान का विवरण नीचे दिया गया है:

क्रमांक	विवरण	राशि (करोड़ रु. में)
1.	सांविधिक लेखापरीक्षा शुल्क, कर लेखापरीक्षा शुल्क और सीमित समीक्षा शुल्क	0.31

वर्ष 2022-23 के लिए कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत खुलासा: कंपनी कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए प्रतिबद्ध है और ऐसी किसी भी घटना की रिपोर्टिंग की स्थिति में त्वरित कार्रवाई करती है।

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान यौन उत्पीड़न के तहत तीन (3) शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें से दो (2) का निपटारा वर्ष के दौरान किया गया। हालाँकि, 31 मार्च, 2023 तक, एक (1) शिकायत लंबित थी, जिसे भी वित्त वर्ष की समाप्ति के बाद हल कर दिया गया है।

(xii) **बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता:**

कंपनी ने मबोर्ड सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए व्यवसाय और नैतिकता का मॉडल कोड ("कोड") अपनाया है। कोड कंपनी की वेबसाइट <https://www.irctc.com/assets/images/CODE%20OF%20CONDUCT%20FOR%20IRCTC%20030223(1)3mar.pdf पर उपलब्ध है।

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 और कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशानिर्देशों की आवश्यकता के अनुसार, बोर्ड के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी की आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

2022-23 के दौरान निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंधन के सदस्यों से आचार संहिता और प्रमुख मूल्यों के अनुपालन की प्राप्ति की पुष्टि करते

हुए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा को परिशिष्ट- " इ-1" के रूप में रखा गया है ।

(xiii) **आईआरसीटीसी लिमिटेड की प्रतिभूतियों में अंदरूनी ट्रेडिंग की रोकथाम के लिए कोड:**

समय-समय पर संशोधित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अंदरूनी ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015 के अनुसरण में, कंपनी ने मअंदरूनी सूत्रों द्वारा ट्रेडिंग को विनियमित करने, निगरानी करने और रिपोर्ट करने के लिए आचार संहिताफ और मअंदरूनी ट्रेडिंग की रोकथाम के लिए निष्पक्ष प्रकटीकरण पद्धति संहिताफ तैयार और कार्यान्वित की है। ।

संहिता का उद्देश्य अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी के आधार पर किसी अंदरूनी सूत्र द्वारा कंपनी के शेयरों की खरीद और/या बिक्री को रोकना है। इस संहिता के तहत, नामित कर्मचारी/अंदरूनी सूत्र (सभी निदेशक और मुख्य सतर्कता अधिकारी, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, सभी समूह महाप्रबंधक, सभी महाप्रबंधक, यूनिटों/प्रभागों/क्षेत्रों के सभी वित्त प्रमुख, सभी क्षेत्रों/क्षेत्रों/संयंत्रों के प्रमुख (चाहे कोई भी हो) पदनाम), डीजीएम और उससे ऊपर के स्तर के सभी कर्मचारी, कॉर्पोरेट वित्त के बहीखाता, बजट, वित्तीय सेवा और प्रत्यक्ष कराधान अनुभाग में काम करने वाले सभी कर्मचारी, कंपनी सचिवालय और कानूनी विभाग में काम करने वाले सभी कर्मचारी, सीएमडी के सचिवालय में काम करने वाले सभी कर्मचारी / कार्यात्मक निदेशक, कोई भी सहायक कर्मचारी जैसे कि आईटी कर्मचारी जिनकी यूपीएसआई तक पहुंच है और कोई अन्य प्रमुख व्यक्ति, जो अनुपालन अधिकारी की राय में "नामित कर्मचारी" में शामिल हैं और उनके निकट के रिश्तेदारों को ट्रेडिंग विंडो बंद होने और अन्य निर्दिष्ट अवधि के दौरान कंपनी के शेयरों/ कंपनी के डेरिवेटिव में सौदा करने से प्रतिबंधित किया गया है।

निर्धारित कोड के अनुसार, आईआरसीटीसी की प्रतिभूतियों में निर्दिष्ट सीमा से परे लेनदेन करने के लिए अनुपालन अधिकारी की अनुमति की आवश्यकता होती है। सभी नामित कर्मचारियों को संहिता में परिभाषित अनुसार समय-समय पर संबंधित जानकारी का खुलासा करना भी आवश्यक है।

अंदरूनी (इनसाइडर) ट्रेडिंग कोड की प्रति कंपनी की वेबसाइट पर इस लिंक पर उपलब्ध है: https://www.irctc.com/assets/images/Amended%20Code%2008.02.2022.pdf

(xiv) कंपनी ने बोर्ड, समितियों और कॉर्पोरेट गवर्नेंस से संबंधित सेबी (एलओडीआर) विनियमों के विनियम 17 से 27, समय-समय पर संशोधित की आवश्यकताओं; और सेबी (एलओडीआर) विनियमों के विनियम 46 के तहत आवश्यक कंपनी की वेबसाइट को बनाए रखने और अद्यतन करने का अनुपालन किया है, सिवा वर्ष के लिए आवश्यक संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के, जिसके कारण कंपनी निदेशक मंडल और उनकी समितियों की संरचना के संबंध में गैर-अनुपालक रही थी। कंपनी ने सेबी (एलओडीआर) विनियमों की अनुसूची V के भाग C के अनुसार कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट के तहत प्रकटीकरण आवश्यकताओं का भी अनुपालन किया है। इसके अलावा, सेबी (एलओडीआर) विनियमों के विनियम 46 के अनुपालन में, कंपनी ने अन्य बातों के साथ-साथ कंपनी के व्यवसाय का विवरण, निदेशक मंडल की विभिन्न समितियों की संरचना, व्यवसाय आचरण संहिता और बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन आदि के लिए नैतिकता जैसी प्रासंगिक जानकारी का खुलासा अपनी वेबसाइट https://www.irctc.com/Disclosure_under_Regulation_46_of_SEBI_(LODR)_Regulations.html पर किया है।

(xv) **डीमैट उचंत खाते/दावा नहीं किए उचंत खाते के संबंध में प्रकटीकरण:**

विवरण	शेयरधारकों की संख्या	इक्विटी शेयरों की संख्या
1 अप्रैल, 2022 तक उचंत खाते में शेयरधारकों की कुल संख्या और बकाया शेयर	1	200
वे शेयरधारक जिन्होंने वर्ष के दौरान उचंत खाते से शेयरों के हस्तांतरण के लिए कंपनी से संपर्क किया	1	200
वे शेयरधारक जिन्हें वर्ष के दौरान उचंत खाते से शेयर हस्तांतरित किए गए थे	1	200
वे शेयरधारक जिनके शेयर अधिनियम की धारा 124 के अनुसार आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में स्थानांतरित किए जाते हैं	शून्य	शून्य
31 मार्च, 2023 तक उचंत खाते में शेयरधारकों की कुल संख्या और बकाया शेयर	शून्य	शून्य

31 मार्च 2023 तक , कंपनी के पास डीमैट उचंत खाते या दावा नहीं किए उचंत खाते में कोई शेयर नहीं है।उन फर्मों/कंपनियों को ऋण की प्रकृति में ऋण और अग्रिम, जिनमें निदेशकों की रुचि है, नाम और राशि के अनुसार: जिन फर्मों/कंपनियों में निदेशक रुचि रखते हैं, उनके लिए ऋण की प्रकृति में कोई ऋण और अग्रिम नहीं हैं।

(xvii) **दावा नहीं किया लाभांश:** कंपनी के अदत्त लाभांश खाते में हस्तांतरण की तारीख से सात वर्षों तक अदत्त/दावा नहीं किये शेष लाभांश की राशि को केंद्र सरकार द्वारा प्रशासित निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में हस्तांतरित किया जाना आवश्यक है। अभी तक, निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में हस्तांतरण के लिए कोई राशि देय नहीं है।

हालाँकि, वित्त वर्ष 2019-20 के अंतरिम लाभांश, वित्त वर्ष 2019-20 के अंतिम लाभांश, वित्त वर्ष 2020-21 के अंतिम लाभांश, वित्त वर्ष 2021-22 के अंतरिम लाभांश के लिए 31 मार्च, 2023 तक अदत्त/दावा नहीं किये लाभांश की राशि। वित्त वर्ष 2022-23 का अंतरिम लाभांश कंपनी की वेबसाइट पर वेब-लिंक: <https://www.irctc.com/assets/images/Detail%20of%20unread%20dividend%20as%20on%2031.03.2023.pdf> के साथ अपलोड किया गया है।

(xviii) **वित्तीय व्यय की तुलना में कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में प्रशासनिक और कार्यालय व्यय का विवरण:**

(करोड़ रु. में)

विवरण	2022-23	2021-22
अन्य व्यय	162.70	112.84
वित्तीय लागत	16.11	11.05
कुल खर्च	2335.09	1065.10
अन्य व्यय/कुल व्यय (%)	6.97	10.59
वित्त लागत/कुल व्यय (%)	0.69	1.04

(xix)**लेखापरीक्षा परिपूर्णता:** कंपनी परिपूर्ण वित्तीय विवरणों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास कर रही है। लेखापरीक्षा टिप्पणियों/अवलोकनों के लिए, 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के वित्तीय विवरणों पर मेसर्स पीआर मेहरा एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स द्वारा प्रस्तुत स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट असंशोधित है।

(xx)**आंतरिक लेखा परीक्षक की रिपोर्टिंग:** आंतरिक लेखापरीक्षकों की लेखा परीक्षा समिति तक सीधी पहुंच होती है।

(xxi) कंपनी ने निदेशकों या प्रबंधन या उनके रिश्तेदारों या कंपनियों और फर्मों आदि के साथ कोई भी भौतिक, वित्तीय और वाणिज्यिक लेनदेन नहीं किया है, जिसमें वे निदेशक और/या भागीदार सीधे या अपने रिश्तेदारों के माध्यम से रुचि रखते हैं। ।

(xxii) **व्यय की कोई भी मद लेखा पुस्तकों में डेबिट नहीं की गई है, जो वर्ष 2022-23 के दौरान व्यवसाय के उद्देश्यों के लिए नहीं है।**

(xxiii) ऐसे व्यय जो व्यक्तिगत प्रकृति के हैं और निदेशक मंडल और शीर्ष प्रबंधन के लिए किए गए हैं: वर्ष के दौरान, कंपनी द्वारा ऐसा कोई खर्च नहीं किया गया है जो निदेशकों और शीर्ष प्रबंधन के लिए व्यक्तिगत प्रकृति का हो, सिवाय उन्हें दिए गए पारिश्रमिक के। उन्हें भारत सरकार के वेतनमान के अनुसार इस रिपोर्ट में और नोट संख्या 42 में बताया गया है जो स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण का हिस्सा है।

(xxiv) वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बैलेंस शीट, लाभ और हानि का विवरण, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और नकदी प्रवाह विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 ("इंड एएस"), यथासंशोधित, और भारत में आम तौर पर स्वीकृत अन्य लेखा सिद्धांत के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों के अनुसार तैयार किया गया है।

(xxv) **लेखांकन नीतियों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुए हैं।**

(xxvi) कंपनी समय-समय पर जोखिम भरे क्षेत्रों में अपनी परियोजनाओं से जुड़े जोखिमों के बारे में बोर्ड को सूचित करती है। जोखिम प्रबंधन से संबंधित विवरण प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट में मजोखिम और चिंताएंफ शीर्षक के तहत दिया गया है।

17.0 विवेकाधीन आवश्यकताएँ:

र) **बोर्ड:** समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी के बोर्ड पर निदेशकों की समापन और/या नियुक्ति का उल्लेख निदेशकों की रिपोर्ट में अन्यत्र किया गया है।

ल) **शेयरधारकों के अधिकार:** कंपनी के त्रैमासिक/अर्धवार्षिक/वार्षिक वित्तीय परिणाम समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाते हैं और कंपनी की वेबसाइट पर भी डाले जाते हैं। निवेशकों/विश्लेषकों की बैठक की सूचना, कॉल ट्रांस्क्रिप्ट कंपनी की वेबसाइट पर पोस्ट की जाती है और महत्वपूर्ण घटनाओं से संबंधित सूचनाएं स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित की जाती हैं और साथ ही शेयरधारकों और आम जनता को ऐसे आयोजनों के बारे में जागरूक करने के लिए कंपनी की वेबसाइट पर भी होस्ट किया जाता है।

18.0 सीईओ/सीएफओ प्रमाणन

सेबी एलओडीआर के विनियम 17(8) के संदर्भ में, श्रीमती रजनी हसीजा, पूर्व निदेशक (पर्यटन और विपणन) और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) और श्री अजीत कुमार, निदेशक (वित्त) और सीएफओ द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र को 29 मई, 2023 को आयोजित बैठक में लेखापरीक्षा समिति के समक्ष रखा गया था और उसके बाद उसी दिन निदेशक मंडल की बैठक हुई। लेखापरीक्षा समिति और निदेशक मंडल को प्रस्तुत किया गया विधिवत हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र परिशिष्ट - " इ-2" के रूप में रखा गया है।

19.0 सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर रेटिंग

आपकी कंपनी ने सीपीएसई के लिए कॉरपोरेट गवर्नेंस, 2010 पर सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिशानिर्देशों के तहत आवश्यक निर्धारित समय के भीतर रेल मंत्रालय और डीपीई को निर्दिष्ट प्रारूप में कॉरपोरेट गवर्नेंस पर रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

सार्वजनिक उद्यम विभाग ने 2021-22 के दौरान कॉर्पोरेट गवर्नेंस की श्रेणी के तहत आईआरसीटीसी को "उत्कृष्ट" दर्जा दिया है। स्व-मूल्यांकन के आधार पर, कंपनी को वर्ष 2022-23 के लिए भी "उत्कृष्ट" रेटिंग प्राप्त करने की उम्मीद है।

20.0 सचिवीय लेखापरीक्षा

कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों, लिस्टिंग विनियमों और डीपीई दिशानिर्देशों के अनुपालन के संबंध में मेसर्स कुमार नरेश सिन्हा एंड एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिवों द्वारा सचिवीय लेखापरीक्षा की गई है। सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट बोर्ड की रिपोर्ट का हिस्सा बनेगी।

सेबी परिपत्र संख्या उखठ/ उत्र्ऊ/उचऊ/27/2019 दिनांक 08.02.2019 की आवश्यकताओं के संदर्भ में, मेसर्स कुमार नरेश सिन्हा एंड एसोसिएट्स ने लागू सेबी दिशानिर्देशों के संबंध में अनुपालन

की जांच की है और वार्षिक सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट जारी की है, जिसे 19 मई, 2023 को स्टॉक एक्सचेंजों को भी प्रस्तुत किया गया था।

21.0 कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर अनुपालन

कंपनी ने सेबी एलओडीआर के विनियम 17 से 27 और विनियम 46 के उप-विनियम (2) के खंड (ल) से (i) में निर्दिष्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस आवश्यकताओं का अनुपालन किया है। सेबी एलओडीआर के विनियमों का गैर-अनुपालन, यदि कोई हो, उसका रिपोर्ट में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है और स्टॉक एक्सचेंज को उचित रूप से उत्तर दिया गया है। इसके अलावा, अनुसूची V भाग C के पैरा 2-10 में निर्दिष्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट की सभी आवश्यकताओं का अनुपालन किया गया है।

यह रिपोर्ट डेटा के संबंध में कानूनी आवश्यकताओं का विधिवत अनुपालन करती है जिसे वर्ष 2022-23 के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में प्रकट किया जाना चाहिए। सार्वजनिक उद्यम विभाग और सेबी (एलओडीआर) विनियमों द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन के संबंध में प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव से प्राप्त प्रमाण पत्र को इस रिपोर्ट में परिशिष्ट- " इ-3" के रूप में शामिल किया गया है ।

कृते निदेशक मंडल

(सीमा कुमार)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
डीआईएन - 10064353

स्थान - नई दिल्ली
दिनांक - 04.07.2023

सीपीएसई में कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर सीओपीयू का अध्ययन दौरा

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा आचार संहिता के अनुपालन के संबंध में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा घोषणा।

मैं, सीमा कुमार, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार), इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड, एतद्वारा घोषणा करती हूं कि कंपनी के निदेशक मंडल के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन टीम ने संहिता के वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान कंपनी का आचरण और प्रमुख मूल्यों के अनुपालन की पुष्टि की है।

(सीमा कुमार)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
डीआईएन – 10064353

स्थान – नई दिल्ली
दिनांक – 04.07.2023

मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) और मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) का प्रमाणन

(र) हमने 31 मार्च, 2023 को समाप्त तिमाही/वर्ष के लिए भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की समीक्षा की है और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार:

i. इन विवरणों में कोई भी तथ्यात्मक रूप से असत्य विवरण शामिल नहीं है या किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य को नहीं छोड़ा गया है या ऐसे विवरण शामिल नहीं हैं जो भ्रामक हो सकते हैं;

ii. ये विवरण मिलकर कंपनी के मामलों का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं और मौजूदा लेखांकन मानकों, लागू कानूनों और विनियमों का अनुपालन करते हैं।

(ल) हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, चौथी तिमाही/वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान कंपनी द्वारा कोई लेनदेन नहीं किया गया है जो धोखाधड़ी, अवैध या कंपनी की आचार संहिता का उल्लंघन हो।

(ल) हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने की ज़िम्मेदारी स्वीकार करते हैं और हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया है और हमने लेखापरीक्षकों और लेखापरीक्षा समिति को इसका खुलासा किया है और हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास है कि ऐसे आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन या संचालन में कोई कमी नहीं है।

(व)हमने लेखापरीक्षकों और लेखापरीक्षा समिति को इंगित किया है कि:

i. वर्ष के दौरान आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुए हैं।

ii. एकीकरण शुल्क के लिए आय निर्धारण को छोड़कर लेखांकन नीतियों में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं हुए हैं। लेखांकन नीतियों में परिवर्तन, जिसका महत्वपूर्ण वित्तीय निहितार्थ है, को वित्तीय अनुमोदन के समय निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है और वित्तीय परिणामों के नोट में इसका खुलासा किया गया है।

iii. ऐसी कोई महत्वपूर्ण धोखाधड़ी की घटना नहीं हुई है जिसके बारे में हमें जानकारी हो।

दिनांक: 29.05.2023
स्थान: नई दिल्ली

(रजनी हसीजा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध
निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)
DIN: 08083674

(अजीत कुमार)
निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ
DIN: 07247362

कॉरपोरेट गवर्नेंस अनुपालन पर प्रमाणपत्र

सेवा में,
सदस्यगण,
भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड (आईआरसीटीसी)

1. हमने नियम 17 से 27 और खंडों और 46(2) के विनियम (ल) से (i) और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ("सूचीबद्धता विनियम") की अनुसूची V के पैरा C और ऊ के प्रावधानों और मई 2010 में जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड, CIN: L74899DL1999GOI101707 ("कंपनी") द्वारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन की जांच की है।

2. कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर सूचीबद्धता विनियमों और डीपीई दिशानिर्देशों में निर्धारित कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक नियंत्रण और प्रक्रियाओं का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है।

3. हमारी जिम्मेदारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर सूचीबद्धता विनियमों और डीपीई दिशानिर्देशों में निर्धारित कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और उनके कार्यान्वयन की जांच करने तक सीमित है। यह न तो लेखापरीक्षा है और न ही कंपनी के वित्तीय विवरणों पर राय की अभिव्यक्ति है।

4. प्रासंगिक अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर और हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण और प्रबंधन द्वारा प्रदान किए गए प्रतिवेदन के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान विनियम 17 से 27 और विनियम 46(2) के (ल) से (i) खंडों और सेबी सूचीबद्धता विनियमों की अनुसूची V के पैरा C और ऊ और डीपीई दिशानिर्देशों के में निर्धारित शर्तों का अनुपालन किया है जो निम्नलिखित के अधीन हैं :

   निदेशक मंडल की रचना के संबंध में कंपनी के निदेशक मंडल का आधा हिस्सा स्वतंत्र नहीं था, जिसमें एक महिला स्वतंत्र निदेशक भी शामिल थी, जैसा कि सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन 17(1) और कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशानिर्देशों के पैरा 3.1.4 के तहत आवश्यक है। ।

5. हमारा आगे कहना है कि इस तरह का अनुपालन न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही उस दक्षता या प्रभावशीलता का आश्वासन है जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

स्थानः नोएडा
दिनांक: 27 जून, 2023

कृते कुमार नरेश सिन्हा एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

सीएस नरेश कुमार सिन्हा
(मालिक)
एफसीएस: 1807; सीपी नं.: 14984
PR: 610/2019
FRN: S20 15UP440500
UDIN: F001807E000511932

निदेशकों की अयोग्यता का प्रमाण पत्र

(सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 34(3) और अनुसूची V पैरा C खंड (10)(i) के अनुसार)

सेवा में,

सदस्यगण,

भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड (आईआरसीटीसी)

हमने CIN L74899DL1999GOI101707 वाले और 11 वीं मंजिल, इ–148, स्टेट्समैन हाउस, बाराखंभा रोड, नई दिल्ली –110001 (इसके बाद मकंपनीफ के रूप में संदर्भित) में कार्यालय वाले भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम लिमिटेड के निदेशकों से प्राप्त और इस प्रमाणपत्र को जारी करने के उद्देश्य से कंपनी द्वारा हमारे सामने प्रस्तुत प्रासंगिक रजिस्टरों, रिकॉर्ड, फॉर्म, रिटर्न और प्रकटीकरण, की जांच भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 अनुसूची V पैरा–C उप–खंड 10 (i) के साथ पठित विनियम 34(3) के अनुसार की है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और सत्यापन के अनुसार पिोर्टल्.ालर.सीं.ळप पर निदेशक पहचान संख्या (DIN) स्थिति सहितें जैसा आवश्यक समझा गया और कंपनी और उसके अधिकारियों द्वारा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, हम इसके द्वारा प्रमाणित करते हैं कि 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के लिए कंपनी के बोर्ड के किसी भी निदेशक को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय, या ऐसे किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त होने या बने रहने से रोका या अयोग्य नहीं ठहराया गया है, जैसा कि नीचे बताया गया है:

क्रमांक	निदेशक का नाम	DIN	कंपनी में नियुक्ति की तिथि	समापन की तिथि
1.	श्रीमती रजनी हसीजा	08083674	18/05/2018	31/05/2023*
2.	श्री नीरज शर्मा	08177824	12/07/2018	जारी है
3.	श्री अजित कुमार	07247362	29/05/2020	जारी है
4.	श्री विनय कुमार शर्मा	03604125	09/11/2021	जारी है
5.	श्री नामग्याल वांगचुक	09397676	12/11/2021	जारी है
6.	श्री मनोज कुमार गांगेय	09744752	21/09/2022	जारी है
7.	डॉ. लोकैया रविकुमार	10045466	11/02/2023	जारी है
8.	श्री विश्वनाथ शंकर	07903588	14/12/2021	29/07/2022
9.	श्री देबाशीष चंद्र	08641893	18/01/2022	31/08/2022

*श्रीमती रजनी हसीजा ने 31/05/2023 से सेवानिवृत्ति की आयु होने पर भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम लिमिटेड के निदेशक (पर्यटन और विपणन) और अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) के रूप में अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है।

बोर्ड में प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति/निरंतरता की पात्रता सुनिश्चित करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने सत्यापन के आधार पर इन पर राय व्यक्त करें। यह प्रमाणपत्र न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही उस दक्षता या प्रभावशीलता का आश्वासन है जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

स्थानः नोएडा
दिनांक: 27 जून, 2023

कृते कुमार नरेश सिन्हा एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

सीएस नरेश कुमार सिन्हा
(मालिक)
एफसीएस: 1807; सीपी नं.: 14984
PR: 610/2019
FRN: S20 15UP440500
UDIN: F001807E000511932

सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट

1. कंपनी की सीएसआर नीति पर संक्षिप्त रूपरेखा:

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और चिरंतनता नीति आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ तरीके से संचालित करने की हमारी प्रतिबद्धता है जो पारदर्शी और नैतिक है। कंपनी के मिशन के अनुरूप इसकी सीएसआर पहल का लक्ष्य इसकी सीएसआर नीति में उल्लिखित नीचे दिए गए प्रमुख मूल्यों को प्राप्त करना होगा:

"रेलवे यात्रियों, ग्राहकों, उपभोक्ताओं, शेयरधारकों, कर्मचारियों, स्थानीय समुदाय और कुल मिलाकर समाज सहित सभी हितधारकों के प्रति अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट कंपनी बने रहना" ।

कंपनी के पास एक अच्छी तरह से निर्धारित बोर्ड अनुमोदित सीएसआर नीति है, जिसकी सिफारिश बोर्ड की सीएसआर समिति ने की थी। आईआरसीटीसी के पास सीएसआर गतिविधियों के प्रबंधन और कार्यान्वयन के लिए दो स्तरीय प्रणाली है। टियर-ख सीएसआर समिति एक बोर्ड स्तर की समिति है और टियर-II समिति कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों (जीजीएम) की बोर्ड स्तर से नीचे की समिति है, जो बोर्ड स्तर की समिति (टियर-ख) को उनके कार्यों को पूरा करने में सहायता करती है। आईआरसीटीसी का उद्देश्य व्यावसायिक नैतिकता और पारदर्शिता के उच्चतम मानकों का पालन करना, आईआरसीटीसी के लिए सामुदायिक सद्भावना बनाना, कॉर्पोरेट कंपनी के रूप में एक सकारात्मक और सामाजिक रूप से जिम्मेदार छवि को मजबूत करना है। हितधारकों में निवेशक, शेयरधारक, ग्राहक, व्यापार भागीदार, ग्राहक, नागरिक समाज समूह, सरकारी और गैर-सरकारी संगठन, स्थानीय समुदाय, पर्यावरण और कुल मिलाकर समाज शामिल हैं। आईआरसीटीसी की सीएसआर पहल समाज के सभी सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की जरूरतों के प्रति संवेदनशीलता पर आधारित है। सीएसआर के लिए निर्धारित राशि खर्च करने के लिए, परियोजनाएं ज्यादातर स्थानीय क्षेत्रों में शुरू की जाती हैं जहां आईआरसीटीसी संचालित होता है।

इन पहलों का उद्देश्य समय के साथ सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने का प्रयास करना, स्थानीय लोगों के जीवन की गुणवत्ता और आर्थिक कल्याण को बढ़ाना है। आईआरसीटीसी की सीएसआर नीति के तहत कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची VII के प्रावधानों के अनुसार विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की गई है, जिसमें स्वास्थ्य और चिकित्सा देखभाल, स्वच्छता, शिक्षा/साक्षरता वृद्धि, सामुदायिक विकास और पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण शामिल है। कंपनी अपनी व्यावसायिक प्रक्रियाओं और कार्यक्रमों में सामाजिक, पर्यावरणीय और नैतिक चिंताओं को एकीकृत करने के लिए सभी कदम उठाती है ताकि संचालन के क्षेत्र में और उसके आसपास के स्थानीय समुदायों को लाभ मिल सके, जिससे समाज के कमजोर वर्गों के विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए आम जनता के जीवन की गुणवत्ता और आर्थिक कल्याण को बेहतर किया जा सके।

सरकारी कंपनी होने के नाते, आईआरसीटीसी सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा सीपीएसई के लिए जारी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और चिरंतनता पर दिशानिर्देशों का भी पालन करता है। आपकी कंपनी डीपीई द्वारा घोषित वार्षिक थीम के अनुसार सीएसआर गतिविधियां चलाती है। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए, कंपनी का फोकस क्षेत्र "स्वास्थ्य" और "पोषण" था, जिसमें आकांक्षी जिलों पर जोर दिया गया था।

आपकी कंपनी वार्षिक कार्य योजना पर कार्य करती है, जिसे कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित किया जाता है। कंपनी द्वारा की गई सीएसआर गतिविधियों के साथ अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना को वेबलिंक https://www.irctc.com/csr_annual_action_plan.html , <https://www.irctc.com/csr-activities.html पर रखा गया है।

2. सीएसआर समिति की संरचना:

31 मार्च, 2023 तक, सीएसआर और एसडी समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल थे:

क्रमांक	निदेशक का नाम	पदनाम /प्रकृति	वर्ष के दौरान आयोजित सीएसआर और एसडी समिति की बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान सीएसआर और एसडी समिति की बैठकों में उपस्थिति की संख्या
1	श्रीमती रजनी हसीजा	निदेशक (पर्यटन एवं विपणन) एवं अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)	4	4
2	श्री अजित कुमार	निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ	4	4
3	श्री देबाशीष चंद्र	निदेशक (खानपान सेवाएँ) 31 अगस्त 2022 तक)	2	2
4	श्री नीरज शर्मा	सरकार द्वारा नामित निदेशक	4	4
5	श्री नामग्याल वांगचुक	स्वतंत्र निदेशक	4	4

3. वेब-लिंक प्रदान करें जहां सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं का कंपनी की वेबसाइट पर खुलासा किया गया है:

https://www.irctc.com/board-committees.html,https://www.irctc.com/assets/images/CSR-Vision-Document.pdf,https://www.irctc.com/csr-activities.html

4. यदि लागू हो तो नियम 8 के उप-नियम (3) के अनुसरण में किए गए सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन के वेब-लिंक के साथ कार्यकारी सारांश प्रदान करें।

चूंकि अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (5) के अनुसरण में कंपनी पर पिछले तीन वित्तीय वर्षों में औसत सीएसआर दायित्व दस करोड़ रुपये या उससे अधिक नहीं है, इसलिए स्वतंत्र एजेंसी द्वारा इसके सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन का प्रावधान आईआरसीटीसी पर लागू नहीं है। इसके अलावा, कंपनी के पास एक करोड़ रुपये या उससे अधिक की लागत वाली कोई भी सीएसआर परियोजना नहीं थी, जो एक वर्ष से कम समय में पूरी नहीं हुई हो। हालाँकि, सभी भागीदार एनजीओ/संगठनों को आईआरसीटीसी की परियोजनाओं के लिए उनके द्वारा प्राप्त धन का उपयोग प्रमाण पत्र जमा करना आवश्यक है। प्रभाव मूल्यांकन के लिए, कंपनी के पास अपने क्षेत्रों में सीएसआर परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए प्रत्येक क्षेत्र में आंतरिक कार्यान्वयन निगरानी समूह (आईएमजी) है। इसके अलावा, कंपनी इस वर्ष के लिए सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन के लिए बाहरी एजेंसियों को शामिल करने की योजना बना रही है।

5. र) **धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभ:** 626.41 करोड़ रु.

ल) **धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत:** 12.53 करोड़ रु.

ल) **पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से बचा अधिशेष:** -शून्य-

व) **वित्त वर्ष 2022-23 के लिए निर्धारित की जाने वाली आवश्यक राशि, यदि कोई हो:** शून्य

श) **वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कुल सीएसआर दायित्व (7a+7b- 7c):** 12.53 करोड़ रु.

6. **(र) सीएसआर परियोजनाओं पर खर्च की गई राशि (चालू परियोजनाएं और चालू परियोजनाओं के अलावा दोनों):** 12.53 करोड़।

(ल) प्रशासनिक ओवरहेड्स में खर्च की गई राशि: शून्य।

(ल) प्रभाव आकलन पर खर्च की गई राशि, यदि लागू हो: लागू नहीं।

(व) वित्त वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि (a+b+c): 12.53 करोड़ रु.

(श) वित्त वर्ष 2022-23 के लिए खर्च की गई या अव्ययित सीएसआर राशि:

वित्त वर्ष 2022-23 के लिए खर्च की गई कुल राशि (रु. में)	खर्च नहीं की गई राशि (रु. में)				
	धारा 135(6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित कुल राशि		धारा 135(5) के दूसरे प्रावधान के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी फंड में हस्तांतरित राशि		
	मात्रा	हस्तांतरण की तिथि	निधि का नाम	मात्रा	हस्तांतरण की तिथि
12,53,00,000/-	1,51,26,619.80/-	27.04.2023	स्वच्छ भारत कोष	1,00,00,000/-	23.03.2023
			पीएम केयर फंड	1,50,00,000/-	23.03.2023
			स्वच्छ गंगा निधि	1,95,98,431.20/-	27.03.2023

(f) सेट-ऑफ के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो:

क्रमांक	विवरण	राशि (रु. में)
i	धारा 135 की उपधारा (5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत	12.53 करोड़
ii	वित्त वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि	12.53 करोड़
iii	वित्त वर्ष के लिए खर्च की गई अतिरिक्त राशि [(ii)-(i)]	शून्य
iv	पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से बचा अधिशेष, यदि कोई हा	शून्य
v	आगामी वित्तीय वर्षों में सेट-ऑफ के लिए उपलब्ध राशि [(iii)-(iv)]	शून्य

7. **पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए अव्ययित सीएसआर राशि का विवरण:**

क्रमांक	पूर्ववर्ती वित्त वर्ष	धारा 135(6) के तहत अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि (रु. में)	धारा 135 की उपधारा (6) के तहत अव्ययित सीएसआर खाते में शेष राशि (रु. में)	वित्त वर्ष में व्यय की गई राशि (रु. में)	धारा 135 की उपधारा (5) के दूसरे प्रावधान के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट निधि में हस्तांतरित राशि, यदि कोई हो		आगामी वित्तीय वर्षों में व्यय की जाने वाली शेष राशि (रु. में)	आगामी वित्तीय वर्षों में यदि कोई कमी हो (रु. में)
					राशि (रु. में)	हस्तांतरण की तिथि		
1.	2020-21	8,72,000/-	2,00,000/-	10,35,28,000/-	शून्य	शून्य	2,00,000/-	शून्य
2.	2021-22	1,24,39696/-	51,48,636/-	6,62,45,694/-	शून्य	शून्य	5148636/-	शून्य
3.	2022-23	1,51,26,619.80/-	1,51,26,619.80/-	11,01,73,380.20	शून्य	शून्य	15126619.80/-	शून्य

8. **क्या वित्त वर्ष में खर्च की गई कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व राशि के माध्यम से कोई पूंजीगत संपत्ति बनाई या अर्जित की गई है:** नहीं

यदि हां, तो निर्मित/अधिगृहीत पूंजीगत संपत्तियों की संख्या दर्ज करें: लागू नहीं

वित्त वर्ष में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व राशि के माध्यम से बनाई गई या अर्जित की गई ऐसी संपत्ति से संबंधित विवरण प्रस्तुत करें: लागू नहीं

9. **यदि कंपनी धारा 135(5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है, तो कारण बताएं:** लागू नहीं

(सीमा कुमार)
सीएसआर और एसडी समिति की अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष DIN: 10064353

(अजीत कुमार)
निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ
DIN: 07247362

(संदीप त्रिवेदी)
सीएसआर नोडल अधिकारी

दिनांक: 04.07.2023
स्थान: नई दिल्ली

व्यवसाय उत्तरदायित्व एवं संधारणीयता रिपोर्ट (बीआरएसआर)

खंड ए – सामान्य प्रकटण

I. सूचीबद्ध संस्थाओं के विवरण

1.	सूचीबद्ध संस्था की कार्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)	L74899DL1999GOI101707
2.	सूचीबद्ध संस्था का नाम	इंडियन रेल्वे कैटरिंग एंड टूरिज़्म कार्पोरेशन लिमिटेड (आईआरसीटीसी)
3.	निगमन का वर्ष	1999
4.	पंजीकृत कार्यालय का पता	11वां तल, बी–148, स्टेट्समैन हाउस, बाराखंबा रोड नई दिल्ली –110001
5.	कार्पोरेट पता	11वां तल, बी–148, स्टेट्समैन हाउस, बाराखंबा रोड नई दिल्ली –110001
6.	ई–मेल	investors@irctc.com
7.	टेलीफोन	011- 22311263-64
8.	वेबसाइट	www.irctc.com
9.	वित्त वर्ष जिसके लिए रिपोर्टिंग की जा रही है	2022-23
10.	स्टॉक एक्सचेंजों के नाम जहां शेयर सूचीबद्ध हैं	बीएसई और एनएसई
11.	चुकता पूंजी	रु. 1,60,00,00,000
12.	उस व्यक्ति का नाम और संपर्क विवरण (टेलीफोन, ईमेल एड्रेस) जिससे बीआरएसआर रिपोर्ट पर कोई प्रश्न पूछने के मामले में संपर्क किया जा सकता है	श्री राजेश राणा, महाप्रबंधक (गुणता परियोजनाएं एवं कार्पोरेट समन्वय) तथा मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) टेली. – 011-23311264 ई–मेल –E-mail: rrana2473@irctc.com
13.	रिपोर्टिंग की सीमा – इस रिपोर्ट के तहत किए गए प्रकटण स्टैंडअलोन आधार पर किए गए हैं (यानी केवल संस्था के लिए) या समेकित आधार पर (यानी संस्था और सभी संस्थाओं के लिए जो इसके समेकित वित्तीय विवरणों का हिस्सा हैं, एक साथ लिया गया है)	इस रिपोर्ट में स्टैंडअलोन आधार पर कंपनी के सामाजिक और गवर्नेंस कार्य–निष्पादन को शामिल किया गया है। पर्यावरणीय प्रकटण इसकी संगठनात्मक सीमाओं के भीतर इसके व्यवसायों के कार्य–निष्पादन पर आधारित होते हैं जहां इसका परिचालन नियंत्रण होता है। जीएचजी उत्सर्जन से छूट – क्षेत्र कार्यालय तथा वाहनों से रेफ्रिजरेंट उत्सर्जन

II. उत्पाद / सेवाएं

14. व्यावसायिक कार्यकलापों के विवरण (कुल कारोबार का 90%)

क्र. सं.	प्रमुख कार्य का विवरण	व्यावसायिक कार्य का विवरण	संस्था के कुल कारोबार का %
1.	खानपान	खानपान सेवाओं में ई–कैटरिंग, मोबाइल कैटरिंग और अन्य कैटरिंग सेवाओं सहित कई विकल्प दिए जाते हैं, आईआरसीटीसी एक्ज़िक्यूटिव लाउंज का प्रबंधन भी करता है।	41.53%
2.	इंटरनेट टिकटिंग सेवाएं	इंटरनेट टिकटिंग में सेवा उपयोगकर्ताओं को ट्रेन, बस, उड़ान और होटल आरक्षण के लिए आसानी से ई–टिकट बुक करने की सुविधा प्रदान की जाती है, जहां निर्बाध यात्रा योजना और बुकिंग के लिए एकल प्लेटफॉर्म प्रदान की जाती है।	33.70%
3.	रेल नीर	रेल नीर सेवा में पैकेज्ड पेयजल सेवाएं प्रदान की जाती हैं, जो ट्रेन यात्रा के दौरान यात्रियों के लिए उच्च गुणता और सुरक्षित पेयजल सुनिश्चित करती है।	8.85%
4.	पर्यटन	पर्यटन सेवा में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय टूर पैकेज, हवाई टिकट सेवाएँ, कार्पोरेट यात्रा व्यवस्था और विभिन्न प्रकार की पर्यटन गतिविधियां प्रदान की जाती हैं।	11.59%

क्र. सं.	प्रमुख कार्य का विवरण	व्यावसायिक कार्य का विवरण	संस्था के कुल कारोबार का %
5.	राज्य तीर्थ	राज्य तीर्थ सेवाओं में भारत के विभिन्न राज्यों में आध्यात्मिक यात्राओं के लिए तीर्थयात्रा और धार्मिक टूर पैकेज दिए जाते हैं।	4.33%

15. संस्था द्वारा बेचे गए उत्पाद / सेवाएं (संस्था के कुल कारोबार का 90% परिगणित)

क्र. सं.	प्रमुख कार्य का विवरण	व्यावसायिक कार्य का विवरण	संस्था के कुल कारोबार का %
1.	खानपान	561, 562	41.53%
2.	इंटरनेट टिकटिंग सेवाएं	631, 799	33.70%
3.	रेल नीर	110	8.85%
4.	पर्यटन	791	11.59%
5.	राज्य तीर्थ		4.33%

III. परिचालन

16. स्थलों की संख्या जहां संस्था के संयंत्र तथा / या परिचालन / कार्यालय स्थित हैं

स्थल	संयंत्रों की संख्या	कार्यालय का नाम	कुल
राष्ट्रीय	27 (16 रेल नीर संयंत्र और 11 बेस किचन)	18 (5 आंचलिक कार्यालय, 10 क्षेत्रीय कार्यालय, 1 कार्पोरेट कार्यालय, 1 इंटरनेट टिकटिंग कार्यालय और 1 पर्यटन कार्यालय)	45
अंतरराष्ट्रीय	शून्य	शून्य	0

17. बाज़ार जहां संस्था सेवा प्रदान करती है –

ए. स्थलों की सं.

स्थल	संख्या
राष्ट्रीय (राज्यो की सं.)	13
अंतरराष्ट्रीय (देशों की सं.)	शून्य

बी. संस्था के कुल कारोबार में निर्यात का प्रतिशत के रूप में योगदान क्या है?

आईआरसीटीसी अपने व्यवसाय संचालन में निर्यात में संलग्न नहीं है। आईआरसीटीसी का प्राथमिक ध्यान देश के भीतर भारतीय रेलवे से संबंधित सेवाएं और सुविधाएं प्रदान करना है। परिणामस्वरूप, संस्था का अपने कुल कारोबार के संदर्भ में निर्यात से कोई योगदान नहीं होता है। आईआरसीटीसी की मुख्य गतिविधियां भारत के भीतर यात्रियों और पर्यटकों की जरूरतों को पूरा करते हुए घरेलू रेलवे सेवाओं, खानपान, पर्यटन और संबंधित परिचालन हैं।

सी. ग्राहकों के प्रकार का संक्षिप्त विवरण

आईआरसीटीसी विभिन्न क्षेत्रों में विविध प्रकार के ग्राहकों को सेवा प्रदान करता है। खानपान के क्षेत्र में, यह नियमित रेल यात्रियों, व्यावसायिक यात्रियों, पर्यटकों, तीर्थयात्रियों, विद्यार्थियों और अन्य लोगों को सेवा प्रदान करता है। इंटरनेट टिकटिंग सेवाओं में, यह नियमित रेल यात्रियों, व्यावसायिक यात्रियों, पर्यटकों, विद्यार्थियों और सरकारी अधिकारियों को बस, ट्रेन टिकट, होटल आदि बुक करने संबंधी सेवाएं प्रदान करता है। रेल नीर सभी रेल यात्रियों के लिए पैकेज्ड पेयजल उपलब्ध कराता है। पर्यटन के क्षेत्र में, आईआरसीटीसी छुट्टियां मनाने वालों, सांस्कृतिक प्रेमियों, चिकित्सा पर्यटकों, विद्यार्थियों, सरकारी अधिकारियों और विदेशी राजनयिकों को सेवा प्रदान करता है। आईआरसीटीसी का लक्ष्य प्रत्येक वर्ग की विशिष्ट जरूरतों को पूरा करना, आवश्यकता अनुरूप सेवाएं और अनुभव प्रदान करना है।

18. वित्त वर्ष के अंत का विवरण

ए. कर्मचारी और श्रमिक (दिव्यांग सहित)

क्र. सं.	विवरण	कुल (ए)	पुरुष		महिला	
			सं. (बी)	% (बी/ए)	सं. (बी)	% (बी/ए)
		कर्मचारी				
1.	स्थायी (डी)	1,356	1,242	91.59	114	8.40
2.	स्थायी के अलावा (ई)	873	662	75.89	211	24.16
3.	कुल कर्मचारी (डी+ई)	**2,229**	**1,904**	**85.42**	**325**	**14.58**
		श्रमिक				
4.	स्थायी (एफ)					
5.	स्थायी के अलावा (जी)	लागू नहीं				
6.	**कुल कर्मचारी (एफ+जी)**					

डी. दिव्यांग कर्मचारी और श्रमिक

क्र. सं.	विवरण	कुल (ए)	पुरुष		महिला	
			सं. (बी)	% (बी/ए)	सं. (बी)	% (बी/ए)
		दिव्यांग कर्मचारी				
13	स्थायी (डी)	13	13	100.00	0	0.00
0	स्थायी के अलावा (ई)	0	0	0.00	0	0.00
13	कुल कर्मचारी (डी+ई)	**13**	**13**	**100.00**	**0**	**0.00**
		दिव्यांग श्रमिक				
4.	स्थायी (एफ)					
5.	स्थायी के अलावा (जी)	लागू नहीं				
6.	**कुल कर्मचारी (एफ+जी)**					

19. महिलाओं की सहभागिता / समावेशन / प्रतिनिधित्व

विवरण	कुल (ए)	महिलाओं की सं. और प्रतिशत	
		सं. (बी)	% (बी/ए)
निदेशक मंडल	7	1	14.29
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक	4	2	50.00

20. स्थायी कर्मचारियों और श्रमिकों की आवर्त दर

विवरण	2022-23 की आवर्त दर			2021-22 की आवर्त दर			2020-21 की आवर्त दर		
	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
स्थायी कर्मचारी	0.16%	1.75%	0.29%	1.54%	0.87%	1.49%	2.37%	0.00%	2.18%
स्थायी श्रमिक	लागू नहीं								

V. **होल्डिंग, सहायक और सहयोगी कंपनियां (संयुक्त उद्यम सहित)**

21. होल्डिंग / सहायक / सहयोगी कंपनियों / संयुक्त उद्यम का नाम

होल्डिंग, सहायक और सहयोगी कंपनियों का नाम (ए)	बताएं कि होल्डिंग, सहायक और सहयोगी कंपनी / संयुक्त उद्यम है	सूचीबद्ध संस्था द्वारा धारित शेयरों का %	क्या कॉलम ए में दर्शाई गई संस्था सूचीबद्ध संस्था की व्यावसायिक उत्तरदायित्व पहल में भाग लेती है? (हां नहीं)
रॉयल इंडियन टूर्स लिमिटेड (आरआईआरटीएल)	संयुक्त उद्यम	50	नहीं। रॉयल इंडियन रेल टूर्स लिमिटेड (आरआईआरटीएल) के नाम पर 50:50 इक्विटी के साथ कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड के साथ कंपनी का एकमात्र संयुक्त उद्यम 27 नवंबर 2008 को लक्जरी ट्रेनों के अधिग्रहण, साज-सज्जा, रखरखाव, प्रबंधन और संचालन करने और ऐसी लक्जरी रेलगाड़ियों के अभिन्न अंग के रूप में हॉलीडे पैकेजों का विपणन करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। तदनुसार, 23 कोचों वाली एक लक्जरी ट्रेन का निर्माण, फैब्रिकेशन और वित्त पोषण कंपनी द्वारा किया गया और इसे महाराजा एक्सप्रेस के नाम से बाज़ार में प्रस्तुत किया गया और 15 वर्षों की अवधि के लिए इस लक्जरी पर्यटक ट्रेन को चलाने, परिचालन करने और प्रबंधन के उद्देश्य से रॉयल इंडियन रेल टूर्स लिमिटेड (आरआईआरटीएल) को पट्टे पर दिया गया था। हालांकि, इक्विटी भागीदारों के बीच कुछ मुद्दों के कारण, लक्जरी ट्रेन का पट्टा वापस ले लिया गया और 10 दिसंबर, 2008 का संयुक्त उद्यम समझौता 12 अगस्त, 2011 को समाप्त कर दिया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आईआरसीटीसी को उक्त लक्जरी ट्रेन संचालित करने की अनुमति दी। कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड ने संयुक्त उद्यम समझौते की बहाली की मांग करते हुए माध्यस्थम की कार्यवाही शुरू की। अंतिम दलीलों को माध्यस्थम न्यायाधिकरण के समक्ष सुना गया और दिनांक 09.05.2023 की सुनवाई के माध्यम से अधिनिर्णय को सुरक्षित रखा गया है। आईआरसीटीसी ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 388बी, 397, 398, 399 और 403 के तहत रॉयल इंडियन रेल टूर्स लिमिटेड (आरआईआरटीएल) और कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड और अन्य के विरुद्ध नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) (पूर्ववर्ती कंपनी लॉ बोर्ड) के समक्ष याचिका भी दायर की है जो न्यायालय में विचाराधीन है और बहस के लिए सूचीबद्ध है। एनसीएलटी ने उक्त कंपनी (आरआईआरटीएल) को प्रबंधकीय विवाद में घोषित किया है। इस संयुक्त उद्यम का विवरण 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाली अवधि के वित्तीय विवरणों के लेखों के नोट्स में नोट संख्या 37.3 और 45 के माध्यम से शामिल किया गया है। पक्षों ने जुलाई, 2013 में आरआईटीआरएल की मंजूरी के बिना आरआईटीआरएल की बोर्ड और आम बैठकें आयोजित न करने के लिए एनसीएलटी से अनुमति भी ली है। इसके परिणामस्वरूप, आईआरसीटीसी की व्यावसायिक उत्तरदायित्व पहल में आरआईआरटीएल की भागीदारी नहीं हुई।

VI. सीएसआर के विवरण

22. (i) क्या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार सीएसआर लागू है (हां / नहीं)

जी हां, सीएसआर आईआरसीटीसी पर लागू है।

(ii) कुल कारोबार (रु.) रु. 35,41,57,00,000/-

(iii) निवल मालियत (रु.) रु. 24,78,40,00,000/-

VII. पारदर्शिता एवं प्रकटण संबंधी अनुपालन

23. उत्तरदायी व्यवसाय आचरण पर राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के तहत किसी भी सिद्धांत (सिद्धांत 1 से 9) पर परिवाद/शिकायतें

भागीदार समूह जिनसे शिकायत प्राप्त हुआ है	मौजूद शिकायत निवारण तंत्र (हां / नहीं) (यदि हां, तो शिकायत निवारण नीति का वेब-लिंक दें)	वित्त वर्ष 2022-23			वित्त वर्ष 2021-22		
		वर्ष के दौरान दाखिल शिकायतों की सं.	वर्ष के अंत में समाधान लंबित होने वाली शिकायतों की सं.	अभ्युक्ति	वर्ष के दौरान दाखिल शिकायतों की सं.	वर्ष के अंत में समाधान लंबित होने वाली शिकायतों की सं.	अभ्युक्ति
समुदाय	हां,, https://www.irctc.com/assets/images/CSR-Vision-Document.pdf	शून्य	-		शून्य	-	
निवेशक (शेयरधारको के अलावा)	जानकारी और सहायता चाहने वाले निवेशकों के लिए संपर्क बिंदु के रूप में मुख्य निवेशक संबंध अधिकारी (सीआईआरओ), अनुपालन अधिकारी और रजिस्ट्रार (अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड) कार्य करते हैं जिनकी संपर्क जानकारी आईआरसीटीसी की इस वेबसाइट पर उपलब्ध है - https://irctc.com/investor-contact.	शून्य	-		शून्य	-	
शेयरधारक	भागीदार संबंध समिति https://www.irctc.com/board-committees.html , SCORES https://scores.gov.in/scores/Welcome.html	44	शून्य	शिकायतों का निराकरण स्थापित तंत्र के अनुसार प्रभावी ढंग से किया जाता है.	शून्य	-	
कर्मचारी और श्रमिक	कर्मचारी पोर्टल, शिकायत रजिस्टर, सचेतक नीति, https://www.irctc.com/assets/images/Whistle_Blowers_new.pdf POSH Mechanism https://www.irctc.com/assets/images/IRCTC%20Policy%20for%20Prevention%20OF%20Sexual%20Harassment%20Of%20Women%20At%20Workplace_12_6_23.pdf	3	1	शिकायत वर्षांत में प्राप्त की गई है	1	शून्य	

भागीदार समूह जिनसे शिकायत प्राप्त हुआ है	मौजूद शिकायत निवारण तंत्र (हां / नहीं) (यदि हां, तो शिकायत निवारण नीति का वेब-लिंक दें)	वित्त वर्ष 2022-23			वित्त वर्ष 2021-22		
		वर्ष के दौरान दाखिल शिकायतों की सं.	वर्ष के अंत में समाधान लंबित होने वाली शिकायतों की सं.	अभ्युक्ति	वर्ष के दौरान दाखिल शिकायतों की सं.	वर्ष के अंत में समाधान लंबित होने वाली शिकायतों की सं.	अभ्युक्ति
ग्राहक*	सीपीग्राम, रेल मदद, मोरली, सोशल मीडिया Platforms https://railmadad.indianrailways.gov.in https://pgportal.gov.in	2,51,703	52	इन मामलों में मुख्य रूप से यात्रा के दौरान दैनिक डिलीवरी सेवाएं शामिल हैं, जिनमें अधिकांश शिकायतें स्टेटस अपडेट, डिलीवरी अपडेट और टिकट रद्दीकरण से संबंधित हैं.	1,05,469	शून्य	
वैल्यू चेन पार्टनर	सीपीग्राम, मोरली https://pgportal.gov.in/	2	शून्य	मौजूदा तंत्र में यह सुनिश्चित किया जाता है कि शिकायतों का समय पर समाधान किया जाता है	शून्य	-	
अन्य (कृपया बताएं)		-	-	-	-	-	-

*रिपोर्ट किए गए आंकड़ों में लेन-देन संबंधी गड़बड़ियों के संबंध में दैनिक आधार पर रिपोर्ट किए जाने वाले रेलवे ग्राहकों के सामान्य प्रश्न शामिल नहीं हैं और अधिकांश शिकायतें आईआरसीटीसी की सेवा वितरण से संबंधित नहीं हैं।

24. संस्था के महत्वपूर्ण उत्तरदायी व्यावसायिक आचरण संबंधी मामलों का अवलोकन

कृपया पर्यावरणीय और सामाजिक मामलों से संबंधित महत्वपूर्ण उत्तरदायी व्यावसायिक आचरण और संधारणीयता के ऐसे मामले बताएं जो आपके व्यवसाय के लिए जोखिम या अवसर प्रस्तुत करते हैं, इसकी पहचान करने के लिए तर्क, जोखिम को अनुकूलित करने या कम करने के दृष्टिकोण के साथ-साथ निम्नलिखित प्रारूप उसका वित्तीय निहितार्थ बताएं।

पहचाना गया महत्वपूर्ण मामला	बताएं कि यह जोखिम है या अवसर (आर/ओ)	जोखिम / अवसर की पहचान बताने का तर्क	जोखिम के मामले में, उसे अनुकूलित या कम करने के उपाय	जोखिम या अवसर का वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक या नकारात्मक निहितार्थ बताएं)
जलवायु परिवर्तन	जोखिम	इस जोखिम में चरम मौसमी घटनाएं, बढ़ती ऊर्जा लागत, नियामक औपचारिकताएं जो कारण ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन और ऊर्जा खपत में परिणामित होते हैं।	• ऊर्जा-दक्ष प्रौद्योगिकियों को लागू करना • अक्षय ऊर्जा स्रोतों को अपनाना • ट्रेन संचालनों को इष्टतम बनाना, उत्सर्जन की निगरानी करना • कार्बन फुटप्रिंट परियोजनाएं शुरु करना	प्रारंभिक निवेश की ज़रूरत होगी लेकिन दीर्घकालिक अनुलाभों में कम ऊर्जा लागत, अक्षय ऊर्जा से संभावित बचत और अधिक ब्रांड छवि शामिल हैं।

पहचाना गया महत्वपूर्ण मामला	बताएं कि यह जोखिम है या अवसर (आर/ओ)	जोखिम / अवसर की पहचान बताने का तर्क	जोखिम के मामले में, उसे अनुकूलित या कम करने के उपाय	जोखिम या अवसर का वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक या नकारात्मक निहितार्थ बताएं)
कर्मचारी स्वास्थ्य और संरक्षा	जोखिम और अवसर	उत्पादक और उत्तरदायी कार्यस्थल के लिए कर्मचारी स्वास्थ्य और संरक्षा को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है। ऐसे जोखिमों में दुर्घटनाएँ, चोटें, कानूनी देनदारियाँ और प्रतिष्ठा जोखिम शामिल हैं। अवसरों में कर्मचारी कल्याण में वृद्धि, गैर-हाजिरी में कमी और उत्पादकता में सुधार शामिल है।	• सुदृढ़ संरक्षा प्रोटोकाल लागू करना • संरक्षा प्रशिक्षण प्रदान करना • नियमित संरक्षा निरीक्षण करना • सुरक्षित कार्य परिवेश बनाए रखना • पेशेवर स्वास्थ्य और संरक्षा विनियमों का पालन करना • कर्मचारी कल्याण कार्यक्रमों को बढ़ावा देना • स्वास्थ्य देखभाल हितलाभ देना • मानसिक स्वास्थ्य सहायता को प्राथमिकता देना	संरक्षा उपकरण, प्रशिक्षण, निरीक्षण, कल्याण कार्यक्रम और स्वास्थ्य देखभाल हितलाभ में निवेश। सकारात्मक प्रभाव - अधिक कर्मचारी कल्याण, उत्पादकता में सुधार, गैर-हाजिरी में कमी, और दुर्घटनाओं और चोटों में कमी से संभावित लागत बचत।
अपशिष्ट प्रबंधन	जोखिम और अवसर	संधारणीयता और अनुपालन के लिए आवश्यक। जोखिमों में प्रदूषण, जुर्माना और इनके कारण होने वाला प्रतिष्ठा जोखिम शामिल हैं। अवसरों में अपशिष्ट में कमी, पुनर्चक्रण, लागत बचत और रेलनीर ईपीआर लक्ष्य को प्राप्त करना शामिल है।	• अपशिष्ट प्रबंधन पद्धतियों को लागू करना • पुनर्चक्रण और जिम्मेदारी से निपटान • रेलनीर की बोतलों के लिए ईआरपी लक्ष्य तय करना • जल लेखापरीक्षा कराना • जागरूकता बढ़ाना, जल प्रबंधन साझेदारों के साथ सहयोग करना • संधारणीय पैकेजिंग के विकल्पों का पता लगाना	अपशिष्ट प्रबंधन अवसंरचना, पुनर्चक्रण, जागरूकता अभियान और संभावित लागत बचत में निवेश। सकारात्मक प्रभाव - पर्यावरणीय प्रभाव, अनुपालन में कमी, ईपीआर लक्ष्य को प्राप्त करना और संभावित लागत बचत।
व्यावसायिक नैतिकता और अखंडता	अवसर	विश्वास, प्रतिष्ठा और दीर्घकालीन सफलता के लिए महत्वपूर्ण। अवसरों में अधिक प्रतिष्ठा और संधारणीय पद्धतियां शामिल हैं।	• नैतिक संहिता स्थापित करना ह्न नैतिक व्यवहार को बढ़ावा देना • प्रशिक्षण देना ह्न आंतरिक नियंत्रण सशक्त बनाना • अखंडता को बढ़ावा देना • पारदर्शी और जिम्मेदार पद्धतियों को अपनाना • मानक अंतरराष्ट्रीय पद्धति के अनुसार प्रतिबद्धता दर्शाने के तंत्र के रूप में आईएसओ 37001 का कार्यान्वयन	नैतिकता प्रशिक्षण, अनुपालन तंत्र में निवेश। सकारात्मक प्रभाव - अधिक प्रतिष्ठा, विश्वास और संधारणीयता।

पहचाना गया महत्वपूर्ण मामला	बताएं कि यह जोखिम है या अवसर (आर/ओ)	जोखिम / अवसर की पहचान बताने का तर्क	जोखिम के मामले में, उसे अनुकूलित या कम करने के उपाय	जोखिम या अवसर का वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक या नकारात्मक निहितार्थ बताएं)
जल प्रबंधन	जोखिम और अवसर	सतत संचालन और जिम्मेदार संसाधन उपयोग के लिए प्रभावी जल प्रबंधन आवश्यक है। इन जोखिमों में पानी की कमी, नियामक अनुपालन और प्रतिष्ठा पर प्रभाव शामिल हैं। जल के कुशल उपयोग, संरक्षण और पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने से अवसर पैदा होते हैं।	• जल लेखापरीक्षा कराना, जल संरक्षण उपाय लागू करना • वर्षा जल संग्रहण जैसे वैकल्पिक जल स्रोतों का पता लगाना, • जल-कुशल प्रौद्योगिकियों और प्रक्रियाओं में निवेश करना • जल संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए हितधारकों के साथ सहयोग करना	जल प्रबंधन अवसंरचना, उपकरण और प्रौद्योगिकियों में प्रारंभिक निवेश। सकारात्मक प्रभावों में पानी की कम खपत, लागत बचत, नियामक अनुपालन और बेहतर पर्यावरणीय निष्पादन शामिल हैं।
मानवाधिकार एवं विविधता, समानता एवं समावेशन	जोखिम और अवसर	निष्पक्ष कार्यस्थलों, सकारात्मक कर्मचारी अनुभवों और हितधारकों के भरोसे के लिए महत्वपूर्ण। जोखिमों में भेदभाव, कानूनी समस्याएं, प्रतिष्ठा जोखिम और आपूर्ति शृंखला विस्तार में चुनौतियाँ शामिल हैं। अवसरों में प्रतिभाशाली कार्यबल को आकर्षित करना, विविधता को बढ़ावा देना और कर्मचारी कल्याण को बढ़ाना शामिल है।	• समान अवसरों को बढ़ावा देना • डीईआई प्रशिक्षण प्रदान करना • सुरक्षित कार्य वातावरण बनाना • मानवाधिकारों का समर्थन करने वाली सामुदायिक पहल में शामिल होना।	डीईआई प्रशिक्षण, विविधता कार्यक्रम, नीति विकास में निवेश। सकारात्मक प्रभाव- कर्मचारी संतुष्टि, उत्पादकता, नवाचार और प्रतिष्ठा में सुधार। नकारात्मक प्रभाव - कानूनी शुल्क, जुर्माना, आपूर्ति शृंखला प्रबंधन लागत।
ज्ञानार्जन, विकास एवं कर्मचारी नियोजन	अवसर	प्रशिक्षण और कौशल विकास में निवेश करने से कर्मचारियों की क्षमताएं, नौकरी से संतुष्टि और संगठनात्मक कार्य-निष्पादन बढ़ता है।	• प्रशिक्षण की आवश्यकता की पहचान करना • संबंधित कौशल विकास प्रोग्राम प्रदान करना • करियर में आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करना	प्रशिक्षण कार्यक्रमों, संसाधनों, कैरियर विकास पहलों और कर्मचारी सहभागिता गतिविधियों में निवेश। सकारात्मक प्रभावों में कर्मचारी का बेहतर कार्य-निष्पादन, प्रतिधारण, नौकरी से संतुष्टि और समग्र संगठनात्मक उत्पादकता शामिल है।
आपूर्ति शृंखला प्रबंधन	जोखिम और अवसर	प्रभावी आपूर्ति शृंखला प्रबंधन से समय पर सुपुर्दगी, गुणता नियंत्रण और नियामक अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है। इन जोखिमों में व्यवधान, गुणता संबंधी मुद्दे और आपूर्तिकर्ता का गैर-अनुपालन शामिल हैं। प्रक्रियाओं को इष्टतम बनाते हुए, लागत बचत, बेहतर मूल्य शृंखला जुड़ाव और टिकाऊ सोर्सिंग से अवसर उत्पन्न होते हैं।	• मज़बूत पूर्तिकर्ता चयन मानदंड स्थापित करना • नियमित लेखापरीक्षा • संविदाजन्य अनुपालन सुनिश्चित करना • वस्तुसूची प्रबंधन प्रणाली लागू करना • संधारणीय स्रोतण पद्धतियां • आपूर्ति शृंखला प्रचालन व्यवस्थि करने के लिए लाइसेंसधारी के साथ सहयोग करना • आईएसओ 20400 का कार्यान्वयन	आपूर्तिकर्ता मूल्यांकन, लेखापरीक्षा, सिस्टम कार्यान्वयन और वैकल्पिक आपूर्तिकर्ताओं में संभावित निवेश से जुड़ी लागत। सकारात्मक प्रभावों में बेहतर परिचालन दक्षता, लागत बचत, उत्पाद की गुणता और ग्राहक संतुष्टि शामिल हैं।

पहचाना गया महत्वपूर्ण मामला	बताएं कि यह जोखिम है या अवसर (आर/ओ)	जोखिम / अवसर की पहचान बताने का तर्क	जोखिम के मामले में, उसे अनुकूलित या कम करने के उपाय	जोखिम या अवसर का वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक या नकारात्मक निहितार्थ बताएं)
सामाजिक विकास तथा सामुदायिक भागीदारी	अवसर	सामाजिक विकास पहल और सामुदायिक भागीदारी में संलग्न होने से सकारात्मक सामाजिक प्रभाव पैदा हो सकता है, प्रतिष्ठा बढ़ सकती है और सामुदायिक समर्थन को बढ़ावा मिल सकता है। यह कार्पोरेट जिम्मेदारी को प्रदर्शित करता है, संचालन के लिए सामाजिक लाइसेंस प्रदान करता है और सतत विकास में योगदान देता है।	• समुदाय की ज़रूरतों और वरीयताओं की पहचान करना • स्थानीय संगठनों के साथ साझेदारी विकसित करना • शिक्षा व कौशल विकास कार्यक्रमों को समर्थन देना • समावेशी रोजगार पद्धतियों को बढ़ावा देना • समुदाय अवसंरचना और कल्याण परियोजनाओं में निवेश करना	सामुदायिक कार्यक्रमों और साझेदारियों में निवेश। सकारात्मक प्रभावों में बेहतर ब्रांड प्रतिष्ठा, ग्राहक निष्ठा, बेहतर सामुदायिक संबंध और संभावित दीर्घकालिक आर्थिक हितलाभ शामिल हैं।
हितधारक की संबद्धता	अवसर	प्रभावी हितधारक जुड़ाव पारदर्शिता, विश्वास और सहयोग को बढ़ावा देता है, जिससे बेहतर निर्णय लेने और दीर्घकालिक व्यापार स्थिरता प्राप्त होती है। हितधारकों के साथ जुड़ने से उनकी जरूरतों, अपेक्षाओं और चिंताओं को समझने में मदद मिलती है।	• प्रमुख हितधारकों की पहचान करना • संचार चैनल स्थापित करना • नियमित संवाद और परामर्श करना • फीडबैक देखना ह्व चिंताएं दूर करना • हितधारकों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल करना	हितधारक सहभागिता गतिविधियों और संसाधनों में निवेश। सकारात्मक प्रभावों में बेहतर हितधारक संबंध, बढ़ी हुई प्रतिष्ठा, कम संघर्ष और हितधारक समर्थन में वृद्धि शामिल है।
डेटा सुरक्षा और गुप्तता	जोखिम और अवसर	विश्वास बनाए रखने, नियामक अनुपालन और डेटा उल्लंघनों से बचने के लिए महत्वपूर्ण है। जोखिम में उल्लंघन, अनधिकृत पहुंच, कानूनी देनदारियां और प्रतिष्ठा जोखिम शामिल। अवसरों में बढ़ा हुआ विश्वास, अनुपालन और प्रतिस्पर्धात्मक लाभ शामिल हैं।	• मज़बूत डेटा सुरक्षा उपाय लागू करना ह्व एनक्रिप्शन प्रोटोकाल • एक्सेस कंट्रोल • नियमित लेखापरीक्षा • गुप्तता नीति विकसित करना • ग्राहकों की सहमति प्राप्त करना • कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना ह्व नियामकों का पालन करना	डेटा सुरक्षा प्रौद्योगिकियों, प्रशिक्षण में निवेश और अनुपालन। सकारात्मक प्रभाव – बेहतर विश्वास, कम जोखिम, अनुपालन और संभावित प्रतिस्पर्धी लाभ।
कार्पोरेट गवर्नेंस	अवसर	प्रभावी कार्पोरेट गवर्नेंस पद्धतियां पारदर्शिता, जवाबदेही और नैतिक व्यवहार बढ़ाती हैं।	• स्पष्ट गवर्नेंस नीतियां और प्रक्रियाएं स्थापित करना • बोर्ड की स्वतंत्रता और विविधता सुनिश्चित करना • वित्तीय / गैर-वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता बढ़ाना • जोखिम प्रबंधन रणनीतियां लागू करना	गवर्नेंस के ढांचे और अनुपालन उपायों में प्रारंभिक निवेश। सकारात्मक प्रभावों में निवेशकों का बढ़ा हुआ विश्वास, पूंजी तक पहुंच और दीर्घकालिक स्थिरता शामिल है।

पहचाना गया महत्वपूर्ण मामला	बताएं कि यह जोखिम है या अवसर (आर/ओ)	जोखिम / अवसर की पहचान बताने का तर्क	जोखिम के मामले में, उसे अनुकूलित या कम करने के उपाय	जोखिम या अवसर का वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक या नकारात्मक निहितार्थ बताएं)
आर्थिक कार्य-निषपादन	अवसर	वित्तीय सफलता और स्थिरता प्राप्त करने के लिए आर्थिक कार्य-निष्पादन में सुधार करना महत्वपूर्ण है। यह व्यवसाय के विकास को सक्षम बनाता है, निवेश को आकर्षित करता है और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाता है।	• लागत प्रबंधन और परिचालन दक्षता पर ध्यान देना • बाज़ार के अवसरों को पहचानना और उनका लाभ उठाना • नवाचार और उत्पाद सुधार के लिए अनुसंधान एवं विकास में निवेश करना • मजबूत ग्राहक संबंध बनाना और ग्राहकों की संतुष्टि बढ़ाना	सकारात्मक प्रभावों में राजस्व में वृद्धि, लाभप्रदता में सुधार और बेहतर बाज़ार स्थिति शामिल हैं
उत्पाद डिजाइन एवं जीवनचक्र प्रबंधन	अवसर	कुशल उत्पाद डिज़ाइन और जीवनचक्र प्रबंधन संसाधनों को अनुकूल बना सकता है, अपशिष्ट उत्पादन को कम कर सकता है और ईपीआर नियमों का अनुपालन कर सकता है। पैकेजिंग परिवर्तन पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने और स्थिरता में सुधार करने का अवसर देता है	• जीवनशैली आकलन कराना • कम सामग्री उपयोग के लिए पैकेजिंग डिज़ाइन को अनुकूल बनानाना • पुनर्चक्रण योग्य या कम्पोस्ट योग्य पैकेजिंग विकल्पों का पता लगाना • पूर्तिकर्ताओं के साथ सहयोग करना • ईपीआर लक्ष्यों में हुई प्रगति का पता लगाना	अनुसंधान, डिज़ाइन और पैकेजिंग परिवर्तन में प्रारंभिक निवेश। सकारात्मक प्रभावों में कम सामग्री लागत, बेहतर पर्यावरणीय कार्य-निष्पादन और नियामक आवश्यकताओं को पूरा करना शामिल हैं।
संरक्षा एवं गुणता (रेलनीर उत्पाद एवं खानपान सेवाएँ)	जोखिम और अवसर	ग्राहकों की संतुष्टि, प्रतिष्ठा और नियामक अनुपालन के लिए महत्वपूर्ण। जोखिमों में खाद्य जनित बीमारियाँ, संदूषण और असंतोष शामिल हैं। ग्राहकों की अपेक्षाओं को पूरा करने, विनियमों और विश्वास बनाने के अवसर उत्पन्न होते हैं।	• सख्त गुणता नियंत्रण • खाद्य सुरक्षा अनुपालन, लेखापरीक्षा • कर्मचारी प्रशिक्षण • ग्राहक का फीडबैक	गुणता आश्वासन, प्रशिक्षण और निगरानी में निवेश। सकारात्मक - ग्राहक निष्ठा, अधिक बिक्री और प्रतिष्ठा। नकारात्मक - दंड, कानूनी मुद्दे और प्रतिष्ठा को नुकसान।

खंड बी – प्रबंधन एवं प्रक्रिया संबंधी प्रकटण

इस अनुभाग का उद्देश्य व्यवसायों को एनजीआरबीसी के सिद्धांतों और मूल तत्वों को अपनाने के लिए बनाई गई संरचनाओं, नीतियों और प्रक्रियाओं को प्रदर्शित करने में मदद करना है।

प्रकटण के प्रश्न		पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
नीति एवं प्रबंधन संबंधी प्रक्रियाएं										
1.	ए. क्या आपकी संस्था की नीति/ नीतियां में एनजीआरबीसी के प्रत्येक सिद्धांत और उसके मूल तत्वों को शामिल किया गया है। (हां नहीं)	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
	बी. क्या नीति को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है? (हां नहीं)	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं

c. Web Link of the Policies, if available

पी1:	https://www.irctc.com/assets/images/fraud-prevention-policy.pdf , https://www.irctc.com/assets/images/CODE%20OF%20CONDUCT%20FOR%20IRCTC%20030223(1)3mar.pdf
पी2:	https://www.irctc.com/assets/images/IRCTC%20Sustainable%20Procurement%20Policy_12_6_23.pdf
पी3:	https://www.irctc.com/assets/images/Equal%20opportunity%20Policy%20for%20Person%20with%20Disabilities.pdf https://www.irctc.com/assets/images/IRCTC_Health_&_Safety_Policy_v1.0.pdf
पी4:	for%20Person%20with%20Disabilities.pdf
पी5:	https://www.irctc.com/assets/images/IRCTC_Health_&_Safety_Policy_v1.0.pdf https://www.irctc.com/assets/images/IRCTC_Human_Rights_Policy_v2.0.pdf https://www.irctc.com/assets/images/IRCTC%20Policy%20for%20Prevention%20OF%20Sexual%20Harassment%20Of%20Women%20At%20Workplace_12_6_23.pdf
पी6:	https://www.irctc.com/assets/images/IRCTC%20Policy%20for%20Prevention%20OF%20Sexual%20Harassment%20Of%20Women%20At%20Workplace_12_6_23.pdf
पी7:	https://www.irctc.com/assets/images/IRCTC_Public_Policy_Advocacy_Policy_v1.0.pdf
पी8:	https://www.irctc.com/assets/images/CSR-Vision-Document.pdf
पी9:	**॥ आईआरसीटीसी कार्पोरेट पोर्टल ॥**

		पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
2.	क्या संस्था ने नीति को प्रक्रियाओं में रूपांतरित किया है। (हां नहीं)	हां	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं	हां	हां
3.	क्या सूचीबद्ध नीतियां आपके मूल्य शृंखला भागीदारों पर लागू होती हैं? (हां नहीं)	हां	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं	हां	नहीं

4.	आपकी संस्था द्वारा अपनाए गए और मापे गए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कोड /प्रमाणपत्र /लेबल /मानकों (जैसे फ़ॉरेस्ट स्टीवर्डशिप काउंसिल, फ़ेयरट्रेड, रेनफ़ॉरेस्ट एलायंस, ट्रस्टिया) मानकों (जैसे SA 8000, OHSAS, ISO, BIS) का नाम बताएं	आईएसओ 9000-2015 गुणता प्रबंधन प्रणाली – रेल नीर संयंत्र आईएसओ 22000-2015 खाद्य संरक्षा एवं प्रबंधन प्रणाली – रेल नीर संयंत्र एवं बेस किचन पीसीआई डीएसएस सुरक्षा प्रमाणन – यात्रा एवं पर्यटन व्यवसाय बीआईएस मानक आईएस 14543-2004 – रेल नीर संयंत्र प्रौद्योगिकी में मानक के अनुरूप पानी की गुणता प्रदान करने में सक्षम शुद्धिकरण प्रक्रियाओं के आठ चरणों को लागू किया जाता है।
5.	संस्था द्वारा निर्धारित समयसीमा के साथ निर्धारित विशिष्ट प्रतिबद्धताएं, लक्ष्य, यदि कोई हो	वित्त वर्ष 2023-24 तक भ्रष्टाचार विरोधी उपाय लागू करना वित्त वर्ष 2022-23 तक कर्मचारी टर्नओवर दर कम करना वित्त वर्ष 2022-23 में हितधारक जुड़ाव अभ्यास वित्त वर्ष 2022-23 तक कर्मचारियों के लिए कौशल उन्नयन और प्रशिक्षण मंच वित्त वर्ष 2023-24 तक पर्यावरणीय निष्पादन और स्कोप 3 प्रकटण में सुधार

प्रकटण के प्रश्न		पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
6.	विशिष्ट प्रतिबद्धताओं, लक्ष्यों लक्ष्यों के समक्ष संस्था का कार्य-निष्पादन और यदि उन्हें पूरा न किया गया हो तो कारण भी बताएं।	रणनीति योजना एवं आईएसओ कार्यान्वयन प्रगति में हासिल उपलब्धइ भौतिकता मूल्यांकन किया गया आईआरसीटीसी कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण ऐप का विकास अंतिम चरण में रणनीति योजना एवं आईएसओ कार्यान्वयन प्रगति में								
गवर्नेंस नेतृत्व और निगरानी										
7.	व्यवसाय उत्तरदायित्व रिपोर्ट के लिए जिम्मेदार निदेशक का विवरण जिसमें ईएसजी से संबंधित चुनौतियों, लक्ष्यों और उपलब्धियों के बारे में बताया गया है (सूचीबद्ध संस्था को यह प्रकटण देने की लोचता है)	आईआरसीटीसी अपने दैनिक परिचालन में स्थिरता को सबसे आगे रखता है। स्थिरता के वैश्विक महत्व को स्वीकार करते हुए, हम गवर्नेंस को बनआए रखने और समाज और पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता प्रदर्शित करने में दृढ़ता से विश्वास करते हैं। हमने वर्षपर्यंत अपने संचालन, उत्पादों और सेवाओं के परिणामस्वरूप होने वाले प्रतिकूल पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों को कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इसमें अधिक कुशल और पर्यावरण के अनुकूल प्रोटोकॉल के साथ-साथ संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए स्थिर परिवर्तन शामिल है। स्वच्छ ऊर्जा के विकल्पों को अपनाने के वैश्विक महत्व स्वीकार करते हुए हमने जीवाश्म ईंधन पर अपनी निर्भरता को कम करने और नवीकरणीय समाधानों को अपनाने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं और ऐसा करना जारी रखेंगे। अपने बेस किचन में हमने पर्याप्त अपशिष्ट सृजनन से निपटने के लिए उपाय लागू किए हैं। उदाहरण के लिए, हमने ईंधन स्रोत के रूप में पीएनजी (पाइप्ड प्राकृतिक गैस) का इस्तेमाल करने के साथ-साथ अपशिष्ट सृनन को कम करने के लिए शीतलित सब्जियों की पद्धति को अपनाया है। इसके अलावा, हम इन रसोई घरों में सफाई के लिए आरओ के अपशिष्ट जल के पुन: उपयोग को प्राथमिकता देते हैं। हमारे रेलनीर परिचालन में गुणता के कड़े मानकों का पालन किया जाता है और अत्याधुनिक उपकरणों का उपयोग किया जाता है। अपने परिचालन को और मजबूत करने के लिए, हमने आईएसओ 9001 और आईएसओ 22000 प्रमाणपत्र अपनाए हैं। इन प्रयासों से आगे बढ़ते हुए, हम आईएसओ मानकों की शृंखला के कार्यान्वयन के माध्यम से अपने गवर्नेंस और सामाजिक स्तंभों को बढ़ाना और सुदृढ़ करना चाहते हैं। हम अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार करने, यात्री सुरक्षा और सुविधा बढ़ाने, पहुंच और समावेशन को बढ़ावा देने, अपने संचालन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने और डेटा गोपनीयता और सुरक्षा की रक्षा करने के प्रति अपने समर्पण पर दृढ़ बने हुए हैं। इन चुनौतियों का सक्रिय रूप से समाधान करते हुए, हम अपने ईएसजी के कार्य-निष्पादन को बढ़ाने और अधिक टिकाऊ और जिम्मेदार रेलवे परितंत्र को बढ़ावा देने में बहुमूल्य योगदान देने का प्रयास करते हैं। (सीमा कुमार) अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक								
8.	व्यवसाय उत्तरदायित्व नीति (नीति) के कार्यान्वयन और निरीक्षण के लिए जिम्मेदार सर्वोच्च प्राधिकारी का विवरण।	निदेशक मंडल कंपनी की व्यवसाय उत्तरदायित्व नीतियों और ईएसजी की महत्वाकांक्षाओं पर प्रगति की निगरानी करता है।								
9.	क्या संस्था के पास स्थिरता संबंधी मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार बोर्ड/निदेशक की निर्दिष्ट समिति है? (हां नहीं)। यदि हां, तो विवरण प्रदान करें	जी हां। कंपनी ने 31 मार्च, 2023 तक सीएसआर और एसडी समिति गठित की है जिसके सदस्य इस प्रकार हैं- 1. **श्रीमती रजनी हसीजा,** निदेशक (पर्यटन एवं विपणन) एवं सीएमडी (अतिरिक्त प्रभार) - अध्यक्ष 2. **श्री अजीत कुमार,** निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ - सदस्य 3. **श्री नीरज शर्मा,** सरकार द्वारा नामित निदेशक - सदस्य 4. **श्री नामग्याल वांगचुक,** स्वतंत्र निदेशक - सदस्य हालांकि, 31 मई, 2023 को श्रीमती रजनी हसीजा की सेवानिवृत्ति के बाद बोर्ड ने सीमा कुमार, एएम (टी एंड सी), रेलवे बोर्ड को आईआरसीटीसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार के साथ सीएसआर और एसडी समिति के अध्यक्ष का कार्यभार सौंपा गया है।								

10. कंपनी द्वारा एनजीआरबीसी की समीक्षा का विवरण –

समीक्षा का विषय	बताएं कि क्या निदेशक/बोर्ड की समिति/किसी अन्य समिति द्वारा समीक्षा की गई थी									आवृत्ति (वार्षिक/अर्धवार्षिक/तिमाही/कोई अन्य – कृपया निर्दिष्ट करें)								
	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
उपरोक्त नीतियों के समक्ष कार्य-निष्पादन एवं अनुवर्ती कार्रवाई	प्रथा के रूप में, कंपनी की बीआर नीतियों की समय-समय पर या आवश्यकता के आधार पर निदेशक मंडल/बोर्ड की समिति द्वारा समीक्षा की जाती है। इस मूल्यांकन के दौरान, नीतियों की प्रभावशीलता की समीक्षा की जाती है और नीतियों और प्रक्रियाओं में आवश्यक परिवर्तन लागू किए जाते हैं।																	
सिद्धांतों की प्रासंगिकता की वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन और किसी गैर-अनुपालन का सुधार	विभिन्न लागू कानूनों और विनियमों के अनुपालन की समीक्षा निदेशक मंडल द्वारा की जाती है।									तिमाही								

	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
11. क्या संस्था ने किसी बाहरी एजेंसी द्वारा अपनी नीतियों के कामकाज का स्वतंत्र आंकलन/मूल्यांकन कराया है? (हां नहीं)। यदि हां, तो एजेंसी का नाम बताएं।	जी हां, आईआईएम लखनऊ, आईआईटी बॉम्बे और विजन360								

नोट – कंपनी विभिन्न प्रबंधन प्रणालियों को लागू कर रही है जिसमें उक्त नीतियों का मूल्यांकन और उनमें संशोधन (यदि कोई हो) शामिल होगा।

12.यदि उपरोक्त प्रश्न (1) का उत्तर "नहीं" है अर्थात सभी सिद्धांत किसी नीति में शामिल नहीं किए गए हैं, तो इसका कारण बताएं–

	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
संस्था इन सिद्धांतों को अपने व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण नहीं मानती हैं (हां/नहीं)	लागू नहीं								
संस्था उस स्तर पर नहीं है जहां वह निर्दिष्ट सिद्धांतों पर नीतियां बनाने और लागू करने की स्थिति में है (हां/नहीं)									
संस्था के पास इस कार्य के लिए वित्तीय या/मानवीय और तकनीकी संसाधन उपलब्ध नहीं हैं (हां/नहीं)									
इसे अगले वित्त वर्ष में करने की योजना है (हां/नहीं)									
कोई अन्य कारण (कृपया बताएं)									

खंड सी – सिद्धांतवार कार्य–निष्पादन का प्रकटण

इस खंड का उद्देश्य व्यवसायों को एनजीआरबीसी सिद्धांतों और मूल तत्वों को अपनाने के लिए बनाई गई संरचनाओं, नीतियों और प्रक्रियाओं का कार्य–निष्पादन करने में मदद करना है।

सिद्धांत 1 **व्यवसायों को नैतिक, पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से ईमानदारी के साथ आचरण और शासन करना चाहिए।**

आवश्यक सूचक

1. **वित्त वर्ष में किसी भी सिद्धांत पर प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों द्वारा प्रतिशत समाविष्टि –**

खंड	आयोजित प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम की कुल सं.	प्रशिक्षण के अंतर्गत शामिल विषय/सिद्धांत और उसका प्रभाव	जागरूकता कार्यक्रमों में शामिल किए गए संबंधित श्रेणी के व्यक्तियों का प्रतिशत
निदेशक मंडल	2	• व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्टिंग – भारत में ईएसजी रिपोर्टिंग का नया अवतार • स्वतंत्र निदेशक (आई.डी.) अभिविन्यास कार्यक्रम	100%
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक	2	• पीओएसएच पर वेबिनार • व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्टिंग – भारत में ईएसजी रिपोर्टिंग का नया अवतार	100%
निदेशक मंडल और केएमपी के अलावा कर्मचारी	70	• निवारणात्मक सतर्कता • जेम के माध्यम से जीएफआर और सार्वजनिक खरीद • एशियन पैकेजिंग कांग्रेस – पैकेजिंग 3एस • श्रम कानून, पीएफ, ईएसआई, बोनस, उपदान सांविधिक अनुपालन • स्वस्थ और खुशहाल जीवन के लिए ध्यान • मिर्गी – देखभाल पूर्वोपाय ह्व कॉल सेंटर रिफ्रेशर प्रशिक्षण • पीओएसएच पर वेबिनार • अपशिष्ट जल का प्रचालन एवं रखरखाव तथा उन्नत कार्य • सीएसआर का कार्यान्वयन • उल्लंघन निवारण तथा प्रतिक्रिया परिचर्चा	100%
श्रमिक	लागू नहीं		

2. **वित्त वर्ष में नियामकों/कानून प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों के साथ कार्यवाही (संस्था द्वारा या निदेशकों/केएमपी द्वारा) में भुगतान की गई जुर्माना/दंड/आर्थिक दंड/निर्णय/कंपाउंडिंग शुल्क/निपटान राशि का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में दें।**

(नोट – संस्था सेबी (सूचीबद्धता के दायित्व और प्रकटण दायित्व) विनियम, 2015 के विनियम 30 में निर्दिष्ट और संस्था की वेबसाइट पर बताए अनुसार भौतिकता के आधार पर प्रकटण करेगी) –

	मौद्रिक				
	एनजीआरबीसी के सिद्धांत	नियामक/प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों का नाम	राशि (रु. में)	मामले का संक्षिप्त विवरण	क्या अपील को वरीयता दी गई (हां/ नहीं)
जुर्माना/आर्थिक दंड	वर्ष के दौरान कोई भी ऐसा मामला नहीं था जहां मौद्रिक कार्रवाई की गई हो।				
निपटारा					
कंपाउंडिंग शुल्क					

	गैर–मौद्रिक				
	एनजीआरबीसी के सिद्धांत	नियामक/प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों का नाम	राशि (रु. में)	मामले का संक्षिप्त विवरण	क्या अपील को वरीयता दी गई (हां/ नहीं)
कारावास	वर्ष के दौरान कोई भी ऐसा मामला नहीं था जहां गैर–मौद्रिक कार्रवाई की गई हो।				
दंड					

3. **उपरोक्त प्रश्न 2 में बताए गए उदाहरणों में से, उन मामलों में वरीय अपील/संशोधन का विवरण जहां मौद्रिक या गैर-मौद्रिक कार्रवाई की अपील की गई है।**

मामले का विवरण	नियामक/प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों का नाम
लागू नहीं	

4. **क्या संस्था में भ्रष्टाचार विरोधी या रिश्वत विरोधी नीति है? यदि हां, तो संक्षेप में विवरण प्रदान करें और यदि उपलब्ध हो, तो पॉलिसी का वेब-लिंक प्रदान करें**

आईआरसीटीसी में धोखाधड़ी की रोकथाम और संसूचना नीति के रूप में एक भ्रष्टाचार विरोधी और रिश्वत विरोधी नीति है। इस नीति में पूर्णकालिक, अंशकालिक या अस्थायी कर्मचारियों के साथ-साथ विक्रेताओं, आपूर्तिकर्ताओं, ठेकेदारों, सलाहकारों, सेवा प्रदाताओं, या संचालन करने वाली अन्य बाहरी संस्थाओं के प्रतिनिधियों सहित किसी प्रकार की धोखाधड़ी या संदिग्ध धोखाधड़ी के प्रकटण के प्रावधान शामिल किए गए हैं। आईआरसीटीसी के साथ व्यापार नैतिक आचरण के उच्च मानकों को बनाए रखने और भ्रष्ट प्रथाओं को रोकने के लिए कंपनी की प्रतिबद्धता के अंतर्गत, यह नीति धोखाधड़ी के मामलों की रिपोर्टिंग और जांच के लिए एक मजबूत प्रणाली प्रदान करती है।

उक्त धोखाधड़ी रोकथाम और संसूचना नीति के अलावा, आईआरसीटीसी ने बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों के लिए व्यावसायिक नैतिकता और आचरण संहिता के साथ-साथ सभी कर्मचारियों के लिए आचार संहिता भी लागू की है। यह संहिता कंपनी की दूरदृष्टि और मिशन के अनुरूप हैं जिसे संगठन के सभी स्तरों पर नैतिक व्यवहार और अखंडता को बढ़ावा देकर भ्रष्टाचार विरोधी और रिश्वत विरोधी नीति का समर्थन करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।

पालिसी का लिंक - https://www.irctc.com/assets/images/fraud-prevention-policy.pdf

5. **ऐसे निदेशकों/केएमपी/कर्मचारियों/कर्मचारियों की संख्या जिनके विरुद्ध रिश्वतखोरी/भ्रष्टाचार के आरोप में किसी कानून प्रवर्तन एजेंसी द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई -**

	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2021-22
निदेशक	शून्य	शून्य
केएमपी	शून्य	शून्य
कर्मचारी	33	55
श्रमिक	लागू नहीं	

6. **हित-संघर्ष के संबंध में शिकायतों का विवरण**

	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2021-22
निदेशकों के हित-संघर्ष के मामलों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या	हित-संघर्ष के संबंध में निदेशकों या केएमपी के विरुद्ध कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा किए गए अनुशासनात्मक उपायों के उदाहरणों के संबंध में कोई शिकायत नहीं की गई है।	
केएमपी के हित-संघर्ष के मामलों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या		

7. **भ्रष्टाचार और हित-संघर्ष के मामलों पर नियामकों/कानून प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों द्वारा जुर्माना/दंड/कार्रवाई से संबंधित मुद्दों पर की गई या चल रही सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।**

लागू नहीं

नेतृत्व सूचक

1. **वित्त वर्ष के दौरान किसी सिद्धांत पर मूल्य श्रृंखला भागीदारों के लिए आयोजित जागरूकता कार्यक्रम**

आयोजित जागरूकता कार्यक्रमों की कुल सं.	प्रशिक्षण के विषय / सिद्धांत	जागरूकता कार्यक्रमों में शामिल किए गए मूल्य श्रृंखला भागीदारों का % (ऐसे भागीदारों के साथ किए गए व्यवसाय के मूल्य के आधार पर)।
कंपनी मूल्य श्रृंखला भागीदारों को विभिन्न सिद्धांतों के लिए समय-समय पर निर्धारित दिशानिर्देशों की सूचना देती है। हालांकि, आईआरसीटीसी अपनी सभी संगठनात्मक गतिविधियों में एक स्थायी खरीद प्रणाली आईएसओ 20400:2017 को लागू करने की प्रक्रिया में है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि आगामी रिपोर्टिंग अवधि में संगठन से जुड़े सभी मूल्य श्रृंखला भागीदारों को शामिल करते हुए एनजीआरबीसी सिद्धांतों पर प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।		

2. **क्या संस्था में बोर्ड के सदस्यों से जुड़े हित-संघर्ष से बचने/प्रबंधन के लिए प्रक्रियाएं हैं? (हां/नहीं) यदि हां, तो उसका विवरण प्रदान करें।**

कंपनी में हित-संघर्ष की नीति है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बोर्ड के सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन किसी भी तरह के अनौचित्य कार्य से बचें और संगठन के सर्वोत्तम हित में कार्य करें। इस नीति में निदेशक मंडल के सदस्यों और संगठन के वरिष्ठ प्रबंधन और संगठन के हितों के बीच उत्पन्न होने वाले हित-संघर्ष की पहचान करने, उसका प्रकटण करने और उससे निपटने के लिए दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं। हित-संघर्ष से बचने के लिए, आईआरसीटीसी निश्चित दिशानिर्देशों का पालन करता है। इस नीति में हित-संघर्ष को हल करने की एक प्रक्रिया और हित-संघर्ष के विवादों को दूर करने की व्यवस्था भी की गई है। इस नीति का उल्लंघन करने पर उचित कार्रवाई की जी है जिसमें अनुशासनात्मक कार्रवाई भी शामिल है। कुल मिलाकर, आईआरसीटीसी में बोर्ड के सदस्यों से जुड़े हित-संघर्ष से निपटने और उससे बचने की समुचित प्रक्रियाएं मौजूद हैं।

सिद्धांत 2 — व्यवसायों को सुरक्षित तरीके से सामान और सेवाएं प्रदान करनी चाहिए।

आवश्यक सूचक

1. **संस्था द्वारा किए गए कुल अनुसंधान एवं विकास और पूंजीगत व्यय में उत्पाद और प्रक्रियाओं के पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों को बेहतर बनाने वाली विशिष्ट प्रौद्योगिकियों में क्रमश: अनुसंधान एवं विकास और पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) में किए गए निवेश का प्रतिशत।**

	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2021-22	पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों में सुधार का विवरण
आर एंड डी	शून्य	शून्य	वर्तमान में आईआरसीटीसी ईएसजी लक्ष्यों पर अनुसंधान एवं विकास और कैपेक्स खर्च को अलग से नहीं दर्शाता है।
कैपेक्स	शून्य	शून्य	

2. **ए. क्या संस्था के पास टिकाऊ सोर्सिंग के लिए प्रक्रियाएं मौजूद हैं? (हां नहीं)**

जी हां, आईआरसीटीसी ने यह सुनिश्चित करने के लिए एक स्थायी खरीद नीति अपनाई है कि उसकी सोर्सिंग प्रथाएं उसके स्थिरता लक्ष्यों के अनुरूप हों। इस नीति में पर्यावरण अनुकूल उत्पादों और सेवाओं के उपयोग, अपशिष्ट और उत्सर्जन में कमी और सामाजिक रूप से जिम्मेदार आपूर्तिकर्ताओं के समर्थन पर जोर दिया जाता है। यह नीति आईआरसीटीसी के संचालन में अक्षय ऊर्जा और ऊर्जा-कुशल प्रौद्योगिकियों के उपयोग को भी प्रोत्साहित करती है। आईआरसीटीसी की सभी खरीद भारत के जेम (गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस) पोर्टल के माध्यम से की जाती है। जेम के कुछ प्रमुख प्रावधानों में कानूनी अनुपालन, नैतिक मानक, हित-संघर्ष का प्रकटण, गुणता आश्वासन, सामाजिक दायित्व, पर्यावरणीय दायित्व और डेटा संरक्षण शामिल हैं। आईआरसीटीसी खानपान और कार्य अनुबंधों के लिए रेल मंत्रालय के स्टोर/सिविल इंजीनियरिंग निदेशालय द्वारा जारी सामान्य निविदा प्रक्रियाओं का भी पालन करता है। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने अगले वित्त वर्ष में कंपनी की खरीद प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए टिकाऊ खरीद प्रणाली आईएसओ 20400:2017 लागू करने की योजना बनाई है।

बी. यदि हां, तो कितनी प्रतिशत सामग्री स्थायी रूप से प्राप्त की गई?

36.5%

3. **(ए) प्लास्टिक (पैकेजिंग सहित) (बी) ई-अपशिष्ट (सी) खतरनाक अपशिष्ट और (डी) अन्य अपशिष्ट के लिए अपने उत्पादों को पुन: उपयोग, पुनर्चक्रण और जीवन के अंत में निपटान के लिए सुरक्षित रूप से पुन: प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं का वर्णन करें।**

ए) प्लास्टिक अपशिष्ट

आईआरसीटीसी के प्रमुख उत्पाद - रेल नीर में प्लास्टिक और पैकेजिंग के लिए ईपीआर नियमों का पालन किया जाता है। कंपनी ने रेल नीर उत्पादों के संग्रह, पुनर्चक्रण और उनके जीवन चक्र के अंत में निपटान की प्रक्रियाएं स्थापित की हैं। अपशिष्ट को निर्दिष्ट बिंदुओं के माध्यम से एकत्र किया जाता है और उत्तरदायी प्रबंधन के लिए प्राधिकृत विक्रेताओं को भेजा जाता है। इसमें ईपीआर नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है और रेल नीर से जुड़े प्लास्टिक अपशिष्ट के उत्तरदायी संचालन को बढ़ावा दिया जाता है।

बी) ई-अपशिष्ट

आईआरसीटीसी ने प्राधिकृत विक्रेता के माध्यम से ई-अपशिष्ट के पुनर्चक्रण और अनुपयुक्त आईटी उत्पादों के निपटान की व्यवस्था की है। इस व्यवस्था में उन इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की पहचान करना और उनका निपटान करना शामिल है जिनका उपयोगी जीवन पूरा हो चुका है या जो बेकार हो गए हैं, जैसे प्रिंटर, कंप्यूटर, यूपीएस, कीबोर्ड, माउस और स्विच।

सी) खतरनाक अपशिष्ट

आईआरसीटीसी का आईटी विभाग प्रिंटर, कंप्यूटर, यूपीएस, कीबोर्ड, माउस और स्विच सहित इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के निपटान के लिए उचित प्रोटोकॉल लागू करता है, जो अप्रचलित या बेकार हो गए हैं। इन वस्तुओं का प्रबंधन जिम्मेदार और पेशेवर तरीके से किया जाता है।

डी) अन्य अपशिष्ट

आईआरसीटीसी में विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट को कुशलतापूर्वक अलग करने और प्रबंधित करने के लिए दो-बिन अपशिष्ट पृथक्करण प्रणाली का उपयोग किया जाता है। अलग किए गए अपशिष्ट के जिम्मेदार निपटान के लिए उसे नगर निगम को सौंप दिया जाता है।

4 **क्या विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व (ईपीआर) संस्था के कार्यकलापों पर लागू होता है (हां/नहीं)। यदि हां, तो क्या अपशिष्ट संग्रहण योजना प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को प्रस्तुत विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व (ईपीआर) योजना के अनुरूप है? यदि नहीं, तो इसका समाधान करने के लिए उठाए गए उपाय बताएं।**

रेल नीर पैकेज्ड पेयजल के निर्माता के रूप में आईआरसीटीसी में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 और उसके बाद के संशोधनों की आवश्यकताओं का अनुपालन किया जाता है। कंपनी विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व (ईपीआर) योजना के कार्यान्वयन के माध्यम से पीडब्लूएम नियमों के तहत अपने दायित्वों को पूरी सावधानी के साथ निभाती है।

आईआरसीटीसी ने ईपीआर दायित्वों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष एजेंसी के साथ औपचारिक साझेदारी की है। यह एजेंसी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के साथ पंजीकरण करने, समय पर तिमाही ईपीआर अनुपालन प्रस्तुत करने, पीईटी बोतलें और श्रिंक-रैपिंग सामग्री एकत्र करने, निरस्त की गई सामग्री के संग्रह का समन्वय करने, अतिरिक्त क्रशिंग मशीनें स्थापित करने और टेक-बैक क्रेडिट जारी करने की सुविधा जैसे कार्यों के लिए जिम्मेदार है। यह औपचारिक व्यवस्था जिम्मेदार और जवाबदेह तरीके से अपने ईपीआर दायित्वों को पूरा करने में आईआरसीटीसी की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

सिद्धांत 3 व्यवसायों को अपनी मूल्य शृंखला के कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों के कल्याण का सम्मान करना चाहिए और उन्हें बढ़ावा देना चाहिए।

आवश्यक सूचक

1. ए. कर्मचारियों के कल्याण के लिए किए गए उपायों का विवरण-

वर्ग	निम्नलिखित में शामिल कर्मचारियों का %										
		स्वास्थ्य बीमा		दुर्घटना बीमा		मातृत्व हितलाभ		पितृत्व हितलाभ		डेकेयर सुविधा	
	कुल (ए)	सं. (बी)	% (बी/ए)	सं. (सी)	% (सी/ए)	सं. (डी)	% (डी/ए)	सं. (ई)	% (ई/ए)	सं. (एफ)	% (एफ/ए)
स्थायी कर्मचारी											
पुरुष	1,242	1,242	100%	1,242	100%	ला.न.	ला.न.	1,242	100%	ला.न.	ला.न.
महिला	114	114	100%	114	100%	114	100%	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.
कुल	**1,356**	**1,356**	**100%**	**1,356**	**100%**	**114**	**8.40%**	**1,242**	**91.50%**	**ला.न.**	**ला.न.**
स्थायी कर्मचारियों के अलावा											
पुरुष	662	662	100%	42	6.3%	0	0	42	6.3%	ला.न.	ला.न.
महिला	211	211	100%	2	0.9%	211	100%	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.
कुल	**873**	**873**	**100%**	**44**	**5.0%**	**211**	**24.10%**	**42**	**4.8%**	**ला.न.**	**ला.न.**

बी. श्रमिकों के कल्याण के लिए किए गए उपायों का विवरण-

वर्ग	निम्नलिखित में शामिल कर्मचारियों का %										
		स्वास्थ्य बीमा		दुर्घटना बीमा		मातृत्व हितलाभ		पितृत्व हितलाभ		डेकेयर सुविधा	
	कुल (ए)	सं. (बी)	% (बी/ए)	सं. (सी)	% (सी/ए)	सं. (डी)	% (डी/ए)	सं. (ई)	% (ई/ए)	सं. (एफ)	% (एफ/ए)
स्थायी कर्मचारी											
पुरुष	लागू नहीं										
महिला											
कुल											
स्थायी कर्मचारियों के अलावा											
पुरुष	लागू नहीं										
महिला											
कुल											

2. चालू वित्त वर्ष और पिछले वित्त वर्ष में सेवानिवृत्ति अनुलाभों का विवरण –

अनुलाभ	वित्त वर्ष 2022–23			वित्त वर्ष 2021–22		
	कुल कर्मचारियों के % के रूप में शामिल किए गए कर्मचारियों की सं.	कुल श्रमिकों के % के रूप में शामिल किए गए श्रमिकों की सं.	कटौती की गई और प्राधिकारी के पास जमा क गई (हां/नहीं/ला.न.)	कुल कर्मचारियों के % के रूप में शामिल किए गए कर्मचारियों की सं.	कुल श्रमिकों के % के रूप में शामिल किए गए श्रमिकों की सं.	कटौती की गई और प्राधिकारी के पास जमा क गई (हां/नहीं/ला.न.)
पीएफ	100%	ला.न.	हां	100%	ला.न.	हां
उपदान	100%	ला.न.	हां	100%	ला.न.	हां
ईएसआई	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.
एनपीएस	100%	ला.न.	Y	100%	ला.न.	हां

3. कार्यस्थलों की पहुंच

क्या दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की आवश्यकताओं के अनुसार संस्था के परिसर/कार्यालय दिव्यांग कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए सुलभ हैं? यदि नहीं, तो क्या संस्था द्वारा इस संबंध में कोई कदम उठाया जा रहा है?

जी हां, कंपनी के परिसर और कार्यालय दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार दिव्यांग कर्मचारियों के लिए पहुंच योग्य हैं। पहुंच सुनिश्चित करने और हमारे प्रतिष्ठानों में दिव्यांग जनों की परेशानी दूर करने के लिए हमने कई उपायों को पूरी सावधानी के साथ लागू किया है। इन उपायों में शामिल है –

1. **रैंप –** कार्यालय परिसर में अच्छी तरह से निर्मित रैंप हैं जिनसे व्हीलचेयर या अन्य गतिशीलता सहायता पर निर्भर कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए सुचारू और निर्बाध आवाजाही की सुविधा प्रदान की जाती है।
2. **लिफ्ट सुविधाएं –** हमने ऐसे लिफ्ट स्थापित किए हैं जिनमें पहुंच मानकों का सख्ती से पालन किया जाता है, जिनसे कार्यालय भवन की विभिन्न मंजिलों तक गतिशीलता सीमाओं वाले व्यक्तियों के लिए सुविधाजनक ऊर्ध्वाधर पहुंच की सुविधा दी जाती है।
3. **व्हीलचेयर की सुविधाएं–** चलने-फिरने में अक्षम व्यक्तियों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, हमने व्हीलचेयर को रखने और उनका उपयोग के लिए अपने कार्यालय परिसर के भीतर विशेष क्षेत्र की व्यवस्था की है।
4. **पार्किंग–** हमने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुविधाजनक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रवेश द्वारों के पास पार्किंग तैयार किया है।
5. **शौचालय की आसान पहुंच–** हमारा कार्यालय परिसर में दिव्यांग व्यक्तियों की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सुनियोजित ढंग से डिजाइन किए गए सुलभ शौचालय हैं।

4. क्या संस्था के पास दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार समान अवसर नीति है? यदि हां, तो इस नीति का वेब-लिंक दें।

कंपनी ने दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार एक व्यापक समान अवसर नीति लागू की है। यह नीति यह सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन की गई है कि दिव्यांग व्यक्तियों को अधिनियम में उल्लिखित उनके अधिकार और हक प्रदान किए जाएं। इसमें विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है, जिसमें अध्याय तख की धारा 34 के अनुसार आरक्षण का प्रावधान, आवास का आवंटन और दिव्यांग लोगों के लिए भौतिक और डिजिटल दोनों सुविधाएं प्रदान करना शामिल है। इसके अलावा, इस नीति में संगठन के भीतर दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा सामना किए जाने वाले भेदभाव की किसी भी तरह की समस्या को दूर करने के लिए एक मजबूत शिकायत निवारण तंत्र शामिल है। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए समान अवसर नीति का वेब-लिंक https://www.irctc.com/assets/images/Equal%20opportunity%20Policy%20for%20Person%20with%20Disabilities.pdf है।

5. मातृत्व-पितृत्व की छुट्टी लेने वाले स्थायी कर्मचारियों और श्रमिकों की काम पर वापसी और प्रतिधारण दरें।

लिंग	स्थायी कर्मचारी		स्थायी श्रमिक	
	काम पर वापसी दर	प्रतिधारण दर	काम पर वापसी दर	प्रतिधारण दर
पुरुष	100%	100%	लागू नहीं	
महिला	100%	100%		
कुल	100%	100%		

6. **क्या निम्नलिखित श्रेणियों के कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए शिकायतें प्राप्त करने और उनका निवारण करने की कोई व्यवस्था उपलब्ध है? यदि हां, तो ऐसी व्यवस्था का संक्षेप में विवरण दें। हां/नहीं**

	हां/नहीं (यदि हां, तो संक्षेप में ऐसी व्यवस्था का विवरण दें)
स्थायी श्रमिक	लागू नहीं
स्थायी श्रमिकों के अलावा	
स्थायी कर्मचारी	आईआरसीटीसी अपने कर्मचारियों की शिकायतें प्राप्त करने और उनके निवारण के लिए कई उपाय करता है। इसमें कर्मचारी पोर्टल शामिल है, जिसमें कर्मचारी अपनी शिकायतों को दर्ज और ट्रैक कर सकते हैं। संगठन में कार्य परिस्थितियों, भुगतान और कर्मचारियों से संबंधित अन्य मुद्दों से संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिए कर्मचारी शिकायत रजिस्टर भी रखा जाता है। आईआरसीटीसी ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए एक समिति भी गठित की है और कर्मचारियों को प्रबंधन के साथ अपनी चिंताओं पर चर्चा करने में सक्षम बनाने के लिए "टॉक टू मैनेजमेंट" नामक कार्यक्रम शुरू किया है।
स्थायी कर्मचारियों के अलावा	आईआरसीटीसी ने कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करने और अपने गैर-स्थायी और संविदा कर्मचारियों के लिए सुरक्षित कार्य परिवेश को बढ़ावा देने के उपाय किए हैं। इन उपायों में कर्मचारी शिकायत रजिस्टर रखना और कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए समिति का गठन शामिल है।

7. **सूचीबद्ध संस्था द्वारा मान्यता प्राप्त एसोसिएशन या यूनियनों में कर्मचारियों और श्रमिकों की सदस्यता**

वर्ग	वित्त वर्ष 2022–23			वित्त वर्ष 2021–22		
	संबंधित वर्ग में कुल कर्मचारी / श्रमिक (ए)	संबंधित वर्ग के कर्मचारियों / श्रमिकों की सं. जो एसोसिएशन या यूनियन के सदस्य हैं (बी)	% (बी/ए)	संबंधित वर्ग में कुल कर्मचारी / श्रमिक (ए)	संबंधित वर्ग के कर्मचारियों / श्रमिकों की सं. जो एसोसिएशन या यूनियन के सदस्य हैं (बी)	% (बी/ए)
कुल स्थायी कर्मचारी	लागू नहीं					
पुरुष						
महिला						
कुल स्थायी श्रमिक						
पुरुष						
महिला						

8. **कर्मचारियों एवं श्रमिकों को दिए गए प्रशिक्षण का विवरण**

वर्ग	वित्त वर्ष 2022–23					वित्त वर्ष 2021–22				
	कुल (ए)	स्वास्थ्य एवं संरक्षा उपायों पर		कौशल उन्नयन पर		कुल (डी)	स्वास्थ्य एवं संरक्षा उपायों पर		कौशल उन्नयन पर	
		सं. (बी)	% (बी/ए)	सं. (सी)	% (सी/ए)		सं.(ई)	% (ई/डी)	सं. (एफ)	% (एफ/डी)
कर्मचारी										
पुरुष	1,242	272	21.9%	1,010	81.3%	1,239	369	29.7%	1,097	88.5%
महिला	114	72	62.0%	99	86.8%	112	70	62.5%	104	92.8%
कुल	**1,356**	**344**	**25.3%**	**1,109**	**86.8%**	1,351	439	32.5%	1,198	88.9%
श्रमिक										
पुरुष	लागू नहीं									
महिला										
कुल										

9. Details of performance and career development reviews of employees and worker

वर्ग	वित्त वर्ष 2022-23			वित्त वर्ष 2021-22		
	कुल (ए)	सं. (बी)	% (बी/ए)	कुल (सी)	सं.(डी)	% (डी/सी)
कर्मचारी						
पुरुष	1,284	1284	100%	1294	1294	100%
महिला	116	116	100%	114	114	100%
कुल	**1,400**	**1400**	**100%**	**1408**	**1408**	**100%**
श्रमिक						
पुरुष	लागू नहीं					
महिला						
कुल						

नोट- कार्य-निष्पादन और कैरियर विकास की समीक्षा केवल स्थायी कर्मचारियों और प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों के लिए की गई है

10. **स्वास्थ्य एवं संरक्षा प्रबंधन प्रणाली –**

ए. क्या संस्था द्वारा व्यावसायिक स्वास्थ्य और संरक्षा प्रबंधन प्रणाली लागू की गई है? (हां नहीं)। यदि हां, तो ऐसी प्रणाली की समाविष्टि?

कंपनी में स्वास्थ्य और संरक्षा पर नीति कार्यान्वित है और इसे समय-समय पर विभिन्न संबंधित विभागों और आपूर्ति श्रृंखला भागीदारों को सूचित और दोहराया जाता है। हालांकि, कंपनी कर्मचारी स्वास्थ्य और संरक्षा के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए आगामी वित्त वर्ष में आईएसओ 45001 को लागू करने की दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रही है।

बी. कार्य-संबंधी खतरों की पहचान करने और संस्था द्वारा नियमित और गैर-नियमित आधार पर जोखिमों का आकलन करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाएं कौन सी हैं?

आईआरसीटीसी अपने कर्मचारियों के स्वास्थ्य और संरक्षा को सुनिश्चित करने पर बहुत जोर देता है। संगठन में व्यावसायिक दुर्घटनाओं, चोटों और बीमारियों को रोकने के उद्देश्य से कई उपाय और प्रक्रियाएं लागू की गई हैं। आईआरसीटीसी अपने सभी कर्मचारियों के बीच व्यावसायिक स्वास्थ्य और संरक्षा जागरूकता और सक्षमता बनाने में विश्वास करता है और उसने योग सत्र, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए प्रशिक्षण और खाद्य सुरक्षा और व्यक्तिगत साफ-सफाई पर ऑनलाइन प्रशिक्षण जैसे अनेक प्रशिक्षण आयोजित किए हैं।

कर्मचारी संरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के अलावा, आईआरसीटीसी अपने व्यावसायिक स्वास्थ्य और संरक्षा मिशन में अपने आपूर्तिकर्ताओं और ठेकेदारों को भी शामिल करता है, अपेक्षाओं को साझा करता है और सुरक्षित और टिकाऊ आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित करने के लिए उनके साथ जुड़ता है। संगठन में इसके कार्यालय में एक वरिष्ठ डॉक्टर को नियुक्त किया गया है जिनकी सेवाएं स्थायी लोगों को छोड़कर अन्य सभी कर्मचारियों द्वारा समय-समय पर प्राप्त की जाती हैं। आईआरसीटीसी अपने कार्यालयों, रेल नीर संयंत्रों और ऑन-बोर्ड कर्मचारियों की संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर दिशानिर्देश भी जारी करता है। इसके अलावा, संगठन कर्मचारियों को अग्निशमन उपकरणों का इस्तेमाल करने पर भी प्रशिक्षण प्रदान करता है।

सी. क्या आपके पास श्रमिकों के लिए काम से संबंधित खतरों की रिपोर्ट करने और खुद को ऐसे जोखिमों से दूर करने की प्रक्रियाएं हैं। (हां/नहीं)

लागू नहीं

डी. क्या संस्था के कर्मचारियों/श्रमिकों को गैर-व्यावसायिक चिकित्सा और स्वास्थ्य देखभाल सेवाएँ उपलब्ध हैं? (हां नहीं)

हां, आईआरसीटीसी गैर-व्यावसायिक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते हुए अपने कर्मचारियों के कल्याण को प्राथमिकता देता है। कंपनी द्वारा वित्त पोषित चिकित्सा बीमा के माध्यम से, कर्मचारियों और उनके आश्रितों को व्यापक चिकित्सा बीमारक्षा दी जाती है। इसमें इनडोर उपचार के लिए नकदरहित सुविधाएं और बाह्य रोगी देखभाल के लिए मूल वेतन के 7% के बराबर मासिक चिकित्सा भत्ता शामिल है। आईआरसीटीसी की चिकित्सा सुविधा बिना किसी निर्दिष्ट मौद्रिक सीमा के इनडोर उपचार के लिए बीमारक्षा सुनिश्चित करती है, जिससे कर्मचारियों को महत्वपूर्ण सहायता मिलती है। कंपनी योग कार्यक्रमों, मैराथन सत्रों और स्वास्थ्य जागरूकता सत्रों का आयोजन करते हुए सक्रिय रूप से शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देती है, जिससे कर्मचारियों के कल्याण के लिए समग्र दृष्टिकोण को बढ़ावा मिलता है।

11. **संरक्षा संबंधी घटनाओं का विवरण**

संरक्षा घटना / संख्या	वर्ग	वित्त वर्ष 2022–23	वित्त वर्ष 2021–22
ह्रास-समय चोट आवृत्ति दर (एलटीआईएफआर) (प्रति दस लाख-व्यक्ति काम किए गए घंटे)	कर्मचारी	शून्य	शून्य
	श्रमिक	ला.न.	ला.न.
कुल रिकॉर्ड करने योग्य कार्य-संबंधी चोटें	कर्मचारी	शून्य	शून्य
	श्रमिक	ला.न.	ला.न.
हताहतों की संख्या	कर्मचारी	शून्य	शून्य
	श्रमिक	ला.न.	ला.न.
उच्च परिणाम कार्य-संबंधी चोट या खराब स्वास्थ्य (हताहत को छोड़कर)	कर्मचारी	NIL	NIL
	श्रमिक	NA	NA

12. **संरक्षित और स्वस्थ कार्यस्थल सुनिश्चित करने के लिए संस्था द्वारा किए गए उपायों का वर्णन करें।**

1. आईआरसीटीसी में व्यापक स्वास्थ्य और संरक्षा नीति है, जिसमें संरक्षित और स्वस्थ कार्य परिवेश सुनिश्चित किया जाता है।
2. सभी कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती है, जिससे उनके कल्याण को बढ़ावा मिलता है।
3. नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कर्मचारियों को अग्नि सुरक्षा, आपातकालीन प्रक्रियाओं और उचित उपकरण संचालन पर जानकारी दी जाती है।
4. चोटों के जोखिम को कम करने के लिए एर्गोनोमिक वर्कस्टेशन और उपकरण प्रदान किए जाते हैं।
5. कल्याण कार्यक्रम, स्वास्थ्य जांच और जागरूकता अभियान जैसी पहलों में कर्मचारी कल्याण को प्राथमिकता दिया जाता है।
6. कंपनी द्वारा आग का पता लगाने, अलार्म लगाने और आग बुझाने की प्रणाली प्रदान की जाती है और उसका रखरखाव किया जाता है।

13. **कर्मचारियों और श्रमिकों द्वारा निम्नलिखित पर की गई शिकायतों की संख्या –**

वर्ग	वित्त वर्ष 2022–23			वित्त वर्ष 2021–22		
	वर्ष के दौरान दाखिल	वर्षांत में जिनका समाधान लंबित है	अभ्युक्ति	वर्ष के दौरान दाखिल	वर्षांत में जिनका समाधान लंबित है	अभ्युक्ति
कामकाजी परिस्थितियां	वित्त वर्ष 2022-23 और वित्त वर्ष 2021-22 दोनों में कामकाजी परिस्थितियों और स्वास्थ्य और संरक्षा के संबंध में शिकायतों का कोई मामला सामने नहीं आया।					
स्वास्थ्य एवं संरक्षा						

14. **वर्ष का आंकलन**

	आपके संयंत्रों और कार्यालयों का % जिनका मूल्यांकन किया गया (संस्था या वैधानिक प्राधिकारियों या तीसरे पक्ष द्वारा)
स्वास्थ्य एवं संरक्षा पद्धतियां	0%
कामकाजी परिस्थितियां	0%

15. **संरक्षा-संबंधी घटनाओं (यदि कोई हो) और स्वास्थ्य एवं संरक्षा पद्धतियों और कामकाजी परिस्थितियों के आकलन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं के समाधान के लिए की गई या चल रही सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।**

शून्य

सिद्धांत 4 **व्यवसायों को अपने सभी हितधारकों के हितों का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए**

आवश्यक सूचक

1. **संस्था के प्रमुख हितधारक समूहों की पहचान करने की प्रक्रियाओं का वर्णन करें।**

   आईआरसीटीसी में विभिन्न प्रकार के हितधारकों के साथ मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्राप्त करने, उनकी जरूरतों और अपेक्षाओं को समझने और स्थायी रणनीति विकसित करने के लिए अपनी संबद्धता को महत्व दिया जाता है। कंपनी अपने संचालन और दीर्घकालिक स्थिरता पर आंतरिक और बाहरी दोनों हितधारकों के महत्व और प्रभाव को ध्यान में रखते हुए गहन भौतिकता मूल्यांकन करती है। ऐसे मूल्यांकन से आईआरसीटीसी पर उनके प्रभाव और निर्भरता के आधार पर हितधारकों को प्राथमिकता देने में मदद मिलती है। उद्योग-विशिष्ट हितधारकों को समझने के लिए सहकर्मी विश्लेषण भी आयोजित किया जाता है। इन परिणामों को मिलाकर, आईआरसीटीसी हितधारकों को उनके महत्व और प्रभाव के आधार पर वर्गीकृत करता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से हितधारकों की जरूरतों की प्रभावी सहभागिता और समझ हासिल की जाती है और प्राप्त फीडबैक का उपयोग रणनीतियों और निर्णय लेने में किया जा सकता है। आईआरसीटीसी अपनी दूरदृष्टि, पर्यावरण प्रथाओं, सामाजिक जिम्मेदारियों और गवर्नेंस संरचना पर अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए हितधारकों के साथ सक्रिय रूप से परामर्श करता है। यह हितधारक सहभागिता प्रक्रिया हितधारकों की अपेक्षाओं के साथ संरेखण सुनिश्चित करती है और पारस्परिक रूप से लाभप्रद संबंधों को बढ़ावा देती है।

2. **आपकी संस्था के लिए महत्वपूर्ण हितधारक समूहों की सूची बनाएं और प्रत्येक हितधारक समूह के साथ संबद्धता की आवृत्ति बताएं।**

हितधारक समूह	क्या कमजोर और हाशिए पर रहने वाले समूहों के रूप में पहचाना गया है (हां/नहीं)	संचार के चैनल (ईमेल, एसएमएस, समाचार पत्र, पैम्फलेट, विज्ञापन, सामुदायिक बैठकें, नोटिस बोर्ड, वेबसाइट), अन्य	संबद्धता की आवृत्ति (वार्षिक/अर्धवार्षिक/तिमाही/अन्य – कृपया बताएं)	ऐसी संबद्धता के दौरान उठाए गए प्रमुख विषयों और चिंताओं सहित संबद्धता का उद्देश्य और कार्यक्षेत्र
शेयरधारक और निवेशक समूह	नहीं	• प्रेस विज्ञप्ति • निवेशक सम्मेलन • व्यक्तिगत बैठकें • ईमेल • वार्षिक आम बैठकें • वार्षिक रिपोर्ट और स्टॉक एक्सचेंज घोषणा • मीटिंग और कॉल	निरंतर	• वित्तीय कार्य-निष्पादन • व्यवसाय रणनीति और निष्पादन योजना • व्यवसाय का कार्य-निष्पादन • कार्पोरेट गवर्नेंस
ग्राहक	नहीं	• सर्वे • नियोजन गतिविधियाँ • वेबसाइट • डिजिटल प्लेटफार्म- सोशल मीडिया • विज्ञापन	निरंतर	• सेवाएं प्राप्त करना • सूचनाएं • स्थिरता प्रमाण पत्र • फीडबैक
कर्मचारी	नहीं	• सूचना पट्ट • ईमेल और कॉल • कार्यालय आदेश • कार्पोरेट पोर्टल • कर्मचारी सहभागिता सर्वेक्षण • व्यक्तिगत बैठकें	निरंतर	• सूचनाएं • प्रशिक्षण व ज्ञानार्जन के अवसर • विविधता • व्यावसायिक गतिविधियां • परामर्श सत्र
सरकार और नियामक	नहीं	• सूचना • ईमेल • कार्यालय ज्ञापन • प्रेस विज्ञप्तियां	निरंतर	• कार्पोरेट व्यवहार • सूचनाएं • नियामक मामले
आपूर्तिकर्ता एवं विक्रेता	नहीं	• ईमेल और कॉल • वेबसाइट • खरीद आदेश • आपूर्तिकर्ता समीक्षाएँ • व्यक्तिगत मुलाकात	निरंतर	• व्यावसायिक कार्यकलाप • गुणता जांच • सूचनाएं
गैर सरकारी संगठन/समुदाय	हां	• ईमेल और कॉल • बैठकें • पत्राचार	निरंतर	• लेखापरीक्षाएं • फीडबैक • रिपोर्ट

सिद्धांत 5 व्यवसायों को मानवाधिकारों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें बढ़ावा देना चाहिए

आवश्यक सूचक

1. कर्मचारी और श्रमिक जिन्हें मानवाधिकार संबंधी मुद्दों और संस्था की नीतियों पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया है

वर्ग	वित्त वर्ष 2022-23			वित्त वर्ष 2021-22		
	कुल (ए)	शामिल कर्मचारियों / श्रमिकों की सं. (बी)	% (बी/ए)	कुल (सी)	शामिल कर्मचारियों / श्रमिकों की सं. (डी)	% (डी/सी)
कर्मचारी						
स्थायी	1,356	543	40.0%	1,408	201	14.3%
स्थायी के अलावा	873	17	2.0%	563	12	2.1%
कुल कर्मचारी	**2,229**	**560**	**25.1%**	1,971	213	10.8%
श्रमिक						
स्थायी	लागू नहीं					
स्थायी के अलावा						
कुल कर्मचारी						

2. कर्मचारियों और श्रमिकों को भुगतान किए गए न्यूनतम वेतन का विवरण

वर्ग	वित्त वर्ष 2022-23					वित्त वर्ष 2021-22				
	कुल (ए)	न्यूनतम वेतन के समतुल्य		न्यूनतम वेतन से अधिक		कुल (डी)	न्यूनतम वेतन के समतुल्य		न्यूनतम वेतन से अधिक	
		सं.(बी)	% (बी/ए)	सं. (सी)	% (सी/ए)		सं. (ई)	% (ई/डी)	सं. (एफ)	% (एफ/डी)
कर्मचारी										
स्थायी										
पुरुष	1,242	शून्य	शून्य	1242	100.0%	1,294	शून्य	शून्य	1,294	100.0%
महिला	114	शून्य	शून्य	114	100.0%	114	शून्य	शून्य	114	100.0%
स्थायी के अलावा										
पुरुष	662	132	20.0%	530	80.0%	415	8	1.9%	407	98.0%
महिला	211	58	27.5%	153	72.5%	148	4	2.7%	144	97.2%
श्रमिक										
स्थायी	लागू नहीं									
पुरुष										
महिला										
स्थायी के अलावा										
पुरुष										
महिला										

3. पारिश्रमिक/वेतन/मजदूरी का विवरण

लिंग	पुरुष		महिला	
	सं.	संबंधित वर्ग का मध्यम पारिश्रमिक / वेतन / मजदूरी	सं.	संबंधित वर्ग का मध्यम पारिश्रमिक / वेतन / मजदूरी
निदेशक मंल (बीओडी)	2*	₹48,33,825/-	1*	₹61,43,175/-
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी)	2	₹48,33,825/-	2	₹26,07,111/-
बीओडी और केएमपी के अलावा कर्मचारी	1,902	₹7,50,352/-	323	₹4,71,741/-
श्रमिक	लागू नहीं			

*यह केवल कार्यात्मक निदेशकों को दर्शाता है।

4. **क्या आपके पास कोई केंद्र बिंदु (व्यक्ति/समिति) है जो व्यवसाय द्वारा उत्पन्न या योगदान किए गए मानवाधिकार प्रभावों या मुद्दों का समाधान करने के लिए जिम्मेदार है? (हां नहीं)**

जी हां।

5. **मानवाधिकार मुद्दों से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए मौजूद आंतरिक तंत्र का वर्णन करें।**

आईआरसीटीसी ने एक प्रभावी संचार मैट्रिक्स लागू किया है जो उसके कर्मचारियों और प्रबंधन के बीच सीधे संपर्क को सक्षम बनाता है। संगठन ने मानवाधिकार शिकायतों के समाधान के लिए कई तंत्र स्थापित किए हैं, जिनमें कर्मचारी पोर्टल, कर्मचारी शिकायत रजिस्टर और कार्यस्थल में यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए समर्पित एक समिति शामिल है। इसके अलावा, आईआरसीटीसी ने "टॉक टू मैनेजमेंट" नामक कार्यक्रम शुरु किया है, जो कर्मचारियों और प्रबंधन के बीच खुली बातचीत को प्रोत्साहित करता है, जिसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि मानवाधिकार से संबंधित किसी भी मुद्दे को तुरंत और कुशलता से निपटाया जाए। इसके अलावा, आईआरसीटीसी की मानवाधिकार नीति में कहा गया है कि मानवाधिकार उल्लंघन के संबंध में कोई भी शिकायत प्राप्त करने के लिए मानव संसाधन विभाग जिम्मेदार है। एक खुली, निष्पक्ष और पारदर्शी प्रणाली बनाए रखने के लिए, प्राप्तकर्ता को सभी शिकायतों का तुरंत और संतोषजनक ढंग से समाधान करना होगा। यह नीति यह सुनिश्चित करने के लिए आईआरसीटीसी की प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि उसके सभी कर्मचारियों के मानवाधिकारों का सम्मान और सुरक्षा की जाती है और उन्हें एक सहायक और सुरक्षित कार्य परिवेश उपलब्ध कराया जाता है।

6. **यौन उत्पीड़न, भेदभाव पर कर्मचारियों और श्रमिकों द्वारा की गई शिकायतों की संख्या**

वर्ग	वित्त वर्ष 2022–23			वित्त वर्ष 2021–22		
	वर्ष के दौरान दाखिल	वर्ष के अंत में जिनका समाधान लंबित है	अभ्युक्ति	वर्ष के दौरान दाखिल	वर्ष के अंत में जिनका समाधान लंबित है	अभ्युक्ति
यौन उत्पीड़न	3	1	पीओएसएच नीति मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है और तुरंत हल किया जाता है	1	शून्य	
कार्यस्थल में भेदभाव	शून्य	शून्य		शून्य	शून्य	
बाल श्रम	शून्य	शून्य		शून्य	शून्य	
बलात श्रम / अनिच्छुक श्रम	शून्य	शून्य		शून्य	शून्य	
मजदूरी	शून्य	शून्य		शून्य	शून्य	
मानवाधिकार के अलावा अन्य मुद्दे	शून्य	शून्य		शून्य	शून्य	

7. **भेदभाव और उत्पीड़न के मामलों में शिकायतों के प्रतिकूल परिणामों को रोकने वाला तंत्र।**

आईआरसीटीसी मानवाधिकारों का सम्मान करने के लिए प्रतिबद्ध है और उसने मानवाधिकारों के उल्लंघन संबंधी किसी भी शिकायत के समाधान के लिए शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया है। कंपनी का मानव संसाधन विभाग इन शिकायतों को प्राप्त करता है और उन्हें तुरंत और संतोषजनक ढंग से सुलझाने के लिए जिम्मेदार है। यह प्रणाली मानवाधिकार संबंधी चिंताओं से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए एक खुली, न्यायसंगत और पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करती है।

भारत में पीओएसएच (यौन उत्पीड़न रोकथाम) अधिनियम के अनुसार, आईआरसीटीसी ने भेदभाव और उत्पीड़न के मामलों में प्रतिकूल परिणामों को रोकने के लिए तंत्र लागू किया है। कंपनी ने एक सक्षम प्राधिकारी को नियुक्त किया है जो आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) के पुनर्गठन के लिए जिम्मेदार हैं। आईसीसी में एक पीठासीन अधिकारी, दो कर्मचारी सदस्य और यौन उत्पीड़न के मुद्दों के जानकार एक बाहरी सदस्य होते हैं। आईसीसी समिति के पास कार्पोरेट स्तर पर आईआरसीटीसी के सभी कार्यालयों और प्रतिष्ठानों का अधिकार क्षेत्र है। आईआरसीटीसी की कोई भी महिला कर्मचारी, जिसमें प्रतिनियुक्ति पर तैनात कर्मचारी और नामित अनुशासनात्मक अधिकारी (डीडीओ) शामिल हैं, यौन उत्पीड़न से संबंधित लिखित शिकायतें समिति को प्रस्तुत कर सकते हैं। यह तंत्र सुनिश्चित करता है कि पीओएसएच अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप, इसमें शामिल व्यक्तियों के अधिकारों और कल्याण की रक्षा करते हुए शिकायतों को दूर करने और हल करने के लिए एक संरचित प्रक्रिया मौजूद है।

8. **क्या मानवाधिकार आवश्यकताएँ आपके व्यावसायिक समझौतों और अनुबंधों का हिस्सा हैं? (हां नहीं)**

जी हां, मानवाधिकार आवश्यकताएँ हमारे व्यावसायिक समझौतों और अनुबंधों का एक अभिन्न अंग हैं। कंपनी यह सुनिश्चित करती है कि उसके आपूर्तिकर्ता और ठेकेदार मानवाधिकारों से संबंधित राज्य और केंद्रीय दोनों कानूनों का अनुपालन करें। इन आवश्यकताओं को अनुबंधों और समझौतों में शामिल किया गया है, जिससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि इसमें शामिल सभी पक्ष मानवाधिकार सिद्धांतों को बनाए रखते हैं और उनका सम्मान करते हैं।

9.

वर्ष का मूल्यांकन	आपके संयंत्रों और कार्यालयों का % जिनका मूल्यांकन किया गया (संस्था या वैधानिक प्राधिकारियों या तीसरे पक्ष द्वारा)
बाल श्रम	0%
बलात श्रम / अनिच्छुक श्रम	0%
यौन उत्पीड़न	0%
कार्यस्थल में भेदभाव	0%
मजदूरी	0%
अन्य - बताएं	0%

10. उपरोक्त प्रश्न 9 में मूल्यांकन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं को दूर करने के लिए की गई या चल रही सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

शून्य

सिद्धांत 6 **व्यवसायों को पर्यावरण का सम्मान करना चाहिए और उसे सुरक्षित रखने तथा पुनर्स्थापित करने के प्रयास करने**

आवश्यक सूचक

1. कुल ऊर्जा खपत (जूल या गुणकों में) और ऊर्जा तीव्रता का विवरण

परिमापी	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2021-22
कुल बिजली खपत **(ए)**	73,662.80 GJ	42,156.89 GJ
कुल ईंधन खपत **(बी)**	2,491.26 GJ	923.78 GJ
अन्य स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा की खपत **(सी)**	679.24 GJ	2,214.94 GJ
कुल ऊर्जा खपत (ए+बी+सी)	**76,833.30 GJ**	**45,295.61 GJ**
टर्नओवर के प्रति रुपए पर ऊर्जा तीव्रता (कुल ऊर्जा खपत/टर्नओवर रुपए में	0.000002	0.000002
ऊर्जा तीव्रता (वैकल्पिक) - संस्था द्वारा संबंधित मीट्रिक का चयन किया जाए	-	-

नोट - बताएं कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आंकलन/मूल्यांकन किया गया है/आश्वासन दिया गया है? (हां/नहीं) यदि हां, तो बाहरी एजेंसी का नाम बताएं।

नहीं, कंपनी ने किसी बाहरी एजेंसी द्वारा स्वतंत्र मूल्यांकन नहीं कराया है।

2. क्या संस्था के पास भारत सरकार के कार्य-निष्पादन, उपलब्धि और व्यापार (पीएटी) योजना के तहत नामित उपभोक्ताओं (डीसी) के रूप में पहचानी गई कोई साइट/सुविधाएं हैं? (हां/नहीं) यदि हां, तो बताएं कि क्या पीएटी योजना के तहत निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए हैं। यदि लक्ष्य प्राप्त नहीं किए गए हैं, तो की गई सुधारात्मक कार्रवाई, यदि कोई हो, के बारे में बताएं।

लागू नहीं

3. जल से संबंधित निम्नलिखित प्रकटणों का विवरण प्रदान करें-

परिमापी	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2021-22
स्रोत द्वारा जल निकासी (किलोलीटर में)		
(i) सतही जल	1,11,553.00	78,204.00
(ii) भूजल	33,85,867.14	2,84,602.95
(iii) तृतीय पक्ष जल	81,541.36	19,008.14
(iv) समुद्री जल / / विलवणीकृत जल	-	-
(v) अन्य	-	-
जल निकासी की कुल मात्रा (किलोलीटर में) (I + ii + iii + iv + v)	35,78,961.5	3,81,815.09
जल खपत की कुल मात्रा (किलोलीटर में)	35,78,961.5	3,81,815.09
टर्नओवर के प्रति रुपए में जल की तीव्रता (पानी की खपत/टर्नओवर)	0.0001	0.00002
जल की तीव्रता (वैकल्पिक) - संस्था द्वारा संबंधित मीट्रिक का चयन किया जाए	-	-

4. **क्या संस्था ने शून्य तरल निर्वहन के लिए कोई तंत्र लागू किया है? यदि हां, तो इसकी समाविष्टि और कार्यान्वयन का विवरण दें।**

नहीं

5. **कृपया संस्था द्वारा वायु उत्सर्जन (जीएचजी उत्सर्जन के अलावा) का विवरण दें**

परिमापी	कृपया यूनिट बताएं	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2021-22
एनओक्स			
एसओक्स			
पार्टिकुलेट मैटर (पीएम)			
लगातार जैविक प्रदूषक (पीओपी)		शून्य	
वाष्पशील कार्बनिक यौगिक (वीओसी)			
खतरनाक वायु प्रदूषक (एचएपी)			
अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें			

नोट - बताएं कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आंकलन/मूल्यांकन किया गया/आश्वासन दिया गया है? (हां/नहीं) यदि हां, तो बाहरी एजेंसी का नाम बताएं।

नहीं, कंपनी ने किसी बाहरी एजेंसी द्वारा स्वतंत्र मूल्यांकन नहीं कराया है।

6. **ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन (स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन) और इसकी तीव्रता का विवरण दें**

परिमापी	कृपया यूनिट बताएं	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2021-22
कुल स्कोप 1 उत्सर्जन (यदि उपलब्ध हो तो GHG into CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6, NF3, में विभाजन)	CO2 मीट्रिक टन समतुल्य	169.79	78.77
कुल स्कोप 2 उत्सर्जन (यदि उपलब्ध हो तो GHG into CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6, NF3, में विभाजित करना)	CO2 मीट्रिक टन समतुल्य	14,630.00	8,373.00
कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन प्रति रुपये टर्नओवर		**0.00000042**	**0.00000045**
कुल कार्यक्षेत्र 1 और कार्यक्षेत्र 2 उत्सर्जन तीव्रता (वैकल्पिक) - संस्था द्वारा संबंधित मीट्रिक चुना जाए		-	-

नोट - बताएं कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आंकलन/मूल्यांकन/आश्वासन दिया गया है? (हां/नहीं) यदि हां, तो बाहरी एजेंसी का नाम बताएं।

नहीं, कंपनी ने किसी बाहरी एजेंसी द्वारा स्वतंत्र मूल्यांकन नहीं कराया है।

7. **क्या संस्था के पास ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने से संबंधित कोई परियोजना है? यदि हां, तो विवरण दें।**

नहीं, कंपनी के पास ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने से संबंधित कोई परियोजना नहीं है।

8. **संस्था द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित विवरण दें**

परिमापी	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2021-22
सृजित कुल अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)		
प्लास्टिक अपशिष्ट (ए)	8,842.00*	4,370.72
ई- अपशिष्ट (बी)	13.64	4.03
जैव-चिकित्सा अपशिष्ट (सी)	-	-
निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट (डी)	-	-
बैटरी अपशिष्ट (ई)	0.49	0.12
रेडियोधर्मी अपशिष्ट (एफ)	-	-
अन्य खतरनाक अपशिष्ट। कृपया बताएं,, यदि कोई हो। (जी)	-	-
उत्पन्न अन्य गैर-खतरनाक अपशिष्ट (एच)। कृपया बताएं, यदि कोई हो। (रचना के आधार पर विभाजन अर्थात क्षेत्र से संबंधित सामग्री के आधार पर)	5.05	5.09
कुल (ए+ बी + सी + डी + ई + एफ + जी + एच)	**8,861.18**	**4,379.96**

परिमापी	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2021-22
उत्पन्न अपशिष्ट की प्रत्येक श्रेणी के लिए, पुनर्चक्रण, पुन: प्रयुक्त या अन्य पुनर्प्राप्ति कार्यों के माध्यम से पुनर्प्राप्त कुल अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)		
अपशिष्ट का वर्ग		
(i) पुनर्चक्रित	2,177.00**	4,171.00
(ii) पुन: प्रयुक्त	-	-
(iii) अन्य पुनर्प्राप्ति कार्य- वापस लेना और प्राधिकृत विक्रेता को बेचना	14.13	4.15
कुल	**2,191.13**	**4,175.15**
उत्पन्न अपशिष्ट की प्रत्येक श्रेणी के लिए, निपटान विधि की प्रकृति के अनुसार निपटान किया गया कुल अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)		
अपशिष्ट का वर्ग		
(i) जलाना	-	-
(ii) भूमि भराव (गैर-हानिकारक अपशिष्ट)	6,670.05	204.81
(iii) निपटान के अन्य कार्य	-	-
कुल	**6,670.05**	**204.81**

नोट- बताएं कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आंकलन/मूल्यांकन/आश्वासन दिया गया है? (हां/नहीं) यदि हां, तो बाहरी एजेंसी का नाम बताएं।

नहीं, कंपनी ने किसी बाहरी एजेंसी द्वारा स्वतंत्र मूल्यांकन नहीं कराया है।

नोट- *पीडब्लूएम के नियमों और सीपीसीबी के दिशानिर्देशों के अनुसार, पिछले वर्ष की बिक्री के आधार पर संग्रह को ध्यान में रखते हुए, वित्त वर्ष 2022-23 में उत्पन्न अपशिष्ट का 100% संग्रह वित्त वर्ष 2023-24 में पूरा किया जाएगा।

** पीडब्लूएम के नियमों और सीपीसीबी दिशानिर्देशों के अनुसार, वित्त वर्ष 2022-23 का लक्ष्य पिछले वर्ष की कुल बिक्री का 70% तय किया गया है।

9. अपने प्रतिष्ठानों में अपनाई गई अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं का संक्षेप में वर्णन करें। आपके उत्पादों और प्रक्रियाओं में खतरनाक और जहरीले रसायनों के उपयोग को कम करने के लिए आपकी कंपनी द्वारा अपनाई गई रणनीति और ऐसे अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए अपनाई गई प्रथाओं का वर्णन करें।

आईआरसीटीसी ने विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट का जिम्मेदार प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए अपने प्रतिष्ठानों में प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं को लागू किया है। प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन ईपीआर नियमों के अनुसार किया जाता है, जिसमें रेल नीर उत्पादों को प्राधिकृत विक्रेताओं के माध्यम से एकत्र, पुनर्नवीनीकरण और निपटान किया जाता है। अप्रचलित इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं सहित ई-अपशिष्ट को प्राधिकृत विक्रेता के सहयोग से एक तंत्र के माध्यम से पुनर्नवीनीकरण और निपटान किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे खतरनाक अपशिष्ट का स्थापित प्रोटोकॉल का पालन करते हुए उचित तरीके से निपटान किया जाता है। दो-बिन प्रणाली का उपयोग करते हुए अपशिष्ट पृथक्करण किया जाता है और अलग किए गए अपशिष्ट को जिम्मेदार निपटान के लिए नगर निगम को सौंप दिया जाता है। आईआरसीटीसी अपने उत्पादों और प्रक्रियाओं में सुरक्षित और गैर विषैले सामग्रियों के उपयोग सहित स्थायी प्रथाओं पर जोर देता है। कंपनी यह सुनिश्चित करते हुए गर्व महसूस करती है कि उसके उत्पाद उत्पादन और उपयोग दोनों में खतरनाक और जहरीले रसायनों से मुक्त हैं।

10. क्या संस्था में पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (जैसे राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व, आर्द्रभूमि, जैव विविधता हॉटस्पॉट, वन, तटीय विनियमन क्षेत्र इत्यादि) में/उनके आस-पास संचालन/कार्यालय हैं, जहां पर्यावरणीय अनुमोदन/अनुमति की आवश्यकता है

संचालन/कार्यालयों का स्थान	संचालन का प्रकार	क्या पर्यावरणीय स्वीकृति/अनुमति की शर्तों का पालन किया जा रहा है? (हां/नहीं) यदि नहीं, तो उसके कारण और की गई सुधारात्मक कार्रवाई, यदि कोई हो
	शून्य	

11 चालू वित्त वर्ष में लागू नियमों के आधार पर संस्था द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव आकलन का विवरण

परियोजना का नाम और संक्षिप्त विवरण	ईआईए अधिसूचना संख्या	दिनांक	क्या किसी स्वतंत्र बाहरी एजेंसी द्वारा किया गया (हां / नहीं)	परिणाम सार्वजनिक मंच पर सूचित (हां/ नहीं)	संबंधित वेब लिंक
			शून्य		

12. **क्या संस्था भारत में लागू पर्यावरण कानून/विनियम/दिशानिर्देशों का अनुपालन करती है; जैसे जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियम (हां / नहीं)। यदि नहीं, तो ऐसे सभी गैर–अनुपालनों का विवरण दें।**

उस कानून/विनियम/दिशानिर्देशों को निर्दिष्ट करें जिनका अनुपालन नहीं किया गया	गैर–अनुपालन का विवरण प्रदान करें	प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या न्यायालयों जैसी नियामक एजेंसियों द्वारा लगाया गया कोई जुर्माना/अर्थ दंड/ की गई कार्रवाई	की गई सुधारात्मक कार्रवाई, यदि कोई हो
शून्य			

सिद्धांत 7 सार्वजनिक और नियामक नीति को प्रभावित करने में व्यवसायों को जिम्मेदार और पारदर्शी तरीके से काम करना चाहिए

आवश्यक सूचक

1. ए. **व्यापार और उद्योग चैंबरों/संघों के साथ संबद्धताओं की संख्या– 22**

   बी. **शीर्ष 10 व्यापार और उद्योग चैंबरों/संघों की सूची दें (ऐसे निकाय के कुल सदस्यों के आधार पर निर्धारित) जहां संस्था सदस्य/संबद्ध है।**

क्र. सं.	व्यापार एवं उद्योग चैम्बर्स का नाम/ संघों	व्यापार और उद्योग मंडलों/संघों तक पहुंच (राज्य/राष्ट्रीय)
1.	सार्वजनिक उद्यमों का स्थायी सम्मेलन	राष्ट्रीय
2.	फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की)	राष्ट्रीय
3.	अखिल भारतीय प्रबंधन संघ (एआईएमए)	राष्ट्रीय
4.	इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स (आईसीसी)	राष्ट्रीय
5	इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स (आईएटीओ)	राष्ट्रीय
6.	ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (टीएएआई)	राष्ट्रीय
7.	एसोसिएशन ऑफ डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर्स ऑफ इंडिया (एडीटीओआई)	राष्ट्रीय
8.	पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन (पीएटीए)	राष्ट्रीय
9.	पर्यटन मंत्रालय (इनबाउंड)	राष्ट्रीय
10.	ट्रैवल एजेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (टीएएफआई)	राष्ट्रीय

2. **नियामक अधिकारियों के प्रतिकूल आदेशों के आधार पर संस्था द्वारा प्रतिस्पर्धा–विरोधी आचरण से संबंधित किसी भी मुद्दे पर की गई या चल रही सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण दें।**

प्राधिकरण का नाम	मामले का संक्षिप्त विवरण	की गई सुधारात्मक कार्रवाई
वित्त वर्ष 2022–23 में प्रतिस्पर्धा–विरोधी आचरण का कोई मामला सामने नहीं आया है		

सिद्धांत 8 व्यवसायों को समावेशी विकास और न्यायसंगत विकास को बढ़ावा देना चाहिए

आवश्यक सूचक

1. **चालू वित्त वर्ष में लागू कानून के आधार पर संस्था द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) का विवरण**

परियोजना का नाम और संक्षिप्त विवरण	एसआईए अधिसूचना सं.	अधिसूचना की तारीख	क्या स्वतंत्र बाहरी एजेंसी द्वारा किया गया है (हां / नहीं)	परिणाम सार्वजनिक डोमेन में संप्रेषित हैं (हां/नहीं)	संबंधित वेब लिंक
आईआरसीटीसी के संचालन और परियोजनाओं की प्रकृति के कारण एसआईए आईआरसीटीसी पर लागू नहीं है। मुख्य रूप से रेलवे क्षेत्र के भीतर एक सेवा प्रदाता के रूप में, आईआरसीटीसी की परियोजनाओं में आम तौर पर बुनियादी ढांचे का विकास, खानपान सेवाएं, पर्यटन पहल और ऑनलाइन टिकटिंग सेवाएं शामिल होती हैं। इन परियोजनाओं में महत्वपूर्ण भूमि अधिग्रहण, समुदायों का विस्थापन या प्रमुख पर्यावरणीय या सामाजिक प्रभाव शामिल नहीं हैं जिनके लिए औपचारिक एसआईए प्रक्रिया की आवश्यकता होगी। इसलिए, आईआरसीटीसी के संचालन और परियोजनाओं पर एसआईए लागू नहीं है।					

2. **ऐसी परियोजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करें जिनके लिए आपकी संस्था द्वारा चल रहे पुनर्वास और पुनर्वासन (आर एंड आर) का कार्य किया जा रहा है**

परियोजना का नाम जिसके लिए आर एंड आर चल रहा है	राज्य	जिला	परियोजना प्रभावित परिवारों की सं. (पीएएफ)	आर एंड आर द्वारा शामिल पीएएफ का %	वित्त वर्ष में पीएएफ को अदा की गई राशि (भारतीय रु. में)
लागू नहीं					

3. **समुदाय की शिकायतें प्राप्त करने और उनका निवारण करने की व्यवस्था के बारे में बताएं।**

आईआरसीटीसी ने अपनी सीएसआर नीति में उल्लिखित अनुसार समुदाय की शिकायतों को प्राप्त करने और उनके निवारण के लिए एक तंत्र स्थापित किया है। इस नीति में हितधारकों या कार्यान्वयन एजेंसियों से अपील और शिकायतें प्राप्त करने के लिए स्तर-2 समिति का प्रावधान करती है। स्तर-2 समिति अपने स्तर पर शिकायतों के निवारण के लिए जिम्मेदार होती है और जरूरत पड़ने पर कानूनी विशेषज्ञों की सहायता लेती है। यदि मामला गंभीर हो या स्तर-2 समिति द्वारा हल नहीं किया जा सकता हो, तो इसे आगे की कार्रवाई के लिए स्तर-1 समिति को भेजा जा सकता है। अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक या एक स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता वाली स्तर-1 समिति, समग्र शिकायत समाधान प्रक्रिया की देखरेख करती है और यह सुनिश्चित करती है कि शिकायतों के समाधान के लिए उचित कार्रवाई की जाए। नोडल अधिकारी की अध्यक्षता वाली स्तर-2 समिति शिकायतों को प्राप्त करने और उन्हें सुचारू रूप से सुलझाने के लिए परिचालन-संपर्क बिंदु के रूप में कार्य करती है। ये समितियाँ सामुदायिक शिकायतों का समय पर और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने, पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पक्ष परिणामों को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करती हैं।

स्तर-1 और स्तर- समितियों के अलावा, आईआरसीटीसी द्वारा अनुबंधित सीएसआर की सभी परियोजनाओं में विवादों के समाधान के लिए खंड शामिल किए गए हैं। इन खंडों का विवरण सीएसआर के वीज़न दस्तावेज़ के आईआरसीटीसी-सीएसआर-डी-23 और आईआरसीटीसी-सीएसआर-डी-24 में दिया गया है।

4. **आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त इनपुट सामग्री का प्रतिशत (मूल्य के आधार पर कुल इनपुट में इनपुट)।**

विवरण	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2021-22
एमएसएमई/छोटे उत्पादकों से सीधे प्राप्त	36.5%	30.7%
जिले के भीतर और पड़ोसी जिले से सीधे प्राप्त	शून्य	शून्य

नेतृत्व सूचक

1. **सामाजिक प्रभाव आकलन में पहचाने गए नकारात्मक सामाजिक प्रभाव को कम करने के लिए की गई कार्रवाई का विवरण दें**

पहचाने गए नकारात्मक सामाजिक प्रभाव का विवरण	की गई सुधारात्मक कार्रवाई
लागू नहीं	

2. **सरकारी निकायों द्वारा पहचाने गए नामित आकांक्षी जिलों में आपकी संस्था द्वारा शुरू की गई सीएसआर परियोजनाओं पर निम्नलिखित जानकारी दें**

राज्य	आकांक्षी जिला	खर्च की गई राशि रु. में
सिक्किम	पश्चिम सिक्किम	10,66,600
	पूर्वी सिक्किम	30,00,000
उत्तराखंड	उधम सिंह नगर	9,80,000
गुजरात	नर्मदा	9,52,000
हरियाणा	मेवात	27,81,940
राजस्थान	जैसलमेर	6,73,850
उत्तर प्रदेश	चित्रकूट	6,73,850
	सिद्धार्थनगर	30,41,168
महाराष्ट्र	वाशिम	17,98,000

3. ए. **क्या आपके पास कोई वरीय खरीद नीति है जहां आप हाशिए पर मौजूद/कमजोर समूहों वाले आपूर्तिकर्ताओं से खरीदारी को प्राथमिकता देते हैं? (हां नहीं)**

नहीं

बी. **आप किन हाशिये पर पड़े/कमजोर समूहों से खरीदारी करते हैं?**

लागू नहीं

सी. **आप किन हाशिये पर पड़े/कमजोर समूहों से खरीदारी करते हैं?**

लागू नहीं

4. **पारंपरिक ज्ञान के आधार पर, आपकी संस्था के स्वामित्व या अर्जित बौद्धिक संपदा (चालू वित्त वर्ष में) से प्राप्त और साझा किए गए लाभों का विवरण दें**

पारंपरिक ज्ञान पर आधारित बौद्धिक संपदा	स्वामित्व में / अर्जित (हां / नहीं)	दिए गए अनुलाभ (हां/नहीं)	दिए गए अनुलाभों की गणना का आधार
शून्य			

5. **बौद्धिक संपदा से संबंधित विवादों में किसी प्रतिकूल आदेश के आधार पर की गई या चल रही सुधारात्मक कार्रवाइयों का विवरण, जिसमें पारंपरिक ज्ञान का उपयोग शामिल है।**

प्राधिकरण का नाम	मामले का संक्षिप्त विवरण	की गई सुधारात्मक कार्रवाई
लागू नहीं		

6. **सीएसआर परियोजनाओं के लाभार्थियों का विवरण**

सीएसआर परियोजना	सीएसआर परियोजाओं से लाभान्वित व्यक्तियों की सं.	कमजोर और हाशिए के समूहों से लाभार्थियों का %
सरल एनजीओ को वित्तीय सहायता, बिहार के नालंदा में लड़कियों के एप्लिकेशन विकास प्रशिक्षण के लिए लैपटॉप और प्रिंटर प्रदान करना।	750	90%
रेलनीर संयंत्र, अमेठी के आसपास किया गया पौधारोपण	1000	70%
वाराणसी, उ.प्र. के जनरल अस्पताल के लिए स्टेनलेस स्टील मॉड्यूलर किचन का निर्माण	15000	80%
लीला माँ विंध्यवासिन संस्थान समिति, भोपाल को टेबल टेनिस उपकरण का प्रावधान	500	90%
नालंदा, बिहार में हाशिए पर रहने वाली आबादी के लिए नवीन हिलनेट कीटनाशक जाल की खरीद और वितरण	2000	90%
फूलपुर, प्रयागराज के छोटे गांवों में हैंडपंपों की स्थापना	3200	90%
पुरी और बालासूर में अपशिष्ट प्रबंधन के लिए ई-कार्ट और ई-रिक्शा की खरीद	500	90%
नेत्रहीन महिलाओं और दिव्यांग जनों के लिए एनएबी इंडिया के लिए लैपटॉप का प्रावधान	100	100%
ग्रामीण महिला मगसवर्गीय बहु-उद्देशीय समाज विकास संस्था, नागपुर के लिए फर्नीचर और उपकरणों का प्रावधान	250	90%
हरियाणा के गुरुग्राम में झुग्गी-झोपड़ियों वाले क्षेत्रों के लिए लैपटॉप, टैबलेट और प्रोजेक्टर का प्रावधान	100	100%
जबलपुर, मध्य प्रदेश में लड़कों के छात्रावास में शौचालय का निर्माण	60	100%
पश्चिम सिक्किम, सिक्किम के स्कूलों में लघु विज्ञान केन्द्रों की स्थापना	500	60%
कृषि विज्ञान केन्द्र-मेडक में जैव-उर्वरक एवं जैव-कीटनाशक प्रयोगशाला की स्थापना	100	50%
उधम सिंह नगर, उत्तराखंड में सरकारी स्कूलों में स्कूल सुधार परियोजना	500	60%
आगर, मालवा, उत्तर प्रदेश में प्राकृतिक उपचार और योग अनुसंधान केंद्र का उन्नयन	200	25%

सीएसआर परियोजना	सीएसआर परियोजाओं से लाभान्वित व्यक्तियों की सं.	कमजोर और हाशिए के समूहों से लाभार्थियों का %
ओडिशा में जरूरतमंद परिवारों को सौर एलईडी ट्यूब का प्रावधान	1000	90%
आंध्र प्रदेश की अरकू घाटी में डिजिटल पाठशाला की स्थापना	500	90%
उत्तर पूर्वी विकास परिषद के लिए कंप्यूटर और प्रिंटर का प्रावधान	500	90%

सिद्धांत 9 **व्यवसायों को जिम्मेदार तरीके से अपने उपभोक्ताओं के साथ जुड़ना चाहिए और उन्हें प्रतिफल प्रदान करना चाहिए**

आवश्यक सूचक

1. **उपभोक्ताओं की शिकायतें और फीडबैक प्राप्त करने और उनका जवाब देने के लिए मौजूद तंत्र का वर्णन करें**

   आईआरसीटीसी विभिन्न चैनलों के माध्यम से इंटरनेट टिकटिंग से संबंधित ग्राहकों की शिकायतों को प्रभावी ढंग से सुलझाता है, जिसमें सीपीजीआरएएम शिकायतें, रेल मंत्रालय से प्राप्त मोरली मामले, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्राप्त शिकायतें और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय से प्राप्त शिकायतें शामिल हैं। डीपीजी के दिशानिर्देशों के अनुसार, डीपीजी/पीएमओ से प्राप्त शिकायतें प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर निपटाई जाती हैं, जबकि मोरली से प्राप्त शिकायतें 45 दिनों के भीतर निपटाई जाती हैं। आईआरसीटीसी शिकायतों के निवारण के लिए निर्धारित समय सीमा के भीतर 95% से अधिक सीपीग्राम शिकायतों का समाधान करता है। संगठन का शिकायत तंत्र और फीडबैक प्रणाली अच्छी तरह से स्थापित है, जिससे ग्राहकों की शिकायतों और फीडबैक का समय पर समाधान संभव हो पाता है, जिसके परिणामस्वरूप ग्राहकों की संतुष्टि और सेवा गुणता में सुधार होता है।

2. **सभी उत्पादों/सेवाओं के विक्रयावर्त के प्रतिशत के रूप में उत्पादों और/सेवाओं का टर्नओवर, जिनमें निम्नलिखित के बारे में जानकारी होती है–**

	कुल विक्रयावर्त के प्रतिशत के रूप में
उत्पाद से संबंधित पर्यावरणीय और सामाजिक परिमापियां	शून्य
सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग	शून्य
पुन:चक्रण और / या सुरक्षित निपटान	शून्य

3. **उपभोक्ता शिकायतों की संख्या**

	वित्त वर्ष 2022–23			वित्त वर्ष 2021–22		
	वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष के अंत में जिनका निपटान लंबित है	अभुक्ति	वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष के अंत में जिनका निपटान लंबित है	अभुक्ति
डेटा गुप्तता	शून्य	-	ये शिकायतें सीपीग्राम / मोरली/सोशल मीडिया, ट्विटर, रेल मदद (पहले सीओएम के नाम से जानी जाती थीं)	शून्य	-	
विज्ञापन	शून्य	-		शून्य	-	
सायबर सुरक्षा	शून्य	-		शून्य	-	
आवश्यक सेवाओं की डिलीवरी	2,51,703	52		1,05,469	शून्य	
प्रतिबंधित व्यापार की पद्धतियां	शून्य	-		शून्य	-	
अनुचित व्यापार की पद्धतियां	शून्य	-		शून्य	-	
अन्य–	-	-		-	-	

नोट – रिपोर्ट किए गए आंकड़ों में लेन-देन संबंधी गड़बड़ियों के संबंध में दैनिक आधार पर रिपोर्ट किए गए रेलवे ग्राहकों के सामान्य प्रश्न शामिल नहीं हैं जिनमें से अधिकांश शिकायतें आईआरसीटीसी की सेवा वितरण के अंतर्गत नहीं आती हैं।

4. **सुरक्षा मुद्दों के कारण उत्पाद वापस मंगाए जाने की घटनाओं का विवरण**

	संख्या	वापस मंगाए जाने के कारण
स्वैच्छिक रूप से वापस मंगाए गए	शून्य	ला.न.
बलात वापस मंगाए गए	शून्य	ला.न.

5. **क्या संस्था के पास साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता से संबंधित जोखिमों से संबंधित कोई रूपरेखा/नीति है? (हां/नहीं) यदि उपलब्ध हो, तो ऐसी नीति का वेब-लिंक दें।**

साइबर खतरों से सुरक्षा के लिए आईआरसीटीसी अपनी ऑनलाइन सेवाओं और डेटा को सुरक्षित करने के लिए अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करता है। इसकी ई-टिकटिंग प्रणाली उद्योग-मानक सुरक्षा उपायों जैसे फ़ायरवॉल, घुसपैठ रोकथाम प्रणाली और वेब एप्लिकेशन फ़ायरवॉल द्वारा संरक्षित है। इसकी वेबसाइट में एंड-टू-एंड डेटा एन्क्रिप्शन के लिए एक विस्तारित सत्यापन एसएसएल/टीएलएस प्रमाणपत्र का उपयोग किया जाता है और पासवर्ड जैसी संवेदनशील जानकारी डेटाबेस में एन्क्रिप्टेड रूप में संग्रहीत की जाती है। भुगतान प्रक्रिया एक यूआरएल-रीडायरेक्शन मॉडल के माध्यम से की जाती है जिसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि आईआरसीटीसी की ओर से क्रेडिट/डेबिट कार्ड डेटा लीक न हो। कंपनी ने हाल ही में वेब एप्लिकेशन फ़ायरवॉल, विशेषाधिकार प्राप्त पहचान प्रबंधन, सुरक्षित ईमेल गेटवे और मॉलवेयर सैंडबॉक्सिंग जैसे विभिन्न समाधानों को लागू करते हुए अपनी साइबर सुरक्षा स्थिति को सुदृढ़ किया है। अपने यात्रा और पर्यटन व्यवसाय के लिए पीसीआई डीएसएस सुरक्षा प्रमाणन प्राप्त करने के लिए पीसीआई क्यूएसए की सेवाएं ली गई हैं जो साइबर सुरक्षा के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। गोपनीयता नीति सहित सूचना सुरक्षा नीतियां आईआरसीटीसी कार्पोरेट पोर्टल पर केवल कर्मचारियों के लिए उपलब्ध हैं।

6. **विज्ञापन और आवश्यक सेवाओं की डिलीवरी,ग्राहकों की साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता; उत्पाद वापसी की घटनाओं की पुनरावृत्ति; उत्पादों/सेवाओं की सुरक्षा पर नियामक प्राधिकारियों द्वारा जुर्माना/कार्रवाई से संबंधित मुद्दों पर की गई या चल रही सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण दें ।**

आईआरसीटीसी मामला-दर-मामला आधार पर इंटरनेट टिकटिंग, पर्यटन और खानपान जैसी आवश्यक सेवाओं के लिए ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करता है। मुद्दों को हल करने के लिए उचित सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है। नियामक अधिकारियों ने इन मामलों में कोई जुर्माना नहीं लगाया है या कार्रवाई नहीं की है।

कृते निदेशक मंड

(सीमा कुमार)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
DIN: 10064353

दिनांक- 04.07.2023
स्थान- नई दिल्ली

फॉर्म सं. एमआर–3

31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए
सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

किंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) के अनुसार और
कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 का नियम 9

प्रति,
सदस्य,
इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज़्म कार्पोरेशन लिमिटेड (आईआरसीटीसी)
सीआईएनः L74899DL1999GOI101707
11वीं मंजिल, बी–148, स्टेट्समैन हाउस, बाराखंभा रोड,
नई दिल्ली–110001

हमने इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड (जिसे यहां इसके बाद "कंपनी" कहा गया है) जिसका पंजीकृत कार्यालय 11वीं मंजिल, बी–148, स्टेट्समैन हाउस, बाराखंभा रोड, नई दिल्ली –110001 में स्थित है, द्वारा लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन और अच्छी कार्पोरेट प्रथाओं के पालन की सचिवीय लेखापरीक्षा की है। सचिवीय लेखापरीक्षा इस तरीके से की गई है जिससे हमें कार्पोरेट आचरण/वैधानिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए उचित आधार मिला।

इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बही–खातों, कागजात, कार्यसूची पुस्तिका, फॉर्म और दाखिल विवरणी और कंपनी द्वारा रखे गए अन्य रिकॉर्ड के हमारे सत्यापन के आधार पर और सचिवीय लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंटों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, हम एतद्द्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में, कंपनी ने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्त वर्ष की लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, यहां सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि यहां इसके बाद की गई रिपोर्टिंग की विधि और उसके अधीन कंपनी के पास उचित बोर्ड–प्रक्रियाएं और अनुपालन तंत्र है –

हमने निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए कंपनी द्वारा रखे गए बही–खातों, कागजात, कार्यसूची पुस्तिका, फॉर्म और दाखिल विवरणई और अन्य रिकॉर्ड की जांच की है –

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके तहत बनाए गए नियम;

(ii) प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 (मएससीआरएफ) और उसके तहत बनाए गए नियम;

(iii) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और उसके तहत बनाए गए विनियम और उपनियम;

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसके तहत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, समुद्रपार प्रत्यक्ष निवेश और बाह्य वाणिज्यिक उधार की सीमा तक बनाए गए नियम और विनियम;

(v) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (मसेबी अधिनियमम) के तहत निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश–

  ए) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011;

  बी) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (भेदिया व्यापार का निषेध) विनियम, 2015;

  सी) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी इश्यू और प्रकटण आवश्यकताएं) विनियम, 2018;

  डी) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी अनुलाभ और स्वेट इक्विटी) विनियम, 2021; (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)

  ई) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (गैर–परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का इश्यू और सूचीबद्धता) विनियम, 2021;

  एफ) कंपनी अधिनियम और ग्राहक के साथ व्यवहार के संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इश्यू के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट) विनियम, 1993;

जी) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग) विनियम, 2021; (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं); और

एच) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद) विनियम, 2018; (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);

(vi) कंपनी के प्रबंधन द्वारा सूचित और प्रमाणित अन्य कानून, जो विशेष रूप से कंपनी पर उनके क्षेत्र/उद्योग के आधार पर लागू होते हैं –

- कारखाना अधिनियम, 1948
- कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952
- जल निवारण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम, 1974
- वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम 1981, जिसे जल की रोकथाम और प्रदूषण पर नियंत्रण नियम 1975 के साथ पढ़ा जाना है
- श्रम और सामाजिक सुरक्षा कानून, यथा लागू
- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 जिसे पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के साथ पढ़ा जाना है
- ई-अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हैंडलिंग) नियम, 2011
- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
- दिल्ली दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम, 1954
- प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002
- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000
- खाद्य संरक्षा और मानक अधिनियम, 2016
- कानूनी माप विज्ञान अधिनियम, 2009

इस लेखापरीक्षा में कंपनी द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर कानून जैसे लागू वित्तीय कानूनों के अनुपालन की समीक्षा नहीं की गई है क्योंकि ये वैधानिक लेखा परीक्षकों और अन्य नामित पेशेवरों द्वारा समीक्षा के अधीन हैं।

हमने निम्नलिखित के लागू खंडों के अनुपालन की भी जांच की है-

i. भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा जारी सचिवीय मानक।

ii. कंपनी द्वारा बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ किए गए सूचीबद्धता समझौते जिन्हें भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता का दायित्व और प्रकटण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के साथ पढ़ा जाना है।

iii. लोक उद्यम विभाग द्वारा अपने का.ज्ञा.सं. 18(8)/2005-जीएम दिनांक 14 मई, 2010 द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के लिए कार्पोरेट गवर्नेंस पर जारी किए गए दिशानिर्देश।

iv. निवेश एवं सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी ओएमएफ संख्या 5/2/2016-नीति दिनांक 27 मई, 2016 में निर्दिष्ट किए गए अनुसार केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के पूंजी पुनर्गठन पर दिशानिर्देश।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी ने निम्नलिखित प्रेक्षणों के अधीन उपर्युक्त अधिनियम, नियम, विनियम, दिशानिर्देश, मानक आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है-

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 17(1) और कार्पोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशानिर्देशों के पैरा 3.1.4 के तहत निदेशक मंडल के संघटन के बारे में बताई गई आवश्यकता के अनुसार एक स्वतंत्र महिला निदेशक सहित कंपनी के निदेशक मंडल के आधे हिस्से में स्वतंत्र निदेशक नहीं थे।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि -

1. समीक्षाधीन अवधि के दौरान, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 17(1) और कार्पोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशानिर्देशों के पैरा 3.1.4 के तहत निदेशक मंडल के संघटन के बारे में बताई गई आवश्यकता के अनुसार एक स्वतंत्र महिला निदेशक सहित कंपनी के निदेशक मंडल के आधे हिस्से में स्वतंत्र निदेशक नहीं थे। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में जो बदलाव हुए, वे अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए।

2. कंपनी को बीएसई और एनएसई से जून, सितंबर, दिसंबर 2022 और मार्च 2023 को समाप्त तिमाहियों के लिए सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन 17(1) से संबंधित आवश्यकताओं का अनुपालन न करने पर जुर्माना लगाने का नोटिस मिला है।

3. इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज़्म कार्पोरेशन लिमिटेड (आईआरसीटीसी) रेल मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के तहत परिभाषित एक सरकारी कंपनी है। रेल मंत्रालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति के पास कंपनी की 62.40% शेयर पूंजी है। तदनुसार, कंपनी के संस्था के अंतर्नियमों के अनुच्छेद संख्या 58(ई) के अनुसार, इसके बोर्ड में निदेशकों को नियुक्त करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास निहित है। एक सरकारी कंपनी होने के नाते, आईआरसीटीसी ने बोर्ड में स्वतंत्र महिला निदेशक सहित आवश्यक संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए समय-समय पर रेल मंत्रालय, भारत सरकार, यानी नियुक्ति प्राधिकारी को सक्रिय रूप से सूचित किया है।

बोर्ड बैठकें निर्धारित करने के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त नोटिस दिए गए थे। एजेंडा और एजेंडा पर विस्तृत नोट्स आम तौर पर कम से कम सभी निदेशकों को अग्रिम रूप से सात दिन पहले भेजे गए, लघु सूचना देते हुए आयोजित बैठकों के सिवाय, और बैठक से पहले और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एजेंडा मदों पर अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण मांगने और प्राप्त करने की प्रणाली मौजूद है।

निर्णय आवश्यक बहुमत से लिए जाते हैं और असहमत सदस्यों के विचार, यदि कोई हों, दर्ज किए जाते हैं और कार्यवृत्त के भाग के रूप में दर्ज किए जाते हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी द्वारा स्थापित अनुपालन तंत्र की समीक्षा और विभिन्न विभागों द्वारा जारी किए गए अनुपालन प्रमाणपत्र जिन्हें निदेशक मंडल द्वारा उनकी बैठकों में दर्ज किया गया, के आधार पर कंपनी में समुचित प्रणालियां और प्रक्रियाएं हैं जो लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और संचालन के अनुरूप हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान -

- भारत के राष्ट्रपति (पीओआई) ने रेल मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से कार्य करते हुए 4,00,00,000 इक्विटी शेयरों के बिक्री प्रस्ताव (ओएफएस) के माध्यम से रु. 2,726.87 करोड़ जुटाए, यानी गैर-खुदरा और खुदरा निवेशकों को रु. 680/- की कीमत पर रु. 2 प्रत्येक की चुकता शेयर पूंजी का 5%।

उपरोक्त के अलावा, कंपनी के पात्र कर्मचारियों को रु. 680 प्रति इक्विटी शेयर की कीमत पर रु. 2 अंकित मूल्य के 40,00,000 इक्विटी शेयरों (0.5%) के विनिवेश के लिए कर्मचारी-ओएफएश की भी घोषणा की गई थी। हालांकि, आईआरसीटीसी कर्मचारी-ओएफएस के तहत कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ।

इसका विवरण नीचे की तालिका में दिया गया है -

विनिवेश किए गए भारत सरकार के शेयरों का %	विनिवेश की विधि	प्राप्तियां (रु. करोड़ में)	विनिवेश के बाद भारत सरकार की शेयरधारिता
5%	ओएफएस	2,726.87	62.40%

कृते, कुमार नरेश सिन्हा एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

सीएस नरेश कुमार सिन्हा
(प्रोपरायटर)
एफसीएस - 1807; सी पी सं. - 14984
पीआर - 610/2019
एफआरएन - ड2015णझ440500
यूडीआईएन -ऋ001807ए000512152

स्थान - नोएडा
दिनांक- 27 जून, 2023

वित्त वर्ष 2022–23 की
सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल प्रेक्षणों पर प्रबंधन के उत्तर

वित्त वर्ष 2022–23 की रिपोर्ट के प्रेक्षण	प्रबंधन का उत्तर
सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 17(1) और कार्पोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशानिर्देशों के पैरा 3.1.4 के तहत निदेशक मंडल के संघटन के बारे में बताई गई आवश्यकता के अनुसार एक स्वतंत्र महिला निदेशक सहित कंपनी के निदेशक मंडल के आधे हिस्से में स्वतंत्र निदेशक नहीं थे।	इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज़्म कार्पोरेशन लिमिटेड (आईआरसीटीसी) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के तहत रेल मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक सरकारी कंपनी है और भारत के राष्ट्रपति रेल मंत्रालय की ओर से कंपनी की 62.40% शेयर पूंजी रखते हैं। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, कंपनी के संस्था के अंतर्नियम के अनुच्छेद संख्या 58 (ई) के अनुसार, इसके बोर्ड में निदेशकों को नियुक्त करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास निहित है। एक सरकारी कंपनी होने के नाते, आईआरसीटीसी समय-समय पर बोर्ड में स्वतंत्र महिला निदेशक सहित आवश्यक संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए भारत सरकार के रेल मंत्रालय को सक्रिय रूप से सूचित करता रहता है।

कृते निदेशक मंड

(सीमा कुमार)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
DIN: 10064353

दिनांक- 04.07.2023
स्थान- नई दिल्ली

निदेशकों की रिपोर्ट का परिशिष्ट

(2022–23 के वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियों पर प्रबंधन के उत्तर)

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का बिंदु	लेखा परीक्षकों की टिप्पणियां	प्रबंधन का उत्तर
ज़ोर दिए गए मामले का बिंदु 1	अप्रैल 2022 में सुनाए गए माध्यस्थम निर्णय से संबंधित नोट संख्या 37.2(iv) जिसमें रु. 7,400 लाख तथा जनवरी 2018 से प्रति वर्ष 6% की दर से साधारण ब्याज सहित, जो कुछ लाइसेंसधारियों के पक्ष में दिया गया जो स्वागत पेय की आपूर्ति के दावों के लिए है और मूल राशि है, का भुगतान लाइसेंसधारियों को नहीं किया गया और रेलवे के निर्देश पर यात्रियों को नियमित भोजन की आपूर्ति के लिए अंतर लागत की वसूली की गई जबकि कॉम्बो भोजन की कीमत, जो नियमित भोजन की कीमत से कम है, की प्रतिपूर्ति इन लाइसेंसधारियों को की गई थी। कंपनी ने उक्त निर्णय के खिलाफ आपत्ति दर्जी की और इसे दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध किया गया है। यह मामला लंबित है। कंपनी की दलील है कि इस मामले में मुख्य देनदारी रेलवे की होगी और अगर अंततः भुगतान के लिए उसे उत्तरदायी बनाया जाता है तो कंपनी को रेलवे से वसूली का अधिकार है।	मामले को रेल मंत्रालय को भेज दिया गया है, क्योंकि इस मामले में मुख्य देनदारी रेलवे की होगी। ये सभी अनुबंध एसबीडी अनुबंध हैं और खानपान नीति 2017 के बाद आईआरसीटीसी को सौंपे गए थे। कंपनी ने माध्यस्थम के फैसले के विरुद्ध आपत्ति दर्ज की जिसे 28.09.2022 को माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध किया गया। सुनवाई की अगली तारीख 19.07.2023 तय की गई है।
ज़ोर दिए गए मामले का बिंदु 2	राष्ट्रीय मुनाफाखोरी विरोध प्राधिकरण (जीएसटी) द्वारा जारी नोटिस दिनांक 25.02.2022 के संबंध में नोट संख्या 37.2(v) जिसमें दिनांक 1 जुलाई, 2017 से जीएसटी शुरु किए जाने पर कर की दर में कटौती दिए जाने के बावजूद, कंपनी द्वारा निर्मित और बेचे गए रेलनीर ब्रांड के पेयजल की एमआरपी में कटौती करते हुए उपभोक्ताओं को कर की दर में कटौती का अनुलाभ न देते हुए सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 171 के तहत कंपनी के विरुद्ध 1 जुलाई, 2017 से 31 मई, 2020 की अवधि के लिए रु. 5,041.44 लाख की मुनाफाखोरी का आरोप लगाया गया है। कंपनी का तर्क है कि रेलनीर पीने का पानी नियंत्रित मूल्य खंड के अंतर्गत आता है क्योंकि एमआरपी रेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तय की जाती है और वर्ष 2012 में तय की गई एमआरपी कच्चे माल की कीमतों, बिजली, मानव संसाधन लागत, माल ढुलाई आदि में पर्याप्त वृद्धि के बावजूद अभी भी जारी है। कंपनी द्वारा प्राप्त कानूनी राय कंपनी के तर्क को उचित ठहराती है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ("सीसीआई") को अब ऐसे सभी मामलों पर निर्णय लेने की शक्तियां प्रदान की गई हैं जिनमें कर कटौती का लाभ करदाताओं द्वारा उपभोक्ताओं को नहीं दिया जा रहा है और मामला अब सीसीआई के पास लंबित है।	रेल नीर पैकेज्ड पेयजल की एमआरपी रेलवे द्वारा तय की जाती है जिस पर आईआरसीटीसी का कोई नियंत्रण नहीं है। तदनुसार, जीएसटी के कार्यान्वयन के कारण आईआरसीटीसी द्वारा मुनाफाखोरी का आरोप लगाने वाले नोटिस का जवाब 06-06-2022 को राष्ट्रीय मुनाफाखोरी विरोधी प्राधिकरण को सौंप दिया गया है। इस मामले पर अगस्त, 2022 में बहस हुई लेकिन प्राधिकरण के अंतिम आदेश की प्रतीक्षा है। हालांकि, भारत सरकार द्वारा 23.11.2022 (1.12.2022 से प्रभावी) को जारी अधिसूचना संख्या 23/2022-केंद्रीय कर के अनुसार, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) को सभी मामलों पर निर्णय लेने की शक्तियां प्रदान की गई हैं जिसमें जीएसटी अधिनियम के कार्यान्वयन से पहले जीएसटी दरों में कमी के कारण निर्धारिती द्वारा उपभोक्ताओं को कर कटौती का लाभ नहीं दिया जा रहा है। इसलिए, राष्ट्रीय मुनाफाखोरी विरोध प्राधिकरण द्वारा जारी नोटिस के तहत कार्यवाही अब सीसीआई द्वारा समाप्त की जाएगी।

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का बिंदु	लेखा परीक्षकों की टिप्पणियां	प्रबंधन का उत्तर
ज़ोर दिए गए मामले का बिंदु 3	2007-08 से 2020-21 की अवधि के लिए रेलनीर व्यवसाय के लाभ के 15% हिस्से के संबंध में रेलवे को भुगतान किए गए रु. 2,713.32 लाख की राशि से संबंधित नोट संख्या 54 (बी) और 83, जिसे पिछले वर्ष के दौरान कंपनी के लाभ और हानि के विवरण में असाधारण मद के रूप में दिखाया गया। रेलवे बोर्ड ने पीपीपी संयंत्रों के राजस्व का 40% हिस्सा मांगा है जबकि कंपनी ने तर्क दिया है कि पीपीपी संयंत्र लाइसेंस के आधार पर नहीं चलाए जाते हैं, तदनुसार इन संयंत्रों के मुनाफे का 15% हिस्सा भुगतान किया जाता है जो उपरोक्त भुगतान में शामिल है। पिछले वर्ष के व्यय के रूप में रु. 2,713.32 लाख के उपरोक्त भुगतान को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा रेलवे के हिस्से के लिए कोई प्रावधान आवश्यक नहीं समझा गया, जिसके परिणामस्वरूप पिछले वर्ष रेलनीर व्यवसाय में नुकसान हुआ। ये मामले रेलवे द्वारा/के साथ पुष्टि/समाधान के अधीन हैं।	विभागीय तौर पर चलाए जाने वाले रेल नीर संयंत्रों से लाभ का 15% और पीपीपी संयंत्रों के लिए 40% राजस्व हिस्सेदारी की रेल मंत्रालय की मांग के संबंध में, सभी रेल नीर संयंत्रों के लिए लाभ के 15% के आईआरसीटीसी के प्रस्ताव पर रेलवे से स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा है, क्योंकि सभी संयंत्र विभागीय तौर पर चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2007-08 से 2020-21 के लिए रु. 2713.32 लाख का लाभ-भाजन रेलवे द्वारा आईआर और आईआरसीटीसी के बीच किसी भी लंबित बकाया के समाधान के अधीन स्वीकार कर लिया गया है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए रेल नीर व्यवसाय के लाभ के 15% की दर से रेलवे की हिस्सेदारी रु. 54 6.60 लाख को निर्धारित किया है।
ज़ोर दिए गए मामले का बिंदु 4	पक्षकारों और बैंकों से शेष राशि की पुष्टि के पत्रों के संबंध में नोट संख्या 39। पक्षकारों और बैंकों से शेष राशि का पुष्टिकरण पत्र प्राप्त करने के लिए कंपनी द्वारा जारी दिशानिर्देशों का कुछ कार्यालयों द्वारा आंशिक रूप से पालन किया गया। हमें सूचित किया गया कि रेलवे को कोई शेष पुष्टिकरण पत्र नहीं भेजा जाता है क्योंकि उनके खाते की किताबें नकद आधार पर रखी जाती हैं। हमने पाया कि रेलवे से/ रेलवे को पर्याप्त मात्रा में प्राप्य / देय हैं, जिसमें 31 मार्च, 2023 को लीगेसी नामें व जमा शेष सहित निष्क्रिय नामें शेष हैं और कुछ क्रेडिट शेष भी शामिल हैं, यानी रेलवे से / रेलवे को खानपान संचालन के हस्तांतरण की अवधि से संबंधित हैं। इसके अलावा, अन्य पक्षकारों और बैंकों से मांगे गए शेष पुष्टिकरण पत्रों की प्रतिक्रिया नगण्य थी और पक्षकारों से बेहतर प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए आवधिक अंतराल पर शेष पुष्टिकरण प्राप्त करने की प्रणाली और प्रक्रियाओं की समीक्षा नहीं की गई और उन्हें मजबूत नहीं किया गया।	देनदारों के साथ-साथ लेनदारों के पुष्टिकरण पत्र सभी पक्षों (रेलवे और रेलवे इतर) को भेजा जाता है। नोट किया जाए कि रेलवे लेखांकन की नकद प्रणाली का पालन करता है जबकि आईआरसीटीसी लेखांकन की उपचय प्रणाली का पालन करता है। इसके अलावा, आईआरसीटीसी और रेलवे के बीच दैनिक आधार पर बड़ी संख्या में लेनदेन होते हैं। इस मुद्दे को हल करने के लिए, देय/प्राप्य के समाधान के लिए अंचल रेलवे के साथ नियमित बैठकें की जाती हैं और बैठकों के कार्यवृत्त भी जारी किए जाते हैं। इसके अलावा, उक्त अधिकांश प्रविष्टियाँ समय-समय पर खानपान नीति में बदलाव के कारण हैं। निष्क्रिय नामे व जमा शेष के साथ-साथ परंपरागत मदों का समाधान और पहचान प्रगति पर है। इसके अलावा, बैंकों से 100% शेष राशि की पुष्टि होने पर पिछले वर्ष की तुलना में अन्य पक्षों से शेष राशि की पुष्टि में भी सुधार हुआ है। बेहतर प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए कंपनी लगातार इसका अनुसरण कर रही है।
ज़ोर दिए गए मामले का बिंदु 5	चार रेल नीर संयंत्रों के डेवलपर सह ऑपरेटरों ("डीसीओ") द्वारा निश्चित अवधि के लिए जीएसटी के इनपुट टैक्स क्रेडिट डेटा को साझा न करने के संबंध में नोट संख्या 56 (बी) जिसके परिणामस्वरूप कंपनी की लेखा बहियों में इन दावों की प्राप्यों को निर्धारण से हटा दिया गया। इस स्तर पर ऐसे दावों की मात्रा अभिनिश्चित नहीं की जा सकती। इसके अलावा, ये डीसीओ इन दावों पर भी विवाद कर रहे हैं जिनमें उनके खातों से नामे किए गए रु. 751.74 लाख के दावे भी शामिल हैं।	निविदा के निबंधन व शर्तों के अनुसार, 4 पीपीपी रेलनीर संयंत्रों यानी पारसल्ला, सांकराइल, नागपुर और हापुड़ के संबंध में, डेवलपर सह ऑपरेटर (डीसीओ) को उनके द्वारा प्राप्त बिक्री पर जीएसटी, इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के निवल राशि की प्रतिपूर्ति की जानी है। (पहले बिक्री पर उत्पाद शुल्क/वैट, सेनवैट/आईटीसी का निवल)। डीसीओ ने इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए आईआरसीटीसी के दावे के विरुद्ध आवेदन किया है। कंपनी ने इस मामले पर भारत के पूर्व-अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) से कानूनी राय मांगी है और वह मिल गई है। उक्त मामले पर वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान उचित निर्णय लिया जाएगा। हालांकि, प्रथम दृष्टया, आईआरसीटीसी पर कोई वित्तीय देनदारी नहीं प्रतीत होती है।

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का बिंदु	लेखा परीक्षकों की टिप्पणियां	प्रबंधन का उत्तर
ज़ोर दिए गए मामले का बिंदु 6	31 मार्च, 2023 को रेलवे से देय रु. 851 करोड़ (31 मार्च, 2022 को रु. 353 करोड़) के व्यापार प्राप्य के संबंध में नोट संख्या 10.1 और 63(ळ) । रेलवे के बकाए में से, छह महीने से अधिक का बकाया रु. 407 करोड़ है, जिसमें 3 से 5 वर्षों के लिए रु. 88 करोड़ की निष्क्रिय शेष राशि भी शामिल है, जिसे 31 मार्च 2023 तक अच्छे और वसूली योग्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है, भले ही 31 मार्च, 2023 तक इन बकाए के लिए रेलवे की ओर से शेष राशि की कोई पुष्टि नहीं की गई है।	रेलवे लेखांकन की नकद प्रणाली का पालन करता है जबकि आईआरसीटीसी लेखांकन की उपचय प्रणाली का पालन करता है। साथ ही, आईआरसीटीसी और रेलवे के बीच समाधान कार्य एक सतत प्रक्रिया है। देय/प्राप्य के समाधान और भुगतान जारी करने के लिए अंचल रेलवे के साथ नियमित बैठकें की जाती हैं।
ज़ोर दिए गए मामले का बिंदु 7	मुख्य रूप से रेल मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त रु. 33,595 लाख की कुछ आय/प्राप्तियों के संबंध में माल और सेवा कर की प्रयोज्यता से संबंधित अग्रिम निर्णय के लिए कंपनी द्वारा पिछले वर्षों में किए गए कुछ आवेदनों के संबंध में नोट संख्या 77, जिसके लिए अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग के फैसले की प्रतीक्षा है।	कंपनी ने निम्नलिखित मुद्दों के लिए एडवांस रूलिंग अथॉरिटी में आवेदन किया है, जिस पर निर्णय अभी प्रतीक्षित है- 1. सेवा शुल्क की प्रतिपूर्ति- भारत सरकार ने 2017-18, 2018-19 और 2019-20 (जुलाई-19 तक) के लिए क्रमशः रु. 8,000 लाख, रु. 8,800 लाख और रु. 3227 लाख की समेकित राशि की प्रतिपूर्ति की, जिस पर केंद्र सरकार से प्राप्त व्यय की प्रतिपूर्ति होने के नाते कंपनी द्वारा जीएसटी देय नहीं था। 2. यात्रा बीमा की प्रतिपूर्ति - आईआरसीटीसी ने निशुल्क बीमा प्रदान किया, जिसके लिए रेल मंत्रालय ने रु. 4,700 लाख के यात्रा बीमा की प्रतिपूर्ति की थी, जिस पर केंद्र सरकार से प्राप्त व्यय की प्रतिपूर्ति होने के कारण कंपनी द्वारा जीएसटी का भुगतान नहीं किया गया था। 3. अधिग्रहणकर्ता बैंकों से प्राप्त एमडीआर - आईआरसीटीसी को वित्त वर्ष 2019-20 में अधिग्रहणकर्ता बैंकों से एमडीआर शुल्क के अपने हिस्से के लिए रु. 300 लाख प्राप्त हुए थे, जो कि व्यापारी सेवा प्रदाता पर लगाया गया दर या शुल्क था। कंपनी ने इस भुगतान को सब्सिडी माना है और उपरोक्त राशि पर कोई जीएसटी देय नहीं था। 4. वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए खानपान नीति, 2017 के अनुसार क्रमशः रु. 1385 लाख, रु.7058 लाख, रु.125 लाख की एसबीडी ट्रेनों के खानपान का कार्य लेने के लिए भारतीय रेलवे से आनुपातिक लाइसेंसधारी शुल्क की प्राप्ति और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए उक्त राशि पर कोई जीएसटी का भुगतान नहीं किया गया कि उपरोक्त राशि पर जीएसटी लागू नहीं है। 5. कंपनी ने इस संबंध में जल्द सुनवाई के लिए अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग से अनुरोध किया है। निर्णय की प्रतीक्षा की जा रही है।

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का बिंदु	लेखा परीक्षकों की टिप्पणियां	प्रबंधन का उत्तर
ज़ोर दिए गए मामले का बिंदु 8	वित्त वर्ष 2019-20 में रेलवे बोर्ड द्वारा किए गए टैरिफ संशोधन के कारण ट्रेनों के लिए लाइसेंस शुल्क में की जाने वाली वृद्धि से वित्त वर्ष 2020-21 से 2022-23 तक के लिए राजस्व की गैर-निर्धारण के संबंध में नोट संख्या 79 - क्योंकि पोस्ट-पेड ट्रेनों की बिक्री-मूल्यांकन के संबंध में किया गया अभ्यास जो लाइसेंस शुल्क में वृद्धि का% निर्धारित करेगा, आज भी प्रगति पर है। प्रीपेड ट्रेनों के संबंध में, भले ही बिक्री मूल्यांकन समाप्त हो गया है, लेकिन कोई राजस्व भी निर्धारित नहीं किया गया क्योंकि कुछ लाइसेंसधारियों ने टैरिफ संशोधन के कारण अतिरिक्त लाइसेंस शुल्क की मांग पर विवाद किया है। चूंकि इस स्तर पर निर्धारित किए जाने वाले राजस्व को अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता या जो विवादित है, इसलिए इसे स्थगित कर दिया गया है।	कोविड वैश्विक महामारी के कारण, नियमित ट्रेनें नहीं चल रही थीं और रेल मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, 22 मार्च 2020 से 26 नवंबर 2021 तक पके हुए भोजन की बिक्री/सेवा बंद कर दी गई थी। 27 नवंबर 2021 से नियमित ट्रेन सेवाएं फिर से शुरू होने के बाद, कंपनी ने वर्ष 2022-23 के दौरान बिक्री मूल्यांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके अलावा, कंपनी ने प्री-पेड ट्रेनों के लिए बढ़ी हुई लाइसेंस फीस के लिए मांग नोटिस जारी करना शुरू कर दिया है, लेकिन कुछ लाइसेंसधारियों ने मुंबई के माननीय उच्च न्यायालय में बढ़ी हुई लाइसेंस फीस के कंपनी के फैसले को चुनौती दी है। चूंकि मामला अधिनिर्णय के अधीन है और इसका होना भविष्य में कुछ घटनाओं के परिणाम पर निर्भर है, इसलिए वित्त वर्ष 2022-23 के वित्तीय विवरणों में प्री-पेड ट्रेनों के लिए लाइसेंस शुल्क में वृद्धि के प्रभाव को निर्धारित नहीं किया गया है।
ज़ोर दिए गए मामले का बिंदु 9	निम्नलिखित से संबंधित नोट सं. 85 - (i) 31 मार्च, 2023 तक कुछ सहायक और नियंत्रण खाता शेष के बीच अंतर, जो पहचान, समाधान और समायोजन, यदि कोई हो, के लिए लंबित हैं, (ii) लंबित व्यापार देय की पहचान और प्रकटण की प्रणाली की समीक्षा और सुधार, (iii) स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में वर्ष के अंत में व्यापार देय और व्यापार प्राप्य, जो कुछ मामलों में लंबित हैं, के उचित उम्र का प्रकटण करने के लिए प्राप्त/उठाए गए संबंधित चालानों के साथ आपूर्तिकर्ताओं को किए गए भुगतान और व्यापार प्राप्य से प्राप्तियों को चिह्नित करना/हटाना। (iv) 31 मार्च, 2023 तक स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में बकाया का उचित प्रकटण सुनिश्चित करने के लिए एमएसएमई आपूर्तिकर्ताओं की पहचान और सूक्ष्म, लघु और मध्यम वर्ग में उनका वर्गीकरण, जिसमें ऐसे पक्षों से पुष्टि के माध्यम से सुधार और सूक्ष्म, लघु और मध्यम में उनके वर्गीकरण की आवश्यकता है।	रिपोर्ट की गई विभेदक प्रविष्टियाँ माइग्रेशन के बाद से संबंधित हैं। अंतर की पहचान करने की प्रक्रिया जारी है। इस वित्त वर्ष में इसका पता लगाया जाएगा और सुधार किया जाएगा। कंपनी अधिनियम की अनुसूची III में संशोधन के बाद, व्यापार देय और उनकी उम्र बढ़ने के साथ अन्य देनदारियों में देनदारियों की पहचान / वर्गीकरण वित्त वर्ष 2021-22 से मैन्युअल रूप से किया जा रहा है। इसके अलावा, पेशेवर एजेंसी को नियुक्त करते हुए ईआरपी के माध्यम से व्यापार देय और अन्य देनदारियों की स्वचालित पहचान/वर्गीकरण और प्रकटण प्रक्रिया में है। रसीदों को लिंक न करना/लिंक करने में देरी कुछ ही मामलों में पाई गई है, जहां रसीद के समय बिलों का विवरण उपलब्ध नहीं था। कंपनी ऐसी प्राप्तियों की पहचान करने की प्रक्रिया में है और इन्हें वित्त वर्ष 2023-24 में लिंक किया जाएगा। एमएसएमई विक्रेताओं की पहचान के लिए ईआरपी के साथ एकीकृत ऑनलाइन बिल ट्रैकिंग सिस्टम स्थापित किया गया है। इसलिए, कंपनी महसूस करती है कि भविष्य में उसे एमएसएमई विक्रेताओं की पहचान न होने का कोई मामला पेश नहीं आएगा।
ज़ोर दिए गए मामले का बिंदु 10	23 फरवरी, 2023 के रेलवे बोर्ड के पत्र के संबंध में नोट संख्या 86 जिसमें अंचल रेलवे द्वारा सूचना की तारीख से 3 दिनों के भीतर ट्रेनों में खानपान सेवाएं शुरू नहीं होने की स्थिति में सेवाएं शुरू होने तक कंपनी पर प्रति दिन 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। कंपनी ने इन निर्देशों की समीक्षा के लिए मार्च 2023 में रेलवे बोर्ड को अभ्यावेदन दिया है, जिसके लिए रेलवे बोर्ड की प्रतिक्रिया का इंतजार है। 31 मार्च, 2023 तक देय जुर्माने की राशि प्रबंधन द्वारा अभिनिश्चित नहीं की गई है।	कंपनी ने रेल मंत्रालय को बताया है कि आईआरसीटीसी के नियंत्रण से परे बड़े पैमाने पर अनधिकृत बिक्री के कारण टीएसवी ट्रेनों के लिए निविदाओं में भाग न लेने के कारण उपरोक्त निर्देशों को लागू करना मुश्किल है। इसके अलावा, ऐसी कई रात्रिकालीन ट्रेनें हैं जो ऐसे घंटों (रात के खाने के बाद और नाश्ते के निर्धारित भोजन समय से पहले) पर शुरू और समाप्त होती हैं, जब खानपान सेवा प्रदान करना संभव नहीं होता है। कंपनी ने रेल मंत्रालय से इस संबंध में बताए गए तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त निर्देशों की समीक्षा करने का अनुरोध किया है। रेल मंत्रालय की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा है। रेल मंत्रालय से प्रतिक्रिया मिलने पर उचित निर्णय लिया जाएगा। 31 मार्च, 2023 तक जुर्माने की राशि का न तो पता लगाया गया है और न ही अंचल रेलवे से अभी तक इसकी कोई मांग प्राप्त हुई है।

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का बिंदु	लेखा परीक्षकों की टिप्पणियां	प्रबंधन का उत्तर
ज़ोर दिए गए मामले का बिंदु 11	वर्ष 2015-16 से 2020-21 तक प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त लोगों को अनुग्रह राशि/कार्य-निष्पादन संबंधी वेतन के रूप में रु. 230.13 लाख के अस्वीकार्य भुगतान के संबंध में नोट संख्या 87, जैसा कि सी एंड एजी ने रेलवे बोर्ड को भेजे गए 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए सी एंड एजी की रिपोर्ट (रेलवे) के अपने अनंतिम पैरा में बताया है। 24 जनवरी, 2023 के पत्र के माध्यम से, कंपनी ने रेलवे बोर्ड के 09 जनवरी, 2023 के पत्र पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें कंपनी से टिप्पणियां मांगी गई थीं, जिसमें कंपनी द्वारा प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त लोगों को किए गए भुगतान को उचित ठहराया था। इस संबंध में रेलवे बोर्ड से पत्राचार लंबित होने के कारण, वर्ष 2021-22 के लिए रु. 13.57 लाख सहित अदा की गई रु. 243.70 लाख की राशि को लेखा बहियों में वसूली योग्य के रूप में नहीं दिखाया गया है।	कंपनी ने इस संबंध में रेल मंत्रालय को दिनांक 24.01.2023 को एक विस्तृत उत्तर भेजा है, जिसमें कंपनी ने अनुरोध किया है कि प्रतिनियुक्तिकर्ताओं को भुगतान किया गया कार्य-निष्पादन वेतन डीपीई और डीओपीटी के निर्देशों का उल्लंघन नहीं है। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त कर्मचारियों को कार्य-निष्पादन वेतन की राशि कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने और उन्हें कंपनी के साथ बनाए रखने के लिए प्रोत्साहन स्वरूप दी जाती है। आज की तारीख तक, कंपनी को रेल मंत्रालय से इस संबंध में कोई और सूचना प्राप्त नहीं हुई है। रेल मंत्रालय से जवाब मिलने पर इस मामले पर उचित निर्णय लिया जाएगा। इस बीच, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है और वित्त वर्ष 2021-22 के लिए रु. 30.65 लाख के मौजूदा प्रावधान (किए गए अंतरिम भुगतान का निवल) को 31 मार्च, 2023 तक पुनर्लेखित किया गया है।
अन्य कानूनी व नियामक आवश्यकताओं की रिपोर्ट का बिंदु 2 (ए)	हमने निम्नलिखित को छोड़कर वे सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारे लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे- (i) अधिकांश पक्षों और बैंकों से हमें शेष राशि की पुष्टि के पत्र प्राप्त नहीं हुए। इसके अलावा, कुछ कार्यालयों द्वारा शेष राशि की पुष्टि के पत्र नहीं भेजे गए, जो हमारे साथ सहमत दिशानिर्देशों के विरुद्ध है; (ii) कुछ कार्यालयों द्वारा हमें सूचनाएं और स्पष्टीकरण काफी देरी से उपलब्ध कराए जा रहे थे, तथा (iii) कॉर्पोरेट कार्यालय में पर्यटन कार्यालय के तहत "एयर टिकटिंग डिवीजन" में संचालन विभाग के वित्तीय डेटा (31 दिसंबर, 2022 तक व्यापार प्राप्तियों के बीच रु. 423 लाख का अंतर सहित) और कंपनी द्वारा ईआरपी में रखे गए खाते की पुस्तकों के बीच अंतर के संबंध में जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे गए जो हमें उपलब्ध नहीं कराए गए।	ज़ोर दिए गए मामले के बिंदु 4 का उत्तर देखें एमआईएस तैयार करने में मैन्युअल काम की भागीदारी और जनशक्ति की कमी के कारण लेखा परीक्षकों को आवश्यक एमआईएस प्रदान करने में थोड़ी देरी हुई। हालांकि, इस तरह की देरी से बचने के लिए उक्त एमआईएस को अब ईआरपी से ऑटो जेनरेटेड रिपोर्ट के रूप में ईआरपी में ही विकसित किया जा रहा है। 31 दिसंबर, 2022 तक रु. 423 लाख के उक्त अंतर का समाधान कर दिया गया है। 31.03.2023 को रु. 74.89 लाख के अंतर का समाधान परिचालन और वित्त विभाग की संयुक्त टीम द्वारा किया जा रहा है और यह कार्य प्रगति में है।
लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुबंध-1 का बिंदु i(ए) (ए)	कंपनी ने परिसंपत्तियों की संख्या-वार पहचान को छोड़कर, मात्रात्मक विवरण और अचल परिसंपत्तियों (संपत्ति, संयंत्र और उपकरण) की स्थिति सहित पूर्ण विवरण दर्शाने वाले उचित रिकॉर्ड रखे हैं।	आईआरसीटीसी में परिसंपत्तियों की संख्या की पहचान करने की पद्धति लागू है और सभी प्रमुख परिसंपत्तियों को विधिवत पहचान संख्या आवंटित की गई है। हालाँकि, कुछ छोटी परिसंपत्तियों में, पहचान संख्या गायब पाई गई है। कंपनी ऐसी छोटी परिसंपत्तियों पर भी नंबरिंग की व्यवस्था लागू करने के लिए उपाय कर रही है।

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का बिंदु	लेखा परीक्षकों की टिप्पणियां	प्रबंधन का उत्तर
लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुबंध-1 का बिंदु i(सी)	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में प्रकट की गई अचल संपत्तियों के हक विलेख (ऐसी अचल संपत्तियों के अलावा जहां कंपनी एक पट्टेदार है और पट्टेदार के पक्ष में पट्टा समझौता विधिवत किए गए हैं) । उन मामलों के लिए नीचे दिए गए फुट-नोट देखें जहां पट्टा समझौते निष्पादित नहीं किए गए हैं) कंपनी के नाम पर हैं, सिवाय निम्नलिखित संपत्तियों के, जिनके हक विलेख निष्पादित किए जाने हैं; (नोट 74 देखें)	खजुराहो में भूखण्ड का पंजीयन प्रगति में है। केवडिया में भूखण्ड का पंजीयन प्रगति में है। मुंबई में पश्चिम रेलवे के फ्लैटों का पंजीकरण रेलवे अंचल कार्यालय में प्रक्रिया में है। रेलनीर संयंत्र के लिए असम राज्य सरकार द्वारा जागी रोड, असम में आवंटित भूमि के संबंध में, असम सरकार के आदेश दिनांक 17-02-2017 के अनुसार, भूमि को 25 वर्षों के लिए निपटान पर स्थानांतरित कर दिया गया है। रेलनीर संयंत्र के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार द्वारा ऊना में आवंटित भूमि के संबंध में, रेलनीर संयंत्र, ऊना का पट्टा समझौता किया जा रहा है। स्थानीय तहसीलदार से पट्टा विलेख के लिए स्टांप शुल्क की राशि की सलाह देने का अनुरोध किया गया है। रेलनीर संयंत्र के लिए अंबरनाथ, महाराष्ट्र में रेलवे द्वारा दी गई भूमि के संबंध में, रेलनीर संयंत्र, अंबरनाथ के पट्टे के समझौते का मसौदा रेलवे को प्रस्तुत किया गया है और इसके निष्पादन की प्रतीक्षा है। सभी पंजीकरणों तो तेजी से पूरा करने की कार्रवाई की जा रही है।
लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुबंध-1 का बिंदु xiv (ए)	कंपनी में अंचल और क्षेत्रीय कार्यालयों, कार्पोरेट कार्यालय में पर्यटन कार्यालय और रेलनीर संयंत्रों की आंतरिक लेखा परीक्षा के अलावा, अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप एक आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली है जिसे हमारी राय में, कंपनी द्वारा संचालित व्यवसाय की समाविष्टिज के संदर्भ में सुधार की आवश्यकता है और साथ ही वर्ष के अंत में होने वाले महत्वपूर्ण लेन-देन सहित लेन-देन लेखापरीक्षा को इसके व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप बनाने के लिए पर्याप्त समाविष्टि की भी आवश्यकता है।	कंपनी अधिनियम के प्रावधान के अनुसार, कंपनी ने कंपनी की आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए एक बाहरी पेशेवर चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म को नियुक्त किया है। कंपनी के संचालन और वैधानिक विनियमों के अनुसार विस्तृत कार्यक्षेत्र के अनुसार उनके द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा की जा रही है। इसके अलावा, आंतरिक लेखा परीक्षक के सभी सुझावों/सिफारिशों/टिप्पणियों का कंपनी द्वारा विधिवत अनुपालन किया जाएगा।
लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुबंध-2 का बिंदु 5(i)	मेकर और चेकर अवधारणा, जो एक महत्वपूर्ण आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है, आम तौर पर गायब है यानी लागू नहीं की जा रही है जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय और अन्य डेटा में कई त्रुटियां और चूक हुई हैं, जिनके आधार पर खाताबहियों में लेनदेन दर्ज किए जाते हैं। हमने यह भी देखा कि विभिन्न कार्यालयों में अनुभवी और पेशेवर कर्मियों की अपर्याप्त संख्या के परिणामस्वरूप- (i) ऊपर बताए गए मेकर और चेकर अवधारणा सहित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण से समझौता किया जा रहा है / लागू नहीं किया जा रहा है, (ii) जानकारी और स्पष्टीकरण हमें काफी देरी से प्रदान किए जा रहे हैं, (iii) विभिन्न कार्यालयों द्वारा अंचल कार्यालयों/कार्पोरेट कार्यालय को भेजे गए अंतिम विवरण/डेटा की समीक्षा न करना और (iv) पहले दर्ज किए गए लेनदेन/खाता बहियों में बकाया शेष की इन कार्यालयों द्वारा समय-समय पर समीक्षा न किया जाना।	कंपनी वित्तीय लेनदेन को रिकॉर्ड करने के लिए मेकर और चेकर अवधारणा और अन्य संबंधित गतिविधियों के उचित कार्यान्वयन की प्रणाली स्थापित कर रही है।

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का बिंदु	लेखा परीक्षकों की टिप्पणियां	प्रबंधन का उत्तर
लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुबंध-2 का बिंदु 5(ii)	हमने नोट किया कि - (a) ईआरपी में रखी गई खाता-बहियों में कुछ सहायक और नियंत्रण खाता शेष के बीच अंतर है, जहां ऐसे खातों और अंतरों को प्रबंधन द्वारा अब तक क्रमशः पहचाना और निर्धारित किया जाना है, और (b) कॉर्पोरेट कार्यालय में पर्यटन कार्यालय के तहत "एयर टिकटिंग डिवीजन" में संचालन विभाग के वित्तीय डेटा (31 दिसंबर, 2022 तक व्यापार प्राप्तियों के बीच रु. 423 लाख का अंतर सहित) और कंपनी द्वारा ईआरपी में रखे गए खाते की पुस्तकों के बीच अंतर के संबंध में जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे गए जो हमें उपलब्ध नहीं कराए गए और इन वित्तीय आंकड़ों का समय-समय पर समाधान नहीं किया जा रहा था।	ज़ोर दिए गए मामले के बिंदु 9 का उत्तर देखें अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं की रिपोर्ट के बिंदु 2 (ए) (iii) का उत्तर देखें
लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुबंध-2 का बिंदु 5(iii)	किए गए भुगतानों और प्राप्तियों को क्रमशः प्राप्त और जारी किए गए चालानों के साथ जोड़ने में देरी / लंबित / कुछ मामलों में ठीक से नहीं किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष के अंत में व्यापार देय और प्राप्य की एजिंग का गलत प्रकटण हुआ है।	ज़ोर दिए गए मामले के बिंदु 9 (iii) का उत्तर देखें
लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुबंध-2 का बिंदु 5(iv)	पक्षकारों से शेष राशि पुष्टिकरण पत्र प्राप्त करने के लिए कंपनी द्वारा जारी दिशानिर्देशों का कुछ कार्यालयों द्वारा आंशिक रूप से पालन किया गया है। रेलवे को शेष पुष्टिकरण पत्र नहीं भेजा गया क्योंकि रेलवे अपनी खाता बहियां नकद आधार पर रखता है। इसके अलावा, अन्य पक्षों और बैंकों से मांगी गई शेष राशि की पुष्टि के लिए प्रतिक्रिया नगण्य थी और पक्षों से बेहतर प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए आवधिक अंतराल पर शेष राशि की पुष्टिकरण प्राप्त करने की प्रणाली और प्रक्रियाओं की समीक्षा नहीं की गई और उन्हें मजबूत नहीं किया गया।	ज़ोर दिए गए मामले के बिंदु 4 का उत्तर देखें
लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुबंध-2 का बिंदु 5(v)	सिस्टम-आधारित स्वचालित नियंत्रण, जांच और संतुलन के बजाय मैन्युअल नियंत्रण का पालन किया जाता है क्योंकि तीसरे पक्ष के अनुप्रयोगों / पोर्टलों के माध्यम से निष्पादित लेनदेन को एक्सेल के माध्यम से डेटा संकलित करते हुए ईआरपी में मैन्युअल रूप से पोस्ट किया जाता है क्योंकि कंपनी की मौजूदा ईआरपी एप्लिकेशन कुछ कार्यों / व्यवसायों के साथ एकीकृत नहीं है। डेटा का ऑडिट ट्रेल (एडिट लॉग), जो एक महत्वपूर्ण आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है, एक्सेल में संकलित डेटा के लिए भी उपलब्ध नहीं है।	कंपनी तीसरे पक्ष के एप्लिकेशन से ईआरपी पर लेनदेन अपलोड करने की सिस्टम आधारित स्वचालित नियंत्रण के लिए पेशेवर एजेंसी को नियुक्त कर रही है।

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का बिंदु	लेखा परीक्षकों की टिप्पणियां	प्रबंधन का उत्तर
लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुबंध-2 का बिंदु 5(vi)	31 मार्च, 2023 तक बड़ी संख्या में निष्क्रिय नामें और जमा शेष मौजूद थे, जिनमें बड़ी संख्या में परांपरागत प्रविष्टियाँ भी शामिल थीं। इन शेष राशि की पहचान करने, समाधान करने और यदि आवश्यक हो तो बट्टे खाते में डालने/वापसी करने के कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं।	ज़ोर दिए गए मामले के बिंदु 4 का उत्तर देखें
लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुबंध-2 का बिंदु 5(vii)	निम्नलिखित कारणों से कंपनी के इंटरनेट टिकटिंग व्यवसाय में किए जा रहे कई बैंक खातों के लिए लेनदेन समाधान द्वारा लेनदेन नहीं किया जा रहा है - (i) बड़ी संख्या में टिकट बुकिंग और रद्दीकरण और (ii) कुछ बैंकों से लेनदेन-वार दैनिक डेबिट और क्रेडिट रिपोर्ट की अनुपलब्धता स्वचालित समाधान प्रणाली के लिए आवश्यक है।	इंटरनेट टिकटिंग से संबंधित सभी बैंकों के लिए अब लेनदेन समाधान द्वारा लेनदेन किया जा रहा है।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

(सीमा कुमार)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
DIN: 10064353

दिनांक- 04.07.2023
स्थान- नई दिल्ली

फॉर्म सं. एओसी –2

अधिनियम की धारा 134 की उप–धारा (3) के खंड (एच) और कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(2) के अनुसार।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उपधारा (1) में संदर्भित संबंधित पक्षों के साथ कंपनी द्वारा किए गए अनुबंधों/व्यवस्थाओं के विवरण के प्रकटीकरण का प्रपत्र, जिसके तीसरे परंतुक के तहत कुछ स्वतंत्र संव्यवहार के लेन–देन शामिल हैं।

1. अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेनदेन का विवरण जो स्वतंत्र संव्यवहार आधार पर नहीं हैं–

संबंधित पक्ष का नाम	संबंध की प्रकृति	अनुबंध की अवधि	विशेष निबंधन	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथियां	राशि रु.	अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो
शून्य						

2. स्वतंत्र संव्यवहार आधार पर किए गए अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेनदेन का विवरण –

संबंधित पक्ष का नाम	संबंध की प्रकृति	अनुबंध की अवधि	विशेष निबंधन	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथियां	राशि रु.	अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो
शून्य						

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

(सीमा कुमार)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
DIN: 10064353

दिनांक– 04.07.2023
स्थान– नई दिल्ली

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में सदस्यों,
इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

राय

हमने इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड ("कंपनी") की स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र, लाभ और हानि का विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), तब समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण और इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी (अब इसके बाद "स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण" के रूप में संबोधित किया जाएगा) के सारांश सहित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर नोट्स शामिल हैं।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपरोक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 द्वारा संशोधित ("अधिनियम") द्वारा अपेक्षित तरीके से आवश्यक जानकारी प्रदान करते हैं और कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 यथा संशोधित के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानक ("इंड एएस") और भारत में आम तौर पर स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांत के अनुरूप, 31 मार्च, 2023 तक कंपनी के मामलों की स्थिति, इसके लाभ (अन्य व्यापक आय सहित वित्तीय कार्य निष्पादन), उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए इसके नकदी प्रवाह और इक्विटी में परिवर्तन के बारे में एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है।

राय का आधार

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है। उन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारियों को आगे हमारी रिपोर्ट के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के अनुच्छेद लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियों में वर्णित किया गया है। हम भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार और साथ ही उन नैतिक आवश्यकताओं से कंपनी से स्वतंत्र हैं जो अधिनियम के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं, और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

महत्वपूर्ण मामले

हम नीचे दिए गए मामलों पर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं:

1. नोट संख्या 37.2(iv) – अप्रैल 2022 में घोषित मध्यस्थता निर्णय के संबंध में है जो जनवरी 2018 से 7,400 लाख रुपये की राशि के साथ 6% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से, कुछ लाइसेंसधारियों के पक्ष में दिया गया है, जो लाइसेंसधारियों को भुगतान नहीं किए गए स्वागत पेय की आपूर्ति के दावों की मूल राशि को दर्शाता है और रेलवे के निर्देशों के अनुसार, यात्रियों को नियमित भोजन की आपूर्ति के लिए अंतर लागत की वसूली है, जबकि इन लाइसेंसधारियों को कॉम्बो भोजन के कीमत की प्रतिपूर्ति कर दी गई थी, जो नियमित भोजन की कीमत से कम है। कंपनी ने इस निर्णय के खिलाफ आपत्तियां दायर की हैं और इसे दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध किया गया है। मामला लंबित है। कंपनी का तर्क है कि इस मामले में मुख्य देनदारी रेलवे की होगी और अगर अंततः भुगतान के लिए उसे उत्तरदायी ठहराए जाएगा तो कंपनी को रेलवे से वसूली का अधिकार है।
2. नोट संख्या 37.2(v) – राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण (जीएसटी) द्वारा जारी नोटिस दिनांक 25.02.2022 के संबंध में है जिसमें 1 जुलाई, 2017 से जीएसटी की दर में कमी होने के बावजूद कंपनी द्वारा निर्मित और बेचे जाने वाले रेल नीर ब्रांड पेय जल की एमआरपी में आनुपातिक कमी करके उपभोक्ताओं को कर की दर में कटौती का लाभ नहीं देने के लिए सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 171 के तहत कंपनी के खिलाफ 1 जुलाई, 2017 से 31 मई, 2020 की अवधि के लिए 5,041.44 लाख रुपये की मुनाफाखोरी का आरोप लगाया गया है। कंपनी का तर्क है कि रेल नीर पेय जल नियंत्रित मूल्य खंड के अंतर्गत आता है क्योंकि एमआरपी रेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तय की जाती है और वर्ष 2012 में तय की गई एमआरपी कच्चे माल की कीमतों, बिजली, मानव संसाधन लागत, माल ढुलाई आदि में काफी वृद्धि के बावजूद अभी भी जारी है। कंपनी द्वारा प्राप्त कानूनी राय कंपनी के तर्क को उचित ठहराती है। भारतीय सक्षम आयोग (''सीसीआई'') को अब ऐसे सभी मामलों पर निर्णय लेने के अधिकार प्राप्त हैं जिनमें कर कटौती का लाभ करदाताओं द्वारा उपभोक्ताओं को नहीं दिया जा रहा है और मामला अब सीसीआई के पास लंबित है।
3. नोट संख्या 54(b) और 83 – 2007-08 से 2020-21 की अवधि के लिए रेल नीर सेगमेंट के लाभ में 15% हिस्सेदारी के संबंध में है जिसका 2,713.32 लाख रुपयों का भुगतान रेलवे को किया गया था जिसे पिछले वर्ष के दौरान कंपनी के लाभ और हानि के विवरण में एक असाधारण आइटम के रूप में दिखाया गया था। रेलवे बोर्ड ने पीपीपी संयंत्रों के राजस्व का 40% हिस्सा मांगा है जबकि कंपनी ने तर्क दिया है कि पीपीपी संयंत्र लाइसेंस के आधार पर नहीं चलाए जाते हैं और तदनुसार इन संयंत्रों के मुनाफे का 15% हिस्सा उपरोक्त भुगतान में शामिल है। पिछले वर्ष के 2,713.32 लाख रुपये के उपरोक्त भुगतान को खर्च माना जाने के कारण कंपनी द्वारा रेलवे के हिस्से के लिए कोई प्रावधान आवश्यक नहीं समझा गया, जिसके परिणामस्वरूप पिछले वर्ष रेल नीर सेगमेंट का नुकसान हुआ है। इन मामलों का रेलवे द्वारा/के साथ पुष्टि/समाधान होना है।

4. नोट संख्या 39 – पार्टियों और बैंकों से शेष राशि पुष्टिकरण के पत्रों के संबंध में है। पार्टियों और बैंकों से शेष राशि पुष्टिकरण पत्र प्राप्त करने के लिए कंपनी द्वारा जारी दिशानिर्देशों का कुछ कार्यालयों द्वारा आंशिक रूप से पालन किया गया है। हमें सूचित किया गया है कि रेलवे को कोई शेष पुष्टिकरण पत्र नहीं भेजा जाता है क्योंकि उनके बही खाते नकद आधार पर रखे जाते हैं। हमने पाया है कि रेलवे से काफी राशि प्राप्य/देय हैं, जिसमें 31 मार्च, 2023 तक कई निष्क्रिय डेबिट शेष और कुछ क्रेडिट शेष भी शामिल है, जिसमें लीगेसी डेबिट और क्रेडिट शेष भी शामिल हैं, जो कि रेलवे को / से खानपान संचालन के हस्तांतरण की अवधि से संबंधित हैं। इसके अलावा, अन्य पार्टियों और बैंकों से मांगे गए शेष पुष्टिकरण पत्रों का उत्तर नगण्य था और पार्टियों से बेहतर प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए आवधिक अंतराल पर शेष पुष्टिकरण प्राप्त करने की प्रणाली और प्रक्रियाओं की समीक्षा नहीं की गई और उन्हें मजबूत नहीं किया गया है।

5. नोट संख्या 56 (b) – चार रेल नीर संयंत्रों के डेवलपर सह ऑपरेटरों (''डीसीओ'') द्वारा निश्चित अवधि के लिए जीएसटी के इनपुट टैक्स क्रेडिट डेटा को साझा न करने के संबंध में है जिसके परिणामस्वरूप इन दावों की प्राप्य राशि को कंपनी के बही खातों में मान्यता नहीं दी गयी है। इस स्तर पर ऐसे दावों की राशि का पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, ये डीसीओ 751.74 लाख रुपयों के दावों सहित इन दावों पर भी विवाद कर रहे हैं जो उनके खातों में डेबिट कर दिए गए हैं।

6. नोट संख्या 10.1 और 63(i) – 31 मार्च, 2023 (31 मार्च, 2022 को 353 करोड़ रु.) को 851 करोड़ रुपयों की व्यापार प्राप्य राशियों के संबंध में है। रेलवे के बकाये में से, 31 मार्च, 2023 को छह महीने से अधिक समय से बकाया राशि 407 करोड़ रुपये है जिसमें 3 से 5 वर्षों के लिए बकाया 88 करोड़ रुपये की निष्क्रिय शेष राशि भी शामिल है जिसे 31 मार्च, 2023 तक को खरी और वसूली योग्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है, हालांकि 31 मार्च, 2023 को इन बकाया राशि के लिए रेलवे की शेष राशि की पुष्टि उपलब्ध नहीं है।

7. नोट संख्या 77 – मुख्य रूप से रेल मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त 33,595 लाख रुपये की कुछ आय/प्राप्तियों के संबंध में माल और सेवा कर की प्रयोज्यता से संबंधित अग्रिम निर्णय के लिए पिछले वर्षों में कंपनी द्वारा किए गए कुछ अनुप्रयोगों के संबंध में है जिसके लिए अग्रिम निर्णय प्राधिकरण के निर्णय का इंतजार है।

8. नोट संख्या 79 – वित्त वर्ष 2019-20 में रेलवे बोर्ड द्वारा किए गए टैरिफ संशोधन के कारण ट्रेनों के लिए लाइसेंस शुल्क में की जाने वाली वृद्धि से वित्त वर्ष 2020-21 से 2022-23 के लिए राजस्व की गैर-मान्यता के संबंध में है जो पोस्ट-पेड ट्रेनों के बिक्री-मूल्यांकन के बारे में कार्य के रूप में आज भी जारी है, जो लाइसेंस शुल्क में वृद्धि का % निर्धारित करेगा। प्रीपेड ट्रेनों के संबंध में, भले ही बिक्री मूल्यांकन पूरा हो गया हो, लेकिन किसी राजस्व को भी मान्यता नहीं दी गई है क्योंकि कुछ लाइसेंसधारकों ने टैरिफ संशोधन के कारण अतिरिक्त लाइसेंस शुल्क की मांग का विरोध किया है। चूंकि इस स्तर पर मान्यता प्राप्त राजस्व का पता नहीं लगाया जा सकता है या यह विवादित है, इसलिए इसे स्थगित कर दिया गया है।

9. नोट संख्या 85 – (i) कुछ सहायक और नियंत्रण खाता शेष के बीच अंतर जो 31 मार्च, 2023 तक निर्धारण, मिलान और समायोजन, यदि कोई हो, उसके लिए लंबित हैं, (ii) लंबित व्यापारिक भुगतानों की पहचान और प्रकटीकरण की प्रणाली की समीक्षा और सुधार करने, (iii) स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में वर्ष के अंत में व्यापार देय और व्यापार प्राप्य की उचित कालावधि का खुलासा करने के लिए प्राप्त/बनाए गए प्रासंगिक इनवॉयस के साथ आपूर्तिकर्ताओं को किए गए भुगतान और व्यापार प्राप्तियों से प्राप्तियों को चिह्नित करना/कम करना कुछ मामलों में लंबित है और (iv) 31 मार्च, 2023 तक स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में उनके बकाया का उचित खुलासा सुनिश्चित करने के लिए एमएसएमई आपूर्तिकर्ताओं की पहचान और सूक्ष्म, लघु और मध्यम श्रेणी में उनका वर्गीकरण, जिसमें ऐसी पार्टियों से पुष्टि के माध्यम से सूक्ष्म, लघु और मध्यम श्रेणी में उनका वर्गीकरण में सुधार की आवश्यकता है।

10. नोट संख्या 86 – रेलवे बोर्ड के 23 फरवरी 2023 के पत्र के संबंध में है जो क्षेत्रीय रेलवे द्वारा सूचना की तारीख से 3 दिनों के भीतर ट्रेनों में खानपान सेवाएं शुरू नहीं करने पर, सेवा शुरू होने तक कंपनी पर 1 लाख रु. प्रति दिन का जुर्माना लगाने के बारे में है। कंपनी ने इन निर्देशों की समीक्षा के लिए मार्च 2023 में रेलवे बोर्ड को अभ्यावेदन दिया है, जिसके लिए रेलवे बोर्ड के उत्तर का इंतजार है। 31 मार्च, 2023 तक देय जुर्माने की राशि प्रबंधन द्वारा सुनिश्चित नहीं की गई है।

11. नोट संख्या 87 – प्रतिनियुक्त व्यक्तियों को अनुग्रह राशि/निष्पादन संबंधी वेतन के अस्वीकार्य भुगतान वर्ष 2015-16 से 2020-21 तक 230.13 लाख रु. के संबंध में है, जैसा कि C&AG ने 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए उ।अऋ की रिपोर्ट (रेलवे) के लिए अपने अनंतिम पैरा में रेलवे बोर्ड को भेजा था। 24 जनवरी, 2023 के पत्र के द्वारा, कंपनी ने रेलवे बोर्ड के 09 जनवरी, 2023 के पत्र पर अपना उत्तर भेजा है, जिसमें कंपनी से टिप्पणियां मांगी गई थीं, जिसमें कंपनी द्वारा प्रतिनियुक्ति पर किए गए भुगतान को उचित ठहराया गया था। इस संबंध में रेलवे बोर्ड से पत्र प्राप्ति तक, वर्ष 2021-22 के लिए 13.57 लाख रुपये सहित 243.70 लाख रुपये के भुगतान को खातों में वसूली योग्य नहीं दिखाया गया है।

मुख्य लेखापरीक्षा मामला

मुख्य लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में समग्र रूप से और उस पर हमारी राय बनाने के संदर्भ में, संबोधित किया गया था, और हम इन मामलों पर अलग राय प्रदान नहीं करते हैं। हमने नीचे वर्णित मामले को अपनी रिपोर्ट में संप्रेषित किए जाने वाले मुख्य लेखापरीक्षा मामले के रूप में निर्धारित किया है।

आकस्मिक देयताओं के मुकदमो का आकलन और संबंधित प्रकटीकरण

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की नोट नंबर 2 (ओ)- अनुमानों और निर्णयों का उपयोग-प्रावधान, आकस्मिक देयता और आकस्मिक संपत्ति और "आकस्मिक देयताओं" और अन्य महत्वपूर्ण मुकदमों के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की नोट संख्या 37.2 देखें।

31 मार्च, 2023 तक, कंपनी के उपरोक्त नोट्स में उल्लेखित विभिन्न मामलों से संबंधित मुकदमे चल रहे है।

आर्थिक संसाधनों के भौतिक बहिर्वाह की संभावना और क्या कोई प्रावधान किया जाना चाहिए या नहीं, उसका निर्धारण करने के लिए ऐसे मामलों का आकलन करने के लिए प्रबंधन के अर्थपूर्ण निर्णय की आवश्यकता होती है। उचित माने जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण मामलों में कानूनी सलाह के साथ निर्णय को समर्थित किया जाता है।

चूंकि मुकदमों का अंतिम परिणाम अनिश्चित होता है और प्रबंधन द्वारा ली गई स्थिति उनके सर्वोत्तम निर्णय पर आधारित होती है जो प्रबंधन पूर्वाग्रह, कानूनों/विनियमों की व्याख्या से संबंधित सलाह सहित संबंधित कानूनी सलाह के अधीन हो सकती है, इसलिए इसकी पहचान हमने प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में की है।

हमारी लेखापरीक्षा ने प्रमुख लेखापरीक्षा मामले को कैसे संबोधित किया

हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल थे:

- हमने प्रासंगिक कानूनों और विनियमों से संबंधित मुकदमों के आकलन संबंधित प्रमुख नियंत्रणों के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता को समझा, उसका मूल्यांकन और परीक्षण किया;
- हमने इन मामलों पर विभिन्न अदालतों/प्राधिकारियों के नवीनतम आदेशों/निर्णयों को पढ़ा और उन्हें ध्यान में रखा;
- हमने इन-हाउस लीगल हेड, कर सलाहकारों और वरिष्ठ प्रबंधन के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया ताकि महत्वपूर्ण मुकदमों के सबसे संभावित परिणाम पर उनके आकलन को समझ सके और इन मुकदमों के लिए किए गए प्रावधानों के आधार को समझा जा सके;
- हमने स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में प्रकट की गई आकस्मिक देयताओं /अन्य महत्वपूर्ण मुकदमों का समर्थन करने वाली अंतर्निहित गणनाओं के आधार पर परीक्षण के आधार पर अपना मूल्यांकन किया;
- जहां प्रासंगिक हो वहां, हमने प्रबंधन द्वारा प्राप्त, बाहरी कानूनी राय को ध्यान में लिया;
- हमने समान मामलों में पूर्ववर्ती सेट को समझकर प्रबंधन के आकलन का मूल्यांकन किया और प्रबंधन के पिछले अनुमानों/निर्णयों की विश्वसनीयता का आकलन किया;
- हमने उन मामलों के बारे में प्रबंधन के आकलन का मूल्यांकन किया है जिनका प्रकटीकरण नहीं किया गया है या जिन्हें आकस्मिक देयता के रूप में माना नहीं जाता है, क्योंकि भौतिक बहिर्वाह की संभावना को प्रबंधन द्वारा न्यूनतम माना जाता है; तथा
- हमने कंपनी के प्रकटीकरण की पर्याप्तता का आकलन किया।

उपरोक्त किए गए कार्य के आधार पर, मुकदमों के संबंध में प्रबंधन का आकलन और आकस्मिक देयताओं/अन्य महत्वपूर्ण मुकदमों से संबंधित प्रकटीकरण स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में उचित माना जाता है।

वित्तीय विवरणों के अलावा अन्य जानकारी और उस पर स्टैंडअलोन लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण, मंडल की रिपोर्ट के अनुलग्नकों, व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट, कॉर्पोरेट अभिशासन और शेयरधारक की जानकारी सहित मंडल की रिपोर्ट, लेकिन इसमें स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण और हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम उस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन/निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम ऊपर पहचानी गई अन्य जानकारी के उपलब्ध होने पर पढ़ें और ऐसा करने पर, इस बात पर विचार करें कि क्या अन्य जानकारी स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के साथ भौतिक रूप से या लेखापरीक्षा में प्राप्त हमारी जानकारी के साथ असंगत है, या अन्यथा भौतिक रूप से गलत बताया प्रतीत होता है।

जब हम अन्य जानकारी पढ़ते हैं, यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि इसमें कोई भौतिक विवरण गलत है, तो हमें अभिशासन के प्रभारी को मामले से अवगत कराना आवश्यक है । ऐसी अन्य जानकारी हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक लंबित है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारियां

कंपनी का निदेशक मंडल इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में अधिनियम की धारा 134(5) में बताए गए मामलों के लिए जिम्मेदार है, जो वित्तीय स्थिति, अन्य व्यापक आय सहित वित्तीय कार्य-निष्पादन, और कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 यथा संशोधित के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) सहित भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी के नकदी प्रवाह और इक्विटी में परिवर्तन की सही और निष्पक्ष जानकारी देता है।

इस जिम्मेदारी में अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप समुचित लेका रिकार्डों का रखरखाव भी शामिल होता है, ताकि कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा हो सके और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोका जा सके तथा उनका पता लगाया जा सके; समुचित लेखाकरण का चयन करके उन्हें लागू किया जा सके; निर्णय लिए जा सकें तथा वे अनुमान तैयार किए जा सकें जो उपयुक्त तथा विवेकपूर्ण हों; और समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणो को डिज़ाइन, क्रियान्वयन और रखरखाव किया जा सके; जो लेखा रिकार्डों की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के किए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की तयारी और प्रस्तुतीकरण के लिए अपेक्षित थे, जो एक सही और निष्पक्ष स्थिति को दर्शाते हैं और किसी महत्वपूर्ण गलत

बयानी, जो धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण हो सकती है, से मुक्त हों।

वित्तीय विवरण तैयार करने में, प्रबंधन कंपनी की योग्यता के आकलन का उत्तरदायी होता है कि वह चल रहे कारोबार को जारी रखे, जैसा लागू हो, चल रहे कारोबार से संबंधित मामलों को प्रकट करे और जब तक प्रबंधन या तो कंपनी को बंद करने का प्रयास करे अथवा कार्यों को रोक दे अथवा उसके पास कोई वास्तविक विकल्प न हो किन्तु उसे ऐसा करना पड़े, तब तक चल रहे कारोबार को लेखांकन का आधार बनाया जाता है।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के निरीक्षण के लिए भी जिम्मेदार हैं।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य यह आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या कुल मिलकर वित्तीय विवरण किसी महत्वपूर्ण गलत बयानी से मुक्त हैं, जो किसी धोखाधड़ी या त्रुटि और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के कारण है, जिसमें हमारी रे शामिल होती है। पर्याप्त आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह कोई गारंटी नहीं होती है कि लेखांकन मानकों के अनुसार की गई लेखापरीक्षा में किसी महत्वपूर्ण गलत बयानी का पता लगाया जा सके। धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण तथ्यों की गलत बयानी उत्पन्न हो सकती है और इसे महत्वपूर्ण समझा जाता है, यदि अकेले से या कुल मिलाकर, इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णय पर्याप्त रूप से प्रभावित होने संभावित हो सकते है।

लेखा मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा के एक भाग के रूप में, हम व्यावसायिक निर्णय लेते हैं और पूरी लेखापरीक्षा में व्यावसायिक संदेहवाद बनाए रखते हैं। साथ ही हम:

- वित्तीय विवरणों की महत्वपूर्ण गलत बयानी के जोखिमों की पहचान करके उनका आकलन करते है, कि क्या यह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हुई है, और उन जोखिमों के प्रति उपयोगी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिज़ाइन और लागू करते है, और लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते है, जो हमारी राय के लिए एक पर्याप्त और समुचित आधार उपलब्ध कराते हैं। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली महत्वपूर्ण गलतबयानी का पता नहीं लगाने का जोखिम, त्रुटि से उत्पन्न होने वाली गलतबयानी की तुलना में बड़ा है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर की गई चूक, गलत प्रस्तुतीकरण या आंतरिक नियंत्रण की अनदेखी शामिल हो सकती है।
- लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं का डिज़ाइन, जो परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त होता हैं, के क्रम में लेखापरीक्षा के अपेक्षित आंतरिक नियंत्रण की जानकरी प्राप्त करना। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत, हम अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी उत्तरदायी हैं कि क्या कंपनी के पास उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और उक्त नियंत्रणों के संचालन की कोई प्रभाविता है।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन प्राक्कलनों की पर्याप्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित प्रकटीकरणों का मूल्यांकन करते हैं।
- चल रहे कारोबार के लेखांकन के संबंध में पर्याप्तता का निष्कर्ष, प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित होता हैं, भले ही गतिविधियों अथवा स्थितियों से संबंधित महत्वपूर्ण अनिश्चितता हो, जो चल रहे कारोबार को जारी रखने में कंपनी की योग्यता पर कोई महत्वपूर्ण संदेह उत्पन्न कराती हो। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरण करने के लिए हमें ध्यानाकर्षित करना अपेक्षित है, अथवा यदि इस तरह का प्रकटीकरण अपर्याप्त हो, तो हमें अपनी राय में संसोधन करना होता है। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट जारी होने की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। तथापि, भविष्य की गतिविधियां या स्थितियां कंपनी के चल रहे कारोबार को बंद करने का कारण हो सकती हैं।
- संपूर्ण प्रस्तुति, स्ट्रक्चर और वित्तीय विवरणों की सामग्री सहित प्रकटीकरण का मूल्यांकन करना और यह देखने कि क्या वित्तीय विवरण महत्वपूर्ण लेनदेन और गतिविधियों को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि जिससे निष्पक्ष स्थिति प्रकट होती है।

हम इन से समन्वय करते हैं जिन पर अन्य मामलों के साथ-साथ, नियोजित दायरे और लेखापरीक्षा के समय तथा महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों सहित आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण कमियों के संचालन का प्रभारी होता है, जिन्हें हम अपनी लेखापरीक्षा के दौरान सामने लाते हैं।

हम ऐसे प्रभारियों को एक विवरण भी देते है, जो हमने स्वतंत्रता के संबंध में अपेक्षित नीतिगत आवश्यकताओं को लेकर संकलित किया होता है और उनके साथ उन समस्त संबंधों तथा अन्य मामलों के बारे में भी समन्वय करते हैं, जो पर्याप्त रूप से हमारी स्वतंत्रता को वहां करते है और जहां लागू हो, सुरक्षा से संबद्ध हों।

गवर्नेंस प्रभारियों से जिन मामलों पर समन्वय किया गया है, हम मानते हैं कि वे मामले वर्तमान अवधि के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए वे प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम इन मामलों का उल्लेख अपनी लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल करते हैं जब तक कि विधि या विनियम मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटन को शामिल न करते हों अथवा जब, बेहद दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह मानते हैं कि एक मामला हमारी रिपोर्ट में शामिल नहीं होना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के विपरीत परिणामो से काफी हद तक उक्त समन्वय से सार्वजनिक हित लाभ महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं।

अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. जैसे अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (11) के शर्तों में केंद्र सरकार, भारत द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 (आदेश) में अपेक्षित है, हमने अनुलग्नक 1 में पैराग्राफ 3 और 4 में उल्लेखित मामलों पर विवरण दिया है।
2. अधिनियम की धारा 143(3) की अपेक्षानुसार, हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं:

   (क) हमने वे सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और कॉर्पोरेट अवलोकन वैधानिक

रिपोर्ट वित्तीय विवरण 24वीं वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 203 के अनुसार निम्नलिखित को छोड़कर हमारे ऑडिट के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे:

(i) अधिकांश पार्टियों और बैंकों से हमें शेष राशि की पुष्टि के पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं। इसके अलावा, कुछ कार्यालयों द्वारा शेष राशि की पुष्टि के पत्र नहीं भेजे गए, जो हमारे साथ सहमत दिशानिर्देशों के विरुद्ध है;

(ii) कुछ कार्यालयों द्वारा हमें सूचना और स्पष्टीकरण काफी देरी से उपलब्ध कराए जा रहे हैं, और

(iii) वित्तीय डेटा (31 दिसंबर, 2022 को व्यापार प्राप्तियों के बीच 423 लाख रुपयों के अंतर सहित) के बीच अंतर के संबंध में मांगी गई जानकारी और स्पष्टीकरण कॉर्पो रेट कार्यालय में पर्यटन कार्यालय के तहत ''एयर टिकटिंग डिवीजन'' में परिचालन विभाग और ईआरपी में कंपनी द्वारा तैयार किए बही खाते हमें प्रस्तुत नहीं किए गए।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर ऊपर बताई गई हमारी टिप्पणियों के प्रभाव की मात्रा को निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

(ख) हमारी राय में, कंपनी द्वारा कानूनी तौर पर अपेक्षित उचित लेखा पुस्तकें रखी गई हैं, ऐसा उन पुस्तकों की हमारी जांच से प्रतीत होता है।

(ग) तुलनपत्र, अन्य व्यापक आय सहित लाभ और हानि का विवरण, नकदी प्रवाह विवरण और इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण खाते की किताबों के अनुरूप है।

(घ) हमारी राय में, उपरोक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं:

(ङ) कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 463 (ई) दिनांक 5 जून, 2015 के अनुसार, निदेशकों की अयोग्यता के संबंध में अधिनियम की धारा 164(2) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं क्योंकि यह एक सरकारी कंपनी है।

(च) कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, अनुलग्नक 2 में हमारी अलग रिपोर्ट देखें। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता के बारे में हमारी रिपोर्ट में एक असंशोधित राय व्यक्त की गई है।

(छ) कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक 5 जून, 2015 के अपेक्षारनुसार, अधिनियम की धारा 197 सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होती है। तदनुसार, अधिनियम की धारा 197(16) के प्रावधानों की अपेक्षाओं के अनुसार रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(ज) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:

i. कंपनी ने अपने स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का प्रकटन किया है। स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की नोट संख्या 37.2 देखें।

ii. कंपनी ने डेरिवेटिव संविदा सहित किसी भी दीर्घकालिक संविदा का समझौता नहीं किया है।

iii. ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरित करने की आवश्यकता थी।

iv. (क) कंपनी ने प्रकटन किया है, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार कि, विदेशी संस्थाओं ("मध्यस्थों") सहित किसी भी व्यक्ति या संस्थाओं को कंपनी द्वारा कोई धनराशि अग्रिम या उधार या निवेश (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या धन के प्रकार से) नहीं किया गया है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में या अन्यथा दर्ज के रूप में कि मध्यस्थ, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या ऐसा कुछ समान प्रदान करेगा;

(ख) कंपनी ने प्रकटन किया है, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार कि, विदेशी संस्थाओं ("मध्यस्थों") सहित किसी भी व्यक्ति या संस्थाओं से कंपनी द्वारा कोई धनराशि प्राप्त नहीं की गई है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में या अन्यथा दर्ज के रूप में कि कंपनी, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से फंडिंग पार्टी "अंतिम लाभार्थियों" द्वारा या उनकी ओर से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश करेगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या ऐसा कुछ समान प्रदान करेगी;

(ग) ऐसी परिस्थितियों में हमारी द्वारा उचित मानी जाती लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि पैराग्राफ (iv)(E) और (बी) के तहत हमें दिए गए प्रकटन में कोई गलतबयानी नहीं है।

v. वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतान किए गए अंतरिम और अंतिम लाभांश अधिनियम की धारा 123 के प्रावधानों के अनुपालन में हैं। इसके अलावा, कंपनी के निदेशक मंडल ने वर्ष के लिए अंतिम लाभांश प्रस्तावित किया है जो आगामी वार्षिक आम बैठक में कंपनी के सदस्यों के अनुमोदन के अधीन है। प्रस्तावित लाभांश की राशि, अधिनियम की धारा 123 के अनुसार है, जैसा कि लागू है।

vi. अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग करके बही खाते तैयार करने के लिए कंपनी (खाता) नियम, 2014 के नियम 3(1) के प्रावधान में ऑडिट ट्रेल (एडिट लॉग) सुविधा को रिकॉर्ड करने की सुविधा है, जो 1 अप्रैल, 2023 से कंपनी पर लागू है और तदनुसार कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11(स) के तहत रिपोर्टिंग 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए लागू नहीं है।

कृते **पीआर मेहरा एंड कंपनी**
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(फर्म की पंजीकरण संख्या 000051N)

अशोक मल्होत्रा
(पार्टनर)
सदस्यता संख्याः 082648
स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 29 मई, 2023
यूडीआईएनः 23082648BGZELT4140

"अनुलग्नक 1"

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी सम तिथि की रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' खंड के तहत पैराग्राफ1 में संदर्भित "अनुलग्नक 1"

i. क. (क) कंपनी ने इन परिसंपत्तियों की संख्या-वार पहचान को छोड़कर संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।

(ख) कंपनी ने अमूर्त संपत्ति का पूरा विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है;

ख. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी के पास भौतिक सत्यापन का एक नियमित कार्यक्रम है जिसके द्वारा वर्ष के अंत में सभी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का सत्यापन किया जाता है, जो हमारी राय में, कंपनी के आकार और इसकी संपत्ति की प्रकृति के संबंध में एक उचित अंतराल है। इस तरह के सत्यापन पर कोई भौतिक विसंगति देखी नहीं गई है;

ग. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के उन मामलों के लिए नीचे दिए गए फुट-नोट्स देखें जिनमें पट्टा समझौते निष्पादित नहीं किए गए हैं/ स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में खुलासा नहीं किया गया है, उन्हें निम्नलिखित संपत्तियों को छोड़कर कंपनी के नाम पर रखा गया है, जिनके संबंध में टाइटल डीड को निष्पादित किया जाना बाकी है;

संपत्ति का विवरण	सकल वहन मूल्य	जिसके नाम पर लिया गया	प्रमोटर, निदेशक या रिश्तेदार या कर्मचारी	धारित अवधि	कंपनी के नाम पर धारित न होने का कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
गांव में होटल के लिए भूमि बिमीठा, खजुराहो, मध्य प्रदेश में भूमि	₹ 66.98 लाख	इस तालिका के कॉलम 6 में दिए गए कारण देखें	इस तालिका के कॉलम 6 में दिए गए कारण देख	03.09.2013 से	मूल टाइटल डीड उपलब्ध नहीं है।
केवड़िया, गुजरात में होटल के लिए भूमि	₹ 1,275 लाख	टिप्पणियां देखें	लागू नहीं होता है	15.10.2020 से	मूल टाइटल डीड उपलब्ध नहीं है।

फुट-नोट्स: पट्टे पर ली गई अचल संपत्तियों के लिए

1. डी/91 और डी/141, वेस्टर्न रेलवे कॉलोनी, पाली हिल्स, मुंबई में आवासीय भवन, जिसकी लागत 03.10.2012 से 325 लाख रुपये है, रेलवे द्वारा आवंटित किया गया था, जिसके लिए लाइसेंस समझौता अभी तक निष्पादित नहीं किया गया है।
2. दिनांक 17 फरवरी,2017 के आदेश के तहत असम राज्य सरकार द्वारा जगी रोड, असम में रेल नीर संयंत्र के लिए 8.06 लाख रुपये में भूमि आवंटित की गई। पट्टा समझौता अभी तक निष्पादित नहीं हुआ है।
3. 30 अक्टूबर, 2018 से रेल नीर संयंत्र के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार द्वारा ऊना में 103.81 लाख रुपये में पट्टे पर भूमि आवंटित की गई। पट्टा समझौता अभी तक निष्पादित नहीं हुआ है।
4. अंबरनाथ रेल नीर प्लांट (आरओयू 28.23 लाख रुपये) के लिए 17 दिसंबर 2009 से रेलवे द्वारा दी गई जमीन। लीज एग्रीमेंट का नवीनीकरण 01 अप्रैल, 2021 से लंबित है।
5. सफदरजंग रेलवे स्टेशन के पास 1,374 लाख रुपये की लागत वाले तीन आवासीय फ्लैटों पर नवंबर/दिसंबर 2022 से कब्जा है। रेल विकास निगम लिमिटेड के साथ लीज एग्रीमेंट अभी तक नहीं हुआ है।

घ. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (उपयोग संपत्ति के अधिकार सहित) या अमूर्त संपत्ति या दोनों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है। तदनुसार, आदेश का अनुच्छेद 3(i)(डी) कंपनी पर लागू नहीं होता है;

ङ. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके अधीन बनाए गए नियम अंतर्गत कंपनी के खिलाफ कोई बेनामी संपत्ति रखने के लिए कोई कार्यवाही शुरू या लंबित नहीं है;

ii. क. प्रबंधन द्वारा उचित अंतराल पर इन्वेंट्री का भौतिक सत्यापन (अधिकांश डिपो में तैयार स्टॉक को छोड़कर जिसकी तीसरे पक्ष द्वारा लिखित रूप में पुष्टि की गई थी) आयोजित किया जाता है और प्रबंधन द्वारा इस तरह के सत्यापन की कवरेज और प्रक्रिया उचित है और इन्वेंट्री के प्रत्येक वर्ग के लिए कुल 10 % या उससे अधिक की कोई विसंगति देखी नहीं गई है;

ख. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी को बैंक के पास सावधि जमा प्राप्ति के एवज में ओवरड्राफ्ट के रूप में पांच करोड़ रुपये से अधिक की कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत (नवीकृत) की गई है। हमें बताया गया है कि वर्ष के दौरान ओवरड्राफ्ट सुविधा का उपयोग नहीं किया गया था और कंपनी द्वारा कोई रिटर्न या विवरण दाखिल करने की आवश्यकता नहीं थी;

iii. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधारपर, कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई निवेश नहीं किया है, गारंटी या प्रतिभूति प्रदान नहीं की है या कंपनियों या फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य पार्टियों को प्रतिभूत या अप्रतिभूत ऋण के रूप में कोई भी ऋण या अग्रिम प्रदान नहीं किया है। तदनुसार, आदेश का अनुच्छेद 3(iii) कंपनी पर लागू नहीं होता है;

iv. ऋणों, निवेशों, गारंटियों और प्रतिभूति के संबंध में उपरोक्त पैराग्राफ (iii) में हमारी टिप्पणियों के मद्देनजर, कंपनी अधिनियम की धारा 185 और 186 के प्रावधानों का अनुपालन लागू नहीं होता है;

v. कंपनी ने जनता से जमा मानी जाती ऐसी कोई जमा या कोई राशि स्वीकार नहीं की है। तदनुसार, आदेश का अनुच्छेद 3(v) कंपनी पर लागू नहीं होता है;

vi. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, केंद्र सरकार ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उप-धारा (1) अंतर्गत उसके द्वारा निर्मित उत्पादों और उसके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लागत रिकॉर्ड के रखरखाव को निर्धारित नहीं किया है। तदनुसार, आदेश का अनुच्छेद 3(v) कंपनी पर लागू नहीं होता है;

vii. क. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, मासिक जीएसटी एवं जीएसटी टीडीएस बकाया की कुल मिलाकर इस वर्ष के लिए 4,999.97 लाख रु. (पिछले वर्ष 2,930 लाख रुपये) की आंशिक राशि जमा करने में देरी, मासिक आयकर टीडीएस बकाया की आंशिक राशि 291.92 लाख रुपये और कुछ कर्मचारियों के पीएफ बकाया जमा करने में देरी को छोड़कर जो अपने आधार कार्ड को अपने पीएफ नंबर के साथ लिंक करने में विफल रहे, कंपनी आमतौर पर अविवादित सांविधिक देय राशि समुचित प्राधिकारी के पास समय पर जमा करने में नियमित है, जिसमें भविष्य निधि, आयकर और उस पर लागू अन्य महत्वपूर्ण सांविधिक देय शामिल है।

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, जीएसटी, आयकर और अन्य महत्वपूर्ण सांविधिक बकाया के संबंध में देय कोई भी निर्विवाद राशि 31 मार्च, 2023 को उनके देय होने की तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया नहीं थी, सिवा 6.93 लाख रुपये के पीएफ बकाया के जो उन कर्मचारियों के संबंध में है जो अपने आधार कार्ड नंबर को अपने पीएफ नंबर के साथ लिंक नहीं कर सके थे;

ख. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वैधानिक देय राशि जो किसी विवाद के कारण उपयुक्त अधिकारियों के पास जमा नहीं की गई है, वह इस प्रकार है:

स्टेचू का नाम	बकाया विवरण	अवधि जिससे राशि संबंधित है	मंच जहां विवाद लंबित है	सकल देनदारी (राशि लाख में रुपये)	राशि का भुगतान (राशि लाख में रुपये)	शुद्ध देनदारी (राशि लाख में रुपये)
सेवा कर	किराए पर लेने, एजेंट व्यवसाय, खानपान आदि पर कर	01.04.2007 से 31.03.2012	सीईएसटीएटी	10,480.19#	-	10,480.19#
सेवा कर	किराए पर लेने, एजेंट व्यवसाय, खानपान आदि पर कर	2012-13 से जून 2017 तक	सीईएसटीएटी	23.05	2.31	20.74
सेवा कर	खानपान, टूर संचालन, माल परिवहन आदि पर मांग।	2014-15	उच्च न्यायालय/ ट्रिब्यूनल / अपीलीय प्राधिकरण	56.36	4.23	52.13
सेवा कर	बोतलबंद पेयजल की बिक्री पर	2008-09 से 2012-13	सीईएसटीएटी / आयुक्त (अपील)	38.57	-	38.57
सेवा कर अधिनियम	मांग	2014-15 (दूसरी छमाही) और 2015-16	उप-आयुक्त	14.28	1.43	12.85
सेवा कर	मांग	2010-11 से 2013-14	सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण	458.95	458.95	-
सेवा कर	मांग सह एससीएन	2017-18	केंद्रीय कर आयुक्त	64.94	-	64.94

स्टेचू का नाम	बकाया विवरण	अवधि जिससे राशि संबंधित है	मंच जहां विवाद लंबित है	सकल देनदारी (राशि लाख में रुपये)	राशि का भुगतान (राशि लाख में रुपये)	शुद्ध देनदारी (राशि लाख में रुपये)
सेवा कर	मांग	2015-17	केंद्रीय कर आयुक्त	199.76	-	199.76
सेवा कर	मांग	2011-15	केंद्रीय कर आयुक्त (अपील)	39.36	2.95	36.41
वैट	मोबाइल कैटरिंग सेवाओं पर मांग	2008-09 से जून 2017	उच्चतम न्यायालय	8,251.01	-	8,251.01
वैट	मूल्यांकन, ब्याज और जुर्माना	2005-06 और 2008-09	संयुक्त आयुक्त बिक्री कर (अपील)	373.30	36.82	336.48
वैट	आईटीसी इनकार, मोबाइल कैटरिंग पर मांग	2010-11 से 2012-13	ट्रिब्यूनल	161.70	80.87	80.83
वैट बिहार	मोबाइल कैटरिंग सेवाओं पर मांग	2008-09 से 2011-12	उच्चतम न्यायालय	915.80	-	915.80
वैट बिहार	मोबाइल कैटरिंग सेवाओं पर मांग	2011-12	उच्च न्यायालय/ ट्रिब्यूनल / अपीलीय प्राधिकरण	73.24	-	73.24
वैट दिल्ली	मूल्यांकन, ब्याज और जुर्माना	2012-13	वैट अधिकारी, विशेष ओएचए	77.74	-	77.74
वैट दिल्ली और सीएसटी	मूल्यांकन, ब्याज और जुर्माना	2009-10 से 2010-11	विशेष आयुक्त (डीवैट)	599.38	-	599.38
वैट दिल्ली और सीएसटी	मूल्यांकन, ब्याज और जुर्माना	2013-14 से 2015-16	डीवैट ओएचए	427.97	8.03	419.94
वैट झारखंड	जुर्माना	2010-11 से 2012-13	एडीसी	46.31	5.79	40.52
वैट झारखंड	मांग	2010-11 से 2012-13	उच्च न्यायालय/ ट्रिब्यूनल / अपीलीय प्राधिकरण	40.03	-	40.03
वैट केरल	से संबंधित कंपाउंडिंग दर से इनकार	2014-15	एसीटीओ	47.57	-	47.57
वैट ओडिशा	मूल्यांकन, ब्याज और जुर्माना	2011-12 से 2013-14	आयुक्त, ट्रिब्यूनल	64.66	4.31	60.35
वैट ओडिशा	मोबाइल कैटरिंग सेवाओं पर मांग	2011-12 से 2012-13	ट्रिब्यूनल	82.91	13.53	69.38
वैट राजस्थान	मूल्यांकन, ब्याज और जुर्माना	2005-06 से 2016-17	एसीटीओ	32.56	-	32.56
वैट यूपी	मूल्यांकन, ब्याज और जुर्माना	2008-09	आयुक्त (यूपी वैट)	17.08	6.83	10.25
दिल्ली वैट अधिनियम	मांग	2016-17	वैट - आधिकारिक सुनवाई प्राधिकरण	0.46	-	0.46
आर वैट	मांग	2015-16 से 2017-18	वाणिज्यिक कर अधिकारी	3.11	-	3.11
टीएन वैट अधिनियम	मांग	2014-15	सहायक आयुक्त	5.91	2.83	3.08
टीएन वैट	मांग	2015-16 से 2017-18	सहायक आयुक्त (एसटी)	319.13	-	319.13
वैट-एमपी	मांग	2017-18	वाणिज्यिक कर अधिकारी	35.82	-	35.82
दिल्ली सीएसटी	मांग	2016-17	वैट - आधिकारिक सुनवाई प्राधिकरण	84.61	-	84.61
दिल्ली सीएसटी	मांग	2017-18	विशेष सुनवाई प्राधिकारी	8.63	-	8.63

स्टेचू का नाम	बकाया विवरण	अवधि जिससे राशि संबंधित है	मंच जहां विवाद लंबित है	सकल देनदारी (राशि लाख में रुपये)	राशि का भुगतान (राशि लाख में रुपये)	शुद्ध देनदारी (राशि लाख में रुपये)
सीएसटी	मांग	2014-15 और 2015-16	सहायक आयुक्त (एसटी)	43.84	-	43.84
आयकर	आकलन	2020-21	एओ, आयकर	25.65	-	25.65
आय-कर टीडीएस	मांग	2007-08 से 2022-23	टीडीएस प्राधिकरण	16.46	-	16.46
सीजीएसटी अधिनियम 2021	मांग	2017-18, 2018-19 और 2019-20	अतिरिक्त महानिदेशक	41.34	-	41.34
सीजीएसटी अधिनियम	मांग	2017-18 और 2019-20	संयुक्त आयुक्त अपील-05	6.13	-	6.13
जीएसटी टीएस	मांग	2017-18 से 2020-21	सहायक आयुक्त (एसटी)	51.53	-	51.53
जीएसटी टीएस	आकलन	2021-22	जीएसटी प्राधिकरण	50.20	-	50.20
जीएसटी-टीएस	कारण बताओ नोटिस	2017-18, 2018-19 और 2019-20	अतिरिक्त महानिदेशक	39.46	18.49	20.97
जीएसटी ओडी	मांग	2018-19	सीटी और जीएसटी अधिकारी	0.21	-	0.21
जीएसटी अधिनियम	मांग	2020-21	जीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा के अधीक्षक	3.47	-	3.47
जीएसटी अधिनियम	मांग	2014-15	केरल उच्च न्यायालय	44.05	-	44.05
जीएसटी एपी	कारण बताओ नोटिस	2018-19 और 2019-20	अतिरिक्त महानिदेशक	14.91	13.03	1.88
वित्त अधिनियम और केंद्रीय उत्पाद शुल्क	मांग	2015-17	आयुक्त (अपील II) केंद्रीय उत्पाद शुल्क और जीएसटी	2.17	0.16	2.01
प्रवेश कर	मूल्यांकन, ब्याज और जुर्माना	2011-12 से 2012-13	उच्च न्यायालय	0.90	-	0.90
कुल				**23,384.72**	**660.57**	**22,724.15**

खाते की पुस्तकों में 2,578.03 लाख रुपये प्रदान किए गए।

viii. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने किसी भी लेन-देन को अभ्यर्पित या प्रकटन नहीं किया है, जिसे वर्ष के दौरान आय के रूप में आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के तहत, कर निर्धारण में लेखा पुस्तकों में आय के रूप में पूर्व में दर्ज नहीं किया गया था;

ix. (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, बैंकों के पास सावधि जमा के खिलाफ बैंक से ओवरड्राफ्ट सुविधा की मंजूरी के अलावा, कंपनी ने किसी अन्य ऋणदाता से कोई ऋण या उधार नहीं लिया है। कंपनी ने ऋण चुकाने या उस पर ब्याज के भुगतान में चूक नहीं की है;

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, बैंक द्वारा कंपनी को इरादतन चूककर्ता (डिफॉल्टर) घोषित नहीं किया गया है;

(ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने कोई सावधि ऋण प्राप्त नहीं किया है। तदनुसार, आदेश का अनुच्छेद 3(ix)(सी) लागू नहीं होता है;

(घ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी द्वारा अल्पकालिक आधार पर कोई फंड इकट्ठा नहीं किया गया है। तदनुसार, आदेश का अनुच्छेद 3(ix)(डी) लागू नहीं होता है;

(ङ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के तुलनपत्र की जांच करने के बाद, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने खाते में या अपने संयुक्त उद्यम के दायित्वों को पूरा करने के लिए किसी भी संस्था या व्यक्ति से कोई धन नहीं लिया है। तदनुसार, आदेश का अनुच्छेद 3(ix)(ई) लागू नहीं होता है;

(च) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के तुलनपत्र की जांच करने के बाद, हम रिपोर्ट करते हैं कि वर्ष के दौरान कंपनी ने अपने संयुक्त उद्यम में धारित प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर कोई ऋण नहीं लिया है। तदनुसार, आदेश का अनुच्छेद 3(ix)(एफ) लागू नहीं होता है;

x. कंपनी ने वर्ष के दौरान आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव या आगे के सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण विलेख सहित) के माध्यम से कोई धन प्राप्त नहीं किया है। इसके अलावा, कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचर का कोई पक्षपातपूर्ण आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के अनुच्छेद 3(x) (ए और बी) कंपनी पर लागू नहीं होते हैं;

xi. क. कंपनी द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी या कंपनी पर कोई धोखाधड़ी न तो देखी गई और न ही रिपोर्ट की गई है।;

ख. वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (12) के तहत हमारे द्वारा केंद्र सरकार के पास कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत फॉर्म एडीटी-4 में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है;

ग. जैसा कि प्रबंधन ने हमें बताया है, वर्ष के दौरान कंपनी को कोई व्हिसलब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई है;

xii. कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। तदनुसार, आदेश के पैराग्राफ 3(xii) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं;

xiii. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, संबंधित पार्टियों के साथ सभी लेन-देन, जहां लागू हो वहां, कंपनी अधिनियम की धारा 177 और 188 के अनुपालन में हैं, और लेखापरीक्षा पर लागू मानकों के अपेक्षानुसार, इस तरह के लेन-देन का विवरण स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है;

xiv. क. ज़ोनल और क्षेत्रीय कार्यालयों और रेल नीर संयंत्रों की आंतरिक लेखापरीक्षा को छोड़कर, कंपनी के पास अपने कारोबार के आकार और प्रकृति के अनुरूप एक आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली है और साथ ही वर्ष के अंत में भौतिक लेनदेन सहित लेनदेन लेखापरीक्षा को अपने कारोबार के आकार और प्रकृति के अनुरूप बनाने के लिए पर्याप्त कवरेज की आवश्यकता है।;

ख. हमने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए आंतरिक लेखा परीक्षक की रिपोर्टों पर विचार किया है;

xv. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने निदेशकों या उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ गैर-नकदी लेनदेन नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के पैराग्राफ 3(xv) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं;

xvi. कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45-। ए अंतर्गत पंजीकृत होना आवश्यक नहीं है। तदनुसार, आदेश के पैराग्राफ 3(xvi) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं;

xvii. कंपनी को वर्तमान वित्तीय वर्ष में और तत्कालीन पिछले वित्तीय वर्ष में नकदी घाटा नहीं हुआ है;

xviii. वर्ष के दौरान सांविधिक लेखापरीक्षकों का कोई इस्तीफा प्राप्त नहीं हुआ था। तदनुसार, आदेश के पैराग्राफ 3(xviii) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं;

xix. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और वित्तीय अनुपात, एजिंग और वित्तीय संपत्तियों की वसूली की अपेक्षित तारीखों और वित्तीय देयताओं के भुगतान के आधार पर, वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी, निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारे ज्ञान और मान्यताओं का समर्थन करने वाले साक्ष्यों की हमारी जांच के आधार पर, हमारे ध्यान में कुछ भी नहीं आया है, जिसके कारण हम यह माने कि लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख पर कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, जो यह बताती है कि कंपनी तुलनपत्र की तारीख तक मौजूद अपनी देयताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं है जो तुलनपत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर आती हैं। हम आगे सूचित करते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि तुलन पत्र से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होने वाली सभी देयताएं, कंपनी द्वारा देय होने पर पूरी कर दी जाएगी;

xx. क. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, चल रही परियोजनाओं के अलावा, ऐसी कोई अव्ययित राशि नहीं है जिसे कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII में निर्दिष्ट फंड में स्थानांतरित करने की आवश्यकता थी। तदनुसार, आदेश का अनुच्छेद 3(xx)(ए) कंपनी पर लागू नहीं होता है;

ख. अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (5) के तहत, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए सीएसआर आवश्यकताओं में से, 31 मार्च, 2023 तक शेष अव्ययित 151.27 लाख रुपये की राशि, (31 मार्च 2022 तक 124.39 लाख रुपये) -चल रही परियोजनाओं के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (6) के प्रावधानों के अनुपालन में विशेष खाते में स्थानांतरित कर दी गई है।

कृते **पीआर मेहरा एंड कंपनी**
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(फर्म की पंजीकरण संख्या 000051N)

अशोक मल्होत्रा
(पार्टनर)
सदस्यता संख्या: 082648
स्थानः नई दिल्ली
दिनांक: मई 29,2023

"अनुलग्नक 2"

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी सम तिथि की रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' खंड के तहत पैराग्राफ 2 (एफ) में संदर्भित "अनुलग्नक 2"

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप–धारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड (कंपनी) के 31 मार्च, 2023 के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है, जोकि कंपनी के उस दिन से समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के संयोजन के साथ है।

1. **आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी**

   कंपनी का प्रबंधन कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग के मापदंड पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण करने तथा उन्हें बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है, जिसके लिए इंस्टीट्यूट ओफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में उल्लेखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य भागों पर विचार लिया जाता है। इन उत्तरदायित्वों में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का समुचित डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल रहता है, ताकि कंपनी के कारोबार सहित इसकी नीतियों का नियमानुसार और कुशलतापूर्वक संचालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम तथा उनका पता लगाना लेखा रिकार्डों की सटीकता और पूर्णता तथा जैसे अधिनियम, के अंतर्गत अपेक्षित है, विश्वसनीय वित्तीय जानकारी समय पर तैयार करना सुनिश्चित हो सके।

2. **लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारी**

   हमारा उत्तरदायित्व, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर एक राय व्यक्त करना है। हमने वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्दर्शन नोट ("मार्गदर्शन नोट'') और आईसीएआई द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों पर हमारी लेखापरीक्षा की है, जिसे अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लागू सीमा के अनुरूप निर्धारित मन जाता है, जो दोनों आंतरिक आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए लागू होता है और दोनों आईसीएआई द्वारा जारी किए जाते हैं। इन मानकों और मार्गदर्शन नोट के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन करें और यह पर्याप्त आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा का आयोजन करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण बनाया गया तथा उसे बनाए रखा गया था और क्या उक्त नियंत्रणों का हर तरह से प्रभावी संचालन किया गया था।

   हमारी लेखापरीक्षा में इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की पर्याप्तता के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रिया का पालन करना तथा उनके संचालन की प्रभाविता शामिल है। स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखापरीक्षा में इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की जानकारी प्राप्त करना शामिल है, जिसमें सामग्री में निहित कमजोरी के जोखिम का आकलन करना और आंकलित जोखिम के आधार पर डिजाइन तथा आंतरिक नियंत्रण के संचालन की प्रभाविता का परिक्षण और मूल्यांकन शामिल होता है। चुनी गई प्रक्रियाएं, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की गलत बयानी, चाहे वह धोखधड़ो के कारण हो अथवा त्रुटि के कारण, के जोखिमों के आकलन सहित लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती है।

   हमारा मानना है कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा संबंधी राय के लिए एक पर्याप्त और समुचित आधार उपलब्ध करते हैं।

3. **स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ**

   स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर एक कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें आम तौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाह्य उद्देश्यों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के संबंध में समुचित आश्वासन उपलब्ध कराए जाते हैं। स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) उन रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित हैं, जो समुचित विवरण, सटीकता तथा निष्पक्षता के साथ कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन और अवस्थिति को दर्शाती हैं; (2) समुचित आश्वासन उपलब्ध करतें है कि आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार दर्ज किया जाता ह जो स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों तैयार करने की अनुमति के लिए आवश्यक होते हैं और कंपनी की प्राप्तियां तथा व्यय के विवरण प्रबंधन तथा निदेशक मंडल के प्राधिकारों के अनुसार ही तैयार किए जा रहे हैं; और (3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनाधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, या अवस्थिति का समय पर पता लगाने और उनकी रोकथाम के लिए पर्याप्त आश्वासन उपलब्ध कराती हैं, जिनसे स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

4. **स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएं**

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं सहित त्रुटि अथवा धोखाधड़ी के के कारण टकराव होने अथवा प्रबंधन का समुचित नियंत्रण न होने से, गलत बयानी होने की संभावना रहती है और उसका पता नहीं लग पता। साथ ही, भावी अवधि के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन का पता लगाने के लिए भी जोखिम रहता है कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकते है, या कि नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री खराब हो सकती है।

5. **हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर, 31 मार्च, 2023 को हमारी निम्नलिखित टिप्पणियां हैं:**

   i एक महत्वपूर्ण आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, मेकर और चेकर अवधारणा आम तौर पर अनुपस्थित है, यानी लागू नहीं की जा रही है जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय और अन्य डेटा में कई त्रुटियां और चूक हुई हैं, जिनके आधार पर लेनदेन बही खातों में दर्ज किए जाते हैं। हमने यह भी देखा कि विभिन्न कार्यालयों में अनुभवी पेशेवर रूप से योग्य कर्मियों की अपर्याप्त संख्या के परिणामस्वरूप: (i) आंतरिक वित्तीय नियंत्रण से समझौता किया जा रहा है / ऊपर बताए गए मेकर और चेकर अवधारणा सहित को लागू नहीं किया जा रहा है, (ii) जानकारी और स्पष्टीकरण हमें काफी देरी से प्रदान किए जा रहे हैं, (iii) विभिन्न कार्यालयों द्वारा जोनल/ कॉर्पोरेट कार्यालयों को भेजे गए समापन विवरणों/डेटा की समीक्षा नहीं की जा रही है और (iv) बही खातों में पहले दर्ज किए गए लेनदेन/ बकाया शेष की इन कार्यालयों द्वारा समय-समय पर समीक्षा नहीं की जा रही है।

   ii. हमने पाया है कि: (ए) ईआरपी में तैयार किए बही खातों में कुछ सहायक और नियंत्रण खाता शेष के बीच अंतर मौजूद है, जिसमें ऐसे खातों और अंतरों को प्रबंधन द्वारा क्रमशः पहचाना और निर्धारित किया जाना बाकी है, और (बी) वित्तीय डेटा के बीच अंतर (31 दिसंबर, 2022 को व्यापार प्राप्तियों के बीच 423 लाख रुपये के अंतर सहित) कॉर्पोरेट कार्यालय में पर्यटन कार्यालय के तहत ''एयर टिकटिंग डिवीजन'' में परिचालन विभाग और ईआरपी में कंपनी द्वारा बनाए गए बही खाते हमें प्रस्तुत नहीं किए गए और इन वित्तीय डेटा का समय-समय पर मिलान नहीं किया जा रहा था।

   iii. किए गए भुगतानों और प्राप्तियों को क्रमशः प्राप्त और जारी किए गए इनवॉयस के साथ जोड़ने में देरी हुई है / लंबित है / कुछ मामलों में ठीक से नहीं किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष के अंत में व्यापार देय और प्राप्य की कालावधि का गलत खुलासा हुआ है।

   iv. पार्टियों से शेष राशि पुष्टिकरण पत्र प्राप्त करने के लिए कंपनी द्वारा जारी दिशानिर्देशों का कुछ कार्यालयों द्वारा आंशिक रूप से पालन किया गया है। रेलवे को कोई शेष पुष्टिकरण पत्र नहीं भेजा गया क्योंकि रेलवे अपने बही खाते नकद आधार पर रखता है। इसके अलावा, अन्य पार्टियों और बैंकों से मांगी गई शेष राशि की पुष्टि के लिए उत्तर नगण्य था और पार्टियों से बेहतर प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए आवधिक अंतराल पर शेष राशि की पुष्टि प्राप्त करने की प्रणाली और प्रक्रियाओं की समीक्षा नहीं की गई और उन्हें मजबूत नहीं किया गया।

   v. सिस्टम-आधारित स्वचालित नियंत्रणों, चेक और शेष राशि के बजाय मैन्युअल नियंत्रणों का प्रयोग किया जाता है क्योंकि तीसरी पार्टी के एप्लिकेशन/ पोर्टलों के माध्यम से निष्पादित लेनदेन मैन्युअल रूप से ईआरपी में एक्सेल के माध्यम से डेटा संकलित करके पोस्ट किए जाते हैं क्योंकि मौजूदा ईआरपी एप्लिकेशन कंपनी के कुछ कार्यों / खंडों के साथ एकीकृत नहीं है। डेटा का ऑडिट ट्रेल (संपादन लॉग), जो एक महत्वपूर्ण आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है, एक्सेल में संकलित डेटा के लिए भी उपलब्ध नहीं है।

   vi. 31 मार्च, 2023 को बड़ी संख्या में निष्क्रिय डेबिट और क्रेडिट शेष मौजूद थे, जिनमें बड़ी संख्या में विरासती प्रविष्टियाँ भी शामिल थीं। इन शेषों की पहचान करने, उनका मिलान करने और यदि आवश्यक हो तो बट्टे खाते में डालने/राइट-बैक करने के लिए कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं।

   vii. कंपनी के इंटरनेट टिकटिंग सेगमेंट में कई बैंक खातों का लेनदेन-दर-लेनदेन मिलान नहीं किया जा रहा है: (i) बड़ी संख्या में टिकट बुकिंग और रद्दीकरण और (ii) कुछ बैंकों से लेनदेन-वार दैनिक डेबिट और क्रेडिट रिपोर्ट की अनुपलब्धता के लिए स्वचालित मिलान प्रणाली की आवश्यकता है।

6. **राय**

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार और उपरोक्त हमारे अवलोकनों के साथ पठित, कंपनी के पास, सभी महत्वपूर्ण विषय, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है और 31 मार्च, 2023 तक स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में ऐसा आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावी रूप से संचालित है, जो आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर है।

कृते **पीआर मेहरा एंड कंपनी**
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(फर्म की पंजीकरण संख्या 000051N)

अशोक मल्होत्रा
(पार्टनर)
सदस्यता संख्या: 082648
स्थानः नई दिल्ली
दिनांक: मई 29, 2023

“अनुलग्नक 3”

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी सम तिथि की रिपोर्ट के ‘अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट’ खंड के अंतर्गत पैरा 2 (जी) में संदर्भित "अनुलग्नक"

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत निर्देश	निर्देशों पर की गई कार्रवाई पर लेखा परीक्षक का जवाब
1. क्या कंपनी के पास आईटी के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने की प्रणाली है? यदि हां, तो आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के वित्तीय प्रभावों के साथ खातों की अखंडता पर प्रभाव, यदि कोई हो, तो बताए।	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास अपने लेखांकन लेनदेन के एक बड़े हिस्से को आईटी के माध्यम से संसाधित करने के लिए एक प्रणाली है। तथापि, कुछ मॉड्यूल जैसे कि (संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, अमूर्त और संपत्ति उपयोग का अधिकार, पेरोल और एआरसीएस (लेखांकन मिलान क्लाउड सेवाएं) के लंबित कार्यान्वयन को देखते हुए ओरेकल प्रणाली का मौजूदा ईआरपी एप्लिकेशन एंड टू एंड एकीकृत लेखांकन प्रणाली नहीं है। इसके अतिरिक्त, ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग की राशि, पर्यटन के एमसीडीओ डेटा, ई-कैटरिंग, रेल नीर संयंत्र डेटा और लेनदेन एक्सेल में संकलित किए जाते हैं और मास्टर डेटा के रूप में ईआरपी के वित्तीय लेखांकन मॉड्यूल में मैन्युअल रूप से अपलोड/पोस्ट किए जाते हैं और इन तीसरी-पार्टी एप्लिकेशन में कैप्चर किया गया लेन-देन डेटा ईआरपी एप्लिकेशन के साथ संगत नहीं है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण और हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण में खातों की अखंडता के संबंध में कोई महत्वपूर्ण मामला सामने नहीं आया है। सिवाय इसके कि जैसा कि ऊपर बताया गया है एक्सेल में संकलित डेटा के संपादन में ऑडिट ट्रेल नहीं है।
2. क्या मौजूदा ऋण की पुनः संरचना की गई है या ऋण चुकाने में कंपनी की अक्षमता के कारण ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए कर्ज/ऋण/ब्याज आदि को माफ/बट्टे खाते में डालने के मामले हैं? यदि हां, तो वित्तीय प्रभाव बताएं। क्या ऐसे मामलों का ठीक से लेखांकन किया जाता है?	वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी को किसी ऋणदाता द्वारा मौजूदा ऋण के पुनः संरचना या ऋण/कर्ज/ब्याज आदि को माफ करने/बट्टे खाते में डालने के मामले नहीं थे।
3. क्या केंद्र/राज्य सरकारों या इसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य करने योग्य निधियों (अनुदान/सब्सिडी आदि) का नियमों और शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखा/उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।	हमें सूचित किया जाता है कि कंपनी द्वारा 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान ऐसी कोई धनराशि प्राप्त/प्राप्य करने योग्य नहीं थी। पिछले वर्षों में प्राप्त सरकारी अनुदान के संबंध में, लागू इंड भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार इसका लेखा किया जा रहा है।

कृते **पीआर मेहरा एंड कंपनी**
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(फर्म की पंजीकरण संख्या 000051N)

अशोक मल्होत्रा
(पार्टनर)
सदस्यता संख्या: 082648
स्थानः नई दिल्ली
दिनांक: मई 29,2023

31 मार्च, 2023 को तुलनपत्र

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	नोट संख्या	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
I. परिसम्पत्तियां			
1 गैर–वर्तमान परिसम्पत्तियां			
(a) सम्पत्ति, संयत्र तथा उपकरण	3	22,368.66	20,528.19
(b) पूंजीगत कार्य – प्रगति पर	4	3,379.07	2,616.96
(c) निवेश सम्पत्ति	5	2,658.39	2,695.95
(d) अन्य अमूर्त परिसंपत्ति	5 ए	273.25	536.46
(e) परिसम्पत्ति के प्रयोग का अधिकार	5 बी	9,792.86	9,781.18
(f) वित्तीय परिसंपत्ति	6		
(i) निवेश	6.1	–	–
(ii) आस्थगित कर परिसंपत्ति (शुद्ध)	6.2	11.31	34.36
(g) अन्य गैर – वर्तमान परिसंपत्ति	7	13,054.96	9,473.22
(h) अन्य गैर – वर्तमान परिसंपत्ति	8	22,072.53	4,946.79
		73,611.03	**50,613.11**
2 वर्तमान परिसम्पत्तियां			
(a) सूची	9	960.95	792.79
(b) वित्तीय परिसम्पत्तियां	10		
(i) व्यापार प्राप्तियां	10.1	1,14,291.40	57,151.97
(ii) नकद और नकद समकक्ष	10.2	42,884.52	36,820.38
(iii) उपरोक्त (ii) के अलावा अन्य बैंक शेष	10.3	1,50,488.62	1,36,336.50
(iv) अन्य	10.4	20,881.49	15,220.93
(c) वर्तमान कर परिसम्पत्तियां (शुद्ध)	11	10,890.06	6,459.94
(d) अन्य वर्तमान परिसम्पत्तियां	12	94,867.81	85,013.61
		4,35,264.85	**3,37,796.12**
कुल परिसंपत्तियां		**5,08,875.88**	**3,88,409.23**
II. इक्विटी एवं देयता			
1 इक्विटी			
(a) इक्विटी शेयर पूंजी	13	16,000.00	16,000.00
(b) अन्य इक्विटी	14	2,31,840.41	1,71,031.36
		2,47,840.41	**1,87,031.36**
2 देयताएं			
(i) गैर वर्तमान देयताएं			
(a) वित्तीय देयताएं	15		
(i) उधार		–	–
(ia) लीज देयताएं	75	5,945.11	8,342.74
(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	15.1	3,743.64	2,218.90
(b) प्रावधान	16	10,544.37	10,330.66
(c) अन्य गैर–वर्तमान देयताएं	17	1,665.81	695.39
		21,898.93	**21,587.69**
(ii) वर्तमान देयताएं			
(a) वित्तीय देयताएं	18		
(i) उधार		–	–
(ia) लीज देयताएं	75	2,471.11	2,149.39
(ii) व्यापार देय: –	18.1		
(a) सूक्ष्म उद्यमों और छोटे उद्यमों की कुल बकाया राशि; तथा		2,483.31	890.13
(b) सूक्ष्म उद्यमों और छोटे उद्यमों के अलावा लेनदारों का कुल बकाया		82,732.16	68,198.80
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	18.2	35,502.43	32,022.71
(b) अन्य वर्तमान देयताएं	19	1,13,189.73	73,689.57
(c) प्रावधान	20	2,757.80	2,839.58
(d) वर्तमान कर देयता (शुद्ध)	21	–	–
		2,39,136.54	**1,79,790.18**
कुल इक्विटी एवं देयताएं		**5,08,875.88**	**3,88,409.23**
यह महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और नोट वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं	1-93		

हमारी सम तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते **पीआर मेहरा एंड कंपनी**
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म रजि सं. : 000051एन

कृते और उनकी ओर से :-
इंडियन रेलवे कैटरिंग एन्ड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड

चार्टर्ड अकाउंटेंट अशोक मल्होत्रा
पार्टनर
एम.नं.:-082648

रजनी हसीजा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन:- 08083674

अजीत कुमार
निदेशक (वित्त) और सीएफओ
डीआईएन:- 07247362

सुमन कालरा
कंपनी सचिव
एम.नं. एफसीएस 9199

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29 मई, 2023

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि विवरण

राशि (लाख ₹ में)

	विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
I.	परिचालन से राजस्व	22	3,54,147.29	1,87,857.44
II	अन्य आय	23	12,043.05	7,590.38
III	**कुल आय (I+II)**		3,66,190.34	1,95,447.82
	खर्च			
	उपभोज्य सामग्री की लागत	24	7,567.38	4,012.81
	स्टॉक-इन-ट्रेड की खरीद	25	12,068.58	6,579.63
	तैयार माल की वस्तु सूचियों से परिवर्तन, कार्य-प्रगति और स्टॉक-इन-ट्रेड	26	(132.48)	(42.84)
	खानपान सेवाओं का व्यय	27	1,07,289.98	28,334.32
	पर्यटन और ट्रेन परिचालन का व्यय	28	44,235.43	16,572.98
	विनिर्माण और प्रत्यक्ष व्यय	29	14,673.70	9,842.58
	कर्मचारी हित खर्च	30	24,552.41	24,045.05
	वित्तीय लागत	31	1,611.25	1,105.00
	मूल्यह्रास और परिशोधन खर्च	32	5,372.96	4,898.84
	हानि क्षति	46	-	(122.97)
	कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय	51	1,253.00	990.00
	अन्य व्यय	33	15,017.17	10,294.30
IV	**कुल व्यय (IV)**		2,33,509.38	1,06,509.70
V	**असाधारण मदों और कर से पूर्व लाभ (III - IV)**		1,32,680.96	88,938.12
VI	असाधारण मदें	33.2	2,720.00	(400.45)
VII	**कर पूर्व लाभ (V + VI)**		1,35,400.96	88,537.67
VIII	कर खर्च:			
	(1) वर्तमान कर	34		
	- वर्ष के लिए		37,322.40	23,802.31
	- पहले वर्ष के लिए		1,146.50	766.87
	(2) आस्थगित कर			
	- वर्ष के लिए		(2,797.54)	(929.40)
	- पहले वर्ष के लिए		(858.51)	(1,057.40)
IX	**निरंतर परिचालन की अवधि के लिए लाभ (VII-VIII)**		1,00,588.11	65,955.29
X	अविछिन्न परिचालन से लाभ		-	-
XI	अविछिन्न परिचालन का कर व्यय		-	-
XII	अविछिन्न परिचालनों से लाभ (X - XI)		-	-
XIII	**अवधि के लिए लाभ (IX + XII)**		1,00,588.11	65,955.29
XIV	**अन्य व्यापक आय**			
	A (i) मदों को लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किया गया		-	-
	(ii) आय कर से सम्बन्धीत मदों को लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		-	-
	B (i) मदों को लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		-	-
	- पोस्ट रोजगार लाभ के दायित्व का पुनर्मूल्यांकन	35	295.26	585.33
	(ii) आय कर से सम्बन्धीत मदों को लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		(74.32)	(147.33)
XV	**अवधि के लिए अन्य व्यापक आय**		220.94	438.00
XVI	**अवधि के लिए कुल व्यापक आय (XIII+XV) (इस अवधि के लिए लाभ और अन्य व्यापक आय सहित)**		1,00,809.05	66,393.29
XVII	**प्रति इक्विटी शेयर आय:**			
	(निरंतर संचालन के लिए)			
	(1) मूलभूत (₹ में)	36	12.57	8.24
	(2) डाइल्यूटेड (₹ में)	36	12.57	8.24
XVIII	**आय प्रति इक्विटी शेयर:**			
	(अविछिन्न परिचालनों के लिए)			
	(1) मूलभूत (₹ में)		-	-
	(2) डाइल्यूटेड (₹ में)		-	-
XIX	**आय प्रति इक्विटी शेयर:**			
	(निरंतर और अविछिन्न परिचालनों के लिए)			
	(1) मूलभूत (₹ में)	36	12.57	8.24
	(2) डाइल्यूटेड (₹ में)	36	12.57	8.24
	यह महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और नोट वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं	1-93		

हमारी सम तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते **पीआर मेहरा एंड कंपनी**
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म रजि सं. : 000051एन

कृते और उनकी ओर से :-
इंडियन रेलवे कैटरिंग एन्ड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड

चार्टर्ड अकाउंटेंट अशोक मल्होत्रा
पार्टनर
एम.नं.:-082648

रजनी हसीजा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन:- 08083674

अजीत कुमार
निदेशक (वित्त) और सीएफओ
डीआईएन:- 07247362

सुमन कालरा
कंपनी सचिव
एम.नं. एफसीएस 9199

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29 मई, 2023

समाप्ति वर्ष 31 मार्च, 2023 के लिए कैश फ्लो का विवरण

राशि (लाख ₹ में)

विवरण		31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
क. परिचालन गतिविधियों से कैश फ्लो			
कर पूर्व लाभ		1,35,400.96	88,537.67
निम्न के लिए समायोजन: –			
मूल्यह्रास		5,372.96	4,898.84
हानि क्षति		–	(122.97)
फिक्स परिसंपत्ति की बिक्री पर हानि/(लाभ)।		4.95	22.26
ब्याज आय		(7,782.49)	(4,778.62)
म्युचुअल फंड से लाभांश आय		(205.20)	(335.96)
लीज देयताओं पर ब्याज व्यय		625.00	736.99
निवेश संपत्ति से किराया से आय		(235.00)	(234.98)
पूंजी अनुदान का परिशोधन		(44.00)	(44.16)
आस्थगित सुरक्षा जमा के परिशोधन से आय-देयता		(955.91)	(182.00)
सुरक्षा जमा पर छूट की समाप्ति पर ब्याज आय		(3.05)	(1.06)
सुरक्षा जमा देयता पर छूट की समाप्ति		876.47	170.00
लीज देयताओं में संशोधन		(216.86)	(0.24)
प्रतिभूति जमा आस्तियों पर छूट की समाप्ति		3.13	1.33
पूंजीगत प्रगति पर कार्य को बट्टे खाते में डाला गया		–	16.05
अतिरिक्त प्रावधान पुनरांकित		(2,720.00)	(2,312.87)
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान		2,890.62	1,063.48
परिचालन पूंजी परिवर्तन से पूर्व परिचालनिक लाभ	(1)	**1,33,011.58**	**87,433.76**
निम्न के लिए समायोजन: –			
वस्तुसूची में कमी / (वृद्धि)।		(168.16)	(138.75)
व्यापार और अन्य प्राप्तियों में कमी/(वृद्धि)।		(60,030.07)	(6,106.16)
अन्य गैर वर्तमान वित्तीय परिसम्पत्तियों में कमी/(वृद्धि)		26.10	(6.02)
अन्य वर्तमान वित्तीय परिसम्पत्तियों में कमी/(वृद्धि)		(3,925.10)	461.19
अन्य वर्तमान परिसम्पत्तियों में कमी/(वृद्धि)		(9,854.20)	(28,322.39)
अन्य गैर-वर्तमान परिसम्पत्तियों में कमी/(वृद्धि)।		(21.12)	0.08
अन्य गैर वर्तमान वित्तीय देयता में (कमी) / वृद्धि		648.27	107.54
गैर वर्तमान प्रावधानों में (कमी) / वृद्धि		508.97	(707.56)
अन्य गैर वर्तमान देयताओं में (कमी) / वृद्धि		1,970.33	58.39
व्यापार देय में (कमी)/ वृद्धि		16,126.54	9,942.59
अन्य वित्तीय देयताओं में (कमी) / वृद्धि		6,199.72	6,687.12
अन्य मौजूदा देयताओं में (कमी) / वृद्धि		39,500.16	9,065.33
वर्तमान प्रावधानों में (कमी) / वृद्धि		(81.78)	1,795.04
	(2)	**(9,100.34)**	**(7,163.60)**
परिचालन से प्राप्त कैश	(1+2)	**1,23,911.24**	**80,270.17**
प्रदत्त आयकर (रिफंड का शुद्ध)		(42,899.00)	(27,873.03)
परिचालन गतिविधियों से प्राप्त कुल कैश		**81,012.24**	**52,397.14**
ख. निवेश गतिविधियों से कैश फ्लो		–	–
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा अन्य अमूर्त परिसम्पत्तियों की बिक्री/निपटान से		14.93	60.95
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा अन्य अमूर्त परिसम्पत्तियों की खरीद		(6,755.85)	(2,187.88)
ब्याज प्राप्त		6,047.03	5,130.73
लाभांश प्राप्त.		205.20	335.96
म्यूचुअल फंड में निवेश		–	–
अन्य बैंक में जमा राशि में बदलाव		(14,152.12)	(24,789.35)
निवेश संपत्ति से किराया से आय		235.00	234.98
वर्ष के दौरान दिए गए पूंजीगत अग्रिम		(17,107.75)	(3,024.01)
निवेश गतिविधियों में लगाया गया शुद्ध नकद		**(31,513.56)**	**(24,238.62)**

समाप्ति वर्ष 31 मार्च, 2023 के लिए कैश फ्लो का विवरण

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
ग. वित्तीय गतिविधियों से कैश फ्लो		
लीज देयता के प्रमुख भाग का भुगतान	(2,809.54)	(1,103.56)
लीज देनदारी के ब्याज के भाग का भुगतान	(625.00)	(736.99)
प्रदत्त लाभांश	(40,000.00)	(24,000.00)
वित्तीय गतिविधियों से प्राप्त शुद्ध नकद	**(43,434.54)**	**(25,840.55)**
नकद और नकद समकक्ष शुद्ध में वृद्धि/(कमी) (क+ख+ग)	6,064.14	2,317.97
अथशेष नकद और नकद समकक्ष	36,820.38	34,502.41
इतिशेष नकद और नकद समकक्ष	**42,884.52**	**36,820.38**
नकद और नकद समकक्ष का समाधान		
नकद और नकद समक्ष में शामिल हैं		
नकद हस्ते	10.39	36.14
बैंकों में अधिशेष:		
– वर्तमान खाते में	38,449.02	36,667.91
– फ्लेक्सी खाते में	4,425.11	116.33
तुलन पत्र के अनुसार नकद और नकद समकक्ष	**42,884.52**	**36,820.38**

टिप्पणियाँ:–

1. भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स इंस्टिट्यूट ऑफ़ इंडिया द्वारा जारी कैश फ्लो विवरण भारतीय लेखा मानक–7 में निर्धारित की गई अप्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत कैश फ्लो विवरण तैयार किया गया हैं।
2. कंपनी ने 1 अप्रैल, 2017 से भारतीय लेखा मानक– 7 प्रभावी संशोधन को अपनाया, जिसमें संस्थाओं को ऐसे प्रकटन करने की आवश्यकता है जो वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं को वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली देनदारियों में परिवर्तन का मूल्यांकन करने में सक्षम बनाते है, जिसमें नकदी प्रवाह और गैर–नकदी से उत्पन्न होने वाले दोनों परिवर्तन शामिल हैं। प्रकटन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए वित्तपोषण गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली देनदारियों के लिए तुलन पत्र में प्रारंभिक एवं समापन शेष के बीच एक सामंजस्य को शामिल करने का सुझाव दिया गया है।

वित्तपोषण गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली देनदारियों का समाधान

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
अथशेष	10,492.13	7,797.59
नकद प्रवाह:–		
– पुनर्भुगतान	3,434.54	1,840.55
– कार्यवाही	–	–
गैर–नकद:–		
– उचित मूल्य	625.00	736.99
– बढ़ी हुई लीज देनदारियों और अन्य समायोजनों के बदले में संपत्ति के उपयोग के अधिकार में शुद्ध वृद्धि	733.63	3,798.10
इतिशेष	**8,416.22**	**10,492.13**

हमारी सम तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते **पीआर मेहरा एंड कंपनी**
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म रजि सं. : 000051एन

कृते और उनकी ओर से :–
इंडियन रेलवे कैटरिंग एन्ड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड

चार्टर्ड अकाउंटेंट अशोक मल्होत्रा
पार्टनर
एम.नं.:–082648

रजनी हसीजा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन:– 08083674

अजीत कुमार
निदेशक (वित्त) और सीएफओ
डीआईएन:– 07247362

सुमन कालरा
कंपनी सचिव
एम.नं. एफसीएस 9199

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29 मई, 2023

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क इक्विटी शेयर पूंजी

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	शेयरों की संख्या लाख में	₹ लाख में
1 अप्रैल, 2022 को अधिशेष (प्रत्येक 2 रूपये का 8000 लाख इक्विटी शेयर)	8,000.00	16,000.00
पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	–	–
अप्रैल, 2022 में पुनर्निर्धारित अधिशेष	8,000.00	16,000.00
वर्ष के दौरान जारी की गई शेयर पूंजी	–	–
31 मार्च, 2023 तक अधिशेष (प्रत्येक 10/– रूपये का 100 लाख इक्विटी शेयर)	**8,000.00**	**16,000.00**

ख अन्य इक्विटी

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	आरक्षित एवं सरप्लस		कुल
	सामान्य आरक्षित	प्रतिधारित आय	
वर्ष के आरम्भ में अधिशेष यानी 1 अप्रैल, 2022	55,991.70	1,15,039.66	1,71,031.36
पूर्व अवधि समायोजन के कारण प्रभाव एवं लेखा नीति में परिवर्तन	–	–	–
वर्ष की आरम्भ में पुनर्निर्धारित अधिशेष	**55,991.70**	**1,15,039.66**	**1,71,031.36**
वर्ष के लिए कर पश्चात लाभ		1,00,588.11	1,00,588.11
वर्ष के लिए कर पश्चात अन्य व्यापक आय	–	220.94	220.94
वर्ष के लिए कर पश्चात कुल व्यापक आय	**–**	**1,00,809.05**	**1,00,809.05**
प्रतिधारित आय से स्थानांतरण	3,500.00		3,500.00
इक्विटी शेयरों पर अंतिम लाभांश का भुगतान	–	(12,000.00)	(12,000.00)
इक्विटी शेयरों पर अंतरिम लाभांश का भुगतान		(28,000.00)	(28,000.00)
सामान्य रिजर्व में स्थानांतरण	–	(3,500.00)	(3,500.00)
बोनस शेयर जारी किये गये	–	–	–
वर्ष के अंत में अधिशेष अर्थात 31 मार्च, 2023	**59,491.70**	**1,72,348.71**	**2,31,840.41**

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क इक्विटी शेयर पूंजी

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	शेयरों की संख्या लाख में	₹ लाख में
1 अप्रैल, 2021 को अधिशेष (प्रत्येक 10 रूपये का 1600 लाख इक्विटी शेयर)	1,600.00	16,000.00
पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-	-
अप्रैल, 2021 में पुनर्निर्धारित अधिशेष	1,600.00	16,000.00
शेयरों के बंटवारे पर शेयर ख़त्म हो जाते हैं (नीचे नोट देखें)	-1,600.00	-
वर्ष के दौरान जारी की गई शेयर पूंजी	-	-
8000 लाख इक्विटी शेयर प्रत्येक वर्ष के दौरान विभाजन पर ₹ 2/- जारी किए गए (नीचे नोट देखें)	8,000.00	-
31 मार्च, 2022 तक अधिशेष (प्रत्येक ₹ 2/- रूपये का 8000 लाख इक्विटी शेयर)	1,600.00	16,000.00

टिप्पणी : वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, ₹ 10/- अंकित मूल्य के एक इक्विटी शेयर को ₹ 2/- के 5 इक्विटी शेयरों में विभाजित किया गया था, जिनमें से प्रत्येक का पूर्ण भुगतान किया गया था।

ख अन्य इक्विटी

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	आरक्षित एवं सरप्लस		कुल
	सामान्य आरक्षित	प्रतिधारित आय	
वर्ष के आरम्भ में अधिशेष यानी 1 अप्रैल, 2021	52,491.70	77,089.44	1,29,581.14
पूर्व अवधि समायोजन के कारण प्रभाव एवं लेखा नीति में परिवर्तन (टिप्पणी सं. 52 और 84 देखें)	-	(943.07)	(943.07)
वर्ष की आरम्भ में पुनर्निर्धारित अधिशेष	52,491.70	76,146.37	1,28,638.07
वर्ष के लिए कर पश्चात लाभ		65,955.29	65,955.29
वर्ष के लिए कर पश्चात अन्य व्यापक आय	-	438.00	438.00
वर्ष के लिए कर पश्चात कुल व्यापक आय	-	66,393.29	66,393.29
प्रतिधारित आय से अंतरण	3,500.00		3,500.00
वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए इक्विटी शेयरों पर अंतिम लाभांश का भुगतान	-	(8,000.00)	(8,000.00)
वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए इक्विटी शेयरों पर अंतरिम लाभांश का भुगतान		(16,000.00)	(16,000.00)
सामान्य रिज़र्व में अंतरण	-	(3,500.00)	(3,500.00)
वर्ष के अंत में अधिशेष अर्थात 31 मार्च, 2022	55,991.70	1,15,039.66	1,71,031.36

भारतीय मानकों के अनुसार लेखा नीतियां (इंड एएस)

नोट–1: कॉर्पोरेट संबंधी जानकारी

रेल मंत्रालय द्वारा इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कंपनी लिमिटेड (इसके बाद से "कंपनी" के रूप में संबोधित किया जाएगा) की स्थापना की गई है। यह एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जिसे 27 सितंबर, 1999 को भारतीय कंपनियों में शामिल किया गया था, और इसका मूल उद्देश्य रेलवे के खानपान और पर्यटन की समस्त गतिविधियों को एक नए कंपनी को सौंपना था ताकि सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से इन सेवाओं को व्यावसायिक बनाया जा सके और इनका उन्नयन किया जा सके। भारत में रेल आधारित पर्यटन राज्य की एजेंसियों, टूर ऑपरेटरों, ट्रावेल एजेंटों और आतिथ्य उद्योग के सहयोग से अत्यधिक ऊंचाई हासिल करने का विशिष्ट साधन होगा। भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत कंपनी पंजीकृत है और इसका पंजीकृत कार्यालय 11वीं मंजिल, बी-148 स्टेट्समैन हाउस, बाराखंभा रोड, नई दिल्ली-110001 में स्थित है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 और 2020-21 के दौरान, भारत सरकार द्वारा कंपनी की भुगतान की गई शेयर पूंजी में अपनी शेयरधारिता को क्रमशः 12.6% और 20% कम करने के लिए विनिवेश किया गया था, जिससे इसकी शेयरधारिता घटकर 67.4% हो गई।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, ₹10/- अंकित मूल्य के एक इक्विटी शेयर को ₹2/- के 5 इक्विटी शेयरों में विभाजित किया गया था, जिनमें से प्रत्येक का पूरी तरह से भुगतान किया गया था।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, भारत सरकार द्वारा कंपनी को प्रदत्त शेयर पूंजी के 5% की बिक्री द्वारा प्रस्तावित किए गए परिणामस्वरूप कुल विनिवेश 37.6% हो गया और कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी में भारत सरकार की शेयर हिस्सेदारी घटकर 62.4% हो गई।

नोट–2: तैयारी का आधार

क) अनुपालन का विवरण

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण समय-समय पर संशोधित कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम 2015 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखा मानक (इंड-एएस) के अनुसार चालू चिंता के आधार पर तैयार किए गए हैं।

ख) माप का आधार

कंपनी ऐतिहासिक कोस्ट कन्वेंशन के अंतर्गत निम्नलिखित मदों के लिए प्रोद्भवन आधार का पालन कर रही है, जिसका आकलन अपेक्षित भारतीय लेखा मानकों के अनुसार उचित वेल्यू पर किया गया है।

i. परिभाषित लाभ योजना और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

ii. उचित मूल्य पर मापी गई कुछ वित्तीय परिसंपत्तियां और देयताएं (वित्तीय लिखत पर नीति देखें)।

ग) आकलन और निर्णयों का उपयोग

भारतीय लेखा मानकों के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रबंधन को निर्णय, आकलन और पूर्वानुमान तैयार करने होते हैं जो लेखांकन नीतियों को लागू करने पर अपना को प्रभाव छोड़ते हैं तथा वित्तीय विवरणों की तिथि पर परिसंपत्तियों, देयताओं, आकस्मिक परिसंपत्तियों और देयताओं के प्रकटन और आय और व्यय की राशि को प्रभावित करते है। ऐसे आकलनों के उदाहरणों में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की अनुमानित उपयोगी अवधि, कमर्चारियों के लाभार्थ व्यय, प्रावधान, राजस्व मान्यता आदि में निष्पादन की बाध्यता की संतुष्टि शामिल हैं, जिसके परिणाम इन आकलन से भिन्न हो सकते हैं।

आकलन और अंतर्निहित पूर्वानुमान की आवधिक आधार पर समीक्षा की जाती है। इन आकलन और वास्तविक परिणामों तथा उस अवधि में मान्यता प्राप्त आकलनों के बीच परिवर्तन के कारण भावी परिणाम भिन्न हो सकते हैं, जिस अवधि में परिणामों का पता लगता है/ उन्हें मूर्त रूप दिया जाता है।

घ)

भारतीय रुपए में प्रस्तुत सभी वित्तीय जानकारी और सभी वेल्यू को,जहां अन्यथा उल्लेखित न हो, लाख रुपए की नजदीकी वेल्यू में दो दशमलव बिंदुओं तक पूर्णांकित किया जाता है ।

ङ)

वर्तमान प्रकृति के कारण वर्तमान देयता और वर्तमान परिसंपत्तियों को विधिक बकाया के भुगतान और रिफंड योग्य माना जाता है।

च) नकदी प्रवाह का विवरण

नकदी प्रवाह का विवरण अप्रत्यक्ष तरीके के उपयोग से किया जाता है, जबकि बिना नकदी वाले लेनदेन और किसी पूर्व या भविष्य के स्थगन अथवा प्रोद्भवन नकद प्राप्तियां या भुगतान के लिए कर पूर्व लाभ को समायोजित किया जाता है। कंपनी का परिचालन, वित्तीय और निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह अलग किए जाते हैं।

रोकड़, बैंकों में रोकड़ और बैंकों में डिमांड डिपॉज़िट सहित नकदी प्रवाह, नकदी और नकदी समकक्ष के विवरण के उद्देश्य से, डिमांड पर पुनर्भुगतान योग्य बकाया बैंक ओवरड्राफ्ट को कंपनी के नकद प्रबंधन प्रणाली का हिस्सा समझा जाता है।

कंपनी ने भारतीय लेखा मानक 7 के संशोधन को अपनाया है, जिसमें उद्यमों से अपेक्षा की जाती है कि वे ऐसे प्रकटन करें, जिससे वित्तीय विवरण के उपयोगकर्ता वित्तीय गतिविधियों से उपजी देयताओं में परिवर्तन के साथ-साथ नकदी प्रवाह और नकदी के बिना वाले परिवर्तनों का मूल्यांकन कर सकेंगे तथा वित्तीय गतिविधियों से उपजी देयताओं के लिए तुलनपत्र में ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस के बीच पुनर्गणना को शामिल करना का प्रस्ताव भी दे सकेंगे ताकि प्रकटन कि अपेक्षाओं को पूरा किया जा सके।

छ) विदेशी मुद्रा

i. कार्यकारी और प्रेजेंटेशन मुद्रा

वित्तीय विवरण भारतीय रुपए (आईएनआर) में प्रस्तुत किए जाते हैं, जो कंपनी की फंक्शनल के साथ-साथ प्रेजेंटेशन मुद्रा भी है।

भारतीय मानकों के अनुसार लेखा नीतियां (इंड एएस)

ii. **लेनदेन और बैलेंस**

लेन-देन की तारीख पर चल रहे विनिमय दर पर विदेशी मुद्रा में लेनदेन को दर्ज किया जाता है। विदेशी मुद्रा में मौद्रिक परिसंपत्ति और देयताओं को तुलनपत्र जारी होने की तारीख पर विनिमय दरों के अनुसार परिवर्तित किया जाता है।

ऐसे लेनदेन के फलस्वरूप विदेशी मुद्रा विनिमय के लाभ और हानि और विदेशी मुद्रा में मौद्रिक परिसंपत्ति तथा देयता को वर्ष के अंत में विनिमय दरों के अनुसार लाभ और हानि के रूप में मान्यता दी जाती है।

ज) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

i. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का उल्लेख अधिग्रहण की लागत पर किया जाता है, जिसमें मान्यता मानदंड पूरे होने पर, स्थापना शुल्क और अन्य संबंधित व्यय शामिल होते है।

ii. मान्यता मानदंड पूरे होने पर प्रतिस्थापन की लागत, प्रमुख निरीक्षण, महत्वपूर्ण हिस्सों की मरम्मत को पूंजी में परिणत किया जाता है।

iii. कंप्यूटरों के मामले में, कंप्यूटर के साथ खरीदे गए ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर की लागत को कंप्यूटरों के साथ पूंजी में परिणत किया गया है, जबकि नियमित उन्नयन और वार्षिक रखरखाव शुल्क को राजस्व व्यय के रूप में माना गया है।

iv. कार्यालय परिसर के लिए पट्टे पर लिए गए भवनों पर व्यय को पट्टा अवधि-कार्यालय विकास के रूप में पूंजी में में परिणत किया गया है

v. खानपान इकाइयों में रखे गए उपकरण और संयंत्रों को, जैसा आवशयक हो वैसे, लिया जाता है। ऐसी परिसंपत्ति के वेल्यू की अनुपलब्धता के कारण, भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ऐसी परिसंपत्ति को कंपनी के जोनल कार्यालयों की लेखा पुस्तकों में ₹ 1/- प्रति मद के नाममात्र मूल्य पर दर्ज किया जाता है।

vi. लक्जरी टूरिस्ट ट्रैन को पूंजी में परिणत किया गया है और संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में "लक्जरी टूरिस्ट ट्रैन" के रूप में उल्लेखित है, इन परिसंपत्तियों के अधिग्रहण से संबंधित अनुदान के लिए सरकारी अनुदान पर नीति को देखें।

vii. परिसंपत्तियों की बिक्री पर, लागत और संचित मूल्यह्रास को वित्तीय विवरणों से हटा दिया जाता है और परिणामी लाभ या हानि को लाभ और हानि के विवरण में उल्लेखित किया जाता है।

झ) मूल्यह्रास और ऋणमुक्तिः -

(क) कुछ मदों को छोड़कर, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अंतर्गत निर्दिष्ट कार्य अवधि के अनुसार मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है। कुछ परिसंपत्तियां जिसकी कार्य अवधि कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अंतर्गत नहीं है, वे इस प्रकार है:-

विवरण	उपयोग अवधि
रेल नीर संयंत्रों के अतिरिक्त, रेलवे भूमि पर स्थित परिसरों पर सिविल कार्य पर किए गए व्यय को, लीजहोल्ड सुधार कार्य माना गया है और दस वर्ष की अवधि का मूल्यह्रास निकाला गया है।	10 वर्ष
रेलवे भूमि पर निर्मित आवासीय फ्लैट 30 वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर दिए गए हैं और उतनी ही अवधि का मूल्यह्रास निकाला गया है।	30 वर्ष
कंपनी ने नांगलोई, दानापुर, पालूर, अंबरनाथ और परसाला में रेलनीर संयंत्र लगाने के लिए रेलवे से भूमि पट्टे पर ली है। पट्टे की अवधि के आधार पर भवन और भूमि (संपत्ति उपयोग के अधिकार के अंतर्गत) पर मूल्यह्रास प्रदान किया गया है, घरेलू तकनीकी विशेषज्ञ की जीवन समीक्षा समिति की रिपोर्ट के अनुसार।	पट्टा करार के अनुसार पट्टे की अवधि या मांग पत्र में निर्दिष्ट है। दीर्घकालिक पट्टा सम झौते/मांग पत्रों के अभाव में, कार्यकाल इन-हाउस तकनीकी विशेषज्ञों की जीवन समीक्षा समिति की रिपोर्ट के अनुसार लिया जाता है।
सौर ऊर्जा संयंत्र और इलेक्ट्रिक सबस्टेशन	25 वर्ष
डीजी सेट, वाटर ब्लोइंग मशीन, कंप्रेसर	10 वर्ष
संयंत्र के लिए एयर कंडीशनर और चिलर	5 वर्ष

भारतीय मानकों के अनुसार लेखा नीतियां (इंड एएस)

(ख) मूल्यह्रास की गणना उपयोग के लिए तैयार होने की तारीख से स्ट्रेट लाइन के आधार पर की जाती है। वर्ष के दौरान बिक्री, परिसंपत्तियों के अलग होने तथा उनकी हानि की तारीख तक मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है।

(ग) रेल नीर से संबंधित किसी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के प्रत्येक हिस्से का उस स्थिति में अलग से मूल्यह्रास होता है, यदि हिस्से की लागत उस मद की कुल लागत से संबंधित हो और उक्त हिस्से की उपयोग अवधि उस शेष संपत्ति से भिन्न हो, जो इनहाउस टेक्नीकल एक्सपर्ट के पूर्वानुमान एवं प्रमाणन पर आधारित हो। साथ ही, जिन संयंत्रों के लिए कंपनी द्वारा पूंजी सहायता प्रदान की जाती है, उनमें सभी सिविल कार्य और संयंत्र की अनुमानित जीवनकाल इनहाउस तकनिकी समिति द्वारा क्रमशः 20 वर्ष और 10 वर्ष तय की गई है। उपरोक्त के अलावा, रेल नीर संयंत्रों के लिए रेलवे भूमि पर नागरिक बुनियादी ढांचे का जीवन जीवन समीक्षा समिति की रिपोर्ट के अनुसार लिया गया है।

(घ) कार्यालय परिसर और पट्टा भूमि (जिसके लिए पट्टा करार किया गया है) के संबंध में पट्टाधारक कार्यालय के विकास कार्यों को पट्टे-अवधि पर मूल्यह्रास/ऋणमुक्ति प्रदान की जाएगी। रेलवे भूमि पर स्थित परिसरों (जिसके लिए कोई पट्टा करार नहीं किया गया है) पर सिविल कार्य पर किए गए व्यय को लीजहोल्ड के सुधार कार्यों के रूप में माना गया है और मूल्यह्रास की गणना दस वर्ष की अवधि के लिए की गई है।

(ङ) प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर मूल्यह्रास के तरीके, उपयोगी अवधि और अवशिष्ट वेल्यू की समीक्षा की जाती है।

(च) मूल्यह्रास की गणना मूल्यह्रास योग्य राशि पर की जाती है, अर्थात लागत से इसके अवशिष्ट वेल्यू को कम किया जाता है।

(छ) लीजहोल्ड भूमि पर निर्मित आवासीय फ्लैटों के संबंध में, मूल्यह्रास भूमि के पट्टे की अवधि की अवधि तक प्रभारित किया जाता है।

(h) विभिन्न परिसंपत्तियों के लिए कालावधि समीक्षा समिति द्वारा मूल्यांकति कालावधि निम्नलिखित को छोड़कर कंपनी अधिनियम की अनुसूची खख के अनुसार ह

1) वह भूमि जिसके लिए आईआरसीटीसी के पास पट्टा सम झौता है/ रेलवे के साथ लंबी अवधि यानी 10 वर्ष से अधिक के लिए आवंटन पत्र है :- पट्टा संपत्ति बनाने के लिए समझौते (परसाला और दानापुर) के अनुसार कालावधि ली गई है।

2) वह भूमि जिसके लिए आईआरसीटीसी के पास पट्टा सम झौता है / अल्पावधि के लिए रेलवे के साथ आवंटन पत्र अर्थात 10 वर्ष से कम या रेलवे के साथ कोई समझौता नहीं किया गया है: नांगलोई और अंबरनाथ संयंत्र की भूमि को छोड़कर, पट्टा (आरओयू) बनाने के लिए वित्त वर्ष 2021-22 से 10 वर्ष की अवधि ली गई है।

(i) रेलवे भूमि पर स्थापित नांगलोई संयंत्र :- संयंत्र के लिए काह्नशील संस्था आधार पर अनिश्चितता के कारण वास्तविक समझौते के अनुसार कालावधि ली गई है।

(ii) रेलवे भूमि पर अंबरनाथ संयंत्र की स्थापना:- आज तक रेलवे के साथ समझौता न हो पाने के कारण केवल आरओयू बनाने के उद्देश्य से रेलवे द्वारा पट्टे के लिए की गई मांग के अनुसार 31.03.2026 तक की कालावधि ली गई है।

3) स्वसंचालित रेल नीर संयंत्र पर बने भवनों की कालावधि निम्न को छोड़कर कंपनी अधिनियम के अनुसार अर्थात 30 वर्ष होनी चाहिए

(i) कालावधि की अनिश्चितता के कारण नांगलोई में संयंत्र के लिए बनाए गए भवन को रेलवे के साथ वास्तविक समझौते की समाप्ति यानी 31.03.2024 तक लिया जाना चाहिए।

(ii) अंबरनाथ और पालुर संयंत्र पर बने भवन, जहां इमारत की कालावधि वित्त वर्ष 2021-22 की शुरुआत से 10 साल यानी 31.03.2031 तक स्पष्ट समझौता न होने के कारण ली गई है।

(iii) रेलवे भूमि पर स्थित भवन जिसके लिए स्पष्ट समझौता है, ऐसे भवनों की कालावधि रेलवे के साथ किसी भी समझौते की कालावधि के बराबर होना चाहिए।

4) पीपीपी संयंत्रों पर भवन और संयंत्रों का मूल्यह्रास समिति द्वारा मूल्यांकन की गई कालावधि के अनुसार किया जाना चाहिए यानी सिविल निर्माण के लिए 20 साल और पीएंडएम के लिए 10 साल, सिवाय बिलासपुर संयंत्र के, जिसका मूल्यह्रास स्वामित्व वाले रेल नीर संयंत्र में अपनाई गई प्रथा के अनुसार किया जा रहा है।

5) अजमेरी गेट की ओर उत्तरी क्षेत्र में स्थित पट्टाधारिता सुधार और सिविल बुनियादी ढांचे की कालावधि स्टेशन के नवीनीकरण के कारण 31.03.2024 तक ली गई है, जैसा कि रेलवे द्वारा सूचित किया गया है।

6) रेलवे भूमि पर कार्यालय जहां कोई समझौता नहीं है और कार्यालय 01.03.2019 को अस्तित्व में हैं, आरओयू बनाने के लिए वित्त वर्ष 2019-20 (प्रारंभिक पुनर्गठन अवधि / संक्रमण अवधि) से 10 वर्ष की अवधि ली गई है।

7) भारत गौरव पर किए गए किसी भी पूंजीगत व्यय को भारत गौरव योजना के तहत ट्रेनों की पट्टा अवधि के दौरान परिशोधन किया जाना चाहिए।

8) रेलवे परिसंपत्तियों पर किसी भी अन्य व्यय की अवधि रेलवे के साथ समझौते के बराबर होनी चाहिए और किसी भी समझौते के अभाव में यह 10 वर्ष होनी चाहिए।

भारतीय मानकों के अनुसार लेखा नीतियां (इंड एएस)

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अनुसार संपत्ति संयंत्र और उपकरणों की महत्वपूर्ण मदों की वर्तमान और तुलनात्मक अवधि के लिए परिसंपत्ति की अनुमानित उपयोग अवधि इस प्रकार है:

विवरण	उपयोग अवधि
संयंत्र एवं मशीनरी	15वर्ष
कंप्यूटर	3 वर्ष
नेटवर्क एवं सर्वर	6 वर्ष
एयर कंडीशनर (रेलनीर संयंत्र के अलावा)	10 वर्ष
फर्नीचर	10 वर्ष
कार्यालय उपकरण	5 वर्ष
फैक्ट्री भवन	30 वर्ष
रेल नीर संयंत्र भवन के अलावा भवन	60 वर्ष
लग्जरी टूरिस्ट ट्रैन (बेयर शेल)	15 वर्ष
अमूर्त परिसंपत्तियां	4 वर्ष
विद्युतीय संस्थापनाएं एवं उपकरण	10 वर्ष

ञ) चल रहे पूंजीगत कार्य/पूंजी अग्रिम: –

चल रहे पूंजी कार्यों में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) की वे लागत शामिल हैं, जो उनके उपयोग के लिए अभी तैयार नहीं होते हैं तथा तुलनपत्र जारी होने की तारीख तक परिसंपत्ति की लागत का उपयोग नहीं किया जाता जाता है। पीपीई प्राप्त करने के लिए भुगतान किए गए अग्रिमों को अन्य "गैर-वर्तमान परिसंपत्ति" के तहत "पूंजीगत अग्रिम" के रूप में दिखाया गया है।

ट) अमूर्त परिसंपत्तियां: –

अमूर्त परिसंपत्तियां जैसे सॉफ्टवेयर, लाइसेंस, वेब पोर्टल, टूरिज़्म पोर्टल आदि अधिग्रहण के लिए भुगतान की गई राशि के रूप में दर्ज किया जाता है और अमूर्त परिसंपत्ति की उपयोग अवधि 4 वर्ष मानी गई है।

ठ) संयुक्त व्यवस्थाओं में निवेश

संयुक्त उद्यमों के इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में निवेश को भारतीय लेखा मानक 27 के अनुसार लागत के रूप में अलग वित्तीय विवरण में मापा जाता है।

ड) निवेश संपत्तियां

(क) निवेश संपत्तियों को लागत, निकाले गए शुद्ध मूल्यह्रास और निकाली गई हानि, यदि कोई हो, के नुकसान के अनुसार दर्शाई जाती है।

(ख) कंपनी द्वारा संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में निर्धारित, संपत्ति के अनुमानित उपयोग अवधि पर संपत्ति में निवेश के भवन के हिस्सों में मूल्यह्रास लगाया जाता है।

(ग) निवेश संपत्तियों की मान्यता तब समाप्त होती है, जब या तो उनका निपटान किया जाता है या उनका उपयोग करना स्थायी रूप से बंद कर दिया जाता है और उनके निपटान से कोई भावी आर्थिक लाभ संभावित नहीं होता है। शुद्ध निपटान प्रक्रिया और संपत्ति की वहां राशि के बीच अंतर गैर-मान्यता की अवधि में लाभ या हानि के द्वारा तय किया जाता है।

ढ) वर्तमान और गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों के लिए परिचालन चक्र

कंपनी ने परिसंपत्तियों और देयताओं को वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया है, जो रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों की अवधि के भीतर प्राप्त होने की उम्मीद है और अन्य सभी परिसंपत्तियों और देयताओं को गैर-वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

ण) आकलन और निर्णयों का उपयोग – प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां:

अ. प्रावधान: –

प्रावधानों को उन देयताओं के संबंध में मान्यता दी जाती है, जिन्हें केवल आकलन के पर्याप्त स्तर का उपयोग करके मापा जा सकता है, जब:

(क) किसी पिछली घटना के परिणामस्वरूप कंपनी की कोई बाध्यता हो

(ख) आर्थिक लाभ समेटे संसाधनों का संभावित आउटफ्लो बाध्यता के निपटान के लिए अपेक्षित होगा; और

(ग) बाध्यता राशि का विश्वसनीय तरीके से आकलन किया जा सकता है। प्रावधान के निपटान के लिए अपेक्षित व्यय की प्रतिपूर्ति को तभी स्वीकार किया जाएगा जब प्रत्येक तुलनपत्र की तारीख को प्राप्त प्रावधानों की समीक्षा की जाती है।

प्रावधानों की छूट

प्रावधान जो 12 महीने के बाद निपटाए जाने संभावित है, की माप कर-पूर्व छूट की दर का उपयोग से वर्तमान वेल्यू देयता के लिए विशिष्ट जोखिमों को दर्शाता हुए मापी जाती है। समय के कारण प्रावधान में बढ़ोतरी को ब्याज के व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

इ. आकस्मिक देयताएं

(क) निम्नलिखित में से किसी भी मामले में आकस्मिक देयताओं का प्रकटन किया जाता है:

i. पिछली घटना से उपजी एक वर्तमान बाध्यता, जब यह संभावित न हो कि बाध्यता के निपटान के लिए संसाधनों के आउटफ्लो की आवश्यकता होगा; या

ii. वर्तमान बाध्यता का विश्वसनीय आकलन तैयार नहीं किया जा सकता है; या

iii. एक संभावित बाध्यता, जब तक कि संसाधन के आउटफ्लो की संभावना दूर न हो।

(ख) आकस्मिक देयता की तुलना में आवश्यक आकस्मिक देयता और प्रावधानों की प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर समीक्षा की जाती है।

(ग) आकस्मिक देयता प्रावधानों का शुद्ध आकलन है जिसमें निपटान के संभावित आउटफ्लो पर विचार किया जाता है।

आकस्मिक परिसंपत्तियां

(क) आकस्मिक परिसंपत्ति का प्रकटन तब किया जाता है जब आर्थिक लाभ का इनफ्लो संभावित हो।

(ख) प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर आकस्मिक परिसंपत्तियों की समीक्षा की जाती है।

त) राजस्व की मान्यता: –

कंपनी कैटरिंग सेवाओं (मोबाइल और स्टेटिक यूनिट दोनों) के प्रबंधन, विभागीय कैटरिंग यूनिट के संचालन, सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से बजट होटलों के प्रबंधन, फूड प्लाजा, स्टेटिक कैटरिंग स्टॉल, वाटर वेंडिंग मशीन के संचालन के लिए लाइसेंस देने, इंटरनेट के माध्यम से रेल की टिकट की बुकिंग, सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से रेल संपर्क–139 कॉल सेंटर का प्रबंधन, प्रतिष्ठित टूर ऑपरेटरों के माध्यम से पैकेज टूर की व्यवस्था, संपूर्ण टूर पैकेज का प्रबंधन, रेलनीर–बोतलबंद पेयजल के उत्पादन और वितरण आदि के व्यवसाय में शामिल है।

(क) भारतीय लेखा मानक–115 में निर्धारित पांच चरणों के आधार पर कंपनी ने ग्राहकों के साथ संविदा करके राजस्व अर्जित किया है:–

(i) ग्राहक के साथ संविदाओं की पहचान करना: – दो अथवा दो से अधिक पार्टियों के बीच संविदाओं को करार के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिससे लागू किए जाने वाले अधिकार और बाध्यताएं उत्पन्न होती है और प्रत्येक संविदा के लिए मानदंड निर्धारित करता है जिसे पूरा किया जाना आवश्यक है।

(ii) संविदा में कार्यनिष्पादन बाध्यताओं की पहचान करें: संविदा में कार्यनिष्पादन की बाध्यता ग्राहक के साथ एक वादा होता है कि ग्राहक को एक अच्छी सेवा देनी है।

(iii) लेन–देन मूल्य का निर्धारण: लेन–देन मूल्य प्रतिफल की वह राशि है, जिस पर कंपनी अपेक्षा करती है कि ग्राहकों को वादे अनुसार सामग्री अथवा सेवाएं प्रदान करने का अधिकार देती है, जिसमें तीसरी पार्टियों की ओर से एकत्र की गई राशि को शामिल नहीं किया जाता है।

(iv) संविदा में कार्यनिष्पादन बाध्यता के लिए लेन–देन मूल्य आवंटित करना: ऐसी संविदा जिसमें एक से अधिक कार्यनिष्पादन की बाध्यता हो, कंपनी कार्यनिष्पादन की प्रत्येक बाध्यता के लिए लेनदेन मूल्य आवंटित करती है, जो विचारार्थ राशि का उल्लेख करता है, जिस पर कंपनी कार्यनिष्पादन की प्रत्येक बाध्यता के लिए हक पाने की अपेक्षा करती है।

(v) जब अथवा जैसे ही कंपनी ग्राहक को वादा की हुई सामग्री या सेवाएं प्रदान करके कार्यनिष्पादन की बाध्यता को पूरा करती है, तो वह राजस्व प्राप्त करती है। जब ग्राहक किसी संपत्ति पर अपना नियंत्रण जमा लेता है तो संपत्ति हस्तांतरित हो जाती है।

यदि निम्नलिखित मानदंडों में से कोई भी मानदंड पूरा होता है, तो कार्यनिष्पादन की बाध्यता पूरी होती है और ओवरटाइम राजस्व की प्राप्ति होती है:

a) वैकल्पिक उपयोग के साथ कार्यनिष्पादन से कोई परिसंपत्ति तैयार नहीं होती है और कार्यनिष्पादन पूरा हो जाने की तारीख को भुगतान का एक लागू अधिकार मिलता है।

b) कार्यनिष्पादन एक ऐसी संपत्ति तैयार करता है या उसमें वृद्धि करता है जहां ग्राहक तैयार और बढ़ी हुई परिसंपत्ति को नियंत्रित करता है।

c) साथ ही साथ ग्राहक प्रदान किए गए लाभ प्राप्त करता है तथा उनका उपभोग करता है।

कार्यनिष्पादन बाध्यताओं के लिए, जहां उपरोक्त में से किसी एक भी शर्त को पूरा नहीं किया जाता, वहां कार्यनिष्पादन बाध्यता पूरी होने पर राजस्व को मान्यता दी जाती है। कार्यनिष्पादन बाध्यता अथवा सेवा कार्य पूरा होने पर एक संविदा आधारित परिसंपत्ति तैयार होती है, जिस पर कार्यनिष्पादन द्वारा प्रतिफल अर्जित होता है। जहां किसी ग्राहक से प्राप्त प्रतिफल की राशि मान्यता प्राप्त राजस्व की राशि से अधिक हो जाती है, तो इससे संविदा की देयता बढ़ जाती है।

निष्पादन दायित्व की संतुष्टि के लिए राजस्व उस निष्पादन दायित्व के लिए आवंटित लेनदेन मूल्य (परिवर्तनीय प्रतिफल का निवल) की राशि पर मापा जाता है। बेची गई वस्तुओं और प्रदान की गई सेवाओं का लेनदेन मूल्य संविदा के हिस्से के रूप में कंपनी द्वारा दी जाने वाली विभिन्न छूटों और योजनाओं के कारण परिवर्तनीय प्रतिफल का निवल है।

राजस्व को उस सीमा तक पता लगाया जाता है, जहां यह संभावित हो कि आर्थिक लाभ प्रवाहित होंगे और यदि लागू हो तो, राजस्व और लागत का विश्वसनीय रूप से माप हो सके।

i. बिक्री:

रेल नीर–बोतलबंद पेयजल, खाद्य और पेय पदार्थों की मेड उस समय स्वीकार की जाती हैं, जब सामान बेचा जाता है तथा सेवा प्रदान की जाती है और भारतीय लेखा मानक–115 के संदर्भ में शुद्ध जीएसटी आदि दर्ज की जाती है। इसमें इंटर–डिपो और इंटर–यूनिट हस्तांतरण शामिल नहीं है।

भारतीय मानकों के अनुसार लेखा नीतियां (इंड एएस)

ii. **इंटरनेट टिकटिंग से आय: –**

(क) सेवा प्रभार से आय: कंपनी की वेबसाइट (www.irctc.co.in) के माध्यम से विदेशी ग्राहक द्वारा बुक किए गई टिकटों पर अर्जित सेवा प्रभारों को उचित मूल्य पर आय के रूप में मान्यता दी जाती है । ऐसी टिकटों की बिक्री पर अर्जित सकल सेवा प्रभारों को प्रोद्भवन आधार पर कंपनी की आय माना जाता है और रेलवे के तुलनात्मक शेयर व्यय के रूप में दर्शाएं जाते हैं।

(ल) सुविधा शुल्क से आय: कंपनी की वेबसाइट (www.irctc.co.in) के माध्यम से घरेलू ग्राहकों द्वारा बुक किए गए टिकटों पर अर्जित सुविधा शुल्क को उचित मूल्य पर आय के रूप में मान्यता दी जाती है। ऐसी टिकटों की बिक्री से अर्जित सकल सुवधा शुल्कों का प्रोद्भवन आधार पर कंपनी की आय की गणना की जाती है और इस आय पर रेलवे को कोई शेयर नहीं दिया जाता है।

iii. **कैटरिंग सेवाओं से आय: –**

कंपनी को रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय द्वारा आदेश दिया गया है कि ट्रेनों और अन्य स्थलों पर खानपान सेवाओं को अपग्रेड किया जाए और व्यावसायिक बनाया जाए। कंपनी निम्नलिखित नीतियों के अनुसार अपनी खानपान सेवाओं से आय को मान्यता देती है।

- **ऑन–बोर्ड कैटरिंग सेवाओं से आय:**

  कंपनी द्वारा भारतीय रेलवे नेटवर्क पर राजधानी, दुरंतो, शताब्दी, वंदे भारत, गतिमान, तेजस ट्रेनों आदि प्री–पेड ट्रेनों में खानपान सेवाएं प्रदान की जा रही है। भारतीय रेलवे के यात्रियों को प्रदान की जाने वाली खानपान सेवाओं के लिए दिए गए बील से प्राप्त आय की गणना प्रोद्भवन आधार पर की जाती है।

- **रियायत शुल्क, उपयोगकर्ता प्रभार और लाइसेंस शुल्क से प्राप्त आय:**

कंपनी निम्नलिखित से आय प्राप्त करती है: –

क्रम सं.	व्यावसायिक गतिविधि की प्रकृति	लाइसेंसधारियों से प्राप्त शुल्क की प्रकृतिथथ
1.	राजधानी, दुरंतो, शताब्दी, वंदे भारत, गतिमान, तेजस ट्रेनों आदि प्री–पेड ट्रेनों में कैटरिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए लाइसेंस प्रदान करना।	संविदा अवधि के लिए एक बारगी रियायत शुल्क (नवीकरण अवधि सहित, यदि कोई हो), और परिवर्तनीय लाइसेंस शुल्क।
2.	एसबीडी (स्टैंडर्ड बिड डॉक्यूमेंट) करार और खानपान नीति, 2017 के अंतर्गत रेलवे द्वारा कंपनी को ट्रैन में खानपान सेवाएं देने का कार्य सौंपा गया	संविदा अवधि के लिए निर्धारित लाइसेंस शुल्क।
3.	मेल/जन शताब्दी/एक्सप्रेस ट्रेनों में खानपान सेवाएं देने के लिए लाइसेंस प्रदान करना।	संविदा पानेवालों के साथ हस्ताक्षरित करार के अनुसार निर्धारित लाइसेंस शुल्क।
4.	भारतीय रेलवे परिसर में फूड प्लाजा की स्थापना और उसके संचालन के लिए लाइसेंस प्रदान करना	(i) कंपनी की पूर्व नीति के तहत किए गए संविदा के मामले में निर्धारित मासिक उपयोगकर्ता शुल्क और परिवर्तनीय लाइसेंस शुल्क। (ii) संविदा पानेवालों के साथ हस्ताक्षरित करार के अनुसार निर्धारित वार्षिक लाइसेंस शुल्क।
5.	रेलवे स्टेशनों पर वाटर वेंडिंग मशीन (डब्ल्यूवीएम) के लिए लाइसेंस प्रदान करना।	प्रत्येक डब्ल्यूवीएम की सेवाओं की शुरुआत की तिथि से निर्धारित लाइसेंस शुल्क।
6.	रेलवे स्टेशनों पर अन्य स्थिर इकाइयों जैसे जलपान कक्ष, जनाहार, कार्यकारी लाउंज, रिटायरिंग रूम आदि के लिए लाइसेंस प्रदान करना।	पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं के साथ हस्ताक्षरित समझौते के अनुसार इकाई के प्रारंभ होने की तिथि से लाइसेंस शुल्क निर्धारित किया गया
7.	भारतीय रेलवे परिसर में बजट होटलों के पुनर्विकास, संचालन, प्रबंधन और हस्तांतरण के लिए लाइसेंस प्रदान करना	पुरस्कार विजेताओं के साथ हस्ताक्षरित समझौते के अनुसार निश्चित उपयोगकर्ता शुल्क और लाइसेंस शुल्क। 1.1.1
8	विलंबित भुगतान, यदि कोई हो, पर जुर्माना, दंड एवं ब्याज	विलंबित भुगतान पर जुर्माना, दंड एवं ब्याज, यदि कोई हो तो, लाइसेंसधारी और विक्रेताओं से मिलने पर मान्यता दी जाती है।

भारतीय मानकों के अनुसार लेखा नीतियां (इंड एएस)

इन शीर्षों के अंतर्गत आय को मान्यता/लेखांकन निम्नानुसार किया गया है: –

- **रियायती शुल्क:** राजस्व मान्यता से संबंधित भारतीय लेखा मानक-115 में निर्धारित समय की अवधि के लिए, आय को प्रोद्भवन आधार (प्रो–राटा) पर मान्यता दी जाती है। कंपनी द्वारा प्राप्त एकबारगी रियायत शुल्क (व्यतीत न हुआ रियायत शुल्क) को अग्रिम रूप से प्राप्त आय मानी गई है। यदि रेल प्रशासन द्वारा ट्रैन के रद्द होने/वापस लिए जाने के कारण उनकी संविदाएं समाप्त कर दी जाती है, तो उतनी अवधि में आय को मान्यता दी जाती है, जितनी अवधि में संविदा लागू रही हो।
- **उपयोगकर्ता प्रभार:** फूड प्लाजा और बजट होटल लाइसेंसधारियों द्वारा भुगतान योग्य उपयोगकर्ता प्रभार की गणना परियोजना के चालू रहने की अवधि तक प्रोद्भवन आधार पर की जाती है।
- **लाइसेंस शुल्क: –**

  (क) कंपनी द्वारा प्राप्त निर्धारित लाइसेंस शुल्क की गणना, संविदा चालू रहने की अवधि तक प्रोद्भवन आधार (प्रो–राटा) पर की जाती है।

  (ख) परिवर्तनीय लाइसेंस शुल्क को गणना ठेकेदार द्वारा प्रदान की जाने वाली खानपान सेवाओं के एक निर्धारित प्रतिशत पर प्रोद्भवन आधार पर की जाती है।

  (ग) लाइसेंस शुल्क को गणना पुनर्विकास, संचालन, प्रबंधन और हस्तांतरण के आधार पर लाइसेंसधारियों द्वारा संचालित बजट होटलों के अनुमानित टर्नओवर के एक निर्धारित प्रतिशत पर प्रोद्भवन आधार पर की जाती है। जहां, लेखापरीक्षित खातों के अनुसार लाइसेंसधारी के टर्नओवर के आधार पर लाइसेंसधारी से अतिरिक्त लाइसेंस शुल्क प्राप्त किया जाता है, जिसकी प्राप्ति के आधार पर गणना की जाती है।
- अनुबंध की समाप्ति पर अर्जित आय: नियमों और शर्तों के उल्लंघन के कारण समाप्त किए गए कैटरिंग संविदाओं से आय की मान्यता निम्नानुसार की गई थी:

  I. समाप्ति की तिथि तक, आय को मासिक समर्थक अनुपात के आधार पर संविदा की अवधि के लिए रियायती शुल्क के संबंध में मान्यता प्राप्त है और अवधि के दौरान लाइसेंस शुल्क के मामले में ट्रैन मासिक प्रो–राटा आधार पर परिचालन में है।

  II. अन्य आय: रियायत शुल्क, लाइसेंस शुल्क और संविदा की जब्ती पर प्रतिभूति की शेष राशि को वर्ष के दौरान अर्जित अन्य आय के रूप में मान्यता प्राप्त है।

iv. **पैकेज टूर से आय: –**

कंपनी रेल–आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मूल्य वर्धित पर्यटन के तहत स्पेशल ट्रेनों, विशेष कोच चार्टर और बर्थ की बुकिंग और हवाई टिकटों की बुकिंग में कार्यरत है। कंपनी समूह के आधार पर विदेश पर्यटन की बुकिंग में भी कार्यरत है। स्पेशल ट्रैन/कोच चार्टर्स से प्राप्त होने वाली आय में रेलवे द्वारा निर्धारित किराए के निर्धारित प्रतिशत के रूप में कंपनी का सेवा प्रभार शामिल होता है। मूल्य वर्धित पर्यटन के मामले में, आय में किराया, ऑन–बोर्ड/ऑफ़ बोर्ड व्यय के लिए शुल्क और कंपनी के सेवा शुल्क शामिल हैं। हवाई टिकट से प्राप्त होने वाली आय में ग्राहकों से हवाई टिकट की बुकिंग के लिए लिया गया सेवा शुल्क शामिल है।

संपूर्ण टूर पैकेज, बुद्धिस्ट सर्किट स्पेशल ट्रैन और भारत दर्शनें और भारत गौरव ट्रेनों के मामले में आय में ग्राहक से एकत्रित किए हुए जीएसटी की कुल राशि शामिल है।

यात्रा की तिथि के आधार पर आय को प्रोद्भवन आधार (प्रो–राटा) पर बुक किया जाता है।

v. **ट्रैन परिचालन से आय**

कंपनी जोनल रेलवे से प्राप्त होनेवाली ट्रैन के धुलाई प्रभारो के सैद्धांतिक आधार पर संचालन में लगी हुई है। स्पेशल ट्रैन के परिचालन से प्राप्त आय में कंपनी द्वारा यात्रियों से लिया गया किराया शामिल है। ट्रैनों के संचालन से होने वाली आय को भारतीय लेखा-115 की आवश्यकता के अनुसार ट्रैन के संचालन अवधि के दौरान संचालन कार्यों से प्राप्त आय को आय के रूप में मान्यता दी जाती है।

vi. **इंटीग्रेशन प्रभार**

आरक्षित रेल ई–टिकटिंग सेवा के लिए कंपनी के साथ पंजीकरण और इंटीग्रेशन के लिए, प्रधान सेवा प्रदाता द्वारा कंपनी को भुगतान करने वाली एक–बारगी इंटीग्रेशन शुल्क को 20 वर्ष की अवधि के लिए मान्य किया गया है।

vii. **वाटर वेंडिंग मशीन**

कंपनी वाटर वेंडिंग मशीनों के लिए लाइसेंसधारी के साथ मध्यस्थता की प्रक्रिया में है और मध्यस्थता के आदेश के अनुसार, लाइसेंसधारी के साथ क्लस्टर व्यवस्था के तहत प्रथम डब्ल्यूवीएम के चालू होने की तिथि पर राजस्व की तत्काल मान्यता के विरुद्ध प्रत्येक वाटर वेंडिंग मशीन के चालू होने की तिथि के आधार पर राजस्व की पहचान/अर्जित किया गया है।

viii. **टीडीआर और लाभांश आय सहित सावधि जमा से प्राप्त ब्याज आय: –**

सावधि जमा और टीडीआर के ब्याज से प्राप्त आय को प्रभावी ब्याज दर का उपयोग करके प्रोद्भवन आधार पर मान्यता दी जाती है।

लाभांश आय को मान्यता तब दी जाती है, जब कंपनी को लाभांश प्राप्त करने का अधिकार मिल जाता है।

ix. **ड्यूटी क्रेडिट लाइसेंस:**

विदेश व्यापार नीति, 2015-20 के अंतर्गत सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम (एसईआईएस) के तहत ड्यूटी स्क्रिप्स (पावती-पत्र) निर्बाध रूप से हस्तांतरणीय होंगे और इनका मुद्रीकरण किया जा सकता है। सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम के तहत जारी स्क्रिप केवल आयात पर लगने वाले बेसिक सीमा शुल्क के भुगतान के लिए उपयोगी होंगे। नई नीति के तहत स्क्रिप भुगतान करके वापस लिए जा सकने योग्य होते हैं।

ड्यूटी क्रेडिट की पात्रता की गणना संबंधित विभाग द्वारा उनके अनुमोदन किए जाने पर की जाती है, और लंबित रहने पर उनकी पात्रता को आकस्मिक परिसंपत्ति के रूप में दिखाई जाती है।

विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की संख्या 22) एफटी (डी एंड आर) अधिनियम यथा संशोधित की धारा 5 के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार द्वारा विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2023 को अधिसूचित किया गया है। नई नीति में ड्यूटी क्रेडिट पात्रता की प्रोत्साहन योजना नहीं है और तदनुसार, वर्ष के दौरान कोई आय अर्जित नहीं हुई है।

थ) व्यय: –

व्यय की मदों को प्रोद्भवन आधार पर मान्यता दी जाती है, तथापि कुछ व्यय/दावे, जो निश्चित नहीं होते, उनके सुनिश्चित होने पर उनकी गणना की जाती है।

(i) **रेलनीर-बोतलबंद पेयजल और विभागीय खानपान गतिविधि पर व्यय: –**

व्यय की गणना प्रोद्भवन आधार पर की जाती है और सभी पहचाने गए नुकसान और देयताओं के लिए प्रावधान किए जाते है।

वर्ष के लिए रेलनीर और विभागीय खानपान विभाग से अर्जित शुद्ध लाभ के 15% को रेलवे के राजस्व हिस्से पर व्यय के रूप में दर्शाया जाता है।

(ii) **इंटरनेट टिकटिंग पर व्यय: –**

व्यय की गणना प्रोद्भवन आधार पर की जाती है और सभी पहचाने गए नुकसान और देयताओं के लिए प्रावधान किए जाते है

(iii) भुगतान किए गए खानपान प्रभार:

(क) ऑन-बोर्ड खानपान प्रभार:

ठेकेदार को भुगतान किए गए खानपान प्रभारो की गणना भारतीय रेलवे के यात्रियों को प्रदान की जाने वाली खानपान सेवाओं के लिए प्रोद्भवन आधार पर की जाती है।

(ख) रियायती शुल्क, उपयोगकर्ता प्रभार, लाइसेंस शुल्क: –

इस शीर्ष के तहत व्यय को निम्नानुसार मान्यता/गणना की गई है:-

- **भुगतान किए गए रियायती शुल्क:** ऑन बोर्ड कैटरिंग संविदा के संबंध में भारतीय रेलवे को देय रियायती शुल्क को संविदा अवधि के दौरान प्रोद्भवन आधार (प्रो-राटा) पर मान्यता दी जाती है। भारतीय रेलवे को अव्ययीत रियायती शुल्क के भुगतान को अग्रिम के रूप में माना जाता है। यदि रेल प्रशासन द्वारा ट्रैन रद्द होने/नहीं चलाने के कारण उनकी संविदाएं समाप्त कर दी जाती हैं, तो उतनी अवधि में आय को मान्यता दी जाती, जितनी अवधि में संविदा लागू रही हो।

- **भुगतान किए गए उपयोगकर्ता प्रभार:** फूड प्लाजा और बजट होटलों द्वारा भारतीय रेलवे को देय उपयोगकर्ता प्रभार की गणना परियोजना के चालू रहने की अवधि तक प्रोद्भवन आधार पर की जाती है।

- **भुगतान किया गया लाइसेंस शुल्क: –**

(क) कंपनी द्वारा भारतीय रेलवे को देय निर्धारित लाइसेंस शुल्क की गणना संविदा के चालू रहने की अवधि तक प्रोद्भवन आधार (प्रो-राटा) पर की जाती है।

(ख) भारतीय रेलवे को देय परिवर्तनीय लाइसेंस शुल्क की गणना ठेकेदार द्वारा प्रदत्त खानपान सेवाओं/बिक्री की एक निर्धारित प्रतिशत पर प्रोद्भवन आधार पर की जाती है।

- भारतीय रेलवे को देय जुर्माना और जुर्माने को संचय के आधार पर मान्यता दी जाती है।

- **ट्रैन संचालन के लिए अभिरक्षा/ढुलाई शुल्क:-**

(क) कंपनी द्वारा जोनल रेलवे को देय निर्धारित वार्षिक प्रभार की गणना प्रोद्भवन आधार (प्रो-राटा) पर ट्रैनों के संचालन में रहने की अवधि तक की जाती है।

(ख) परिवर्तनीय ढुलाई प्रभार:- जोनल रेलवे को देय शुल्क की गणना प्रोद्भवन आधार पर प्रति किमी की निर्धारित दर पर रेलवे की सहमति के अनुसार की जाती है।

(ग) अभिरक्षा प्रभार:- कंपनी द्वारा जोनल रेलवे को देय निर्धारित वार्षिक अभिरक्षा प्रभार की गणना प्रोद्भवन आधार (प्रो-राटा) पर ट्रैन के संचालित रहने की अवधि तक की जाती है

- **पर्यटन व्यय: –**

  पूर्ण टूर पैकेज के मामले में, बौद्ध सर्किट स्पेशल ट्रेन और भारत गौरव ट्रेनें, सेवा शुल्क और अन्य ऑन बोर्ड/ऑफ बोर्ड शुल्क की गणना प्रोद्भवन आधार पर की जाती हैं। ट्रैन संचालन के मामले में, रेलवे द्वारा निर्धारित/परिवर्तनीय ढुलाई/अन्य शुल्कों के कारण होने वाले व्यय और खानपान/अन्य खर्चों की गणना प्रोद्भवन आधार पर की जाती है।

द) पट्टे: –

जहां कंपनी पट्टेदार है:

(i) कंपनी पट्टे की शरुआत की तारीख से उपयोग के अधिकरवाली संपत्ति तथा पट्टा देयता को स्वीकार करती है। उपयोग के अधिकरवाली संपत्ति का आकलन आरंभ में लगत से की जाती है जिसमे पट्टा देयता की राशि को शरुआत की तारीख को अथवा उससे पहले समायोजित किया जाता है, साथ ही किसी आरंभिक प्रत्यक्ष लागत और लागत अनुमान का आकलन उक्त संपत्ति को समाप्त करने अथवा हटाने अथवा उक्त संपत्ति की उसी स्थान पर, जहां वह मौजूद थी, पर बहाली के लिए किया जाता है, जिसमें से प्राप्त पट्टा प्रोत्साहन रही को घटा दिया जाता है।

(ii) उपयोग के अधिकारवाली संपत्ति को बाद में स्ट्रेट लाइन पद्धति का उपयोग करके उसके आरंभ की तारीख से उस संपत्ति के उपयोग की अवधि तक या पट्टा समाप्ति तक का मूल्यह्रास निकाला जाता है। उपयोग के अधिकारवाली संपत्ति के अनुमानित उपयोग की अवधि का निर्धारण उसी आधार पर किया जाता है जैसे संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का निर्धारण किया जाता है। इसके अतिरिक्त, उपयोग के अधिकारवाली संपत्ति की क्षीणता के कारण होने वाली हानियों, यदि कोई हो, से उसका आवधिक ह्रास होता है और पट्टा देयता के कुछ पुनः आकलन का समायोजन किया जाता है।

(iii) आरंभ में पट्टा देयता का आकलन पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर किया जाता है, जो उसकी आरंभिक तारीख से भुगतान न किए गए हों, पट्टे में दर्शाई गई ब्याज दर के उपयोग से छूट दी गई हो अथवा, यदि उस दर का तत्काल निर्धारण नहीं हो पता और कंपनी की बढ़ती ऋण दर पर आकलन किया जाता है।

(iv) पट्टा देयता की माप ब्याज के प्रभावी तरीके का उपयोग से परिशोधन लागत से की जाती है, यदि भविष्य में इंडेक्स या दर में किसी परिवर्तन के कारण पट्टा भुगतानों में कोई परिवर्तन हो, तो इसका पुनः माप किया जाता है। जब इस तरीके से पट्टा देयता का पुनः माप किया जाता है, तो उपयोग के अधिकरवाली संपत्ति की वहन राशि का एक तुलनात्मक समायोजन किया जाता है, अथवा यदि उपयोग के अधिकरवाली संपत्ति की वहन राशि घटकर शून्य रह जाती है, तो इसे लाभ और हानि के रूप में दर्ज किया जाता है।

(v) कंपनी तुलन पत्र के मुख-पृष्ठ पर उपयोग के अधिकारवाली संपत्ति को "उपयोग के अधिकारवाली परिसंपत्ति" में तथा तुलनपत्र में पट्टा देयताओं को "अन्य वित्तीय देयताओं" में दर्शाती है।

(vi) अल्पावधि पट्टे और कम मूल्य की परिसंपत्ति के पट्टे: – कंपनी ने ऐसी अल्पावधि वाली और कम मूल्यवाली परिसंपत्ति को पट्टे के उपयोग के अधिकारवाली संपत्ति को मान्यता न देने का विकल्प चुना है जिनकी पट्टा अवधि 12 महीने या उससे कम हो। कंपनी इन पट्टों से संबद्ध भुगतानों को पट्टा अवधि में एक स्ट्रेट लाइन बेसिस पर व्यय के रूप में मान्यता देती है।

जहां कंपनी पट्टादाता हो:

जब कंपनी पट्टादाता के रूप में काम करती है, तो इसे पट्टे का आरंभ माना जाता है, चाहे वह एक वित्तीय पट्टा हो अथवा एक परिचालनिक पट्टा हो। प्रत्येक पट्टे को वर्गीकृत करने के लिए, कंपनी एक पूर्ण आकलन करती है, कि क्या पट्टे में उक्त संपत्ति के मालिकाना हक के आकस्मिक जोखिम और रिवार्ड का काफी हद तक पट्टा हस्तांतरण हो गया है। यदि ऐसा मामला हो, तो पट्टा एक वित्तीय पट्टा होता है, यदि नहीं तो वह एक परिचालनिक पट्टा होता है। आकलन के एक हिस्से के रूप में, कंपनी कुछ सकेतों पर विचार करती है कि क्या पट्टा परिसंपत्ति कि आर्थिक स्थिति के बड़े हिस्से के लिए है।

कंपनी परिचालनिक पट्टे के अंतर्गत प्राप्त भुगतानों को एक स्ट्रेट लाइन बेसिस पर पट्टा अवधि के दौरान "अन्य आय" के रूप में आय को मान्यता देती है।

ध) परिसंपत्तियों की हानि: –

जैसा भारतीय लेखा मानक 36 में परिभाषित है नकद उत्पन्न करने वाली इकाइयां तुलनपत्र की तारीख को 'परिसंपत्तियों की हानि' के साथ ही साथ वहन राशि की पहचान करती है। उससे वसूली जा सकने वाली राशि और हानि, यदि कोई हो, तो लाभ और हानि के खाते में रखा जाता है। यदि क्षति के किसी नुकसान के बाद में आरक्षित रखा जाना हो, तो उसे रिवर्सल वर्ष में रखा जाता है।

भारतीय मानकों के अनुसार लेखा नीतियां (इंड एएस)

न) उधारी लागत: –

सामान्य और विशिष्ट उधारी लागतें अर्हक परिसंपत्तियों के सीधे अधिग्रहण, निर्माण अथवा उतप्दान के फलस्वरूप मानी जाती है, जिन्हें अब तक उस परिसंपत्ति की लागत का हिस्सा माना जाता है, जब तक कि परिसंपत्ति उपयोग के लिए तैयार नहीं हो जाती है। अर्हक संपत्ति वह संपत्ति होती है जिसके उपयोग हेतु तैयार करने के लिए पर्याप्त अवधि की आवश्यकता होती है। अन्य सभी उधारी लागतें को उस अवधि में, जब वे वहन की जाती हैं, उस अवधि के लाभ और हानि विवरणों में मान्यता दी जाती है।

ऩ) कर्मचारी हित: –

(क) अल्पावधि के कर्मचारी लाभ

सेवाएं प्रदान करने के बारह महीनों के भीतर पूर्ण भुगतान योग्य सभी कर्मचारी लाभों को अल्पावधि कर्मचारी लाभ में वर्गीकृत किया जाता है। लाभ जैसे वेतन, मजदूरी, और अल्पावधि अनुपस्थिति की प्रतिपूर्ति आदि को उस अवधि में मान्यता दी जाती है, जिस अवधि में कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करता है।

(ख) दीर्घावधि कर्मचारी लाभ:

(i) **अर्ध वेतन अवकाश और एलटीसी जैसे दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों की बाध्यता**

- वर्ष के अंत में किए गए बीमांकिक मूल्यांकन पर हिसाब लगाया गया।
- बीमांकिक लाभ/हानि को वर्ष के लिए लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

(ii) **नकदीकरण छोड़े**

- कंपनी अपनी बैलेंस शीट में भारतीय जीवन बीमा निगम से अवकाश नकदीकरण के लिए ली गई पॉलिसी को परिसंपत्तियों की प्रतिपूर्ति के अधिकार के रूप में मान्यता देती है।
- कंपनी अपनी बैलेंस शीट में एक परिभाषित लाभ योजना के दायित्व को एक दायित्व के रूप में पहचानती है और वर्ष के अंत में एक स्वतंत्र बीमांकिक द्वारा किए गए बीमांकिक मूल्यांकन द्वारा निर्धारित की जाती है।
- कंपनी वर्ष के लिए लाभ और हानि के विवरण में परिभाषित लाभ लागत के घटकों को पहचानती है।
- कंपनी वर्ष के लिए लाभ और हानि के विवरण में प्रतिपूर्ति के अधिकार की अग्रणीत राशि में परिवर्तन को मान्यता देती है।
- बीमांकिक लाभ/हानि को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

(ग) रोजगार के बाद के लाभ

(i) **परिभाषित योगदान योजनाएं:** भविष्य निधि योजना के संबंध में कंपनी क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को निर्धारित अंशदान देती है। योजनाओं के अंतर्गत भुगतान किया गया / भुगतान योग्य अंशदान को उस अवधि के लिए मान्यता दी जाती है, जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करता है।

(ii) **परिभाषित लाभ योजनाएं:** कंपनी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ प्रदान करती है। इन लाभों की पात्रता आमतौर पर इस शर्त के साथ होती है कि कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति की आयु तक अथवा और न्यूनतम सेवा अवधि के पूरा होने तक सेवा में रहेगा। इन लाभों की अपेक्षित लागत नियोजन कि उस अवधि में आती हैं, जिसमें परिभाषित लाभ योजनाओं के लिए समान लेखा-जोखा का तरीका अपनाया जाता है।

(iii) ग्रेच्युटी रोजगार के बाद मिलनेवाली लाभ योजना है। देयता को तुलन पत्र में परिभाषित लाभ देयता की वर्तमान मूल्य माना जाता है, जिसमें तुलन-पत्र की तिथि को परिसंपत्तियों के योजना में उचित मूल्य को कम किया जाता है। परिभाषित लाभ देयता की गणना रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट (पीयूसी) तरीके का उपयोग करते हुए एक स्वतंत्र बीमांकिक द्वारा की जाती है।

(iv) पुनः माप से होने वाले लाभ और हानि को समायोजन के अनुभव और बीमांकिक अनुमानों में परिवर्तनों से परिभाषित लाभ योजनाओ के संबंध में, उन्हें उसी अवधि में मान्यता दी जाती है, जब वे सीधे व्यापक आय में उत्पन्न होते है। उन्हें इक्विटी में परिवर्तन के विवरणों में प्रतिधारित आय में शामिल किया जाता है।

(घ) विदेशी सेवा अंशदान में प्रावधान/देयताएं- प्रतिनियुक्ति/ प्रतिनियुक्ति माने जानेवाले पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के लिए सरकारी नियमों और विनियमों की शर्तों के अनुसार पेंशन और छुट्टी वेतन दिए जाते है और उन्हें प्रोद्भवन आधार पर लाभ और हानि के विवरण में प्रभारित किया जाता है।

प) इन्वेंटरी:

(i) इन्वेंटरी का मूल्य कम लागत और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर किया जाता है।

(ii) कच्चे माल, पैकिंग सामग्री, स्टोर, पुर्जे और उपभोग्य सामग्रियों के मामले में, लागत में शुल्क और कर (आईटीसी का शुद्ध, जहां भी लागू हो) शामिल होते हैं और इसकी गणना एफआईएफओ के आधार पर की जाती है।

भारतीय मानकों के अनुसार लेखा नीतियां (इंड एएस)

(iii) तैयार माल की लागत और कार्य जारी रहने की प्रक्रिया में कच्चे माल की लागत, पैकिंग सामग्री, निर्धारित और परिवर्तनीय उत्पादन ओवरहेड्स का उचित शेयर, लागू सीमा शुल्क और अन्य लागतें इन्वेंट्री को उनके वर्तमान स्थान और स्थिति में लाने के लिए अन्य उत्पन्न लागतें शामिल होती है।

(iv) पीडी मद (ट्रेडेड गुड्स) का मूल्यांकन एफआईएफओ के आधार पर लागत या एनआरवी पर किया जाता है।

फ) कराधान: –

(क) वर्तमान आयकर: –

(i) लागू कर दरों और कर कानूनों का उपयोग करके वर्तमान आयकर सहित करों की गणना की जाती है।

(ii) राशि की गणना करने के लिए उपयोग की जाने वाली कर दरें और कर कानून वे हैं जो उन देशों में रिपोर्टिंग तिथि पर अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित हैं जहां कंपनी संचालित होती है तथा कर योग्य आय अर्जित करती है।

(iii) वर्तमान और पूर्व अवधि के लिए वर्तमान आयकर परिसंपत्ति और देयताओं की गणना वसूली जा सकने वाली संभावित राशि पर की जाती है अथवा अतिरिक्त कर, यदि कोई हो, की देयता के लिए कर प्राधिकरणों को भुगतान की जाती है, जिन्हें आकलनों के पूरा होने पर उपलब्ध कराया /भुगतान किया जाता है।

(iv) ओसीआई मद से संबंधित वर्तमान कर को अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्यता दी जाती हैं।

(ख) आस्थगित कर

कंपनी ने कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी भारतीय लेखा मानक–12 के अनुरूप आस्थगित कराधान के लिए “आयकर” की गणना की है।

i. आस्थगित आयकर परिसंपत्तियों और देयताओं को अस्थायी अंतरों के लिए मान्यता दी जाती है, जिनकी गणना कर की दरों और कर कानूनों का उपयोग करके की जाती है, जिन्हें अधिनियमित या रिपोर्टिंग तिथि पर मूल रूप से अधिनियमित किया गया है।

ii. आस्थगित आयकर संपत्ति को उस सीमा तक मान्यता दी जाती है, जहां संभव हो कि उन काटे जाने योग्य अस्थाई अंतरों पर कर लाभ उपलब्ध होगा और अप्रयुक्त कर क्रेडिट और अप्रयुक्त कर हानियों का उपयोग किया जा सकता है।

iii. आस्थगित आयकर परिसंपत्तियों की वहन राशि की प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर समीक्षा की जाती है और उस सीमा तक घटाया जाता है कि यह संभव न हो सके कि उपयोग की जानेवाली आस्थगित आयकर संपत्ति को संपूर्ण रूप से अथवा उसके किसी भाग के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा।

iv. ओसीआई मद से संबंधित आस्थगित कर को अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्यता दी जाती है।

ब) प्रति शेयर आय

प्रति शेयर मूल आय के निर्धारण के लिए, कंपनी इक्विटी शेयरधारकों को देय शुद्ध लाभ पर विचार करती है। प्रति शेयर मूल आय की गणना करने के लिए उपयोग किए जाने वाले शेयरों की संख्या में उस अवधि में बकाया शेयरों की संख्या की औसत को लिया जाता है। प्रति शेयर मिश्रित आय का निर्धारण के लिए, इक्विटी शेयरधारकों को देय शुद्ध लाभ और उस अवधि में बकाया शेयरों की संख्या की औसत को इक्विटी शेयरों की सभी मिश्रित क्षमता के अनुसार समायोजित किया जाता है।

भ) अनुदान

i. संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की खरीद से संबंधित सरकारी अनुदानों को, संबंधित परिसंपत्तियों की संभावित जीवन अवधि के अनुसार, आस्थगित आय और सिस्टेमेटिक आधार पर लाभ या हानि में किए गए क्रेडिट में शामिल किया जाता है तथा उसे अन्य आय के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

ii. राजस्व व्यय से संबंधित अनुदानों को संबंधित व्ययों में समायोजित किया जाता है। राजस्व के अप्रयुक्त हिस्से और पूंजी अनुदान को देयता के रूप में दिखाया गया है।

iii. गैर–मौद्रिक संपत्ति के रूप में सरकारी अनुदान को उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है और अनुदान को आस्थगित आय के रूप में स्थापित करके तुलनपत्र में प्रस्तुत किया जाता है।

म) नकदी एवं नकदी समकक्ष

नकदी एवं नकदी समकक्षों में रोकड़, ड्राफ्ट/चेक, बैंक बैलेंस, बैंकों में जमा और अल्पावधि निवेश शामिल हैं, जो अल्प अवधि वाले (अधिग्रहण की तारीख से तीन महीने या उससे कम), उच्च मात्रा वाले निवेश होते हैं, जिन्हें तत्काल नकदी में बदला जा सकता है और जिनसे मूल्य में किन्ही परिवर्तनों का कोई महत्वपूर्ण जोखिम नहीं होता।

क क) पुराने चेक

वे चेक जो 3 महीने की वैधता अवधि के भीतर क्लियर नहीं किया जाते हैं, उन्हें पुराने चेक खाते में जमा कर दिया जाता है। निजी पार्टियों से संबंधित पुराने चेक जो पुराने चेक में हस्तांतरण होने की तिथि से 4 वर्ष से अधिक पुराने हैं और सरकारी निकायों से संबंधित चेक जो पुराने चेक में हस्तांतरण होने की तिथि से 6 वर्ष से अधिक से पुराने हैं और जो पुराने चेक खाते में भी क्लियर नहीं हुए है उन्हें विविध आय में जमा किया जाता है। भविष्य में उत्पन्न होने वाले किसी भी दावे के लिए, उसे विविध व्ययों में डेबिट किया जाता है

भारतीय मानकों के अनुसार लेखा नीतियां (इंड एएस)

ख ख) वित्तीय साधनः –

आरंभिक मान्यता और माप

वित्तीय साधनों को उनके उचित मूल्य सहित अथवा लेनदेन लागतों को कम करके मान्यता दी जाती है, जो वित्तीय साधनों के अधिग्रहण अथवा उन्हें जारी करने के लिए सीधे देय है। हालाँकि वित्तीय परिसंपत्तियाँ (व्यापार प्राप्य) जिनमें कोई महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक नहीं होता है, उन्हें लेनदेन मूल्य पर मापा जाता है।

परिशोधन लागत पर वित्तीय परिसंपत्ति

यदि किसी व्यापारिक गतिविधि के दौरान वित्तीय परिसंपत्तियों को बाद में परिशोधन लागत पर मापा जाता है, जिसका उद्देश्य इन संविदात्मक परिसंपत्तियों के नकदी प्रवाह को बनाए रखना होता है और वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें विशिष्ट तारीख को नकदी प्रवाह को बढ़ाता है, जो बकाया मूल राशि पर मूल और ब्याज के पूरी तरह से भुगतान को कम करता हैं। प्रभावी ब्याज दर में से परिशोधन, यदि कोई हो, को कम करते हुए परिशोधन लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियों की माप की जाती है। ईआईआर ऋणमुक्ति को लाभ और हानि के विवरण में वित्तीय आय में शामिल किया जाता है।

निम्नलिखित वित्तीय परिसंपत्तियों को परिशोधन लागत पर मापा जाता है: –

(i) प्रतिभूति जमा

(ii) प्रतिधारण राशि

(iii) नकदी और नकदी समकक्ष

(iv) अन्य वित्तीय साधनों के साथ समायोजित अग्रिम

अन्य व्यापक आय (एफवीटीओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्ति

वित्तीय परिसंपत्तियों को अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है, यदि ये वित्तीय परिसंपत्तियां किसी व्यवसाय के अंतर्गत रखी जाती है, जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करना और वित्तीय परिसंपत्तियों का विक्रय करना होता है तथा वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें विनिर्दिष्ट तारीखों में नकदी प्रवाह को बढाती है जो पूरी तरह से बकाया मूल राशि पर मूल और ब्याज का भुगतान होता है।

ऋण इंट्रूमेंट एफवीटीओसीआई श्रेणी में शामिल होता है जिसकी आरंभिक माप के साथ– साथ प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख को उचित मूल्य पर माप भी की जाती है। उचित मूल्य मूवमेंट्स को अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में रखा जाता है। तथापि, कंपनी ब्याज से प्राप्त आय को मान्यता देती है, परिशोधन हानियों एवं रिवर्सल तथा विदेशी मुद्रा लाभ अथवा लाभ एवं हानि में हानि को मान्यता देती है। परिसंपत्ति की मान्यता समाप्त होने पर, पूर्व में अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त संचयी लाभ अथवा हानि को इक्विटी से लाभ एवं हानि में पुनः वर्गीकृत किया जाता है। ईआईआर तरीके के उपयोग से अर्जित ब्याज को स्वीकार किया जाता है।

लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां (एफवीटीपीएल)

एफवीटीपीएल वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए एक अवशिष्ट श्रेणी है। कोई भी वित्तीय परिसंपत्ति, जो परिशोधन लागत या एफवीटीओसीआई के रूप में वर्गीकरण के मानदंडों को पूरा नहीं करती है, को एफवीटीपीएल में वर्गीकृत किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, कंपनी वित्तीय परिसंपत्ति मानित करने के लिए चुनाव कर सकती है, जो अन्यथा एफवीटीपीएल पर परिशोधन लागत या एफवीटीओसीआई मानदंड को पूरा करता है । यदि ऐसा करने से माप की आवश्यकता कम होती है या समाप्त होती है या मान्यता में निरंतरता नहीं होती है।

एफवीटीपीएल श्रेणी में शामिल वित्तीय परिसंपत्तियों की उचित मूल्य पर माप की जाती है जिसमें लाभ और हानि के विवरण में सभी परिवर्तनों को मान्यता दी जाती है।

परिशोधन लागत पर वित्तीय देयताएं

परिशोधन लागत पर वित्तीय देयताएं व्यापार और अन्य देय, प्रतिभूति जमा, वापसी योग्य अग्रिम और प्रतिधारण राशि का प्रतिनिधित्व करती है, जिन्हें आरंभ में उचित मूल्य पर स्वीकार किया जाता है, और बाद में प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करके परिशोधन लागत पर लाया जाता है।

लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएं (एफवीटीपीएल)

कंपनी ने एफवीटीपीएल में कोई वित्तीय देयताएं निर्दिष्ट नहीं की है।

मान्यता समाप्त करना

वित्तीय परिसंपत्ति

एक वित्तीय परिसंपत्ति (या, जहां लागू हो, एक वित्तीय परिसंपत्ति का कोई हिस्सा या समान वित्तीय परिसंपत्ति के समूह का एक हिस्सा) को तभी अमान्य किया जाता है जब परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह के संविदात्मक अधिकार समाप्त हो जाते हैं या यह वित्तीय परिसंपत्ति और तदुपरांत परिसंपत्ति के मालिकाना हक के सभी जोखिमों और रिवार्ड का हस्तांतरण करता है।

वित्तीय देयता

एक वित्तीय दायित्व को तब अमान्य किया जाता है जब देयता के तहत बाध्यता समाप्त हो जाती है या रद्द हो जाती है या समाप्त हो जाती है। जब कोई वित्तीय देयता महत्वपूर्ण रूप से भिन्न शर्तों पर, किसी अन्य समान ऋणदाता के साथ बदली जाती है अथवा किसी

विद्यमान देयता की शर्तें काफी हद तक बदली जाती हैं, तो ऐसी कोई आदान–प्रदान अथवा आशोधन मूल देयता को अमान्य माना जाता है और नई देयता की मान्यता और संबंधित वहन राशियों में अंतर को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

वित्तीय परिसंपत्तियों का नुकसान

कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए संभावित क्रेडिट हानि (ईसीएल) मॉडल का उपयोग करके भत्तों की हानि को मान्यता देती है, जिसका लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्यांकन नहीं किया जाता। व्यापार प्राप्तियों के लिए हानि भत्ता जिसमें कोई महत्वपूर्ण वित्तीय घटक नहीं है, को लाइफटाइम ईसीएल के बराबर राशि पर मापा जाता है। अन्य सभी वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए, ईसीएल को 12–महीने के ईसीएल की बराबर राशि पर मापा जाता है, जब तक कि आरंभिक मान्यता से किसी क्रेडिट जोखिम में कोई वृद्धि न हो, ऐसे मामले में उनकी माप लाइफटाइम ईसीएल पर की जाती है। ईसीएल (या रिवर्सल) की राशि, जो रिपोर्टिंग की तारीख पर हानि भत्ते को उस राशि में समायोजित करने के लिए अपेक्षित होती है, जिसे मान्यता दिए जाने की आवश्यकता होती है, उसे लेखा के लाभ और हानि खाते के विवरण में क्षीण लाभ या हानि पर मान्यता दी जाती है।

ग ग) उचित मूल्य की माप

प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर कंपनी उचित मूल्य पर वित्तीय साधनों का आकलन करती है। उचित मूल्य वह मूल्य है जो किसी संपत्ति की बिक्री किसी देयता के हस्तांतरण से पैमाइश की तारीख को बाजार प्रतिभागियों के बीच सही रूप से लेनदेन के द्वारा प्राप्त होता है। उचित मूल्य का मूल्यांकन इस पूर्वानुमान पर आधारित होता हैं कि संपत्ति की बिक्री के लिए लेनदेन या देयता के हस्तांतरण इनमें से किसी रूप में हो:

- परिसंपत्ति या देयता के लिए प्रमुख बाजार में, या
- प्रमुख बाजार न होने की स्थिति में, परिसंपत्ति या देयता के लिए सर्वाधिक लाभकारी बाजार में।

कंपनी की प्रमुख या सबसे फायदेमंद बाजार में पैठ होनी चाहिए। किसी परिसंपत्ति या देयता के उचित मूल्य का माप वे अनुमान लगाकर किया जाता है कि बाजार प्रतिभागी परिसंपत्ति या देयता का मूल्य निर्धारण करते समय इन अनुमानों का उपयोग करेंगे, यह मानते हुए कि बाजार प्रतिभागी अपने आर्थिक सर्वोत्तम हित में कार्य करते हैं। कंपनी उन मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करती है जो परिस्थितियों के अनुसार उचित हैं और उचित मूल्य को मापने के लिए पर्याप्त डेटा उपलब्ध हैं, जिसके लिए अपेक्षित ध्यान देने योग्य इनपुट का अधिकतम तथा ध्यान न देने योग्य इनपुट का न्यूनतम उपयोग किया जाता है।

परिसंपत्ति और देयता जिनके लिए उचित मूल्य की माप की जाती है या वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण किया जाता है, को उचित मूल्य के वर्गीकरण में रखा जाता है, जिसे निम्नानुसार वर्णित किया गया है, जो न्यूनतम स्तर के इनपुट पर आधारित होता है जो कुल मिलाकर उचित मूल्य की माप के लिए महत्वपूर्ण है::

- स्तर 1 – समान परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए सक्रिय बाजार में उद्धत (असमायोजित) बाजार मूल्य
- स्तर 2 – मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए न्यूनतम स्तर का इनपुट लिया जाता है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सुस्पष्ट उचित मूल्य की माप के लिए महत्वपूर्ण है।
- स्तर 3 – मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए न्यूनतम स्तर का इनपुट लिया जाता है जो अस्पष्ट रूप से उचित मूल्य की माप के लिए महत्वपूर्ण है।

आवर्ती आधार पर वित्तीय विवरणों में मान्यता दी जाने वाली परिसंपत्तियों और देयताओं के लिए, कंपनी यह निर्धारित करती है कि क्या वर्गीकरण के स्तर के बीच हस्तांतरण हुए हैं, जिसके लिए प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वर्गीकरण का पुनर्मूल्यांकन (न्यूनतम स्तर के इनपुट के आधार पर जो कुल मिलाकर उचित मूल्य की माप के लिए महत्वपूर्ण है) किया जाता है।

रिपोर्टिंग तिथि पर, कंपनी परिसंपत्तियों और देयताओं के मूल्यों में उतार–चढ़ाव का विश्लेषण करती है, जिनका लेखांकन नीतियों के अनुसार पुनर्माप या पुनर्मूल्यांकन करना अपेक्षित होता है। इस विश्लेषण के लिए, कंपनी संविदाओं और अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों के मूल्यांकन की गणना में जानकारी से सहमत होते हुए नवीनतम मूल्यांकन में मुख्य इनपुट का उपयोग करके सत्यापन करती है।

कंपनी अपेक्षित बाहरी स्रोतों से प्रत्येक परिसंपत्ति और देयता के उचित मूल्य में परिवर्तन की तुलना भी करती है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या परिवर्तन उचित है या नहीं?

उचित मूल्य के प्रकटीकरण के उद्देश्य से, कंपनी ने परिसंपत्ति या देयताओं की प्रकृति, विशेषताओं और जोखिमों के आधार पर, जैसा ऊपर स्पष्ट किया गया है, परिसंपत्तियों और देयताओं की श्रेणियां उचित मूल्य के स्तर का क्रम निर्धारित किया है।

टिप्पणी:– 3 संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	फ्रीहोल्ड भूमि	भवन: फ्रीहोल्ड आवासीय फ्लैट	भवन: लीज़होल्ड सुधार	भवन: फैक्ट्री भवन–लीज़होल्ड	संयंत्र एवं मशीनरी	विद्युत लगाना एवं उपकरण	ईडीपी परिसंपत्तियां	कार्यालय उपकरण: एयर कंडीशनर	कार्यालय उपकरण: कार्यालय उपकरण	कार्यालय उपकरण	लग्ज़री पर्यटन गाड़ियां	कुल
सकल आगे बढ़ाई वेल्यू												
01 अप्रैल 2021 को	876.61	3,636.93	2,562.54	4,328.60	9,608.80	588.60	10,233.75	507.48	1,568.74	668.76	5,202.46	39,783.27
जुड़ी	1,493.79	475.08	58.17	327.93	701.67	26.20	235.22	11.74	72.12	16.91	–	3,418.83
निपटान/समायोजन			17.47	14.00	64.51	76.90	253.98	24.69	169.74	14.32	–	635.61
31 मार्च, 2022 को	2,370.40	4,112.01	2,603.24	4,642.53	10,245.96	537.90	10,214.99	494.53	1,471.12	671.35	5,202.46	42,566.49
जुड़ी	2,235.61	394.43	28.68	301.97	722.16	4.15	735.28	25.23	132.08	29.46	–	4,609.05
निपटान/समायोजन	–	–	22.07	–	7.27	–	0.47	2.06	43.15	11.37	–	86.39
31 मार्च, 2023 को	4,606.01	4,506.44	2,609.85	4,944.50	10,960.85	542.05	10,949.80	517.70	1,560.05	689.44	5,202.46	47,089.15
संचित मूल्यह्रास एवं हानि												
01 अप्रैल, 2021 को	–	6.59	1,012.94	763.61	4,262.59	399.13	7,619.41	361.78	1,246.23	443.44	3,960.27	20,075.99
वर्ष के लिए मूल्यह्रास शुल्क		63.47	231.95	279.80	766.50	31.90	732.60	34.02	92.08	39.13	240.01	2,511.46
हानि												
निपटान/समायोजन			17.11	1.82	32.45	63.36	242.56	21.24	157.70	12.91	–	549.15
31 मार्च, 2022 को	–	70.06	1,227.78	1,041.59	4,996.64	367.67	8,109.45	374.56	1,180.61	469.66	4,200.28	22,038.30
वर्ष के लिए मूल्यह्रास शुल्क	–	70.43	271.48	286.97	948.19	33.72	734.63	29.63	98.08	38.94	239.89	2,751.96
हानि												
निपटान/समायोजन	–	–	21.22	–	1.88	–	(1.21)	1.56	35.45	10.87	–	69.77
31 मार्च, 2023 को	–	140.49	1,478.04	1,328.56	5,942.95	401.39	8,845.29	402.63	1,243.24	497.73	4,440.17	24,720.49
शुद्ध वहन वेल्यू												
31 मार्च, 2023 को	4,606.01	4,365.95	1,131.81	3,615.94	5,017.90	140.66	2,104.51	115.07	316.81	191.71	762.29	22,368.66
31 मार्च, 2022 को	2,370.40	4,041.95	1,375.46	3,600.94	5,249.32	170.23	2,105.54	119.97	290.51	201.69	1,002.18	20,528.19
01 अप्रैल 2021 को	876.61	3,630.34	1,549.60	3,564.99	5,346.21	189.47	2,614.34	145.70	322.51	225.32	1,242.19	19,707.28

नोट :– 3.1 वित्तीय वर्ष 2009–10 के दौरान, कंपनी ने पैन इंडिया लक्ज़री पर्यटन गाड़ी का अधिग्रहण किया। उक्त गाड़ी की कुल लागत 5,046.57 लाख थी। पर्यटन मंत्रालय ने 1,237.00 लाख रूपये की पूंजी सब्सिडी दी थी जिसे आस्थगित अनुदान में मान्यता दी गई और मूल्यह्रास के अनुपात में परिशोधित किया गया।

नोट :– 3.2 रेलनीर संयंत्रों के अलावा अन्य रेलवे भूमि पर स्थित परिसरों में सिविल कार्य पर किए गए व्यय को लीज़ होल्ड सुधार के रूप में लगाया गया है और दस वर्षों की अवधि के लिए मूल्यह्रास किया गया है।

नोट :– 3.3 आईआरसीटीसी ने नांगलोई, दानापुर, पालूर, अंबरनाथ और परसाला में रेलनीर संयंत्र लगाने के लिए रेलवे से भूमि लीज पर ली है। इन भूमि पर स्थित भवनों पर मूल्यह्रास नीति के अनुसार प्रदान किया गया है। हालांकि प्रबंधन के अनुमान के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021–22 से शुरू होने वाले 10 वर्षों के अनुमानित उपयोगी जीवन के आधार पर अंबरनाथ और पालूर संयंत्र के भवन पर मूल्यह्रास प्रदान किया गया है। अन्य भूमि पर स्थित रेलनीर संयंत्रों के लिए, 30 वर्षों की अवधि में भवनों का मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अनुसार किया गया है।

नोट :– 3.4 लीज़होल्ड परिसंपत्ति (उपयोग का अधिकार) के विवरण के लिए नोट 5बी और अचल परिसम्पत्तियों के हक़ विलेख के लिए नोट नं 74 देखें, जिन्हें अभी निष्पादित किया जाना है।

नोट: – 4 पूंजीगत कार्य प्रगति पर

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	रेलनीर संयंत्र – विजयवाड़ा (आंध्रप्रदेश)	रेलनीर संयंत्र– भुसावल (महाराष्ट्र)	रेलनीर संयंत्र–भुवनेश्वर (उड़ीसा)	रेलनीर संयंत्र– ऊना (हिमाचल प्रदेश)	रेलनीर संयंत्र– सिम्हाद्री (एपी)	बजट होटल	प्रशिक्षण केंद्र, फरीदाबाद	रेलनीर संयंत्र–कोटा (राजस्थान)	अन्य	कुल
01 अप्रैल, 2021 को अधिशेष	**106.40**	**407.28**	**–**	**684.61**	**124.45**	**912.84**	**–**	**–**	**194.73**	**2,430.31**
जोड़ (अनुवर्ती व्यय)	89.74	103.11	42.00	42.00	312.33	477.49	41.32	–	49.09	1,157.08
समायोजन	–	–	–	-726.61	–	–	–	–	-243.82	-970.43
31 मार्च, 2022 को अथशेष	**196.14**	**510.39**	**42.00**	**–**	**436.78**	**1,390.33**	**41.32**	**–**	**–**	**2,616.96**
जोड़ (अनुवर्ती व्यय)	–	165.59	373.92	–	198.80	120.00	471.65	98.00	10.13	1,438.09
समायोजन	-56.14	-675.98	–	–	56.14	–	–	–	–	-675.98
31 मार्च, 2023 को अथशेष	**140.00**	**–**	**415.92**	**–**	**691.72**	**1,510.33**	**512.97**	**98.00**	**10.13**	**3,379.07**

नोट: – 4.1 (ए) पूंजीगत कार्य प्रगति पर की परिपक्वन अनुसूची

31 मार्च 2023 को सीडब्ल्यूआईपी परिपक्वन अनुसूची

राशि (लाख ₹ में)

पूंजीगत कार्यप्रगति पर	निम्न अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				कुल
	एक वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
प्रगति पर परियोजनाएं	1272.5	962.88	805.73	337.96	3379.07
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं	–	–	–	–	–

31 मार्च 2022 को सीडब्ल्यूआईपी परिपक्वन अनुसूची

राशि (लाख ₹ में)

पूंजीगत कार्यप्रगति पर	निम्न अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				कुल
	एक वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
प्रगति पर परियोजनाएं	1066.01	939.18	591.89	19.88	2616.96
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं	–	–	–	–	–

नोट: – 4.1 (बी) पूंजीगत कार्य प्रगति पर के परिपक्वन अनुसूची जिसकी पूर्णता इसकी मूल योजना की तुलना में अतिदेय है

31 मार्च 2023 को

राशि (लाख ₹ में)

पूंजीगत कार्य प्रगति पर	निम्न में पूरा किया जाना है				कुल
	एक वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
बजट होटल - लखनऊ	1,347.15	–	–	–	1,347.15
रेलनीर प्लांट - सिम्हाद्री	691.72	–	–	–	691.72
रेल नीर प्लांट-भुवनेश्वर	415.92	–	–	–	415.92
रेलनीर संयंत्र- विजयवाड़ा	–	140.00	–	–	140.00

*दिसंबर, 2023 तक पूरा करने के लिए विस्तार की अनुमति दी गई।

31 मार्च 2022 को

राशि (लाख ₹ में)

पूंजीगत कार्य प्रगति पर	निम्न में पूरा किया जाना है				कुल
	एक वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
बजट होटल - लखनऊ	1,227.15	–	–	–	1,227.15
रेलनीर संयंत्र- विजयवाड़ा	140.00	–	–	–	140.00
रेलनीर संयंत्र- भुसावल	510.39	–	–	–	510.39

नोट:– 4.1(सी)

31 मार्च, 2023 और 31 मार्च, 2022 तक ऐसी कोई परियोजना नहीं है जिसकी लागत आज की तारीख में इसकी मूल योजनाओं की तुलना में अधिक हो।

नोट:– 5 निवेश सम्पत्ति

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	गुड़गांव में भूमि	गुड़गांव में भवन	कुल
1 अप्रैल, 2021 को अथशेष	464.66	2,368.52	2,833.18
वर्ष के दौरान जोड़/समायोजन	–	–	–
वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन	–	–	–
31 मार्च, 2022 को इतिशेष	464.66	2,368.52	2,833.18
वर्ष के दौरान जोड़/समायोजन	–	–	–
वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन	–	–	–
31 मार्च, 2023 को इतिशेष	464.66	2,368.52	2,833.18
परिशोधन और हानि			
1 अप्रैल, 2021 को अथशेष	–	99.62	99.62
वर्ष के दौरान परिशोधन	–	37.61	37.61
वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन	–	–	–
31 मार्च, 2022 को इतिशेष	–	137.23	137.23
वर्ष के दौरान परिशोधन		37.56	37.56
वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन			
31 मार्च, 2023 को इतिशेष	–	174.79	174.79
शुद्ध वहन वेल्यू			
31 मार्च, 2023 को	464.66	2,193.73	2,658.39
31 मार्च, 2022 को	464.66	2,231.29	2,695.95
01 अप्रैल, 2021 को	464.66	2,268.90	2,733.56

नोट:–5.1 31 मार्च, 2023 को निवेश संपत्ति का उचित मूल्य 8173.00 लाख रूपये है, जिसका मूल्यांकन एक मौजूदा बाजार दरों के अपनाने के द्वारा भूमि और भवन विधि के आधार पर पंजीकृत मूल्यांकक द्वारा कंपनी (पंजीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन) नियम, 2017 के नियम 2 के तहत किया गया हैं।

5.2 अन्य प्रकटन

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31, मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31, मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
लाभ और हानि के विवरण में निवेश संपत्तियों के लिए मान्यता प्राप्त राशियाँ		
– किराए से आय	235.00	234.98
संपत्ति का प्रत्यक्ष परिचालन खर्च जिससे किराये से आय प्राप्त हुई	17.44	19.86
संपत्ति का प्रत्यक्ष परिचालन खर्च जिससे किराये से आय प्राप्त नहीं हुई	–	–
मूल्यह्रास से पहले निवेश संपत्तियों से प्राप्त हुई आय	217.56	215.12
मूल्यह्रास और परिशोधन	37.56	37.61
निवेश संपत्तियों से आय (शुद्ध)	**180.00**	**177.51**

टिप्पणी 5 ए अन्य अमूर्त संपत्ति

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	सॉफ्टवेयर	लाइसेंस	कुल
1 अप्रैल, 2021 को अथशेष	3,803.88	1,445.07	5,248.95
वर्ष के दौरान जोड़	38.88	–	38.88
वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन	2,588.86	1,374.55	3,963.41
31 मार्च, 2022 को इतिशेष	1,253.90	70.52	1,324.42
वर्ष के दौरान जोड़	7.44	–	7.44
वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन	–	–	–
31 मार्च, 2023 को इतिशेष	**1,261.34**	**70.52**	**1,331.86**
परिशोधन और हानि			
1 अप्रैल, 2021 को अथशेष	3,159.74	1,419.96	4,579.70
वर्ष के दौरान परिशोधन	158.77	12.90	171.67
वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन	-2,588.86	-1,374.55	-3,963.41
31 मार्च, 2022 को इतिशेष	**729.65**	**58.31**	**787.96**
वर्ष के दौरान परिशोधन	258.45	12.20	270.65
वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन			–
31 मार्च, 2023 को इतिशेष	**988.10**	**70.51**	**1,058.61**
शुद्ध वहन वेल्यू			
31 मार्च, 2023 को	**273.24**	**0.01**	**273.25**
31 मार्च, 2022 को	**524.25**	**12.21**	**536.46**
01 अप्रैल, 2021 को	**644.14**	**25.11**	**669.25**

***टिप्पणी:** पिछले वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन उन सॉफ्टवेयरों और लाइसेंसों को दर्शाता है जो निरर्थक थे, जिनका कार्यकाल समाप्त हो गया था और वर्तमान में उपयोग में नहीं हैं।

नोट 5ख परिसंपत्ति के प्रयोग का अधिकार

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	भूमि	भवन	वाहन	कुल
01 अप्रैल 2021 को अथशेष	**4,140.46**	**3,613.28**	**3,784.58**	**11,538.32**
वर्ष के दौरान जोड़ी गई	174.93	1,674.05	2,310.17	4,159.15
वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन	347.41	–	–	347.41
31 मार्च 2022 को इतिशेष	**3,967.98**	**5,287.33**	**6,094.75**	**15,350.06**
वर्ष के दौरान जोड़ी गई	40.32	2,976.48	3,736.72	6,753.52
वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन	584.43	736.78	3,107.84	4,429.05
31 मार्च 2023 को इतिशेष	**3,423.87**	**7,527.03**	**6,723.63**	**17,674.53**
मूल्यह्रास और हानि				
1 अप्रैल 2021 को अथशेष	**387.67**	**1,228.75**	**1,897.34**	**3,513.75**
वर्ष के दौरान मूल्यह्रास प्रभार	191.29	790.14	1,196.67	2,178.10
वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन	–	–	–	–
वर्ष के दौरान हानि	–	–	-122.97	-122.97
31 मार्च 2022 को इतिशेष	**578.96**	**2,018.89**	**2,971.04**	**5,568.88**
वर्ष के दौरान मूल्यह्रास प्रभार	136.77	913.63	1,262.39	2,312.79
वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन	–	–	–	–
वर्ष के दौरान रिवर्स हानि क्षति (नोट सं 46 देखें)	–	–	–	–

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	भूमि	भवन	वाहन	कुल
31 मार्च 2023 को इतिशेष	715.73	2,932.52	4,233.43	7,881.67
शुद्ध वहन वेल्यू				
31 मार्च, 2023 को	2,708.14	4,594.51	2,490.20	9,792.86
31 मार्च, 2022 को	3,389.02	3,268.44	3,123.71	9,781.18
01 अप्रैल, 2021 को	3,752.79	2,384.53	1,887.24	8,024.57

* नोट:- भवन में रेलवे भूमि पर निर्मित आवासीय फ्लैट शामिल हैं जो 30 वर्ष की अवधि के लिए लीज़ पर हैं और उस अवधि में उनका मूल्यह्रास किया गया है।

नोट:– 6 वित्तीय परिसंपत्तियां– गैर चाल

नोट:– 6.1 गैर–वर्तमान निवेश

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
संयुक्त उद्यम के इक्विटी उपकरणों में निवेश		
रॉयल इण्डियन रेल टूर्स लिमिटेड के प्रत्येक 10 रूपये के 25 लाख इक्विटी शेयर	250.00	250.00
घटाएं: निवेश के मूल्य में हानि	(250.00)	(250.00)
कुल निवेश	–	–

नोट:– 6.1 क कुल गैर वर्तमान निवेश

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
कोट न किए गए निवेशों की सकल राशि	250.00	250.00
निवेश मूल्य में हानि की सकल राशि	(250.00)	(250.00)
निवेश का कुल उचित मूल्य	–	–

नोट 37.2 (ii), 44.4 और 45 देखें

नोट:– 6.2 अन्य गैर वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
क) सावधि जमा जो बैंक गारंटी के एवज में मार्जिन मुद्रा के रूप में ली गई	8.66	8.06
असुरक्षित, समझी गई वस्तुएं		
ख) सुरक्षा जमा	2.65	26.30
कुल	11.31	34.36

नोट:– 7 आस्थगित कर

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
क. आस्थगित कर देयताएं		
सम्पत्ति, संयत्र एवं उपकरण	302.06	566.65
आस्थगित कर देयताओं का योग	302.06	566.65
ख आस्थगित कर परिसंपत्तियां		
कर्मचारी लाभ	3,298.60	1,553.80
सम्पत्ति, संयत्र एवं उपकरण	–	–
संदिग्ध कर्ज	3,504.86	2,794.04
संवैधानिक देयताएं (धारा 43बी के अन्तर्गत)	4,854.89	4,034.77
निवेश	62.93	62.93
लीज़ देयता (आरओयु का शुद्ध)	219.63	303.16
आस्थगित राजस्व	919.95	762.17
दावों/हानि के लिए प्रावधान	496.16	529.00
आस्थगित कर परिसम्पत्तियों का योग	13,357.02	10,039.87
शुद्ध आस्थगित कर परिसम्पत्तियों	13,054.96	9,473.22

आस्थगित कर परिसंपत्ति/(देयता) का संचलन

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	कर्मचारी लाभ	संदिग्ध कर्ज	संवैधानिक देयताएं (धारा 43बी के अन्तर्गत)	निवेश	लीज़ देयता (आरओयु का शुद्ध)	आस्थगित राजस्व	दावों/हानि के लिए प्रावधान	कुल
1 अप्रैल 2021 को अथशेष (नोट सं 52 और 84 देखें)	(571.32)	1,931.84	2,547.13	2,725.67	62.93	(241.07)	582.39	102.06	7,139.62
वर्ष के दौरान प्रभारित/(क्रेडिट) (नोट सं 52 और 84 देखें)									
लाभ एवं हानि के लिए	4.67	(230.71)	246.91	1,309.10	–	544.23	179.78	426.94	2,480.92
अन्य व्यापक आय के लिए	–	(147.33)	–	–	–	–	–		(147.33)
31 मार्च 2022 को इतिशेष	(566.65)	1,553.80	2,794.04	4,034.77	62.93	303.16	762.17	529.00	9,473.22
वर्ष के दौरान प्रभारित/(जमा)									
लाभ एवं हानि के लिए	264.59	1,819.12	710.82	820.12	–	(83.53)	157.78	(32.84)	3,656.06
अन्य व्यापक आय के लिए	–	(74.32)	–	–	–	–	–		(74.32)
31 मार्च 2023 को इतिशेष	(302.06)	3,298.60	3,504.86	4,854.89	62.93	219.63	919.95	496.16	13,054.96

नोट:– 8 अन्य गैर–वर्तमान परिसंपत्तियां

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2021 को
क) पूंजीगत अग्रिम		
फ्लैट निर्माण के लिए भारतीय रेलवे को अग्रिम पूंजी	635.98	571.43
फ्लैट निर्माण के लिए रेल विकास निगम लिमिटेड को अग्रिम पूंजी	–	1,374.00
एयर इंडिया से फ्लैट की खरीद के लिए अग्रिम पूंजी	90.32	463.93
लखनऊ में भूमि (II) की खरीद के लिए अग्रिम पूंजी	–	2,070.01
नई दिल्ली में कार्यालय स्थान की खरीद के लिए पूंजीगत अग्रिम	20,851.84	–
भारत गौरव ट्रेनों के लिए रसोई उपकरणों के लिए पूंजीगत अग्रिम	8.98	–
ख) अन्य		
सरकारी प्राधिकारियों के पास जमा	485.18	467.24
प्रतिभूति जमा पर उचित मूल्य समायोजन*	0.23	0.18
कुल	**22,072.53**	**4,946.79**

नोट :– 9 वस्तुसूची (जैसाकि लिया गया, मूल्य और प्रबंधन द्वारा प्रमाणित)

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
कच्चा माल	500.56	464.88
तैयार माल	449.56	310.58
व्यापारिक माल–पैक्ड (पीडी) मदें	10.83	17.33
लागत के निचले स्तर पर कुल सूची और शुद्ध वसूली मूल्य	**960.95**	**792.79**

नोट:– 10 वित्तीय परिसंपत्तियां

नोट :– 10.1 व्यापार प्राप्तियां

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
उचित समझा – सुरक्षित	–	–
उचित समझा – असुरक्षित (अग्रिम का शुद्ध)	1,12,348.49	53,254.47
व्यापार प्राप्तियां जिसमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	1,524.06	4,777.15
व्यापार प्राप्तियां क्रेडिट असामान्य	14,343.61	10,221.03
घटाए: संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	(13,924.76)	(11,100.68)
कुल व्यापार प्राप्तियां	**1,14,291.40**	**57,151.97**

नोट 63 देखें

नोट 10.2 : नकद और नकद समकक्ष

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
हाथ में पैसा	10.39	36.14
चेक/ड्राफ्ट हस्ते	–	–
बैंकों के अधिशेष:		
– वर्तमान खाते में	38,449.02	36,667.91
– फ्लेक्सी वर्तमान खाते में	4,425.11	116.33
कुल	**42,884.52**	**36,820.38**

नोट :– 10.3 : नकद और नकद समकक्ष के अतिरिक्त बैंक अधिशेष

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
– 3 महीने से अधिक की मूल परिपक्वता के साथ जमा लेकिन 12 महीने से कम (नोट सं 53 देखें)	1,49,936.20	1,36,162.21
– अनुसूचित बैंक के साथ प्रतिबंधित शेष		
अदत्त लाभांश खाते	46.20	16.69
सीएसआर अव्ययित खाते	53.60	–
3 महीने से अधिक की मूल परिपक्वता के साथ जमा लेकिन 12 महीने से कम (नोट 10.3.1 देखें)	3.84	3.75
– तीन महीने से अधिक की मूल परिपक्वता वाली जमा राशि, लेकिन प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश, पटियाला हाउस कोर्ट, नई दिल्ली के पक्ष में जारी बैलेंस शीट की तारीख से बारह महीने के भीतर परिपक्वता के लिए देय है।	19.66	–
– तीन महीने से अधिक की परिपक्वता वाली जमा राशि, लेकिन आईडीबीआई बैंक-ईपीआर फंड के पक्ष में जारी बैलेंस शीट की तारीख से बारह महीने के भीतर परिपक्वता के लिए देय है	297.67	
बैंक गारंटी के लिए मार्जिन मनी	131.45	153.85
कुल	**1,50,488.62**	**1,36,336.50**

नोट 10.3.1: ₹3.75 लाख की सावधि जमा मदिरा लाइसेंस के लिए जिला आबकारी कार्यालय गाजियाबाद के पक्ष में ग्रहणाधिकार के रूप में चिह्नित टीडीआर का प्रतिनिधित्व करता है।

नोट 10.3.2: सीएसआर के अव्ययित खाते में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए ₹51.48 लाख और वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए ₹2.12 लाख शामिल हैं।

नोट:– 10.4 अन्य वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तिया

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
उपार्जित ब्याज लेकिन सावधि और फिक्स जमा पर देय नहीं	4,856.88	3,121.42
असुरक्षित, उचित समझा गया		
प्रतिभूति जमा	1182.97	1078.36

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
संपत्ति की प्रतिपूर्ति का अधिकार		
भारतीय जीवन बीमा निगम की ओर से नई समूह अवकाश नकदीकरण योजना	5257.44	4916.24
अन्य प्राप्तियां	9,584.20	6,104.91
कुल	**20,881.49**	**15,220.93**

नोट:– 11 प्रचलित कर परिसंपत्तियां

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
आयकर वापसी	5,836.75	4,073.74
कर एवं टीडीएस के लिए अग्रिम (31 मार्च, 2023 को ₹37322.40 लाख और 31 मार्च, 2022 को ₹23802.31 लाख आयकर के लिए शुद्ध प्रावधान)	5,053.31	2,386.20
कुल	**10,890.06**	**6,459.94**

नोट:– 12 अन्य प्रचलित परिसंपत्तियां

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
पूंजीगत अग्रिम के अलावा अन्य अग्रिम		
अन्य अग्रिम	5,365.53	3,519.29
घटाए: संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	(149.03)	(82.50)
सरकारी प्राधिकारी के पास अधिशेष	6,023.49	3,454.19
रेलवे के पास अन्य जमा	79,406.60	77,277.06
अन्य		
प्रदत्त व्यय	4,218.35	844.17
प्रतिभूति जमा पर उचित मूल्य समायोजन*	2.87	1.40
कुल	**94,867.81**	**85,013.61**

* यह प्रारंभिक मान्यता और व्यय की गई वित्तीय परिसम्पत्तियों के उचित मूल्य के बीच अंतर के अपरिवर्तित हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है।

नोट :– 13 इक्विटी शेयर पूंजी

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
प्राधिकृत शेयर पूंजी		
2 रुपये प्रत्येक के 12500 लाख इक्विटी शेयर	25,000.00	25,000.00
(31 मार्च 2022 को– प्रत्येक ₹ 10 के दर से 2500 लाख इक्विटी शेयर)	**25,000.00**	**25,000.00**
अधिकृत शेयर पूंजी		
2 रुपये प्रत्येक के 12500 लाख इक्विटी शेयर		
(31 मार्च 2022 तक – 2 रुपये प्रति मूल्य के 12500 लाख इक्विटी शेयर)		
जारी/सब्स्क्राइब्ड और प्रदत्त पूंजी		
प्रत्येक 2 के 8000 लाख इक्विटी शेयर		
(31 मार्च 2021 को– प्रत्येक क 10 के दर से 1600 लाख इक्विटी शेयर)		
जारी/अभिदत्त और प्रदत्त पूंजी		
2 रुपये मूल्य के 8000 लाख इक्विटी शेयर	16,000.00	16,000.00
(31 मार्च 2022 तक – 2 रुपये प्रति मूल्य के 8000 लाख इक्विटी शेयर)		
	16,000.00	**16,000.00**

नोट:– 13.1 इक्विटी शेयरों की संख्या और शेयर पूंजी का समाधान

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को		31 मार्च 2021 को	
	शेयर की संख्या लाखो में	राशि (लाख ₹ में)	शेयर की संख्या लाखो में	राशि (लाख ₹ में)
जारी/सब्स्क्राइब्ड और प्रदत्त इक्विटी पूंजी वर्ष के प्रारम्भ में बकाया	8,000.00	16,000.00	1,600.00	16,000.00
जोड़ें: वर्ष के दौरान जारी किए गए शेयर	–	–	–	–
शेयरों के विभाजन पर समाप्त हुए शेयर (नीचे नोट देखें)	–		-1,600.00	
प्रत्येक ₹ 2/– रूपये के दर से 8000 लाख इक्विटी शेयर विभाजन पर वर्ष के दौरान जारी किए गए (नीचे नोट देखें)	–		8,000.00	–
जारी/सब्स्क्राइब्ड और प्रदत्त इक्विटी पूंजी वर्ष के अंत में बकाया (नीचे नोट देखें)	**8,000.00**	**16,000.00**	8,000.00	16,000.00

नोट: वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, प्रत्येक ₹ 10/– रुपये के अंकित मूल्य का एक इक्विटी शेयर पूर्ण प्रदत्त प्रत्येक ₹ 2/– रुपये के 5 इक्विटी शेयरों में विभाजित किया गया था।

नोट 13.2:– शेयरों से सम्बंधित अधिकार, अधिमान और प्रतिबंध

कंपनी के पास एक श्रेणी का इक्विटी शेयर जिसका सम मूल्य प्रतिशयर ₹ 2 है (31 मार्च, 2021 को प्रत्येक ₹ 10/– रुपये)। प्रत्येक शेयरधारक को प्रति शेयर के लिए एक मतदान का अधिकार है। अंतरिम लाभांश को छोड़कर, निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तावित लाभांश पर अनुमोदन आगामी वार्षिक आम सभा की बैठक में लिया जाना हैं। कंपनी के पास कोई वरीयता शेयर नहीं है, अतः लिक्विडेशन की स्थिति में, इक्विटी शेयरधारक कंपनी की शेष परिसंपत्ति प्राप्त करने के पात्र हैं।

नोट:– 13.3 कंपनी में कुल शेयरों के 5% से अधिक रखने वाले शेयरधारकों द्वारा धारित शेयरों का विवरण

शेयरधारक का नाम	31 मार्च 2023 को		31 मार्च 2022 को	
	शेयरों की सं लाख में	राशि (लाख ₹ में)	शेयरों की सं लाख में	राशि (लाख ₹ में)
इक्विटी शेयर				
भारत के राष्ट्रपति ने रेल मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से प्रतिनिधित्व किया	4,992.00	62.40%	5,392.00	67.40%
कुल	**4,992.00**	**62.40%**	5,392.00	67.40%

नोट 13.4 प्रवर्तकों की शेयरधारिता

प्रमोटर का नाम	वर्ष (2022–23) के अंत में प्रवर्तकों द्वारा धारित शेयर		
	शेयरों की संख्या प्रत्येक ₹ 2/– रुपये	कुल शेयरों का%	% वर्ष के दौरान बदलाव
भारत के राष्ट्रपति ने भारत सरकार के रेलवे मंत्रालय के माध्यम से प्रतिनिधित्व किया	4,992.00	62.40%	वर्ष 2022–23 के दौरान, ''ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) के माध्यम से कंपनी में भुगतान की गई इक्विटी पूंजी के 5% तक के विनिवेश के परिणामस्वरूप, आईआरसीटीसी में भारत के राष्ट्रपति की हिस्सेदारी 67.40% से कम होकर 62.40% हो गई है।
कुल	**4,992.00**	**62.40%**	

प्रमोटर का नाम	वर्ष (2022–23) के अंत में प्रवर्तकों द्वारा धारित शेयर		
	शेयरों की संख्या प्रत्येक ₹ 2/– रुपये	कुल शेयरों का%	% वर्ष के दौरान बदलाव
भारत के राष्ट्रपति ने भारत सरकार के रेलवे मंत्रालय के माध्यम से प्रतिनिधित्व किया	5,392.00	67.40%	वर्ष 2021–22 के दौरान, कंपनी के शेयरों के विभाजन के परिणामस्वरूप, 10 रुपये अंकित मूल्य के एक (01) शेयर को 2/– रुपये अंकित मूल्य के पांच (5) इक्विटी शेयरों में विभाजित किया गया था। हालाँकि, 31 मार्च, 2022 तक कंपनी की शेयर पूंजी में कोई प्रतिशत परिवर्तन नहीं हुआ।
कुल	5,392.00	67.40%	

नोट :– 13.5 रिपोर्टिंग तिथि से तत्काल बाद से पांच वर्षों की अवधि के दौरान पूरी तरह बोनस के माध्यम से भुगतान के रूप में जारी इक्विटी शेयरों की कुल संख्या

विवरण	31 मार्च 2023 को संख्या लाखो में	31 मार्च 2022 को संख्या लाखो में	31 मार्च 2021 को संख्या लाखो में	31 मार्च 2020 को संख्या लाखो में	31 मार्च 2019 को संख्या लाखो में
बोनस के रूप में जारी किए गए इक्विटी शेयर	–	–	–	–	1,200.00
कुल	**–**	**–**	**–**	**–**	**1,200.00**

नोट : – 14 अन्य इक्विटी

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
सामान्य रिजर्व	59,491.70	55,991.70
प्रतिधारित कमाई	1,72,348.71	1,15,039.66
कुल	**2,31,840.41**	**1,71,031.36**

नोट:– 14.1 सामान्य रिजर्व

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
अथशेष	55,991.70	52,491.70
जोड़ें: प्रतिधारित आय से अंतरण	3,500.00	3,500.00
इतिशेष	**59,491.70**	**55,991.70**

नोट :– 14.2 प्रतिधारित आय

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2021 तक
अथशेष	1,15,039.66	77,089.44
जोड़ें: पूर्व अवधि समायोजन और लेखांकन नीति में परिवर्तन के कारण प्रभाव (नोट 52 और 84 देखें)	–	(943.07)
जोड़ें: लाभ और हानि के विवरण से हस्तांतरित अवधि के दौरान लाभ	1,00,588.11	65,955.29
आयकर के परिभाषित लाभ दायित्व के पुनर्माप से उत्पन्न होने वाली अन्य व्यापक आय	220.94	438.00
इक्विटी शेयरों पर अंतिम लाभांश का भुगतान	(12,000.00)	(8,000.00)
इक्विटी शेयरों पर अंतरिम लाभांश का भुगतान	(28,000.00)	(16,000.00)
सामान्य रिजर्व में अंतरण	(3,500.00)	(3,500.00)
इतिशेष	**1,72,348.71**	**1,15,039.66**

प्रस्तावित और वितरित किया गया

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
इक्विटी शेयरों पर घोषित और भुगतान किए गए नकद लाभांश		
वर्ष के दौरान भुगतान किया गया अंतिम लाभांश : 2/– रुपये अंकित मूल्य वाले प्रत्येक शेयर पर 1.50 रुपये (पिछला वर्ष: 10/– रुपये अंकित मूल्य पर प्रति शेयर 5.00 रुपये)	12,000.00	8,000.00
वर्ष के दौरान 2 रुपये अंकित मूल्य के प्रत्येक शेयर पर 3.50 रुपये अंतरिम लाभांश का भुगतान किया गया (31 मार्च, 2022 – 2 रुपये अंकित मूल्य पर 2.00 रुपये प्रति शेयर)	28,000.00	16,000.00
	40,000.00	**24,000.00**
इक्विटी शेयरों पर प्रस्तावित लाभांश*		
अवधि के लिए प्रस्तावित लाभांश: प्रत्येक शेयर का अंकित मूल्य 2/– रुपये है (31 मार्च, 2022 – 2 रुपये अंकित मूल्य पर 1.50 रुपये प्रति शेयर)	16,000.00	12,000.00
	16,000.00	**12,000.00**

* इक्विटी शेयरों पर प्रस्तावित लाभांश वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों द्वारा अनुमोदन के अधीन है और इसे 31 मार्च 2023 तक देयता के रूप में मान्यता नहीं दी गई है।

नोट 15 :– वित्तीय देयताएं– गैर चालू

नोट 15.1 :– अन्य

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
प्रतिभूति	3,743.64	2,218.90
कुल	**3,743.64**	**2,218.90**

नोट:– 16 प्रावधान– गैर चालू

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान		
सेवानिवृत्ति लाभ (नोट 20, 37.1 और 42 देखें)	10,544.37	10,330.66
कुल	**10,544.37**	**10,330.66**

नोट :– 17 अन्य गैर वर्तमान देयताएं

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
आस्थगित अनुदान	83.84	128.00
प्रतिभूति राशि का आस्थगित भाग*	1,474.81	545.86
प्राप्त अग्रिम	107.16	21.53
कुल	**1,665.81**	**695.39**

* यह प्रारंभिक मान्यता पर वित्तीय दायित्व के उचित मूल्य और किए गए व्यय के बीच अंतर के अपरिवर्तित हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। (नोट संख्या 61 (iii)(सी)देखें)

नोट:– 18 वित्तीय देयताएं– चालू

नोट :– 18.1 व्यापार देय

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
(ए) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि	2483.31	890.13
(बी) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा लेनदारों की कुल बकाया राशि		
वस्तुओं हेतु	2,030.18	1,418.49
सेवाओं हेतु (अग्रिम का शुद्ध)*	80,701.98	66,780.31
कुल	**85,215.47**	**69,088.93**

*यह व्यापार के नियमित क्रम के दौरान किए गए अग्रिम भुगतानों का शुद्ध है

एमएसएमई अधिनियम के तहत आवश्यकता के अनुसार प्रकटीकरण:–

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
1. प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में किसी भी आपूर्तिकर्ता को भुगतान न की गई मूल राशि और उस पर देय ब्याज:		
सूक्ष्म और लघु उद्यमों को देय मूल राशि	2483.31	890.13
उपरोक्त पर देय ब्याज*	-	-
2. एमएसएमईडी अधिनियम 2006 की धारा 16 के अनुसार खरीदार द्वारा भुगतान की गई ब्याज की राशि के साथ-साथ प्रत्येक लेखा वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि	-	-
3. एमएसएमईडी अधिनियम 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज को (जिसका भुगतान किया गया है लेकिन वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद) जोड़े बिना भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए देय और देय ब्याज की राशि	-	-
4. प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में अर्जित और शेष बकाया राशि पर ब्याज की राशि	-	-
5. सफल वर्षों में जब तक कि उस तिथि तक ब्याज की बकाया राशि वास्तव में लघु उद्यम को एमएसएमईडी अधिनियम 2006 की धारा 23 के तहत कटौती योग्य व्यय के रूप में देय और देय राशि की भी अधिक राशि भुगतान करने के लिए भुगतान की जाती है।	-	-

31 मार्च 2023 को व्यापार प्राप्ति एजिंग अनुसूची

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया				कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(i) एमएसएमई	2,447.98	-	-	-	2,447.98
(ii) अन्य	43,625.10	8,529.80	4,250.91	18,604.74	75,010.55
(iii) विवादित देय राशि - एमएसएमई	30.73	-	3.97	0.63	35.33
(iv) विवादित बकाया - अन्य	3.00	-	0.02	73.16	76.18
(v) बिना बिल किया हुआ	771.04	112.64	9.64	6,752.11	7,645.43
कुल	**46,877.85**	**8,642.44**	**4,264.54**	**25,430.64**	**85,215.47**

31 मार्च 2022 को व्यापार प्राप्ति एजिंग अनुसूची

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया				कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(i) एमएसएमई	787.70	17.32	19.94	19.24	844.20
(ii) अन्य	28,680.48	5,450.54	6,380.25	19,010.77	59,522.04
(iii) विवादित देय राशि - एमएसएमई	45.93	-	-	-	45.93
(iv) विवादित बकाया - अन्य	337.07	-	-	-	337.07
(v) बिना बिल किया हुआ	407.96	181.02	490.60	6,031.20	7,110.78
कुल	**30,259.14**	**5,648.88**	**6,890.79**	**25,061.21**	**67,860.02**

नोट :- 18.2 अन्य वित्तीय देयताएं

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
प्रतिभूति जमा	9,847.23	9,746.94
बयाना राशि जमा	5,598.68	4,343.47
इंटरनेट टिकटिंग के लिए वापसी योग्य	8,853.35	6,822.62
अन्य के प्रति देय के लिए -व्यय का प्रावधान	7,309.26	7,245.28
लीज किराया अग्रिम	1,741.50	1,741.50
अग्रिम वापसी योग्य (राज्य तीर्थ)	2,106.21	2,106.21
बकाया लाभांश	46.20	16.69
कुल	**35,502.43**	**32,022.71**

नोट :- 19 अन्य वर्तमान देयताएं

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
a) अनुबंध देयता		
असमाप्त रियायत शुल्क	172.66	0.43
असमाप्त उपयोगकर्ता शुल्क	7.38	43.19
असमाप्त लाइसेंस शुल्क	30,609.92	14,598.70
अग्रिम प्राप्त	10,162.37	7,439.36
	40,952.33	**22,081.68**
b) अन्य		
रोलिंग जमा	50,620.67	34,397.60
वैट के लिए प्रावधान (सेवा कर का शुद्ध) (नोट संख्या 37.2 (iii) देखें)	8,251.01	8,251.01
सेवा कर के लिए प्रावधान	2,578.03	2,578.03
प्रतिभूति राशि का आस्थगित भाग*	1,072.31	139.15
वैधानिक बकाया	9,671.22	6,197.94
आस्थगित अनुदान	44.16	44.16
कुल	**1,13,189.73**	**73,689.57**

*यह आरंभिक मान्यता और किए गए व्यय पर वित्तीय देयता के उचित मूल्य के बीच अंतर के अपरिशोधित हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। (नोट संख्या 61 (iii)(सी)देखें)

नोट:– 20 प्रावधान– चालू

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान (नोट 16, 37.1 और 42 देखें)	786.58	737.86
दावों और नुकसानों के लिए प्रावधान (नोट 37.1 देखें)	1,971.22	2,101.72
कुल	**2,757.80**	**2,839.58**

नोट :– 21 वर्तमान कर देयता

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
आयकर के लिए प्रावधान	–	–
आयकर, अग्रिम कर का शुद्ध और टीडीएस का प्रावधान	**–**	**–**

नोट:– 22 संचालन से राजस्व

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
A. उत्पादों की बिक्री		
रेलनीर (पैकेज्ड पेयजल)	29,503.21	16,880.22
खानपान		
– खाद्य और पेय पदार्थों की बिक्री	2,099.23	2,540.24
गैर-रेलवे व्यवसाय		
– खानपान से आय	670.64	436.73
	32,273.08	**19,857.19**
कुल-उत्पाद की बिक्री	**32,273.08**	**19,857.19**
B. सेवाओं की बिक्री		
i) इंटरनेट टिकटिंग		
अर्जित सेवा शुल्क-आईआर टिकट	25.78	1.97
सुविधा शुल्क	80,196.71	69,407.48
लाइसेंस शुल्क-कॉल सेंटर से आय	21.01	16.74
विज्ञापन/एसबीआई को-ब्रांडेड कार्ड और लॉयल्टी कार्ड से आय	15,294.71	13,023.78
आईएटीए/आरटीएसए/इंटरनेट कैफे आदि के शुल्क से आय।	24,265.21	19,550.25
(ए)	**1,19,803.42**	**1,02,000.22**
ii) खानपान सेवाओं से आय		
ऑन बोर्ड कैटरिंग और अन्य सेवाओं प्रदान करने से कैटरिंग और व्यापक सेवाओं से अर्जित आय- राजधानी/शताब्दी/प्रीमियम/श्रमिक स्पेशल ट्रैन/आइसोलेशन कोच	80,002.88	13,403.50
रियायत शुल्क, लाइसेंस शुल्क आदि से आय		
रियायत शुल्क से आय	2,349.91	248.82
लाइसेंस शुल्क से आय	55,170.67	30,742.67
उपयोगकर्ता शुल्क-फूड प्लाजा से आय	7.08	2.87
लाइसेंस शुल्क-फूड प्लाजा से आय	7,348.25	2,445.88
(बी)	**1,44,878.79**	**46,843.74**
iii) पर्यटन और ट्रैन संचालन		
पर्यटन और ट्रैन संचालन	35,131.95	15,093.64
राज्य तीर्थ से आय	15,377.83	3,031.37
उपयोगकर्ता शुल्क-रेल यात्री निवास से आय	118.30	165.57
लाइसेंस शुल्क-रेल यात्री निवास से आय	432.71	214.08
महाराजा एक्सप्रेस-राजस्व	5,537.63	283.96
(सी)	**56,598.42**	**18,788.62**

राशि (लाख ₹ में)

विवरण		31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
iv) रेलनीर			
लाइसेंस शुल्क - रेलनीर (नोट संख्या 56 (ए) देखें)		522.70	334.25
	(डी)	522.70	334.25
सेवाओं की कुल-बिक्री	(ए+बी+ सी+ डी)	3,21,803.33	1,67,966.83
C. अन्य परिचालन राजस्व			
स्क्रैप बिक्री-रेल नीर		70.88	16.12
स्क्रैप बिक्री-खानपान		-	17.30
		70.88	33.42
		70.88	33.42
परिचालन से राजस्व (सकल)		3,54,147.29	1,87,857.44

नोट :- 23 अन्य आय

राशि (लाख ₹ में)

विवरण		31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
ब्याज आय			
एफडीआर और टीडीआर पर ब्याज आय (सकल)		7,782.49	4,778.62
ब्याज आय - अन्य		351.15	308.38
म्युचुअल फंड से लाभांश आय		205.20	335.96
	(a)	8,338.84	5,422.96
अन्य गैर-परिचालन आय			
काउंटरमांडिंग शुल्क और जमा प्रतिभूति जब्त		49.40	72.92
अनुबंधों की जब्ती पर अर्जित आय		167.51	110.97
निविदा प्रपत्रों की बिक्री		3.25	2.59
विदेशी मुद्रा के उतार-चढ़ाव पर लाभ		15.93	-
पूंजीगत अनुदान का परिशोधन		44.00	44.16
आस्थगित प्रतिभूति के परिशोधन से आय- देयता		955.91	182.00
प्रतिभूति जमा पर छूट हटाने से ब्याज आय		3.05	1.06
संविदात्मक जुर्माना और दंड से प्राप्त आय		1,553.47	902.65
सर्वड फ्रॉम इंडिया स्कीम के तहत ड्यूटी क्रेडिट लाइसेंस से आय		-	158.09
निवेश संपत्ति पर किराये की आय		235.00	234.98
विविध आय		676.69	458.00
	(b)	3,704.21	2,167.42
कुल		12,043.05	7,590.38

नोट संख्या 61 (ii) (सी) देखें

नोट:- 24 उपयोग की गई सामग्री की लागत

राशि (लाख ₹ में)

विवरण		31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
रेलनीर (पैकेज्ड पेयजल)			
ओपनिंग स्टॉक		453.85	350.45
जोड़ें: खरीद और व्यय		7,095.34	4,004.39
		7,549.19	4,354.84
घटाएं: क्लोजिंग स्टॉक		484.68	453.85
	(a)	7,064.51	3,900.99

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
विभागीय खानपान		
ओपनिंग स्टॉक	11.03	16.81
जोड़ें: खरीद और व्यय	507.72	106.04
	518.75	122.85
घटाएं: क्लोजिंग स्टॉक	15.88	11.03
(b)	502.87	111.82
कुल (a+b)	7,567.38	4,012.81

नोट :– 25 स्टॉक–इन–ट्रेड की खरीद

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
पुनर्विक्रय के लिए पीडी/पके हुए खाद्य पदार्थों की खरीद	1,913.82	1,723.94
खरीद – गैर–रेलवे खानपान	270.33	230.93
खरीद – रेलनीर (पीपीपी)	9,884.43	4,624.76
	12,068.58	6,579.63
कुल	12,068.58	6,579.63

नोट:– 26 तैयार सामान की सूची में बदलाव, कार्य प्रगति और व्यापार के लिए स्टॉक

रेलनीर (पैकेज्ड पेयजल)

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
ओपनिंग स्टॉक		
तैयार माल	310.58	266.68
	310.58	266.68
क्लोजिंग स्टॉक		
तैयार माल	449.56	310.58
	449.56	310.58
(वृद्धि)/ कमी	(138.98)	(43.90)
विभागीय खानपान		
ओपनिंग स्टॉक		
तैयार माल	0.07	0.07
पीडी वस्तुएं	3.33	3.63
	3.40	3.70
क्लोजिंग स्टॉक		
तैयार माल	–	0.07
पीडी वस्तुएं	2.09	3.33
	2.09	3.40
	1.31	0.30
(वृद्धि)/ कमी		
लग्जरी टूरिस्ट ट्रेनें		
ओपनिंग स्टॉक		
तैयार माल	13.93	16.40
घटाएं: आबकारी अधिकारियों द्वारा अधिग्रहीत स्टॉक की हानि	–	1.71
शुद्ध ओपनिंग स्टॉक	13.93	14.69
क्लोजिंग स्टॉक		
तैयार माल	8.74	13.93

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
(वृद्धि)/ कमी	5.19	0.76
तैयार माल में (वृद्धि)/कमी	(132.48)	(42.84)

नोट :– 27 लाइसेंसधारी खानपान सेवाओं के व्यय

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रदान की जाने वाली खानपान और व्यापक सेवाओं का व्यय		
ऑन बोर्ड खानपान और अन्य शुल्क – राजधानी और शताब्दी/प्रीमियम/श्रमिक स्पेशल ट्रैन/आइसोलेशन कोच	79,033.62	13,663.37
	79,033.62	13,663.37
रियायत शुल्क, लाइसेंस शुल्क आदि का व्यय	939.96	99.55
रियायत शुल्क	24,303.29	13,563.02
लाइसेंस शुल्क	2.83	1.15
उपयोगकर्ता शुल्क – फूड प्लाजा	2,939.30	978.35
लाइसेंस शुल्क – फूड प्लाजा	70.98	28.88
अन्य प्रत्यक्ष व्यय	28,256.36	14,670.95
	1,07,289.98	28,334.32

नोट :– 28 पर्यटन और ट्रैन संचालन का व्यय

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
पर्यटन और ट्रैन संचालन	25,752.18	12,538.09
राज्य तीर्थ का व्यय	12,238.26	2,513.46
लाइसेंस शुल्क – रेल यात्री निवास	173.09	85.63
उपयोगकर्ता शुल्क – रेल यात्री निवास	47.32	66.23
रखरखाव और अन्य शुल्क	1,558.75	740.82
लग्जरी टूरिस्ट ट्रैनों का खर्च	4,465.83	628.75
	44,235.43	16,572.98
	44,235.43	16,572.98

नोट :– 29 विनिर्माण और प्रत्यक्ष व्यय

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
रेल नीर (पैकेज्ड पेयजल)		
– संचालन और रखरखाव शुल्क	1,610.80	1,136.36
– लाइसेंस शुल्क भूमि	12.92	16.79
– विद्युत और ईंधन	1,104.20	818.48
– मरम्मत और रखरखाव – संयंत्र और मशीनरी	5.89	4.14
– रेलवे शेयर – रेलनीर	546.60	–
– मरम्मत और रखरखाव – अन्य	11.73	28.27
(a)	3,292.14	2,004.04

राशि (लाख ₹ में)

विवरण		31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
खानपान			
– आगत लदान और उतरन भाड़ा-खानपान		81.92	0.20
– खाद्य निरीक्षण व्यय		58.78	1.87
– विद्युत और ईंधन		133.98	69.77
– अन्य प्रत्यक्ष व्यय		20.71	9.94
	(b)	295.39	81.78
इंटरनेट टिकटिंग			
– रखरखाव और अन्य शुल्क		3,498.68	3,044.50
– रद्दीकरण प्रभार		0.39	-
– रेलवे शेयर		234.45	115.78
– इंटरनेट उपयोग शुल्क		104.02	78.76
– कमीशन का भुगतान		6,207.47	3,582.75
– मैसेज पर खर्च		1,041.16	934.97
	(c)	11,086.17	7,756.76
कुल	(a+b+c)	14,673.70	9,842.58

नोट :– 30 कर्मचारी लाभ व्यय

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
कर्मचारी लाभ व्यय		
वेतन, मजदूरी और बोनस	21,058.01	20,362.78
भविष्य निधि, छुट्टी नकदीकरण और अन्य निधियों में अंशदान	2,829.07	2,902.17
उपादान	560.12	553.39
कर्मचारी कल्याण व्यय	105.21	226.71
	24,552.41	24,045.05
	24,552.41	24,045.05

नोट :– 31 वित्त लागत

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रतिभूति जमा पर छूट को समाप्त करना	876.47	170.00
लीज देयता पर ब्याज खर्च	625.00	736.99
आयकर पर ब्याज	109.78	198.01
	1,611.25	1,105.00
	1,611.25	1,105.00

नोट :– 32 मूल्यह्रास और परिशोधन लागत

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
मूर्त संपत्ति पर मूल्यह्रास (नोट -3 और 5 देखें)	2,789.52	2,549.07
अमूर्त संपत्ति पर परिशोधन (नोट -5 ए देखें)	270.65	171.67
संपत्ति के उपयोग अधिकार पर मूल्यह्रास (नोट-5बी देखें)	2,312.79	2,178.10
	5,372.96	**4,898.84**
	5,372.96	**4,898.84**

नोट :– 33 अन्य व्यय

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
विद्युत और पानी	257.31	187.80
कार्यालय किराया	108.09	176.09
आस्थगित सुरक्षा जमा (संपत्ति) के परिशोधन से व्यय	3.13	1.33
शुल्क, दरें और कर	810.04	302.16
मरम्मत रखरखाव और अन्य	909.59	866.85
बीमा	251.68	128.23
यात्रा खर्च	809.58	335.95
परिवहन व्यय	196.33	138.74
निदेशक का बैठने का शुल्क	10.80	3.75
लेखापरीक्षकों को भुगतान (नोट संख्या-33.1 देखें)	42.45	26.89
लागत लेखापरीक्षा शुल्क	2.13	2.50
आंतरिक लेखापरीक्षा शुल्क	6.54	4.50
सचिवीय लेखापरीक्षा शुल्क	0.33	0.33
विधिक और व्यावसायिक शुल्क	1,072.65	960.89
संचार व्यय	155.39	126.00
माल जावक और सीएफए शुल्क	4,870.90	2,711.60
प्रिंटिंग और स्टेशनरी	181.78	188.64
विज्ञापन व्यय	568.90	227.61
व्यवसाय विकास/मार्केटिंग व्यय	236.70	156.13
विक्रेता आयोग	60.91	76.24
प्रतिभूति व्यय	397.24	363.29
विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव	-	21.76
अचल संपत्तियों की बिक्री पर नुकसान	4.95	22.26
संदेहजनक ऋण और अग्रिम के लिए भत्ता	2,890.62	1,063.48
पिछले वर्ष के लिए आयकर	-	-
दावों और नुकसान के लिए प्रावधान	2.48	1,696.24
दंड	860.60	338.17
विविध व्यय	306.05	166.87
कुल	**15,017.17**	**10,294.30**

नोट :– 33.1 लेखापरीक्षकों को भुगतान का विवरण

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
लेखा परीक्षकों को लेखा परीक्षक के रूप में भुगतान का विवरण		
लेखापरीक्षा का शुल्क	15.63	12.50
कर लेखापरीक्षा का शुल्क	4.38	3.50
अन्य क्षमता में		
सीमित समीक्षा शुल्क	10.32	8.25
अन्य प्रमाणपत्र	0.40	–
यात्रा पर प्रतिपूर्ति/व्यय	11.72	2.64
कुल	**42.45**	**26.89**

नोट :– 33.2 आपवादिक मदें (नोट संख्या 83 देखें)

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
अतिरिक्त बकाया लिखित प्रावधान	2,720.00	2,312.87
रेलनीर खंड के लाभ में रेलवे का शेयर	–	(2,713.32)
कुल	**2,720.00**	**(400.45)**

नोट :– 34 आयकर खर्च

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्तमान आयकर:		
वर्तमान आयकर शुल्क	37,322.40	23,802.31
पहले के वर्षों के लिए आयकर	1,146.50	766.87
आस्थगित कर:		
वर्तमान वर्ष के संबंध में (नोट 52 और 84 देखें)	(2,797.54)	(929.40)
पिछले वर्षों के लिए आस्थगित कर	(858.51)	(1,057.40)
कुल	**34,812.85**	**22,582.38**

अन्य व्यापक आय में आयकर व्यय

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
आस्थगित कर:		
वर्तमान वर्ष के संबंध में	74.32	147.33
कुल	**74.32**	**147.33**

कर व्यय और लेखा लाभ के बीच समाधान :

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
निरंतर संचालन से कर पूर्व लेखा लाभ	1,35,400.96	88,537.67
आयकर से पहले लेखा लाभ	**1,35,400.96**	**88,537.67**
भारत की वैधानिक आयकर दर 25.17% (31 मार्च, 2020-25.17%) पर	34,080.42	22,284.93
कर योग्य आय की गणना में कटौती योग्य (कर योग्य) नहीं होने वाली राशियों का कर प्रभाव		
जोड़ें: आयकर में भारतीय लेखा मानक समायोजन की अनुमति नहीं है	(19.97)	(2.95)
देर से कर जमा करने पर दंड/ब्याज का भुगतान	4.93	1.45
आयकर के तहत अनुमत वस्तुओं का प्रभाव	396.53	190.15
सीएसआर व्यय	315.38	249.18
आयकर पर ब्याज	27.63	49.84
दर और अन्य मदों में परिवर्तन का प्रभाव	(280.06)	100.31
	444.44	587.98
प्रभावी आयकर दर पर	**34,524.86**	**22,872.91**
लाभ और हानि के विवरण में रिपोर्ट किया गया आयकर व्यय (निरंतर संचालन से संबंधित)	34,524.86	22,872.91
प्रभावी कर दर	25.50%	25.83%

नोट :- 35 अन्य व्यापक आय के घटक (ओसीआई)

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	एफवीटीओसीआई रिजर्व	
	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्माप (लाभ/(हानि)		
- उपादान	428.45	474.15
- सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ	(133.19)	111.18
कुल	295.26	585.33
परिभाषित लाभ योजनाओं के पुनर्मापन पर कर	(74.32)	(147.33)
कुल	**(74.32)**	**(147.33)**

नोट :- 36 प्रति शेयर आय (ईपीएस)

विवरण	(₹ प्रति शेयर)	
	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
मूल ईपीएस		
निरंतर संचालन से	12.57	8.24
संचालन बंद करने से	-	-
डाइल्यूटेड ईपीएस		
निरंतर संचालन से	12.57	8.24
संचालन बंद करने से	-	-

36.1 प्रति शेयर मूल आय

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
कंपनी के इक्विटी धारकों को लाभ:		
निरंतर संचालन से	1,00,588.11	65,955.29
संचालन बंद करने से	–	–
प्रति शेयर मूल आय की गणना में प्रयुक्त आय	**1,00,588.11**	**65,955.29**
प्रति शेयर मूल आय के उद्देश्य से शेयरों की भारित औसत संख्या (लाख में)*	8,000.00	8,000.00

36.2 प्रति शेयर कम की गई आय

प्रति शेयर कम की गई आय की गणना में प्रयुक्त ईक्विटी शेयरों की आय और भारित औसत संख्या:–

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
कंपनी के इक्विटी धारकों को लाभ:		
निरंतर संचालन	1,00,588.11	65,955.29
संचालन बंद करने से	–	–
निरंतर संचालन से प्रति शेयर आय में कमी की गणना में प्रयुक्त आय	**1,00,588.11**	**65,955.29**

प्रति शेयर आय कम करने के उद्देश्य से इक्विटी शेयरों की भारित संख्या, प्रति शेयर मूल आय की गणना में उपयोग किए जाने वाले इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या के साथ मिलान निम्नानुसार है:

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रति शेयर मूल आय के उद्देश्य से शेयरों की भारित औसत संख्या*	8000.00	8000.00
डाइल्यूशन का प्रभाव:	–	–
प्रति शेयर डाइल्यूटेड आय के उद्देश्य से शेयरों की भारित औसत संख्या*	**8000.00**	**8000.00**

*नोट:– वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, 10/– रुपये अंकित मूल्य के एक इक्विटी शेयर को 2/– रुपये के पांच इक्विटी शेयरों में विभाजित किया गया था, जिनमें से प्रत्येक का पूरी तरह से भुगतान किया गया था।

नोट :– 37 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां

नोट :– 37.1 प्रावधान,

भारतीय लेखा मानक –37 ''प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्ति'' के अनुसार, 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए खातों में किए गए प्रावधानों से संबंधित प्रकटीकरण इस प्रकार है: –

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता		संदिग्ध अग्रिमों के लिए भत्ता		पेंशन का प्रावधान		छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान (सेवानिवृत्ति लाभ)		उपादान के लिए प्रावधान (सेवानिवृत्ति लाभ)	
	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
अथशेष	11,100.68	10,037.20	82.50	82.50	87.36	96.01	5,685.13	948.51	1,531.38	1452.14
अन्य समायोजन (फुट नोट संख्या vii और नोट संख्या 81 देखें)							–	4,365.02		
जोड़	2,824.09	1,063.48	66.53	–	21.77	–	593.98	691.53	131.67	79.24
उपयोगिता/योगदान	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
समायोजन / रिवर्सल	–	–	–	–	–	(8.65)	(427.74)	(319.93)	(320.68)	–
इतिशेष	**13,924.77**	11,100.68	**149.03**	82.50	**109.13**	87.36	**5,851.37**	5,685.13	**1,342.37**	1,531.38

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	विकल्प देनेवालों के लिए पेंशन का प्रावधान		सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा योजना के लिए प्रावधान		अर्धवेतन छुट्टी का प्रावधान		एलटीसी के लिए प्रावधान		दावों और नुकसान के लिए प्रावधान (नोट 56 (ए) देखें)	
	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
अथशेष	658.85	801.96	(51.06)	1432.2	2,959.85	2783.24	145.95	161.08	2,101.72	405.48
अन्य समायोजन (फुट नोट संख्या vii और नोट संख्या 81 देखें)	–	–	263.25	89.62	388.03	178.13	9.15	-5.57	104.64	1,696.24
जोड़	–	–	–	–	–	–	–	–	(132.98)	–
उपयोगिता/योगदान	(113.86)	(143.11)	(206.56)	(1,572.88)	(8.42)	(1.52)	(17.10)	(9.56)	(102.16)	–
समायोजन / रिवर्सल	544.99	658.85	5.63	(51.06)	3,339.46	2,959.85	138.00	145.95	1,971.22	2,101.72
इतिशेष	**13,924.77**	**11,100.68**	**149.03**	**82.50**	**109.13**	**87.36**	**5,851.37**	**5,685.13**	**1,342.37**	**1,531.38**

(i) प्रबंधन के अनुमानों के आधार पर संदिग्ध ऋणों/अग्रिमों के लिए प्रावधान किया जाता है।

(ii) स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर सेवानिवृत्ति लाभों (पेंशन को छोड़कर) के लिए प्रावधान किया जाता है।

(iii) पेंशन की मासिक आवर्ती देयता से बचने के लिए (आईआरसीटीसी –रेलवे) मानिद प्रतिनियुक्ति का विकल्प लेनेवालों के लिए प्रावधान किया गया है ताकि, आईआरसीटीसी की पेंशन देयता के अंतर के 100% परिवर्तन का पूरी तरह एक ही बार में निपटान हो सके जिससे पेंशन की मासिक आवर्ती देयता से बचा जा सकता है। मानिद प्रतिनियुक्ति विकल्पों के लिए छुट्टी नकदीकरण भुगतान के प्रावधान में ₹ 1.33 लाख शामिल हैं।

(iv) पेंशन के लिए प्रावधान उन कर्मचारियों के संबंध में देय योगदान का प्रतिनिधित्व करता है, जिन्होंने 31 मार्च, 2023 तक अपना एनपीएस खाता नहीं खोला है।

(v) 31 मार्च, 2022 को सेवानिवृत्ति के बाद की चिकित्सा योजना में ₹ 51.06 लाख की डेबिट बैलेंस, प्रीपेड व्यय में "नोट: – 12 अन्य वर्तमान परिसंपत्ति" के तहत दर्शाई गई है।

(vi) दावों और नुकसान के लिए प्रावधान में पिछले वर्षों के दौरान लाइसेंसधारियों को दिए गए लाइसेंस शुल्क के रिफंड के रूप में देय ₹ 796.59 लाख की राशि के लाइसेंसधारियों को जीएसटी रिफंड का प्रावधान शामिल है।

(vii) 4365.02 लाख रुपये की राशि परिभाषित लाभ दायित्व के सकल मूल्य यानी 5312.20 लाख रुपये और दायित्व के परिभाषित मूल्य के शुद्ध मूल्य यानी 947.18 लाख रुपये के बीच अंतर को दर्शाती है।

नोट :– 37.2 आकस्मिक देयताएं (प्रबंधन द्वारा निर्धारित, परिमाणित और प्रमाणित)

(i) कंपनी के विरुद्ध दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया*:

राशि (लाख ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
क.	सेवा कर	8,797.43	8,560.16
ख.	वैट और अन्य कर	3,464.83	3,454.07
ग.	आयकर	42.11	59.28
घ.	जीएसटी	251.30	164.68
ङ.	अन्य	10,852.21	10,407.97
	कुल	**23,407.88**	**22,646.16**

*रेलवे द्वारा लंबित अग्रिम निर्णय आवेदन और लगाए गए जुर्माने के संबंध में क्रमशः नोट संख्या 77 और 86 देखें। रकम निश्चित नहीं है।

(ii) रॉयल इंडियन रेल टूर्स लिमिटेड (आरआईआरटीएल) आईआरसीटीसी और कॉक्स एंड किंग (सी एंड के) का एक संयुक्त उद्यम है, जो दिनांक 10.12.2008 के जेवी समझौते के आधार पर आईआरसीटीसी से 15 वर्ष की लीज पर लग्जरी टूरिस्ट ट्रैन, महाराजा एक्सप्रेस को चलाने, संचालन और प्रबंधन के लिए ली जाएगी। इसने एक सीजन के लिए ट्रैन का संचालन किया और उसके बाद दोनों कंपनियों के प्रबंधन के बीच विवाद पैदा हो गया।

सीएंडके ने आईआरसीटीसी और आरआईआरटीएल के खिलाफ अन्य बातों के साथ-साथ राहत की मांग करते हुए मध्यस्थता की कार्यवाही शुरू की है जिसमें निम्न मांग की गई है– (i) जेवी समझौते को विशेष रूप से निष्पादित किया जाए (ii) जेवी समझौते को समाप्त किया जाए, (iii) जब तक सुनवाई और दावे के अंतिम निपटान तक लंबित है तब तक, यह निर्देश दिया जाएं कि ट्रैन आरआईआरटीएल के हिस्से के रूप में चलेगी (iv) आईआरसीटीसी को जेवी कंपनी के अनन्य उपयोग के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए ट्रैन के रेक/कोचों का उपयोग करने से स्थायी रूप से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए (v) जेवी समझौते के अनुसार ट्रैन के लिए एक औपचारिक पट्टा समझौता निष्पादित करना (vi) आईआरसीटीसी को जेवी कंपनी की कार्यशील पूंजी की हानि के लिए 2000 लाख का भुगतान करने का निर्देश दिया जाए और (vii) वैकल्पिक रूप से और अप्रत्याशित घटना में जेवी समझौते के विशिष्ट निष्पादन को मंजूरी नहीं दी जाती है, तो 3,5100 लाख की राशि के नुकसान का दावा करने की मांग।

दिनांक 26.07.2021 की कार्यवाही के दौरान, कॉक्स एंड किंग के वकील ने एक बयान दिया कि "दावेदार अपने दावे को ₹ 2270 लाख तक सीमित करना चाहता है, साथ ही ब्याज इस अनुबंध में खर्च की गई लागत है"। मामले में अंतिम बहस 28.02.2023 को सुनी गई है और पुरस्कार सुरक्षित रखा गया है, जिसे पारित और सुनाया जाना बाकी है।

उपरोक्त 37.2 (i) (ई) में शामिल ₹2270 लाख के दावे को, आईआरसीटीसी द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है। उक्त राशि केवल विचार योग्य है और किसी प्राधिकरण/अर्ध न्यायिक निकाय द्वारा तय नहीं की गई है। इस प्रकार, लेखा पुस्तकों में प्रावधान करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

(iii) भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष दायर वैट मामला

आईआरसीटीसी उन ट्रैनों में ऑन-बोर्ड खानपान सेवाओं के लिए सेवा कर का भुगतान कर रहा है जिनके रेलवे किराए में खानपान शुल्क शामिल है। वैट के आयुक्त ने अपने दिनांक 23.03.2006 के आदेश द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 2(जेडसी)(vii) के अर्थ के भीतर ट्रैनों में ऑन-बोर्ड खानपान सेवा को वस्तुओं की बिक्री माना है।

आईआरसीटीसी ने वैट के अपीलीय प्राधिकारी समक्ष अपील दायर की। प्राधिकरण ने दिनांक 07.09.2006 के आदेश द्वारा आंशिक रूप से अपील की अनुमति देते हुए, यह टिपण्णी दी कि केंद्रीय अधिनियम से संबंधित यह कार्य आयुक्त के अधिकार क्षेत्र से बाहर है क्योंकि यह कर केवल उन वस्तुओं की खरीद अथवा बिक्री पर लगेगा जो राज्य से बहार एक से दूसरे राज्य के भीतर होता है।

आईआरसीटीसी ने नई दिल्ली में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर करके उक्त आदेश का विरोध किया और प्रार्थना की कि आईआरसीटीसी द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं दिल्ली मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2004 के तहत मूल्य वर्धित कर लगाया नहीं जा सकता हैं और यह कि आईआरसीटीसी की ऑन-बोर्ड खानपान सेवाएं मुख्य रूप से ऐसी सेवाएं हैं जिनमें भोजन और पेय पदार्थ प्रदान किए जाते हैं और केवल सेवा कर के दायरे में आती हैं। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने वैट आयुक्त के फैसले को बरकरार रखा और आईआरसीटीसी की याचिका को खारिज कर दिया। माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि आईआरसीटीसी वैट का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। हालांकि, यह पहले से चुकाए गए सेवा कर का रिफंड ले सकता है।

निर्णय से व्यथित होकर, आईआरसीटीसी ने माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित 19.7.2010 के निर्णय के खिलाफ माननीय उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर की है। 2010 की एसएलपी 25292-25319 को स्वीकार कर लिया गया है और वह अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रही है । माननीय उच्चतम न्यायालय ने वैट प्राधिकारियों द्वारा की गई मांग की वसूली पर यथास्थिति के रूप में अंतरिम निर्देश दिया है। इसलिए मामला न्यायाधीन है और आईआरसीटीसी वर्तमान में वैट का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। हालांकि, आईआरसीटीसी ने विवेकसम्मत लेखा नीति के कारण वित्तीय वर्ष 2017-18 तक (30 जून, 2017 तक) पूरे भारत में 8251.01 लाख के सेवा कर की वैट देयता प्रदान की है और ऊपर 37.2 (i) में शामिल नहीं किया गया है। संबंधित वैट इनपुट ग्राह्यता को सरकारी प्राधिकरणों के पास शेष के रूप में दिखाया गया है।

(iv) कुछ लाइसेंसधारी जो ट्रैनों में खानपान सेवाएं प्रदान करने के लिए आईआरसीटीसी के ठेकेदार हैं, ने भारतीय रेलवे द्वारा जारी 2013 के सीसी 67 के साथ पठित 2013 के सीसी 63 के अनुसार नियमित भोजन और कॉम्बो भोजन की दरों में अंतर के कारण मुआवजे की मांग करते हुए मध्यस्थता खंड के बारे में सूचित किया और 2014 के सीसी 32 के संदर्भ में 2014 से अब तक की अवधि के लिए प्रदान किए गए वेलकम पेय की कीमत के लिए दावे की मांग की। मध्यस्थ ने जनवरी 2015 से मार्च 2020 तक की अवधि के लिए उपरोक्त सेवाओं के लिए 13 याचिकाओं में ₹7400 लाख (लगभग) की राशि का निर्णय सुनाया।

तथ्यात्मक स्थिति के मूल्यांकन के आधार पर, यह ध्यान में रखना चाहिए कि दावेदार ने यात्रियों को प्रदान की गई उपरोक्त सेवाओं के लिए दिए गए चालान जमा करते समय कथित राशि का दावा नहीं किया। ये सभी अनुबंध एसबीडी अनुबंध हैं और खानपान नीति 2017 के बाद आईआरसीटीसी को सौंपे गए थे। यह भी ध्यान में लेना चाहिए कि भारतीय रेलवे के यात्रियों को सेवाएं प्रदान की गईं और भारतीय रेलवे को आईआरसीटीसी द्वारा भुगतान की गई राशि की प्रतिपूर्ति की जानी चाहिए। इन परिस्थितियों में, निर्णय के परिणामस्वरूप आईआरसीटीसी की कोई देयता नहीं होगी और उपरोक्त निर्णयों के अनुसार प्रावधान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कंपनी निर्णय पर विवाद करना चाहती है और कंपनी को अंततः भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होने की स्थिति में रेलवे से वसूली करने का अधिकार भी है। हालांकि, इसे ऊपर 37.2 (i) में शामिल किया गया है।

कंपनी ने मध्यस्थता पुरस्कार के खिलाफ आपत्तियां दर्ज की हैं और इसे 28.09.2022 को माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था। सुनवाई की अगली तारीख 19.07.2023 तय की गई है।''

(v) राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण से ₹ 5041.44 लाख के लिए प्राप्त डिमांड नोटिस:

आईआरसीटीसी 4 स्वामित्व वाले संयंत्रों (पिछले वर्ष कंपनी के स्वामित्व वाले 5 संयंत्र थे) के माध्यम से केवल यात्रियों और रेलवे स्टेशनों पर बिक्री के लिए रेल नीर बोतलबंद पेयजल का निर्माता है। बिलासपुर संयंत्र वित्त वर्ष 2022-23 में पीपीपी संयंत्र में परिवर्तित हो गया और 12 संयंत्र पीपीपी मॉडल पर हैं। जीएसटी लागू होने के बाद, उत्पाद पर कर देयता 24% (उत्पाद शुल्क 12.5% (45% की कमी के साथ) + वैट 12.5%) से घटाकर 18% जीएसटी कर दी गई। भले ही जीएसटी लागू करने के बाद जीएसटी दरों में कोई कमी नहीं हुई, मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण ने देखा कि कर का लाभ उपभोक्ता को नहीं दिया गया है और इस तरह, सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 171 के अंतर्गत ₹ 5041.44 लाख की मुनाफाखोरी राशि के लिए नोटिस जारी की गई।

स्टेशनों और ऑन-बोर्ड पर खानपान सेवाओं जैसे नियंत्रित मूल्य खंड के अंतर्गत रेल नीर आता है। यह भी एक तथ्य है कि रेल नीर की कीमत विभिन्न मानदंडों के आधार पर रेल मंत्रालय द्वारा नियंत्रित की जाती है। रेलवे बोर्ड के वाणिज्यिक परिपत्र संख्या 72 के 2012 के माध्यम से वर्ष 2012 में 15/- की वर्तमान एमआरपी तय की गई थी। हालांकि रेल नीर का हस्तांतरण मूल्य 0-75 किलोमीटर मीटर के लिए 10 है, 75 किमी से ऊपर के लिए ₹10.50 और पूर्व रेल नीर संयंत्र ₹9.33 है जो रेल मंत्रालय द्वारा निर्धारित की गई है। वर्ष 2012 से कच्चे माल, बिजली और मानव संसाधन की लागत में हुई वृद्धि के बावजूद, रेल मंत्रालय ने बाजार दर से कम कीमत पर मानकीकृत रेल नीर की आपूर्ति में अनिवार्य सरकारी कार्यों और सरकारी उद्देश्यों के एक हिस्से के रूप में रियायती दर को बरकरार रखा है। प्राधिकरण ने जीएसटी अधिनियम की धारा 171 की गलत व्याख्या समझी है और

केंद्रीय पीएसयू के खिलाफ कारण शोकॉज नोटिस वापिस लेने की पूरी संभावना है, जो अनुमानों पर आधारित है। विशेष अधिवक्ता को नियुक्त कर शोकॉज नोटिस का विरोध किया जा रहा है। मामला अभी प्रारंभिक अवस्था में है, इसलिए उक्त राशि के प्रावधान की कोई आवश्यकता नहीं है और इसे उपरोक्त नोट 37.2 (i) में भी शामिल नहीं किया गया है।

हालाँकि, 23.11.2022 को भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 23/2022-केंद्रीय कर के अनुसार (1.12.2022 से प्रभावी), भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) को उन सभी मामलों पर निर्णय लेने के अधिकार प्रदान किए गए हैं जिनमें जीएसटी अधिनियम के कार्यान्वयन से पहले जीएसटी दरों में कमी पर उपभोक्ताओं को कर कटौती का लाभ करदाताओं द्वारा नहीं दिया जा रहा है। इसलिए, मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण द्वारा जारी नोटिस के तहत कार्यवाही पर निर्णय अब सीसीआई द्वारा किया जाएगा।

(vi) केरल सरकार ने केरल राज्य में रेलनीर की बिक्री के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत रेलनीर की प्रति लीटर बोतल का एमआरपी ₹ 13/- निर्धारित किया है और कंपनी को ₹ 15/- के बजाय ₹ 13/- पर रेलनीर की बोतल बेचने की सलाह दी है। दिनांक 27.4.2022 के आदेश के तहत कारण बताओ और जब्ती के खिलाफ आदेश पर रोक है और रोक जारी है। इस मामले में अभी कोई अगली तारीख तय नहीं की गई है। चूंकि, इसके वित्तीय निहितार्थ का पता नहीं लगाया जा सकता है, इसलिए इसे आकस्मिक देनदारियों के उपरोक्त नोट 37.2 (i) में शामिल नहीं किया गया है।

(vii) कंपनी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क आसूचना महानिदेशालय (डीजीसीईआई), पुणे से दिनांक 18.10.2012 को एक कारण बताओ सह मांग नोटिस प्राप्त हुआ है, जिसमें विभाग ने ₹ 7902 लाख रुपये की मांग (उपरोक्त नोट संख्या 37 (2) (i) में शामिल) इस आधार पर की है कि आईआरसीटीसी ने अचल संपत्ति सेवाओं के किराये, आउटडोर कैटरिंग, व्यवसाय सहायक सेवाओं, मूर्त माल आपूर्ति और रेल ट्रैवल एजेंट के तहत आने वाली विभिन्न सेवाओं पर सेवा कर का भुगतान नहीं किया है।

विभाग के अनुसार, आईआरसीटीसी ने फूड प्लाजा, फास्ट फूड यूनिटों और विभिन्न स्टेटिक यूनिटों आदि को अन्य खानपान/वेंडिंग ठेकेदारों को पट्टे पर दिया है, जिसके लिए आईआरसीटीसी को लाइसेंस शुल्क प्राप्त हुआ है। डीजीसीईआई के अनुसार, ''अचल संपत्ति को किराये पर देना'' सेवा श्रेणी के तहत उक्त लाइसेंस शुल्क पर सेवा कर देय है।

आईआरसीटीसी की राय में, ऐसी सेवाएं ''अचल संपत्ति को किराये पर देना'' सेवाओं की सेवा श्रेणी के अंतर्गत नहीं आती हैं क्योंकि भूमि का स्वामित्व भारतीय रेलवे के पास है न कि आईआरसीटीसी के पास और इसका उद्देश्य यात्रियों की सेवा करना है न कि लाभ कमाना। आईआरसीटीसी ने सीईएसटीएटी के समक्ष अपील दायर की जो प्रक्रियाधीन है।

इस बीच, वित्त वर्ष 2019-20 में, ''अचल संपत्ति को किराये पर देना'' के अंतर्गत आने वाली सेवाओं की संवैधानिक वैधता को कुछ अन्य पीड़ित करदाताओं (निर्धारितियों) द्वारा एक विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) के माध्यम से चुनौती दी गई है और इसे शीर्ष अदालत ने स्वीकार कर लिया है।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस पर अंतिम सुनवाई 08.05.2019 को हुई थी और उसे अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। उपरोक्त एसएलपी में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद सीईएसटीएटी द्वारा इस पर विचार किया जाएगा ।

नोट :- 37.3 आकस्मिक परिसंपत्ति

राशि (लाख ₹ में)

क्रम सं.	पार्टी का नाम	विवरण	अपीलीय प्राधिकरण	पारितोषित राशि
1	ए.के. रॉय बनाम आईआरसीटीसी	2577-78, 5279-80, 2395-96, 9165/66/67-68, 2555-56, 2569-70, 2213-14,2203-04, 2061-62, 2209-10, 1043-44	पटियाला हाउस कोर्ट में लंबित	21.95
2	सीकेके कैटरर्स	वसूली के लिए मुकदमा	मुकदमा लंबित	102.00
3	ट्रावेल खाना	सेवा प्रदाता ने ई-कैटरिंग के संबंध में राशि जमा नहीं की	मध्यस्थता	13.29
4	रेलवे	यात्री प्रतिक्रिया प्रणाली	लागू नहीं	638.41

यदि कंपनी अंततः इन दावों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है तो रेलवे से वसूली के अधिकार के लिए नोट 37.2 (iv) और प्रतिनियुक्तिकर्ताओं को अनुग्रह/प्रदर्शन संबंधी भुगतान के संबंध में नोट 87 देखें।

नोट :- 38 भुगतान गेटवे और बैंक समाधान

कंपनी इंटरनेट के माध्यम से रेलवे आरक्षण को संभाल रही है जिसके लिए पांच भुगतान गेटवे और लगभग सभी बैंकों के पैंतीस से अधिक नेट बैंकिंग/डेबिट कार्ड नेटवर्क का उपयोग किया जा रहा है। इन सभी खातों में बड़ी मात्रा में लेन-देन होती है और टिकटों की बुकिंग दिन-प्रतिदिन बड़ी मात्रा में बढ़ रही है। उक्त को देखते हुए वित्तीय वर्ष 2022-23 में लेन-देनवार समाधान नहीं किया गया है।

हालांकि, पुरानी साइट से संबंधित कुछ पुराने पीजी खाते जो निष्क्रिय थे और कुछ बैंक साइड/तकनीकी मुद्दों के कारण समाधान के लिए लंबित थे। लंबित समाधान के लिए चालू वित्तीय वर्ष के दौरान रुपये 291.59 लाख (बकाया डेबिट का 100%) के संदिग्ध के लिए प्रावधान किया गया है (31 मार्च, 2022, 418.51 लाख रुपये शुद्ध डेबिट बकाया का 100%)

नोट:– 39: अधिशेष पुष्टिकरण

व्यापार प्राप्तिया

a. रेलवे अधिशेष

व्यापार प्राप्य, व्यापार देय, भुगतान किए गए अग्रिम और प्रतिभूति जमा के रूप में रेलवे बकाया, रेलवे से समाधान और पुष्टि के अधीन हैं और इसमें रेलवे से खानपान के अधिग्रहण से पिछले बकाया भी शामिल हैं। कंपनी ने रेलवे से बकाया की पहचान करने और उसे अलग करने की प्रक्रिया में है। रेलवे/सरकारी निकायों को कोई शेष पुष्टिकरण पत्र नहीं भेजा गया क्योंकि उनकी पुस्तकें नकद आधार पर रखी जाती हैं। कंपनी ने 31 मार्च, 2023 (31 मार्च, 2022 ₹ 5164.45 लाख) की स्थिति के अनुसार नीति के अनुसार रेलवे से प्राप्तियों के विरुद्ध ₹ 6740.52 लाख का प्रावधान किया है, जो प्रबंधन के वसूली के संदेह में है।

b. तृतीय पक्ष अधिशेष

तृतीय पक्ष पार्टी का अधिशेष विभिन्न पार्टी से पुष्टि और समाधान के अधीन हैं। प्रबंधन ने वित्तीय वर्ष 2019-20 से तीसरे पक्ष पार्टी से शेष राशि पुष्टिकरण प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू की है और नियमित आधार पर समाधान प्रक्रिया और पुष्टिकरण को औपचारिक रूप से एक प्रथा मानकर सुनिश्चित करेंगे। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए, प्राइवेट पार्टियों को भी बैलेंस कन्फर्मेशन पत्र भेजे जा चुके हैं लेकिन पार्टियों का जवाब संतोषजनक नहीं है। आईआरसीटीसी ने 31 मार्च, 2023 (31 मार्च, 2022 ₹ 5936.22 लाख) की स्थिति के अनुसार नीति के अनुसार प्राप्तियों के विरुद्ध ₹ 7184.24 लाख का प्रावधान किया है, जो प्रबंधन के वसूली के लिए संदिग्ध हैं।

अन्य देय और बैंक

ये शेष राशि पुष्टि और समाधान के अधीन हैं। हालांकि, आईआरसीटीसी ने इन पार्टियों को बैलेंस कन्फर्मेशन पत्र भेजे हैं लेकिन रिस्पांस संतोषजनक नहीं है

नोट :– 40 पूंजीगत प्रतिबद्धताएं

31 मार्च 2023 को ₹ 8114.09 लाख की राशि के लिए प्रदान नहीं किए गए पूंजीगत खाते पर शेष अनुबंधों की अनुमानित राशि 31 मार्च 2022 को ₹ 25182.85 लाख थी।

नोट :– 41

प्रबंधन की राय में, वर्तमान परिसंपत्ति, ऋण और अग्रिम का मूल्य, यदि व्यवसाय सामान्य तौर पर चलता है, तो उस राशि से कम नहीं होगा जो तुलन पत्र में दर्शाया गया है। तथापि, तुलनपत्र में दर्शाए अनुसार रेलवे व्यवसाय से प्राप्त होनेवाली राशियां और व्यवसाय से देय राशि/ अन्य पार्टियों और बैंक बैलेंस सहित व्यापार प्राप्तियों / देय राशियों का बैलेंस पुष्टि और समाधान के अधीन है।

नोट :– 42 कर्मचारी लाभ

परिभाषित लाभ योजनाओं/परिभाषित अंशदान योजना का सामान्य विवरण:

(i) **उपादान:** उन पात्र कर्मचारियों को जो 5 वर्ष की अथवा अधिक की लगातार सेवा करते हैं सेवा के पूर्ण प्रत्येक वर्ष के लिए 15 दिनों की वेतन की दरसे सेवा छोड़ने पर देय है। बीमांकिक मूल्यांकन के लिए ₹ 20 लाख की उपादान सीमा पर विचार किया गया है। बीमांकिक मूल्यांकनसभी कर्मचारियों के लिए कर दिया चाहे उन्होंने 5 वर्ष की सेवा पूरी नहीं की है।

(ii) **छुट्टी नकदीकरण:** स्वतंत्र बीमांकिक द्वारा किए गए तुलनपत्र की तारीख को, मूल्यांकन के आधार पर छुट्टी वेतन का प्रावधान किया जाता है योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य को घटाए बिना दायित्व के वर्तमान मूल्य के लिए।

(iii) **अर्धवेतन छुट्टी:** उन पात्र कर्मचारियों के लिए जिन्होंने अर्धवेतन छुट्टी एकत्र की है। तुलनपत्र की तारीख को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर अर्धवेतन छुट्टी का प्रावधान किया जाता है।

(iv) **छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी) :** योग्य कर्मचारियों को तुलनपत्र की तारीख को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान किया जाता है।

(v) **भविष्य निधि:** कर्मचारियों का महंगाई भत्ता जमा मूल वेतन का 12% और कॉर्पोरेशन के समतुल्य योगदान को जो भविष्य निधि के लिए दिया जाता है इसका लेखा जोनल भविष्य निधि आयुक्त, नई दिल्ली के पास रखा जाता है। भविष्य निधि में कॉर्पोरेशन का अंशदान राजस्व में प्रभारित किया जाता है।

(vi) **इतर सेवा योदान :** सरकार के नियमों और विनियमों के अनुसार प्रतिमान्य प्रतिनियुक्तियों (वे कर्मचारी जिन्होंने भारतीय रेलवे से निश्चित अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर कॉर्पोरेशन में कार्यभार संभाला है) सहित प्रतिनियुक्तियों के संबंध में छुट्टी वेतन और पेंशन के लिए इतर सेवा योगदान प्रोद्भवन आधार पर राजस्व में प्रभारित किया जाता है।

(vii) **राष्ट्रीय पेंशन योजना:** एनपीएस के रूप में सेवानिवृत्ति लाभ एक परिभाषित योगदान योजना है। इस तरह की योजना के तहत देय मूल वेतन और महंगाई भत्ता के 10% योगदान के अलावा कंपनी का कोई दायित्व नहीं है। कंपनी ऐसी योजना में देय अंशदान को सेवा के दौरान कर्मचारियों के लिए व्यय के रूप में मान्यता देती है।

(viii) **सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी):** तुलनपत्र की तारीख के अनुसार बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर, योग्य सेवानिवृत्त कर्मचारियों को, प्रदान किया गया।

परिभाषित दायित्वों के संबंध में भारतीय लेखा मानक -19 "कर्मचारी लाभ" के तहत आवश्यक अन्य प्रकटीकरण हैं:

(a) बीमांकिक अनुमान

राशि (लाख ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2021 तक
(i)	छूट दर (प्रति वर्ष)	7.36%	7.18%
(ii)	मृत्यु दर	इंडियन अश्योर्ड लाइव्ज मोर्टेलिटी (2012-14)	इंडियन अश्योर्ड लाइव्ज मोर्टेलिटी (2012-14)
(iii)	परिसंपत्ति पर अपेक्षित रिटर्न	7.36%	7.18%
(iv)	वेतन वृद्धि	10%	10%
(v)	उन्मूलन दर	2%	2%
(vi)	बीमांकिक मूल्यांकन में भावी देयता वृद्धि के अनुमान पर विचार किया जाता है, मुद्रास्फीति दर, वरिष्ठता, पदोन्नति और अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखा जाता है		

(b) बीमांकिक विधि

प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट (झणउ) बीमांकिक विधि का उपयोग सेवानिवृत्ति, सेवा काल में मृत्यु और वापसी के लिए बहिर्गमन कर्मचारियों के प्लान की देयताओं का आकलन करने और सेवा में रहते समय अनुपस्थिति की क्षतिपूर्ति करने के लिए भी किया जाता है।

(c) नियोक्ता व्यय के घटक

राशि (लाख ₹ में)

क्रम सं.	विवरण	उपादान*		छुट्टी नकदीकरण		अर्ध वेतन छुट्टी		एलटीसी		पीआरएमबी	
		31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
(i)	वर्तमान सेवा लागत	450.17	454.65	434.09	452.23	241.45	229.84	11.15	12.35	133.73	97.98
(ii)	पिछली सेवा लागत	-	-								
(iii)	संक्षेप लागत										
(iv)	समापन लागत										
(v)	कुल सेवा लागत	450.17	454.65	434.09	452.23	241.45	229.84	11.15	12.35	133.73	97.98
	शुद्ध ब्याज लागत										
(vi)	डीबीओ पर ब्याज व्यय	417.60	373.95	408.10	361.23	212.52	189.26	10.48	10.95	109.20	102.83
(vii)	ब्याज (योजना परिसंपत्ति पर आय)	(307.64)	(275.20)	-	-					(112.87)	
(viii)	कुल शुद्ध ब्याज	109.96	98.75	408.10	361.23	212.52	189.26	10.48	10.95	(3.67)	102.83
(ix)	तत्काल स्वीकृत (लाभ)/ हानि अन्य दीर्घावधि लाभ			(248.22)	(121.93)	(65.94)	(240.97)	(12.48)	(28.88)		
(xi)	पी एंड एल में शामिल तय लाभ लागत	560.13	553.40	593.97	691.53	388.03	178.13	9.15	(5.58)	130.06	200.81

(d) लाभ या हानि और अन्य व्यापक आय के विवरण में मान्यता प्राप्त कुल परिभाषित लाभ लागत

राशि (लाख ₹ में)

क्रम सं.	विवरण	उपादान		छुट्टी नकदीकरण		अर्ध वेतन छुट्टी		एलटीसी		पीआरएमबी	
		31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
(i)	जनसांख्यिकी अनुमान के परिवर्तन के कारण डीबीओ में बीमांकिक (लाभ)/हानि	–	–	–	–	–	–	–	–		
(ii)	वित्तीय अनुमान में परिवर्तन के कारण डीबीओ में बीमांकिक (लाभ)/हानि	(159.47)	(339.84)	(165.54)	(350.27)	(93.36)	(179.68)	(4.41)	(10.51)	(44.69)	(78.04)
(iii)	डीबीओ पर अनुभव के कारण बीमांकिक (लाभ)/हानि	(261.21)	(146.01)	(82.68)	228.33	27.42	(61.29)	(8.07)	(18.37)	176.31	(33.15)
(iv)	छूट दर की तुलना में योजना परिसंपत्ति (से अधिक)/से कम	(7.78)	11.70	–	–					1.57	
(v)	ओसीआई में शामिल कुल बीमांकिक (लाभ)/हानि	(428.46)	(474.15)					–	–	133.19	(111.19)
(vi)	लाभ और हानि और ओसीआई (तय लाभ लागत) में मान्यता प्राप्त कुल लागत										
(vii)	लाभ और हानि में मान्यता प्राप्त लागत	560.13	553.39	593.97	691.53	388.03	178.13	9.15	(5.58)	130.06	200.81
(viii)	ओसीआई में स्वीकृत प्रभावित पुनर्मापन	(428.45)	(474.15)					–	–	133.19	(111.18)
(ix)	कुल तय लाभ लागत	131.68	79.24	593.97	691.53	388.03	178.13	9.15	(5.58)	263.25	89.63

(e) तुलनपत्र में शुद्ध परिसंपत्ति/देयता की स्वीकृति

राशि (लाख ₹ में)

क्रम सं.	विवरण	उपादान		छुट्टी नकदीकरण		अर्ध वेतन छुट्टी		एलटीसी		पीआरएमबी	
		31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
(i)	लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	6,221.90	5,816.12	5,850.03	5,683.81	3,339.46	2,959.86	138.00	145.95	1,890.32	1,520.87
(ii)	योजना परिसंपत्ति का उचित मूल्य	4,879.54	4,284.74	-	–					1,884.69	1,571.93
(iii)	वित्तपोषित स्थिति (अधिशेष/(हानि)	(1,342.36)	(1,531.38)	(5,850.03)	(5,683.81)	(3,339.46)	(2,959.86)	(138.00)	(145.95)	(5.63)	51.06
(iv)	अस्वीकृत पिछली सेवा लागतें										
(v)	तुलनपत्र में शुद्ध परिसंपत्ति/(देयता) की स्वीकृति	(1,342.36)	(1,531.38)	(5,850.03)	(5,683.81)	(3,339.46)	(2,959.86)	(138.00)	(145.95)	(5.63)	51.06
(vi)	नकदीकरण दायित्व का वर्तमान मूल्य										
(vii)	लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य										
	वर्तमान देयताएं	215.44	175.27	186.57	200.97	134.19	128.31	138.00	145.95	3.25	–
	गैर-वर्तमान देयताएं	1,126.92	1,356.11	5,663.46	5,482.84	3,205.27	2,831.55	-	–	2.38	–

* कंपनी द्वारा वित्त पोषित

(f) समाप्त होने वाली अवधि के दौरान दायित्व में परिवर्तन

राशि (लाख ₹ में)

क्रम सं.	विवरण	उपादान		छुट्टी नकदीकरण		अर्ध वेतन छुट्टी		एलटीसी		पीआरएमबी	
		31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
(i)	अवधि की शुरुआत में परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	5,816.11	5,499.20	5,683.81	5,312.21	2,959.85	2,783.24	145.94	161.08	1,520.88	1,432.20
(ii)	वर्तमान सेवा लागत	450.17	454.65	434.09	452.23	241.45	229.84	11.15	12.35	133.73	97.98
(iii)	ब्याज लागत	417.60	373.94	408.10	361.23	212.52	189.26	10.48	10.95	109.20	102.83
(iv)	योजना संशोधन										
(v)	पूर्व सेवा लागत										
(vi)	संक्षेप	–	–								
(vii)	अधिग्रहण समायोजन	–	–	–	–						
(viii)	बीमांकिक (लाभ)/हानि	(420.67)	(485.85)	(248.22)	(121.93)	(65.94)	(240.97)	(12.48)	(28.88)	131.62	(111.18)
(ix)	भुगतान किए गए लाभ	(41.31)	(25.83)	(427.74)	(319.93)	(8.43)	(1.52)	(17.10)	(9.56)	(5.09)	(0.95)
(x)	परिभाषित लाभों का वर्तमान मूल्य (समापन)	6,221.91	5,816.11	5,850.04	5,683.81	3,339.46	2,959.85	138.00	145.94	1,890.34	1,520.88

(g) योजना परिसंपत्तियों के मूल्यों के ओपनिंग और क्लोजिंग का मिलान

राशि (लाख ₹ में)

क्रम सं.	विवरण	उपादान		छुट्टी नकदीकरण		अर्ध वेतन छुट्टी		एलटीसी		पीआरएमबी	
		31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
(i)	अवधि की शुरुआत में योजना संपत्ति का उचित मूल्य	4,284.74	4,047.07	–	–	–	–	–	–	1,571.93	–
(ii)	अधिग्रहण समायोजन										
(iii)	योजना परिसंपत्ति पर निर्धारित रिटर्न	307.64	275.20							112.86	
(iv)	योगदान	320.68	–	–	–	–	–	–	–	201.47	1,571.93
(v)	भुगतान किए गए लाभ	(41.31)	(25.83)	–	–	–	–	–	–	–	–
(vi)	योजना परिसंपत्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)।	7.78	(11.70)	–	–	–	–	–	–	(1.57)	
(vii)	अवधि के अंत में योजना संपत्ति का उचित मूल्य	4,879.53	4,284.74	–	–	–	–	–	–	1,884.69	1,571.93

(h) अन्य व्यापक आय में स्वीकृत राशि

राशि (लाख ₹ में)

क्रम सं.	विवरण	उपादान		छुट्टी नकदीकरण		अर्ध वेतन छुट्टी		एलटीसी		पीआरएमबी	
		31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
(i)	ओपनिंग ओसी (संचयी अस्वीकृत हानि/(लाभ)				–	–	–	–	–		
(ii)	डीबीओ पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	(420.67)	(485.85)	–						131.62	(111.18)
(iii)	संपत्ति पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	(7.78)	11.70	–						1.57	
(iv)	परिशोधन बीमांकिक (हानि)/लाभ				–	–	–	–	–		
(v)	ओसीआई में नेशुद्ध वृद्धि	(428.45)	(474.15)	–	–	–	–	–	–	133.19	(111.18)
(vi)	पूर्व सेवा लागत का परिशोधन				–	–	–	–	–		
(vii)	अन्य व्यापक आय में कुल स्वीकृति	(428.45)	(474.15)		–	–	–	–	–	133.19	(111.18)

(i) तुलनपत्र में शुद्ध परिसंपत्ति/देयता की स्वीकृति

राशि (लाख ₹ में)

क्रम सं.	विवरण	उपादान		छुट्टी नकदीकरण		अर्ध वेतन छुट्टी		एलटीसी		पीआरएमबी	
		31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
(i)	प्रारंभ में स्वीकृत शुद्ध तुलनपत्र परिसंपत्ति/ देयता	(1,531.38)	(1,452.14)	(5,683.81)	(5,312.21)	(2,959.86)	(2,783.24)	(145.95)	(161.08)	51.05	(1,432.20)
(ii)	अवधि की शुरुआत में संचित ओसीआई/हानि में स्वीकृत राशि	–	–								
(iii)	(उपार्जित)/प्रीपेड लाभ लागत (अवधि की शुरुआत में समायोजन से पहले)	(1,531.38)	(1,452.14)	(5,683.81)	(5,312.21)	(2,959.86)	(2,783.24)	(145.95)	(161.08)	51.05	(1,432.20)
(iv)	अवधि के लिए शुद्ध आवधिक लाभ (लागत)/आय	(560.13)	(553.40)	(593.97)	(691.53)	(388.03)	(178.13)	(9.15)	5.57	(130.06)	(200.81)
(v)	नियोक्ता का योगदान	320.68	–	427.74	319.93	8.42	1.52	17.10	9.56	206.56	1,572.88
	(उपार्जित)/प्रीपेड लाभ लागत (अवधि के अंत में समायोजन से पहले)	(1,770.81)	(2,005.54)	(5,850.04)	(5,683.81)	(3,339.47)	(2,959.85)	(138.00)	(145.95)	127.55	(60.13)
	अवधि के अंत में संचित अन्य व्यापक आय/(हानि) में स्वीकृत राशि	428.45	474.15					–	–	(133.19)	111.18
(vi)	शुद्ध तुलनपत्र परिसंपत्ति/(देयता) वर्ष की अंत की अवधि में स्वीकृति	(1,342.36)	(1,531.39)	(5,850.04)	(5,683.81)	(3,339.47)	(2,959.85)	(138.00)	(145.95)	(5.64)	51.05

(j) प्रतिपूर्ति अधिकारों के उद्घाटन और समापन मूल्यों का समाधान*

राशि (लाख ₹ में)

क्रम सं.	विवरण	ग्रेच्युटी*	
		31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
(i)	अवधि के आरंभ में प्रतिपूर्ति अधिकारों का उचित मूल्य	4,916.24	4,349.41
(ii)	प्राप्ति समायोजन		
(iii)	प्रतिपूर्ति अधिकारों पर अपेक्षित रिटर्न		
(iv)	योगदान	–	280.61
(v)	लाभ का भुगतान किया गया	–	–
(vi)	व्यय का शुद्ध प्रतिपूर्ति पर वापसी	341.20	286.22
(vii)	अवधि के अंत में प्रतिपूर्ति अधिकारों का उचित मूल्य	5,257.44	4,916.24

*नोट 81 देखें

(k) एक ट्रस्ट (एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड) द्वारा प्रबंधित कर्मचारी उपादान निधि योजना एक परिभाषित हित योजना है। दायित्व का वर्तमान मूल्य प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किया जाता है। कंपनी ने छुट्टी नकदीकरण के भुगतान के लिए एलआईसी से ग्रुप लीव इनकैशमेंट स्कीम ली है। जिसे उपरोक्त योजनागत संपत्ति के रूप में नहीं माना जाता है। नोट क्रमांक 81 देखें।

(l) संवेदनशीलता विश्लेषण

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

राशि (लाख ₹ में)

	अनुमानों में परिवर्तन	उपादान दायित्व पर प्रभाव	छुट्टी नकदीकरण पर प्रभाव	अर्धवेतन वेतन पर प्रभाव	एलटीसी पर प्रभाव	पीआरएमबी पर प्रभाव
छूट दर	0.50% की वृद्धि	-415.29	-411.89	-232.46	-13.01	–
	0.50% की कमी	457.06	464.39	261.85	13.05	–
वेतन वृद्धि दर	0.50% की वृद्धि	97.52	444.56	250.68	–	–
	0.50% की कमी	-106.20	-407.75	-230.12	–	–

उपरोक्त संवेदनशील विश्लेषण धरना में परिवर्तन के आधार पर होता है जबकि अन्य सभी मान्यताओं को निरंतर रखता जाता है । व्यवहार में, यह होने की संभावना नहीं है, और कुछ मान्यताओं में परिवर्तन सहसंबद्ध हो सकते हैं। महत्वपूर्ण बीमांकिक मान्यताओं के लिए परिभाषित लाभ दायित्व की संवेदनशीलता की गणना करते समय, वही स्थिति (अनुमानित यूनिट क्रेडिट विधि) को वित्तीय स्थिति के विवरण में मान्यता प्राप्त परिभाषित लाभ दायित्व की गणना करते समय लागू किया गया है।

(m) परिभाषित लाभ दायित्व की परिपक्वता प्रोफाइल

राशि (लाख ₹ में)

क्र. सं.	वर्ष	उपादान*	छुट्टी नकदीकरण	अर्ध वेतन छुट्टी	एलटीसी	पीआरएमबी
a	0 से 1 वर्ष	215.44	186.57	134.19	138.00	–
b	1 से 2 वर्ष	169.49	194.94	109.86	–	–
c	2 से 3 वर्ष	258.29	269.14	152.96	–	–
d	3 से 4 वर्ष	170.87	177.55	95.44	–	–
e	4 से 5 वर्ष	185.42	171.77	93.43	–	–
f	5 से 6 वर्ष	197.03	164.71	99.63	–	–
g	6 वर्ष बाद	5,025.37	4,685.35	2,653.96	–	–

नोट :- 43

वर्ष 2022-23 के दौरान, रेल मंत्रालय के साथ निष्पादित समझौता ज्ञापन और खानपान नीति के अनुसार, विभिन्न जोनल रेलवे के साथ भागीदारी की गई है।

नोट :- 44 संबंधित पार्टी प्रकटन

भारतीय लेखा मानक- 24 'संबंधित पार्टी प्रकटन' के अनुसार, संबंधित पार्टियों के नाम नीचे दिए गए हैं: -

संबंध की प्रकृति	संबंधित पार्टी का नाम
संयुक्त उद्यम	रॉयल इंडियन रेल टूर्स लिमिटेड
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक	(i) श्रीमती रजनी हसीजा, निदेशक (टी एंड एम), अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आईआरसीटीसी के रूप में अतिरिक्त प्रभार के साथ
	(ii) श्री अजीत कुमार, निदेशक (वित्त) और सीएफओ
	(iii) श्री देबाशीष चंद्र, निदेशक (खानपान सेवाएँ), (18.01.2022 से 31.08.2022 तक नियुक्त)
	(iv) डॉ. लोकैया रविकुमार, निदेशक (खानपान सेवाएं) (11.02.2023 से नियुक्त)
	(v) श्री नीरज शर्मा (नामित निदेशक)
	(vi) श्री विश्वनाथ शंकर (नामित निदेशक) (29.07.2022 से समाप्त)
	(vii) श्री मनोज कुमार गांगेय (नामित निदेशक) (21.09.2022 से नियुक्त)
	(viii) श्री विनय कुमार शर्मा (स्वतंत्र निदेशक)
	(ix) श्री नामग्याल वांगचुक (स्वतंत्र निदेशक)
	(x) श्रीमती सुमन कालरा (कंपनी सचिव)

नोट:- 44.1 प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ लेन-देन

वर्ष के दौरान निदेशकों और अन्य प्रमुख प्रबंधन कर्मियों का पारिश्रमिक इस प्रकार था:

राशि (लाख ₹ में)

	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
लघु अवधि के लाभ	206.77	197.52
रोजगार उपरांत लाभ*	23.93	20.00
	230.70	217.52

*उपरोक्त में रोजगारोत्तर लाभ के लिए दीर्घकालिक योगदान/प्रावधान शामिल नहीं है

नोट :- 44.2 स्वतंत्र निदेशकों के लिए बैठक शुल्क

वर्ष के दौरान निदेशकों और प्रमुख प्रबंधन कर्मियों के अन्य सदस्यों का पारिश्रमिक इस प्रकार था:

राशि (लाख ₹ में)

	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
स्वतंत्र निदेशकों के लिए बैठक शुल्क	10.80	3.75

नोट :- 44.3 सरकार से संबंधित संस्थाओं के साथ लेनदेन

आईआरसीटीसी एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, जिसका नियंत्रण केंद्र सरकार द्वारा बहुसंख्यक शेयरों को धारण करके किया जाता है। भारतीय लेखा मानक 24 के अनुच्छेद 25 और 26 के अनुसार, जिस इकाई पर एक ही सरकार का नियंत्रण या संयुक्त नियंत्रण है, या महत्वपूर्ण प्रभाव है, तो रिपोर्टिंग इकाई और अन्य संस्थाओं को संबंधित पक्ष माना जाएगा। इन पार्टियों के साथ लेन-देन बाजार की शर्तों पर आर्म लेंथ के आधार पर किया जाता है।

आईआरसीटीसी ने सरकार से संबंधित संस्थाओं के लिए उपलब्ध छूटों को लागू किया है और वित्तीय विवरणों में सीमित प्रकटीकरण किया है। ऐसी संस्थाएं जिनके साथ आईआरसीटीसी के महत्वपूर्ण लेन-देन शामिल हैं, लेकिन इन तक सीमित नहीं हैं, वे निम्नानुसार है: -

कंपनी का नाम: रेल मंत्रालय के माध्यम से भारत सरकार (कंपनी पर महत्वपूर्ण प्रभाव)
रेल विकास निगम लिमिटेड (रेल मंत्रालय द्वारा नियंत्रित)
क्रिस (रेल मंत्रालय द्वारा नियंत्रित)
रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (रेल मंत्रालय द्वारा नियंत्रित)

कुछ महत्वपूर्ण लेन-देन:-

राशि (लाख ₹ में)

क्रम सं.	पार्टी	लेनदेन की प्रकृति	2022-23	2022-21
1	रेलवे	खानपान और व्यापक सेवाओं, ऑन बोर्ड खानपान और अन्य सेवाओं से आय- राजधानी/शताब्दी/प्रीमियम ट्रैन	80,002.88	13,403.50
2	रेलवे	लाइसेंसधारी खानपान सेवाओं पर रेलवे का शेयर	28,256.36	14,670.95
3	रेलवे	रेलनीर पर रेलवे का शेयर	546.60	2,713.32
4	रेलवे	इंटरनेट टिकट सेवा शुल्क और विज्ञापन, कार्यालय किराया और पानी और बिजली पर रेलवे शेयर	374.04	248.99
5	रेलवे	महाराजा एक्सप्रेस, तेजस और अन्य ट्रैनों पर ढुलाई शुल्क	13,776.95	6,694.06
6	रेलवे	संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	1,666.62	611.04
7	रेलवे	फ्लैटों के निर्माण के लिए पूंजी अग्रिम	64.55	360.00
8	क्रिस	रखरखाव और विकास पर व्यय और इंटरनेट टिकटिंग के लिए लीज्ड लाइन व्यय	1,599.73	1,477.83
9	क्रिस	आय-एकीकृत 139 एवं रेल मदद	729.61	537.25
10	रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	लीज लाइन और रखरखाव और विकास व्यय	454.65	392.44
11	रेलटेल एंटरप्राइजेज लिमिटेड	रखरखाव और विकास व्यय	46.53	-
12	रेल विकास निगम लिमिटेड	फ्लैटों के निर्माण के लिए पूंजी अग्रिम।	-	594.00

अन्य प्रकटन:

कंपनी ने उसके माध्यम से बुक की गई ट्रैन टिकटों के भुगतान के संबंध में रेल मंत्रालय को इंटरनेट टिकटिंग के लिए 31 मार्च, 2023 तक ₹ 79,026.60 लाख (31 मार्च, 2022 को ₹ 76,897.16 लाख) रोलिंग जमा के रूप में दिए।

ये लेन-देन कंपनी के सामान्य व्यवसाय द्वारा नियंत्रित किए जाते है।

रोज़गार पश्चात लाभ योजनाओं के साथ लेन-देन अलग-अलग ट्रस्ट फंडों के माध्यम से प्रबंधित किया जाता है।

राशि (लाख ₹ में)

क्रम सं.	ट्रस्ट फंड का नाम	विवरण	लेनदेन 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	लेनदेन 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
	भुगतान का प्रेषण			
1	आईआरसीटीसी ग्रेच्युटी ट्रस्ट	योगदान	320.68	0
2	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा योजना	योगदान	201.47	1571.93

नोट :– 44.4 संयुक्त उद्यम के साथ शेष राशि

राशि (लाख ₹ में)

क्रम सं.	विवरण	31–03–2023	31–03–2022
(i)	निवेश	250.00	250.00
(ii)	निवेश के मूल्य में क्षति	250.00	250.00
(iii)	अग्रिम लीज किराया	1,741.50	1,741.50
(iv)	लीज किराया प्राप्ति	269.08	269.08
(v)	व्यापार देयताएं	(1,471.71)	(1,471.71)

कंपनी के शेयर के निवेश मूल्य में क्षति अर्थात 250.00 लाख का आरआईआरटीएल के संचयी हानि को इसके शुद्ध मूल्य से हटा दिया गया है। इसके अलावा, आरआईआरटीएल के 2011–12 से 2022–23 के तुलनपत्र को अंतिम रूप मैसर्स कॉक्स एंड किंग्स (इंडिया) लिमिटेड के साथ लंबित विवाद नहीं सुलझाने के कारण नहीं दिया गया है।

नोट :– 45 संयुक्त उपक्रमों में हित की वित्तीय रिपोर्टिंग

कंपनी ने कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड के साथ मिलकर 50–50 बराबर भागीदारी के साथ रॉयल इंडियन रेल टूर्स लिमिटेड (आरआईआरटीएल) के संयुक्त उपक्रम के रूप में 10 दिसंबर 2008 को एक संयुक्त उपक्रम का गठन किया। हालांकि इक्विटी भागीदारों के बीच मुद्दों के कारण, आईआरसीटीसी ने 12 अगस्त 2011 को कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड के साथ समझौते समाप्त कर दिया, और आरआईआरटीएल से ट्रैन भी वापस ले ली।

संयुक्त उद्यम कंपनी में कंपनी के स्वामित्व हित का शेयर, परिसंपत्ति, देयता, आय, व्यय, आकस्मिक देयताएं और पूंजी प्रतिबद्धताओं का दोनों पार्टियों के बीच विवाद के चलते उनके लेखों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण 31 मार्च, 2023 तक उपलब्ध नहीं है। जिसके कारण भारतीय लेखा मानक 110 के अनुरूप अपेक्षित समग्रित वित्तीय विवरण नहीं बना है। ये वित्तीय विवरण भारतीय लेखा मानक के अनुसार अलग हैं।

राशि (लाख ₹ में)

क्रम सं	संयुक्त उपक्रम वाली कंपनी का नाम	कंपनी के स्वामित्व हित का %	परिसंपत्तियाँ	देयताएं	आय	व्यय	आकस्मिक देयताएं	पूंजी प्रतिबद्धताएं
1	आरआईआरटीएल	50%	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है

नोट :– 46 परिसंपत्तियों की क्षति

आईआरसीटीसी ने 31 मार्च, 2023 को कंपनी की संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई), अमूर्त और आरओयू परिसंपत्तियों की अग्रणीत राशि में हानि के किसी भी संकेत के लिए आकलन किया है। इस तरह के आकलन के आधार पर, प्रबंधन की राय में, आईआरसीटीसी की संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति की हानि के लिए वर्ष के दौरान कोई प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा, 31 मार्च, 2023 को आरओयू परिसंपत्तियों के हानि आकलन में, सभी संपत्तियों को इसके वसूली योग्य मूल्य से कम बताया गया है। तदनुसार, तेजस एक्सप्रेस (लखनऊ–नई दिल्ली–लखनऊ) ट्रैनों के लिए वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान प्रदान की गई ₹ 122.97 लाख की हानि को, अब वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान रिवर्स कर दिया गया है।

गोल्डन चैरियट और भारत गौरव (जिसे पहले बौद्ध सर्किट ट्रेन के नाम से जाना जाता था) ट्रेनों की भविष्य की लाभप्रदता के वर्तमान मूल्य के आधार पर, 31 मार्च, 2023 तक आरओयू की कोई हानि आवश्यक नहीं मानी गई, भले ही इन ट्रेनों का संचालन मार्च तक घाटे में था।

नोट :– 47 कंपनी द्वारा वर्ष 2021–22 के लिए निम्नलिखित के संबंध में सीआईएफ आधार पर गणना किए गए आयात का मूल्य

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	2022–23	2021–22
पूंजीगत वस्तुएं	शून्य	शून्य

नोट :– 48 विदेशी मुद्रा में व्यय

राशि (लाख ₹ में)

व्यय की प्रकृति	2022–23	2021–22
निदेशक की विदेश यात्रा पर होनेवाले व्यय	2.02	–
विदेश यात्रा पर होनेवाले व्यय –अन्य	21.29	0.62
अन्य व्यय	23.90	–
कुल	**47.21**	**0.62**

ध्यान दें:- वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए उपरोक्त आंकड़ों में निदेशक की पूर्व अवधि में किए गए ₹ 1.91 लाख रुपये की विदेश यात्रा व्यय शामिल नहीं है, जिसका हिसाब वित्तीय वर्ष 2021-22 में किया गया है।

नोट :– 49 विदेशी मुद्रा में आय

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	2022–23	2021–22
अन्य आय	2737.45	1937.20

नोट :– 50 ड्यूटी क्रेडिट लाइसेंस

वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान, कंपनी को वित्त वर्ष 2019–20 के लिए ₹ 164.85 लाख रुपये की राशि की शुल्क क्रेडिट पात्रता प्राप्त हुई थी जो कि विदेश व्यापार नीति, 2015–20 के तहत ''भारत से सेवा निर्यात योजना (एसईआईएस)'' के तहत कंपनी की नीति के अनुरूप वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान प्राप्य के रूप में दर्ज किए गए थे।

विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की संख्या 22) एफटी (डी एंड आर) अधिनियम यथा संशोधित की धारा 5 के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार द्वारा विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2023 को अधिसूचित किया गया है। नई नीति में ड्यूटी क्रेडिट पात्रता की प्रोत्साहन योजना नहीं है और तदनुसार, वर्ष के दौरान कोई आय अर्जित नहीं हुई है।

नोट :– 51 कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय

(a) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली सकल राशि ₹ 1253.00 लाख (पिछले वर्ष ₹ 990.00 लाख) है।

(b) वर्ष के दौरान खर्च की जाने वाली बोर्ड द्वारा स्वीकृत राशि ₹ 1253.00 लाख (पिछले वर्ष ₹ 990.00 लाख)।

(c) वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि का विवरण:-

राशि (लाख ₹ में)

क्रम सं	विवरण	2022–23			2021–22		
		नकद में (A)	चल रही परियोजनाओं पर नकद में व्यय किया जाना शेष है (B)	कुल (A+B)	नकद में (A)	चल रही परियोजनाओं पर नकद में व्यय किया जाना शेष है (B)	कुल (A+B)
i)	**किसी संपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण**	–	–	–	–	–	–
ii)	**ऊपर (i) के अलावा अन्य उद्देश्यों पर**						
a)	स्वच्छ भारत कोष और नमामि गंगे पर व्यय	295.98	–	295.98	133.28	–	133.28
b)	शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल पर व्यय	357.57	96.98	454.55	122.21	99.85	222.06
c)	इच्छित जिला	90.78	17.65	108.43	24.55	24.54	49.09
d)	स्वच्छता, सामाजिक सशक्तिकरण एवं पर्यावरण पर व्यय	110.49	19.58	130.07	6.67	–	6.67
e)	सशस्त्र सेनाएँ	5.00	–	5.00	7.87	–	7.87
f)	आईआईटी के लिए अनुसंधान एवं विकास	44.22	11.06	55.28	65.56	–	65.56
g)	पीएम केयर फंड	150.00	–	150.00	300.00	–	300.00
h)	कौशल विकास और खेल	47.69	6.00	53.69	–	–	–
i)	अन्य (रेलनीर सामुदायिक भोजन की आपूर्ति एवं प्रशासनिक व्यय आदि)	–	–	–	205.47	–	205.47
	कुल	**1101.73**	**151.27**	**1253.00**	**865.61**	**124.39**	**990.00**

नोट – 51.1 – चालू परियोजनाओं के लिए 2021–22 के लिए अव्ययित राशि का विवरण

चालू परियोजनाओं के लिए कुल राशि खर्च नहीं की गई	2022–23 के दौरान खर्च की गई कुल राशि	31 मार्च 2023 तक व्यय की जाने वाली राशि शेष है
124.39	72.91	51.48

नोट – 51.2 – वर्ष के दौरान किए गए सीएसआर व्यय के संबंध में कोई संबंधित पार्टी लेनदेन नहीं हुआ।

नोट :– 52 पूर्व अवधि की मदें

52.1 पूर्व अवधि के लेन–देन इस प्रकार हैं:

राशि (लाख ₹ में)

प्रकृति	2022–23
पूर्व अवधि आय	
उत्पादों की बिक्री (खाद्य और पेय पदार्थों की बिक्री)	0.83
रियायती शुल्क, लाइसेंस शुल्क आदि से आय। (लाइसेंस फीस से आय)	(157.62)
ब्याज आय (ब्याज आय–अन्य)	1,257.79
इंटरनेट टिकटिंग (विज्ञापन/एसबीआई सह–ब्रांडेड कार्ड और लॉयल्टी कार्ड से आय)	(99.38)
इंटरनेट टिकटिंग (आईएटीए/आरटीएसए/इंटरनेट कैफे आदि से शुल्क से आय)	2.86
अन्य गैर–संचालन आय (संविदा संबंधी जुर्माना और दंड प्राप्त)	(2.00)
अन्य गैर–परिचालन आय (विविध आय)	20.60
रेलनीर (लाइसेंस शुल्क – रेलनीर)	56.81
पर्यटन और ट्रेन संचालन (पर्यटन और ट्रेन संचालन)	62.57
उप–कुल	**1,142.46**
पूर्व अवधि के व्यय	
कर्मचारी लाभ व्यय (वेतन, पारिश्रमिक और बोनस)	56.46
कर्मचारी लाभ व्यय (कर्मचारी कल्याण व्यय)	0.34
कर्मचारी लाभ व्यय (भविष्य निधि, अवकाश नकदीकरण और अन्य निधियों में योगदान)	1,150.79
रियायती शुल्क, लाइसेंस शुल्क आदि का व्यय (लाइसेंस शुल्क)	(56.42)
पर्यटन एवं ट्रेन संचालन का व्यय (राज्य तीर्थ का व्यय)	(122.62)
पर्यटन एवं रेल संचालन का व्यय (पर्यटन एवं रेल संचालन)	(1.42)
विनिर्माण और प्रत्यक्ष व्यय (कमीशन का भुगतान)	7.11
विनिर्माण एवं प्रत्यक्ष व्यय (लाइसेंस शुल्क भूमि)	1.29
विनिर्माण और प्रत्यक्ष व्यय (रखरखाव और अन्य शुल्क)	28.65
विनिर्माण और प्रत्यक्ष खर्च (अन्य प्रत्यक्ष खर्च)	(174.01)
अन्य व्यय (विज्ञापन व्यय)	(7.94)
अन्य व्यय (व्यवसाय विकास/विपणन व्यय)	(0.15)
अन्य व्यय (संचार व्यय)	1.68
अन्य व्यय (वाहन व्यय)	(10.40)
अन्य व्यय (कर्तव्य, दरें और कर)	10.31
अन्य व्यय (बिजली और पानी)	(1.20)
अन्य व्यय (बाहर माल ढुलाई और सीएफए शुल्क)	8.65
अन्य व्यय (कानूनी एवं व्यावसायिक शुल्क)	2.51
अन्य व्यय (सीमित समीक्षा शुल्क)	(2.43)
अन्य व्यय (अचल संपत्तियों की बिक्री पर हानि)	(3.24)
अन्य व्यय (विविध व्यय)	1,390.40
अन्य व्यय (मुद्रण एवं स्टेशनरी)	123.31
अन्य व्यय (मरम्मत, रखरखाव एवं अन्य)	97.24
अन्य व्यय (सुरक्षा व्यय)	(2.05)
अन्य व्यय (यात्रा व्यय)	2.32
उप कुल	**2,499.16**
कुल	**1,356.70**

52.2 लाभ पर प्रभाव के साथ पूर्व अवधि के लेन-देन में संसोधन।

52.2.1 तुलनपत्र की मदों पर प्रभाव इस प्रकार है:

राशि (लाख ₹ में)

लाइन आइटम	2021-22 पर प्रभाव	1 अप्रैल 2021 से पहले	कुल
वर्तमान व्यापार प्राप्ति	(87.16)	(24.93)	(112.09)
अन्य वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियाँ (प्रतिपूर्ति का अधिकार)	307.84	949.95	1,257.79
अन्य चालू परिसंपत्तियां		(112.43)	(112.43)
कुल परिसंपत्ति	**220.68**	**812.59**	**1,033.27**
गैर-वर्तमान देनदारियाँ (पट्टा देनदारियाँ)	(25.90)	(148.11)	(174.01)
वर्तमान व्यापार देय	312.29	916.62	1,228.91
अन्य वर्तमान वित्तीय देयताएं	-	52.76	52.76
अन्य वर्तमान देयताएं	40.07	5.39	45.45
प्रावधान	307.84	929.02	1,236.86
कुल देयता	**634.29**	**1,755.66**	**2,389.97**
वित्तीय विवरणों पर शुद्ध प्रभाव - देयता में वृद्धि	**413.61**	**943.07**	**1,356.70**

राशि (लाख ₹ में)

प्रकृति	2021-22
पूर्व अवधि आय	
उत्पादों की बिक्री (खाद्य और पेय पदार्थों की बिक्री)	0.83
रियायती शुल्क, लाइसेंस शुल्क आदि से आय। (लाइसेंस फीस से आय)	(59.54)
ब्याज आय (ब्याज आय-अन्य)	307.84
इंटरनेट टिकटिंग (विज्ञापन/एसबीआई सह-ब्रांडेड कार्ड और लॉयल्टी कार्ड से आय)	(99.38)
इंटरनेट टिकटिंग (आईएटीए/आरटीएसए/इंटरनेट कैफे आदि से शुल्क से आय)	2.86
रेलनीर (लाइसेंस शुल्क - रेलनीर)	4.84
पर्यटन और ट्रेन संचालन (पर्यटन और ट्रेन संचालन)	59.99
उप-कुल	**217.44**
पूर्व अवधि के व्यय	
कर्मचारी लाभ व्यय (वेतन, पारिश्रमिक और बोनस)	0.18
कर्मचारी लाभ व्यय (कर्मचारी कल्याण व्यय)	0.34
कर्मचारी लाभ व्यय (भविष्य निधि, अवकाश नकदीकरण और अन्य निधियों में योगदान)	300.78
रियायती शुल्क, लाइसेंस शुल्क आदि का व्यय (लाइसेंस शुल्क)	(24.29)
पर्यटन एवं ट्रेन संचालन का व्यय (राज्य तीर्थ का व्यय)	(122.62)
पर्यटन एवं रेल संचालन का व्यय (पर्यटन एवं रेल संचालन)	1.02
विनिर्माण और प्रत्यक्ष व्यय (कमीशन का भुगतान)	7.11
विनिर्माण एवं प्रत्यक्ष व्यय (लाइसेंस शुल्क भूमि)	1.29
विनिर्माण और प्रत्यक्ष व्यय (रखरखाव और अन्य शुल्क)	31.88
विनिर्माण और प्रत्यक्ष खर्च (अन्य प्रत्यक्ष खर्च)	(25.90)
अन्य व्यय (बाहर माल ढुलाई और सीएफए शुल्क)	4.82
अन्य व्यय (संचार व्यय)	1.30
अन्य व्यय (कर्तव्य, दरें और कर)	9.44
अन्य व्यय (कानूनी एवं व्यावसायिक शुल्क)	12.71
अन्य व्यय (अचल संपत्तियों की बिक्री पर हानि)	(3.24)
अन्य व्यय (विविध व्यय)	308.62
अन्य व्यय (मुद्रण एवं स्टेशनरी)	118.68
अन्य व्यय (मरम्मत, रखरखाव एवं अन्य)	10.37
अन्य व्यय (सुरक्षा व्यय)	(2.05)
अन्य व्यय (यात्रा व्यय)	0.61
उप कुल	**631.06**
शुद्ध पूर्व अवधि व्यय/(आय)	**413.61**
कर पूर्व लाभ	**413.61**

52.2.3 प्रति शेयर आय (मूल और डाइल्यूटेड) पर पूर्व अवधि की त्रुटियों का प्रभाव:

राशि (लाख ₹ में)

वर्ष	2022-23	2021-22
इक्विटी शेयर धारकों के लिए लाभ पर प्रभाव (लाख में)	(1,356.70)	(413.61)
इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (लाख में)	8,000.00	8,000.00
प्रति शेयर आय पर प्रभाव (मूल और डाइल्यूटेड)	-0.17	-0.05

नोट :- 53 नकद और नकद समकक्षों के अतिरिक्त बैंक बैलेंस

आईआरसीटीसी ने भारतीय स्टेट बैंक से ₹ 10,000 लाख (पिछले वर्ष ₹ 10,000 लाख) की सावधि जमा पर ₹ 12,000 लाख (पिछले वर्ष ₹ 12,000 लाख) की ओवरड्राफ्ट सुविधा प्राप्त की है। यह ओवरड्राफ्ट की सुविधा के लाभ के लिए इस अवधि में सावधि जमा की दर से @ 0.25% अधिक होगी। सावधि जमा दावा करने योग्य है।

नोट :- 54 रेलवे शेयर

(a) लाइसेंस शुल्क/सेवा शुल्क सकल मूल्य पर दिखाया गया है और भारतीय रेलवे को तद्रूरूप शेयर का भुगतान/बकाया को नोट संख्या 27, 28, 29 और 33.2 के तहत व्यय के रूप में दिखाया गया है।

(b) रेलवे और आईआरसीटीसी के बीच दिनांक 17.01.2007 को हस्ताक्षरित एमओयू के अनुसार, रेलनीर पर रेलवे को दिए जाते राजस्व का उल्लेख श्रेणी। "यात्री सुविधाएं जैसे स्टाल का प्रबंधन, रेलवे स्टेशन पर जलपान कक्ष, पेंट्री कार सेवाएं, रेल नीर आदि जहां सेवाएं भुगतान किए गए यात्रियों तक ही सीमित हैं और वस्तुओं की बिक्री और टैरिफ रेलवे द्वारा निर्धारित और नियंत्रित किए जाते हैं। इस गतिविधि के लिए सेवा प्रदाता को मिलने वाला लाभ बहुत सीमित होता है" में किया गया है। ऐसे मामले में आईआरसीटीसी द्वारा अर्जित राजस्व पर 15% राजस्व का हिस्सा देय है। विभागीय इकाइयों के मामले में, आईआरसीटीसी द्वारा रेलवे को शुद्ध लाभ का 15% देना होगा।

रेलवे बोर्ड ने अपने पत्र दिनांक 20.07.2021 के माध्यम से, रेलवे शेयर के मुद्दे को उठाया और कंपनी को दिनांक 19.01.2007 के समझौता ज्ञापन के अनुसार सभी रेल नीर संयंत्रों के रेलवे शेयर का भुगतान करने के लिए सूचित किया।

दिनांक 20.07.2021 के पत्र के जवाब में, कंपनी ने वही आधार पर प्रतिनिधित्व किया जैसा कि पूर्व में किया था। तथापि, रेलवे बोर्ड ने कंपनी के तर्क को स्वीकार नहीं किया और दिनांक 30.09.2021 के पत्र द्वारा लाइसेंसधारियों द्वारा चलाए जा रहे पीपीपी संयंत्रों के लिए खानपान नीति 2017 के संदर्भ में विभागीय संयंत्रों के लिए लाभ का 15% और 40% राजस्व हिस्सेदारी साझा करने की सलाह दी।

हालाँकि, कंपनी ने तर्क दिया कि पीपीपी संयंत्र लाइसेंसी मॉडल पर नहीं चलाए जाते हैं क्योंकि ये संयंत्र आईआरसीटीसी द्वारा स्थापित किए जाते हैं और रेल नीर की बिक्री केवल आईआरसीटीसी के इनवॉयस पर होती है। कंपनी अब पीपीपी संयंत्रों सहित सभी संयंत्रों के लिए 15% लाभ साझा करने पर सहमत हो गई है और रेलवे बोर्ड को दिनांक 24.02.2022 के पत्र के माध्यम से सूचित किया है और 2713.32 लाख रुपये की बकाया राशि का भुगतान किया है जिसे रेलवे बोर्ड ने मिलान होने तक स्वीकार कर लिया है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए रेल नीर सेगमेंट के लाभ के 15% पर 546.60 लाख रु. की रेलवे हिस्सेदारी को मान्यता दी है। वित्त वर्ष 2020-21 तक पिछले वर्षों के लिए 2713.32 लाख रु. के हिस्से के कारण रेल नीर सेगमेंट में नुकसान के कारण वित्त वर्ष 2021-22 के लिए रेलवे शेयर को मान्यता नहीं दी गई थी, जिसे वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान रेल नीर सेगमेंट के लाभ के सामने प्रभारित किया गया था।

नोट :- 55 फ्लैट और भूमि के लिए पूंजी अग्रिम

फ्लैट्स और भूमि की खरीद/निर्माण के लिए निम्नलिखित राशियों का भुगतान किया गया था जो आज तक लंबित हैं: -

- वर्ष 2002-03/2006-07/2021-22/ 2022-23 में भारतीय रेल को ₹ 635.98 लाख का भुगतान।
- वित्तीय वर्ष 2018-19 में एयर इंडिया लिमिटेड से फ्लैटों की खरीद के लिए ₹ 463.93 लाख।
- 2022-23 में नई दिल्ली में कार्यालय स्थान की खरीद के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार को 20851.84 लाख रुपये का भुगतान किया गया।

नोट :- 56

(a) पीपीपी मॉडल के अंतर्गत रेल नीर संयंत्रों के अनुबंध समझौते के अनुसार, डेवलपर सह ऑपरेटर (डीसीओ) समझौते में निर्धारित लाइसेंस शुल्क (एलएफ) की निर्धारित राशि का भुगतान करेगा और आईआरसीटीसी डीसीओ को मात्रा में कमी का भुगतान करेगा यदि एक वर्ष में वास्तविक प्रेषण रियायत समझौते में निर्धारित प्रेषण स्तर से कम हैं।

31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान आईआरसीटीसी के कार्यकारी बोर्ड (ईबी) ने निर्णय लिया कि कोविड-19 महामारी के दौरान कोई कमी मुआवजा देय नहीं होगा। ईबी ने आगे निर्णय लिया कि चूंकि यह स्थिति "गैर राजनीतिक अपेक्षित घटना" से संबंधित है, जैसा कि समझौते के खंड 16.2 में प्रदान किया गया है, लाइसेंस शुल्क का लाभ डेवलपर सह ऑपरेटर (डीसीओ) को प्रो-राटा आधार पर दिया जा सकता है, जो वास्तविक उत्पादन और विधिवत निष्पादित समझौतों के अनुसार स्थापित की गई क्षमता से संबंधित है।

आईआरसीटीसी द्वारा लिए गए निर्णय से सभी डीसीओ को अवगत करा दिया गया है। लेकिन कुछ डीसीओ ने कंपनी के फैसले को स्वीकार नहीं किया है। तदनुसार, 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान कुल 437.61 लाख रुपये (वित्तीय वर्ष 2020-21 - 243.17 लाख रुपये और वित्तीय वर्ष 2021-22 - 194.44 लाख रुपये) प्रदान किए गए। ईबी के निर्णय को स्वीकार नहीं करने वाले असहमत डीसीओ के संबंध में माफ किए गए लाइसेंस शुल्क को घटाकर कमी मुआवजे के लिए ''दावे और क्षति के लिए प्रावधान'' की गणना की गई है।

इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान परिचालन सामान्य हो गया है और इसलिए, व्यक्तिगत संयंत्र के अनुबंध नियमों और शर्तों के अनुसार 50.41 लाख रुपये की कमी क्षतिपूर्ति की गणना और हिसाब लगाया गया है।

(b) निविदा के नियम एवं शर्तों के अनुसार, 4 पीपीपी रेलनीर संयंत्रों के संबंध में, डीसीओ को उनके द्वारा प्राप्त किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के शुद्ध बिक्री पर जीएसटी की प्रतिपूर्ति की जानी है। लेकिन, गलती से, 3 संयंत्रों के डीसीओ द्वारा दावा किए गए आईटीसी पर विचार किए बिना, बिक्री पर जीएसटी की प्रतिपूर्ति की गई है।

इसका प्रभाव जो 442.46 लाख रु. की राशि का होगा, वित्त वर्ष 2022-23 में रेल नीर संयंत्रों के लिए हिसाब में लिया गया है, जिसके लिए आईटीसी विवरण उपलब्ध था। इसके अलावा, पूरे वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 02 संयंत्रों और मार्च 2023 महीने के लिए 01 संयंत्र के संबंधित डीसीओ द्वारा दावा किए गए आईटीसी के आंकड़ों की अनुपलब्धता के कारण, वित्त वर्ष 2022-23 में इसका अनुमान और हिसाब नहीं लगाया जा सका। इसी तरह, इसका प्रभाव जो 309.28 लाख रु. की राशि का होगा, वित्त वर्ष 2021-22 में हिसाब में लिया गया, सिवाय एक संयंत्र को छोड़कर जहां डीसीओ द्वारा दावा किए गए आईटीसी के आंकड़े उपलब्ध नहीं थे। इन डीसीओ ने इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए आईआरसीटीसी के दावे के खिलाफ दलील दी है। कंपनी इस मामले में भारत के पूर्व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) से कानूनी राय लेना चाहती है। इस मुद्दे पर राय अभी नहीं मिली है। उक्त राय प्राप्त होने पर तदनुसार आवश्यक निर्णय लिया जाएगा।

नोट :- 57

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान, कंपनी ने लागत के आधार पर 3 श्रेणी के कोचों के निर्माण के लिए पर्यटन मंत्रालय से ₹1200 लाख प्राप्त किए थे, जिसमें से ₹121.66 लाख की शेष राशि पर्यटन मंत्रालय को वापस कर दी गई है।

नोट :- 58 खंडवार रिपोर्टिंग

कॉर्पोरेट नियोजन के लिए सीओडीएम और प्रबंधक कंपनी द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं की प्रकृति, संगठन संरचना और आंतरिक रिपोर्टिंग प्रणाली के आधार पर व्यवसाय निष्पादन की जांच की हैं और इसके व्यवसाय के पांच रिपोर्ट की जानेवाले खंडों की पहचान की है: -

- खानपान
- रेलनीर
- पर्यटन और ट्रैन संचालन
- राज्य तीर्थ
- इंटरनेट टिकटिंग.

निगम मुख्य रूप से स्वदेशी बाजार की जरूरतों को पूरा करता है। इसलिए कोई रिपोर्ट करने योग्य भौगोलिक खंड नहीं हैं।

वित्तीय विवरणों को तैयार करने के किए प्रयुक्त लेखांकन सिद्धांतों को अलग-अलग खंडों में राजस्व और व्यय को दर्ज करने के लिए सुसंगत रूप से लागू किया जाता है, जैसा कि महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के नोट में उल्लेख किया गया है।

खंड से संबंधित राजस्व और प्रत्यक्ष व्यय उन मदों के आधार पर आबंटित किए जाते हैं जिनकी अलग-अलग रूप से खंड से संबंधित होने की पेहचाह की जा सकती है, जबकि शेष लागतों को अनाबंटित व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। प्रबंधन का मानना है कि इन व्यय के लिए खंड प्रकटीकरण प्रदान करना व्यावहारिक नहीं है और तदनुसार इन व्यय को अनाबंटित के रूप में अलग से प्रकट किया जाता है और केवल कॉर्पोरेशन की कुल आय के लिए समायोजित किया जाता है। कुल राजस्व में इस तरह के अनाबंटित व्यय का समग्र प्रतिशत महत्वपूर्ण नहीं है।

कंपनी के व्यवसाय में उपयोग की जाने वाली परिसंपत्ति और देयताओं की पहचान किसी भी रिपोर्ट करने योग्य खंड के लिए नहीं की जाती है क्योंकि इनका उपयोग खंडों के बीच परस्पर किया जाता है। कंपनी का मानना है कि वर्तमान में कुल परिसंपत्ति और देयताओं से संबंधित प्रकटीकरण प्रदान करना व्यावहारिक नहीं है क्योंकि उपलब्ध डेटा को यथार्थ रूप से अलग करना कठिन हो सकता है।

खंडवार रिपोर्टिंग

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	खानपान		रेलनीर		इंटरनेट टिकटिंग		पर्यटन और ट्रैन संचालन		राज्य तीर्थ		विलोपन		कुल	
	मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	मार्च 2023 को समाप्त वष	मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	मार्च 2023 को समाप्त वष	मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
राजस्व														
उत्पादों की बिक्री	2,769.87	2,976.97	29,503.21	16,880.22	-	-	-	-	-	-			32,273.08	19,857.19
सेवाओं की बिक्री	1,44,878.79	46,843.74	522.70	334.25	1,19,803.42	1,02,000.22	41,220.59	15,757.25	15,377.83	3,031.37			3,21,803.33	1,67,966.83
अन्य परिचालन आय	-	17.30	70.88	16.12	-	-							70.88	33.42
अंतर -खंडवार बिक्री			1,359.94	399.49							(1,359.94)	(399.49)	-	-
अन्य आय	1,994.87	1,309.98	447.99	113.21	885.13	487.57	302.19	249.69	74.04	7.51			3,704.22	2,167.96
ब्याज और लाभांश आय													8,338.84	5,422.42
कुल राजस्व	1,49,643.53	51,147.99	30,544.78	17,343.80	1,20,688.55	1,02,487.79	41,522.78	16,006.94	15,451.87	3,038.88	-	-	3,66,190.35	1,95,447.82
खंडवार परिणाम	16,272.69	1,782.56	3,469.87	971.80	1,00,507.52	85,196.72	1,267.17	(4,807.07)	2,824.87	371.69			1,32,680.96	88,938.12
अनाबंटित कॉर्पोरेट आय													-	-
अनाबंटित कॉर्पोरेट व्यय													-	-
कर पूर्व लाभ (आपवादिक मद से पहले)	16,272.69	1,782.56	3,469.87	971.80	1,00,507.52	85,196.72	1,267.17	(4,807.07)	2,824.87	371.69			1,32,680.96	88,938.12
आपवादिक मदें	528.04	605.81	174.15	(2,506.00)	1,584.99	1,275.27	378.30	188.54	54.52	35.93	-	-	2,720.00	(400.45)
कर से पूर्व लाभ	16,800.73	2,388.37	3,644.02	(1,534.19)	1,02,092.51	86,471.98	1,645.47	(4,618.53)	2,879.39	407.62	-	-	1,35,400.96	88,537.67
आय कर													34,812.85	22,582.39
शुद्ध लाभ	16,800.73	2,388.37	3,644.02	(1,534.19)	1,02,092.51	86,471.98	1,645.47	(4,618.53)	2,879.39	407.62	-	-	1,00,588.11	65,955.29
अन्य प्रकटन														
ब्याज व्यय	575.27	213.88	117.68	72.43	468.40	428.73	390.50	377.27	59.40	12.69	-	-	1,611.25	1,105.00
मूल्यह्रास	1,007.82	745.21	1,380.72	1,208.90	1,215.77	1,567.87	1,703.62	1,351.32	65.03	25.54	-	-	5,372.96	4,898.84
कुल मूल्यह्रास	1,007.82	745.21	1,380.72	1,208.90	1,215.77	1,567.87	1,703.62	1,351.32	65.03	25.54			5,372.96	4,898.84

नोट:

1. आईआरसीटीसी को मुख्य रूप से भोजन तैयार करने और भोजन वितरण को अनबंडल करने के लिए आदेश दिया गया, इस प्रकार विभागीय और लाइसेंसधारी खंडों को एकीकृत किया गया । (खानपान में विभागीय, गैर-रेलवे खानपान और लाइसेंसधारी खानपान शामिल है)
2. अंतर-खंडवार बिक्री को कुल राजस्व में नहीं लिया गया है।
3. कंपनी के व्यवसाय में उपयोग की जाने वाली परिसंपत्ति और देयताओं में किसी भी उचित खंड की पहचान नहीं की गई है क्योंकि इनका उपयोग खंडों के बीच परस्पर उपयोग के लिए किया जाता है। कंपनी का मानना है कि वर्तमान में कुल परिसंपत्ति और देयताओं से संबंधित खंडवार प्रकटीकरण प्रदान करना व्यावहारिक नहीं है क्योंकि उपलब्ध डेटा का सार्थक पृथ्थकरण हो सकता है।
4. कोविड-19 प्रतिबंध हटने के बाद सामान्य परिचालन शुरू होने के कारण, पिछले वर्ष के आंकड़े तुलनीय नहीं हैं।

नोट:– 59 ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व पर भारतीय लेखा मानक–115 के तहत प्रकटीकरण

(a) राजस्व का विसमूहन

(i) ग्राहकों के साथ अनुबंधों से कंपनी के राजस्व का विसमूहन नीचे दिया गया है: उत्पादों के प्रकार और सेवा के अनुसार

राशि (लाख ₹ में)

वस्तु या सेवा का प्रकार	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
उत्पादों की बिक्री	32,273.08	19,857.19
सेवा की बिक्री–		
i) इंटरनेट टिकटिंग	1,19,803.42	1,02,000.22
ii) खानपान सेवाओं से आय	80,002.88	13,403.50
iii) रियायत शुल्क, लाइसेंस शुल्क आदि से आय।	64,875.91	33,440.24
iv) पर्यटन और ट्रैन संचालन	56,598.42	18,788.62
v) रेलनीर लाइसेंस शुल्क	522.70	334.25
vi) अन्य परिचालन आय	70.88	33.42
कुल	**3,54,147.29**	**1,87,857.44**

(ii) ग्राहकों के साथ अनुबंधों से कंपनी के राजस्व का विसमूहन नीचे दिया गया है: खंडवार

राशि (लाख ₹ में)

खंडवार	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
खानपान	1,49,643.53	51,147.99
रेलनीर	30,544.78	17,343.80
इंटरनेट टिकटिंग	1,20,688.55	1,02,487.79
पर्यटन और ट्रैन संचालन	41,522.78	16,006.94
राज्य तीर्थ	15,451.87	3,038.88
कुल	**3,57,851.51**	**1,90,025.40**

(b) खंड रिपोर्टिंग से राजस्व ₹ 357851.50 लाख (वित्तीय वर्ष 2020-21 में ₹ 190025.40 लाख) है।

(c) **अनुबंध शेष**

राशि (लाख ₹ में)

	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022
व्यापार प्राप्य (नोट 10.1)	1,14,291.40	57,151.97
अनुबंध परिसंपत्ति	–	–
अनुबंध देयताएं (नोट 19)	40,952.33	22,081.68

(i) व्यापार प्राप्य गैर-ब्याज मुक्त होते हैं और ग्राहक प्रोफ़ाइल में रेल मंत्रालय, भारत सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम आदि शामिल हैं। कंपनी का औसत परियोजना निष्पादन चक्र 12 महीने तक का है।

(ii) अनुबंध संपत्ति को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें ग्राहक को हस्तांतरित वस्तुओं या सेवाओं के बदले में कंपनी के अधिकार पर विचार करने के लाइट सेवाओं का कार्यनिष्पादन किया जाता है। पहले से अनुबंधित परिसंपत्ति के रूप में मान्यता प्राप्त कोई भी राशि संलग्न शर्त यानी भविष्य की सेवा की संतुष्टि पर व्यापार प्राप्तियों के लिए पुनर्वर्गीकृत है, अर्थात भविष्य की सेवाएं जिनमें बिल बनाने का लक्ष्य प्राप्त करना आवश्यक है।

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022
वर्ष के प्रारंभ में अनुबंध परिसंपत्ति	–	–
प्रगति के माप में परिवर्तन के परिणामस्वरूप वृद्धि के कारण अनुबंध परिसंपत्ति से व्यापार प्राप्य में स्थानांतरण	–	–
वर्ष के अंत में अनुबंध परिसंपत्ति	–	–

(iii) अनुबंध देयताएं असमाप्त होनेवाले रियायत शुल्क, असमाप्त लाइसेंस शुल्क, असमाप्त उपयोगकर्ता शुल्क, असमाप्त एकीकरण शुल्क और पैकेज टूर के लिए अग्रिम से संबंधित ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम राशि का प्रतिनिधित्व करती हैं।

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022
वर्ष के प्रारंभ में अनुबंध देयताएं	22,081.68	12,692.22
वर्ष के अंत में अनुबंध देयताएं*	40,952.33	22,081.68

**असमाप्त होनेवाले असमाप्त रियायती शुल्क, असमाप्त लाइसेंस शुल्क, पैकेज टूर के एवज में अग्रिम से संबंधित ग्राहकों से प्राप्त अग्रिमों के लिए दिए गए रिफंड और पूर्व में किए गए दीर्घावधि लाइसेंसधारी अनुबंध के बजाय विशेष ट्रैनों के संचालन के लिए अल्पावधि लाइसेंसधारी अनुबंध के कारण संविदा देयता में कमी।

नोट:– 60 पूंजी प्रबंधन

कंपनी का उद्देश्य अपनी पूंजी की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है ताकि कंपनी शेयर धारकों को अधिकतम रिटर्न और अन्य हितधारकों को लाभ प्रदान करना जारी रख सके। 31 मार्च 2023 तक कंपनी के पास कोई उधारी नहीं है।

इसके अलावा, कंपनी इसके पूंजीगत ढांचे को चलाने और वित्तीय करारों की आवश्यकता के लिए इसकी आर्थिक स्थितियों में परिवर्तन करने के लिए समायोजन करती है। 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान पूंजी प्रबंधन के उद्देश्यों, नीतियों या पूंजी प्रबंधन की प्रक्रियाओं में कोई बदलाव नहीं किया गया।

नोट:– 61 उचित मूल्य माप

(i) श्रेणी के अनुसार वित्तीय साधन

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2023 तक			31 मार्च 2022 तक		
	एफवीटीपीएल*	एफवीटीओसीआई **	परिशोधित लागत	एफवीटीपीएल*	एफवीटीओसीआई **	परिशोधित लागत
वित्तीय परिसंपत्ति						
(i) निवेश	–	–	–	–	–	–
(ii) प्रतिभूति जमा	–	–	1,185.62	–	–	1,104.66
(iii) व्यापार प्राप्य	–	–	1,14,291.40	–	–	57,151.97
(iv) नकद और नकद समकक्ष	–	–	42,884.52	–	–	36,820.38
(v) नकद और नकद समकक्षों के अलावा बैंक बैलेंस	–	–	1,50,488.62	–	–	1,36,336.50
(vi) अन्य	–	–	19,707.18	–	–	14,150.63
कुल वित्तीय परिसंपत्ति	**–**	**–**	**3,28,557.34**	**–**	**–**	**2,45,564.14**
वित्तीय देयताएं						
(i) प्रतिभूति जमा	–	–	13,590.87	–	–	11,965.84
(ii) अग्रिम धन जमा			5,598.68			4,343.47
(iii) व्यापार देय	–	–	85,215.47	–	–	69,088.93
(iv) पट्टा देयताएं	–	–	8,416.22			10,492.13
(v) अन्य	–	–	20,056.52	–	–	17,932.30
कुल वित्तीय देयताएं	**–**	**–**	**1,32,877.76**	**–**	**–**	**1,13,822.67**

*लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य

** अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य

(ii) संपत्ति और देयताएं जिन्हें परिशोधित लागत पर मापा जाता है जिसके लिए उचित मूल्य का प्रकटन किया जाता हैं।

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2022 तक		31 मार्च 2021 तक	
	मूल कीमत	उचित कीमत	मूल कीमत	उचित कीमत
वित्तीय पूंजी				
प्रतिभूति जमा राशि	1,185.62	1,185.62	1,104.66	1,092.55
कुल वित्तीय परिसंपत्ति	**1,185.62**	**1,185.62**	**1,104.66**	**1,092.55**
वित्तीय देयताएं				
प्रतिभूति जमा राशि	13,590.87	13,474.48	11,965.84	13,682.97
पट्टा देयताएं	8,416.22	8,416.22	10,492.13	10,492.13
कुल वित्तीय देयताएं	**22,007.09**	**21,890.70**	**22,457.97**	**24,175.10**

a. व्यापार प्राप्ति, व्यापार देय, अल्पावधि प्रतिभूति जमा, नकद और नकद समकक्ष और अन्य लघु अवधि की प्राप्ति और अन्य देय राशि की तुलना में उनकी लघु प्रकृति के कारण उनके उचित मूल्य के समान माना जाता है।

b. लंबी अवधि की प्रतिभूति जमा राशियों के उचित मूल्य की गणना सावधि जमाओं की वर्तमान बाजार दर का उपयोग करते हुए नकदी प्रवाह में छूट के आधार की गई थी। गैर लक्ष्यों के इनपुट में शामिल करने के कारण इन्हें स्तर -3 के अनुक्रम के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

c. अब तक यानी वित्त वर्ष 2016-17 से, कंपनी बैंकों के साथ सावधि जमा के ब्याज की भारित औसत दर पर छूट देते हुए भारतीय एएस-109 (वित्तीय लिखत) के अनुसार उचित मूल्य माप पर ली और दी गई प्रतिभूति जमा का हिसाब कर रही थी और वित्त वर्ष 2016-17 से वित्त वर्ष 2021-22 तक इसी पद्धति का पालन किया जा रहा था। हालांकि, वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, कंपनी ने ली और दी गई सभी प्रतिभूति जमाओं की उनकी अंतिम तिथियों के संबंध में समीक्षा की और अब इसे 01 अप्रैल 2022 से शुरू होने वाली नई प्रतिभूति जमा के रूप में मानकर दर्ज किया गया है।

इसके अलावा, ली गई प्रतिभूति जमा के संबंध में बट्टे की दर को भी बैंकों के साथ सावधि जमा की भारित औसत ब्याज दर से कंपनी की वृद्धिशील उधार दर में बदल दिया गया है। इन परिवर्तनों के कारण प्रभाव अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता है। हालांकि, कंपनी ने ली गई प्रतिभूति जमा पर 79.43 लाख रु. (पिछले वर्ष 12.00 लाख रु.) की निवल आय अर्जित की है और दी गई प्रतिभूति जमा पर 0.07 लाख रु. (पिछले वर्ष 0.26 लाख रु.) का निवल घाटा हुआ है।

सुरक्षा परिसंपत्ति के पुनर्मूल्यांकन के कारण लाभ और हानि खाते पर प्रभाव-सुरक्षा जमा संपत्ति

सुरक्षा जमा संपत्ति

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2022-23	वर्ष में शुद्ध प्रभाव
सुरक्षा जमा पर छूट की समाप्ति पर ब्याज आय	1.06	3.05	1.99
आस्थगित सुरक्षा जमा - परिसंपत्ति का परिशोधन	1.32	3.12	1.80
शुद्ध प्रभाव	-0.26	-0.07	0.19

सुरक्षा दायित्व के पुनर्मूल्यांकन के कारण लाभ एवं हानि खाते पर प्रभाव-

सुरक्षा जमा देनदारियाँ

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2022-23	वर्ष में शुद्ध प्रभाव
आस्थगित सुरक्षा जमा के परिशोधन से आय - देयता	182.00	955.90	773.90
सुरक्षा जमा पर छूट की समाप्ति	170.00	876.47	706.47
शुद्ध प्रभाव	12.00	79.43	67.43

उचित मूल्य का अनुक्रम

स्तर 1 – चिह्नित परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत मूल्य (असमायोजित)।

स्तर 2 – उद्धृत मूल्य के अलावा स्तर 1 में जोकि परिसंपत्ति या देयता के लिए प्रत्यक्ष रूप से (यानी मूल्य के रूप में) या अप्रत्यक्ष (यानी मूल्य से उत्पन्न) रूप से शामिल किया जाता है।

स्तर 3 – परिसंपत्ति या देयता के लिए इनपुट जोकि बाजार डेटा (गैर अवलोकन योग्य इनपुट) के अवलोकन पर आधारित नहीं हैं।

निम्नलिखित में उचित मूल्य माप अनुक्रम, वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं को उचित मूल्य जिसमें पुनरावृत्ति के आधार पर और परिशोधित लागत के आधार पर मापा जाता है।

31 मार्च 2023 तक वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए मात्रात्मक प्रकटन उचित मूल्य माप अनुक्रम:–

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्ति जिसके लिए उचित मूल्य का प्रकटन किया गया है:				
प्रतिभूति जमा राशि	–	–	1,185.62	1,185.62
	–	**–**	**1,185.62**	**1,185.62**

31 मार्च 2023 तक वित्तीय देयताओं के लिए मात्रात्मक प्रकटन उचित मूल्य माप अनुक्रम:–

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय देयताएं जिनके लिए उचित मूल्य का प्रकटन किया गया है:				
प्रतिभूति जमा राशि	–	–	13,474.48	13,474.48
पट्टा देयताएं	–	–	8,416.22	8,416.22
	–	**–**	**21,890.70**	**21,890.70**

31 मार्च 2022 तक वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए मात्रात्मक प्रकटन उचित मूल्य माप अनुक्रम:–

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्ति जिसके लिए उचित मूल्य का प्रकटन किया गया है:				
प्रतिभूति जमा राशि	–	–	1,092.55	1,092.55
	–	**–**	**1,092.55**	**1,092.55**

31 मार्च 2022 तक वित्तीय देयताओं के लिए मात्रात्मक प्रकटन उचित मूल्य माप अनुक्रम:–

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय देयताएं जिनके लिए उचित मूल्य का प्रकटन किया गया है:				
प्रतिभूति जमा राशि	–	–	13,682.97	13,682.97
पट्टा देयताएं	–	–	10,492.13	10,492.13
	–	**–**	**24,175.10**	**24,175.10**

नोट :– 62 वित्तीय जोखिम प्रबंधन

कंपनी की प्रमुख वित्तीय देयताओं में व्यापार और अन्य देय शामिल हैं। इन वित्तीय देयताओं का मुख्य उद्देश्य कंपनी के संचालन को वित्तपोषित करना है और इसके संचालन के समर्थन में गारंटी प्रदान करना है। कंपनी की प्रमुख वित्तीय परिसंपत्तियों में व्यापार और अन्य प्राप्य और नकद और नकद समकक्ष शामिल हैं जो इसके संचालन से सीधे प्राप्त होते हैं। कंपनी को बाजार जोखिम, क्रेडिट जोखिम और तरलता जोखिम हो सकते है। कंपनी की वित्तीय जोखिम गतिविधियाँ उचित नीतियों और प्रक्रियाओं द्वारा नियंत्रित होती हैं और कंपनी की नीतियों और जोखिम उद्देश्यों के अनुसार वित्तीय जोखिम की पहचान, मापन और प्रबंधन किया जाता है। निदेशक मंडल इनमें से प्रत्येक जोखिम के प्रबंधन के लिए नीतियों की समीक्षा करता है और उन पर सहमति देता है, जिनका सारांश नीचे दिया गया है:–

a) **बाजार जोखिम**

बाजार जोखिम वह जोखिम है जिसमें बाजार की कीमतों में होनेवाले बदलावों के कारण भविष्य में वित्तीय साधनों के नकदी प्रवाह के उचित मूल्य में उतार-चढाव कर देता है। बाजार जोखिम में ब्याज दर जोखिम और विदेशी मुद्रा जोखिम शामिल हैं। बाजार जोखिम से प्रभावित वित्तीय साधनों में ऋण और उधार, जमा और अन्य गैर-व्युत्पन्न वित्तीय साधन शामिल हैं।

i) **ब्याज दर जोखिम**

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है जिसमें भविष्य में वित्तीय साधनों के नकदी प्रवाह के उचित मूल्य बाजार के ब्याज दर में बदलाव के उतार- चढ़ाव के कारण होता है। कंपनी, कंपनी नीतियों और जोखिम उद्देश्यों के अनुसार अपने ब्याज जोखिम का प्रबंधन करती है। ब्याज दर जोखिम से प्रभावित वित्तीय साधनों में बैंकों के साथ जमा राशियां शामिल हैं। इन वित्तीय साधनों पर ब्याज दर का जोखिम बहुत कम है क्योंकि ब्याज दर वित्तीय साधनों की अवधि के लिए है।

ii) **विदेशी मुद्रा जोखिम**

कंपनी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काम करती है। विदेशी मुद्रा लेनदेन की कम मात्रा को देखते हुए, विदेशी मुद्रा लेनदेन से उत्पन्न होने वाले विदेशी मुद्रा जोखिम से कोई वास्तविक जोखिम मौजूद नहीं है। कंपनी किसी भी विदेशी मुद्रा जोखिम को रोक नहीं लगा सकती है।

b) **क्रेडिट जोखिम**

क्रेडिट जोखिम कंपनी के लिए वित्तीय नुकसान का जोखिम है यदि कोई ग्राहक या किसी वित्तीय साधन का प्रतिपक्ष अपने संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने में विफल रहता है, और मुख्य रूप से ग्राहकों से कंपनी की प्राप्तियों से उत्पन्न होता है। कंपनी को व्यापार प्राप्य, बैंकों, वित्तीय संस्थानों और अन्य वित्तीय साधनों के साथ जमा सहित अपनी वित्तीय गतिविधियों से क्रेडिट जोखिम का सामना करना पड़ता है। क्रेडिट जोखिम का अधिकतम जोखिम वित्तीय परिसंपत्तियों के वहन मूल्य के बराबर है। प्रतिपक्ष क्रेडिट जोखिम के प्रबंधन का उद्देश्य वित्तीय परिसंपत्तियों में होने वाले नुकसान को रोकना है। कंपनी प्रतिपक्षों की वित्तीय स्थिति, पिछले अनुभव और अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए उनकी क्रेडिट गुणवत्ता का आकलन करती है।

c) **वित्तीय साधन और नकद जमा**

बैंकों और वित्तीय संस्थानों के पास शेष राशि से क्रेडिट जोखिम का प्रबंधन कंपनी की नीति के अनुसार किया जाता है। अधिशेष का निवेश केवल प्रतिपक्ष से प्राप्त वित्तीय उद्धरणों के आधार पर अनुमोदित प्रतिपक्ष के साथ किया जाता है।

d) **तरलता जोखिम**

तरलता जोखिम वह जोखिम है जो कंपनी अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा करने में सक्षम नहीं होती क्योंकि वे देय हो जाते हैं। कंपनी यथासंभव सुनिश्चित करके अपने तरलता जोखिम का प्रबंधन करती है, क्योंकि जब भी देय हो, तो इसकी देयताओं को पूरा करने के लिए हमेशा पर्याप्त तरलता होगी, सामान्य और तनावपूर्ण दोनों परिस्थितियों के अंतर्गत, अस्वीकार्य नुकसान या कंपनी की प्रतिष्ठा के जोखिम के बिना रहेगी।

कंपनी की तरलता के प्रमुख स्रोत नकदी और नकदी समकक्ष और संचालन से उत्पन्न होता नकदी प्रवाह है। कंपनी पर कोई बैंक का कर्ज नहीं है। कंपनी का मानना है कि अपनी वर्तमान परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसके पास पर्याप्त कार्यशील पूंजी है। कोई भी अल्पावधि- कार्यशील पूंजी प्रबंधन और अन्य परिचालन संबंधी आवश्यकताओं के लिए आवश्यक राशि से अधिक उत्पन्न अधिशेष नकद को नकद और बैंक के साथ अल्पावधि जमाओं में निवेश के रूप में रखा जाता है। उक्त निवेश उचित परिपक्वता और पर्याप्त तरलता वाले उपकरणों में किए जाते हैं।

नोट:- 63 अपेक्षित क्रेडिट हानि के लिए भत्ते और व्यापार प्राप्तियों के एजिंग की अनुसूची

(i) 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि के लिए भत्ते

राशि (लाख ₹ में)

विवरण		3 वर्ष तक	3 से अधिक 5 से कम	5 वर्ष से अधिक	डिफॉल्ट
रेलवे / सरकार	सकल वहन राशि	89,265.72	9,346.26	2,762.00	3,978.52
	अनुमानित क्रेडिट दर	0%	0%	100%	100%
	अनुमानित क्रेडिट हानि (हानि प्रावधान भत्ता)		-	2,762.00	3,978.52
	व्यापार प्राप्तियों की सकल वहन राशि	89,265.72	9,346.26	-	-

राशि (लाख ₹ में)

विवरण		3 वर्ष तक	3 से अधिक 5 से कम	5 वर्ष से अधिक	डिफॉल्ट
गैर-रेलवे/गैर-सरकारी	सकल वहन राशि	13,396.77	1,524.06	2,420.18	5,522.65
	अनुमानित क्रेडिट दर	0%	50%	100%	100%
	अनुमानित क्रेडिट हानि (हानि प्रावधान भत्ता)	-	762.03	2,420.18	4002.03(*)
	व्यापार प्राप्तियों की सकल वहन राशि	13,396.77	762.03	-	1,520.62

1. नियत निपटान के समय लाइसेंसधारी से दावे की वसूली न होने की स्थिति में, डब्ल्यूवीएम संविदाओं के लिए 03 वर्ष तक 1382.71 लाख रु. और 03 से 05 वर्ष तक 380.24 लाख रु. की विवादित लेनदारी पर ईसीएल प्रावधान, रेलवे के संबंधित 40% हिस्से का भुगतान करने का दायित्व हिस्सा भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए, कंपनी द्वारा प्राप्य राशि के 60% का प्रावधान किया गया है।

2. 3 साल तक 341.19 लाख रु. और 03 से 05 साल तक 216.07 लाख रु. और 05 साल से अधिक तक 1057.67 लाख रु. की विवादित लेनदारी राशि में बिक्री मूल्यांकन, चाय और कॉफी परोसने और भोजन शुल्क दर में बढ़ोतरी पर अधिक लाइसेंस शुल्क से संबंधित लाइसेंसधारक के बकाया दावे शामिल हैं। विवाद निपटान के समय लाइसेंसधारी से दावे की वसूली न होने की स्थिति में, रेलवे के संबंधित 45% हिस्से (रखरखाव शुल्क सहित) का भुगतान करने का दायित्व भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए, कंपनी द्वारा प्राप्य राशि के 55% का प्रावधान किया गया है।

3. एक गैर रेलवे पक्षकार के 155.24 लाख रु. के विवादित बकाए के समक्ष ईसीएल प्रावधान 88.71 लाख रु. की कुल प्रतिभूति जमा के साथ किया गया है। 66.53 लाख रु. का ईसीएल प्रावधान किया गया है।

4. निजी पक्षकार से निर्विवाद प्राप्य पर 03 से 05 वर्ष तक के लिए ईसीएल प्रावधान 50% (पिछले वर्ष 25%) की दर से किया गया है और रेलवे और सरकार से निर्विवाद प्राप्य पर 05 वर्ष से अधिक के लिए ईसीएल प्रावधान 100% (पिछले वर्ष 75%) की दर से किया गया है। इसके परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 2022-23 के लिए संदिग्ध ऋण के प्रावधान में 1071.52 लाख रु. की वृद्धि हुई।

(ii) 31 मार्च 2022 को व्यापार प्राप्ति की एजिंग अनुसूची

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					कुल
	6 महीने से कम	6 महीने - 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(i) अविवादित व्यापार प्राप्य - जो अच्छा माना जाता है	73,704.79	25,439.08	2,701.92	231.11	6,865.93	1,08,942.84
(ii) अविवादित व्यापार प्राप्य - जिनके क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	1,524.06	1,524.06
(iii) अविवादित व्यापार प्राप्य - क्रेडिट को नुकसान					5,474.50	5,474.50
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य- जो अच्छा माना जाता है	-	-	-	-	-	-
(v) विवादित व्यापार प्राप्य - जिनके क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-
(vi) विवादित व्यापार प्राप्य - क्रेडिट को नुकसान	-		259.36	166.12	8,443.63	8,869.11
(vii) बिल न की गई राशि	2,521.29	18.14	75.03	34.77	756.43	3,405.65

31 मार्च 2022 को व्यापर प्राप्तियों के एजिंग की अनुसूची

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					कुल
	6 महीने से कम	6 महीने – 1 वर्ष	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(i) अविवादित व्यापार प्राप्य – जो अच्छा माना जाता है*	32,109.29	1,792.75	2,526.42	6,422.52	7,061.97	49,912.96
(ii) अविवादित व्यापार प्राप्य – जिनके क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	–	–	–	–	4,777.15	4,777.15
(iii) अविवादित व्यापार प्राप्य – क्रेडिट को नुकसान					1,678.39	1,678.39
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य– जो अच्छा माना जाता है	–	–	–	–	–	–
(v) विवादित व्यापार प्राप्य – जिनके क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	–	–	–	–	–	–
(vi) विवादित व्यापार प्राप्य – क्रेडिट को नुकसान	–	10.42	31.28	3,234.31	5,266.62	8,542.64
(vii) बिल न की गई राशि	2,726.02	42.18	199.09	486.32	–	3,453.61

*112.09 लाख राशि की पूर्व अवधि मदों के कारण समायोजन शामिल नहीं है।

नोट:– 64 आकलन एवं अनुमान

निम्नलिखित प्रमुख अनुमान भविष्य में चिंता के करक हैं, और रिपोर्टिंग अवधि के अंत में आकलन अनिश्चितता के प्रमुख स्रोत हैं जिनकी अगली वित्तीय वर्ष के साथ परिसंपत्ति और देयताओं की मात्रा को समायोजित करने के लिए महत्वपूर्ण जोखिम हो सकता है।

a) **निष्पक्ष मूल्यांकन माप और मूल्यांकन प्रक्रिया**

डीसीएफ मॉडल सहित मूल्यांकन की तकनीकों का उपयोग करके वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं के उचित मूल्यों को मापा जाता है। जहां तक संभव हो वहां, इन तरीकों के लिए इनपुट प्रत्यक्ष बाजारों से लिए गए हैं, लेकिन जहां यह संभव नहीं है, वहां उचित मूल्यों पर पहुंचने के लिए एक परिमाण निर्णय की आवश्यकता होती है। निर्णय में नकदी का जोखिम, क्रेडिट जोखिम और अस्थिरता जैसे विचारशील इनपुट शामिल हैं। इन कारकों के बारे में मूल्यांकन में परिवर्तन वित्तीय साधनों के रिपोर्ट किए गए उचित मूल्य को प्रभावित कर सकता है।

b) **कर**

आस्थगित कर परिसंपत्तियों को उस हद तक मान्यता प्राप्त है कि यह संभावित है कि कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा, जिससे हानि के विरुद्ध उपयोग महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय के उपयोग से किया जा सकता है। आस्थगित कर संपत्ति की पहचान करने के लिए अपेक्षित संभावित समय और भावी कर नियोजन कार्यनीतियों के साथ भविष्य में कर योग्य लाभ स्तर दोनों को आधारित माना जा सकता है।

c) **परिभाषित लाभ दायित्व**

कर्मचारी लाभ दायित्वों को बीमांकिक मूल्यांकन का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है। एक बीमांकिक मूल्यांकन में विभिन्न धारणाएँ शामिल होती हैं जो भविष्य में वास्तविक विकास से भिन्न हो सकती हैं। इनमें छूट दर, भविष्य में वेतन वृद्धि और मृत्यु दर का निर्धारण शामिल हैं। मूल्यांकन और इसकी दीर्घकालिक प्रकृति में शामिल जटिलताओं के कारण, इन मान्यताओं में परिवर्तन के लिए एक परिभाषित लाभ दायित्व अत्यंत संवेदनशील है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर सभी अनुमानों की समीक्षा की जाती है।

d) **संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के उपयोगी जीवन अवधि**

नोट 2(एन) में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की अनुमानित उपयोगी जीवन अवधि दी गई है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की अनुमानित उपयोगी जीवन अवधि कई कारकों पर आधारित है जिसमें अप्रचलन, मांग, प्रतिस्पर्धा और अन्य आर्थिक कारकों के प्रभाव शामिल है। कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि के अंत में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के उपयोगी जीवन की समीक्षा करती है।

e) **पट्टे**

कंपनी यह निर्धारित करने में अपने निर्णय का उपयोग करती है कि अनुबंध में पट्टा शामिल है या नहीं, पट्टा अनुबंध को बढ़ाने या उसे समाप्त करने का विकल्प होगा या नहीं। रेलवे से लीज़ पर ली गई भूमि के लिए भविष्य की लीज़ अवधि का अनुमान लगाने के लिए नोट संख्या 2 (i) (h) देखें।

नोट :– 65 ट्रैन संचालन

कंपनी रेलवे से प्राप्त ट्रैनों के मूल आधार पर धुलाई प्रभार के परिचालन में लगी हुई है। विशेष ट्रैन के संचालन से होने वाली आय में यात्रियों से लिया गया मूल किराया, खानपान शुल्क और कंपनी द्वारा निर्धारित अन्य शुल्क शामिल हैं। ट्रैनों के संचालन से होने वाली आय को भारतीय लेखा मानक-115 की आवश्यकता के अनुसार ट्रैन के संचालन के समय की अवधि में मान्यता दी जाती है।

नोट :– 66 टिकट जमा रसीद धन वापसी (टीडीआर) मामल

भारतीय रेलवे से प्राप्त होने के बाद टीडीआर रिफंड कंपनी द्वारा यात्रियों को दिया जाता है। 31 मार्च 2023 तक, लंबित मामलों की संख्या 59582 (पिछले वर्ष 25614) थी जिसका मूल्य ₹ 726.40 लाख (पिछले वर्ष ₹ 232.48 लाख) है ।

नोट :– 67 पीपीपी मॉडल पर आधारित रेलनीर संयंत्र

स्व-संचालित रेल नीर के 4 संयंत्रों (पिछले वर्ष 5 स्व-संचालित रेल नीर संयंत्र। बिलासपुर संयंत्र को वित्त वर्ष 2022-23 में पीपीपी संयंत्र में परिवर्तित किया गया) के अलावा, 12 रेल नीर संयंत्रों को पीपीपी मॉडल पर विभिन्न स्थानों पर चालू किया गया। चार और रेल नीर संयंत्र निर्माणाधीन/कार्यारंभ के चरण में हैं और आने वाले वर्षों में इन रेल नीर संयंत्रों में व्यावसायिक उत्पादन शुरू हो जाएगा। इन संयंत्रों के लिए आईआरसीटीसी द्वारा ठेकेदारों को संबंधित संयंत्र आपरेटरों के साथ संविदा सहमति के अनुसार पूंजीगत सहायता प्रदान की जाएगी।

नोट:– 68 पूंजीगत व्यय

आरओयू संपत्तियों को छोड़कर, कंपनी ने सीडब्ल्यूआईपी और पूंजीगत अग्रिमों सहित ₹ 23,863.60 लाख का कुल पूंजीगत व्यय किया है (पिछले वर्ष ₹ 5199.07 लाख)।

नोट:– 69 पूर्व रेल मंत्री के खिलाफ होगी सीबीआई जांच

मीडिया में आई खबरों के अनुसार पूर्व रेल मंत्री सहित आईआरसीटीसी के पूर्व-वरिष्ठ अधिकारी के विरुद्ध सीबीआई जांच के संबंध में कंपनी किसी भी वित्तीय दायित्व का पूर्वानुमान नहीं करती है।

नोट:– 70 जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट

31 मार्च, 2023 तक जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट (जीएसटी पोर्टल और जीएसटी रिटर्न 2बी पर दिखाई देने वाली कुल राशि) 921.13 लाख रुपये (पिछले वर्ष 433.52 लाख रुपये) नोट 12 में ''सरकारी अधिकारियों के साथ शेष'' में शामिल है, जो क्रेडिट के लिए लंबित है, आज की तारीख में जीएसटीआर 2बी में।

नोट :– 71 कर्मचारी आगे बढ़ता है

आधिकारिक खर्चों को पूरा करने के लिए कर्मचारी की वास्तविक कठिनाइयों से बचने हेतु कर्मचारी को अग्रिमों का भुगतान किया जाता है। बाद में कर्मचारियों को खर्च की अलग से प्रतिपूर्ति की जाती है। तदनुसार, तथापि, अग्रिम गैर-वापसी योग्य है जब तक कि रोजगार छूट नहीं जाता है और इसे वर्तमान प्रकृति के रूप में माना जाता है।

नोट :– 72 रेलनीर संयंत्रों की स्थापना, संचालन एवं रखरखाव

आईआरसीटीसी ने निजी पार्टियों "ऑपरेटर" के साथ समझौता किया है, जिसमें आईआरसीटीसी द्वारा रेल नीर की खरीद, सीएफए और परिवहन सेवाओं के लिए आईआरसीटीसी के स्वामित्व वाली भूमि पर जल उपचार संयंत्र की स्थापना (निर्माण और संयंत्र मशीनरी), संचालन और रखरखाव के लिए ऑपरेटर जिम्मेदार है। समझौते की शर्तों में प्रावधान है कि अनुबंध अवधि के समाप्त होने के बाद, भवन सहित संयंत्र में कमीशन की गई संपत्ति को आईआरसीटीसी को हस्तांतरित कर दी जाएगी। चूंकि ऐसे ओ एंड एम ठेकेदार के लिए अनुबंध हेतु निविदा दी जाती है और व्यावसायिक बोलियों के आधार पर चयन किया जाता है। भवन और संयंत्र की लागत और परम्परावादी दृष्टिकोण से परिसंपत्तियों की लागत के बारे में अतिरिक्त विचार का पता लगाने के लिए पर्याप्त जानकारी के आभाव में मान्यता नहीं दी गई है। तदनुसार ऐसी परिसंपत्तियों की गणना टेकओवर के समय तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर लेखा पुस्तकों में दर्ज की गई है।

नोट 73: जल वेंडिंग मशीनों पर लाइसेंस शुल्क

नोट 27 के अनुसार लाइसेंसधारी शुल्क में वाटर वेंडिंग मशीनों पर प्राप्त लाइसेंस शुल्क में 25% रेलवे शेयर (परिपत्र 36/2015 के अनुसार 15%) का आकस्मिक प्रावधान शामिल है, जो खानपान नीति 2017 के अंतर्गत रेलवे बोर्ड से स्पष्टीकरण लंबित है।

नोट 74: 31.03.2023 तक अचल परिसंपत्ति की सूची जिसका टाइटल डीड आईआरसीटीसी के नाम से नहीं है

राशि (लाख ₹ में)

तुलनपत्र में संबंधित लाइन मद	संपत्ति का विवरण	सकल वहन मूल्य	जिनके नाम पर टाइटल डीड है	क्या टाइटल डीड धारक प्रमोटर, निदेशक, या प्रमोटर*/ निदेशक का रिश्तेदार है या प्रमोटर/ निदेशक का कर्मचारी है	संपत्ति किस तारीख से धारित है	कंपनी के नाम पर धारित न होने का कारण**
क) फ्रीहोल्ड संपत्तियों की सूची जिसके लिए स्वामित्व विलेख अभी तक निष्पादित नहीं किया गया है						
A	B	C	D	E	F	G
पीपीई	गांव बिमीथा, जिला छतरपुर, खजुराहो में होटल के लिए भूमि	₹ 66.98 लाख	आईआरसीटीसी के नाम पर आवंटन	कॉलम ऋ में टिप्पणियां देखें	03.09.2013	टाइटल डीड का निष्पादन अभी बाकी है।
	केवड़िया रेलवे स्टेशन के पास केवड़िया में होटल के लिए भूमि, गुजरात	₹ 1275 लाख	आईआरसीटीसी के नाम पर आवंटन	कॉलम ऋ में टिप्पणियां देखें	15.10.2020	टाइटल डीड का निष्पादन अभी बाकी है।
ख) लीजहोल्ड संपत्तियों की सूची जिनके लिए लीज डीड अभी तक निष्पादित नहीं की गई है						
	आवासीय भवन					
	डी/91 और डी/141, वेस्टर्न रेलवे कॉलोनी, पाली हिल्स, बांद्रा, मुंबई	₹ 325 लाख	आईआरसीटीसी के नाम पर आवंटन	कॉलम ऋ में टिप्पणियां देखें	03.10.2012	रेलवे के साथ लाइसेंस करार लंबित है
	सफदरजंग रेलवे स्टेशन, नई दिल्ली के पास 3 आवासीय फ्लैट	₹ 1374 लाख	आईआरसीटीसी के नाम पर आवंटन	कॉलम ऋ में टिप्पणियां देखें	नवंबर और दिसंबर, 2022	आरवीएनएल के साथ लीज समझौता अभी तक निष्पादित नहीं हुआ है
	ज़मीनें					
परिसंपत्ति का उपयोग अधिकार	असम राज्य सरकार द्वारा जगी रोड, असम में रेलनीर प्लांट के लिए भूमि आवंटित की गई	₹ 8.06 लाख	आईआरसीटीसी के नाम पर आवंटन पत्र	कॉलम ऋ में टिप्पणियां देखें	17.02.2017	लीज एग्रीमेंट अभी तक निष्पादित नहीं हुआ है।
	हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार द्वारा रेलनीर प्लांट के लिए ऊना में भूमि आवंटित की गई	₹ 103.81 लाख	आईआरसीटीसी के नाम पर आवंटन पत्र	कॉलम ऋ में टिप्पणियां देखें	30.10.2018	लीज एग्रीमेंट अभी तक निष्पादित नहीं हुआ है।
	महाराष्ट्र के अंबरनाथ में रेलवे द्वारा रेलनीर प्लांट के लिए दी गई जमीन	₹ 28.23 लाख	रेलवे के साथ लीज समझौता	कॉलम ऋ में टिप्पणियां देखें	17.12.2009	रेलवे के साथ लीज समझौते का नवीनीकरण 1 अप्रैल, 2021 से लंबित है

नोट :– 75 पट्टे

a) पट्टेदार के रूप में कंपनी

पट्टेदार के रूप में कंपनी ने विभिन्न पट्टे अनुबंधों किए है, जिसमें भूमि, कार्यालय के स्थान और वाहनों का पट्टा शामिल है। भारतीय लेखा मानक 116 के उपयोग से पहले, कंपनी ने अपने प्रत्येक पट्टे (पट्टेदार के रूप में) को वित्तीय पट्टे या परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत करती थी।

कंपनी के पास कार्यालयों और गेस्ट हाउस के कुछ पट्टे भी जिसकी अवधि 12 महीने या उससे कम हैं। कंपनी इन पट्टों के लिए 'अल्पाधि पट्टा' मान्यता की छूट लागू करती है।

परिसंपत्ति का उपयोग अधिकार

मान्यता प्राप्त परिसंपत्ति के उपयोग अधिकार की वहन राशि और वर्ष के दौरान हुए मूवमेंट का प्रकटन नोट 5बी में किया गया है।

पट्टा देयता

मान्यता प्राप्त पट्टा देयता की वहन राशि और वर्ष के दौरान मूवमेंट नीचे दर्शाई गए हैं:

राशि (लाख ₹ में)

	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
वर्ष की शुरुआत में बैलेंस	10,492.13	7,797.59
जोड़/समायोजन (शुद्ध)	733.63	3798.10
ब्याज की मान्यता	625.00	736.99
भुगतान	3,434.54	1,840.55
वर्ष के अंत में बैलेंस	**8416.22**	**10492.13**
वर्तमान	2,471.11	2,149.39
गैर चालू	5,945.11	8,342.74

31 मार्च 2023 को बिना छूट दिए, किए गए पट्टे देयता की अवधि समाप्ति का विश्लेषण इस प्रकार है :

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2 वर्ष और अधिक
पट्टा देयताएं	3,039.18	2,065.75	4,429.33
	3,039.18	**2,065.75**	**4,429.33**

31 मार्च 2022 को बिना छूट दिए, किए गए पट्टे देयता की अवधि समाप्ति का विश्लेषण इस प्रकार है:

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2 वर्ष और अधिक
पट्टा देयताएं	2,748.01	2,642.41	5,257.89
	2,748.01	**2,642.41**	**5,257.89**

लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त राशियां

राशि (लाख ₹ में)

	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
परिसंपत्ति के उपयोग अधिकार का मूल्यह्रास व्यय (नोट 32 देखें)	2,312.79	2,178.10
पट्टा देयताओं पर ब्याज व्यय (नोट 31 देखें)	625.00	736.99
अल्पावधि पट्टों से संबंधित व्यय (नोट 33 देखें)	104.96	174.76
	3042.75	3089.85

कंपनी के पास कई पट्टे अनुबंध हैं जिनमें बढ़ाने और समाप्ति के विकल्प शामिल हैं। प्रबंधन द्वारा इन विकल्पों पर चर्चा की जाती है और कंपनी की व्यावसायिक आवश्यकताओं के साथ संरेखित किया जाता है। प्रबंधन यह निर्धारित करने में महत्वपूर्ण निर्णय लेता है कि क्या इन अनुबंध बढ़ाने और समाप्ति विकल्पों का प्रयोग किया जाना यथोचित रूप से उचित है।

बिक्री और लीजबैक लेनदेन से होते लाभ/हानि कंपनी पर लागू नहीं होते है।

b) पट्टेदार के रूप में कंपनी

कंपनी ने पट्टे पर अपनी परिसंपत्ति दी है, जिसका विवरण नोट 5 निवेश परिसंपत्ति के अंतर्गत दिया गया है।

वर्ष के दौरान पट्टा किराए के ₹ 234.98 लाख (पिछले वर्ष ₹ 234.98 लाख) को आय के रूप में मान्यता दी गई है।

पट्टा भुगतान प्राप्तियों की अवधि समाप्ति का विवरण इस प्रकार है:

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
एक वर्ष के भीतर	234.96	234.96
एक वर्ष के बाद और पांच वर्ष से अधिक नहीं	78.32	313.28
पांच वर्ष के बाद	-	-

नोट :- 76 तेजस और महाकाल एक्सप्रेस ट्रैन:

रेलवे बोर्ड ने आईआरसीटीसी को तेजस ट्रैनों के 02 रेक और काशी महाकाल एक्सप्रेस ट्रैनों का 01 रेक को यात्री ट्रैनों के रूप में संचालित करने का आदेश दिया था ताकि यात्रियों को प्रीमियम खंड की निजी ट्रैनों में यात्रा करने का विकल्प प्रदान किया जा सके। आईआरसीटीसी ने दोनों ट्रैनों का उद्घाटन क्रमशः 4 अक्टूबर, 2019 और 17 जनवरी, 2020 को लखनऊ-नई दिल्ली-लखनऊ और अहमदाबाद-मुंबई-अहमदाबाद सेक्टर पर किया।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में, दोनों तेजस ट्रैन अक्टूबर, 2020 के महीने से संचालित की गई हैं और कोविड-19 महामारी और यात्री ट्रैनों की सेवाओं के बंद होने के कारण बंद कर दी गई हैं। वर्तमान महामारी के कारण वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान गैर परिचालन अवधि के लिए तेजस और काशी महाकाल दोनों ट्रैन के लिए निर्धारित प्रतिबद्धताओं में छूट देने के लिए रेलवे बोर्ड को अभ्यावेदन दिया गया है। रेलवे बोर्ड ने दिनांक 11.5.2021 के पत्र संख्या टीसी-II/2910/20/ट्रैन के माध्यम से, केवल गैर-परिचालन के लिए आईआरसीटीसी यात्री ट्रैनों के लिए निर्धारित लागत की गणना और प्रभार लागू करने में "अच्छी ट्रेनों के लिए रास्तों के नुकसान" के घटक को 31.12.2020 तक की अवधि तक माफ करने पर सहमति व्यक्त की है और निर्णय लिया है कि अन्य लागू शुल्क वही रहेंगे। आईआरसीटीसी ने फिर से रेलवे बोर्ड से तीन ट्रैन की गैर-परिचालन अवधि को प्राकृतिक आपदा स्थिति मान कर, ₹ 2793 लाख की राशि के निर्धारित शुल्क (निश्चित ढुलाई और अभिरक्षा शुल्क) को माफ करने पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है, क्योंकि कोविड-19 महामारी के कारण भारत सरकार द्वारा लॉकडाउन और प्रतिबंध लगाना आईआरसीटीसी के नियंत्रण से बाहर था। तथापि, आईआरसीटीसी ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में तेजस और काशी महाकाल एक्सप्रेस दोनों ट्रैन के निर्धारित शुल्क का पूरा प्रावधान किया है। मामला लंबित है।

इसके अलावा, चालू वर्ष के दौरान, रेलवे बोर्ड ने पत्र संख्या टीसी-/2910/2019/ ट्रेन्स बाई आईआरसीटीसी (ई-3344610), नई दिल्ली दिनांक 06.01.2023 के माध्यम से तेजस ट्रेनों से संबंधित कस्टडी और फिक्स्ड ढुलाई शुल्क के रूप में 2793 लाख रु. में से 174.91 लाख रुपये की छूट की अनुमति दी है। वर्ष के दौरान उक्त राशि को असाधारण मदों (नोट संख्या 33 देखें) के तहत प्रतिलेखित अतिरिक्त प्रावधान में शामिल किया गया है।

नोट :- 77 कंपनी ने निम्नलिखित मुद्दों के लिए अग्रिम निर्णय के लिए आवेदन किया है जिसके लिए एएआर का निर्णय की अभी भी प्रतीक्षा की जा रही है:

1. सेवा शुल्क की प्रतिपूर्ति: भारत सरकार ने रेल मंत्रालय के माध्यम से, जनहित में आईआरसीटीसी की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन ट्रैन टिकट बुकिंग के लिए यात्रियों से सेवा शुल्क लेने को माफ कर दिया था। भारत सरकार ने 2017-18, 2018-19 और 2019-20 (जुलाई-19 तक) के लिए क्रमशः ₹ 8000 लाख, ₹ 8800 लाख और ₹ 3227 लाख की समेकित राशि की प्रतिपूर्ति की है। सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 15 (2), केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से प्राप्त व्यय की प्रतिपूर्ति की राशि को कर योग्य आपूर्ति के मूल्यांकन से बाहर रखती है, इसलिए केंद्र सरकार होने के नाते भारतीय रेलवे से प्राप्त होने वाली राशि को प्रदान करने के लिए किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति पर जीएसटी नहीं लगाया जाता है । इसलिए उपरोक्त प्रतिपूर्ति के लिए आईआरसीटीसी द्वारा कोई जीएसटी का भुगतान नहीं किया गया था।

2. यात्रा बीमा की प्रतिपूर्ति: भारत सरकार ने डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन के माध्यम से ट्रैन टिकट बुक करने वाले यात्रियों को नि:शुल्क यात्रा बीमा प्रदान करने का निर्णय लिया है। तदनुसार, आईआरसीटीसी ने नि:शुल्क बीमा प्रदान किया जिसके लिए रेल मंत्रालय को ₹ 4700 लाख के यात्रा बीमा की प्रतिपूर्ति की गई थी जिस पर केंद्र सरकार से प्राप्त व्यय की प्रतिपूर्ति के रूप में कंपनी द्वारा कोई जीएसटी का भुगतान नहीं किया गया था।

3. एक्वायरर बैंकों से प्राप्त एमडीआर। आईआरसीटीसी ने वित्तीय वर्ष 2019-20 में एक्वायरर बैंकों से एमडीआर शुल्कों के अपने हिस्से के लिए ₹ 300 लाख रुपये प्राप्त किए हैं, जो मर्चेंट सेवा प्रदाताओं पर लगने वाली दर या शुल्क है। कंपनी ने इस भुगतान को सब्सिडी के रूप में माना है और उपरोक्त राशि पर कोई जीएसटी का भुगतान नहीं किया गया है, क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से प्राप्त सब्सिडी को आपूर्ति के आकलन से बाहर रखा जाता है और जीएसटी लागू करने के लिए किए जाते विचार का हिस्सा नहीं बनेगा।

4. आईआरसीटीसी ने कैटरिंग नीति, 2017 के अनुसार एसबीडी ट्रैनों के कैटरिंग का कार्यभार सँभालने के लिए भारतीय रेलवे से यथानुपात लाइसेंस शुल्क प्राप्त किया है, जो वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए क्रमशः ₹ 1385 लाख, ₹ 7058 लाख, ₹ 125 लाख था और उपरोक्त राशियों पर कोई जीएसटी का भुगतान नहीं किया गया था, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उपरोक्त राशि पर जीएसटी लागू नहीं होता है क्योंकि यह जीएसटी लागू होने से पहले भारतीय रेलवे द्वारा लाइसेंसधारी से प्राप्त किया गया था और इसकी प्राप्ति के समय वित्त अधिनियम के अनुसार भारतीय रेलवे को देय लाइसेंस के अनुदान पर सेवा कर लागू नहीं था। भारतीय रेलवे द्वारा आईआरसीटीसी को भुगतान की गई आनुपातिक राशि निविदा अवधि के शेष भाग के लिए थी जिसे जीएसटी के कार्यान्वयन से पहले प्रदान किया गया था। भारतीय रेलवे द्वारा अपनी सहायक कंपनी आईआरसीटीसी को लाइसेंस

देने से लेन-देन की पद्धति नहीं बदलती है क्योंकि लाइसेंस जीएसटी के कार्यान्वयन से पहले प्रदान की गई थी। कर लागू करने की घटना वह है, जब सेवा प्राप्तकर्ता को सेवा प्रदान/आपूर्ति की जाती है। इस प्रकार, "लाइसेंस प्रदान करने" वाली सेवा, भारतीय रेलवे द्वारा लाइसेंस प्रदान किए जाने के समय प्रदान की गई थी।

नोट :- 78 एसबीडी संविदाओं की स्थिति

(a) रेल मंत्रालय द्वारा जारी कैटरिंग नीति-2017 के अनुसरण में, आईआरसीटीसी को भारतीय रेलवे पर मोबाइल इकाइयों की संविदा लेने के लिए आदेश दिया गया है। तदनुसार, आईआरसीटीसी ने क्षेत्रीय रेलवे, आईआरसीटीसी और लाइसेंसधारी के बीच त्रिपक्षीय समझौते को निष्पादित करके क्षेत्रीय रेलवे से 184 संविदाओं का अधिग्रहण किया है। 31.3.2023 तक एसबीडी संविदाओं की स्थिति निम्नानुसार है:-

क्रम सं.	विवरण	संविदाओं की संख्या
1	क्षेत्रीय रेलों से लिए गए संविदाओं की कुल संख्या	184
2	प्रारंभिक 05 वर्षों के पूरा होने के बाद नवीनीकृत संविदाओं की कुल संख्या	120
3	नवीनीकरण प्रक्रियाधीन है	16
4	लाइसेंसधारी कार्यनिष्पादन के पुनर्मूल्यांकन के दौरान विफल रहा है, लेकिन न्यायालय में	5
5	लाइसेंसधारी कार्यनिष्पादन के पुनर्मूल्यांकन में विफल रहा। अत: समाप्त कर दिया गया	6
6	लाइसेंसधारी द्वारा समर्पण, इसलिए आईआरसीटीसी द्वारा समाप्त कर दिया गया	32
7	ट्रैन को बंद किया गया, इसलिए समाप्त कर दिया गया	4
8	लाइसेंस शुल्क का भुगतान नहीं करने के कारण संविदा समाप्त कर दी	1

(b) इसके अतिरिक्त, रेलवे बोर्ड द्वारा दिनांक 23.02.2021 को जारी निर्देशों के अनुसार, आईआरसीटीसी ने दिनांक 02.03.2021 और 04.03.2021 के पत्र द्वारा आईआरसीटीसी के अंतर्गत सभी मौजूदा एसबीडी संविदाओं को समाप्त कर दिया।

(c) कैटरिंग एसोसिएशनों द्वारा 2020 केडब्ल्यूपी 6253 और 6254 दायर करके उक्त निर्णय का विरोध किया और मद्रास के माननीय उच्च न्यायालय ने समाप्ति के आदेशों को रद्द किया। उक्त निर्णय को 2021 के डब्ल्यूए 1895 और 1896 के माध्यम से विरोध किया जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है। महा न्यायभिकर्ता डब्ल्यूए में आरबी और आईआरसीटीसी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और उनके शीघ्र ही सूचीबद्ध होने की उम्मीद है।

(d) आगे, रेलवे बोर्ड के पत्र सं. 2020/केटरिंग/600/05/पीटी दिनांक 19.11.2021 के माध्यम से, सूचित किया है कि बोर्ड द्वारा ट्रैनों में कैटरिंग सेवाओं के संबंध में मौजूदा कारकों जैसे कि महामारी में गिरावट, रेस्तरां, सार्वजनिक भोजनालयों और एयरलाइन में पकाए जाने वाले खाने की बहाली और यात्रियों की मांग के आकलन की समीक्षा करने के बाद, बोर्ड ने तय किया है कि पके हुए भोजन की सेवा फिर से शुरू की जाए और आरटीई भी जारी रहेंगे।

(e) पत्र संख्या 2019/केटरिंग/600/04 दिनांक 19.11.2021 के माध्यम से, रेलवे बोर्ड ने मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष यथास्थिति आदेश को रद्द करने और 2021 की अपील संख्या 1895 और 1896 को वापस लेने का अनुरोध किया है और यात्रियों को पका हुआ भोजन प्रदान करने के कार्यक्षेत्र से जुड़े मोबाइल कैटरिंग के सभी मौजूदा संविदाओं को समाप्त करने के लिए बोर्ड के दिनांक 23.02.2021 के पत्र को वापस ले लिया है।

(f) तदनुसार, रेलवे बोर्ड के उपरोक्त आदेशों के अनुपालन में, आईआरसीटीसी ने दिनांक 21.11.2021 के पत्रों के माध्यम से समाप्ति को वापस लेने के लिए पत्र जारी किया है।

नोट :- 79

रेल मंत्रालय ने वाणिज्यिक परिपत्र सं. सीसी-60, 2019 द्वारा पोस्ट और प्री-पेड ट्रेनों के लिए खानपान शुल्क में वृद्धि की है। निविदा खंड के अनुसार खानपान शुल्क में वृद्धि के कारण बिक्री मूल्यांकन के आधार पर मौजूदा लाइसेंस शुल्क में वृद्धि की जाएगी। वैश्विक महामारी के कारण पिछले वर्षों में बिक्री का आकलन नहीं किया जा सका था। नियमित ट्रेन सेवाओं को फिर से शुरू करने के बाद, कंपनी ने वर्ष 2022-23 के दौरान बिक्री मूल्यांकन की प्रक्रिया शुरू की और सभी प्री-पेड ट्रेनों और पोस्ट पेड ट्रेनों के लिए व्यस्त अवधि की बिक्री मूल्यांकन पूरा किया गया है। पोस्ट पेड ट्रेनों के मामले में सामान्य अवधि के लिए बिक्री आकलन को अभी भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसके अलावा, कंपनी ने प्री-पेड ट्रेनों के लिए बढ़ी हुई लाइसेंस शुल्क के लिए मांग नोटिस जारी करना शुरू कर दिया है, लेकिन कुछ लाइसेंसधारियों ने मुंबई के माननीय उच्च न्यायालय में बढ़ी हुई लाइसेंस फीस के कंपनी के फैसले को चुनौती दी है। चूंकि यह मामला न्यायाधीन है और अनिश्चितता है और घटना भविष्य में कुछ घटनाओं के परिणाम पर निर्भर है, इसलिए प्री-पेड ट्रेनों के लिए लाइसेंस शुल्क में वृद्धि के प्रभाव को वित्त वर्ष 2022-23 के वित्तीय विवरण में निर्धारित नहीं किया गया है।

नोट :- 80

मानक भोजन/वस्तुओं का मेनू और टैरिफ रेलवे बोर्ड द्वारा नियंत्रित किया जाता है और इन्हें दिनांक 12.12.2019 को सीसी-64 द्वारा संशोधित किया गया और बढ़ाया गया था। निर्देशों के अनुसार, इन्हें तत्काल प्रभाव से लागू किया जाना था और एक अंतरिम उपाय के रूप में, लाइसेंस शुल्क को बढ़ाने

के बाद उसका क्या प्रभाव होता है उसका आकलन करने के लिए सीमित इकाइयों में बिक्री का मूल्यांकन किया गया था। तदनुसार, 28.01.2020 को दिशा-निर्देश जारी किए गए थे ताकि लाइसेंस शुल्क में वृद्धि के प्रभाव को इकाई के लाइसेंस शुल्क में किए गए बढ़ोतरी को जोड़कर या 6 महीने के भीतर बिक्री का मूल्यांकन करके, जो भी अधिक हो, शामिल किया जा सके। तथापि, अनपेक्षित कोविड महामारी शुरू हो गई और यात्री ट्रैन संचालन को 23.03.2020 से बंद कर दिया गया। इकाइयां बंद थीं और गंभीर प्रतिबंधों के कारण बिक्री मूल्यांकन नहीं हो पाया। 20.01.2021 को लाइसेंस शुल्क पर 20% कम लाइसेंस शुल्क लेने के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए क्योंकि कोविड का प्रभाव चल रहा था। इसके अतिरिक्त, 04.10.2021 को संशोधित दिशानिर्देश जारी किए गए थे जिसमें 31.10.2021 तक 20% कम लाइसेंसधारी शुल्क लागू करने और फुटफॉल के आधार पर 01.11.2021 से लाइसेंस शुल्क लेने के लिए नई पद्धति लागू करने के लिए कहा गया था।

स्टेशनों पर स्थिर इकाइयां बंद कर दी गईं और सरकारी निर्देशों के अनुसार के अनुसार लॉकडाउन के बाद गंभीर प्रतिबंध लगाए जाने के कारण इन इकाइयों का बिक्री मूल्यांकन नहीं किया जा सका। दिनांक 01.06.2020 से अस्थायी यात्री रेलगाड़ियों का संचालन शुरु किया गया। दिनांक 01.06.2020 से केवल सीमित (पीएडी और आरटीई) वस्तुओं को 10% लाइसेंस शुल्क के साथ बिक्री की अनुमति दी गई थी। हालांकि, यह अनुमति केवल कुछ स्टेशनों तक ही सीमित थी क्योंकि स्थानीय प्रतिबंधों के कारण अधिकांश स्टेशनों पर यात्रियों की आवाजाही प्रतिबंधित थी।

दिनांक 20.01.2021 को कोविड के मौजूदा प्रभाव के कारण लाइसेंस शुल्क की 20% की दर से कम लाइसेंस शुल्क वसूलने के दिशानिर्देश जारी किए गए। इसके अलावा, दिनांक 04.10.2021 को 31.10.2021 तक कम की गई लाइसेंस फीस को 20% की दर से लागू करने के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए गए और लोगों की आवाजाही की मात्रा के आधार पर 01.11.2021 से एलएफ चार्ज करने के लिए नई पद्धति लागू की गई। दिनांक 31.05.2022 तक चल रही संविदाओं के लिए अंतरिम पद्धति का पालन किया गया। दिनांक 01.06.2022 से 100% लाइसेंस शुल्क वसूलने के निर्देश जारी किए गए।

वित्त वर्ष 2022-23 में सभी स्थिर इकाइयों का बिक्री मूल्यांकन पूरा किया गया। लेकिन कुछ लाइसेंसधारियों ने बढ़े हुए एलएफ पर कंपनी के फैसले को माननीय केरल उच्च न्यायालय डिब्ल्यूपी(सी) डब्ल्यूपी 26745/20, डब्ल्यूपी26795/20, डब्ल्यूपी26721/20, डब्ल्यूपी26703/20 में चुनौती दी है।

चूंकि मामला न्यायाधीन है और अनिश्चितता है और घटना भविष्य में कुछ घटनाओं के परिणाम पर निर्भर है, इसलिए स्थिर इकाइयों के लाइसेंस शुल्क में वृद्धि के प्रभाव को वित्त वर्ष 2022-23 की लेखा बहियों में निर्धारित नहीं किया गया है। हालांकि, रूढ़िवादी दृष्टिकोण अपनाते हुए लेखा बहियों में 94.54 लाख रु. (रेलवे शेयर का निवल) की लाइसेंस फीस पर नकारात्मक (वापसी) प्रभाव को निर्धारित किया गया।

टिप्पणी-81 – छुट्टी का नकदीकरण (टिप्पणी 30, 37.1, 42 और 52 देखें)

कंपनी ने अपने कर्मचारियों के लिए अर्जित छुट्टी के नकदीकरण के वित्तपोषण के लिए वर्ष 2017 से भारत के एलआईसी के साथ एक पॉलिसी में निवेश किया है। अब तक यानी वित्त वर्ष 2021-22 तक, इसे छुट्टी नकदीकरण के लिए बीमांकिक रिपोर्ट में ''योजित परिसंपत्ति'' माना गया है और तदनुसार, वर्ष के दौरान छुट्टी नकदीकरण का प्रावधान उक्त निवेश पर अर्जित ब्याज आय का शुद्ध दिखाया गया था। हालांकि, चालू वर्ष के दौरान, कंपनी ने यह विचार किया कि उक्त पॉलिसी में निवेश की गई राशि निवेश की प्रकृति की है क्योंकि पॉलिसी के आत्मसमर्पण के कारण प्राप्त आय का उपयोग किसी भी उद्देश्य के लिए किया जा सकता है और यह पॉलिसी की शर्तों के अनुसार छुट्टी नकदीकरण के वित्तपोषण मात्र के उपयोग तक सीमित नहीं है।

तदनुसार, चालू वित्त वर्ष से निवेश पर अर्जित ब्याज को आय के रूप में दर्ज किया गया, तदनुसार, छुट्टी नकदीकरण व्यय को ब्याज आय को घटाए बिना अलग से दर्ज किया गया। 31 मार्च, 2022 तक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा अर्जित ब्याज और वसूले गए व्यय की राशि क्रमशः 1257.79 लाख रु. और 100.87 लाख रु. को पूर्व अवधि की आय और पूर्व अवधि के व्यय के रूप में दर्ज किया गया, तदनुसार, छुट्टी नकदीकरण पर व्यय में भी 1156.92 लाख रु. तक की वृद्धि हुई है। हालांकि इसका वर्ष के कर पूर्व लाभ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

भारत के एलआईसी के पास फंड में हलचल इस प्रकार है

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
फंड का प्रारंभिक मूल्य	4916.24	4349.41
वर्ष के दौरान योगदान	--	280.61
फंड में ब्याज क्रेडिट	351.15	307.84
निधि से व्यय	9.95	21.62
फंड का समापन मूल्य	**5257.44**	**4916.24**

नोट:- 82 अनुपात

31 मार्च, 2023 और 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्षों के लिए अनुपात इस प्रकार हैं:

विवरण	न्यूमरेटर	डिनोमिनेटर	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक	भिन्नता (% में)
वर्तमान अनुपात	वर्तमान परिसंपत्ति	वर्तमान देयताएं	1.82	1.88	-3.19
ऋण इक्विटी अनुपात	कुल ऋण(1)	शेयरधारकों की इक्विटी	0.03	0.06	-50.00

विवरण	न्यूमरेटर	डिनोमिनेटर	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक	भिन्नता (% में)
ऋण सेवा कवरेज अनुपात (4)	ऋण चुकौती के लिए उपलब्ध आय (2)	ऋण सेवा(3)	38.54	27.6	39.64
इक्विटी पर रिटर्न (आरओई) (5)	करों के बाद शुद्ध लाभ	शेयरधारक की इक्विटी की औसत	0.46	0.40	15.00
इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात	बिक्री	सूची की औसत	81.88	64.61	26.73
व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात (6)	संचालन से राजस्व	व्यापार प्राप्य की औसत	4.13	3.44	20.06
व्यापार देय टर्नओवर अनुपात	सेवाओं की बिक्री और खरीद की लागत	औसत व्यापार देय	2.41	1.03	133.98
शुद्ध पूंजी टर्नओवर अनुपात (7)	आय	कार्यशील पूंजी	1.81	1.19	52.10
शुद्ध लाभ अनुपात (8)	शुद्ध लाभ	संचालन से राजस्व	0.28	0.35	-19.10
नियोजित पूंजी पर रिटर्न (आरओई)	ब्याज और करों से पहले आय	नियोजित पूंजी (कुल मूल्य और दीर्घावधि पट्टा देयताएं)	0.54	0.46	17.39
निवेश पर रिटर्न (आरओआई)(9)	निवेश से अर्जित आय	समय भारित औसत निवेश	5.19	3.69	40.65

(1) ऋण केवल पट्टे की देयताओं को दर्शाता है।

(2) करों के बाद शुद्ध लाभ + गैर-नकद परिचालन व्यय / आय और ब्याज + अन्य समायोजन जैसे अचल परिसंपत्तियों की बिक्री पर नुकसान।

(3) वर्तमान वर्ष के लिए पट्टे का भुगतान।

(4) शेयरधारकों की इक्विटी में वृद्धि और ऋण में कमी के कारण ऋण इक्विटी अनुपात में कमी आई।

(5) पिछले वर्ष की तुलना में लाभ में वृद्धि के कारण वृद्धि हुई है।

(6) पिछले वर्ष की तुलना में बिक्री में वृद्धि के कारण वृद्धि हुई है।

(7) पिछले वर्ष की तुलना में सेवाओं की बिक्री और खरीद की लागत में वृद्धि हुई है।

(8) वित्तीय वर्ष 2022-23 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2021-22 में राजस्व में पर्याप्त वृद्धि हुई है जबकि राजस्व में हुई वृद्धि के अनुपात में कार्यशील पूंजी में हुई वृद्धि कम है।

(9) एफडीआर पर ब्याज दरों में वृद्धि के कारण आरओआई में वृद्धि हुई है।

नोट:- 83 विशेष मद

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए, विशेष मदों के शुद्ध व्यय के रूप में ₹ 2720.00 लाख की राशि में शामिल हैं: (i) कार्यनिष्पादन संबंधी वेतन (पीआरपी) से संबंधित पिछले वर्षों के लिए वापस लिखे गए 1198.59 लाख अतिरिक्त प्रावधान हैं, (ii) इंटरनेट टिकटिंग के लिए रखरखाव और विकास शुल्क से संबंधित पिछले वर्षों के अतिरिक्त प्रावधान के रूप में 1085.74 लाख रुपये वापस लिखे गए हैं और (iii) विभिन्न अन्य व्यय से संबंधित पिछले वर्षों के लिए वापस लिखे गए ₹ 435.67 लाख अतिरिक्त प्रावधान हैं।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए, ₹ 400.45 लाख की विशेष मदों से अर्जित आय में शामिल हैं: (i) कार्यनिष्पादन संबंधित वेतन (पीआरपी) से संबंधित पिछले वर्षों के लिए ₹ 2248.54 लाख के अतिरिक्त प्रावधान, (ii) 31.3.2021 तक रेलनीर संयंत्रों पर रेलवे की हिस्सेदारी के कारण 2713.32 लाख रुपये खर्च होंगे (नोट 54 देखें) और (iii) विभिन्न अन्य व्यय से संबंधित पिछले वर्षों के लिए वापस लिखे गए ₹ 64.33 लाख के अतिरिक्त प्रावधान थे।

टिप्पणी-84 – एकीकरण प्रभार

वित्त वर्ष 2020-21 तक, रेलवे टिकट ऑनलाइन बुकिंग के लिए कंपनी के पोर्टल के साथ कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए बुकिंग एजेंटों से प्राप्त एकीकरण प्रभार (एकमुश्त गैर-वापसी योग्य) को एक से तीन वर्ष की प्रारंभिक संविदा अवधि पर राजस्व के रूप में निर्धारित किया गया था क्योंकि कंपनी का तर्क था कि ऐसा नवीनीकरण कंपनी के विकल्प पर एकतरफा है। हालांकि, वित्त वर्ष के दौरान 2021-22, कंपनी ने अपेक्षित संविदा अवधि (पिछले अनुभव के आधार पर अनुमानित 20 वर्ष) पर एकीकरण प्रभार से आय दर्ज की है, क्योंकि कंपनी का अनुमान है कि एकीकरण और वार्षिक रखरखाव शुल्क की ये संविदाएं आम तौर पर कंपनी द्वारा नवीनीकृत किए जा रही हैं, इसलिए इन्हें अलग-अलग संविदा नहीं माना जा सकता, तदनुसार, एकीकरण प्रभार से प्राप्त आय को भारतीय लेखा मानक 115 (''इंड एएस'') की आवश्यकताओं के अनुसार ''ग्राहकों के साथ की गई संविदाओं से राजस्व'' के अनुसार अपेक्षित संविदा अवधि (अनुमानित 20 वर्ष) में निर्धारित किया जाना चाहिए।'' लेखांकन उपचार/नीति में इस बदलाव के परिणामस्वरूप 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ में 342.27 लाख रु. (115.13 लाख रु. के आस्थगित कर का निवल) की कमी हुई और 31 मार्च, 2020 को प्रतिधारित आय सहित अन्य इक्विटी में 1325.70 लाख रु. तक की कमी (445.91 लाख रु. के आस्थगित कर का निवल) हुई।

वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान एकीकरण शुल्क पर नीति में बदलाव का प्रभाव

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष पर प्रभाव		
	2021–22	2020–21	2020–21 से पहले
अन्य वर्तमान देयताएं	2560.74	1846.50	1771.61
वृद्धि/ कमी	**2560.74**	**1846.50**	**1771.61**
ईपीएस पर असर			
इक्विटी शेयर धारकों के कारण लाभ पर प्रभाव (लाख में रुपये)	(457.40)	(74.89)	(1771.61)
आस्थगित कर का प्रभाव	115.13	18.85	445.91
इक्विटी शेयर धारकों को दिए जाते लाभ पर शुद्ध प्रभाव (लाख में रुपये)	**(342.27)**	**(56.04)**	**(1325.70)**
इक्विटी शेयरों की संख्या पर औसत (लाख में)	8000	8000	8000
प्रति शेयर आय पर प्रभाव (मूल और मिश्रित)	(0.06)	(0.01)	(0.22)

नोट :– 85 – विरासती लेन–देन

(a) पुराने डेबिट और क्रेडिट बैलेंस का प्रतिनिधित्व करने वाली लीगेसी मदों और नियंत्रण और सहायक बैलेंस के बीच कुछ अंतर की पहचान/समाधान/समायोजन प्रगति पर है। साथ ही, व्यापार देय के रूप में देयताओं के वर्गीकरण/पहचान की प्रणाली और प्राप्त/बनाए गए चालानों के लिए किए गए भुगतानों के लिंकिंग सहित देय/प्राप्तियों की एजिंग की समीक्षा की जाएगी और वित्तीय वर्ष 2023-24 में इसे सुधारा जाएगा।

(b) सूक्ष्म, लघु और मध्यम में एमएसएमई की पहचान और वर्गीकरण एक सतत प्रक्रिया है और वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान इसकी समीक्षा और सुधार किया जाएगा।

टप्पणी– 86 – रेलवे द्वारा अधिरोपित जुर्माना

रेल मंत्रालय के पत्र क्रमांक. 2009/टीजी-III/631/2 पीटी. दिनांक 23.2.2023 में उल्लेख किया गया है कि अंचल रेलवे द्वारा सूचना की तारीख से 03 दिनों के बाद भी ट्रेनों में खानपान सेवाएं उपलब्ध नहीं होने पर ये सेवाएं शुरू होने तक प्रति दिन 01 लाख रु. का जुर्माना लगाया जाएगा। कंपनी ने रेल मंत्रालय को बताया कि टीएसवी ट्रेनों के लिए निविदाओं में भाग न लेने के कारण उपरोक्त निर्देशों को लागू करना मुश्किल है क्योंकि आईआरसीटीसी के नियंत्रण से परे बड़े पैमाने पर अनधिकृत बिक्री की जा रही थी। इसके अलावा, ऐसी कई रात्रिकालीन ट्रेनें हैं जो ऐसे घंटों (रात के खाने के बाद और नाश्ते के निर्धारित भोजन समय से पहले) पर शुरू और समाप्त होती हैं, जिनके लिए खानपान सेवाएं संभव नहीं होती हैं। कंपनी ने रेल मंत्रालय से इस संबंध में बताए गए तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उक्त निर्देश की समीक्षा करने का अनुरोध किया है। रेल मंत्रालय के उत्तर की प्रतीक्षा है। रेल मंत्रालय से प्रतिक्रिया मिलने पर इस संबंध में उचित निर्णय लिया जाएगा। 31 मार्च, 2023 तक जुर्माने की राशि अभिनिश्चित नहीं की जा सकती और न ही अंचल रेलवे से आज तक इसकी कोई मांग प्राप्त हुई है।

टिप्पणी– 87 – प्रतिनियुक्ति पर तैनात कर्मचारियों को अनुग्रह राशि / कार्य–निष्पादन संबंधी वेतन

रेल मंत्रालय ने पत्र संख्या 2023-बीसी-पीपी-05/2021-22 दिनांक 09.01.2023 के माध्यम से प्रतिनियुक्ति पर तैनात कर्मचारियों को अनुग्रह राशि/कार्य-निष्पादन संबंधी वेतन के भुगतान पर सी एंड एजी द्वारा जारी अनंतिम पैरा संख्या 05 कंपनी को भेजा है और इस अनंतिम पैरा पर टिप्पणी भेजने का अनुरोध किया है। इस पैरा पर सी एंड एजी ने टिप्पणी की है कि पीआरपी के बदले में या सीडीईए वेतनमान पर प्रतिनियुक्ति पर तैनात कर्मचारियों को वेतन समानता के रूप में अनुग्रह राशि का भुगतान डीपीई और डीओपीटी के अनुदेशों का उल्लंघन था, इस प्रकार यह अस्वीकार्य था। इसके अलावा सी एंड एजी ने सिफारिश की है कि प्रतिनियुक्ति पर तैनात कर्मचारियों अनुग्रह राशि/पीआरपी का भुगतान रोक दिया जाए और प्रतिनियुक्ति पर तैनात कर्मचारियों को किए गए 230.13 लाख रु. के अस्वीकार्य भुगतान की वसूली सुनिश्चित की जाए। कंपनी ने दिनांक 24.01.2023 को रेल मंत्रालय को विस्तृत उत्तर भेजा है जिसमें कंपनी ने अनुरोध किया है कि प्रतिनियुक्ति पर तैनात कर्मचारियों को कार्य-निष्पादन वेतन के रूप में किया गया भुगतान डीपीई और डीओपीटी के अनुदेशों का उल्लंघन नहीं है। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त कर्मचारियों को कार्य-निष्पादन वेतन की राशि कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने और उन्हें कंपनी के साथ बनाए रखने के प्रोत्साहन स्वरूप है। इस संबंध में अब तक कंपनी को रेल मंत्रालय से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। रेल मंत्रालय से उत्तर प्राप्त होने पर इस मामले पर उचित निर्णय लिया जाएगा। इस बीच, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए इसका कोई प्रावधान नहीं किया गया है और वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 30.65 लाख रु. के मौजूदा प्रावधान (किए गए अंतरिम भुगतान का निवल) को 31 मार्च, 2023 तक प्रतिलेखित किया गया।

टिप्पणी– 88 – भारतीय–एएस और कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III (यथा संशोधित) के तहत आवश्यक प्रकटीकरण

कंपनी ने तुलन-पत्र और लाभ व हानि के विवरण की संबंधित मदों या लेनदेन के संबंध में उपयुक्त स्थान पर प्रकटण किया है। किसी तरह का गैर-प्रकटीकरण का कारण संबंधित लेनदेन है।

नोट:-89 उधार

कंपनी ने वर्ष के दौरान बैंकों और वित्तीय संस्थानों से कोई उधार नहीं लिया है।

नोट :- 90 अन्य नियामक सूचना

(i) कंपनी के पास कोई बेनामी संपत्ति नहीं है। तदनुसार, बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू या लंबित नहीं है। तदनुसार, कोई प्रकटीकरण देने की आवश्यकता नहीं है।

(ii) कंपनी ने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए निम्नलिखित विवरण के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के तहत बंद की गई कंपनियों के साथ लेनदेन किया है:

बंद कर दी गई कंपनी का नाम	बंद कर दी गई कंपनी के साथ लेन-देन की प्रकृति	बकाया राशि (लाख में)	बंद कर दी गई कंपनी के साथ संबंध, यदि कोई हो,
लीड प्रबंधन सेवाएँ	प्राप्य	0.29	--
जी लाइट एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	देय	6.06	--
रिलायंस कम्युनिकेशंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	देय	0.01	--
भारती सेल्युलर लिमिटेड	देय	0.49	--
रेडगार्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	देय	0.27	--
रिलायंस कम्युनिकेशंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	प्राप्य	2.06	--

कंपनी ने 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए निम्नलिखित विवरण के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के तहत बंद की गई कंपनियों के साथ लेनदेन किया है: -

बंद कर दी गई कंपनी का नाम	बंद कर दी गई कंपनी के साथ लेन-देन की प्रकृति	बकाया राशि (लाख में)	बंद कर दी गई कंपनी के साथ संबंध, यदि कोई हो,
जी लाइट एनर्जी प्रा.लि.	देय	6.06	--
ओडब्ल्यूएल टेक प्रा.लि.	देय	2.47	--
रेडगार्ड इंडिया प्रा.लि.	देय	0.27	--
रिलायंस कम्युनिकेशंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	देय	0.08	--

(iii) कंपनी को कोई प्रभार या ऋणमुक्ति नहीं है जिसका वैधानिक अवधि के भीतर अभी तक आरओसी के साथ पंजीकृत होना बाकी है।

(iv) कंपनी ने वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी में ट्रेड या निवेश नहीं किया है।

(v) कंपनी ने विदेशी संस्थाओं (मध्यस्थों) सहित किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या इकाई (यों) को अग्रिम या ऋण या निवेश नहीं दिया है, इस समझ के साथ कि मध्यस्थ:

(a) कंपनी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार या निवेश करेगा या

(b) अंतिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या इस तरह की वस्तुएं प्रदान करेगा

(vi) कंपनी को विदेशी संस्थाओं (फंडिंग पार्टी) सहित किसी भी व्यक्ति (व्यक्तियों) या इकाई (यों) से कोई फंड प्राप्त नहीं हुआ है (चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा) यह अनुमान के साथ कि कंपनी:

(a) फंडिंग पार्टी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार या निवेश करेगा या

(b) अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई भी गारंटी, प्रतिभूति या इसी तरह की अन्य वस्तुएं प्रदान करेगा

(vii) कंपनी के पास ऐसा कोई लेन-देन नहीं है जिसे लेखा पुस्तकों में दर्ज न किया गया हो, जिसे वर्ष के दौरान आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर निर्धारण में आय के रूप में सरेंडर या प्रकट किया गया हो (जैसे, खोज या सर्वेक्षण या आयकर अधिनियम, 1961 के कोई अन्य संबंधित प्रावधान)

(viii) कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा विलफुल डिफॉल्टर घोषित नहीं किया गया है।

(ix) कंपनी की कोई सहायक कंपनी नहीं है। तदनुसार, कंपनी (लेयर की संख्या पर प्रतिबंध) नियम, 2017 के साथ पठित अधिनियम की धारा 2 के अनुच्छेद (87) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

(x) वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कंपनी ने अपनी किसी भी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (संपत्ति उपयोग के अधिकार सहित) और अमूर्त संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

(xi) वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कंपनी ने प्रमोटरों, निदेशकों, केएमपी और संबंधित पार्टियों को ऋण के रूप में कोई ऋण या अग्रिम प्रदान नहीं किया है।

नोट:- 91 मानक/संशोधन जारी लेकिन अभी तक प्रभावी नहीं

कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने दिनांक 23 मार्च 2022 की अधिसूचना द्वारा भारतीय लेखा मानक संशोधन नियम, 2022 जारी किया था। भारतीय लेखा मानक संशोधन नियम, 2022 में निम्नलिखित मानकों में संशोधन किया गया है:-

1. पहली बार भारतीय लेखा मानकों को अपनाना (भारतीय लेखा मानक-101)
2. शेयर आधारित भुगतान (इंड एएस-102)
3. वित्तीय साधन (भारतीय लेखा मानक-109)
4. वित्तीय साधन: प्रकटीकरण (इंड एएस-107)
5. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्ति (भारतीय लेखा मानक-37)
6. ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व (इंड एएस-115)
7. वित्तीय विवरण की प्रस्तुति (इंड एएस-1)
8. लेखांकन नीतियां, लेखांकन अनुमानों और त्रुटियों में परिवर्तन (इंड एएस-8)
9. आयकर (इंड एएस-12)
10. अंतरिम वित्तीय रिपोर्टिंग (इंड एएस-34)

इन संशोधनों की प्रभावी तिथि 1 अप्रैल 2022 को या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक अवधि है। अभी, कंपनी संशोधनों के प्रभाव का मूल्यांकन कर रही है और अभी तक वित्तीय विवरणों पर प्रभाव का निर्धारण नहीं किया है।

टिप्पणी- 92 - पिछले वर्षों के आंकड़ों का पुन:समूहन

जहां भी आवश्यक समझा गया, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहीकृत/पुनःवर्गीकृत/पुनः प्रस्तुत किया गया है। हालांकि, कोविड-19 के प्रतिबंध हटने के बाद सामान्य परिचालन शुरू होने के कारण, पिछले वर्ष के अधिकांश आंकड़े चालू वर्ष के आंकड़ों के साथ तुलना करने योग्य नहीं हैं।

नोट :- 93 वित्तीय विवरणों का अनुमोदन

30 मई, 2022 को निदेशक मंडल द्वारा वित्तीय विवरणों को जारी करने का अनुमोदन दिया गया था।

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग
महानिदेशक लेखापरीक्षा का कार्यालय
रेलवे वाणिज्यक ,नई दिल्ली
INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT
RAILWAY COMMERCIAL, NEW DELHI

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

4, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली 4, Deen Dayal Upadhyaya Marg, New Delhi-110002

सत्यमेव जयते

संख्या/पी.डी.ए/आर.सी/AA-IRCTC/78-11/2023-24/317 दिनांक: 01 .08.2023

सेवा में,

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन लिमिटेड,
ग्यारवा- बारवा माला, स्टेट्समैन हाउस, बाराखम्बा रोड,
नई दिल्ली– 110 001.

महोदय,

विषयः **31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6)(b) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ |**

मैं, **इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन लिमिटेड** के **31** मार्च **2023** को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम **2013** की धारा **143 (6) (b)** के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ अग्रेषित कर रहा हूँ |

कृप्या इस पत्र की संलग्नको सहित प्राप्ति की पावती भेजी जाए|

भवदीय,

संलग्न :: यथोपरी

(डॉ. नीलोत्पल गोस्वामी)
महानिदेशक (रेलवे वाणिज्यक)

कॉरपोरेट अवलोकन
सांविधिक रिपोर्ट
वित्तीय विवरण

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय विवरणों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (बी) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां ।

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग प्रारूप के अनुसार 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए **इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड** के वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक अधिनियम की धारा 143 (10) के अंतर्गत निर्धारित लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के अधीन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। यह बताया गया है कि उन्होंने अपनी दिनांक 30 मई 2023 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार अपनी यह जिम्मेदारी पूरी की है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से अधिनियम की धारा 143 (6)(ए) के अंतर्गत 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए **इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड** के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा की है। यह पूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के द्वारा कथित दस्तावेजों के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और प्रारंभिक रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी कर्मियों की पूछताछ और कुछ लेखा रिकॉर्डों की चयनात्मक जांच तक सीमित है।

अपनी पूरक लेखापरीक्षा के आधार पर, मैंने कोई भी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी नहीं पाई है जो अधिनियम की धारा 143(6)(बी) के अंतर्गत जिस पर कोई टिप्पणी की जाए या सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की अनुपूरक हो।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
के लिए तथा उनकी ओर से

डॉ. नीलोत्पल गोस्वामी
प्रधान निदेशक, लेखा परीक्षा
रेलवे वाणिज्यक, नई दिल्ली

स्थानः नई दिल्ली
दिनांक: 01.08.2023

टिप्पणियाँ:

टिप्पणियाँ:

दूरंदेशी बयान

इस रिपोर्ट की कुछ सूचनाओं में भविष्योन्मुखी कथन हो सकते हैं जिनमें कंपनी की अपेक्षित वित्तीय स्थिति और संचालन के परिणाम, व्यवसाय योजना और संभावनाएं आदि शामिल हैं और आमतौर पर "विश्वास," "योजना," "जैसे भविष्योन्मुखी शब्दों द्वारा पहचाने जाते हैं। आशा करना," जारी रखना," "अनुमान लगाना," "उम्मीद करना," "हो सकता है," "होगा" या अन्य समान शब्द। फ़ॉयवर्ड-लुकिंग स्टेटमेंट ऐसे बयानों के आधार पर मान्यताओं या आधार पर निर्भर हैं। हमने इन मान्यताओं या आधारों को सद्भावना से चुना है, और हम मानते ह कि वे सभी भौतिक मामलों में उचित हैं। हालाँकि, हम सावधान करते हैं कि वास्तविक परिणाम, प्रदर्शन या उपलब्धियाँ ऐसे भविष्योन्मुखी कथनों में व्यक्त या निहित रूप से भिन्न हो सकते हैं। हम किसी भी भविष्योन्मुखी कथन को अद्यतन या संशोधित करने के लिए कोई दायित्व नहीं लेते हैं, चाहे वह नई जानकारी,भविष्य की घटनाओं, या अन्यथा के परिणामस्वरूप हो।

इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम - मिनी रत्न श्रेणी-I)

पंजीकृत और कॉरपोरेट कार्यालय

11वीं मंजिल, बी-148, स्टेट्समैन हाउस,
बाराखंभा रोड, नई दिल्ली -110001
टेलीफ़ोन 011-23311263/64 | **फैक्स** 011-23311259
सीआईएन L74899DL1999GOI101707

a K&A creation | www.kalolwala.com